वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

विद्युतीकरण द्वारा नए भारत का सशक्तिकरण

सत्यमेव जयते

विद्युत मंत्रालय

भारत सरकार

www.powermin.nic.in

भारत के मानचित्र

में प्रदर्शित

संस्थापित उत्पादन क्षमता

राज्यवार/पद्धतिवार

संयुक्त एवं केंद्रीय क्षेत्रों में आवंटित भाग सहित

(31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, आँकड़े मेगावाट में) [मानचित्र पैमाने के अनुसार नहीं]

अखिल भारतीय क्षमता: 3,68,789.05 मे.वा.

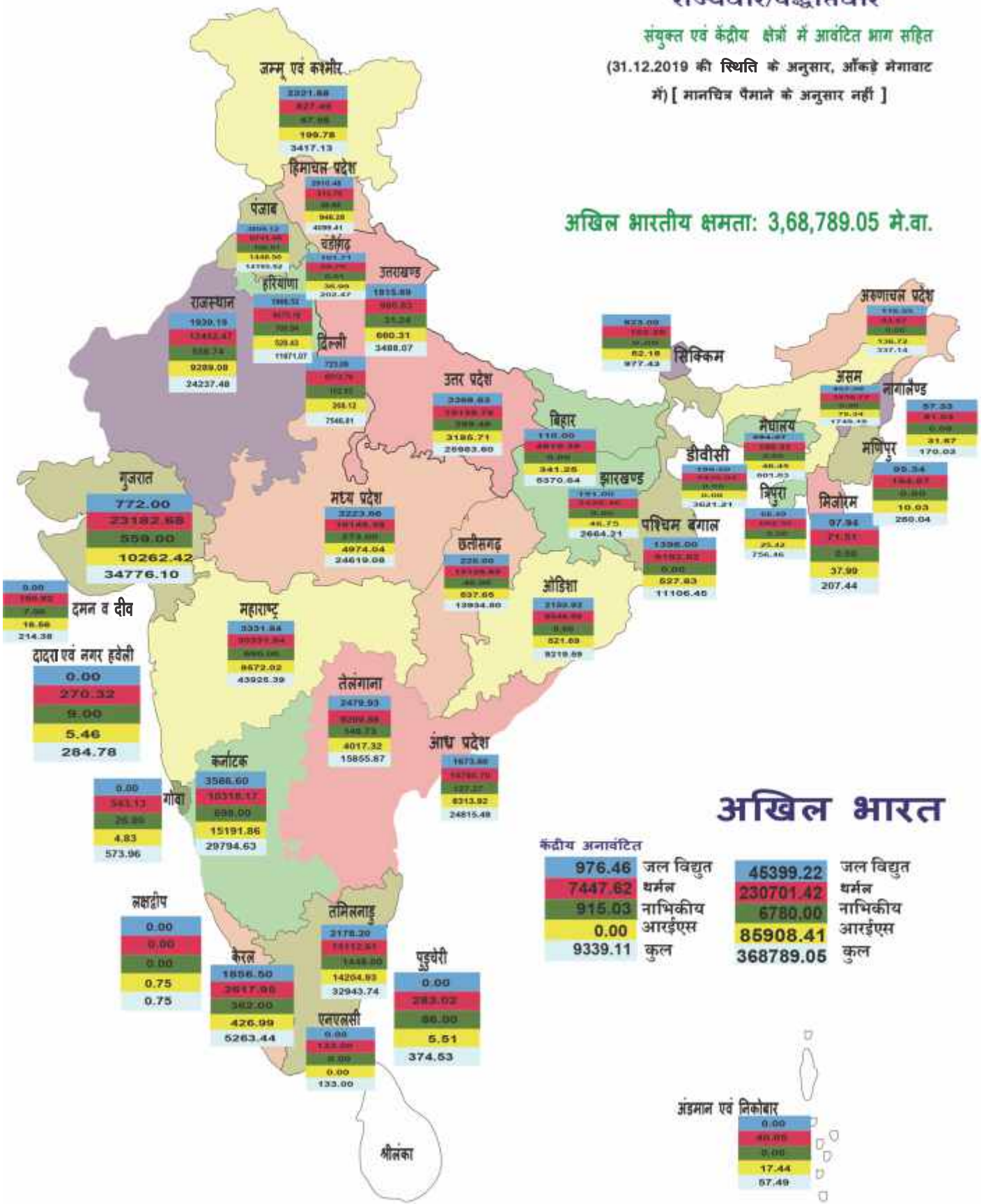

अखिल भारत

केंद्रीय अनावंटित

976.46	जल विद्युत
7447.62	थर्मल
915.03	नाभिकीय
0.00	आरईएस
9339.11	कुल

45399.22	जल विद्युत
230701.42	थर्मल
6780.00	नाभिकीय
85908.41	आरईएस
368789.05	कुल

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

विद्युतीकरण द्वारा नए भारत का सशक्तिकरण

सत्यमेव जयते

विद्युत मंत्रालय

भारत सरकार

www.powermin.nic.in

श्री राज कुमार सिंह, माननीय विद्युत एवं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा टेंट सिटी, नर्मदा, गुजरात में विद्युत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विद्युत मंत्रियों के साथ सम्मेलन के दौरान राज्य वितरण यूटिलिटियों की सातवां वार्षिक एकीकृत रेटिंग पर बुकलेट का उद्घाटन करते हुए।

विषय सूची

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1	निष्पादन की विशिष्टताएं	3
2	संगठनात्मक ढाँचा	11
3	क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	13
4	उत्पादन एवं विद्युत आपूर्ति की स्थिति	19
5	अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी)	23
6	जल विद्युत प्रभाग	25
7	पारेषण	27
8	विद्युत क्षेत्र में सुधार की स्थिति	33
9	मंत्रालय की ग्रामीण विद्युतीकरण पहलें	37
10	एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) और राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)	39
11	राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन	43
12	ऊर्जा संरक्षण	45
13	इलैक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना	55
14	विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी	59
15	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	61
16	पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत विकास गतिविधियां	67
17	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.)	69
18	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	73
19	विद्युत अपील प्राधिकरण (एपटेल)	77
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		
20	एनटीपीसी लिमिटेड	79
21	एनएचपीसी लिमिटेड	97
22	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल)	101
23	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	109
24	आरईसी लिमिटेड	119
25	नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) लिमिटेड	129
26	पावर सिस्टम आपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (पोसोको)	131
संयुक्त उद्यम निगम		
27	एसजेवीएन लिमिटेड	133
28	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल)	139
सांविधिक निकायः		
29	दामोदर घाटी निगम (डीवीसी)	143
30	भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड (बीबीएमबी)	149
31	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)	151
स्वायत्त निकाय		
32	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई)	153
33	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई)	157
अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप		
34	लोक शिकायत	159
35	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	163
36.1	राजभाषा का कार्यान्वयन	167
36.2	सतर्कता गतिविधियां/अनुशासनिक मामले	175
36.3	महिला कर्मचारियों से संबंधित गतिविधियां	185
36.4	दिव्यांग कर्मचारी (पीडब्ल्यूडी)	191
36.5	मनोरंजनात्मक गतिविधियां	197
36.6	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	203
37	ई–गवर्नेंस/सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पहलें	211
38	क्षेत्र–वार संस्थापित क्षमता	219
39	मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय	233
40	लेखा पर्यवेक्षण	237

माननीय विद्युत, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार) और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री, श्री राज कुमार सिंह द्वारा 27 अगस्त, 2019 को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में विद्युत क्षेत्र की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

अध्याय 01

निष्पादन की विशिष्टताएं

1. विद्युत आपूर्ति की स्थितिः

वर्तमान वर्ष 2019–20 (दिसम्बर 2019, तक) के दौरान विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.1% रही। वर्ष 2019–20 (दिसम्बर 2019, तक) पूर्ववर्ती वर्ष की क्रमशः 0.8% और 0.6% की तुलना में व्यस्ततम मांग की कमी और ऊर्जा आपूर्ति की कमी क्रमशः 0.7% और 0.5% है।

2. उत्पादन निष्पादन

देश में नवीकरणीय श्रोतों से उत्पादन सहित कुल विद्युत उत्पादन पूर्ववर्ती वर्ष की समान अवधि के दौरान हुई 1048.068 बिलियन यूनिट उत्पादन की तुलना में वर्ष 2019–20 (दिसम्बर 2019 तक) के दौरान 1054.075 बिलियन यूनिट है, जो कि 0.6% की वृद्धि दर्शाता है।

वर्ष 2019–20 (दिसम्बर 2019, तक) के लिए परंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 1330 बिलियन यूनिट निर्धारित था। वर्ष 2019–20 (दिसम्बर 2019, तक) के दौरान वास्तविक उत्पादन 950.397 बिलियन यूनिट था जब कि उसी अवधि के लिए आनुपातिक उत्पादन लक्ष्य 1006.553 बिलियन यूनिट था और पूर्ववर्ती वर्ष की समान अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन 949.933 बिलियन यूनिट था, जो 94.4% उपलब्धि और लगभग 0.05% वृद्धि दर्शाता है।

3. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

देश के सभी जनगणना गांव दिनांक 28 अप्रैल, 2019 के अनुसार विद्युतीकृत हैं।

योजना के घटकः

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर–कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टिंग को सुगम बनाने के लिए कृषि एवं गैर–कृषि फीडरों को पृथक करना।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में उप–पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन।

(iii) वितरण ट्रांस्फार्मरों / फीडरों / उपभोक्ताओं की मीटरिंग।

(iv) ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के रूप में डीडीयूजीजेवाई में समाहित पूर्ववर्ती योजना के चल रहे ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य।

योजना परिव्यय

इस योजना का परिव्यय 43,033 करोड़ रूपये है जिसमें भारत सरकार से प्राप्त 33453 करोड़ रूपयों की बजटीय सहायता शामिल है। पूर्ववर्ती ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम को ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के रूप में डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर लिया है और इस के साथ 32860 करोड़ रूपयों के कुल परिव्यय के डीडीयूजीजेवाई में शामिल कर लिया गया है। अतः इस स्कीम का कुल परिव्यय 75,893 करोड़ रूपये है जिसमें भारत सरकार से प्राप्त 63,027 करोड़ रूपयों की बजटीय सहायता भी शामिल है।

मुख्य विशेषताएं

राज्यों को उनके प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों के चयन क्षेत्र के लिए पूरा लचीलापन दिया गया है। सभी गांव किसी न्यूनतम जनसंख्या मानदण्ड के बिना ही योग्य है। सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) में शामिल ग्राम पंचायक को अनिवार्य रूप से डीपीआर में शामिल किया है। इस स्कीम के अंतर्गत ई–टेंडरिंग और मानक बोली दस्तावेज अनिवार्य है। प्रभावी परियोजना प्रबंधन और समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी के विकास के लिए 100% सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है। निजी डिस्कॉमों सहित सभी डिस्कॉम और आरई को आपरेटिव सोसाइटियां इस स्कीम के अंतर्गत पात्रता रखते हैं। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति–दिशा (शहरी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित) वरिष्ठतम संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा तथा निगरानी की जाती है।

वित्तपोषण पद्धतिः

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 15% अतिरिक्त अनुदान के साथ (5% विशेष श्रेणी राज्यों के लिए) राज्यों को 75% अनुदान (90% विशेष श्रेणी राज्यों के लिए) प्रदान किया जा रहा है।– (i) निर्धारित लक्ष्य के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने पर (ii) ट्रेजेक्ट्री के अनुसार एटीएण्डसी हानियों में कमियां (iii) मीटर्ड उपभोग पर आधारित राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य राज्य सब्सिडी की अग्रिम जारी करना।

नागरिक केन्द्रित

गुणवत्तायुक्त और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्राप्त होने से लोगों के दैनिक जीवन के सभी पहलुओं, व्यक्ति विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार आदि जैसे आवश्यक सेवाओं का प्रभावी वितरण से जीवन की गुणवत्ता पर एक प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विद्युत आपूर्ति सामाजिक आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।

इस स्कीम के प्रभावी तथा कुशल कार्यान्वयन से विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति संभव हो पाएगा जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार (रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन और मोबाइल) और अन्य जनसेवाओं तक पहुंच में सुधार होगा। फीडर पृथक्करण किसानो को विश्वसनीय तथा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति प्रदान करेगा, जिससे उच्च उत्पादन क्षमता और कृषि सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा, ग्रामीण परिवारों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और इससे आर्थिक गतिविधियों का भी संवर्धन होगा।

4. प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

सभी राज्यों ने 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ के वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित बस्तर जिले में कुछ घरों को छोड़कर सभी घरों को विद्युतीकृत कर दिए जाने की सूचना दी है।

विद्युत मंत्रालय ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अंतिम छोर पर संबद्धता प्रदान करते हुए तथा विद्युत कनेक्शन प्रदान करके सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना–सौभाग्य शुरू की। भारत सरकार से 12320 करोड़ रूपयों की वित्तीय सहायता के साथ स्कीम का कुल परिव्यय 16320 करोड़ रूपये है।

दिसम्बर, 2018 तक 100% घरेलू विद्युतीकरण पूरा होने तक 15% अतिरिक्त अनुदान (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 5%) के साथ राज्यों को 25% अनुदान (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90%) प्रदान की जा रही है।

जैसा कि नई योजना स्वयं ही इसका नाम सुझाती है। योजना की अंतर्निहित

विशेषता 'सहज' अर्थात सरल/आसान/प्रयासरहित और हर घर अर्थात सभी को शामिल करना है। योजना के अन्य मुख्य घटक निम्नानुसार है:

(I) विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए कोई अग्रिम शुल्क नहीः आर्थिक रूप से कमजोर घरों और अन्य घरों के लिए बिल्कुल ही निःशुल्क है, कनेक्शन जारी होने के बाद 500 रू. 10 किस्तों में मासिक बिजली बिल में समायोजित किए जाएंगे।

(ii) तुरंत रजिस्ट्रेशन और कनेक्शन जारी करने के लिए गांवों/गांवों के कलस्टरों में कैम्पों का आयोजन।

(iii) अपेक्षित दस्तावेजों सहित लाभग्राहियों की पहचान और इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग।

(iv) दुर्गम और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित घरों के लिए एसपीवी आधारित स्टैण्डअलोन प्रणाली।

(v) प्रगति की वेब आधारित नियर रियल टाइम निगरानी और अपडेटिंग।

(vi) कार्यान्वयन के ढंग में राज्यों के लिए लचीलापन (विभागीय/टर्नकी/सेमी–टर्नकी)।

5. एकीकृत विद्युत विकास स्कीम

शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और 24x7 विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य यूटिलिटियों की सुविधा के लिए, भारत सरकार से 25,354 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित 32,612 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से 20.11.2014 को 'एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)' मंजूर की थी। पूर्ववर्ती आर–एपीडीआरपी को आईपीडीएस में समाहित किया गया है और सीसीईए ने आईपीडीएस की नई स्कीम के लिए 12वीं एवं 13वीं योजना के लिए 22,727 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को अग्रेनीत करने सहित 44,011 करोड़ रुपए का आर–एपीडीआरपी परिव्यय अनुमोदित किया है।

एकीकृत विद्युत विकास स्कीम की प्रगति

31.12.2019 तक की स्थिति के अनुसार आईपीडीएस के अंतर्गत नए परियोजनाओं की प्रगतिः

आईपीडीएस के अंतर्गत निम्नलिखित शहरी वितरण अवसंरचना क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। (i) गैस इंसुलेटड सब स्टेशनों (जीआईएस) सहित शहरी क्षेत्रों में उप पारेषण तथा वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण; (ii) स्मार्ट मीटरिंग सहित सिस्टम एवं उपभोक्ता मीटरिंग (iii) ई आर पी के माध्यम से वितरण क्षेत्र में आई टी और ओ टी सक्षमीकरण, पहचाने गए गैर आरएपीडीआरपी शहरों में आरएपीडीआरपी आई टी/ओटी कार्यों का विस्तार, सिस्टम की विश्वसनीयता के सटीक माप के लिए यूटिलिटियों में रियल–टाइम डाटा एक्विजेशन सिस्टम (आरटी–डीएएस) की संस्थापना। अब तक, 32,059 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आईपीडीएस के अंतर्गत स्वीकृत की गईं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) देश भर के 3634 शहरों को शामिल करते हुए 546 सर्किलों के लिए 28,260 करोड़ रुपए की वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं।

(ii) चरण–II के अंतर्गत 1931 शहरों के लिए 985 करोड़ रुपए की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन परियोजनाएं।

(iii) 39 यूटिलिटियों के लिए 792 करोड़ रुपए की ईआरपी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(iv) 21 यूटिलिटियों में 41 लाख नोड्स के लिए 834 करोड़ रुपए की स्मार्ट मीटरिंग परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(v) वित्तीय वर्ष 2018–19 में आईपीडीएस के अंतर्गत 209 करोड़ रुपए की रियल–टाइम डाटा एक्विजेशन सिस्टम (आरटी–डीएएस) परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं।

(vi) वित्तीय वर्ष 2018–19 में 978 करोड़ रुपए के 120 गैस इंसुलेटेड स्विचगीयर (जीआईएस) सब–स्टेशन की स्थापना की स्वीकृति दे दी गई थी।

- क्रियान्वयनाधीन वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों में कुल 82 प्रतिशत प्रगति हासिल कर ली गई है। प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:
- इन डोर सब स्टेशनों में से 848 नए 33/11 केवी सब–स्टेशन चालू किए जा चुके हैं।
- अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराकर अथवा क्षमता अभिवर्धन करके 1001 मौजूदा 33/11 केवी सब–स्टेशनों का आवर्धन पूरा कर लिया गया है।
- 75,000 से अधिक वितरण ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं।
- 50,254 सीकेएम से अधिक के एरियल बंचड केबल और 15,567 सीकेएम से अधिक भूमिगत केबल बिछा दी गई है।
- 20,238 सीकेएम से अधिक एचटी लाइनें और 9,627 सीकेएम से अधिक एलटी लाइनें पूरी हो गई हैं।
- 41,960 केडब्ल्यूपी से अधिक के सोलर रूफ टॉप लगा दिए गए हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी चरण–II के अंतर्गत 576 शहरों को सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम बना दिया गया है और इन शहरों के 11 केवी फीडर डाटा राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल पर उपलब्ध है।
- 28 यूटिलिटियों के लिए ईआरपी वर्क पहले ही अवार्ड किए जा चुके हैं और 9 यूटिलिटियाँ कार्यान्वयनाधीन हैं।
- राज्य/यूटिलिटियां ईईएसएल के माध्यम से अथवा स्वयं टेंडर देकर आईपीडीएस के अंतर्गत संस्वीकृत स्मार्ट मीटरिंग कार्य को अंतिम रूप देने के अग्रिम चरण में है। 4 यूटिलिटियों को परियोजना अवार्ड किया गया है।
- विश्वसनीय और बेहतर गुणवत्तापरक विद्युत के रूप में उपरोक्त कार्य का सकारात्मक प्रभाव 2000 अलग अलग शहरों में 3 करोड़ शहरी उपभोक्ताओं में देखा जा सकता है, जहां कार्य पूरा हो चुका है।
- दिनांक 31.12.2019 के स्थिति के अनुसार विद्युत मंत्रालय/पीएफसी द्वारा अनुदान के रूप में 11989 करोड़ रुपए की राशि स्कीम के दिशा–निर्देशानुसार आईपीडीएस के अंतर्गत राज्यों को जारी कर दी गई थी। इसके अलावा, आईपीडीएस के कार्यान्वयन के लिए सक्षमीकरण गतिविधियों के लिए 181 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी गई है।

आईपीडीएस की पुराने आर–एपीडीआरपी परियोजना के अंतर्गत प्रगति

आरएपीडीआरपी योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को दो भागों में बांटा गया हैं। भाग–क का उद्देश्य बड़े शहरों (आबादीः 4 लाख और वार्षिक ऊर्जा इनपुटः 350 एमयू) के लिए ऊर्जा लेखांकन/लेखा परीक्षा तथा स्काडा के लिए डाटा सेंटर, उपभोक्ता सेवा केंद्र आदि सहित आईटी सक्षम प्रणाली स्थापित करना है जबकि भाग–ख इन शहरों में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए

है। आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत परियोजनाएं भारत सरकार से ऋण के रूप में स्वीकृत की जाती हैं और समय पर पूर्णता एवं एटीएंडसी हानियों के लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर अनुदान के रूप में सभी परिवर्तनीय होती हैं।

34,714 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं (भाग–कः 5930 करोड़ रुपए जिसमें 1294 नगरों और 59 स्काडा परियोजनाएं शामिल हैं; भाग–खः 28,784 करोड़ रुपए जिसमें 1227 नगर शामिल हैं) कार्यान्वयनाधीन हैं।

31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, 20 डाटा केंद्रों में से 19 को चालू किया गया है और भाग–क कार्यक्रम के अंतर्गत 1288 नगरों को 'गो लाइव' घोषित किया गया है। 1195 नगरों में भाग–ख परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

'गो लिव नगर' वे नगर हैं जहां आईटी कार्य पूरा किया गया है और नगर ऊर्जा आंकड़ा ऊर्जा लेखा और लेखा परीक्षा के लिए डाटा केंद्रों को प्रवाहित करना आरंभ कर दिया है। यूटिलिटियों ने ऊर्जा लेखा/लेखा परीक्षा, एटी एंड सी हानियों को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रशासनिक उपायों के लिए इस डाटा का उपयोग करना आरंभ कर दिया है। दिसम्बर, 2019 में 915 नगरों में एटीएंडसी हानि में कमी सूचित की गई है।

भाग–क और ख परियोजनाओं के लिए आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत राज्य यूटिलिटियों को ऋण के रूप में 12,550 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सक्षमीकरण कार्यकलापों हेतु भाग–ग के अंतर्गत 493 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी किए गए हैं।

योजना	कवर किए नगर (संख्या)	पूरे किए गए नगरों की संख्या	अनुमोदित परियोजना लागत (करोंड़ रु. में)	जारी की गई भारत सरकार निधि (करोंड़ रु. में)
भाग–क (आईटी)	1294	1287	4,724	4,052
भाग–क (स्काडा)	59	57	1,206	688
भाग–ख	1227	1195	28,785	7,811
कुल			**34,714**	**12,550**

6. उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

- उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना की शुरुआत दिनांक 20–11–2015 को राज्यों के स्वामित्व वाले वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉमों) के प्रचालनात्मक और वित्तीय टर्न अराउंड हेतु हुआ था। उदय ने प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना के माध्यम से राज्यों और डिस्कॉमों के प्रयासों को उत्प्रेरित करके 24x7 विश्वसनीय और गुणवत्तायुक्त विद्युत के लक्ष्य की आसन्न आपूर्ति अंतराल को कम करने का लक्ष्य रखा है।
- उदय के मुख्य रूप से दो परिणाम मापदंड थेः मार्च, 2019 तक (i) ए टी एंड सी घाटे को 15% तक कम करना तथा (ii) एसीएस–एआरआर अंतराल को शून्य कर देना। कुछ राज्यों में बड़े पैमाने पर समस्याओं / चुनौतियों तथा साथ ही साथ उनके देर से शामिल होने के कारण, इन राज्यों को अपने डिस्कॉमों की टर्न अराउंड प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक से दो साल राहत की अनुमति दी गई थी। अंत में उदय में शामिल सभी 32 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में से 16 राज्य, व्यापक परिचालनात्मक और वित्तीय टर्न अराउंड उपायों के लिए और शेष सिर्फ परिचालनात्मक उपायों के लिए इससे जुड़े थे।
- वित्तीय उपायों के अंतर्गत, राज्यों ने 2.09 लाख करोड़ रुपये के एस डी एल बॉन्ड जारी किए और उससे प्राप्त आय डिस्कॉमों को अंतरित कर दी गई थी। डिस्कॉमों द्वारा 23,000 करोड़ रुपयों के डिस्कॉम बॉन्ड भी जारी किए गए थे।
- सहभागी राज्यों मे से अधिकांश ने वित्तीय वर्ष 19 के अंत तक 3 साल पूरे कर लिए हैं। राज्यों ने ए टी एंड सी घाटों में लगातार सुधार और पूर्व उदय अवधि की तुलना में वित्तीय वर्ष 19 तक लगभग 50% की कमी सूचित की है।
- उदय राज्यों का कुल ए टी एंड सी घाटा वित्तीय वर्ष 16 के 20.7% से घटकर वित्तीय वर्ष 19 में 18.2% हो गया है। इन राज्यों के ए सी एस और ए आर आर के बीच का औसत अंतर वित्तीय वर्ष 16 में 59 पैसे प्रति यूनिट से घटकर वित्तीय वर्ष 19 में 27 पैसे प्रति यूनिट हो गया है।
- वित्तीय वर्ष 20 में उदय राज्यों के निष्पादन का अर्धवार्षिक प्रदर्शन प्रवृत्तियाँ वर्ष 19 की समान अवधि के दौरान राजस्व अंतरों और ए टी एंड सी घाटे की मूल्य की तुलना में हुई सीमांत वृद्धि को सूचित करता है। तथापि लेखा परीक्षित तथा विश्वसनीय आंकड़े वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद ही उपलब्ध होंगे।
- जबकि उदय डिस्कॉमों ने निष्पादन में सुधार लाने हेतु अपना योगदान दिया है, भारत सरकार राज्य के स्वामित्ववाली यूटिलिटियों हेतु पूर्ण वित्तीय तथा परिचालनात्मक टर्न अराउंड प्राप्त करने के लिए उदय के अंतर्गत होने वाले प्रयासों को पूरा करने हेतु अतिरिक्त सुधार कार्य प्रणाली तैयार कर रही है।

7. क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम और वर्ष 2019–20 के दौरान उपलब्धि

वर्ष 2019–20 के लिए 12,186.14 मेगावाट का क्षमता अभिवर्द्धन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की तुलना में, 31.12.2019 तक 5,445 मेगावाट क्षमता हासिल कर ली गई है।

8. विद्युत क्षेत्र में संधारणीयता सुनिश्चित करना

विद्युत मंत्रालय द्वारा ''वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत क्रय करारों के अंतर्गत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में पर्याप्त मात्रा में साख पत्रों (एलसी) का खेलना एवं रखरखाव करना'' विषय पर दिनांक 28.06.2019 को एक आदेश जारी किया गया था। आदेश के अनुसार 01 अगस्त, 2019 के बाद विद्युत खरीद के लिए संविदा के अनुसार एक पर्याप्त भुगतान सुरक्षा तंत्र अनुसूचित किए जाने वाले विद्युत उत्पादकों के लिए स्थापित किया जाएगा। इसे 01.08.2019 से सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा चुका है और वितरण कंपनियों से उत्पादकों को भुगतान को सरल एवं कारगर बनाने में सहायता मिली है। इस उपाय से विद्युत क्षेत्र में संधारणीयता लाने की अपेक्षा है।

9. ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला आपूर्तिः कुल 65 कोयला ब्लॉक हैं जिन्हें विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को आबंटित किया गया है जिसमें से 01 कोयला ब्लॉक नामतः कुडनाली–लुबरी कोयला ब्लॉक को (जिसे एनटीपीसी एवं जम्मू व कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड को संयुकत रूप से आबंटित किया गया था) अभ्यर्पित कर दिया गया जिसे बाद में रद्द कर दिया गया और दो शैड्यूल III कोयला ब्लॉकों नामतः मंदाकिनी एवं उत्कल–सी को रद्द कर दिया गया है।

इसलिए, इस समय विद्युत क्षेत्र को आबंटित कोयला ब्लॉकों की संख्या 62 है।

जिनमें से 48 ब्लॉकों (केंद्रीय क्षेत्र–12, राज्य क्षेत्र–30, निजी क्षेत्र–6) को कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अनुसार विद्युत क्षेत्र को ई–आबंटित/ई–नीलामी की गई। अन्य 13 ब्लॉकों को एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत कोयला खान नियम, 2012 के प्रतिस्पर्धातमक बोली द्वारा नीलामी के नियम – 4 के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र को आबंटित किया गया है और केवल 01 ब्लॉक नामतः पाकरी बरवाडीह ब्लॉक का एनटीपीसी को आबंटन संवीक्षा समिति द्वारा किया गया है।

इस प्रकार, केंद्रीय क्षेत्र को आबंटित कोयला ब्लोकों की कुल संख्या 16 है, राज्य क्षेत्र की 40 है और निजी क्षेत्र की 6 है।

11 (ग्यारह) कोयला ब्लॉकों ने कोयला उत्पादन शुरू कर दिया है।

(ii) विद्युत मंत्रालय के अनुरोध के आधार पर, कोयला मंत्रालय ने दिनांक 13.04.2016 के पत्र में विद्युत क्षेत्र के लिए अलग से ई–ऑक्शन विंडो शुरू करने को कहा जिसके अंतर्गत सीआईएल नियमित अंतराल पर पर्याप्त मात्रा देने के लिए, अनवरत आधार पर अनन्य रूप से विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला ई–नीलामी करने का प्रबंध करता है ताकि ऐसे विद्युत संयंत्रों को नियमित आधार पर कोयला उपलब्ध कराया जा सके।

(iii) विद्युत मंत्रालय के इनपुट के आधार पर, कोयला मंत्रालय ने दिनांक 08.06.2016 को केन्द्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (विद्युत के साथ–साथ गैर–विद्युत क्षेत्र दोनों) जिनको कोयला खदानें या ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, के अंतिम प्रयोक्ता संयत्रों को ब्रिज लिंकेज के अनुदान के लिए नीतिगत दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। अब तक, सरकारी क्षेत्र में कुल 34,620 मेगावाट क्षमता की 29 ताप विद्युत परियोजनाओं को ब्रिज लिंकेज दिया गया।

(iv) शक्ति के अंतर्गत अनुदान दिए गए लिंकेजः–

क. शक्ति नीति पैरा ख (i) : विद्युत मंत्रालय की अनुशंसा पर अधिसूचित मूल्य पर केंद्रीय एवं राज्य जेनको शक्ति नीति के खंड ख (i) के अंतर्गत, एसएलसी (एलटी) ने केंद्रीय/राज्य क्षेत्र श्रेणी में कुल 25,060 मेगावाट की 23 ताप विद्युत परियोजनाओं को कोयला लिंकेज प्रदान किया है जिसमें से वर्ष 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक) के लिए 3,180 मेगावाट क्षमता के कोयला लिंकेज दिए जा चुके हैं।

ख. शक्ति नीति पैरा ख (ii) : घरेलू कोयला आधारित विद्युत क्रय करार वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के लिए नीलामी के आधार पर लिंकेज। शक्ति नीति के पैरा ख (ii) के अंतर्गत, नीलामी में भागीदारी कर रहे स्वतंत्र विद्युत उत्पादक मौजूदा टैरिफ में छूट के लिए बोली लगाएंगे।

अभी तक शक्ति ख (ii) के अंतर्गत कोयला लिंकेज के लिए बोली के दो चक्र आयोजित किए गए हैं, बोली के पहले चक्र में, सीआईएल द्वारा विद्युत क्रय करार वाली 10 ताप विद्युत परियोजनाओं को कोयला लिंकेज अवार्ड किए गए। इन 10 परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता 11,549 मेगावाट थी जिसकी तुलना में 9,045 मेगावाट क्षमता के लिए हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार था। सीआईएल ने विभिन्न विकासकर्ताओं को कुल 32.68 एमटीपीए (जी–13 ग्रेड के बराबर) कोयला आबंटित किया। सभी बोली लगाने वालों के साथ–साथ सीआईएल की संबंधित अनुषंगी द्वारा एफएसए पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

शक्ति ख (ii) के अंतर्गत आयोजित नीलामी के दूसरे चक्र में, नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से सीआईएल द्वारा कुल 1240 मेगावाट की संस्थापित क्षमता एवं 877.4 मेगावाट की विद्युत क्रय करार हस्ताक्षरित क्षमता की 8 ताप विद्युत परियोजनाओं को लिंकेज अवार्ड किया गया। सीआईएल ने इन विद्युत परियोजनाओं को कुल 3.3355 एमटीपीए (जी–13 ग्रेड के बराबर) कोयला लिंकेज आबंटित किया।

ग. शक्ति नीति पैरा ख (iii) : बिना विद्युत क्रय करार वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों/विद्युत उत्पादकों को जो शुरू हो चुके हैं अथवा शुरू किए जाने हैं, नीलामी के आधार पर कोयला लिंकेज अवार्ड किया जा सकता है। शक्ति ख (iii) के अंतर्गत कोयला लिंकेज की नीलामी का पहला चक्र पहले ही शुरू हो चुका है।

घ. शक्ति नीति पैरा ख (iv) : विभिन्न राज्यों के अनुरोध और विद्युत मंत्रालय की अनुशंसा पर, 4000 मेगावाट के लिए गुजरात राज्य, 1600 मेगावाट के लिए उत्तर प्रदेश राज्य और 2640 मेगावाट के लिए मध्य प्रदेश राज्य को एसएलसी (एलटी) द्वारा कोयला लिंकेज प्रदान किया गया जिसे टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से बढ़ाया जाएगा।

10. इसके अतिरिक्त, दिनांक 07.03.2019 को सीसीईए के अनुमोदन के साथ, सरकार ने निर्णय लिया है कि: कोयला मंत्रालय 'स्पॉट' ई–नीलामी से समतुल्य मात्रा में कमी करके स्पेशल फॉरवर्ड ई–नीलामी के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र के लिए अधिक कोयला निर्धारित करे। कोल इंडिया लि. ई–नालामी (स्पॉट नीलामी तथा स्पेशल फॉरवर्ड ई–ऑक्शन सहित) के प्रयोजन के लिए कुल कोयले के न्यूनतम 50 प्रतिशत तक कोयला विद्युत के लिए निर्धारित करेगा। फॉरवर्ड ई–नीलामी के लिए कोयले की आपूर्ति में वृद्धि विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला लिंकेज की नियमित आवश्यकता तथा अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अतिरिक्त होगी।

11. मेगा विद्युत नीति, 2017

i. 31.03.2019 के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के निर्णय के आधार पर, कर प्राधिकरणों को अंतिम मेगा प्रमाणपत्र देने के लिए अनंतिम मेगा परियोजनाओं (25 परियोजनाओं) के लिए समयावधि को निर्यात की तारीख से 120 माह तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, अनंतिम मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए आनुपातिक बैंक/एफडीआर जारी करने के दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया और 21.09.2017 को परिचालित किया गया।

ii. इससे विद्युत क्षेत्र में संकट को काफी हद तक कम करने की संभावना है क्योंकि विकासकर्ताओं द्वारा आनुपातिक बैंक गारंटी, यदि कोई हो, को जारी करने के परिणामस्वरूप, विकासकर्ता द्वारा इसका उपयोग सबसे पहले बैंक की देयताओं के भुगतान के लिए किया जाएगा।

iii. अभी तक, चार परियोजनाओं को आनुपातिक मेगा प्रमाणपत्र प्रदान किए जा चुके हैं।

12. पावर रेल कोयला अवेलबिलिटी थ्रो सप्लाई हार्मोनी (प्रकाश) पोर्टल

इसे 03.10.2019 को शुरू किया गया। पोर्टल के पणधारियों को लाभ : एक ही प्लेटफार्म पर निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई जाएगी :

i. कोयला कंपनी : विद्युत स्टेशन पर कोयला भंडारण एवं कोयले की मांग।

ii. भारतीय रेल : साइडिंग पर कोयले का वास्तविक उपलब्धता।

iii. विद्युत स्टेशन विभिन्न चरणों में रेकों और प्राप्ति के अपेक्षित समय की जानकारी के द्वारा भावी योजना बना सकते हैं।

iv. विद्युत मंत्रालय/कोयला मंत्रालय/रेल मंत्रालय/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/पोसोको विभिन्न क्षत्रों में ताप विद्युत की समग्र उपलब्धता और उनके लिए उपलब्ध कोयले की समीक्षा कर सकते हैं।

13. कोयला भंडारण की स्थितिः

कोयले की नियमित/सुचारु आपूर्ति के लिए ताप विद्युत संयंत्रों (134) के लिए कोयला भंडारण की स्थिति की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दैनिक आधार पर नियमित निगरानी की जाती है। कोयला कंपनियों और रेलवे के साथ नियमित निगरानी और अनुवर्तन से कोयला भंडारण की स्थिति सुविधाजनक हुई है। 31.12.2019 के अनुसार, विद्युत यूटिलिटियों द्वारा रिपोर्ट की गई कोयला भंडारण की स्थिति 31.63 मिलियन टन (एमटी) थी।

कोयले की मांग और स्वदेशी स्रोतों से इसकी उपलब्धता के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए कोयले के आयात का सहारा लिया गया था। वर्ष 2019–20 (अप्रैल–दिसम्बर, 2019) के दौरान विद्युत यूटिलिटियों के ताप विद्युत स्टेशनों में कोयले की प्राप्ति का विवरण नीचे दिया गया हैः

स्रोत	कोयले की प्राप्ति (मिलियन टन में)
कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल	318.5
सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)	40.2
कैप्टिव खदान	31.4
ई–नीलामी	24.1
आयात (मिश्रण उद्देश्य)	18.4
आयात (कोयला आधारित आयात)	34.3
कुल प्राप्ति	**466.7**

14. थर्मल विद्युत उत्पादन की दक्षता में सुधार के लिए उठाए गए कदमः

क. तृतीय पक्ष सैंपलिंगः

i. एनटीपीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, कोयला नियंत्रण संगठन (सीसीओ) ने तृतीय पक्ष सैंपलिंग के परिणामों के बाद वर्ष 2018–19 के लिए 32 कोयला खदानों को पुनः श्रेणीबद्ध किया है। एनटीपीसी ने कोयला खदानों को पुनः श्रेणीबद्ध किए जाने से 623.0 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ की रिपोर्ट दी है जिससे ईसीआर में 2.54 पैसा/यूनिट तक की कमी होती है।

ii. एनटीपीसी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, तृतीय पक्ष सैंपलिंग से क्रेडिट नोट का प्रभाव, ऊर्जा प्रभार दर (ईसीआर) 5.79 पैसा/यूनिट है और अप्रैल से मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए क्रेडिट नोट के कारण लाभग्राहियों को 1514 करोड़ रुपये ('अनंतिम) दिए गए हैं।

उसी प्रकार, अप्रैल, 2019 से अक्तूबर, 2019 तक की अवधि के लिए लाभग्राहियों को 428 करोड़ रुपये (*अनंतिम) दिए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप ईसीआर 3.04 पैसा/यूनिट हो गई है।

इस प्रकार तृतीय पक्ष सैंपलिंग का कुल प्रभाव वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 8.33 पैसा/यूनिट (लगभग) और वर्ष 2019–20 के लिए 3.04 पैसा/यूनिट निकलता है।

ख. विशिष्ट कोयला खपत

सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और तृतीय पक्ष सैंपलिंग शुरू करने सहित विद्युत मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के कारण, देश में घरेलू कोयला पर डिजाइन किए गए कोयला आधारित विद्युत संयत्रों की विशिष्ट कोयला खपत (एसपीसीसी) में वर्ष 2016–17 में 0.678 किलोग्राम/किलोवाट प्रति घण्टा, वर्ष 2017–18 में 0.662 किलोग्राम/किलोवाट प्रति घण्टा से वर्ष 2018–19 में 0.654 किलोग्राम/किलोवाट प्रति घण्टा का सुधार हुआ है। तथापि, 2018–19 (अप्रैल–दिसम्बर, 2019) के दौरान, घरेलू कोयला पर डिजाइन किए संयत्रों की एसपीसीसी 0.668 किलोग्राम/किलोवाट प्रति घण्टा है।

15. अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं

- चार अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं नामतः गुजरात में मुन्द्रा यूएमपीपी, मध्य प्रदेश में सासन यूएमपीपी, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम यूएमपीपी और झारखंड में तलैया यूएमपीपी अभिनिर्धारित विकाकर्ताओं को हस्तांतरित कर दी गई थीं। गुजरात में मुन्द्रा यूएमपीपी एवं मध्य प्रदेश में सासन यूएमपीपी पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं और विद्युत उत्पादन कर रहीं हैं।
- ओडिशा में बेडाबहल यूएमपीपी और झारखंड में तलैया यूएमपीपी नए नीलामी मानक बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद शुरू की जाएगी। यूएमपीपी पर प्रयोज्य संशोधित मानक बोली दस्तावेजों (एसबीडी) की अनुशंसा करने के लिए श्री प्रत्यूश सिन्हा, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। संशोधित मानक बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- बिहार में यूएमपीपी की स्थापना के लिए बांका जिले में ककवारा पर एक स्थान को अभिनिर्धारित किया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) नामतः बिहार इन्फ्रा पावर लिमिटेड को 30.06.2015 को निगमित किया गया। प्रचालन एसपीवी नामतः बिहार मेगा पावर लिमिटेड (बीएमपीएल) को 09.07.2015 को निगमित किया गया।
- झारखंड में दूसरे यूएमपीपी की स्थापना के लिए हुसैनाबाद, देवघर जिले में एक स्थान को अभिनिर्धारित किया गया है। प्रचालन एसपीवी नामतः देवघर मेगा पावर लिमिटेड और इन्फ्रास्ट्रक्चर एसपीवी नामतः देवघर इन्फ्रा पावर लिमिटेड को क्रमशः 26.04.2012 एवं 30.06.2015 को निगमित किया गया।

16. ऊर्जा दक्षता

सभी (उजाला) के लिए किफायती एलईडी के द्वारा उन्नत ज्योति :

- 31 दिसंबर, 2019 तक, ईईएलएल ने पूरे भारत में 36.13 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए हैं। इससे प्रतिवर्ष 46.92 बिलियन कि.वाट/घंटा की अनुमानित ऊर्जा की बचत हुई है जिसमें 9,394 मेगावाट की अनुमानित पीक डिमांड और प्रतिवर्ष 38 मिलियन CO_2 की अनुमानित जीएचपी उत्सर्जन में कमी आई है।
- इसके अतिरिक्त, ईईएसएल ने 71.65 लाख एलईडी ट्यूब लाइटों तथा 23.13 लाख ऊर्जा दक्ष पंखों को वितरित किया है।
- **स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी)** : 31 दिसंबर, 2019 तक ईईएसएल ने पूरे भारत में 1.03 करोड़ एलईडी लाइटों को स्थापित किया है। इससे प्रतिवर्ष 6.97 बिलियन कि.वाट/घंटा की अनुमानित ऊर्जा की बचत हुई है जिसकी अधिकतम मांग 1,161 मेगावाट और जीएचजी उत्सर्जन में कमी के साथ 4.80 मिलियन टन CO_2 प्रतिवर्ष की अनुमानित कमी है।

- **बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम (बीईईपी)** : 31 दिसंबर, 2019 तक ईईएसएल ने, 10,310 ईमारतों, रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट सहित, ऊर्जा दक्ष परियोजना को पूरा किया है। इन इमारतों में ऊर्जा की लेखाओं से 31–50 प्रतिशत तक की ऊर्जा बचत का पता चलता है। इन इमारतों में प्रमुख व्यवधान प्रकाश और एयर कंडिश्नर सिस्टम के क्षेत्र में हैं।
- **कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजीडीएसएम)** : ईईएसएल, पुराने पंपों से बीईई 5 स्टार रेटेट पंपों के साथ परिर्वन के लिए एजीडीएसएम को कार्यान्वित कर रहा है। 31 दिसंबर, 2019 तक, ईईएसएल ने आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में 73,600 पंपों को स्थापित किया है।

राष्ट्रीय ई–मोबिलिटी कार्यक्रम :

- इस कार्यकम के तहत 31 दिसंबर, 2019 तक, 1,510, ई–कारों को परिनियोजित किया है जोकि पंजीकरण के अधीन है। ई–कारों की चार्जिंग के लिए 300 एसी तथा 170 डीसी कैप्टिव चार्जरों को भी लगाया गया है।
- ईईएसएल ने ई–कारों को परिनियोजित करने के लिए विभिन्न पीएसयू, सरकारी विभागों, राज्य सरकारों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना

- ईईएसएल ने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) से सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करना प्रारंभ किया है। 31 दिसंबर, 2019 तक, डीसी–001 (15 केडब्ल्यू) के अनुपालन में, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन को लगाया गया है।

  ईईएसएल ने, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) के विकास के लिए अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी), नोएडा प्राधिकरण, चैन्नई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (सीएमआरसीएल), जयपुर मेट्रो निगम (जेएमआरसीएल), बृहत हैदराबाद नगर निगम, तथा आयुक्त, नगरपालिका प्रशासक के निदेशक (सीडीएमए) कोलकाता नया शहर विकास प्राधिकरण तथा कलिंग विश्व विद्यालय (रायपुर) के साथ समझौता ज्ञापन/समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएमएनपी) :

- ईईएसएल ने, पारंपरिक मीटरों के स्थान के लिए किराये के आधार पर उपयोगिताओं को स्मार्ट मीटर प्रदान करने की पहल की हैं। अब तक ईईएसएल ने आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, एनडीएमसी – नई दिल्ली और तेलंगाना राज्यों के साथ स्मार्ट मीटर के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ईईएसएल ने, 1.5 करोड़ स्मार्ट मीटर तथा सिस्टम इन्टग्रेटर्स की खरीद प्रक्रिया पूरी है।
- 31 दिसंबर, 2019 तक आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार तथा एनडीएमसी दिल्ली राज्यों ने 9.44 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं।
- ईईएसएल स्मार्ट मीटरिंग परियोजना के द्वारा, एनडीएमसी, अपने सभी उपभोक्ताओं को एनडीएमसी से किसी भी अग्रिम निवेश के बिना स्मार्ट मीटर उपलब्ध कराने वाली पहली उपयोगिता बन गया है।

लघु सौलर शक्ति संयंत्र कार्यक्रम :

- पीपीए को ईईएसएल तथा महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीएसएल) के बीच 200 मेगावाट की विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, जिनकी क्षमता एमएसईडीसीएल, महाराष्ट्र की खाली/अप्रयुक्त/खाली भूमि में 0.3 मेगावाट से 10 मेगावाट तक है।
- 31 दिसंबर, 2019 तक, लगभग 60 मेगावाट पी की संचयी क्षमता के सौर शक्ति संयंत्रों को परिनियोजित/स्थापित किया गया है।

अटल ज्योति योजना (अजय) चरण I तथा II:

- 31 दिसंबर, 2019 तक, ईईएसएल + अजय चरण–I तथा II के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में 1.50 लाख, सौलर एलईडी सड़क लाइटें स्थापित की हैं।
- **70 लाख सौलर एलईडी लैम्प स्कीम** : 31 दिसंबर, 2019 तक ईईएसएल ने उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा तथा झारखंड के राज्यों में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए 60 लाख सौलर स्टडी लैम्पस वितरित किए हैं।

17. परियोजना निगरानी समूह

कोई मंत्रालय/विभाग या कोई निजी उद्यम उनके रुकी हुई निवेश परियोजनाएं जिनमें 1000 करोड़ रुपये या इससे अधिक या कोई परियोजना जोकि महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के पीएमजी पोर्टल पर प्रस्तुत/अपलोड कर सकता है। विद्युत मंत्रालय उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं, जिनमें पर्याप्त निवेश किया गया है, किंतु अन्य कारणों से रुकी हुई हैं, डीपीआईआईटी में पीएमजी द्वारा आगे की निगरानी के लिए उन्हें शुरु कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 (31.12.2019 के अनुसार) के दौरान पीएमजी द्वारा 60,394 करोड़ रुपए निवेश वाली परियोजानाएं स्वीकृत कर दी गई हैं यहां पर वे मुद्दे जो परियोजनाओं को प्रभावित कर रहे थे, सुलझा लिए गए हैं।

18. राज्य विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन 11–12 अक्तूबर, 2019 को टेंट सिटी, नर्मदा, गुजरात में आयोजित किया गया। चर्चा के दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस : संविदा की शुचिता, भुगतान सुरक्षा/मुद्दे, पास–थ्रू, निर्बाध पहुंच, विद्युत का मस्ट रन स्टेटस एवं गैर–विरतीकरण, भूमि का आबंटन, विनियामक मुद्दे : टैरिफ का अंगीकरण, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों में रिक्त पदों को भरना, सभी को 24x7 विद्युत की आपूर्ति, शेष डीडीयूजीजेवाई को पूरा करना और उनका समापन, आईपीडीएस स्कीम की समीक्षा, स्मार्ट प्री–पेड मीटरों की प्रगति और फीडर एवं ट्रांसफार्मर मीटरों की प्रगति, उदय की प्रगति; वितरण सुधारः उपभोक्ताओं के अधिकार, डीबीटी, बहु आपूर्ति लाइसेंसधारी/ फ्रेंचाइजी, थर्मलः एफजीडी एवं एएमपी; समयबद्ध तरीके से देश भर में ताप विद्युत संयत्रों में उपस्करों की स्थापना; जल विद्युतः क्षेत्र/पम्प स्टोरेज को बढ़ावा देने के उपाय; देश भर में मैरिट ऑर्डर को कार्यान्वित करना; राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल; 24x7 विद्युत की आपूर्ति के लिए पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण; ऊर्जा संरक्षणः डिस्कॉमों को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 एवं पीएटी नियमों के अनिवार्य उपबंधों का अनुपालन करना, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) के अंगीकरण की समीक्षा पर राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चर्चा की गई।

चर्चा के बाद, निष्कर्षों/अनुशंसाओं/लिए गए निर्णयों को सम्मेलन के कार्यवृत्तों के द्वारा सभी संबंधितों को परिचालित कर दिया गया है।

श्री राज कुमार सिंह, विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का टेंट सिटी, नर्मदा, गुजरात में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत मंत्रियों के साथ सम्मेलन।

12 फरवरी, 2020 की
स्थिति के अनुसार

विद्युत मंत्रालय की संगठनात्मक अवसंरचना

श्री राज कुमार सिंह
विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री संजीव नंदन सहाय
सचिव (विद्युत)

- सीईए
  - अध्यक्ष (पी.एस. मस्के)
  - सदस्य (थर्मल) (श्री पी.डी. सिवाल)
  - सदस्य (हाइड्रो) (दिनेश चन्द्रा)
  - सदस्य (योजना) (एस.के. शर्मा)
  - सदस्य (विद्युत प्रणाली) (पी.एस. मस्के) (अतिरिक्त प्रभार)
  - सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण) (दिनेश चंद्रा) (अतिरिक्त प्रभार)
  - सदस्य (आर्थिक एवं वाणिज्यिक) (श्री एस.के. शर्मा) (अतिरिक्त प्रभार)
- श्री अनिरुद्ध कुमार, संयुक्त सचिव
  - एनएचपीसी, एसजेवीएनएल, नीपको, टीएचडीसी, बीबीएमबी सहित जल विद्युत,
  - जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रबंधन
  - सार्क देशों में जल विद्युत परियोजनाएं
  - समन्वय
- श्री राज पाल, आर्थिक सलाहकार
  - नीति एवं आयोजना सीपीआरआई एवं एनपीटीआई सहित प्रशिक्षण एवं अनुसंधान
  - बीईई सहित ऊर्जा संरक्षण
  - विद्युत परियोजना निगरानी पैनल
  - समन्वय
  - सभी कर संबंधी मामले
  - ई.समीक्षा
  - प्रगति पोर्टल
  - अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ
  - पीडब्ल्यूडी आदि के लिए आरक्षण
  - राजभाषा
  - लोक शिकायत
  - आरटीआई
  - संसद
- **श्री आशीष उपाध्याय**, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
  - आंतरिक वित्त एवं बजटीय नियंत्रण
- **श्री संजय मल्होत्रा**, अपर सचिव
  - श्री एम. के. नारायण, संयुक्त सचिव
    - एकीकृत विद्युत विकास स्कीम/एपीडीआरपी
    - पीएफसी
    - आरईसी
    - डीडीयूजीजेवाई/आरई
    - राष्ट्रीय विद्युत निधि
    - वित्तीय पुनर्संरचना योजना/उदय
    - स्मार्ट ग्रिड/नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन
    - सूचना प्रौद्योगिकी
  - श्री घनश्याम प्रसाद, मुख्य अभियंता (सीईए)
    - सुधार एवं पुनर्संरचना
    - विद्युत अधिनियम, 2003
    - प्रशुल्क नीति
    - सीईआरसी
    - जेईआरसी
    - एपटेल
    - विद्युत की खरीद के लिए मानक बोली दस्तावेज
    - प्रचालन एवं निगरानी
- **श्री एस. के. जी. रहाटे**, अपर सचिव एवं सीवीओ
  - श्री तन्मय कुमार, संयुक्त सचिव
    - प्रशासन
    - सीईए की केंद्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा (सीपीईएस) का संवर्ग प्रबंधन
    - पारेषण
    - पीजीसीआईएल
    - पोसोको
    - नवीकरणीय ऊर्जा का ग्रिड एकीकरण
  - श्री विवेक कुमार, देवांगन, संयुक्त सचिव
    - ताप विद्युत
    - एनटीपीसी
    - डीवीसी
    - अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना
    - आईपीसी
    - ईंधन आपूर्ति
    - ईंधन आपूर्ति करार
    - एसीक्यू मामले
    - ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की निगरानी
    - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग'

* संयुक्त सचिव (वीकेडी) आईसी के संबंध में फाइलें सीधे सचिव (विद्युत) को प्रस्तुत करते हैं।

** सीईए से लोन बेसिस आधार पर कार्य कर रहे हैं।

अध्याय 02

संगठनात्मक ढाँचा

श्री राज कुमार सिंह ने 31 मई, 2019 से विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का पदभार ग्रहण किया।

श्री संजीव नन्दन सहाय ने 01 नवम्बर, 2019 (अपराह्न) से विद्युत मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया। मंत्रालय में दो अपर सचिव, एक वित्तीय सलाहकार, चार संयुक्त सचिव तथा एक आर्थिक सलाहकार के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में अपर सचिव का एक पद, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए) का एक पद, संयुक्त सचिव के चार पद और आर्थिक सलाहकार का एक पद ही भरा हुआ है।

श्री एस. के. जी. रहाटे, अपर सचिव पारेषण, नवीकरणीय ऊर्जा का पीजीसीआईएल ग्रिड एकीकरण; पोसोको, सतर्कता एवं सुरक्षा; ताप विद्युत; नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन; दामोदर घाटी निगम; अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं; ईंधन आपूर्ति; ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति से संबंधित सभी मामले – जिसमें थर्मल विद्युत संयंत्रों को कैप्टिव खदानों के लिंकेज एवं आबंटन की स्वीकृति और उससे संबंधित नीतियां; ईंधन आपूर्ति करार; ईंधन आपूर्ति प्रकोष्ठ; स्वतंत्र विद्युत उत्पादक; एसीक्यू से संबंधित मामले; ताप विद्युत संयत्रों को कोयले की आपूर्ति की निगरानी और इस प्रयोजन के लिए कोयला एवं रेलवे मंत्रालय के साथ समन्वय; ताप विद्युत संयत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए उनके साथ कार्य करना; तृतीय पक्ष सैंपलिंग एवं परीक्षण सहित कोयले की गुणवत्ता/ कैलोरिफिक वेल्यू सुनिश्चित करने की व्यवस्था देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग; विभिन्न देशों के साथ विद्युत क्षेत्र के कार्य समूह; विदेशों में प्रतिनियुक्ति/प्रतिनिधि मंडल (विभिन्न डेस्कों/अनुभागों द्वारा देखे जा रहे सहयोग/टेंडर आदि से संबंधित मामलों के अलावा)। मंत्रियों और अपर सचिव से ऊपर के स्तर के अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, प्रधान मंत्री एवं संवीक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त करना।

श्री संजय मल्होत्रा, अपर सचिव एकीकृत विद्युत विकास कार्यक्रम (तत्कालीन त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम); पावर फाइनेंस कारपोरेशन; ग्रामीण विद्युतीकरण निगम; ग्रामीण विद्युतीकरण/डीडीयूजीजेवाई; राष्ट्रीय विद्युत निधि; वित्तीय पुनर्गठन योजना/उदय; स्मार्ट ग्रिड/नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन; सुधार एवं पुनर्गठन (राष्ट्रीय विद्युत नीति, टैरिफ नीति, सीईआरसी, जेईआरसी, एपटेल, पोसोको और विद्युत के प्रापण के लिए मानक बोली दस्तावेज सहित); विद्युत अधिनियम, 2003; प्रचालन एवं निगरानी से संबंधित कार्य देखते हैं।

श्री आशीष उपाध्याय, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, इस मंत्रालय का आंतरिक वित्त एवं बजटीय नियंत्रण देखते हैं।

विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिवों तथा आर्थिक सलाहकार (ई.ए.) के बीच कार्यों का आबंटन निम्नानुसार किया गया है:

i) एकीकृत विद्युत विकास योजना (तत्कालीन त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार योजना); पावर फाइनेंस कारपोरेशन; ग्रामीण विद्युतीकरण निगम; ग्रामीण विद्युतीकरण/डीडीयूजीजेवाई; राष्ट्रीय विद्युत निधि; वित्तीय पुनर्गठन योजना/उदय; स्मार्ट ग्रिड/नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन; स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी)/ आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी।

ii) सीपीएसयू अर्थात एनएचपीसी, एसजेवीएनएल, नीपको, टीएचडीसी, बीबीएमबी सहित हाइड्रो मामले; सार्क देशों में जल विद्युत परियोजनाएं; जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रबंधन; और समन्वय।

iii) ताप विद्युत; नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन; दामोदर घाटी निगम; अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं; ईंधन आपूर्ति; ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति से संबंधित सभी मामले – जिसमें थर्मल विद्युत संयंत्रों को कैप्टिव खदानों के लिंकेज एवं आबंटन की स्वीकृति और उससे संबंधित नीतियां; ईंधन आपूर्ति करार; ईंधन आपूर्ति प्रकोष्ठ; स्वतंत्र विद्युत उत्पादक; एसीक्यू से संबंधित मामले; ताप विद्युत संयत्रों को कोयले की आपूर्ति की निगरानी और इस प्रयोजन के लिए कोयला एवं रेलवे मंत्रालय के साथ समन्वय; ताप विद्युत संयत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए उनके साथ कार्य करना; तृतीय पक्ष सैंपलिंग एवं परीक्षण सहित कोयले की गुणवत्ता/ कैलोरिफिक वेल्यू सुनिश्चित करने की व्यवस्था करना। विद्युत क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग; विभिन्न देशों के साथ विद्युत क्षेत्र के कार्य समूह; विदेशों में प्रतिनियुक्ति/प्रतिनिधि मंडल (विभिन्न डेस्कों/अनुभागों द्वारा देखे जा रहे सहयोग/टेंडर आदि से संबंधित मामलों के अलावा)। मंत्रियों और अपर सचिव से ऊपर के स्तर के अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, प्रधान मंत्री एवं संवीक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त करना।

iv) पारेषण, पीजीसीआईएल, नवीकरणीय ऊर्जा का ग्रिड एकीकरण, पोसोको, सामान्य प्रशासन सहित प्रशासन।

v) नीति एवं आयोजना; विद्युत परियोजना निगरानी; ई–समीक्षा तथा प्रगति पोर्टल; सीपीआरआई एवं एनपीटीआई सहित प्रशिक्षण एवं अनुसंधान; ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो; जलवायु परिवर्तन; कर संबंधी सभी मामले; राज भाषा; संसद, लोक शिकायत, सूचना का अधिकार; आरक्षण।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से एक मुख्य अभियंता को सुधार एवं पुनर्गठन (राष्ट्रीय विद्युत नीति, टैरिफ नीति, सीईआरसी, जेईआरसी, एपटेल और विद्युत के प्रापण के लिए मानक बोली दस्तावेज सहित); विद्युत अधिनियम, 2003; प्रचालन एवं निगरानी से संबंधित कार्य देखने के लिए ऋण आधार पर लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, मुख्य लेखा नियंत्रक के नेतृत्व में एक प्रधान लेखा कार्यालय है, जो विद्युत मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार को रिपोर्ट करते हैं। विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण से संबंधित मामले उप सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा देखे जाते हैं जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जनसम्पर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं और उप सचिव (टीएंडआर तथा ईसी) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जनसम्पर्क अधिकारी हैं ।

अध्याय 03

क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) में सभी नागरिकों के लिए वहनीय लागत पर पर्याप्त विश्वसनीय विद्युत का प्रावधान शामिल है। संविधान में बिजली समवर्ती सूची में है और इसकी उपलब्धता व वितरण का दायित्व मुख्यतः राज्यों की जिम्मेवारी है। तथापि, केंद्र और राज्यों दोनों को इसमें निर्णायक एवं सकारात्मक भूमिका निभानी है।

2. देश में 11वीं योजना के अंत तक संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 2,00,000 मेगावाट थी। 12वीं योजना अवधि के दौरान क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम 88,537 मेगावाट लक्षित है जिसमें ताप क्षेत्र में 72,340 मेगावाट, जल विद्युत क्षेत्र में 10, 897 मेगावाट और नाभिकीय क्षेत्र में 5,300 मेगावाट शामिल है।

3. **क्षमता अभिवृद्धि (पिछले पाँच वर्षों में)**

12वीं योजना अवधि के पांच वर्षों के दौरान, निम्नलिखित नई क्षमताएं जोड़ी गई हैं:

(मेगावाट में)

वर्ष	केंद्रीय	राज्य	निजी	कुल
2012-13	5397.3	3977	11257.5	20631.8
2013-14	2574.1	3367	11884	17825.1
2014-15	4395.2	4886.1	13285	22566.3
2015-16	3775.6	7070	13131	23976.6
2016-17	4310.5	5177.3	4722	14209.8

4. वर्ष 2015–16 के लिए, 1,000 मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा सहित 20,037.1 मेगावाट क्षमता का अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 23,976.6 मेगावाट क्षमता उपलब्ध की गई। **यह किसी एक वर्ष में उच्चतम क्षमता अभिवृद्धि से अधिक है।** वर्ष 2015–16 के लिए क्षमता अभिवृद्धि का क्षेत्र–वार एवं ईंधन–वार सार नीचे तालिका में दिया गया है:

(मेगावाट में)

	ताप विद्युत		जल विद्युत		नाभिकीय		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
केंद्रीय	2106.1	3295.6	590	480	1000	0	3696.1	3775.6
राज्य	8120	6460	575	610	–	–	8695	7070.0
निजी	7120	12750	526	426	–	–	7646	13131.0
कुल	17346.1	22460.6	1691	1516	1000	0	20037.1	23976.6

5. वर्ष 2016–17 के लिए, 1,500 मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा सहित 16,654.5 मेगावाट क्षमता का अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 14,209.8 मेगावाट क्षमता उपलब्ध की गई। क्षेत्र–वार एवं ईंधन–वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मेगावाट में)

	ताप विद्युत		जल विद्युत		नाभिकीय		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
केंद्रीय	2731	3230.5	490	80.0	1500	1000	4720.5	4310.5
राज्य	3910	3622.3	995	1555	–	–	4905	5177.3
निजी	6800	4698	229	24	–	–	7029	4722.0
कुल	13441	11551	1714	1659.0	1500	1000	16654.5	14209.8

6. XIIवीं योजना अवधि के दौरान क्षमता अभिवृद्धि

XIIवीं योजना अवधि के लिए 88,537 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें 30,000 मेगावाट आरईएस शामिल नहीं है। 99,209 मेगावाट का 12वीं योजना संचयी क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई थी। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य से अधिक हुई है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मेगावाट में)

क्षेत्र	ताप विद्युत		जल विद्युत		नाभिकीय		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
केंद्रीय	14878	15,868.60	6004	2584.02	5300	2000	26182	20,452.62
राज्य	13922	22,201.35	1608	2276	–	–	15530	24,477.35
निजी	43540	53,660.50	3285	619	–	–	46825	54,279.50
अखिल भारत	72340	91,730.45	10897	5479.02	5300	2000	88537	99,209.47

क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम . 12वीं योजना के बादः

7. वर्ष 2017–18 के लिए, 500 मेगावाट नाभिकीय विद्युत सहित 13,171.15 मेगावाट के क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 9,505 मेगावाट की क्षमता हासिल की गई थी। क्षेत्र–वार, ईंधन–वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(मेगावाट में)

क्षेत्र	ताप विद्युत		जल विद्युत		नाभिकीय		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
केंद्रीय	4880	3170	800	390	500	0	6180	3560
राज्य	3546.15	1760	300	200	–	–	3846.15	1960
निजी	2940	3780	205	205	–	–	3145	3985
कुल	**11366.15**	**8710**	**1305**	**795**	**500**	**0**	**13171.15**	**9505**

8. वर्ष 2018–19 के लिए, निर्धारित किए गए 8106.15 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य की तुलना में 31.03.2019 तक 5921.755 मेगावाट क्षमता प्राप्त की गई। क्षेत्र–वार और ईंधन–वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

(मेगावाट में)

क्षेत्र	ताप विद्युत		जल विद्युत		नाभिकीय		कुल		%
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
केंद्रीय	2760	1960	710	110	–	–	3470	2070	59.7
राज्य	4506.15	2849.755	130	30	–	–	4636.15	2879.755	62.1
निजी	0	972	0	0	–	–	0	972	–
कुल	7266.15	5781.755	840	140	–	–	8106.15	5921.755	73.1
%		**79.6**		**16.7**				**73.1**	

9. वर्ष 2019–20 के लिए 12,186.14 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य की तुलना में 31.03.2019 तक 5,445 मेगावाट क्षमता प्राप्त की गई। क्षेत्र–वार और ईंधन–वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

(मेगावाट में)

क्षेत्र	ताप विद्युत		जल विद्युत		नाभिकीय		कुल		%
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
केंद्रीय	6040	3280	600	–	700	–	7340.00	3280	44.7
राज्य	4256.15	2120	210.99	–	–	–	4467.14	2120	47.5
निजी	0	45	379	–	–	–	379.00	45	11.9
कुल	10296.15	5445	1189.99	0	700	–	12186.14	5445	44.7
%		**52.9**		**0.0**			**44.7**		

वर्ष 2017–18 से 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक) के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

निगरानी तंत्र

10. विद्युत मंत्रालय ने क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम के लिए एक सुदृढ़ निगरानी प्रणाली अपनायी है ताकि यह देखा जा सके कि परियोजना समय पर निष्पादित हो रही है। निगरानी तंत्र में मुख्य रूप से दो स्तर शामिल हैं जिन पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत परियोजनाओं की निगरानी की जाती है।

11. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निगरानी

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में प्रत्येक जारी परियोजना से जुड़ा एक नोडल अधिकारी है जो लगातार दौरों एवं विकासकर्ताओं, उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य पक्षकारों के साथ नियमित बातचीत के माध्यम से स्थल पर प्रगति की नियमित निगरानी करता है। संबंधित नोडल अधिकारी प्रत्येक जारी विद्युत परियोजना की प्रगति की उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को रेखांकित करते हुए जिनमें सुधारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है, मासिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है। अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नोडल अधिकारियों के साथ जारी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विकासकर्ताओं एवं अन्य पणधारकों के साथ तिमाही समीक्षा बैठकें भी आयोजित करता है। इसके अलावा, जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में समयबद्ध मूल्यांकन मानक विकसित किए गए हैं।

12. विद्युत मंत्रालय द्वारा निगरानी

- विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रत्येक जारी परियोजना से संबद्ध महत्वपूर्ण लक्ष्यों की समीक्षा करने के लिए गहन समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करने के लिए अग्रणी उपस्कर निर्माताओं के साथ बैठकें, विशेषकर, प्रत्येक सीपीएसयू के लिए अलग से तिमाही प्रगति समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम की प्रधानमंत्री कार्यालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा भी गहन निगरानी की जाती है।
- जब भी आवश्यक होता है, अग्रसक्रिय अभिशासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए मुद्दों को "प्रगति (PRAGATI)" पर भी उठाया जाता है।
- सभी बड़ी परियोजनाओं के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में परियोजनाओं के अवरोधों को फास्ट–ट्रैक आधार पर परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी), डीपीआईआईटी द्वारा दूर किया जा रहा है। यह प्रकोष्ठ 1,000 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक निवेश वाली बंद पड़ी परियोजनाओं के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है ताकि परियोजनाएं समय पर चालू की जा सकें।
- परियोजना कार्यान्वयन मानकों/लक्ष्यों को संबंधित विद्युत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और विद्युत मंत्रालय के बीच में हस्ताक्षरित वार्षिक सहमति ज्ञापन (एमओयू) में समाविष्ट किया जाता है और इनकी विद्युत मंत्रालय/सीईए में आयोजित अन्य बैठकों के अलावा सीपीएसयू की तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों में निगरानी की जाती है।
- मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के मुद्दों को हल करने में परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों की मदद करने के लिए मामलों को राज्य सरकार/जिला प्रशासन के साथ उठाया जाता है।

अनुबंध I

2017–18 के दौरान चालू की गई परियोजनाएं

परियोजना का नाम	क्षेत्र	सेक्टर	राज्य	विकासकर्ता	प्रकार	क्षमता (मेगावाट में)
नबी नगर टीपीपी, यू–2	पू.क्षे.	केंद्रीय	बिहार	एनटीपीसी और रेलवे का संयुक्त उद्यम	थर्मल	250
सोलापुर एसटीपीपी, यू–1	प.क्षे.	केंद्रीय	महाराष्ट्र	एनटीपीसी	थर्मल	660
छाबरा एसटीपीपी, यू–5	प.क्षे.	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	थर्मल	660
बिंजकोट टीपीपी, यू–1	प.क्षे.	निजी	छत्तीसगढ़	एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.	थर्मल	300
नवपारा टीपीपी, यू–2	प.क्षे.	निजी	छत्तीसगढ़	टीआरएन एनर्जी	थर्मल	300
नासिक टीपीपी फेज–I यू–3	प.क्षे.	निजी	महाराष्ट्र	रतन इंडिया नासिक पावर लि.	थर्मल	270
नासिक टीपीपी फेज–I यू–4	प.क्षे.	निजी	महाराष्ट्र	रतन इंडिया नासिक पावर लि.	थर्मल	270
नासिक टीपीपी फेज–I, यू–5	प.क्षे.	निजी	महाराष्ट्र	रतन इंडिया नासिक पावर लि.	थर्मल	270
बारा टीपीपी यू–3	उ.क्षे.	निजी	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज पावर जेनरेशन कं. लि.	थर्मल	660
इंडिया पावर टीपीपी (हल्दिया), यू–1	पू.क्षे.	निजी	पश्चिम बंगाल	इंडिया एनर्जी लि. (हल्दिया)	थर्मल	150
ऊचपिंडा टीपीपी यू–3	प.क्षे.	निजी	छत्तीसगढ़	आरकेएम पावर जेन. प्रा. लि.	थर्मल	360
शीरपुर टीपीपी यू–1	प.क्षे.	निजी	महाराष्ट्र	शीरपुर पावर प्रा. लि.	थर्मल	150
हल्दिया, आईपीसीएल यूनिट–2	पू.क्षे.	निजी	पश्चिम बंगाल	इंडिया एनर्जी लि. (हल्दिया)	थर्मल	150
बीटीपीएस एक्सटेंशन यूनिट–8	पू.क्षे.	राज्य	बिहार	बीएसईबी	थर्मल	250
बरौनी एक्सटेंशन टीपीपी यूनिट–9	पू.क्षे.	राज्य	बिहार	बीएसपीजीसीएल	थर्मल	250

मेजा एसटीपीपी यूनिट–1	उ.क्षे.	केंद्रीय	उत्तर प्रदेश	एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल का संयुक्त उद्यम	थर्मल	660
लारा टीपीपी यूनिट–1	प.क्षे.	केंद्रीय	छत्तीसगढ़	एनटीपीसी	थर्मल	800
बिंजकोट टीपीपी यूनिट–2	प.क्षे.	निजी	छत्तीसगढ़	एसकेएस पावर जेनरेशन लि.	थर्मल	300
				कुल (थर्मल)		**8710**
न्यू उमतरू, यू–1	पूर्वो.क्षे.	राज्य	मेघालय	एमईपीजीसीएल	हाइड्रो	20
दिक्चू यू–1	पू.क्षे.	निजी	सिक्किम	सिक्किम/स्नेहा काईनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	हाइड्रो	48
दिक्चू यू–2	पू.क्षे.	निजी	सिक्किम	सिक्किम/स्नेहा काईनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	हाइड्रो	48
चंजू–I यू–3	उ.क्षे.	निजी	हिमाचल प्रदेश	आईए एनर्जी	हाइड्रो	12
तुरियल एचईपी यू–1	पूर्वो.क्षे.	केंद्रीय	मिजोरम	नीपको	हाइड्रो	30
सैंज एचईपी यू–1	उ.क्षे.	राज्य	हिमाचल प्रदेश	एचपीपीसीएल	हाइड्रो	50
सैंज एचईपी यू–2	उ.क्षे.	राज्य	हिमाचल प्रदेश	एचपीपीसीएल	हाइड्रो	50
पुलीचिंताला यू–2	द.क्षे.	राज्य	तेलंगाना	टीएसजैनको	हाइड्रो	30
पुलीचिंताला यू–3	द.क्षे.	राज्य	तेलंगाना	टीएसजैनको	हाइड्रो	30
ताशिडिंग यू–1	पू.क्षे.	निजी	सिक्किम	स्नेहा काईनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	हाइड्रो	48.5
ताशिडिंग यू–2	पू.क्षे.	निजी	सिक्किम	स्नेहा काईनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	हाइड्रो	48.5
तुरियल एचईपी यू–2	पूर्वो.क्षे.	केंद्रीय	मिजोरम	नीपको	हाइड्रो	30
न्यू उमतरू यू–2	पूर्वो.क्षे.	राज्य	मेघालय	एमईपीजीसीएल	हाइड्रो	20
किशनगंगा एचईपी यूनिट–1	उ.क्षे.	केंद्रीय	जम्मू व कश्मीर	एनएचपीसी	हाइड्रो	110
किशनगंगा एचईपी यूनिट–2	उ.क्षे.	केंद्रीय	जम्मू व कश्मीर	एनएचपीसी	हाइड्रो	110
किशनगंगा एचईपी यूनिट–3	उ.क्षे.	केंद्रीय	जम्मू व कश्मीर	एनएचपीसी	हाइड्रो	110
				कुल (हाइड्रो)		**795**
				कुल (न्यूक्लियर)		**0**
				कुल (थर्मल+हाइड्रो+न्यूक्लियर)		**9505**

2018–19 के दौरान चालू किए गए विद्युत संयंत्रों की सूची

परियोजना का नाम	सेक्टर	राज्य	विकासकर्ता	क्षमता (मेगावाट)
ताप विद्युत परियोजनाएं				
बोंगाईगांव टीपीपी, यूनिट–3	केंद्रीय	असम	एनटीपीसी	250
नबीनगर टीपीपी यूनिट–3	केंद्रीय	बिहार	एनटीपीसी और रेलवे का संयुक्त उद्यम	250
गदरवारा टीपीपी यूनिट–1	केंद्रीय	मध्य प्रदेश	एनटीपीसी	800
सोलापुर एसटीपीपी यूनिट–2	केंद्रीय	महाराष्ट्र	एनटीपीसी	660
श्री सिंघाजी टीपीपी स्टे.–II, यूनिट–3	राज्य	मध्य प्रदेश	एमपीजैनको	660
श्री सिंघाजी टीपीपी स्टे.–II, यूनिट–4	राज्य	मध्य प्रदेश	एमपीजैंको	660
छाबरा टीपीपी एक्सटेंशन, यूनिट–6	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	660
कोथागुडेम टीपीएस स्टे.–VII, यूनिट–1	राज्य	तेलंगाना	टीएसजैनको	800

लकवा रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट	राज्य	असम	एपीजीसीएल / वार्टसिला इंडिया प्रा. लि.	69.755
महान टीपीपी	निजी	मध्य प्रदेश	एस्सार पावर एम.पी. लि.	600
उचपिंडा टीपीपी	निजी	छत्तीसगढ़	आर.के.एम. पावरजेन प्रा. लि.	360
दिशेरगढ़ टीपीएस	निजी	पश्चिम बंगाल	मैसर्स आईपीसीएल	12
		क. कुल (थर्मल)		**5781.755**
जल विद्युत परियोजनाएं				
पारे, यूनिट–1	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	नीपको	55
पारे, यूनिट–2	केंद्रीय		नीपको	55
पुलीचिंताला, यूनिट–4	राज्य	तेलंगाना	टीएसजैनको	30
		ख. कुल (जल विद्युत)		**140**
		ग. कुल (न्यूक्लियर)		**0**
		कुल चालू की गई (31.03.2019)		**5921.755**

2019–20 के दौरान (31.12;2019 तक) चालू किए गए विद्युत संयंत्रों की सूची

परियोजना का नाम	सेक्टर	राज्य	विकासकर्ता	क्षमता (मेगावाट)
ताप विद्युत परियोजनाएं				
नबी नगर एसटीपीपी, यूनिट–1	केंद्रीय	बिहार	एनटीपीसी और बीएसपीजीसीएल का संयुक्त उद्यम	660
खरगोन एसटीपीपी स्टेज– I, यूनिट–1	केंद्रीय	मध्य प्रदेश	एनटीपीसी	660
टांडा टीपीपी स्टेज–II	केंद्रीय	उत्तर प्रदेश	एनटीपीसी	660
नेवेली न्यू टीपीपी यूनिट–1	केंद्रीय	तमिलनाडु	एनएलसी	500
दारलीपल्ली एसटीपीपी स्टेज–I,	केंद्रीय	ओडिशा	एनटीपीसी	800
आईबी वैली टीपीपी यूनिट–3	राज्य	ओडिशा	ओपीजीसीएल	660
आईबी वैली टीपीपी यूनिट–4	राज्य	ओडिशा	ओपीजीसीएल	660
वानकबोरी टीपीएस एक्सटेंशन	राज्य	गुजरात	जीएसईसीएल	800
बीएलए पावर प्रा. लि. (निवारी) टीपीपी	निजी	मध्य प्रदेश	बीएलए पावर प्रा. लि.	45
		क. कुल (थर्मल)		**5445**
		ख. कुल (हाईड्रो)		**0**
		ग. कुल (न्यूक्लियर)		**0**
		कुल चालू की गई (31.12.2019)		**5445**

सीबीआईपी द्वारा पोसोको को सर्वोत्तम प्रणाली प्रचालक पुरस्कार

अध्याय 04

उत्पादन एवं विद्युत आपूर्ति की स्थिति

उत्पादन :

देश में नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन सहित कुल विद्युत उत्पादन पूर्ववर्ती वर्ष की समान अवधि के दौरान हुई 1048.068 बी यू उत्पादन की तुलना में वर्ष 2019–20 (दिसम्बर 2019 तक) के दौरान 1054.075 बी यू है, जो कि 0.6% की वृद्धि दर्शाता है।

देश में परंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन वर्ष 1997–98 में 420.6 बिलियन यूनिट से बढ़कर वर्ष 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक) के दौरान 950.397 बी यू हो गया है। नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन वर्ष 2003–04 के दौरान 3.4 बिलियन यूनिट (बीयू) से बढ़कर वर्ष 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक) 103.7 बी यू हो गया है। भूटान से आयात सहित देश में विद्युत यूटिलिटियों के कुल विद्युत उत्पादन का 9 वीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से अब तक का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	परंपरागत स्रोतों से उत्पादन (बिलियन यूनिट)	नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन (बिलियन यूनिट)	कुल उत्पादन (परंपरागत +नवीकरणीय) (बिलियन यूनिट)
1997-98	420.6		
1998-99	448.4		
1999-00	480.7		
2000-01	499.5		
2001-02	515.2		
2002-03	531.6		
2003-04	558.3	3.4	561.7
2004-05	587.4	4.5	591.9
2005-06	617.5	6.6	624.2
2006-07	662.4	9.9	672.4
2007-08	704.5	25.2	729.7
2008-09	723.8	27.9	751.7
2009-10	771.6	36.9	805.4
2010-11	811.1	39.2	850.4
2011-12	876.9	51.2	928.1
2012-13	912.0	57.4	969.5
2013-14	967.2	53.1	1020.2
2014-15	1048.7	61.7	1110.4
2015-16	1107.8	65.8	1173.6
2016-17	1160.1	81.5	1241.7
2017-18	1206.3	101.8	1308.1
2018-19	1249.3	126.8	1376.1
2019-20 (दिसम्बर 2019 तक)	950.4	103.7	1054.1

संयंत्र भार घटक (पी एल एफ)

ताप विद्युत स्टेशनों (टी पी एस) का संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) संस्थापित क्षमता की उपयोगिता का सूचकांक है। वर्ष 2019–20 (दिसम्बर 2019 की स्थिति के अनुसार) के दौरान विद्युत यूटिलिटियों के टीपीएस का औसत पीएलएफ 55.8% है। 9वीं योजना की शुरुआत से क्षेत्रवार तथा समग्र पी एल एफ का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	केंद्र	राज्य	निजी	समग्र
1997-98	64.7	70.4	60.9	71.2
1998-99	64.6	64.6	60.7	68.0
1999-00	67.3	67.3	63.7	68.9
2000-01	74.3	65.6	73.1	69.0
2001-02	74.3	67.0	74.7	69.9
2002-03	77.1	68.7	78.9	72.1
2003-04	78.7	68.4	80.5	72.7
2004-05	81.7	69.6	85.1	74.8
2005-06	82.1	67.1	85.4	73.6
2006-07	84.8	70.6	86.3	76.8
2007-08	86.7	71.9	90.8	78.6
2008-09	84.3	71.2	91.0	77.2
2009-10	85.5	70.9	82.4	77.5
2010-11	85.1	66.7	76.7	75.1
2011-12	82.1	68.0	76.2	73.3
2012-13	79.2	65.6	64.1	69.9
2013-14	76.1	59.1	62.1	65.6
2014-15	74.0	59.8	60.6	64.5
2015-16	72.5	55.4	60.5	62.3
2016-17	72.0	54.3	55.7	59.9
2017-18	71.4	55.1	55.2	59.8
2018-19	72.6	57.8	55.2	61.1
2019-20 (दिसम्बर 2019 तक)	63.4	50.1	55.0	55.8

विद्युत आपूर्ति की स्थितिः

वर्तमान वर्ष के दौरान विद्युत उपलब्धता में वृद्धि विद्युत की मांग में होनेवाली वृद्धि से अधिक हुई है। वर्ष 2019–20 (दिसम्बर 2019, तक) के दौरान व्यस्ततम कमी 0.7% और ऊर्जा कमी 0.5% रही।

9वीं योजना की शुरुआत से विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	ऊर्जा उपलब्धता (एमयू)	ऊर्जा कमी (एमयू)	ऊर्जा कमी (%)
1997-98	424505	390330	34175	8.1
1998-99	446584	420235	26349	5.9
1999-00	480430	450594	29836	6.2
2000-01	507216	467400	39816	7.8
2001-02	522537	483350	39187	7.5
2002-03	545983	497890	48093	8.8
2003-04	559264	519398	39866	7.1
2004-05	591373	548115	43258	7.3
2005-06	631554	578819	52735	8.4
2006-07	690587	624495	66092	9.6
2007-08	737052	664660	72392	9.8
2008-09	777039	691038	86001	11.1
2009-10	830594	746644	83950	10.1
2010-11	861591	788355	73236	8.5
2011-12	937199	857886	79313	8.5
2012-13	995557	908652	86905	8.7
2013-14	1002257	959829	42428	4.2
2014-15	1068923	1030785	38138	3.6
2015-16	1114408	1090850	23558	2.1
2016-17	1142929	1135334	7595	0.7
2017-18	1213326	1204697	8629	0.7
2018-19	1274564	1267209	7355	0.6
2019-20 (दिसम्बर 2019 तक)	980944	975719	5225	0.5

वर्ष	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम प्राप्त (मेगावाट)	व्यस्ततम कमी (मेगावाट)	व्यस्ततम कमी (मेगावाट)
1997-98	65435	58042	7393	11.3
1998-99	67905	58445	9460	13.9
1999-00	72669	63691	8978	12.4
2000-01	78037	67880	10157	13.0
2001-02	78441	69189	9252	11.8
2002-03	81492	71547	9945	12.2
2003-04	84574	75066	9508	11.2
2004-05	87906	77652	10254	11.7
2005-06	93255	81792	11463	12.3
2006-07	100715	86818	13897	13.8
2007-08	108866	90793	18073	16.6
2008-09	109809	96785	13024	11.9
2009-10	119166	104009	15157	12.7
2010-11	122287	110256	12031	9.8
2011-12	130006	116191	13815	10.6
2012-13	135453	123294	12159	9.0
2013-14	135918	129815	6103	4.5
2014-15	148166	141160	7006	4.7
2015-16	153366	148463	4903	3.2
2016-17	159542	156934	2608	1.6
2017-18	164,066	160,752	-3,314	2.0
2018-19	177,022	175,528	-1,494	0.8
2019-20 (दिसम्बर 2019 तक)	183804	182553	1271	0.7

स्वच्छ भारत अभियान में प्रतिभागिता

अध्याय 05

अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी)

भारत में बड़ी क्षमता की विद्युत परियोजनाएं विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय के माध्यम से नवम्बर, 2005 में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) अर्थात् 4,000 मेगावाट की सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स (पिट हेड तथा आयातित कोयला आधारित) की पहल की शुरुआत की है। इन परियोजनाओं के विकास को सुगम बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) को नियुक्त किया गया है। विद्युत मंत्रालय तथा केंद्रीय विद्युत अधिकरण (सीईए) की सहायता से इन यूएमपीपी के लिए विभिन्न इनपुट की व्यवस्था स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) द्वारा की जा रही है। इन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) के लिए स्थल के चयन में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) शामिल है।

मौजूदा तथा प्रस्तावित प्रत्येक यूएमपीपी की विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 4000 मेगावाट है। यूएमपीपी के लिए निधि का प्रबंधन परियोजना के निर्माणकर्ता द्वारा किया जाता है जिसका चयन विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी मानक बिडिंग प्रपत्रों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बिडिंग मार्ग के माध्यम से किया जाता है।

प्रारंभ से विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित नौ (9) अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित किए गए थे :

i. मध्य प्रदेश में सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट – कोल पिट हेड
ii. गुजरात में मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट – कोस्टल
iii. आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट – कोस्टल
iv. झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट . कोल पिट हेड
v. छत्तीसगढ़ में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट . कोल पिट हेड
vi. ओडिशा में बेडाबहल अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट – कोल पिट हेड
vii. तमिलनाडु में चैय्यूर अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट – कोस्टल
viii. महाराष्ट्र में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट – कोस्टल
ix. कर्नाटक में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट – कोस्टल

मूल रूप से चिह्नित नौ (9) अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) के अतिरिक्त, कुछ राज्य सरकारों से इनके राज्यों में अतिरिक्त यूएमपीपी की संस्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है। ये नीचे दिया गया है:

i. ओडिशा में दो अतिरिक्त यूएमपीपी
ii. गुजरात में दूसरा यूएमपीपी
iii. देवघर यूएमपीपी, झारखंड में दूसरा यूएमपीपी
iv. तमिलनाडु में दूसरा यूएमपीपी
v. बिहार में यूएमपीपी–बांका यूएमपीपी
vi. उत्तर प्रदेश में यूएमपीपी
vii. आंध्र प्रदेश में दूसरा यूएमपीपी

यूएमपीपी की स्थिति

I. **प्रचालनरत यूएमपीपी:** चार यूएमपीपी नामतः मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुंद्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और झारखंड में तिलैया विकासकर्ताओं को पहले ही स्थानांतरित कर दिए गए हैं। अवार्ड किए गए चार यूएमपीपी में से दो यूएमपीपी नामतः मुंद्रा यूएमपीपी तथा सासन यूएमपीपी प्रचालनरत हैं। अवार्ड किए गए यूएमपीपी का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क. गुजरात में मुंद्रा यूएमपीपी: परियोजना 2.26367/किलोवाट/घंटा के मूल्यांकित लेवलीकृत प्रशुल्क पर दिनांक 23.04.2007 को सफल बोलीदाता अर्थात टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को सौंप दी गयी थी। मुंद्रा यूएमपीपी पूरी तरह से चालू हो गया है।

ख. मध्य प्रदेश में सासन यूएमपीपी: परियोजना 1.19616/किलोवाट/घंटा के मूल्यांकित लेवलीकृत प्रशुल्क पर दिनांक 07.08.2007 को सफल बोलीदाता अर्थात मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को सौंप दी गयी थी। सासन यूएमपीपी पूरी तरह से चालू हो गया है।

II. **यूएमपीपी की तेज रफ्तार:** बिडिंग के लिए यूएमपीपी को तेज गति पर लाया जा रहा है। विभिन्न स्वीकृतियां ले ली गई हैं। बिडिंग, मानक बिडिंग प्रपत्रों (एसबीडी) के जारी करने के पश्चात् प्रारंभ की जा सकती है। इन 2 यूएमपीपी की स्थिति इस प्रकार है:–

क. उड़ीसा में बेडाबहल यूएमपीपी: यह यूएमपीपी सुंदरगढ़ जिले में बेडाबहल गांव में स्थित है। 2013 में जारी आरएफक्यू तथा आरएफपी को वापिस ले लिया गया था। श्री प्रत्युष सिन्हा, पूर्व सीवीसी की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा यूएमपीपी/केस–2 के लिए व्यवहार्य संशोधित मानक बिडिंग प्रपत्र (एसबीडी) की सिफारिश के लिए यूएमपीपी के लिए बिडिंग प्रपत्रों की समीक्षा की जा रही है। एसबीडी अंतिम चरण में है। नवीन बिड को एसबीडी को अंतिम रूप दिए जाने तथा इन्फ्रा स्पेशल परपस व्हीकल (एसपीवी) के लिए कोल ब्लॉक्स के आबंटन के पश्चात् जारी किया जाएगा।

ख. झारखंड में तिलैया यूएमपीपी: परियोजना 1.770/केडब्ल्यूएच के मूल्यांकित लेवलीकृत प्रशुल्क पर दिनांक 07.08.2009 को सफल बोलीदाता अर्थात मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) को सौंप दी गयी थी। विकासकर्ता, झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड (जेआईपीएल, आरपीएल की एक सहायक कंपनी) ने झारखंड सरकार द्वारा विकासकर्ता को भूमि का हस्तांतरण नहीं किए जाने का उल्लेख करते हुए दिनांक 28.04.2015 को विद्युत क्रय करार (पीपीए) समाप्त करने का नोटिस जारी किया है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम ने दिनांक 19.06.2018 के पत्र के तहत सूचित किया कि जेआईपीएल को आरपीएल से खरीददारों ने ले लिया है।

III. **पाईप लाइन में यूएमपीपी:** 02 यूएमपीपी विकास के विभिन्न चरणों में है। विभिन्न मंजूरियां, कोल ब्लॉक आबंटन, भूमि आबंटन मांगी जा रही है। इन दोनों यूएमपीपी की स्थिति इस प्रकार है:–

क. बिहार में बांका यूएमपीपी: बिहार में यूएमपीपी स्थापित करने के लिए बांका जिले के काकवाड़ा में स्थल अभिचिह्नित किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) नामक बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड दिनांक 30.06.2015 को निगमित किया गया है। बिहार मेगापावर लिमिटेड (बीएमपीएल) नामक ऑपरेटिंग एसपीवी दिनांक 09.07.2015 को निगमित किया गया है।

ख. झारखंड में देवघर यूएमपीपी: झारखंड में दूसरा यूएमपीपी स्थापित करने के लिए हुसैनाबाद, देवघर जिले में स्थल अभिचिह्नित किया गया है। देवघर मेगापावर लिमिटेड नामक ऑपरेटिंग एसपीवी और

इंफ्रास्ट्रक्चर एसपीवी नामक देवघर इंफ्रा लिमिटेड को क्रमशः 26.04.2012 और 30.06.2015 को निगमित किया गया है।

IV. विभिन्न कारणों के कारण स्थापित यूएमपीपी :

क. तमिलनाडु में चेय्यूर यूएमपीपी: पनैयूर गाँव में कैप्टिव पत्तन के साथ तमिलनाडु में कांचीपुरम जिले में चेय्यूर में स्थल अभिचिह्नित किया गया है। चेय्यूर यूएमपीपी मूल रूप से आयातित कोयले पर स्थापित किया जाना था। तथापि विद्युत मंत्रालय हाल ही में आयातित कोयले के स्थान पर घरेलू कोयले पर चेय्यूर यूएमपीपी स्थापित करने की संभावना की जांच कर रहा है। कोयला मंत्रालय को उपयुक्त कोयला ब्लॉक आबंटित करने की संभावना का पता लगाने का अनुरोध किया गया है।

ख. आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम यूएमपीपी: परियोजना 2.33/केडब्ल्यूएच के मूल्यांकित लेवलीकृत प्रशुल्क पर दिनांक 29.01.2008 को सफल बोलीदाता अर्थात मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को सौंप दिया गया था। इंडोनेशिया में कोयले के मूल्य निर्धारण में नए विनियमों का उल्लेख करते हुए विकासकर्ता ने स्थल पर कार्य रोक दिया है। प्रमुख प्रापक ने विकासकर्ता को समाप्ति नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 15.01.2019 के मामले में निर्णय जारी किया है तथा तटीय आंध्र पावर लिमिटेड (सीएपीएल) की अपील को, अपीलों में किसी भी प्रकार की कोई योग्यता न होने के कारण निरस्त कर दिया है। विद्युत मंत्रालय ने खरीददारों के सम्मेलन के लिए सीएपीएल के आरपीएल से पीएफसी में हस्तानांतरण के तौर–तरीकों को अंतिम रूप देने के परिणामस्वरूप पीपीए की समाप्ति, आरपीएल के अनुमोदन को अग्रेषित किया। पीएफसी ने ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड से अनुरोध किया कि आंध्र प्रदेश (मुख्य खरीददार) आगे की कार्रवाई के लिए कृष्णापट्टनम यूएमपीपी के लिए सभी खरीददारों के सम्मेलन को आयोजित करना चाहता है।

V. यूएमपीपी को बंद किए जाने पर विचार किया जा रहा है: विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 26.07.2019 के ज्ञापन के तहत नीचे दिए गए 6 यूएमपीपी के खरीददारों को सूचित किया था कि उक्त यूएमपीपी के संबंध में गतिविधियां विभिन्न कारणों से विशेष समय के लिए आगे नहीं बढ़ रहीं हैं और यूएमपीपी को बंद करने के लिए खरीद करने वाले राज्यों की राज्य सरकार से पुष्टि के लिए अनुरोध किया था।

क. ओडिशा में दूसरा यूएमपीपी: भद्रक जिले की चांदवाली तहसील में बिजयपटना में स्थल अभिचिह्नित किया गया है।

ख. ओडिशा में तीसरा यूएमपीपी: कालाहांडी जिले के नरला और कसिंगा उप–प्रभाग में स्थल अभिचिह्नित किया गया है।

ग. उत्तर प्रदेश में यूएमपीपी: उत्तर प्रदेश में भी एक यूएमपीपी विचाराधीन है। एटा जिले में अनंतिम रूप से भूमि अभिचिह्नित की गई है।

घ. कर्नाटक यूएमपीपी: राज्य सरकार ने दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलौर तालुक के निड्डोडी गाँव में एक उपयुक्त स्थल अभिचिह्नित किया है। स्थल के संबंध में मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलौर तालुक के निड्डोडी गाँव के लिए कर्नाटक सरकार को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा स्थल के संबंध में रिपोर्ट भेज दी गई और मुद्दे का शीघ्र समाधान करने के लिए अनुरोध किया गया है।

ङ. गुजरात में दूसरा यूएमपीपी: यूएमपीपी स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गुजरात सरकार द्वारा अभिचिह्नित गिर सोमनाथ जिले में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल) के अधिकारियों के एक दल को 12.01.2016 को स्थल का दौरा किया। गुजरात सरकार के साथ आगे विचार–विमर्श किया जा रहा है।

च. तमिलनाडु में दूसरा यूएमपीपी : तमिलनाडु सरकार द्वारा नागपट्टिनम में अभिचिह्नित भूमि को टीएएनजीईएनडीसीओ द्वारा अनुपयुक्त पाया गया। सीईए ने टीएएनजीईएनडीसीओ को तमिलनाडु में दूसरी यूएमपीपी स्थापित करने हेतु वैकल्पिक भूमि अभिचिह्नित करने का अनुरोध किया।

VI. यूएमपीपी बन्द की गई: आंध्र प्रदेश में दूसरी यूएमपीपी, छत्तीसगढ़ में यूएमपीपी तथा महाराष्ट्र में यूएमपीपी को बंद कर दिया गया है।

जल विद्युत प्रभाग

जल विद्युत का अत्यंत आवश्यक होना:

जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा समझौता के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए भारत के राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अनुसार, भारत ने 2005 की तुलना में 2030 तक अपनी पीढ़ी की क्षमता को गैर–जीवाश्म संसाधनों से कुल उत्पादन क्षमता का 40% बढ़ाने तथा इसकी जीडीपी की कार्बन की तीव्रता को 33–35% कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है। गैर–जीवाश्म ईंधन क्षमता से संबंधित प्रतिबद्धता को प्रमुख रूप से सौर और पवन ऊर्जा क्षमताओं की स्थापना, जो कि बिजली के स्रोत की दुर्बलता है, अर्थात् इन स्रोतों से होने वाला उत्पादन मौसम की स्थिति पवन तथा सूर्य की किरणों की उपलब्धता में बदलाव के साथ काफी भिन्न होता है, के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाना प्रस्तावित है। 2022 तक पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा का 160 गीगावाट तथा 2030 तक 440 गीगावाट जोड़ा जाना है। सौर तथा पवन ऊर्जा के व्यापक पैमाने पर अनिरंतर एकीकरण से ग्रिड स्थिरता को बरकरार रखने में समस्या होगी, क्योंकि ऊर्जा के प्रमुख अन्य स्रोतों से उत्पादन जैसे कि तापीय ऊर्जा संयंत्र, एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत भिन्न–भिन्न होते हैं। अतः जल विद्युत जिसमें त्वरित रैम्पिग, ब्लैक स्टार्ट क्षमता इत्यादि जैसी अद्वितीय विशेषता होती है, ग्रिड के संतुलन–स्थिरता में तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

जबकि जल विद्युत के लिए आवश्यकता बढ़ रही है। कुल विद्युत उत्पादन में जलविद्युत उत्पादन में तेजी से कमी आ रही है। 1962–63 में यह 50.32% था जबकि 2018–19 में 12.5% है। देश में 31.01.2020 में कुल संभावित 1,45,320 मेगावाट की तुलना में कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता 40,614 मेगावाट (4,786 मेगावाट के पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (पीएसपी) को छोड़कर) है। 12,000 मेगावाट से अधिक की 36 जल विद्युत परियोजनाए निर्माणाधीन हैं जिनमें 1580 मेगावाट के 3 पीएसपी भी हैं।

जल विद्युत के लिए दस वर्ष की दृष्टि

ग्रिड स्थिरता/संतुलन के लिए जल विद्युत की आवश्यकता तथा जल विद्युत (जिसमें पम्पड स्टोरेज परियोजनाएं सम्मिलित हैं) के विशिष्ट लाभों पर विचार करते हुए, सरकार ने 2030 तक जल विद्युत के 3,0000 मेगावाट (जिसमें पम्पड स्टोरेज परियोजना से लगभग 7500 मेगावाट सम्मिलित है) सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा है। सीईए ने भी वर्ष 2030 तक विद्युत के इष्टतम मिश्रण के निर्धारण के लिए एक अध्ययन भी कराया है जिसमें यह भी निष्कर्ष निकला है कि वर्ष 2030 तक 70,000 मेगावाट जल विद्युत की आवश्यकता होगी।

जल विद्युत को बढ़ावा देने के उपाय:

जल विद्युत को बढ़ावा देने तथा इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने मार्च, 2019 में निम्नलिखित उपायों को अनुमति प्रदान की है:

- व्यापक जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से कम) को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में घोषित करना।
- जल विद्युत खरीद दायित्व (एचपीओ)
- टैरिफ तार्किकरण उपाय
- बाढ़ नियंत्रण घटक के लिए बजटीय सहायता तथा
- पुल, सड़क इत्यादि जैसी अवसंरचनाओं को सक्षम बनाने के लिए बजटीय सहायता।

ये उपाय जल विद्युत के उत्पादन की लागत को कम करने तथा ऊर्जा खरीद समझौतों (पीपीए) को सुरक्षित रखने में सहायक सिद्ध होंगे।

अवरुद्ध जल विद्युत परियोजनाओं का पुनरुज्जीवन:

वर्ष के प्रारंभ में 4850 मेगावाट की 14 अवरुद्ध परियोजनाएं थीं जिनमें से 3470 मेगावाट वाली 4 परियोजनाओं का पुनरुद्धार कर दिया गया है। सरकार के प्रयासों के चलते निम्नलिखित परियोजनाओं को किया गया है:

- सुबनसिरि लोअर (2,000 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश में एनएचपीसी परियोजना जिसे दिसम्बर, 2011 में अवरुद्ध किया गया था, को एनजीटी निकासी तथा स्थानीय मुद्दों का समाधान करने के पश्चात् जुलाई–अगस्त 2019 में पुनर्जीवित हो गई है। यह देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है।
- रैटल (850 मेगावाट) जिसे मूल रूप से मैसर्स जीवीके को आबंटित किया गया था और जुलाई, 2014 से रुका हुआ था, को फरवरी 2019 में एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी और जम्मू–कश्मीर के विद्युत विकास विभाग (पीजीडी) के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया था।
- तीस्ता–VI (500 मेगावाट) जिसे मूल रूप से मैसर्स लैंको को आबंटित किया गया था तथा अप्रैल, 2014 में अवरुद्ध हो गया था, को एनसीएलटी में एनएचपीसी की सफल बिडिंग के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया था। दिवाला तथा दिवालियापन संहिता, 2016 के अनुसार, एक सीपीएसयू द्वारा ली जाने वाली पहली स्ट्रेस्ड पावर परियोजना है। सीसीईए ने इस योजना में निवेश की अनुमति के लिए मार्च, 2019 में समझौता किया है।
- रंगित–IV (120 मेगावाट), वास्तविक रूप से मैसर्स जल विद्युत को आबंटित किया गया था तथा जो अक्तूबर, 2013 से बंद हो गया था, को एनएचपीसी के साथ जनवरी 2020 में पुनर्जीवित किया गया था। आईबीसी, 2016 के अनुसार एनसीएलटी कार्रवाइयों के दौरान परियोजना के सफल बोलीकर्ता के रूप में उभर रहा है।

लगभग 4000 मेगावाट के लिए निवेश अनुमोदन तथा पूर्व निवेश अनुमोदन

- पूर्व निवेश गतिविधियों के लिए सीसीईए अनुमोदन को दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (2880 मेगावाट) के लिए मंजूरी दे दी गई है। अनुमोदन के लिए देश में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है।
- निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भी निवेश अनुमोदनों को स्वीकार किया गया है:
- किरू (624 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर
- तीस्ता–VI (500 मेगावाट), सिक्किम

जल विद्युत परियोजनाओं में समय और लागत को कम करने के लिए दिशा–निर्देश

अधिकतर जल विद्युत परियोजनाओं को कई कारणों से समय तथा लागत की अधिकता का सामना करना पड़ता है, प्रमुखतया भूगर्भीय अनिश्चितताएं, निर्णय लेने में विलंब, अपर्याप्त साझा जोखिम क्रियाविधि तथा परिणामस्वरूप संविदा विवाद दिनांक 8.11.2019 को सरकार ने समयबद्ध विवाद समाधान संबंधित शक्तियों का प्रथक्करण वेब आधारित ई–डायरी व्यवस्था, विलंब के उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना इत्यादि जैसे उपाय समय तथा लागत की अधिकता की घटनाओं को कम करने के लिए कई दिशा–निर्देश जारी किए हैं।

राज्य सरकारों द्वारा प्रचार के उपाय

केन्द्र सरकार की सलाह पर राज्य सरकारें भी जल विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए विभिन्न रियायतें देने के लिए आगे आई हैं:

- हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुत बिजली, 70 वर्षों के लिए बूट/बूम तथा राज्य जीएसटी के 50% की अदायगी को स्थगित किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के लगभग 32,000 करोड़ की निवेश सहित 3347 मेगावाट की 11 जल विद्युत परियोजनाएँ हेतु एनटीपीसी, एनएचपीसी तथा एसजेवीएन जैसे तीन सीपीएसयू के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए गए।
- जम्मू–कश्मीर ने मुत बिजली को स्थगित किया है, 10 वर्षों के लिए पानी के उपकर से छूट दी है तथा किरु तथा रैंटल परियोजनाओं के लिए स्थानीय करो से भी छूट प्रदान की है।

अन्य उपलब्धियां:

- भूटान में मांगदेछू (720 मेगावाट) एचईपी को अगस्त, 2019 में सफल रूप से प्रारंभ किया है। इस परियोजना को भूटान में 10,000 मेगावाट जलविद्युत के विकास के लिए भारत–भूटान सहयोग समझौते के तहत भारत को वित्तीय सहायता के साथ कार्यान्वित किया गया है।
- अप्रैल से दिसम्बर, 2019 के दौरान उत्पादन 129.535 बीयू था जो कि 111.719 बीयू की तुलना में 2018 में इसी अवधि के दौरान 15.95% अधिक है।

अध्याय 07

पारेषण

पारेषण प्रणाली उत्पादन केन्द्रों और वितरण प्रणाली के बीच व्यापक लिंक स्थापित करते हुए विद्युत वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जो कि अंततः उपभोक्ता को जोड़ती है। पारेषण नेटवर्क में अंतर–राज्य और अन्तःराज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) परियोजित व्यस्ततम मांग को पूरा करने में मौजूदा नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और अंतर–राज्य और अंतःराज्य उत्पादन केन्द्रों से भार केन्द्रों तक विद्युत की निकासी के लिए पिछले वर्षों में बढ़ाया है।

कालांतर में, देश में राज्य एवं क्षेत्रीय ग्रिडों को मिलाकर एक बड़ी एकीकृत समक्रमिक राष्ट्रीय ग्रिड बनाई गई है जो ''एक राष्ट्र–एक ग्रिड–एक फ्रीक्वेंसी'' पर प्रचालित होती है। इस इंटर–कनेक्ट से अधिशेष से कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के निर्बाध अंतरण और समय, ऋतु, फसल पैटर्न, औद्योगिकीकरण, जनसंख्या सघनता, आर्थिक उन्नति आदि से संबद्ध विविधता के दोहन में सहायता मिलती है। आईएसटीएस ग्रिड लगभग 99.7 प्रतिशत की उपलब्धता पर प्रचालित होती है और अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 1,83,000 मेगावाट की व्यस्ततम मांग की पूर्ति करती है। पारेषण नेटवर्क में यदा–कदा ही संकुलन देखने को मिलता है।

वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान, 7,837 सीकेएम पारेषण लाइन (220 केवी और उससे अधिक) और उप केंद्रों में (220 केवी और अधिक वोल्टेज स्तर पर) 53,050 एमवीए की रुपांतरण क्षमता जोड़ी गई है। 31.12.2019 के अनुसार, भारतीय ग्रिड में 4,21,244 सीकेएम पारेषण लाइनें (220 केवी और उससे अधिक) तथा 9,52,713 एमवीए की रुपांतरण क्षमता (220 केवी और उससे अधिक) है। राष्ट्रीय ग्रिड की संचयी अंतर्क्षेत्रीय पारेषण क्षमता लगभग 100,550 मेगावाट है, जो 2022 तक बढ़कर 118,050 मेगावाट हो जाएगी। भारतीय ग्रिड की इस विशाल पारेषण क्षमता के कारण यह विश्व की वृहत्तम इंटर–कनेक्ट वाली समक्रमिक ग्रिडों में से एक है।

आईएसटीएस में क्षमता अभिवृद्धि

देश में पारेषण लाइन तथा उपकेंद्र की क्षमता में उपर्युक्त क्षमता अभिवृद्धि से, वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान, आईएसटीएस प्रणाली में 2635 सीकेएम पारेषण लाइनें और 28,130 एमवीए का रुपांतरण जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से अथवा विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) के माध्यम से चालू की गई आईएसटीएस पारेषण लाइनों तथा उपकेंद्रों (मौजूदा उपकेंद्रों में रुपांतरण क्षमता के संवर्धन सहित) की सूची निम्नानुसार है:

क्रम सं.	पारेषण तत्व का नाम पारेषण लाइन	यूनिट की लं. (सीकेएम)
1	एडामन (केएसईबी). मुवात्तुपुझा (पीजी)(दूसरा सर्किट) 400 केवी डी/सी लाइन	148
2	मधुगिरी–येलहांका लाइन (पहलासर्किट) 400 केवी डी/सी लाइन	66
3	न्यू पूर्णिया–पूर्णिया लाइन 220 केवी डी/सी लाइन का रि–कंडक्टरिंग	2
4	न्यू पूर्णिया–गौकर्ण और न्यू पूर्णिया–फरक्का (राजरहाट–पूर्णिया लाइन का भाग) 400 केवी एस/सी लाइन	302
5	पृथला–कदरपुर (जीपीटीएल–टीबीसीबी) 400 केवी डी/सी लाइन	58
6	सिंगरौली–इलाहाबाद लाइन 400 केवी एस/सी लाइन	155
7	भदला–बीकानेर 765 केवी डी/सी लाइन	340
8	एडामन (केएसईबी). मुवात्तुपुझा (पीजी)(पहलासर्किट) 400 केवी डी/सी लाइन	149
9	पुणे में औरंगाबाद–पड़घे डी/सी (हेक्सा) के एक सर्किट का एलआईएलओ (सी–डब्ल्यूआरटीएल–टीबीसीबी) 765 केवी डी/सी लाइन	129
10	अजमेर (न्यू)–बीकानेर 765 केवी डी/सी लाइन	526
11	चिलकलूरेपेटा–नारासारोपेटा (पीएसआईटीएल–टीबीसीबी) 400 केवी डी/सी लाइन	60
12	बीकानेर (न्यू) में भदला (आरवीपीएन)–बीकानेर (आरवीपीएन) लाइन के एक सर्किट का एलआईएलओ 400 केवी डी/सी लाइन	18
13	नबीनगर–II–पटना 400 केवी डी/सी लाइन	282
14	अलीगढ़–पृथला (जीपीटीएल–टीबीसीबी) 400 केवी डी/सी लाइन	99
15	किशनगंगा–वगूरा 220 केवी डी/सी लाइन	232
16	नवी मुंबई में लोनीखंड (एमएसईटीसीएल)–कलवा का एलआईएलओ 400 केवी एस/सी लाइन	16
17	भदला (पीजी)–भदला (आरवीपीएन) 400 केवी डी/सी लाइन	53
	कुल	**2635**
II	रुपांतरण क्षमता सहित नये सब–स्टेशन	एमवीए
1	कुरूक्षेत्र (400/220)	1000
2	उत्तरा (पिंडियाबिल) (400/220)	1000
3	येलहांका (जीआईएस) (400/220)	1000
4	अलीपुरद्वार एचवीडीसी (400/220)	630
5	कदरपुर (गुड़गांव) (जीआईएस) (जीपीटीएल–टीबीसीबी) (400/220)	1000
6	अलीगढ़ (पीजी)765 केवी जीआईएस (765/400)	1500
7	भदला (765/400/220)	4500
8	बीकानेर (765/400)	3000
9	पृथला (पलवल) (जीआईएस) (जीपीटीएल–टीबीसीबी) (400/220)	1000
10	नवी मुंबई (जीआईएस) (400/220)	630
	कुल	**15260**
III	मौजूदा सब–स्टेशनों में रुपांतरण क्षमता का संवर्धन एमवीए	
1	अलीगढ़ (पीजी)765 केवी जीआईएस (400 केवी स्तर का सृजन) (आईसीटी–I) (765/400)	1500
2	बांका सब–स्टेशन का विस्तार (400/132)	315
3	लखीसराय सब–स्टेशन का विस्तार (400/132)	315
4	चंपा और कुरूक्षेत्र एचवीडीसी स्टेशन (अतिरिक्त) (पोल–3) (800)	1500
5	झारसुगड़ा (सुंदरगढ़) सब–स्टेशन (अतिरिक्त) (765/400)	3000
6	देहगम सब–स्टेशन का विस्तार (तीसरा आईसीटी) (400/220)	500
7	भुज सब–स्टेशन में संवर्धन (400/220)	1000

8	मालदा में प्रतिस्थापन (160–50)(220/132)	110
9	बिहारशरीफ में विस्तार (400/220)	500
10	मीसा (2x500 एमवीए) आईसीटी–II (400/220)	500
11	राजरहाट (जीआईएस) सब–स्टेशन (2x500 एमवीए) आईसीटी–II(400/220)	500
12	दुर्गापुर सब–स्टेशन में विस्तार (तीसरा आईसीटी) (400/220)	315
13	तुमकुर (वसंतनरसापुर) सब–स्टेशन में विस्तार (400/220)	500
14	भदला सब–स्टेशन (3x1500 3x500 एमवीए) (500 एमवीए आईसीटी–II और III) (400/220)	1000
15	भदला सब–स्टेशन (3x500) आईसीटी–I (400/220)	500
16	बोंगाईगांव (दूसरा आईसीटी) सब–स्टेशन (400/220)	315
17	तुमकुर (पवागड़ा) पीएस में विस्तार (2x500 एमवीए) (400/220)	500
	कुल	**12870**

राष्ट्रीय ग्रिड का विकास

राष्ट्रीय ग्रिड के विकास की आवश्यकता की पहचान करते हुए विद्युत के अधिशेष क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्रों में निर्बाध प्रवाह के लिए चरणबद्ध ढंग से अंतर्क्षेत्रीय संपर्कों की पारेषण क्षमता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया था। इस दिशा में कार्य करते हुए, सभी पांच क्षेत्रीय ग्रिडों को अब समक्रमिक संपर्कों के माध्यम से इंटर–कनेक्ट किया गया है और एक राष्ट्र–एक ग्रिड–एक फ्रीक्वेंसी–एक बाजार की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय ग्रिड की अंतर्क्षेत्रीय विद्युत पारेषण क्षमता, जो 12वीं योजना के अंत में 75,050 मेगावाट थी, बढ़कर 1,00,550 मेगावाट (दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार) हो गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिसंबर, 2019 तक) के दौरान मौजूदा अंतर्क्षेत्रीय संपर्कों और अभिवृद्धि की सूची निम्नानुसार है:

	वर्तमान (मार्च, 2019 तक)	वित्तीय वर्ष 2019–20 में अभिवृद्धि	2022 तक प्रत्याशित
पूर्व–उत्तर			
देहरी/साहपुरी 220 केवी एस/सी	130		130
मुजफ्फरपुर–गोरखपुर 400 केवी डी/सी (सिरिज़ कम्प.+टीसीएससी सहित)	2,000		2,000
पटना–बलिया 400 केवी डी/सी (क्वाड)	1,600		1,600
बिहारशरीफ–बलिया 400 केवी डी/सी (क्वाड)	1,600		1,600
बाढ़–बलिया 400 केवी डी/सी (क्वाड)	1,600		1,600
गया–बलिया 765 केवी एस/सी	2,100		2,100
सासाराम–इलाहाबाद/वाराणसी 400 केवी डी/सी लाइन (सासाराम एचवीडीसी बैक टू बैक बाईपास हो गया है)	1,000		1,000
सासाराम–फतेहपुर 765 केवी 2x एससी	4,200		4,200
बाढ़-II-गोरखपुर 400केवी डी/सी (क्वाड) लाइन	1,600		1,600
गया–वाराणसी 765 केवी एस/सी लाइन	2,100		2,100
अलीपुरद्वार में नए पूलिंग स्टेशन में विश्वनाथ चरियाली – आगरा +/- 800 केवी एचवीडीसी बाईपोल का लीलो और 3000 मेगावाट मॉडयू की अभिवृद्धि	3,000		3,000
बिहारशरीफ–वाराणसी 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाइन	1,600		1,600
उप–जोड़	**22,530**		**22,530**
पूर्व–पश्चिम			
बुद्धिपादर–कोरबा 220 केवी 3 सीकेटीएस.	390		390
राउरकेला–रायपुर 400 केवी डीसी सीरीज़ कैम्प, + टीसीएससी सहित	1,400		1,400
रांची–सिपत 400 केवी डी/सी सीरीज़ कैम्प सहित	1,200		1,200
राउरकेला–रायपुर 400 केवी डी/सी (दूसरी) सीरीज़ कैम्प सहित	1,400		1,400
रांची – धर्मजयगढ़/डब्ल्यूआर पूलिंग स्टेशन 765 केवी एस/सी लाइन	2,100		2,100
रांची – धर्मजयगढ़ 765 केवी द्वितीय एस/सी	2,100		2,100
झारसुगुडा – धर्मजयगढ़ 765 केवी डी/सी लाइन	4,200		4,200
झारसुगुडा – धर्मजयगढ़ 765 केवी द्वितीय डी/सी लाइन	4,200		4,200
झारसुगुडा – रायपुर 765केवी डी/सी लाइन	4,200		4,200
उप–जोड़	**21,190**		**21,190**
पश्चिम–उत्तर			
औरैया – मालनपुर 220 केवी डी/सी	260		260
कोटा – उज्जैन 220 केवी डी/सी	260		260
विध्यांचल एचवीडीसी बैक–टू–बैक	500		500
ग्वालियर–आगरा 765 केवी 2 x एस/सी	4,200		4,200
जेरडा – कांकरोली 400 केवी डी/सी	1,000		1,000
चांपा पूल –कुरुक्षेत्र एचवीडीसी बाइपोल	3,000		3,000
ग्वालियर – जयपुर 765केवी 765 केवी 2x एस/सी लाइन	4,200		4,200
आरएपीपी–सुजलपुर 400केवी डी/सी	1,000		1,000
अदानी (मुंद्रा) – महेन्द्रनगर एचवीडीसी बाइपोल	2,500		2,500
चंपा पूल – कुरुक्षेत्र		1,500	3,000
एचवीडीसी बाइपोल का उन्नयन			
जबलपुर–ओरई 765केवी डी/सी लाइन	4,200		4,200
ओरई में सतना – ग्वालियर 765केवी एस/सी लाइन का लीलो	4,200		4,200
बनासकंठा – चित्तौड़गढ 765 केवी डी/सी लाइन		4,200	4,200
विंध्याचल – वाराणसी 765 केवी डी/सी लाइन			4,200
उप–जोड़	**25,320**	**5,700**	**36,720**
पूर्व – दक्षिण			
बालीमेला–अपर सिलेरू 220केवी एस/सी	130		130
गाजुवाका एचवीडीसी बैक–टू–बैक	1,000		1,000

तालचर – कोलार एचवीडीसी बाइपोल	2,000		2,000
तालचर – कोलार एचवीडीसी बाइपोल का उन्नयन	500		500
अंगुल – श्रीकाकुलम	4,200		4,200
उप–जोड़	**7,830**		**7,830**
पश्चिम – दक्षिण			
चंद्रपुर एचवीडीसी बैक–टू–बैक	1,000		1,000
कोल्हापुर – बेलगॉम 220 केवी डी/सी	260		260
पोंडा – नगाझारी 220 केवी डी/सी	260		260
रायचूर – शोलापुर	2,100		2,100
765 केवी एस/सी लाइन (पीजी)			
रायचूर – शोलापुर 765 केवी एस/सी लाइन (नीजी क्षेत्र)	2,100		2,100
नरेन्द्र – कोल्हापुर 765 केवी डी/सी (400 केवी पर प्रचालित)	2,200		2,200
वर्धा–हैदराबाद 765 केवी डी/सी लाइन (वर्धा – निजामाबाद लाइन का हिस्सा)	4,200		4,200
वरौरा पूल – वारंगल (न्यू) 765केवी डी/सी लाइन			4,200
रायगढ़ – पुगूलूर एचवीडीसी लाइन			6,000
झेल्डम (गोवा) में नरेन्द्र – नरेन्द्र (न्यू) 400 केवी (क्वाड) लाइन का लीलो			1,600
उप–जोड़	**12,120**		**23,920**
पूर्व – पूर्वोत्तर			
बीरपारा – सालाकाटी 220 केवी डी/सी	260		260
मालदा – बोंगाईगांव 400 केवी डी/सी	1,000		1,000
सिलीगुड़ी – बोंगाईगांव 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड)	1,600		1,600
उप–जोड़	**2,860**		**2,860**
पूर्वोत्तर–उत्तर			
विश्वनाथ चरियाली–आगरा +/- 800केवी 3000 मेगावाट एचवीडीसी बाईपोल$	3,000		3,000
उप–जोड़	**3,000**		**3,000**
कुल (संचयी)	**94,850**	**5,700**	**118,050**

टिप्पणी: 6,000 मेगावाट के लगभग की कुल पारेषण क्षमता सहित 132/110केवी अंतर्क्षेत्रीय लिंकें जो कि रेडियल मोड में चल रही हैं, शामिल नहीं हैं।

पड़ोसी देशों के साथ इंटर कनेक्शन

भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र के मध्य में स्थित है और यह सार्क देशों नामतः नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ राजनीतिक सीमाओं में भागीदारी करता है, इसलिए यह क्षेत्रीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए इन देशों के साथ विद्युतीय संबंधों की सुकर योजना बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत ने एचवीडीसी और यूएचवीएसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विशेषज्ञता विकसित की है और एचवीडीसी/यूएचवीएसी पारेषण लाइनों के जरिए सभी पड़ोसी देशों इलेक्ट्रिकली जोड़ना एक विशेषाधिकार होगा। इससे पड़ोसी देशों में पारस्परिक सहयोग बढ़ेगा और क्षेत्र में संसाधनों की हिस्सेदारी होगी। यह क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। नीचे दी गई सूची के अनुसार भारत का सार्क देशों के साथ पहले ही इंटरकनेक्शन है।

भारत–नेपाल

नेपाल ने 11 केवी, 33 केवी और 132 केवी की लाइनों के माध्यम से विभिन्न स्थलों पर पहले से ही ऐतिहासिक रूप से इंटर कनेक्शन स्थापित किए हुए हैं। उसने बल्क विद्युत, उच्च क्षमता के इंटर–कनेक्ट स्थापित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच 400 केवी ढलकेबार (नेपाल में)–मुजफरपुर (भारत में) डी/सी पारेषण लाइन (वर्तमान में 220 केवी वोल्टेज स्तर पर चार्ज की गई) पर प्रचालित होती है) 2016 से चालू हो चुकी है। भारत और नेपाल के बीच वर्तमान विद्युत अंतरण क्षमता लगभग 600 मेगावाट की है। मुजफरपुर (भारत)–ढ़लकेवार (नेपाल) 400 केवी डी/सी इसके रेटेड निर्धारित वोल्टेज पर शीघ्र ही शुरू किए जाने की संभावना है जिससे नेपाल को लगभग 300–400 मेगावाट (लगभग 1000 मेगावाट कुल) विद्युत अंतरण क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अलावा, दूसरी उच्च क्षमता 400 केवी गोरखपुर–न्यू भुटवल डी/सी (क्वाड) लाइन पर दोनों देशों के बीच विश्वसनीय विद्युत अंतरण को सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

भारत–भूटान

भारत और भूटान के बीच लगभग 2070 मेगावाट विद्युत का आयात करने की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है, जोकि भूटान में ताला एचईपी (1020 मेगावाट), चुखा एचईपी (270 मेगावाट), कुरिचू एचईपी (60 मेगावाट) और मांगधेचू एचईपी (720 मेगावाट) तथा भारत में 400 केवी, 220 केवी और 132 केवी से विद्युत का अंतरण करती है। भूटान में प्रमुख आगामी उत्पादन पुनातसांगचू–। (1200 मेगावाट) और पुनातसांगचू–I (990 मेगावाट) है। निर्माणाधीन क्रॉस बॉर्डर इंटर–कनेक्शनों अर्थात जिगमेलिंग–अलीपुरद्वार 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाइन के चालू होने से विद्युत अंतरण बढ़कर लगभग 4,250 मेगावाट हो जाएगा।

भूटान में इन एचईपी के साथ–साथ एनईआर परियोजनाओं से विद्युत उच्च क्षमता बहु–टर्मिनल +800केवी, 6000 मेगावाट बिश्वनाथ चरियाली–अलीपुरद्वार–आगरा एचवीडीसी बाइपोल लाइन के जरिए भारत के दूसरे भागों में अंतरित की जाएगी।

भारत–बांग्लादेश

भारत और बांग्लादेश के बीच बहरामपुर (भारत)– भेरामरा (बांग्लादेश) 400 केवी डी/सी लाइन के साथ बहरामपुर में स्थापित 2x500 मेगावाट एचवीडीसी बैक–टू–बैक टर्मिनलों से पहले से ही अंतर कनेक्शन स्थापित हैं, जोकि बांग्लादेश को 1000 मेगावाट की विद्युत का अंतरण करते हैं। त्रिपुरा (भारत) में सूर्यमणिनगर से बांग्लादेश में कोमिला के अतिरिक्त रेडियल इंटरकनेक्शन को बांग्लादेश को 160 मेगावाट विद्युत के अंतरण के लिए कार्यान्वित किया गया है। इस प्रकार, दोनों देशों के बीच कुल विद्युत अंतरण क्षमता लगभग 1160 मेगावाट है।

इसके अतिरिक्त, बेहरमपुर (भारत)–भेरामारा (बांग्लादेश) 400 केवी डी/सी दूसरी लाइन भेरामारा 1000 मेगावाट एचवीडीसी संपर्क के माध्यम से विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति के लिए कार्यान्वयनाधीन है जिसके फरवरी, 2020 तक चालू होने की संभावना है। दोनों देशों के बीच सिंक्रोनस इंटरकनेक्शन के लिए कटिहार (भारत)–पर्बोतिपुर (बांग्लादेश)–बोरनगर (भारत) 765 केवी डी/सी लाइन के विकास पर चर्चा की जा रही है।

भारत–श्रीलंका

भारत और श्रीलंका के बीच 500 मेगावाट प्रत्येक की दो चरणों में ओवरहेड लाइन (समुद्री भाग सहित) के साथ मदुरै (भारत) और न्यू हबाराना (श्रीलंका) के बीच 2x500 मेगावाट एचवीडीसी के माध्यम से सीमा पर इंटरकनेक्शन प्रस्तावित किया गया है। भारत–श्रीलंका इंटरकनेक्शन के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है।

भारत–म्यांमार

दोनों देशों के बीच 11 केवी लाइन के माध्यम से मोरेह (मणिपुर) से तामू (म्यांमार) के लिए लगभग 3 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। इसके सीमावर्ती गांवों को विद्युत आपूर्ति सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित निम्न क्षमता इंटरकनेक्शनों की स्थापना की व्यवहार्यता तैयार की जा रही है:

- नामपोंग (अरूणाचल प्रदेश, भारत)– पंसोंग (म्यांमार) 11 केवी लाइन
- बेहियांग (मणिपुर, भारत)– सिखा (म्यांमार) 11 केवी लाइन
- जोखावथर (मिजोरम, भारत)– रिखावदर (म्यांमार) 11 केवी लाइन
- मोरेह (मणिपुर)– तामू (म्यांमार) 11 केवी लाइन का उच्चतर वोल्टेज पर उन्नयन।

2024 की समय सीमा के अनुरूप तामू में 2x500 मेगावाट एचवीडीसी बैक–टू–बैक स्टेशन सहित इम्फाल से तामू के लिए 400 केवी डीसी लाइन के साथ भारत–म्यांमार उच्च क्षमता इंटरकनेक्शन के लिए भी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

आईएसटीएस पारेषण प्रभारों की हिस्सेदारी का युक्तीकरण

अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) नेटवर्क के पारेषण प्रभारों और इसके लाभग्राहियों के मध्य हिस्सेदारी की गणना केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के आधार पर की जाती है। आईएसपीएस पारेषण प्रभारों की हिस्सेदारी के लिए वर्तमान तंत्र प्वाइंट ऑफ कनेक्शन (पीओसी) के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रत्येक नोड/प्वाइंट पर पारेषण प्रभारों की गणना विद्युत प्रवाह अध्ययनों के आधार पर अग्रिम (प्रत्याशित) रूप में की जाती है। आईएसटीएस के लाभग्राहियों ने आईएसटीएस पारेषण प्रभारों की हिस्सेदारी के लिए वर्तमान तंत्र में कुछ अकुशलताओं के बारे में शिकायत की थी, क्योंकि वर्तमान तंत्र निम्नलिखित सीमाओं से ग्रस्त हैं:–

i. वर्तमान तंत्र प्रत्याशित है (प्रभारों के आबंटन का निर्णय प्रत्येक तिमाही के लिए अग्रिम रूप से किया जाता है।)

ii. पारदर्शिता का अभाव है, क्योंकि भार प्रवाह विश्लेषण कुछ पूर्वधारणाओं के आधार पर किया जाता है।

iii. भार प्रवाह की गणना करने के लिए आधार मामला परिदृश्य के निर्माण हेतु आंकड़ों की सटीकता चिंता का क्षेत्र है।

तदनुसार, विद्युत मंत्रालय ने भारत में पारेषण प्रभारों की वर्तमान प्रणाली में अनियमितताओं का अध्ययन करने और अगला कदम सुझाने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी के प्रतिनिधियों सहित विद्युत मंत्रालय के तत्कालीन अपर सचिव (और वर्तमान में सचिव) श्री संजीव नंन्द सहाय के अधीन एक समिति गठित की थी। समिति ने पोसोको से एक सदस्य का विकल्प चुना है।

समिति ने वर्तमान प्रणाली की सीमाओं की जांच की और एक नई कार्यप्रणाली प्रस्तावित की, जो 'वर्तमान कार्यप्रणाली' तथा 'पोस्टेज स्टैम्प कार्यप्रणाली' का मिश्रण है। प्रस्तावित कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, भार प्रवाह अध्ययनों के लिए विचार किए गए आंकड़ों की सटीकता तथा निष्पक्षता की दृष्टि से वर्तमान प्रणाली की सीमाओं की संख्या की ओर ध्यान दिलाया गया है। प्रस्तावित कार्यप्रणाली में एक्स–पोस्ट आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा और यह मौजूदा कार्यप्रणाली जो 'प्रत्याशित' है, की तुलना में कमतर पूर्व धारणाओं पर आधारित है। प्रस्तावित कार्यप्रणाली के अंतर्गत पारेषण प्रभारों में तीन घटक होंगे, अर्थात् उपकेंद्रों तथा एचवीडीसी जैसे विशिष्ट पारेषण तत्वों के लिए प्रभार, उपयोग आधारित घटक तथा विश्वसनीयता घटक। उपयोग आधारित घटक की गणना किसी समय में एक आईएसटीएस से राज्यों/डीआईसी द्वारा निकाली गई अधिकतम विद्युत पर विचार करते हुए राज्यों/नामित आईएसटीएस ग्राहकों (डीआईसी) द्वारा प्रयुक्त पारेषण प्रणाली की क्षमता के आधार पर की जाती है। विशिष्ट पारेषण तत्वों के प्रभारों और उपयोग आधारित घटक की गणना करने के बाद आईएसटीएस पारेषण प्रभार के शेष भाग की वसूली विश्वसनीयता घटक के रूप में की जाएगी और इसका बटवारा 'एलटीए+एमटीओए' के अधिकतम अथवा पूर्व माह में संबंधित राज्यों/डीआईसी की 'अधिकतम निकासी' के अनुपात में किया जाएगा। आईएसटीएस प्रभारों की हिस्सेदारी के लिए प्रस्तावित कार्यप्रणाली को सचिव (विद्युत) द्वारा अपने दिनांक 13.12.2019 के अ.शा. पत्र द्वारा साझा किया गया था। राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद, इसकी जांच की जाएगी और सीईआरसी को उनके विनियमों में संशोधन के लिए उपयुक्त निदेश जारी किए जाएंगे।

नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) के ग्रिड में एकीकरण हेतु पारेषण अवसंरचना

भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट आरई प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है (सौर आधारित उत्पादन 100 गीगावाट और पवन आधारित उत्पादन 60 गीगावाट)। ये आरई क्षमता अधिकतर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में आयेगी। इसके अतिरिक्त आरई जनरेटरों को पारेषण समय की तुलना में संस्थापना में कम समय लगता है। इसलिए, यदि हम इन योजित आरई उत्पादनों की निकासी के लिए अग्रिम रूप से पारेषण नेटवर्क की योजना नहीं बनाते हैं तो कन्जेशन मामले हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पारेषण परियोजना के विकास और सविराम एवं परिवर्तनशील आउटपुट की तुलना में संक्षिप्त जेस्टेशन अवधि आरई की विशेषता है। ऐसे संसाधनों के ग्रिड में एकीकरण के लिए ग्रिड सुरक्षा, संरक्षा तथा स्थायित्व की दृष्टि से चुनौतियां निहित हैं। आरई परियोजनाओं के निर्बाध एकीकरण के लिए निम्नलिखित पारेषण स्कीमों एवं नियंत्रण अवसंरचना की योजना बनाई गई है:–

i) **हरित ऊर्जा कॉरिडोर–** I: हरित ऊर्जा कॉरिडोर नवीकरणीय सम्पन्न आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में 12वीं योजना अवधि के दौरान 32,713 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता अभिवृद्धि की निकासी एवं एकीकरण के लिए एक व्यापक योजना है। इन राज्यों में प्रस्तावित आरई क्षमता अभिवृद्धि की निकासी के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी) और रिएक्टिव कम्पेन्सेशन, स्टोरेज सिस्टम आदि जैसी नियंत्रण अवसंरचना की स्थापना के साथ–साथ अंतःराज्यीय तथा अंतर–राज्यीय, दोनों पारेषण प्रणालियों का प्रस्ताव किया गया है। अंतर–राज्यीय भाग में जीईसी का कार्यान्वयन पावरग्रिड द्वारा किया जा रहा है और जीईसी के अंतःराज्यीय भाग का कार्यान्वयन संबंधित राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू) द्वारा किया जा रहा है।

अंतःराज्यीय पारेषण स्कीमों का राज्य सरकार की इक्विटी से 20 प्रतिशत, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) के अनुदान से 40 प्रतिशत और सुलभ ऋण से 20 प्रतिशत निधियन किया जाना है, जबकि अंतर–राज्यीय पारेषण स्कीमों का पीजीसीआईएल द्वारा 30 प्रतिशत इक्विटी से और सुलभ ऋण से 70 प्रतिशत निधियन किया जाना है। अंतः तथा अंतर–राज्यीय पारेषण परियोजनाओं, दोनों में हरित ऊर्जा कॉरिडोर के निधियन के लिए, भारत सरकार और जर्मनी सरकार के बीच सहयोग के फ्रेमवर्क के तहत, केएफडब्ल्यू जर्मनी 1 बिलियन यूरो तक का सुलभ ऋण प्रदान कर रहा है। हरित ऊर्जा कॉरिडोर के भाग क, ख तथा ग से संबंधित अंतर–राज्यीय

पारेषण परियोजनाओं के लिए पीजीसीएल द्वारा केएफडब्ल्यू जर्मनी से 500 मिलियन यूरो की वित्तीय सहायता हेतु ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हरित ऊर्जा कॉरिडोर– भाग घ के अंतर्गत पारेषण स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए, पावरग्रिड ने एडीबी से ऋण लिया है। पीजीसीआईएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही जीईसी–। के अंतर्गत आईएसपीएस प्रणाली के कुल 3,201 सीकेएम और 17,000 एमवीए के कार्यक्षेत्र में से, 2,467 सीकेएम आईएसटीएस लाइनें और 17,000 एमवीए रूपांतरण क्षमता चालू की जा चुकी है।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र

इस योजना के भाग के रूप में, 11 स्वीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों (आरईएमसी) में से, पावरग्रिड ने पूर्वानुमान लगाने, कार्यक्रम बनाने और परिवर्तनीय आरई उत्पादनों की नवीकरणीय निगरानी के लिए पहले ही 8 आरईएमसी चालू किए हैं और शीघ्र ही शेष 3 और आरईएमसी चालू किए जाएंगे। 11 में से 8 आरईएमसी अगस्त, 2019 में दक्षिणी एवं पश्चिमी क्षेत्र में पूरे किए जा चुके हैं। शेष 3 आरईएमसी के फरवरी, 2020 में पूरे होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त विद्युत मंत्रालय ने माह दिसम्बर 2019 में 2 और आरईएमसी, एक अंडमान में और दूसरा तेलंगाना में, भी स्वीकृत किए हैं। ये नए आरईएमसी 2020–21 के दौरान चालू किए जाएंगे।

ii) **हरित ऊर्जा कॉरिडोर–।।**: इक्कीस (21) राज्यों में सौर विद्युत पार्कों के ग्रिड एकीकरण के लिए योजना विकसित करने हेतु, अंतःराज्यीय एवं अंतर–राज्यीय प्रणाली के माध्यम से परिकल्पित लगभग 20,000 मेगावाट क्षमता की निकासी के लिए जीईसी–।। के अंतर्गत व्यापक पारेषण योजना विकसित की गई है। इस समय, पीजीसीआईएल लगभग 6 गीगावाट क्षमता के 7 सौर पार्कों की संबद्ध पारेषण प्रणाली का कार्यान्वयन कर रहा है। सौर पार्कों अर्थात् अनन्तपुर (1500 मेगावाट), पावगाडा चरण–I (1,000 मेगावाट), रीवा (750 मेगावाट), भाडला–III (500 मेगावाट), भाडला–IV (250 मेगावाट), एस्सेल (750 मेगावाट) के लिए पारेषण स्कीमों से संबद्ध कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जबकि पीजीसीआईएल द्वारा पावगाडा चरण–II (1,000 मेगावाट) और बनासकांठा (750 मेगावाट) के लिए एटीएस शीघ्र ही पूरा किया जाएगा।

iii) 66.5 गीगावाट नवीकरणीय परियोजना के लिए निकासी प्रणाली

उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्र में लगभग 66.5 गीगावाट के परिकल्पित सम्भाव्य आरईजेड के एकीकरण के लिए पारेषण प्रणाली आरई अभिवृद्धि के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न चरणों में अर्थात् दिसम्बर, 2020 तक 12.4 गीगावाट (चरण–I), दिसम्बर, 2021 तक 26.1 गीगावाट (चरण–II) और दिसम्बर, 2021 के बाद 28 गीगावाट (चरण–III) पहले ही विकसित की जा चुकी है। इसमें से 4 गीगावाट आरई परियोजना की निकासी अंतःराज्यीय परियोजना के रूप में कार्यान्वित की जाएगी और शेष 62.5 गीगावाट अंतर–राज्यीय परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। चरण–। के अंतर्गत् 12.4 गीगावाट के लिए पहले ही बोली लगाई जा चुकी है, कार्य अवार्ड किया जा चुका है और काम शुरू हो गया है। आरई परियोजनाओं के लिए अंतर–राज्यीय पारेषण योजनाएं (चरण–II में 23.1 गीगावाट और चरण–III में 10 गीगावाट) विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की गई हैं और इनके कार्यान्वयन के तरीके का निर्णय हो चुका है। शेष 17 गीगावाट के लिए अंतर–राज्यीय पारेषण योजनाएं गुजरात तथा अन्य राज्यों में आरई उत्पादकों के स्थान को अंतिम रूप देने के अनुरूप बनाई जाएंगी।

220 केवी श्रीनगर लेह पारेषण लाइन

अध्याय 08

विद्युत क्षेत्र में सुधार की स्थिति

01. उपभोक्ता के लिए विद्युत की लागत में कमी के उपाय

क) एक प्रमुख सुधार के रूप में, अंतर–राज्यीय उत्पादन स्टेशनों (आईएसजीएस) के लिए राज्य स्तरीय मेरिट ऑर्डर से राष्ट्रीय स्तर के मेरिट ऑर्डर में शिफ्ट किया गया है। इस तंत्र के अंतर्गत सबसे सस्ते स्टेशन को इसकी पूर्ण क्षमता में शिड्यूल किया जा रहा है और अन्य स्टेशनों को राष्ट्रीय स्तर पर इष्टतम किया जा रहा है। इस तंत्र के परिणामस्वरूप हर दिन लगभग 3 करोड़ रुपये की बचत हुई है और वितरण लाइसेंसियों की विद्युत प्रापण लागत में 1 वर्ष में 1200 करोड़ रुपये की बचत की सम्भाव्यता है। इस प्रकार विद्युत क्रय की लागत में कमी होगी जो आगे उपभोक्ता को दे दी जाएगी।

ख) विद्युत मंत्रालय द्वारा 'विद्युत क्षेत्र की सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में पूर्व–भुगतान के कारण विद्युत की लागत में कमी'के संबंध में 15.11.2019 को एक आदेश जारी किया गया था। उपभोक्ता द्वारा वितरण लाइसेंसी को पूर्व–भुगतान अथवा वितरण कम्पनी द्वारा उत्पादन कम्पनी को अग्रिम भुगतान के कारण, इन कम्पनियों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में कमी आयेगी। अतएव इसके परिणामस्वरूप उत्पादन टैरिफ कम होगा और उपभोक्ता के लिए रिटेल टैरिफ घटेगा।

02. अल्पावधि विद्युत प्रापण के लिए कोयला लिंकेज के प्रयोग की अनुमति और विद्युत एक्सचेंजः

पहली बार, विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से अथवा कुशल ऊर्जा मूल्य खोज (डीईईपी) पोर्टल के माध्यम से एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया द्वारा अल्पावधि में विद्युत संयंत्रों को डे अहेड मार्केट (डीएएम) में विद्युत के विक्रय के लिए लिंकेज कोयले की अनुमति दी गई थी।

अभी तक विद्युत उत्पादन स्टेशनों को ही दीर्घावधि तथा मध्यावधि विद्युत क्रय करारों के माध्यम से विद्युत के विक्रय के लिए कोयला लिंकेज प्रदान किया गया था। इस कदम से उन विद्युत उत्पादन स्टेशनों पर दबाव कम होगा जिन्होंने दीर्घावधि अथवा मध्यावधि विद्युत क्रय करार नहीं किए हैं

03. मध्यावधि के अंतर्गत तीन वर्षों के लिए 2500 मेगावाट के प्रापण हेतु प्रायोगिक योजना–।।

तनावग्रस्त विद्युत परियोजनाओं के पुनः प्रचालन के प्रयास में, विद्युत मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में एक प्रायोगिक योजना शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत 1900 मेगावाट की क्षमता की विद्युत अवार्ड की गई है। प्रायोगिक योजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर, विद्युत मंत्रालय ने 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए (मध्यावधि के अंतर्गत शामिल) 2500 मेगावाट की कुल विद्युत के प्रापण को सुगम बनाने के लिए क्रमशः 30.01.2019 और 01.02.2019 को बोली दस्तावेज तथा दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रायोगिक–।। योजना के लिए बोली प्रक्रियाधीन है।

04. नवीकरणीय ऊर्जा का प्रोत्साहन

सौर तथा पवन विद्युत परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए, अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस पारेषण प्रभार एवं हानियां) के प्रयोग के लिए उपलब्ध छूट को दिसम्बर, 2022 तक चालू होने वाली सौर अथवा पवन विद्युत परियोजनाओं द्वारा विद्युत के पारेषण के लिए अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु आगे बढ़ा दिया गया है। यह छूट ऐसी परियोजनाओं के चालू होने से पच्चीस वर्ष के लिए लागू होगी। आईएसटीएस छूट सौर तथा पवन परियोजनाओं के नवीकरणीय क्रय दायित्वों के अनुपालन के लिए इनसे विद्युत के विक्रय हेतु, वितरण कम्पनियों सहित, सभी कम्पनियों के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर करने वाली सौर एवं पवन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगी। एक शर्त के रूप में उक्त छूट केवल उन्हीं सौर तथा पवन परियोजनाओं को दी जाएगी जो केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से अवार्ड की गई है।

05. टैरिफ नीति 2016 के अंतर्गत गैर–सौर के साथ–साथ सौर ऊर्जा के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्वों (आरपीओ) की दीर्घावधि आरपीओ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी

टैरिफ नीति के उपबंधों के अंतर्गत और मार्च, 2022 तक 1,75,000 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एमएनआरई के परामर्श से विद्युत मंत्रालय ने 22 जुलाई, 2016 को आदेश जारी किए थे जिसमें 'आरंभ में 2016–17 से 2018–19 तक तीन वर्षों के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समान रूप से, गैर–सौर के साथ–साथ सौर के लिए आरपीओ की दीर्घावधि ग्रोथ ट्रेजेक्टरी 'विनिर्दिष्ट की गई थी। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने 14 जून, 2018 को वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक के लिए सौर तथा गैर–सौर हेतु दीर्घावधि आरपीओ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जारी की है।

06. ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए नए पर्यावरणीय मानदंडों के कार्यान्वयन की प्रक्रियाः

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 107 के अंतर्गत 30 मई, 2018 को व्यापक लोक हित में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 के पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2015 के संशोधित उत्सर्जन मानकों के सुचारू कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए सीईआरसी को निदेश जारी किए गए थे। सीईआरसी को 7 दिसम्बर, 2018 को अतिरिक्त निदेश जारी किए गए थे जिसमें स्पष्ट किया गया था कि नए पर्यावरणीय मानकों के कार्यान्वयन में की गई प्रचालन लागत के प्रभाव पर 31.03.2022 तक कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों के मेरिट ऑर्डर डिस्पैच हेतु विचार नहीं किया जाएगा। सीईआरसी को जारी निदेशों का संशोधन 30 जुलाई, 2019 को जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया है कि नए पर्यावरणीय मानकों के कार्यान्वयन में की गई प्रचालन लागत के प्रभाव पर 31.12.2022 तक कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों के मेरिट ऑर्डर डिस्पैच हेतु विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए सीईआरसी सामान्य टैरिफ से पृथक अनुपूरक टैरिफ निर्धारण की कार्यप्रणाली तैयार करेगा ताकि 31.12.2022 तक एफजीडी/अन्य ईसीएस के संस्थापन का मेरिट ऑर्डर डिस्पैच पर कोई प्रभाव न पड़े।

07. विद्युत वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना संबंधी स्पष्टीकरणः

विद्युत वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों हेतु किसी लाइसेंस के लागू होने के मामले पर 13.04.2018 को स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

08. गहराता विद्युत बाजार

प्रतिस्पर्धा की शुरूआत विद्युत अधिनियम 2003 की मुख्य विशेषताओं में से एक है। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी टैरिफ नीति में वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत के प्रतिस्पर्धात्मक प्रापण हेतु फ्रेमवर्क निर्दिष्ट किया गया है। विद्युत

प्रापण लागत विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रमुख लागत तत्वों में से एक है। हाल ही के वर्षों के दौरान, भारत विद्युत की कमी वाले देश से लगभग अधिशेष विद्युत वाले देश में रूपांतरित हो गया है।

विद्युत मंत्रालय ने पीपीए में आवश्यक सुधारों तथा विद्युत बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सिफारिश करने हेतु एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया है। यह समूह विद्युत क्रय करारों के प्रयोग सहित विद्युत विक्रय एवं क्रय की वर्तमान प्रणाली, वैश्विक रूप से विद्युत बाजार की प्रणाली का अध्ययन करेगा और देश में विद्युत के क्रय एवं विक्रय की संरचना एवं प्रणाली में परिवर्तन के लिए सिफारिश करेगा ताकि विद्युत बाजार में निवेश, दक्षता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया जा सके।

09. टैरिफ नीति में संशोधन

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा 06 जनवरी, 2006 को टैरिफ नीति अधिसूचित की गई थी। विकासशील सुधार प्रक्रिया के रूप में, टैरिफ नीति के प्रावधानों में समय–समय पर संशोधन किए गए। विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन संशोधित टैरिफ नीति 28 जनवरी, 2016 को अधिसूचित की गई थी।

विद्युत क्षेत्र में गति की परिवर्तनों के मद्देनजर और विद्युत क्षेत्र में और सुधार करने के लिए टैरिफ नीति के उपबंधों में अतिरिक्त संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हुई। तद्नुसार, टैरिफ नीति, 2016 में कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधन दक्षता सुधार, उपभोक्ता संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन, पर्यावरण सुरक्षा और विद्युत क्षेत्र के स्थायित्व पर संकेंद्रित है। टैरिफ नीति में प्रस्तावित संशोधनों को पणधारकों की टिप्पणियों के लिए 30.05.2018 को परिचालित किया गया। संशोधित टैरिफ नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

10. विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन

विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 में दिए अनुसार प्रस्तावित किए गए थे। विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 दिनांक 19.12.2014 को लोक सभा में लाया गया था। बाद में विधेयक जांच और रिपोर्ट हेतु ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 07.05.2015 को प्रस्तुत की थी। ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों और राज्य सरकारों तथा विभिन्न अन्य पणधारकों के साथ आगे परामर्श/विचार–विमर्श के आधार पर विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 में इसके अतिरिक्त संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। विद्युत अधिनियम में प्रारूप संशोधनों को टिप्पणियों के लिए पणधारकों को 07.09.2018 को परिचालित किया गया था। ये संशोधन रिटेल में प्रतिस्पर्द्धा (अर्थात रिटेल आपूर्तिकर्ता का चयन करने के लिए उपभोक्ताओं की पसंद), नवीकरणीय खरीद उत्तरदायित्वों (आरपीओ) का कड़ाई से प्रवर्तन, ग्रिड सुरक्षा में शून्य सहनशीलता और सुरक्षा, टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया का युक्तिकरण होना, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा 24x7 विद्युत आपूर्ति का दायित्व, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तंत्र के माध्यम से सब्सिडी, विनियामक आयोगों का सुदृढ़ीकरण/की निष्पादन समीक्षा, विद्युत बाजार की खुली पहुँच एवं विकास और विद्युत का सीमा पार से आदान–प्रदान सुविधाजनक बनना आदि अपरिहार्य है। विभिन्न पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की गई थी और विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रस्तावित संशोधनों में अतिरिक्त परिवर्तनों पर विचार किया जा रहा है।

11. प्रशुल्क आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए दिशा–निर्देश और मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी)

केंद्र सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अनुपालन में प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं। वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा विद्युत मांग की प्रतिस्पर्द्धात्मक अधिप्राप्ति विद्युत अधिप्राप्ति की समग्र लागत कम करती है और परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलते हैं।

I) विद्युत की दीर्घकालिक अधिप्राप्तिः

केंद्र सरकार ने प्रारंभ में वर्ष 2006 में प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से मामला–2 परियोजनाओं (विशेष स्थल एवं स्थान वाली) से विद्युत की दीर्घावधि अधिप्राप्ति के लिए पात्रता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू), प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) तथा विद्युत क्रय करार (पीपीए) वाले मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) जारी किए थे और समय–समय पर इन्हें संशोधित किया था। वर्ष 2009 में मामला–2 परियोजनाओं (जहाँ स्थान, तकनीक या ईंधन विनिर्दिष्ट नहीं है) से विद्युत की दीर्घावधि अधिप्राप्ति के लिए मानक बोली दस्तावेज भी जारी किए थे और सन् 2010 में इन्हें संशोधित किया था।

निर्धारित स्थल एवं स्थिति वाली अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह के निर्णय के अनुपालन में मामला–2 के लिए मानक बोली दस्तावेजों की और समीक्षा की गई और 20 सितंबर, 2013 को मानक बोली दस्तावेज जारी किए गए जिसमें डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं/यूएमपीपी के निर्माण एवं प्रचालन हेतु मॉडल आरएफक्यू, मॉडल आरएफपी एवं मॉडल पीपीए शामिल हैं। मामला–2/यूएमपीपी के लिए डीबीएफओटी आधार पर स्थापित ताप विद्युत स्टेशनों के लिए विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए दिशा–निर्देश 21 सितंबर, 2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। मामला–1 के लिए डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और प्रचालन (डीबीएफओटी) आधार पर स्थापित ताप विद्युत स्टेशनों के लिए मॉडल बोली दस्तावेज (एमबीडी) 08.11.2013 को जारी किए गए। इसके अलावा, 05.05.2015 के इस दस्तावेज में किए गए संशोधन जारी किए गए।

शक्ति नीति के पैरा ख(i), ख(iii) एवं ख(iv) के प्रावधानों के अनुसार वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा विद्युत की दीर्घकालीन अधिप्राप्ति में कोयला लिंकेज के उपयोग को सुकर बनाने के उद्देश्य से, डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व एवं प्रचालन (डीबीएफओटी) आधार पर स्थापित ताप विद्युत स्टेशनों से विद्युत की दीर्घकालीन अधिप्राप्ति के लिए एसबीडी एवं दिशा–निर्देश संशोधित किए गए हैं और मार्च, 2019 में जारी कर दिए गए हैं।

मामला–2 /यूएमपीपी के लिए मॉडल बोली दस्तावेजों की समीक्षा करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों और पणधारकों के साथ किए गए परामर्श के आधार पर, आबंटित घरेलू कोयला ब्लॉकों, आयातित कोयला के साथ–साथ कोयला लिंकेज के लिए दिशा–निर्देशों/एसबीडी को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

II) विद्युत की मध्यकालिक अधिप्राप्ति

वित्त, स्वामित्व एवं प्रचालन (एफओओ) पर स्थापित एवं/अथवा परिचालित विद्युत उत्पादन स्टेशनों से मध्यावधि के लिए विद्युत की

अधिप्राप्ति हेतु मानक बोली दस्तावेज (एमबीडी) दिनांक 29.01.2014 को जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, संशोधन दिनांक 20.08.2015 को दस्तावेजों में जारी किए गए थे। इसके अलावा, मध्यावधि के लिए व्यस्ततम विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु मॉडल बोली दस्तावेज (एमबीडी) दिनांक 20.02.2014 को जारी किए गए थे। रिवर्स ऑक्शन के साथ–साथ ई–बोली प्रक्रिया को शुरू करने के उद्देश्य से प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत के मध्यकालिक प्रापण के लिए संशोधित दिशा–निर्देश और मॉडल बोली दस्तावेज 17 जनवरी, 2017 को अधिसूचित किए गए थे। ई–बोली पोर्टल के जरिए मध्यकालिक प्रापण शुरू करने से अंततः उपभोक्ताओं के लाभ के लिए प्रापण प्रक्रिया से अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता आएगी। इसके अलावा, कोयला मंत्रालय की नई कोयला लिंकेज नीति (शक्ति नीति) के अनुसार कोयला लिंकेज में उपयोग को सक्षम बनाने के लिए मध्यकालिक विद्युत अधिप्राप्ति के लिए संशोधित एमबीडी और संशोधित दिशा–निर्देश क्रमशः 29.01.2019 और 30.01.2019 को जारी कर दिए गए हैं।

III) विद्युत की अल्पकालिक अधिप्राप्ति

केंद्र सरकार ने विद्युत की अल्पकालिक अथवा एक वर्ष से कम अथवा एक वर्ष के बराबर की अवधि के लिए अधिप्राप्ति के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन 16 मई, 2012 को दिशा–निर्देश जारी किए हैं। ई–रिवर्स ऑक्शन की शुरूआत के लिए, विद्युत की अल्पकालिक अधिप्राप्ति के लिए संशोधित दिशा–निर्देश भी 30 मार्च, 2016 को जारी कर दिए गए हैं।

12. सौर एवं पवन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली दिशा–निर्देशः

वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा सौर पीवी विद्युत संयंत्रों और पवन विद्युत संयंत्रों से विद्युत की प्रतिस्पर्द्धात्मक अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने और उपभोक्ता हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा विद्युत की दीर्घकालिक अधिप्राप्ति के लिए बोली दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं से विद्युत अधिप्राप्ति के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया हेतु दिशा–निर्देश दिनांक 03 अगस्त, 2017 के संकल्प के माध्यम से जारी कर दिए गए हैं। ग्रिड से जुड़ी पवन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत अधिप्राप्ति के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया हेतु दिशा–निर्देश दिनांक 08 दिसंबर, 2017 के संकल्प के माध्यम से जारी कर दिए गए हैं। ऐसी परियोजनाओं में निवेश और इन्हें समय पर शुरू करने को बढ़ावा देने के लिए पणधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए इन दिशा–निर्देशों में आवश्यक संशोधन किए गए थे।

13. विद्युत क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल अप्लीकेशन और वेब–पोर्टल की शुरूआत।

i) मोबाइल एप 'विद्युत प्रवाह'

विद्युत मूल्य निर्धारण और उपलब्धता विशेषताओं संबंधी एक मोबाइल एप 'विद्युत प्रवाह' 31 मार्च, 2016 को शुरू किया गया। यह अप्लीकेशन वास्तविक समय आधार पर देश में विद्युत की उपलब्धता की विशिष्टता उपलब्ध कराता है। यह एप राज्यों से 24x7 विद्युत की मांग के लिए जनसाधारण को सशक्त करेगा और राज्य सरकारों को अधिक जवाबदेह बनाकर अगले स्तर के लिए पारदर्शिता लाएगा।

ii) दीप (डिस्कवरी ऑफ एफीसीएंट इलेक्ट्रीसिटी प्राइस) ई–बोली तथा ई–रिवर्स नीलामी पोर्टल

डिस्कामों द्वारा विद्युत प्रापण के एक सामानता और पारदर्शिता लाने के लिए तथा विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए भी 12 अप्रैल, 2016 को दीप (डिस्कवरी ऑफ एफीसीएंट इलेक्ट्रीसिटी प्राइस) ई–बोली पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल का उपयोग डिस्कॉमों द्वारा विद्युत की अल्पकालिक एवं मध्यकालिक अधिप्राप्ति के लिए किया जा रहा है। ई–रिवर्स ऑक्शन विधि की भी अल्पकालिक एवं मध्यकालिक विद्युत अधिप्राप्ति में शुरूआत की गई।

iii) मेरिट (मेरिट ऑर्डर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फार रिजूवेंशन ऑफ इनकम एंड ट्रांसपेरेंसी) वेब पोर्टल

एक वेब पोर्टल 'मेरिट' (मेरिट ऑर्डर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रीसिटी फार रिजूवेंशन ऑफ इनकम एंड ट्रांसपेरेंसी) 23 जून, 2017 को शुरू किया गया था। यह मोबाइल एप और वेब पोर्टल राज्यों द्वारा प्रेषित उत्पादन के वास्तविक आंकड़े पारदर्शिता से प्रदर्शित करता है और अपने विद्युत खरीद पोर्टफोलियो में सुधार करने के लिए राज्यों को अवसर उपलब्ध करता है।

iv) विद्युत उत्पादन की लागत घटाने के लिए आईपीपी विद्युत स्टेशनों में घरेलू कोयले के प्रयोग के लिए ई–बोली पोर्टल की शुरूआत

घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलेपन की योजना के अंतर्गत अपने घरेलू कोयले को हस्तांतरित करके विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) का चयन करने के लिए ई–बोली समाधान कराने के लिए 5 जुलाई, 2017 को एक ई–बोली पोर्टल की शुरूआत की गई है। ई–बोली पोर्टल पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भावी आईपीपी से विद्युत के प्रापण के लिए बोलियां आमंत्रित करने में राज्यों की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। सफल बोलीदाता का चयन ई–रिवर्स बोली प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलेपन की योजना में अधिक दक्ष आईपीपी उत्पादन केंद्रों कोयला हस्तांतरित करने की परिकल्पना की गई है जिससे उत्पादन लागत कम होगी और अंततः उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की लागत कम होगी।

ग्रामीण विद्युत - ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करना

अध्याय 09

मंत्रालय की ग्रामीण विद्युतीकरण पहलें

सभी गांवों को विद्युतीकृत करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त गुणवत्तायुक्त और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) का आरंभ किया। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने अक्तूबर, 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना–सौभाग्य शुरू की जिसका लक्ष्य समग्र घरेलू विद्युतीकरण द्वारा अंतिम छोर तक विद्युत कनेक्टिविटी प्रदान करके सभी गैर–विद्युतीकृत घरों को विद्युत प्रदान करने का था।

राज्य के सभी जनगणना गांव दिनांक 28 अप्रैल, 2018 के अनुसार विद्युतीकृत हैं और छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के एलडब्ल्यूई बाधित कुछ क्षेत्रों को छोड़कर दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार सभी राज्यों ने सभी घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है।

अब सभी को 24x7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को सुधारने पर ध्यान दिया जा रहा है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में पारेषण और वितरण नेटवर्क में क्षमता वर्धन और सुदृढ़ीकरण, फीडर पृथक्करण कार्य और उपभोक्ताओं/वितरण ट्रांस्फार्मरों/ फीडरों को मीटरिंग प्रदान करने कार्यों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में प्रगति पर है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

देश के सभी जनगणना गांव दिनांक 28 अप्रैल, 2019 के अनुसार विद्युतीकृत हैं।

योजना के घटक:

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर–कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टिंग को सुगम बनाने के लिए कृषि एवं गैर–कृषि फीडरों को पृथक करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उप–पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन।
- वितरण ट्रांस्फार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।
- ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के रूप में डीडीयूजीजेवाई में समाहित पूर्ववर्ती योजना के चल रहे ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य।

योजना परिव्यय

इस योजना का परिव्यय 43,033 करोड़ रूपये है जिसमें भारत सरकार से प्राप्त 33,453 करोड़ रूपयों की बजटीय सहायता शामिल है। पूर्ववर्ती ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम को ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के रूप में डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर लिया है और इस के साथ 32,860 करोड़ रूपयों के कुल परिव्यय के डीडीयूजीजेवाई में शामिल कर लिया गया है। अतः इस स्कीम का कुल परिव्यय 75,893 करोड़ रूपये है जिसमें भारत सरकार से प्राप्त 63,027 करोड़ रूपयों की बजटीय सहायता भी शामिल है।

मुख्य विशेषताएं

राज्यों को उनके प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों के चयन क्षेत्र के लिए पूरा लचीलापन दिया गया है। सभी गांव किसी न्यूनतम जनसंख्या मानदण्ड के बिना ही योग्य है। सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) में शामिल ग्राम पंचायत को अनिवार्य रूप से डीपीआर में शामिल किया है। इस स्कीम के अंतर्गत ई–टेंडरिंग और मानक बोली दस्तावेज अनिवार्य है। प्रभावी परियोजना प्रबंधन और समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी के विकास के लिए 100% सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है। निजी डिस्कॉमों सहित सभी डिस्कॉम और आरई को आपरेटिव सोसाइटियां इस स्कीम के अंतर्गत पात्रता रखते हैं। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति–दिशा (शहरी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित) वरिष्ठतम संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा तथा निगरानी की जाती है।

वित्तपोषण पद्धति

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 15% अतिरिक्त अनुदान के साथ (5% विशेष श्रेणी राज्यों के लिए) राज्यों को 75% अनुदान (90% विशेष श्रेणी राज्यों के लिए) प्रदान किया जा रहा है। (i) निर्धारित लक्ष्य के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने पर (ii) ट्रेजेक्ट्री के अनुसार एटीएण्डसी हानियों में कमियां (iii) मीटर्ड उपभोग पर आधारित राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य राज्य सब्सिडी की अग्रिम जारी करना।

नागरिक केन्द्रित

गुणवत्तायुक्त और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्राप्त होने से लोगों के दैनिक जीवन के सभी पहलुओं, व्यक्ति विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार आदि जैसे आवश्यक सेवाओं का प्रभावी वितरण से जीवन की गुणवत्ता पर एक प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विद्युत आपूर्ति सामाजिक आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।

इस स्कीम के प्रभावी तथा कुशल कार्यान्वयन से विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति संभव हो पाएगा जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार (रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन और मोबाइल) और अन्य जनसेवाओं तक पहुंच में सुधार होगा। फीडर पृथक्करण किसानो को विश्वसनीय तथा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति प्रदान करेगा। जिससे उच्च उत्पादन क्षमता और कृषि सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा, ग्रामीण परिवारों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और इससे आर्थिक गतिविधियों का भी संवर्धन होगा।

परियोजनाओं की स्वीकृति

संपूर्ण भारत में 43,486 करोड़ रूपयों की कुल लागत की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, सौभाग्य के अंतर्गत घरेलू विद्युतीकरण का समर्थन करके अवसंरचना सृजन हेतु 14,270 करोड़ रूपयों की कुल लागत वाली अतिरिक्त परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है।

जारी निधियां

2014–15 से 31.12.2019 तक 45174.89 करोड़ रूपयों का अनुदान भारत सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत प्रगति

क्र. सं.	पैरामीटर	यूनिट	31.12.2019 के अनुसार उपलब्धि
1.	33/11 केवी सबस्टेशन–नया एवं संवर्धन	संख्या	3190
2.	वितरण ट्रांस्फार्मर्स (डीटीआर)	संख्या	497268
3.	फीडर पृथक्करण	सीकेएम	100901
4.	एलटी लाइन	सीकेएम	355708
5.	11 केवी लाइन	सीकेएम	158012
6.	33 एवं 66 केवी लाइन	सीकेएम	18033
7.	उपभोक्ता मीटर	संख्या	12960060
8.	डीटीआर मीटर	संख्या	177288
9.	11 केवी फीडर मीटर	संख्या	11283

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

विद्युत मंत्रालय ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अंतिम छोर पर संबद्धता प्रदान करते हुए तथा विद्युत कनेक्शन प्रदान करके सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की। भारत सरकार से 12320 करोड़ रूपयों की वित्तीय सहायता के साथ स्कीम का कुल परिव्यय 16320 करोड़ रूपये है।

दिसम्बर, 2018 तक 100% घरेलू विद्युतीकरण पूरा होने तक 15% अतिरिक्त अनुदान (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 5%) के साथ राज्यों को 75% अनुदान (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90%) प्रदान की जा रही है।

जैसा कि नई योजना स्वयं ही इसका नाम सुझाती है। योजना की अंतर्निहित विशेषता 'सहज' अर्थात सरल/आसान/प्रयासरहित और हर घर अर्थात सभी को शामिल करना है। योजना के अन्य मुख्य घटक निम्नानुसार हैः

(i) विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए कोई अग्रिम शुल्क नहीः आर्थिक रूप से कमजोर घरों और अन्य घरों के लिए बिल्कुल ही निःशुल्क है, कनेक्शन जारी होने के बाद 500 रू. 10 किस्तों में मासिक बिजली बिल में समायोजित किए जाएंगे।

(ii) तुरंत रजिस्ट्रेशन और कनेक्शन जारी करने के लिए गांवों/गांवों के कलस्टरों में कैम्पों का आयोजन।

(iii) अपेक्षित दस्तावेजों सहित लाभग्राहियों की पहचान और इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग।

(iv) दुर्गम और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित घरों के लिए एसपीवी आधारित स्टैण्डअलोन प्रणाली ।

(v) प्रगति की वेब आधारित नियर रियल टाइम निगरानी और अपडेटिंग।

(vi) कार्यान्वयन के ढंग में राज्यों के लिए लचीलापन (विभागीय/टर्नकी/सेमी–टर्नकी)

इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी इच्छुक घर बिना बिजली के कनेक्शन के न रह जाए, सभी राज्यों से किन्हीं शेष गैर–विद्युतीकृत घरों को चिन्हित करने और ऐसे घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए राज्य के प्रत्येक भाग में विशेष अभियान शुरु करने का अनुरोध किया गया। किसी भी शेष घर की सूचना देने के लिए एक समर्पित टोल–फ्री हेल्पलाइन 1800–121–5555 भी शुरु की गई।

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में एलडब्ल्यूई से बाधित कुछ घरों को छोड़कर सौभाग्य की शुरूआत से अब तक 2.63 करोड़ घरों का विद्युतीकरण हुआ है और **31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों ने सभी घरों के विद्युतीकरण होने की सूचना दी है।**

सभी के लिए 24X7 विद्युत

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने भारत सरकार के साथ सभी के लिए 24x7 विद्युत हेतु रूपरेखा दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है, ताकि राज्य नीति के अनुसार पूर्व निर्धारित तरीके से कृषि हेतु पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के साथ घरों, उद्योगों, वाणिज्यिक व्यवसायों और सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए विश्वसनीय, सस्ती और गुणवत्तायुक्त विद्युत प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

विद्युत मंत्रालय, सीईए द्वारा देश में विद्युत क्षेत्र के विभिन्न खंडों जैसे उत्पादन, पारेषण और वितरण में सूचना का प्रसार तथा मिलान करने हेतु राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल (www.npp.gov.in) को नियोजित किया है। अतः ऐसे समेकित आंकड़ों को राष्ट्रीय ग्राफ और दृश्य चार्टों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। इन आंकड़ों का यूटिलिटी प्रबंधन द्वारा विश्लेषण, आयोजन और निर्णय लेने में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।

पोर्टल में नियमित निगरानी हेतु मोडमों तथा फीडर मीटरों से ली गई फीडर स्तर की सूचना को डालना/कैप्चर करने/महत्वपूर्ण मानकों से आंकड़े जैसे रुकावटों की संख्या, रुकावटों के अंतराल आदि का प्रावधान है। अब तक 1,02,606 ग्रामीण फीडरों तथा 37,608 शहरी फीडरों को एनपीपी में मैप किया गया है। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को की गई विद्युत आपूर्ति, समग्र विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता का एक अच्छा उदाहरण है। एनपीपी की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण फीडरों में से 79.78% ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटों से अधिक की विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं।

अध्याय 10

एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) और राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस)

शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और 24X7 विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य यूटिलिटियों की सुविधा के लिए, भारत सरकार से 25,354 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित 32,612 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से 20.11.2014 को 'एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)' मंजूर की थी। पूर्ववर्ती आर–एपीडीआरपी को आईपीडीएस में समाहित किया गया है और सीसीईए ने आईपीडीएस की नई स्कीम के लिए 12वीं एवं 13वीं योजना के लिए 22,727 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को अग्रेनीत करने सहित 44,011 करोड़ रुपए का आर–एपीडीआरपी परिव्यय अनुमोदित किया है।

एससीएडीए कार्यशाला अक्टूबर, 2019

एकीकृत विद्युत विकास स्कीम की प्रगति

31.12.2019 तक की स्थिति के अनुसार आईपीडीएस के अंतर्गत नए परियोजनाओं की प्रगतिः

आईपीडीएस के अंतर्गत निम्नलिखित शहरी वितरण अवसंरचना क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। (i) गैस इंसुलेटड सब स्टेशनों (जीआईएस) सहित शहरी क्षेत्रों में उप पारेषण तथा वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण; (ii) स्मार्ट मीटरिंग सहित सिस्टम एवं उपभोक्ता मीटरिंग (iii) ई आर पी के माध्यम से वितरण क्षेत्र में आई टी और ओ टी सक्षमीकरण, पहचाने गए गैर आरएपीडीआरपी शहरों में आरएपीडीआरपी आई टी/ओ टी कार्यों का विस्तार, सिस्टम की विश्वसनीयता के सटीक माप के लिए यूटिलिटियों में रियल–टाइम डाटा एक्विजेशन सिस्टम (आरटी–डीएएस) की संस्थापना। अब तक, 32,059 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आईपीडीएस के अंतर्गत स्वीकृत की गईं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

(i) देश भर के 3634 शहरों को शामिल करते हुए 546 सर्किलों के लिए 28,260 करोड़ रुपए की वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं।

(ii) चरण–II के अंतर्गत 1931 शहरों के लिए 985 करोड़ रुपए की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन परियोजनाएं।

(iii) 39 यूटिलिटियों के लिए 792 करोड़ रुपए की ईआरपी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(iv) 21 यूटिलिटियों में 41 लाख नोड्स के लिए 834 करोड़ रुपए की स्मार्ट मीटरिंग परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(v) वित्तीय वर्ष 2018–19 में आईपीडीएस के अंतर्गत 209 करोड़ रुपए की रियल–टाइम डाटा एक्विजेशन सिस्टम (आरटी–डीएएस) परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं।

(vi) वित्तीय वर्ष 2018–19 में 978 करोड़ रुपए के 120 गैस इंसुलेटेड स्विचगीयर (जीआईएस) सब–स्टेशन की स्थापना की स्वीकृति दे दी गई थी।

क्रियान्वयनाधीन वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों में कुल 82 प्रतिशत प्रगति हासिल कर ली गई है। प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- इन डोर सब स्टेशनों में से 848 नए 33/11 केवी सब–स्टेशन चालू किए जा चुके हैं।
- अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराकर अथवा क्षमता अभिवर्धन करके 1001 मौजूदा 33/11 केवी सब–स्टेशनों का आवर्धन पूरा कर लिया गया है।
- 75,000 से अधिक वितरण ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं।
- 50,254 सीकेएम से अधिक के एरियल बंचड केबल और 15,567 सीकेएम से अधिक भूमिगत केबल बिछा दी गई है।
- 20,238 सीकेएम से अधिक एचटी लाइनें और 9,627 सीकेएम से अधिक एलटी लाइनें पूरी हो गई हैं।
- 41,960 केडब्ल्यूपी से अधिक के सोलर रूफ टॉप लगा दिए गए हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी चरण–II के अंतर्गत 576 शहरों को सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम बना दिया गया है और इन शहरों के 11 केवी फीडर डाटा राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल पर उपलब्ध है।
- 28 यूटिलिटियों के लिए ईआरपी वर्क पहले ही अवार्ड किए जा चुके हैं और कार्यान्वयनाधीन हैं।
- राज्य/यूटिलिटियां ईईएसएल के माध्यम से अथवा स्वयं टेंडर देकर आईपीडीएस के अंतर्गत संस्वीकृत स्मार्ट मीटरिंग कार्य को अंतिम रूप देने के अग्रिम चरण में है। 4 यूटिलिटियों को परियोजना अवार्ड किया गया है।
- विश्वसनीय और बेहतर गुणवत्तापरक विद्युत के रूप में उपरोक्त कार्य का सकारात्मक प्रभाव 2000 अलग अलग शहरों में 3 करोड़ शहरी उपभोक्ताओं में देखा जा सकता है, जहां कार्य पूरा हो चुका है।
- दिनांक 31.12.2019 के स्थिति के अनुसार विद्युत मंत्रालय/पीएफसी द्वारा अनुदान के रूप में 11989 करोड़ रुपए की राशि स्कीम के दिशा–निर्देशानुसार आईपीडीएस के अंतर्गत राज्यों को जारी कर दी गई थी। इसके अलावा, आईपीडीएस के कार्यान्वयन के लिए सक्षमीकरण गतिविधियों के लिए 181 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी गई है।

आईपीडीएस का पुराने आर–एपीडीआरपी परियोजना के अंतर्गत प्रगति

आरएपीडीआरपी योजना के अंतर्गत परियोजनाएं दो भागों में बांटा गया हैं। भाग–क का उद्देश्य बड़े शहरों (आबादीः 4 लाख और वार्षिक ऊर्जा इनपुटः 350 एमयू) के लिए ऊर्जा लेखांकन/लेखा परीक्षा तथा स्काडा के लिए डाटा सेंटर, उपभोक्ता सेवा केंद्र आदि सहित आईटी सक्षम प्रणाली स्थापित करना है जबकि भाग–ख इन शहरों में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए है। आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत परियोजनाएं भारत

सरकार से ऋण के रूप में स्वीकृत की जाती हैं और समय पर पूर्णता एवं एटीएंडसी हानियों के लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर अनुदान के रूप में सभी परिवर्तनीय होती हैं।

34,714 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं (भाग–कः 5930 करोड़ रुपए जिसमें 1294 नगरों और 59 स्काडा परियोजनाएं शामिल हैं; भाग–खः 28,784 करोड़ रुपए जिसमें 1227 नगर शामिल हैं) कार्यान्वयनाधीन हैं।

31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, 20 डाटा केंद्रों में से 19 को चालू किया गया है और भाग–क कार्यक्रम के अंतर्गत 1288 नगरों को 'गो लाइव' घोषित किया गया है। 1195 नगरों में भाग–ख परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

'गो लाइव नगर' वे नगर हैं जहां आईटी कार्य पूरा किया गया है और नगर ऊर्जा आंकड़ा ऊर्जा लेखा और लेखा परीक्षा के लिए डाटा केंद्रों को प्रवाहित करना आरंभ कर दिया है। यूटिलिटियों ने ऊर्जा लेखा/लेखा परीक्षा, एटी एंड सी हानियों को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रशासनिक उपायों के लिए इस डाटा का उपयोग करना आरंभ कर दिया है। दिसम्बर, 2019 में 915 नगरों में एटीएंडसी हानि में कमी सूचित की गई है।

भाग–क और ख परियोजनाओं के लिए आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत राज्य यूटिलिटियों को ऋण के रूप में 12,550 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सक्षमीकरण कार्यकलापों हेतु भाग–ग के अंतर्गत 493 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी किए गए हैं।

योजना	कवर किए गए नगर (संख्या)	पूरे किए गए नगरों की संख्या	अनुमोदित परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	जारी की गई भारत सरकार निधि (करोड़ रु. में)
भाग–क (आईटी)	1294	1287	4,724	4,052
भाग–क (स्काडा)	59	57	1,206	688
भाग–ख	1227	1195	28,785	7,811
कुल			**34,714**	**12,550**

निगरानी तथा मूल्यांकन

आईपीडीएस के अंतर्गत नई परियोजनाओं का मूल्यांकन

आईपीडीएस में गुणवत्ता एवं परियोजना निष्कर्षों के रूप में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तृतीय पक्ष समवर्ती मूल्यांकन एजेंसी (टीपीसीईए) नामक अलग एजेंसी द्वारा नमूना आधार पर कार्य की गुणवत्ता के द्वारा स्कीम का समवर्ती एवं कार्यान्वयन पश्च मूल्यांकन परिकल्पित है।

विद्युत एवं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य एवं संघ राज्यों के मंत्रीयों का सम्मेलन

पूरे भारत में 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 15 समूहों में टीपीसीईए की नियुक्ति की गई थी। चरण–I में 528 सर्किलों में और चरण–II में 465 सर्किलों में निरीक्षण पूरा कर लिया गया है।

आर–एपीडीआरपी (आईपीडीएस में समाहित) का प्रभावी मूल्यांकन

आर–एपीडीआरपी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय ने नोडल एजेंसी को इस बात का कि इस स्कीम ने उपभोक्ताओं के जीवन को सुखद बनाया है एवं डिस्कॉमों को भी लाभान्वित किया है, विस्तृत मूल्यांकन करने की सलाह दी। पीएफसी द्वारा चार स्वतंत्र एजेंसियों की उनमें से प्रत्येक को आबंटित एक क्षेत्र के साथ क्षेत्रीय आधार पर प्रभाव मूल्यांकन कार्य करने के लिए नियुक्ति की गई। एजेंसियों ने यूटिलिटियों में आर–एपीडीआरपी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, नमूना उपभोक्ता सर्वेक्षण, यूटिलिटी कर्मचारियों से बातचीत और 249 नमूना नगरों में क्षेत्र दौरों में संकलित किए गए आंकड़ों के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

चार क्षेत्रीय परामर्शदाताओं द्वारा किए गए क्षेत्र–वार अध्ययनों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(क) अधिकांश नमूना नगरों में बेसलाइन मूल्यों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018 में एटीएंडसी हानियों में कमी दिखाई दी है।

- 46 यूटिलिटियों में से 43 यूटिलिटियों ने (नमूना नगरों के आधार पर) आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत विभिन्न उपायों से एटीएंडसी हानियां कम कर दी हैं।
- नगर स्तर पर, 249 नमूना नगरों में से 220 नगरों में (88 प्रतिशत) ने बेसलाइन मूल्यों के संदर्भ में एटीएंडसी हानियों में कमी दर्शाई है। इसके अलावा, 109 नमूना नगरों (44 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2018 में एटीएंडसी की हानि के 15 प्रतिशत के स्तर तक पहुँच गई है।
- फीडरों, वितरण ट्रांसफार्मरों में मीटर लगाए गए और ऑटोमेटेड डाटा लोगिंग सिस्टम के माध्यम से निगरानी की गई। फीडर की हानियों में पर्याप्त कमी आई है और फीडरों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों में 54 प्रतिशत, 67 प्रतिशत, 38 प्रतिशत और 30 प्रतिशत नमूना फीडर 15 प्रतिशत एटीएंडसी हानि के स्तर तक पहुँच गए हैं और अन्य फीडरों में भी हानियां कम हुई हैं।
- एटीएंडसी हानियों में उपरोक्त कमी के परिणामस्वरूप बिजली के – **12,000 एमयू की बचत** हुई है जो **वित्तीय वर्ष 2018** में विद्युत खरीद लागत में – **3052 करोड़ रुपए** के बराबर है।

ख) आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी पहले से अनेक महत्वपूर्ण प्रचालन क्षेत्रों में स्वचलन हुआ है। अधिक संख्या में नए कनेक्शन एसईआरसी समय–सीमा में दिए गए और उपभोक्ता शिकायत निपटान एवं विवाद समाधान समय–सीमा भी कम हो गई है। इससे क्षेत्र भर में उपभोक्ता संतुष्टि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

ग) सभी नमूना नगरों में सभी उपभोक्ताओं और परिसंपत्तियों की 100 प्रतिशत जीआईएस इंडेक्सिंग एवं मैपिंग पूरी हो गई है। सभी नए कनेक्शनों पर कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से की जाती है। सभी राज्यों में स्वचालित बिलिंग एवं भुगतान के सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। इससे उन्नत बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता के माध्यम से एटीएंडसी हानियों में कमी आई है।

घ) अधिकांश यूटिलिटी कार्यों के डिजिटलाइजेशन के कारण उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन के लिए आवेदन करना अथवा बिल का भुगतान करना अथवा

शिकायत करना सरल है। यह यूटिलिटी को उपभोक्ताओं का प्रभावी तरीके से पता लगाने में भी सुकर बनाना है।

ङ) अधिक उपभोक्ता डिजिटली बिल भुगतान का विकल्प ले रहे हैं क्योंकि यह मेहनत को कम करता है एवं पारदर्शिता लाता है।

च) सभी नमूना नगरों में सार्वजनिक टोल फ्री विद्युत शिकायत नम्बर 1912 के साथ केंद्रीकृत देखरेख केंद्र स्थापित किए गए हैं और क्रियाशील हैं।

छ) भाग–ख के अंतर्गत पहलों के परिणामस्वरूप नमूना नगरों में वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं वृद्धि हुई है। सभी यूटिलिटियों में विद्युत कटौती में कमी आई है।

ज) बेहतर विद्युत आपूर्ति विश्वसनीयता एवं शिकायतों के प्रति यूटिलिटी का त्वरित प्रतिक्रिया से औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है जो वाणिज्यिक एवं औद्योगिक विद्युत बिक्री में वृद्धि से दिखाई देती है।

झ) बड़े शहरों में स्काडा के कार्यान्वयन से कटौतियों के मामले में रुकावटों में कमी आई है।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

1. उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना की शुरुआत दिनांक 20–11–2015 को राज्यों के स्वामित्व वाले वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉमों) के प्रचालनात्मक और वित्तीय टर्न अराउंड हेतु हुआ था। उदय ने प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना के माध्यम से राज्यों और डिस्कॉमों के प्रयासों को उत्प्रेरित करके 24x7 विश्वसनीय और गुणवत्तायुक्त विद्युत के लक्ष्य की आसन्न आपूर्ति अंतराल को कम करने का लक्ष्य रखा है।

2. उदय के मुख्य रूप से दो परिणाम मापदंड थेः मार्च, 2019 तक (i) ए टी एंड सी घाटे को 15% तक कम करना तथा (ii) एसीएस–एआरआर अंतराल को शून्य कर देना। कुछ राज्यों में बड़े पैमाने पर समस्याओं / चुनौतियों तथा साथ ही साथ उनके देर से शामिल होने के कारण, इन राज्यों को अपने डिस्कॉमों की टर्न अराउंड प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक से दो साल राहत की अनुमति दी गई थी। अंत में उदय में शामिल सभी 32 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में से 16 राज्य, व्यापक परिचालनात्मक और वित्तीय टर्न अराउंड उपायों के लिए और शेष सिर्फ परिचालनात्मक उपायों के लिए इससे जुड़े थे।

3. वित्तीय उपायों के अंतर्गत, राज्यों ने 2.09 लाख करोड़ रुपये के एस डी एल बॉन्ड जारी किए और उससे प्राप्त आय डिस्कॉमों को अंतरित कर दी गई थी। डिस्कॉमों द्वारा 23,000 करोड़ रुपयों के डिस्कॉम बॉन्ड भी जारी किए गए थे।

4. सहभागी राज्यों मे से अधिकांश ने वित्तीय वर्ष 19 के अंत तक 3 साल पूरे कर लिए हैं। राज्यों ने ए टी एंड सी घाटों में लगातार सुधार और पूर्व उदय अवधि की तुलना में वित्तीय वर्ष 19 तक लगभग 50% की कमी सूचित की है।

5. उदय राज्यों का कुल ए टी एंड सी घाटा वित्तीय वर्ष 16 के 20.7% से घटकर वित्तीय वर्ष 19 में 18.2% हो गया है। इन राज्यों के ए सी एस और ए आर आर के बीच का औसत अंतर वित्तीय वर्ष 16 में 59 पैसे प्रति यूनिट से घटकर वित्तीय वर्ष 19 में 27 पैसे प्रति यूनिट हो गया है।

6. वित्तीय वर्ष 20 में उदय राज्यों के निष्पादन का अर्धवार्षिक प्रदर्शन प्रवृत्तियाँ वर्ष 19 की समान अवधि के दौरान राजस्व अंतरों और ए टी एंड सी घाटे की मूल्य की तुलना में हुई सीमांत वृद्धि को सूचित करता है। तथापि लेखा परीक्षित तथा विश्वसनीय आंकड़े वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद ही उपलब्ध होंगे।

7. जबकि उदय डिस्कॉमों ने निष्पादन में सुधार लाने हेतु अपना योगदान दिया है, भारत सरकार राज्य के स्वामित्ववाली यूटिलिटियों हेतु पूर्ण वित्तीय तथा परिचालनात्मक टर्न अराउंड प्राप्त करने के लिए उदय के अंतर्गत होने वाले प्रयासों को पूरा करने हेतु अतिरिक्त सुधार कार्य प्रणाली तैयार कर रही है।

राष्ट्रीय विद्युत निधि (एन ई एफ)

भारत सरकार ने राज्य विद्युत यूटिलिटियों को वितरित ऋणों पर 14 वर्षों की अवधि के दौरान ब्याज सब्सिडी प्रदान करके विद्युत वितरण क्षेत्र के अवसंरचना को सुदृढ बनाने तथा उनमें सुधार लाने के लिए वर्ष 2012 में 25,000 करोड़ रुपयों की कुल परिव्यय से राष्ट्रीय विद्युत निधि की स्थापना किए जाने का अनुमोदन किया था। इस स्कीम के अंतर्गत, क्षेत्र जहां पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाय) और पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम स्कीमें (आर–एपीडीआरपी) उपलब्ध नहीं कराये गए थे, उन्हें अवसंरचना क्षेत्र से संबन्धित परियोजनाओं हेतु ऋण लेने पर ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया गया था।

2. पात्रता हेतु पूर्व–शर्तें राज्यों द्वारा शुरू किए गए सुधार उपायों से संबद्ध होती हैं और ब्याज सब्सिडी की राशि सुधारों से संबन्धित मानदंडों में प्राप्त प्रगति से संबद्ध होती है। पात्रता की पूर्व–शर्तें थी राज्य विद्युत विनिमायक आयोग (एस ई आर सी) का प्रचालन, यूटिलिटियों के टर्नअराउंड के लिए व्यवसाय योजना तैयार करने को अंतिम रूप देना, राज्य विद्युत बोर्डों (एस ई बी) का पुनर्गठन, राज्य सरकार द्वारा डिस्कॉमों को सब्सिडी जारी करना, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा का प्रस्तुतीकरण और प्रशुल्क याचिका समय से दाखिल करना है।

3. सब्सिडियां, विशेष सुधार उपायों की तुलना में, उपलब्धियों के आधार पर उपार्जित ब्याज पर स्वीकार्य थी, जैसे कि एटीएंडसी घाटों में कमी, राजस्व अंतर में कमी (आपूर्ति की औसतन लागत (ए सी एस)– सब्सिडी प्राप्त आधार पर औसतन प्राप्त राजस्व) तथा रिटर्न ऑन इक्विटी और मल्टी इयर टैरिफ (एम वाय टी)। इन मापदंडों की उपलब्धि पर प्राप्त समेकित अंकों के आधार पर यूटिलिटियां, विशेष श्रेणी और केन्द्रित राज्यों को छोड़कर राज्यों में 3% से 5% तक ब्याज दरों में सब्सिडी की पात्र है और विशेष श्रेणी और केन्द्रित राज्यों में यह 5% से 7% है।

4. एन ई एफ में अब 14 राज्यों के 24 डिस्कॉमों में कुल 23,973 करोड़ रुपयों के ऋण घटकों के साथ लगभग 920 परियोजनाएं सम्मिलित है। दिसम्बर 2019 तक, विद्युत मंत्रालय द्वारा नोडल एजेन्सी शुल्क सहित भाग लेने वाले डिस्कोमों को 275 करोड़ रुपयों की ब्याज सब्सिडी, जारी कर दी गई है।

दिनांक 29 अक्टूबर, 2019 को आंध्रप्रदेश एवं कर्नाटक में एकीकृत वाटरशेड प्रबन्धन के लिए
नेशनल सीएसआर अवार्ड प्रदान करते हुए माननीय राष्ट्रपति।

अध्याय 11

राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन

राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन
विद्युत मंत्रालय
भारत सरकार

सरकार ने भारत में स्मार्ट ग्रिड कार्यकलापों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की योजना बनाने और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए वर्ष 2015 में राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) स्थापित किया। राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन में अंतिम छोर कनैक्टिविटी पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात् एएमआई के माध्यम से वितरण,माइक्रो ग्रिड, वितरित उत्पादन, बिजली कटौती के समय का प्रबंधन, विद्युत गुणवत्ता में सुधार, व्यस्ततम भार प्रबंधन तथा ईवी चार्जिंग अवसंरचना आदि की परिकल्पना की गई है। मिशन डिस्कॉमों नवीन वित्त प्रबंधन मॉडलों की ओर ले जाने के लिए अनुदान के रूप में परियोजना लागत का 30% तक ही उपलब्ध कराता है।

स्मार्ट ग्रिड के सतत् विकास पर ध्यान संक्रेन्द्रित किया जाता है और वर्ष 2019 में यूटिलिटियों, वित्त पोषण अभिकरण और स्मार्टग्रिड कार्यान्वयन अभिकरणों में ओपेक्स मॉडल पर एएमआई नियोजन की व्यापक स्वीकार्यता के रूप में पहली उपलब्धि प्राप्त हुई।

एनएसजीएम के अंतर्गत स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं

एनएसजीएम के अंतर्गत, लगभग 6.6 लाख उपभोक्ताओं के लिए 595.73 करोड़ रुपये की चार परियोजनाएं अर्थात् चंडीगढ़ में दो (सब डिवीजन नं. 5 एवं पूरा शहर), राउरकेला एवं रांची प्रत्येक में एक परियोजना कार्यान्वयनाधीन हैं।

चंडीगढ़ के सब डिवीजन 5 की स्मार्ट ग्रिड परियोजना क्रियान्वयन के अग्रिम चरण में है और जून, 2020 तक पूरा होने की संभावना है। अन्य तीन परियोजनाएं निधियन और/या अवार्ड के अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं।

स्मार्ट ग्रिड प्रायोगिक परियोजनाएं

समीक्षाधीन वर्ष ने सभी ग्यारह प्रायोगिकों का सफल समापन देखा। मैसर्स क्यूसीआई द्वारा प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन ने इस धारणा की अभिपुष्टि की कि प्रौद्योगिकी क्रियान्वयन अमल में लाने के लिए सहज है और नेतृत्व आस्था और/या अभियान के अभाव में संगठनात्मक सुधार गतिविधि पिछड़ जाती है। प्रायोगिकों ने पीएलसी संचार के लिए डिस्कॉम अवसंरचनाओं की गैर–संधारणीयता की मिथक तोड़ दी और आरएफ संचार प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के लिए समाधान प्रदाताओं को विश्वास दिलाने में सफल रहे हैं।

घरेलू सहयोग, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

एनएसजीएम स्मार्ट ग्रिड नियोजन के लिए सर्वोत्तम पद्धतियां एवं समाधान निकालने के लिए विभिन्न पणधारकों को सक्रिय रूप से नियुक्त करती है। एनएसजीएम मांग प्रत्युत्तर कार्य के मिशन नवाचार चुनौती #1 स्माट्रग्रिड कार्य #2 पर डीएसटी के साथ सह–नेतृत्व कर रहा है और कन्ट्री रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भारत में मांग प्रत्युत्तर संभाव्यता मूल्यांकन प्रगति पर है।

यूटिलिटी व्यवसायियों को स्मार्ट मीटर नियोजन से निपटने और बेहतर प्रक्रिया के लिए ग्रिड परिवर्तनके लिए प्रासंगिक कौशलों से युक्त करने के लिए स्मार्ट ग्रिड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

वर्ष ने नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए स्मार्ट ग्रिड ज्ञान केंद्र (एसजीकेसी) और आईआईटी कानपुर के साथ सहमति ज्ञापन का समापन देखा है। उभरती हुई चुनौतियों पर ध्यान रखते हुए एनएसजीएम व्यापक पणधारकों के साथ जुड़ा हुआ है और स्मार्ट ग्रिड में आगामी प्रौद्योकियों का लाभ उठाने और अंतरराष्ट्रीय संवाद शुरू करने के लिए अगस्त, 2019 में ''5जी एंड क्लाउड इंटरोपेरेबिलिटी फॉर स्माट ग्रिड'' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में लगभग 55 उद्योगों/सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।

5जी एंड क्लाउड इंटरोपेरेबिलिटी फॉर स्माट ग्रिड, अगस्त 2019

दिनांक 26 फरवरी, 2019 को विद्युत मंत्री द्वारा आवासीय भवनों हेतु ऊर्जा दक्षता स्तर का शुभारंभ करते हुए।

ऊर्जा संरक्षण

जीडीपी में लगभग 8 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद के साथ, यदि भारत में ऊर्जा की खपत वर्तमान स्तरों के साथ जारी रहती है, तो इससे आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन बढ़ सकता है। आपूर्ति और मांग के बीच की दूरी या तो उत्पादन को बढ़ाकर या ऊर्जा उपयोग की दक्षता को बढ़ाकर पूरी की जा सकती है। ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने से उच्च वृद्धि के पूर्व बड़े लक्ष्य में समझौता किए बिना लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु एक आकर्षक समाधान मिलता है। भारत ने 2005 के स्तर से अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने हेतु स्वयं को प्रतिबद्ध किया है। मांग और आपूर्ति पक्ष दोनों में उच्च ऊर्जा दक्षता स्तर प्राप्त करते हुए जीडीपी की ऊर्जा तीव्रता को कम करना, पेरिस समझौते के तहत 2030 तक भारत के एनडीसी लक्ष्यों को प्राप्त करने की मुख्य कुंजी है।

अब तक किए गए विभिन्न ऊर्जा दक्षता उपायों के कारण, देश की ऊर्जा तीव्रता वर्ष 2012–13 में 0.273 मेगा जूल प्रति भारतीय रुपए से घटकर वर्ष 2017–18 में 0.233 मेगा जूल प्रति भारतीय रुपए हो गई है, जो 15 प्रतिशत की दक्षता वृद्धि का संकेत है। इसका उत्सर्जन की तीव्रता में कमी पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिसका उद्देश्य पेरिस की प्रतिबद्धता के तहत वर्ष 2030 तक 33–35 प्रतिशत की कमी लाना है। इस लक्ष्य का 56 प्रतिशत तक प्राप्त करने में ऊर्जा दक्षता का योगदान होगा।

वर्ष 2011–12 की कीमतों पर भारत की ऊर्जा तीव्रता, मेगा जूल/रुपए में

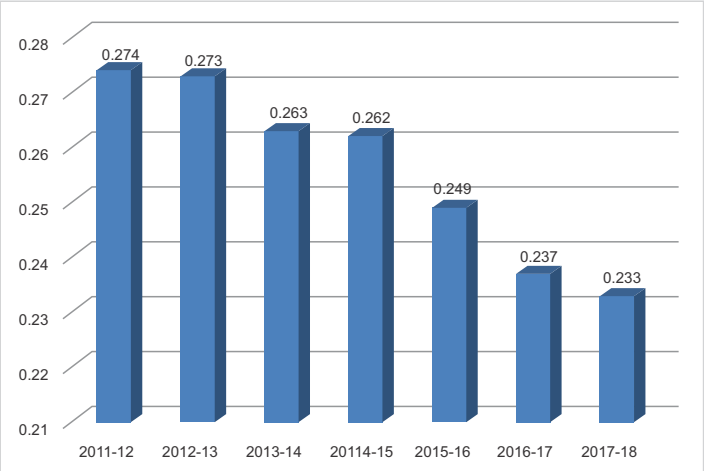

स्रोत : ऊर्जा सांख्यिकी 2019

भारत ने जलवायु परिवर्तन के वैश्विक मुद्दे को संबोधित करने की दिशा में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देने में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। भारत सरकार ने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में न्यूनतम वृद्धि सुनिश्चित करते हुए अपने नागरिकों की ऊर्जा मांग को पूरा करने हेतु दो–आयामी दृष्टिकोण अपनाए है, ताकि वैश्विक उत्सर्जन से पारिस्थितिकी तंत्र को अपरिवर्तनीय क्षति न हो। उत्पादन पक्ष में, सरकार मुख्य रूप से सौर और पवन के माध्यम से ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा के अधिक उपयोग को बढ़ावा दे रही है तथा साथ ही कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकियों की ओर विस्थापन हो रहा है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (ईसी अधिनियम) के समग्र दायरे में विभिन्न नवीन नीतिगत उपायों के माध्यम से मांग पक्ष में ऊर्जा का दक्षता से उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा की तीव्रता कम करने के लक्ष्य के साथ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को 2001 में लागू किया गया था। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए केंद्रीय स्तर पर एक सांविधिक निकाय के रूप में 1 मार्च, 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) स्थापित किया गया था। अधिनियम इनके लिए विनियामक जनादेश प्रदान करता हैः उपकरण और उपस्करों के मानकों और लेबलिंग; वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और ऊर्जा सघन उद्योगों के लिए ऊर्जा खपत मानदंड।

भवन निर्माण में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना

भवन निर्माण क्षेत्र भारत में लगभग 32 प्रतिशत बिजली की खपत का प्रतिनिधित्व करता है, वाणिज्यिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र का क्रमशः 8 प्रतिशत और 24 प्रतिशत हिस्सा है। ईसीबीसी–अनुरूप इमारतों में पारंपरिक इमारतों की तुलना में ऊर्जा का 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कम उपयोग किया जा सकता है। यह अनुमान है कि ईसीबीसी के राष्ट्रव्यापी अनिवार्य प्रवर्तन से लगभग 1.7 बिलियन किलोवॉट घण्टा की वार्षिक बचत होगी।

ईसीबीसी को भवन निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में पहले चरण के रूप में विकसित किया गया था। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, संहिता में स्थल उन्मुखीकरण को भी संबोधित किया जाता है तथा बेहतर डिजाइन प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को निर्दिष्ट किया जाता है जो रहने वालों की सुविधा और उत्पादकता में कमी लाए बिना ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं। अद्यतन संहिता में ऊर्जा निश्पादन मानकों के तीन स्तरों को परिभाषित किया है। दक्षता के बढ़ते क्रम में ये ईसीबीसी बिल्डिंग, ईसीबीसी + बिल्डिंग और सुपर ईसीबीसी बिल्डिंग हैं।

यह संहिता उन इमारतों या भवन परिसरों पर लागू होती है, जिन पर 100 किलोवॉट या उससे अधिक का कनेक्टेड लोड होता है या 120 किलो वोल्ट एम्पियर या उससे अधिक की संविदा मांग होती है तथा इनका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। राज्य स्तर पर इसके स्कोप को कठोर बनाया जा सकता है।

ईसीबीसी को बीईई द्वारा विकसित किया गया है, इसका प्रवर्तन राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों के साथ है। 13 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में पहले से ही ईसीबीसी अधिसूचित किया गया है।

आवासीय भवन क्षेत्र में ऊर्जा के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, विद्युत मंत्रालय ने दिसंबर 2018 में **इको निवास संहिता** 2018 को शुरू किया है, जिसमें आवासीय भवन हेतु ऊर्जा दक्ष आवरण डिजाइन के माध्यम से न्यूनतम ऊर्जा निश्पादन निर्धारित किया गया है। इको निवास संहिता (भाग 1 : भवन आवरण) में गर्मी के अंदर आने (ठण्ड के वर्चस्व वाली जलवायु हेतु) को सीमित करने हेतु और गर्मी के निकलने के लिए (गर्मी के वर्चस्व वाली जलवायु हेतु) तथा और साथ ही पर्याप्त प्राकृतिक वातानुकूलन और दिन की रोशनी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम भवन आवरण निश्पादन मानकों को निर्धारित किया जाता है। यह संहिता सभी आवासीय भवनों और 'मिश्रित भूमि–उपयोग परियोजनाओं' के आवासीय भागों पर लागू होती है, जो 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के भूखंड क्षेत्र, दोनों पर निर्मित होते हैं। जबकि, राज्य और नगरपालिका निकाय अपने क्षेत्राधिकार में व्यापकता के आधार पर भूखंड क्षेत्र को कम कर सकते हैं।

आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा दक्षता लेबल का शुभारंभ 26 फरवरी, 2019 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को घरों के ऊर्जा दक्षता मानकों के बारे में जानकारी प्रदान करना है, ऊर्जा दक्षता

मानकों पर एक घर की तुलना करने हेतु बेंचमार्क और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं मानदंडों के लिए भारत की निर्माण गतिविधियों को संचालित करना है।

मौजूदा भवनों में ऊर्जा दक्षता लाना भी भारत सरकार का एक प्रमुख प्रबलन क्षेत्र है, और ऊर्जा दक्ष भवनों के लिए एक बाजार पूल बनाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक भवनों की स्टार रेटिंग के लिए स्वैच्छिक योजना विकसित की गई थी। वर्तमान में यह योजना भवनों की 4 श्रेणियों पर लागू होती है, अर्थात कार्यालय भवनों, शॉपिंग मॉल, बीपीओ और अस्पतालों में दिन में उपयोग।

उपलब्धियां

- तेरह राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों : असम, राजस्थान, ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को अधिसूचित कर दिया गया है।
- राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में ईसीबीसी कार्यान्वयन पर क्षमता निर्माण और संस्थागत रूपरेखा के तहत 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए 24 ईसीबीसी प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।
- ''सीपीडब्ल्यूडी प्रबंधित भवनों में ऊर्जा दक्षता'' पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- सभी नई और मौजूदा इमारतों के ऊर्जा खपत पैटर्न की निगरानी के लिए, ईएमआईएस (ऊर्जा प्रबंधन सूचना प्रणाली) पोर्टल को विकसित किया गया है। तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों में प्रायोगिक परियोजना पर कार्य चल रहा है।
- 2019 में, 110 भवनों में भवन डिजाइन में ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने हेतु ईसीबीसी अनुपालन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की गई हैं।
- गुरुग्राम, हरियाणा में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान माननीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा ''आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा दक्षता लेबल'' का शुभारंभ 26 फरवरी, 2019 को किया गया।
- दिल्ली में भवन ऊर्जा दक्षता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (एएनजीएएन) 9 से 11 सितंबर, 2019 के दौरान आयोजित किया गया था। इसमें 800 से अधिक प्रतिभागियों, 15 देशों के 100 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में ज्ञान विनिमय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लगभग 25 संगठनों से 40 से अधिक केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया।

परिवहन क्षेत्र में ईंधन दक्षता

भारत में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2016–17 में, एसआईएएम डेटा के अनुसार 2.5 करोड़ से अधिक वाहन निर्मित किए गए थे। इस उत्पादन में सभी प्रकार के वाहन शामिल हैं। उत्पादित किए गए अधिकांश वाहन जीवाश्म ईंधन से भरे जाते हैं जिसका अर्थ है कि आगे भारत में जीवाश्म ईंधन की खपत की प्रवृत्ति बढ़नी है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत कच्चे तेल के आयात में कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करने वाले डीजल, पेट्रोल और अन्य ईंधन की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। सरकार परिवहन क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को कम करने के लिए ई–गतिशीलता और जैव–ईंधन संचालित वाहनों पर जोर दे रही है। सरकार द्वारा किए गए उपायों में से एक, भारत में निर्मित या आयातित वाहनों के लिए ईंधन दक्षता मानदंड लागू करना है। कारों और हेवी ड्यूटी वाहनों हेतु पहले ईंधन अर्थव्यवस्था मानदंडों को बीईई के परामर्श से विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। बाकी श्रेणी के लिए मानदंड भी विकास के अधीन हैं।

यात्री कारों हेतु कॉर्पोरेट औसत ईंधन अर्थव्यवस्था मानदंड :

वाहनों की एम1 श्रेणी के लिए ईंधन अर्थव्यवस्था मानदंड (जिसमें जीवीडब्ल्यू 3.5 टन और / या उससे कम है) को 2015 में का. आ. 1072 (अ) के द्वारा अधिसूचित किए गए थे। मानदंडों का पहला चरण 1 अप्रैल, 2017 को लागू किया गया जबकि 2022 में मानदंडों के दूसरे चरण को लागू किया जाएगा।

दूसरे चरण के लिए मानदंड 2022 के लिए माने गए 1145 किलोग्राम के औसत वज़न पर प्राप्त किए गए थे और इस औसत वज़न पर औसत ईंधन की खपत 4.77 लीटर / 100 कि. मी. से कम होनी चाहिए। दूसरे चरण के मानदंडों के अनुसार ये समीकरण समिति के संशोधन के तहत हैं ताकि औसत वजन के मूल्य को संशोधित किया जा सके और लक्ष्य ईंधन की खपत के मूल्य को प्राप्त किया जा सके।

हल्के और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए निरंतर गति ईंधन की खपत (सीएसएफसी) मानदंड :

मानक 3.5 टन से 12 टन तक के सकल वाहन भार के हल्के और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए ईंधन अर्थव्यवस्था मानदंडों का विकास 16 जुलाई, 2019 को का. आ. 2540 (अ) द्वारा अधिसूचित किया गया है। ये मानक एम2, एम3 और एन2 श्रेणी के वाहनों पर लागू होते हैं, जिनमें सकल वाहन वजन (जीवीडब्ल्यू) 3.5 टन और 12 टन दोनों समाविश्ट, के बीच होता है।

जीवीडब्ल्यू 3.5 टन से 7.5 टन तक के वाहन का परीक्षण 50 कि.मी. प्रति घंटे की निरंतर गति पर किया जाएगा, जबकि जीवीडब्ल्यू 7.5 टन से 12 टन वाले वाहनों का परीक्षण दो गति अर्थात् 40 कि.मी. प्रति घंटे और 60 कि.मी. प्रति घंटे की गति पर किया जाएगा। प्रति 100 किलोमीटर पर ईंधन की खपत वाहनों को संबंधित जीवीडब्ल्यू के लिए लक्ष्य समीकरण से प्राप्त मूल्य से कम होना चाहिए।

मानदंडों का पहला चरण 1 अप्रैल, 2020 से लागू किया जाएगा। इन मानदंडों के कार्यान्वयन से एक वर्ष में 0.06 एमएमटी की ईंधन बचत और 3 वर्षों में संचयी 0.25 एमएमटी ईंधन की बचत प्रत्याशित है।

मानक और लेबलिंग योजना

मानक और लेबलिंग (एस एंड एल) योजना विद्युत मंत्रालय का एक प्रमुख प्रयास है जिसे ऊर्जा बचत के बारे में उपभोक्ताओं को एक सूचित विकल्प प्रदान करने और इस प्रकार विभिन्न ऊर्जा उपकरणों की लागत बचत संभाव्यता बताने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। मानक और लेबलिंग योजना में 24 उपकरणों के लिए स्टार लेबलिंग कार्यक्रम को कवर किया गया है, जिसमें से 10 उपकरण अनिवार्य व्यवस्था के तहत हैं और शेष 14 उपकरण स्वैच्छिक व्यवस्था के तहत हैं।

उपलब्धियां :

- बाजार में और अधिक दक्ष उपकरण लाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 के दौरान सेल्फ–बालास्टेड एलईडी लैंप, एयर कंडीशनर, पंप सेट, सीलिंग फैंस, घरेलू एलपीजी चूल्हे पर खाना बनाने के लिए ऊर्जा खपत मानकों का पुनरीक्षण किया गया है।

- एयर कंडीशनर के लिए संशोधित ऊर्जा खपत मानकों को का. आ. 3897 (अ.) दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। सेल्फ–बालास्टेड एलईडी लैंप के लिए ऊर्जा खपत मानकों को भारत के राजपत्र का. आ. 3631 (अ.) दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 को अधिसूचित किया गया है।
- रिटेलर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन रिटेलर्स के बीच ज्ञान का प्रसार करने के लिए किया जा रहा है ताकि वे ग्राहकों को ऊर्जा दक्ष उपकरण चुनने के लिए समझा सकें और उन्हें भरोसा दिला सकें। रिटेलर ट्रेनिंग प्रोग्राम का तीसरा चरण वर्ष 2019 में शुरू हुआ। अब तक, 36 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। निजामाबाद में 28.12.2019 को अंतिम रिटेलर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- वाशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन के लिए स्वैच्छिक स्टार लेबलिंग कार्यक्रम 8 मार्च, 2019 को शुरू किया गया था।
- बीईई ने भारत कूलिंग एक्शन प्लान विकसित करने के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान की, जिसे 8 मार्च, 2019 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
- सोलर वाटर हीटर के लिए स्वैच्छिक स्टार लेबलिंग कार्यक्रम 14 दिसम्बर, 2019 को शुरू किया गया था।

डिस्कॉम का क्षमता निर्माण

मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम में कम ऊर्जा की खपत करने वाली वास्तविक–उपयोग तकनीकों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे ग्राहकों के समग्र बिजली बिल को कम करने और / या स्थानांतरित किया जाता है। डीएसएम कार्यक्रम उपयोगिताओं को थोक बाजार पर अपनी पीक बिजली की खरीद में कमी लाने में मदद कर सकते हैं, जिससे उनके प्रचालन की कुल लागत कम हो सकती है। इसलिए, डीएसएम को अपने क्षेत्रों में लागू करने के लिए डिस्कॉम के लिए क्षमता निर्माण और अन्य सहायता आवश्यक है। इस संदर्भ में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने वित्त वर्ष 2012–17 के दौरान डिस्कॉम के क्षमता निर्माण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इससे डिस्कॉम के अधिकारियों के क्षमता निर्माण और उनके संबंधित क्षेत्रों में डीएसएम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तंत्रों के विकास में मदद मिली है।

चरण –1 के दौरान, इस कार्यक्रम में 34 डिस्कॉम ने भाग लिया है और डीएसएम प्रकोश्ठ की स्थापना, जनशक्ति समर्थन, डिस्कॉम के अधिकारियों का क्षमता निर्माण, लोड पर अनुसंधान और डीएसएम कार्य योजना तैयार करने जैसी गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम के तहत, इन लाभार्थी डिस्कॉम द्वारा विभिन्न डीएसएम कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। 2017–2020 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत शेष 28 डिस्कॉम को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत उक्त गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए बीईई, 28 डिस्कॉम और उनके संबंधित एसडीए के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उपरोक्त सभी गतिविधियों को बीईई द्वारा नियुक्त संबंधित परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) द्वारा किया जाना है।

इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक पणधारकों और अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालने के लिए और डीएसएम गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए डिस्कॉम की जरूरतों को समझने के लिए, एसडीए, डिस्कॉम और एसईआरसी / जेईआरसी के सहयोग से बीईई द्वारा पांच क्षेत्रों (दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वोत्तर, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र) के लिए क्षेत्रीय बैठकों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया था।

उपलब्धियां :

प्रथम चरण

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी डिस्कॉम के रूप में भाग लेने के लिए 34 डिस्कॉम का चयन किया है और उनके साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- इन डिस्कॉम द्वारा डीएसएम प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।
- 22 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में 34 डिस्कॉम के लिए डीएसएम विनियमन को अधिसूचित किया गया है।
- डिस्कॉम से संबंधित गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए प्रत्येक डिस्कॉम को जनशक्ति सहायता प्रदान की गई। यह प्रावधान 2017–20 की अवधि के लिए जारी रखा जाएगा।
- सभी 34 डिस्कॉम के लिए लोड सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और उनकी डीएसएम कार्य योजना तैयार की गई है।
- बीईई द्वारा डिस्कॉम के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर

मास्टर ट्रेनर्स बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत, इन डिस्कॉम के वरिष्ठ/मध्यम स्तर के प्रबंधन के 504 अधिकारियों को प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के तहत मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

- डिस्कॉम के लगभग 5000 सर्कल स्तर के अधिकारियों को डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर प्रशिक्षित किया गया है।

दूसरा चरण

- इस कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त 28 डिस्कॉम को लाभार्थी डिस्कॉम के रूप में शामिल किया गया है।
- इस कार्यक्रम के तहत गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए बीईई, 28 डिस्कॉम और संबंधित एसडीए के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- इस कार्यक्रम के तहत गतिविधियों के कार्यान्वयन में सहायता के लिए बीईई द्वारा क्षेत्रवार पांच परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) नियुक्त किए गए हैं।
- 26 डिस्कॉम द्वारा डीएसएम प्रकोश्ठ की स्थापना की गई है।
- 12 डिस्कॉम के लिए लोड सर्वेक्षण पूरा किया गया है।
- शेष राज्य / संघ राज्य क्षेत्र अपने डीएसएम विनियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं।
- इन डिस्कॉम के लगभग 800 वरिष्ठ अधिकारियों को डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 4000 सर्कल स्तर के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाया जाएगा। अब तक, 1000 सर्कल स्तर के अधिकारियों को डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर प्रशिक्षित किया गया है।

कृषि मांग पक्ष प्रबंधन

कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि भारत के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र भारत के कुल पानी की खपत का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा उपयोग करता है।

यह कार्यक्रम समग्र बिजली की खपत में कमी, भूजल निष्कर्षण की क्षमता में सुधार, राज्य उपयोगिताओं पर सब्सिडी के बोझ को कम करने और बिजली संयंत्रों में निवेश क्षमता के माध्यम से कृषि मांग पक्ष प्रबंधन के माध्यम से ऊर्जा दक्षता का वादा करता है। बीईई द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि पंप सेटों की वर्तमान दक्षता स्तर 20–25 प्रतिशत की सीमा में है और दक्षता में सुधार मौजूदा पंप सेटों और नए पंप सेटों के लिए भी 40–50 प्रतिशत तक पहुंच सकता है जो स्थापित किए जा सकते हैं।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कृषि क्षेत्र में 2.1 करोड़ से अधिक पंप सेट स्थापित किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश पंप सेट अक्षम हैं। आंकड़े बताते हैं कि क्षेत्र में हर साल 2.5 से 5 लाख नए पंप सेट कनेक्शन जोड़े गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार हैं : –

1. **एसडीए के माध्यम से नए कनेक्शन के लिए बीईई स्टार लेबलयुक्त पंप सेट का उपयोग करने की दिशा में संशोधित रूपरेखा :**

   बीईई ने राज्य विनियामक आयोगों को शामिल करके कृषि में ऊर्जा दक्ष पंपों के उपयोग को अनिवार्य करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। बीईई नए कनेक्शन के लिए ऊर्जा दक्ष पंपों को अनिवार्य करने के लिए डिस्कॉम, एसईआरसी, एसडीए और विनिर्माताओं के लिए पणधारक परामर्श बैठकों और क्षमता निर्माण सत्रों का संचालन कर रहा है। बीईई द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरुप, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, पुडुचेरी, पंजाब, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तराखंड राज्य सरकारों ने सभी नए पंप सेट कनेक्शनों के लिए स्टार लेबलयुक्त ऊर्जा दक्ष पंप सेटों (ईईपीएस) का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है।

2. **ऊर्जा दक्ष पंपों को अपनाने को बढ़ावा देने हेतु किसानों के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम चलाना :**

   देश की नोडल एजेंसी होने के नाते बीईई किसानों के साथ ऊर्जा दक्ष पंपों को अपनाने को बढ़ावा देने हेतु उनके लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की दिशा में ध्यान केंद्रित कर रही है। बीईई द्वारा विभिन्न प्रकार के आउटरीच चैनलों जैसे स्थानीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टेलीविजन और स्थानीय रेडियो चैनल सहित), ग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम, ग्राम सभा या अन्य पंचायत के शुरूआती सार्वजनिक कार्यक्रम आदि की खोज की जा रही है। अब तक, लगभग 4000 किसानों और पणधारकों को कवर करने वाले विभिन्न केवीके में लगभग 150 प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

3. **पंप तकनीशियनों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन :**

   एजीडीएसएम कार्यक्रम के तहत, बीईई पंप तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिनकी पुराने अक्षम पंपों की जगह बीईई स्टार रेटेड पंप सेट लगाने में एक प्रमुख भूमिका है। बीईई इन तकनीशियनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन के बाद एक प्रमाण पत्र जारी कर रहा है।

4. **आईसीएआर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर :**

   किसानों के लिए ऊर्जा दक्ष (ईई) कृषि पंप सेट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)** और **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)** के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह किसानों के बीच ऊर्जा दक्ष पंप सेट और इसकी परिचालन प्रथाओं का उपयोग करने के लिए जागरूकता पैदा करेगा ताकि खेती की लागत को कम करने और **"प्रति बूंद अधिक फसल"** और **"किसान की आय दोगुनी करने"** की कार्यनीतियों के साथ किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए ऊर्जा और संसाधन दक्ष दृष्टिकोणों को अपनाया जा सके।

नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन

नगर पालिकाओं में सुबह के समय पानी की पंपिंग और शाम के समय सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए बिजली के लोड में लगातार परिवर्तन और घटते बढ़ते पावर लोड की पीक ऊर्जा की खपत की विशेषता है। ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों और मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) प्रयास के सीमित प्रसार के कारण बिजली के अपर्याप्त उपयोग से नगरपालिकाओं द्वारा खर्च की गई ऊर्जा में काफी वृद्धि हुई है।

नगरपालिका क्षेत्र में अपार ऊर्जा की बचत क्षमता की पहचान करते हुए, बीईई ने ग्यारहवीं योजना के दौरान नगरपालिका के मांग पक्ष प्रबंधन (एमयूडीएसएम) की शुरुआत की। परियोजना का मूल उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की समग्र ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है, जिससे बिजली की खपत में काफी बचत हो सकती है, जिससे यूएलबी के लिए लागत में कमी / बचत हो सकती है।

एमयूडीएसएम कार्यक्रम के तहत, बीईई नगरपालिका क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता उपायों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने के लिए शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), शहरी विकास निदेशालय (यूडीडी), नगर निगमों (एमसी) और सार्वजनिक जल निकायों के अधिकारियों को प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करने का आशय है।

एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम

भारतीय लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र में हर साल लगभग 50 मिलियन टन तेल के समकक्ष ऊर्जा की खपत होती है। भारत में एसएमई क्षेत्र निर्मित उत्पादों, उद्यम के आकार, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी के उपयोग और उत्पादन संस्करणों के मामले में विषम है। एसएमई का भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन का 45 प्रतिशत और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 8 प्रतिशत है। एसएमई क्षेत्र की ऊर्जा खपत भारत में कुल औद्योगिक ऊर्जा खपत का लगभग 25 प्रतिशत है।

विद्युत मंत्रालय की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना का उद्देश्य एमएसएमई की ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है, भारत में एसएमई के लिए उनकी ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए ऐसी कोई विनियामक संरचना नहीं है। लाभों के बारे में जागरूकता की कमी, विकल्पों के बारे में जानकारी का अभाव और अनुमानित उच्च लागतों के कारण छोटे और मध्यम उद्योग, ऊर्जा दक्षता या प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी उपाय लागू करने में असमर्थ रहे। कई लोग पुराने उपकरण, कम दक्षता वाली प्रक्रियाओं को संचालित करना जारी रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की व्यर्थ खपत होती है, जिससे लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव होता है।

क्लस्टर स्तर पर ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को विकसित करने, प्रदर्शित करने और प्रसारित करने की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारत में एमएसएमई के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा "एसएमई में ऊर्जा दक्षता और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम" शुरू किया गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भी यूनिडो के माध्यम से वैश्विक पर्यावरण सुविधा के समर्थन से इस क्षेत्र में परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है।

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं –

1. एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 23–24 सितंबर, 2019 को किया गया था। इस सम्मेलन के साथ जानी मानी ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी।
2. एमएसएमई के लिए ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देशों को विकसित किया गया और माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री तथा माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था।
3. एमएसएमई में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों पर पचास (50) मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल विकसित किए गए थे। इन ट्यूटोरियल का एमएसएमई के लिए हाल ही में विकसित ज्ञान पोर्टल पर शुभारंभ किया गया था, जो एमएसएमई (एसआईडीएचआईईई) में ऊर्जा दक्षता पर सरलीकृत डिजिटल सौंपी गई सूचना है।
4. इस खंड में ऊर्जा दक्षता को आगे बढ़ाते हुए भारत में एमएसएमई की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कार्यालय विकास आयुक्त, एमएसएमई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
5. विश्व बैंक के माध्यम से बीईई द्वारा कार्यान्वित एमएसएमई में 'ऊर्जा वित्तपोषण क्षमता' परियोजना संपन्न हुई। यह परियोजना तीस (30) से अधिक ऊर्जा सघन एमएसएमई समूहों में कार्यान्वित की गई थी।
6. आईएसओ–50001: ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए पचास (50) से अधिक एमएसएमई को तकनीकी सहायता प्रदान की गई। एमएसएमई में राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता सम्मेलन के दौरान प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।
7. जीईएफ – यूनिडो – बीईई परियोजना अर्थात् "भारत में एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना" के लिए और 12 समूहों में बढ़ाया गया। यह परियोजना अब चौबीस (24) समूहों में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के तहत सिक्किम समूह में ऊर्जा प्रबंधन केंद्र का भी उद्घाटन किया गया।
8. समीक्षा (लघु और मध्यम उद्यम ऊर्जा दक्षता ज्ञान साझाकरण) मंच की 16वीं और 17वीं बैठक क्रमशः कोयंबटूर और नई दिल्ली में आयोजित की गई।
9. ऊर्जा दक्ष (ईई) प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में तेजी लाने के लिए एमएसएमई समूहों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रसार कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
10. वित्त वर्ष 2019–2020 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ शुरू की गईं और प्रगति पर हैं –
    - 10 ऊर्जा गहन क्षेत्रों में एमएसएमई का ऊर्जा और संसाधन मानचित्रण।
    - एमएसएमई में ऊर्जा प्रबंधन के लिए बेंचमार्किंग और विश्लेषणात्मक उपकरण का विकास
    - ऊर्जा गहन एमएसएमई क्षेत्रों के लिए ऊर्जा दक्ष (ईई) प्रौद्योगिकियों के संग्रह का विकास।
    - ऊर्जा दक्ष (ईई) प्रौद्योगिकियों पर अठारह (18) प्रायोगिक परियोजनाओं का प्रदर्शन।

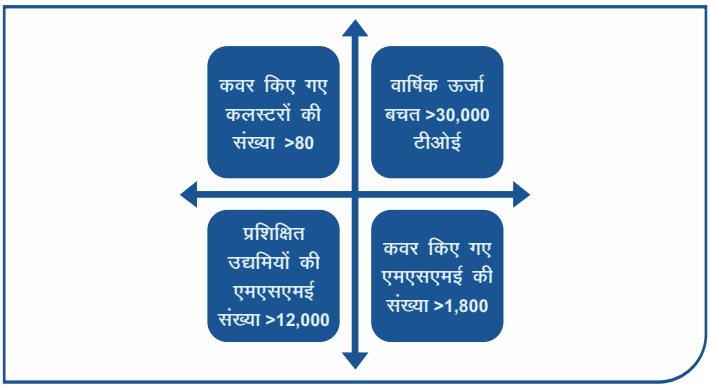

ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए राज्य की अभिहित एजेंसियों का सुदृढ़ीकरण

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 15 (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 36 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने राज्य के अंदर इस अधिनियम के प्रावधानों के समन्वय, या तो राज्य सरकार के मौजूदा विभागों में से एक को अतिरिक्त ज़िम्मेदारियां सौंपकर या ऊर्जा दक्षता के लिए समर्पित स्टैंड–अलोन एसडीए की स्थापना करके विनियमन और प्रवर्तन के लिए राज्य अभिहित एजेंसी (एसडीए) को नामित किया है।

उपलब्धियां :

एसडीए द्वारा क्षमता निर्माण गतिविधियां जैसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अधिदेश के अनुसार ऊर्जा प्रबंधकों, ऊर्जा लेखा परीक्षकों और अभिहित उपभोक्ताओं को शामिल करते हुए कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण के लाभ के बारे में सूचना के प्रचार–प्रसार और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एसडीए द्वारा अपने राज्यों में मीडिया और जागरुकता अभियान बड़े पैमाने पर चलाए गए हैं। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में स्कूलों तथा कॉलेजों में बैनर और ब्रोशर, ऊर्जा क्लब बनाकर और संवर्धनात्मक ऊर्जा सरंक्षण गतिविधियों आदि के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, जागरुकता अभियान के जरिए प्रवर्तन शामिल है। अधिकांश एसडीए में प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है तथा राज्य स्तर पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह आयोजित किए जाते हैं जिसमें उद्योगों और संस्थानों को उचित मान्यता दी जाती है जिन्होंने राज्य में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। इसके अलावा, योजना की कुछ प्रमुख सफल उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

- राज्य अभिहित एजेंसी द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग, वॉटर पंपिंग और अपशिष्ट ताप प्राप्ति के क्षेत्रों में लगभग 50 प्रदर्शन परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की गई हैं।
- एसडीए द्वारा ''आदर्श ऊर्जा दक्ष गांव अभियान'' के तहत 65 गांवों को घर के बल्ब, स्ट्रीट लाइट, पंखे, पानी के पंप आदि मौजूदा अदक्ष विद्युत उपकरणों/उपस्करों की जगह बीईई स्टार रेटेड उपकरणों को लगाकर उन्हें ऊर्जा दक्ष गाँवों में बदलने का कार्य किया गया है।
- राज्य अभिहित एजेंसी द्वारा लगभग 4500 सरकारी स्कूलों में मौजूदा पारंपरिक उपकरणों का ऊर्जा दक्ष उपकरणों के साथ प्रतिस्थापन जारी रहा है। यह प्रयास लगभग 1000 विद्यालयों में पूरा किया गया है।
- एसडीए ने अपने राज्य के अंदर लगभग 5–10 सरकारी अस्पतालों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में ऊर्जा दक्षता उपायों का कार्यान्वयन किया है। इन प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए देश भर के लगभग 100 सरकारी अस्पताल प्रगति पर हैं।
- लगभग 200 कर्मचारी एसडीए द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जो राज्य स्तर पर ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को सुविधाजनक बनाने और लागू करने में शामिल हैं।
- एसडीए ने विभिन्न पणधारकों के सामने आने वाले व्यावहारिक मुद्दों की जानकारी और प्रसार के लिए कई कार्यशालाएं / गोष्ठियां और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यशालाओं के लक्षित दर्शकों में मान्यताप्राप्त / प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक, ऊर्जा प्रबंधक, अभिहित उपभोक्ता, भवन निर्माण कार्मिक, वास्तुकार, वित्तीय संस्थान, ईएससीओ आदि शामिल हैं। इस तरह की कई कार्यशालाओं का प्रशिक्षण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य अभिहित एजेंसियों द्वारा आयोजित किया गया है।
- सभी एसडीए द्वारा राज्य में किए गए ऊर्जा दक्षता उपायों पर प्रकाश डालते हुए समर्पित वेबसाइट स्थापित की गई है। ये वेबसाइट ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और अन्य एसडीए के साथ जुड़ी है ताकि सूचना का आदान प्रदान आसानी से किया जा सके तथा राज्यों और संपूर्ण देश में ऊर्जा दक्षता प्रोन्नति से संबंधित हाल ही में किए गए विकास और नवीनतम जानकारी को शामिल करने के लिए उसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) में अंशदान

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 16 (1) में राज्य सरकारों द्वारा ऊर्जा के दक्ष उपयोग को बढ़ावा देने तथा राज्य के अंदर इसके संरक्षण के प्रयोजन से एसईसीएफ नामक एक निधि का गठन किया गया है। इस संदर्भ में 'राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) में अंशदान' नामक योजना को बीईई द्वारा नियंत्रित किया जाएगा जिसका अनुमोदन विद्युत मंत्रालय द्वारा दिया गया।

एसईसीएफ ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख बाधाओं को दूर करने की सुविधा प्रदान कर सकता है। यह बाजार में परिवर्तन के माध्यम से ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए आशयित है। एसईसीएफ के माध्यम से ऊर्जा दक्ष परियोजनाएं शुरू करने के लिए, एसईसीएफ के तहत वितरित निधि का बड़ा हिस्सा अलग–अलग निवेश निधि (आरआईएफ) के रूप में लगाया जाना है। इस आरआईएफ का उपयोग सार्वजनिक भवनों में ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जा सकता है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रमों / एजेंसियों की इमारतें, ऊर्जा दक्ष स्ट्रीट–लाइटिंग या सामान्य क्षेत्र प्रकाश परियोजनाएं, सार्वजनिक पेयजल पंपिंग स्टेशन में और कृषि पंपिंग में ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं और एमएसएमई क्लस्टर आदि शामिल हैं।

एसईसीएफ के तहत योगदान उन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के लिए किया जाता है जिन्होंने अपना एसईसीएफ बनाया है और उसी के संचालन के लिए नियमों और विनियमों को अंतिम रूप दिया है। यह योजना सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में योगदान के लिए है, जिसमें किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 4.00 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा है जिसे 2.00 करोड़ रुपए प्रत्येक की 2 किश्तों में मुहैया कराया जाता है। एसईसीएफ में योगदान के तहत 2.00 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त केवल उन राज्यों को प्रदान की जाती है जिन्होंने बीईई द्वारा प्रदान किए गए 2.00 करोड़ रुपए की पहली किस्त के समकक्ष योगदान किया है। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि पूर्वोत्तर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया गया समकक्ष योगदान 2.0 करोड़ रु. के बजाय 25.0 लाख रु. है।

उपलब्धियां :

एसईसीएफ का गठन 31 राज्यों में किया गया है, जिसमें से 26 राज्यों ने समकक्ष योगदान प्रदान किया है।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और चित्रकला प्रतियोगिता

विद्युत मंत्रालय की ओर से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार हर साल 14 दिसम्बर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के साथ सम्मानित करके औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों के प्रयासों को बढ़ावा देते हैं और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

यह पुरस्कार पहली बार 14 दिसंबर, 1991 को दिया गया था, जिसे ''राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस'' के रूप में घोषित किया गया था। तब से, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण

पुरस्कार (एनईसीए) सभी पणधारकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है और साल दर साल भागीदारी में वृद्धि देखी गई है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और उच्चतम पदाधिकारियों जैसे महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधान मंत्री और माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

एनईसीए 2019 में इस वर्ष, माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं।

उपलब्धियां:

- 2017 से, तीन साल के रोलिंग चक्र पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि कुछ क्षेत्रों को हर साल भाग लेने की अनुमति है और प्रत्येक क्षेत्र को तीन साल के ब्लॉक के अंदर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा।
- पहली बार, एनईसीए पोर्टल (**www.bee-neca.in**) के माध्यम से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2019 के लिए आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए गए थे। एनईसीए–2019 में 355 औद्योगिक इकाइयों, प्रतिष्ठानों और संगठनों ने भाग लिया।
- पुरस्कार के लिए अपने आवेदनों के माध्यम से बताई गई बचत 10566 मिलियन यूनिट की वार्षिक विद्युत ऊर्जा बचत को दर्शाती है जिसका अर्थ है 17.3 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के जीएचजी उत्सर्जन में कमी आना।

स्कूली बच्चों के लिए ऊर्जा संरक्षण पर चित्रकला प्रतियोगिता

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने दो श्रेणियों में ऊर्जा संरक्षण पर एक राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया था। समूह 'क' के तहत चौथी, पांचवीं और छठी कक्षा के छात्र और 'ख' समूह के तहत सातवीं, आठवीं और नौवीं कक्षा के छात्रों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्रता थी। सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से लगभग 85 लाख छात्रों ने भाग लिया। विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत 12 सीपीएसयू ने अपने नामांकित नोडल अधिकारियों के माध्यम से इस योजना की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए सक्रिय समर्थन प्रदान किया था। प्रतियोगिता तीन चरणों में आयोजित की जाती है, अर्थात् स्कूल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर।

माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री से पुरस्कार प्राप्त करते एक पुरस्कार विजेता

- **स्कूल** : स्कूलों के प्रधानाचार्यों से अनुरोध किया गया था कि वे स्कूल स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वेब पोर्टल **www.bee-studentsaward.in** पर अपने स्कूलों को पंजीकृत करें। स्कूल प्रधानाचार्यों ने प्रत्येक श्रेणी 'क' और 'ख' से 2 सर्वश्रेष्ठ चित्रों का चयन किया और उन्हें वेब पोर्टल पर अपलोड किया था।
- **राज्य** : स्कूल स्तर की प्रतियोगिता के लिए गठित किए गए निर्णायक मंडल द्वारा अलग–अलग श्रेणियों 'क' और 'ख' के छात्रों के 50 चित्रों का चयन किया गया था और उन्हें 14 नवंबर, 2019 को दो घंटे में उसी स्थान पर चित्र बनाने की चित्रकला प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रत्येक 'क' और 'ख' श्रेणियों के प्रतिभागी छात्रों को 2000 रुपए नकद और एक भागीदारी प्रमाण पत्र दिया गया था। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के विजेताओं के बीच 63 लाख रुपए की राशि के नकद पुरस्कार वितरित किए गए।
- **राष्ट्रीय** : प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र से समूह 'क' और 'ख' की राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को 12 दिसंबर, 2019 को आयोजित होने वाली "राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता" में भाग लेने के लिए दिल्ली आमंत्रित किया गया था। प्रख्यात ज्यूरी ने प्रत्येक श्रेणी से प्रथम, द्वितीय और तृतीय तथा 10 सांत्वना विजेताओं का चयन किया। श्री आर. के. सिंह, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और माननीय राज्य मंत्री कौशल विकास और उद्यमशीलता द्वारा 14 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के दोनों वर्गों के विजेताओं को 6.60 लाख रुपए और 6 लैपटॉप का नकद पुरस्कार दिया गया।

राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई)

राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत आठ मिशनों में से एक है। एनएमईईई का लक्ष्य प्रेरक विनियामक और नीतिगत व्यवस्था के सृजन द्वारा ऊर्जा दक्षता का बाजार मजबूत बनाना है तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्र के लिए नवाचारी और स्थायी व्यापार मॉडलों के पोषण की संकल्पना की गई है।

एनएमईईई ऊर्जा सघन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के चार प्रयास करता है, जो इस प्रकार हैं :

(i) **निष्पादन उपलब्धि और व्यापार योजना (पीएटी),** एक विनियामक साधन, जो ऊर्जा सघन उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी लाने के साथ

माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के साथ राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता।

माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
को अपनी चित्रकला के बारे में समझाती एक बच्ची।

अतिरिक्त ऊर्जा बचत के प्रमाणन के माध्यम से लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए बाजार आधारित प्रक्रिया के साथ जुड़ा है, जिनका व्यापार भी किया जा सकता है।

(ii) **ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार रूपांतरण (एमटीईई),** यह उत्पादों को अधिक वहनीय बनाने के लिए नवाचारी उपायों के माध्यम से अभिहित क्षेत्रों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों की ओर विस्थापन में तीव्रता लाना है।

(iii) **ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण मंच (ईईएफपी),** यह भावी ऊर्जा बचत को समेकित करते हुए सभी क्षेत्रों में मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों के निधिकरण में सहायता देने वाली प्रक्रियाओं का सृजन है।

(iv) **ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास के लिए रूपरेखा (एफईईईडी),** यह ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने के लिए राजकोषीय उपकरण का विकास है।

उपलब्धियां:

(i) निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार योजना (पीएटी):

- निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना बड़े ऊर्जा सघन उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) में कमी के उद्देश्य से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इन उद्योगों द्वारा बचाई गई ऊर्जा को ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ईसर्ट्स) नामक व्यापार योग्य उपकरणों में परिवर्तित किया जाता है और इनका कारोबार विद्युत एक्सचेंज में किया जाता है।
- पीएटी चक्र–I के पूरा होने पर 8.67 मिलियन टन तेल समकक्ष (एमटीओई) की ऊर्जा बचत के साथ, लगभग 13 लाख ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र (ईसर्ट्स) का कारोबार में अनुपालन के लिए 100 करोड़ रु., पीएटी चक्र– II को 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी किया गया था। पीएटी चक्र–II, जिसके तहत 11 क्षेत्रों (पीएटी चक्र–I के आठ क्षेत्र और 3 नए क्षेत्र) के 621 अभिहित उपभोक्ताओं को 8.869 एमटीओई पर कुल लक्ष्य के साथ अधिसूचित किया गया था। पीएटी चक्र– II 31 मार्च, 2019 को पूरा हो चुका है। पीएटी चक्र–II के डीसी द्वारा प्राप्त ऊर्जा बचत का सत्यापन प्रक्रियाधीन है।
- पीएटी चक्र– III, IV और V जो क्रमशः 2017, 2018 और 2019 से शुरू हुए हैं, प्रक्रियाधीन हैं। कुल 335 अभिहित उपभोक्ता, अधिसूचित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाने की प्रक्रिया में हैं। यह परिकल्पना की गई है कि 2022 तक, पीएटी योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से, इस योजना के तहत लगभग 20 एमटीओई की कुल ऊर्जा बचत प्राप्त की जाएगी जो लगभग 70 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बचाने में भी रूपांतरित होगी।
- इस बीच, पीएटी योजना की व्यापक प्रक्रिया के तहत, बीईई ने व्यवहार्यता अध्ययन भी किया है। अध्ययन के माध्यम से, चीनी, रसायन, गैर–लौह धातु, सेरेमिक और खनन जैसे क्षेत्रों को भविष्य के चक्रों में पीएटी योजना के तहत शामिल करने के लिए बीईई द्वारा चिह्नित किया गया है।

(ii) ऊर्जा दक्षता हेतु बाजार रूपांतरण (एमटीईई)

- राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) के तहत इस प्रयास का लक्ष्य अभिहित क्षेत्रों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों की ओर विस्थापन में तेजी लाना है, जिसके लिए नवाचारी उपायों द्वारा उत्पादों को अधिक किफायती बनाया जाना है।

(iii) ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास रूपरेखा (एफईईईडी)

- ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास रूपरेखा (एफईईईडी) में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय साधनों के विकास सहित नवाचारी राजकोषीय साधन और नीतिगत उपाय शामिल हैं, जैसे ऊर्जा दक्षता हेतु आंशिक जोखिम गारंटी निधि (पीआरजीएफईई) और ऊर्जा दक्षता हेतु उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफईई)।

▶ **ऊर्जा दक्षता हेतु आंशिक जोखिम गारंटी निधि (पीआरजीएफईई)**

ऊर्जा दक्षता हेतु आंशिक जोखिम गारंटी निधि (पीआरजीएफईई) ऊर्जा दक्ष परियोजना के लिए वित्तीय संस्थानों (बैंकों और एनबीएफसी) को ऋण विस्तारित करने में शामिल जोखिम के आंशिक कवरेज सहित जोखिम बांटने की प्रक्रिया है। यह गारंटी प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपए या ऋण राशि की 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, इनमें से जो भी कम हों। भारत सरकार ने पीआरजीएफईई के लिए 312 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है। पीआरजीएफईई के तहत सरकारी भवनों, निजी भवनों, वाणिज्यिक या बहुमंजिला रिहायशी आवास, नगर पालिकाओं, एसएमई और उद्योग क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।

उपलब्धियां:

- आंध्रा बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी बैंक, टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड और इंडसइंड बैंक को भाग लेने वाले वित्तीय संस्थानों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- पीआरजीएफईई के नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है।
- पीआरजीएफईई के लिए परिचालन मैन्युअल को पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।

▶ **ऊर्जा दक्षता हेतु उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफईई)**

ऊर्जा दक्षता हेतु उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफईई) ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के

लिए इक्विटी पूंजी प्रदान करता है। निधि द्वारा कोई एकल निवेश 2 करोड़ भारतीय रुपए से अधिक नहीं होगा। निधि द्वारा विशिष्ट ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों को अधिकतम 15 प्रतिशत तक सीमित, अथवा अंतिम बिंदु इक्विटी सहायता विशेश प्रयोजन वाहन के माध्यम से या 2 करोड़ भारतीय रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, इनमें से जो भी कम हो। वीसीएफईई के तहत शामिल किए गए क्षेत्र हैं सरकारी भवनों, निजी भवनों और नगर पालिकाएं। वीसीएफईई के तहत केवल सरकारी भवनों, निजी भवनों (वाणिज्यिक अथवा बहुमंजिले आवासीय भवनों) और नगर पालिकाओं को ही सहायता मुहैया कराई गई है।

उपलब्धियां:

- वीसीएफईई न्यास का गठन भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के तहत किया गया है, न्यास विलेख को अधिकारिता उप–रजिस्ट्रार दिल्ली सरकार के साथ पंजीकृत किया गया था।
- वीसीएफईई के लिए न्यासी बोर्ड का गठन किया गया है।
- वीसीएफईई नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है।

(iv) ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण मंच (ईईएफपी)

ईईएफपी, एनएमईईई के तहत एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिसका उद्देश्य ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संस्थानों और परियोजना विकासकों के बीच मेलजोल का एक मंच प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत ऊर्जा दक्ष बाजारों से जुड़े मुद्दों की पहचान के लिए और ऊर्जा दक्ष बाजार के विकास हेतु मिलकर कार्य करने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोशण को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने मैसर्स पीटीसी इंडिया लि., मैसर्स सिडबी, मैसर्स टाटा कैपिटल और मैसर्स आईएफसीआई लि. के साथ पहले से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

वित्तीय संस्थानों की क्षमता निर्माण के लिए बीईई ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऊर्जा दक्षता निधिकरण पर ट्रेडिंग कार्यक्रम हेतु भारतीय बैंक संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य 'ऊर्जा दक्ष निधिकरण पर वित्तीय क्षेत्र के अंदर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से अधिक ज्ञान और विश्वास निर्मित करना' है। पहले चरण में बीईई द्वारा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) की चार कार्यशालाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। बीईई द्वारा इन प्रशिक्षण कार्यशालाओं के दूसरे चरण आरंभ किए गए हैं ताकि ऋण देने वाले अधिकारियों / जोखिम प्रबंधकों / ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के तकनीकी / वित्तीय मूल्य निरूपण के प्रति क्रेडिट प्रबंधकों को जागरुक बनाया जा सके। इस कार्यक्रम के तहत ऊर्जा दक्षता निधिकरण पर 650 से अधिक बैंकिंग / एनबीएफसी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

प्रकाशन निम्नलिखित हैं :

- भारत में ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण के लिए प्रशिक्षण मैनुअल।
- भारत में वित्तपोषित ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए सफलता की कहानियां।
- ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम गारंटी फंड के लिए बाजार मूल्यांकन और ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजीगत निधि।
- भारत में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश।

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा किए गए प्रयास – 31 दिसंबर 2019 तक प्रगति

1. **उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उजाला) :**
   - ईईएसएल ने 31 दिसंबर 2019 तक पूरे भारत में 36.13 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 46.92 बिलियन किलोवॉट घंटा की अनुमानित ऊर्जा बचत के साथ 9,394 मेगावॉट की पीक मांग रोकी गई और जीएचजी उत्सर्जन में 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष की अनुमानित कमी आई।
   - इसके अतिरिक्त, ईईएसएल ने 71.65 लाख एलईडी ट्यूबलाइट और 23.13 लाख ऊर्जा दक्ष पंखे वितरित किए हैं।
2. **स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) :** ईईएसएल ने 31 दिसंबर 2019 तक पूरे भारत में 1.03 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। इसके परिणामस्वरूप 6.97 बिलियन किलोवॉट घंटा प्रति वर्ष की पीक मांग के साथ 1,161 मेगावॉट की अनुमानित ऊर्जा बचत हुई है और जीएचजी उत्सर्जन में अनुमानित 4.80 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष की कमी आई।
3. **भवन ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (बीईईपी) :** ईईएसएल ने 31 दिसंबर 2019 तक रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों सहित 10,310 भवनों में भवन ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को पूरा किया है। इन इमारतों के ऊर्जा ऑडिट में 30–50 प्रतिशत तक की ऊर्जा बचत क्षमता दिखाई देती है। इन इमारतों में प्रमुख हस्तक्षेप लाइटिंग और एयरकंडिशनिंग सिस्टम के क्षेत्र में किए गए हैं।
4. **कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजीडीएसएम) :** ईईएसएल पुराने पंपों की जगह बीईई के 5 स्टार रेटेड पंपों के प्रतिस्थापन के लिए एजीडीएसएम कार्यान्वित कर रहा है। ईईएसएल ने 31 दिसंबर 2019 तक 73,600 पंप आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में लगाए हैं।
5. **राष्ट्रीय ई–गतिशीलता कार्यक्रम :**
   - इस कार्यक्रम के तहत, 31 दिसंबर 2019 तक 1,510 ई–कारों का परिनियोजन / पंजीकरण किया गया है। ई–कारों को चार्ज करने के लिए, 300 एसी और 170 डीसी केप्टिव चार्जर भी दिए गए हैं।
   - ईईएसएल ने ई–कारों के परिनियोजन के लिए विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी विभागों, राज्य सरकारों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग मूल संरचना :

- ईईएसएल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र से सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना शुरू की है। 31 दिसंबर 2019 तक 65 नग डीसी–001

(15 कि.वॉ.) का अनुपालन करने वाले सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) को आरंभ कर दिया गया है।

- ईईएसएल ने अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी), नोएडा प्राधिकरण, चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएमआरसीएल), जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (जेएमआरसीएल), ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) और आयुक्त, निदेशक, नगरपालिका प्रशासन (सीडीएमए), न्यू टाउन कोलकाता विकास प्राधिकरण और कलिंग विश्वविद्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) केसाथ संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) के विकास के लिए समझौता ज्ञापन / करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

6. स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएमएनपी) :

- ईईएसएल ने जनोपयोगिताओं को पारंपरिक मीटर के प्रतिस्थापन के लिए किराए के आधार पर स्मार्ट मीटर प्रदान करने की पहल की है। अब तक, ईईएसएल ने आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, एनडीएमसी–दिल्ली और तेलंगाना राज्यों के साथ स्मार्ट मीटर के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ईईएसएल ने 1.5 करोड़ स्मार्ट मीटर और सिस्टम इंटीग्रेटर की खरीद प्रक्रिया पूरी कर ली है।
- 31 दिसंबर 2019 तक, 9.44 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और एनडीएमसी–दिल्ली राज्यों में स्थापित किए गए हैं
- ईईएसएल की स्मार्ट मीटरिंग परियोजना द्वारा, एनडीएमसी किसी भी अग्रिम निवेश के बिना, स्मार्ट मीटर वाले सभी उपभोक्ताओं वाली पहली जनोपयोगिता बन गई हैं

7. लघु सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यक्रम :

- ईईएसएल और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (एमएसईडीसीएल) के बीच पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो एमएसईडीसीएल, महाराष्ट्र की खाली / अप्रयुक्त / अतिरिक्त भूमि में 0. 3 मेगावॉट से 10 मेगावॉट तक की क्षमता के साथ 200 मेगावॉट की विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किए गए हैं।
- 31 दिसंबर 2019 तक लगभग 60 मेगावॉट पीक की अनुमानित संचयी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र कमीशन / स्थापित किए गए हैं।

8. अटल ज्योति योजना (अजय) चरण I और II :

- ईईएसएल ने अजय चरण– I और II के तहत 31 दिसंबर 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1.50 लाख सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं।

9. 70 लाख सोलर स्टडी लैम्प योजना : ईईएसएल ने 31 दिसंबर 2019 तक उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, ओडिशा और झारखंड के राज्यों में स्कूल जाने वाले बच्चों को 60 लाख सोलर स्टडी लैंप का वितरण किया है।

इलैक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों/क्लीन मोबिलिटी सोल्यूशनों के लिए देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना को प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में **चार्जिंग अवसंरचना तैयार करने की आवश्यकता अभिज्ञात की तथा विद्युत मंत्रालय चार्जिंग अवसंरचना की तैयारी** को सरल बनाने की भूमिका का सुझाव दिया। इस संबंध में, नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए चार्जिंग अवसंरचना हेतु ब्यौरे को अंतिम रूप देने के लिए सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में समिति गठित की थी।

विद्युत मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई

विद्युत मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना की तैयारी को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:

i. इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना संबंधी स्पष्टीकरण:

विद्युत मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के संदर्भ में 13.04.2018 को इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना पर स्पष्टीकरण जारी किए हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग के लिए बैटरी चार्ज करने की गतिविधि के दौरान चार्जिंग स्टेशन पारेषण, वितरण अथवा विद्युत का व्यापार जैसे कार्यकलाप निष्पादित नहीं करता है जिनके लिए अधिनियम (विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 12 के विधान में) के प्रावधानों के अंतर्गत लाइसेंस आवश्यक होता है। अतः विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी चार्ज करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है।

ii. ग्रिड कनेक्टिविटी तथा सुरक्षा विनियम

चार्जिंग स्टेशनों के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी तथा आपूर्ति की सुरक्षा के संबंध में सीईए ने निम्नलिखित विनियमों के लिए संशोधन प्रारूप तैयार किए हैं।

क. **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित उत्पादन स्रोतों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानदण्ड) विनियम, 2019।**

ख. **केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी कार्य) विनियम, 2019।**

इसके अलावा, सीईए द्वारा चार्जिंग स्टेशनों की संस्थापना हेतु डिस्कोमों को प्रदान की जा रही सूचना हेतु प्रोटोकॉल जारी किया है।

iii. टैरिफ नीति, 2018 प्रारूप में संशोधन

डिस्कॉमों द्वारा चार्जिंग स्टेशनों से वसूल किए जाने वाले टैरिफ के मामले का समाधान करने के लिए टैरिफ नीति, 2018 प्रारूप में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। टैरिफ नीति, 2018 प्रारूप में निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।

क. टैरिफ टाइम ऑफ डे (टीओडी) आधारित होगी।

ख. औसतन टैरिफ औसतन आपूर्ति लागत के बराबर होगा।

ग. दिनांक 31.03.2022 तक ई वी चार्जिंग स्टेशनों के लिए खपत आधारित सिंगल पार्ट टैरिफ और उसके बाद राज्य आयोग द्वारा समीक्षा।

iv. दिशा–निर्देश तथा मानक

विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.12.2018 को विद्युत मंत्रालय संपर्क संख्या–12/2/2018–ईवी के माध्यम से ''इलैकट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना–दिशा–निर्देश एवं मानक'' जारी किए गए हैं। संशोधित दिशा–निर्देश 01.10.2019 को जारी किए गए थे। दिशा–निर्देशों के निर्धारण में विभिन्न निजी निकायों, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार, मंत्रालयों/विभागों, नीति आयोग इत्यादि के साथ बहु–पणधारकों का परामर्श शामिल था। मुख्य राज्यों (महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात) को उनके विचार तथा टिप्पणियों के लिए चर्चा पत्र परिचालित किया गया था। ''इलैक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना–दिशानिर्देश एवं मानक'' सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारी उद्योग विभाग, औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग तथा नीति आयोग को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु परिचालित किए गए थे तथा सभी पणधारकों की टिप्पणियों पर विचार–विमर्श करने के बाद दिशानिर्देश जारी किए गए थे। दिनांक 01.10.2019 को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी ''इलैक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना– संशोधित दिशानिर्देश एवं मानक'' की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है:

मामले	दिशानिर्देशों एवं मानकों हेतु प्रावधान
चार्जर टाइप	• बाज़ार जरूरतों के अनुसार पी सी एस मालिकों को चार्जर लगाने की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मानकों (जैसे सी सी एस, सीएचएडीएमओ, टाइप–2 ए सी , भारत ए सी 001) के अलग अलग चार्जरों हेतु दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट किया है।
केन्द्रीय नोडल एजेन्सी	• ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
राज्य नोडल एजेन्सी	• 20 राज्य सरकारों ने समय समय पर संशोधित अपने अपने राज्यों के लिए एस एन ए को नामित किया है।
चार्जिंग हेतु ई वी उपभोक्ताओं से वसूली	• डिस्कॉमों से चार्जिंग स्टेशनों तक टैरिफ : विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 3 के अंतर्गत टैरिफ नीति के अनुसार • चार्जिंग स्टेशनों से मालिकों के लिए सेवा शुल्कः चार्जिंग स्टेशनों की संस्थापना हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के मामलों में राज्य नोडल एजेन्सी/राज्य सरकार/उचित आयोग द्वारा सेवा शुल्क की उच्चतम सीमा निर्धारित की जाती है। • घरों में ई वी चार्जिंग हेतु घरेलू टैरिफ
रेंज एंग्जायटी	• राजमार्ग/सड़कों के प्रति 25 किलोमीटर पर और 3 किमी x 3 किमी ग्रिड पर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होना चाहिए। • घरों और कार्यालयों में निजी चार्जिंग की अनुमति दी जाए और डिस्कॉमों को उसकी सुविधा देनी चाहिए।
चरण वार संस्थापना	• चरण–I (1–3 वर्ष)– 4 मिलियन से अधिक शहर तथा कनेक्टिड एक्सप्रेस–वे/मुख्य राजमार्ग का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। • चरण–II (3–5 वर्ष)– राज्यों की राजधानी, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यालय तथा मुख्य कनेक्टिड राजमार्गों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए।

अन्य मंत्रालयों द्वारा की गई कार्रवाई

i. फेम इण्डिया योजना के चरण–II

भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) ने फेम इण्डिया योजना के चरण–II के संबंध में 28 मार्च, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी की है। योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रोत्साहन तथा निधियां उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना इलैक्ट्रिक वाहनों हेतु चार्जिंग अवसंरचना की संस्थापना के लिए प्रोत्साहन तथा निधियाँ प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत इलैक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग अवसंरचना की संस्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपये प्रदान किया है। डीएचआई द्वारा चार्जिंग अवसंरचना की संस्थापना हेतु फेम II के अंतर्गत सब्सिडी अनुदान के लिए ईओआई जारी किया है। ईओआई और चयनित बोलीकर्ताओं से प्राप्त प्रस्तावों का सार निम्नलिखित है:

	आवेदन किया गया	चयनित
बोलीकर्ताओं की संख्या	106	19
शहरों की संख्या	95	62
कुल चार्जिंग स्टेशनों की संख्या	4140	2636

ii. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी संशोधन:

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना में सरलीकरण लाने के लिए निम्नलिखित संशोधन जारी किए हैं:

I. इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना हेतु मॉडल बिल्डिंग बाई–लॉ (एमबीबीएल–2016) में संशोधन।

II. इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना हेतु शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना नियमन एवं कार्यान्वयन दिशानिर्देश (यूआरडीपीएफआई–2014)।

एनटीपीसी द्वारा की गई कार्रवाई

एनटीपीसी भारत सरकार की बिजली की गतिशीलता को तेजी से अपनाने वाली पहल का समर्थन कर रहा है। ई–मोबिलिटी की पारिस्थितकी तंत्र में, एनटीपीसी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जरों की स्थापना, प्रचालन तथा रखरखाव और संपूर्ण भारत में सभी प्रकार के वाहनों के लिए इससे संबंधित अवसंरचना जिसके साथ ''चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट'' और ''चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और व्हीकल इंडिपेडेंट ऑफ ईच ऑथर'' जैसे अवधारणाओं का अनुपालन करते है।

चार्जिंग अवसंरचना विकास की ओर एनटीपीसी द्वारा पहल:

- इलेक्टिक गतिशीलता को और तेजी से अपनाने हेतु एनटीपीसी राज्य नोडल एजेंसियों, शहरी स्थानीय निकायों, प्रमुख समूहकों, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी भागीदारों, राज्य/शहरी परिवहन निगमों के सहयोग से काम कर रही है।
- संबंधित शहरों/राज्यों में चार्जिंग अवसंरचना का सृजन करने हेतु जबलपुर, भोपाल, नवी मुम्बई, असम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सहयोग से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
- प्रमुख तेल कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना– आईओसीएल और एचपीसीएल के साथ उनके मौजूदा पैट्रोल पंपों में इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु चार्जिंग अवसंरचना का सृजन।
- उनके सभी स्टेशनों क्षेत्रीय और कॉरपोरेट कार्यालयों में ईवी चार्जरों की संस्थापना। वर्तमान में दिल्ली एनसीआर में उनके अधिकारियों द्वारा 20 इलेक्ट्रिक कारों का उपयोग किया जा रहा है।
- 400 चार्जिंग स्टेशनों की खरीद हेतु प्राधिकार पत्र जारी किया है (भारत चार्जिंग मानकों के अनुरूप)। इन चार्जरों को मार्च, 2017 तक कई शहरों में सार्वजनिक चार्जरों के रूप में स्थापित करने की योजना है।
- अब तक दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, भोपाल और विशाखापट्टनम में 57 चार्जरों की स्थापना की है, जिसमें 25 चार्जर परिचालन में हैं।
- एनटीपीसी ने डीएचआई द्वारा जारी रूची प्रकटन में भाग लिया है और वर्ष 2020–21 के दौरान कई राज्यों में लगभग 2500 चार्जरों की स्थापना करने की योजना बनाई है।

ईईएसएल द्वारा की गई कार्रवाई

- ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल), इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग अवसंरचना का विकास कर रही है और विभिन्न नगर पालिकाओं के विभिन्न पणधारकों के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर करके डिस्कॉमों हेतु स्थानीय मूल्यांकन निगम (एएमसी), ग्रेटर हैदराबाद नगर पालिका निगम (जीएचएमसी), नगर पालिका प्रशासन आयुक्त और निदेशक, तेलंगाना सरकार, चेन्नई मैट्रो रेल कॉरपोरेशन (सीएमआरएल), जयपुर मैट्रो रेल कॉरपोरेशन (जेएमआरएल), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा), मैसर्स अपोलो इंटरप्राइसेज लिमिटेड (अपोलो हॉस्पिटल), महाराष्ट्र रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (महा मैट्रो), पीडब्ल्यूडी महाराष्ट्र, नया रायपुर में कलिंगा विश्वविद्यालय, नया कोलकाता विकास प्राधिकरण, बीएसएनएल और सीएफसी ई–गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड में चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना।
- ईईएसएल ब्लूस्मार्ट, मेरु केब्स, ओला आदि फ्लीट ऑपरेटरों से जुड़कर ई–कार पट्टे पर ले रहे हैं, जिसके फलस्वरूप चार्जरों के उपयोग में वृद्धि होगी।
- ईईएसएल ईवी चार्जिंग अवसंरचना हबों के निर्माण की भी योजना बना रही हैं।
- ईईएसएल ने 27 नवंबर, 2019 को एसडीएमसी के साथ एसडीएमसी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग हेतु संबंधित अवसंरचना तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग इकाइयों की स्थापना, करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
- अब तक ईईएसएल द्वारा संस्थापित चार्जिंग स्टेशनों की संख्या : 66
- ईईएसएल द्वारा कितने चार्जिंग स्टेशनों को लगाने का प्रस्ताव है : 17

बीईई द्वारा की गई कार्रवाई

- बीईई को दिनांक 01.10.2019 को जारी संशोधित दिशानिर्देश और मानकों के अनुसार – इलेक्ट्रिक व्हीकल हेतु चार्जिंग अवसंरचना के प्रावधानों के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
- सीईएम के ईवी पहल के अंतर्गत ईवी 30/30 अभियान के लिए विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को नोडल एजेंसी नामित किया है।
- बीईई ने ईवी 30/30 अभियान के अंतर्गत लखनऊ, नागपुर और दिल्ली को प्राद्योगिक शहरों के रूप में चिन्हित किया है, जो कि ईवीआई पायलट सिटी कार्यक्रम की एक पहल है।

- फेम II के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना हेतु सब्सिडी प्रदान करने के लिए डीएचआई द्वारा जारी ईओआई के संदर्भ में प्राप्त प्रस्तावों के अनुवीक्षण के लिए बीईई को तकनीकी समिति में शामिल किया गया है। बीईई ने प्रस्तावों की अनुवीक्षा की और इस अनुवीक्षा के बाद जांच करके डीएचआई को प्रस्तुत किया जिसकी फेम हेतु परियोजना कार्यान्वयन और मंजूरी समिति की बैठक (पीआईएससी) में चर्चा की गई।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 11.11.2019 के पत्र के संदर्भ में बीईई से वाहनों के फायदों के बारे में सार्वजनिक तौर पर जारूकता बढ़ाने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के संबंध में आम जनता को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रव्यापी मीडिया अभियान ''गो इलेक्ट्रिक'' चलाने को कहा गया था।
- बीईई ने दिनांक 19 नवंबर, 2019 को ''इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना हेतु नीतिगत रूपरेखा तैयार करना'' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है जो कि ईवीएसई से संबंधित पणधारकों, सेवा प्रदाताओं और राष्ट्रीय नोडल एजेंसियों के लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं, नीतियों, विनियामक कार्यढांचा आदि को समझने तथा ज्ञान साझा करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच बन गया था।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी और
विद्युत राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राज कुमार सिंह

विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

विद्युत मंत्रालय

1. **निजी क्षेत्र संबंधी नीति :**

   विद्युत मंत्रालय ने भारत के विद्युत क्षेत्र मानचित्र में निजी क्षेत्र निवेश के तथ्य को स्वीकार किया है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत उत्पादन तथा पारेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के विनिर्देश हैं। निजी निवेशकों के लिए परिवेश सुलभ बनाने के लिए टैरिफ नीति के तहत टैरिफ संरचना तथा सीधी पहुंच का प्रावधान किया गया है।

   विद्युत संयंत्र की स्थापना करना एक लाइसेंसमुक्त कार्य है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई उत्पादन कंपनी, यदि वह ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है तो वह लाइसेंस/अनुमति प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण कर सकती है।

2. **परियोजना विकास की प्रक्रिया सरल करने के लिए मुख्य नीतिगत पहलः**

   क्षमता अभिवृद्धि में तेजी लाने के लिए विद्युत मंत्रालय ने कई नीतिगत पहलें की हैं। निम्नलिखित नीतियों से इस उद्योग में निजी प्रतिभागियों के विश्वास में वृद्धि हुई हैः

   - राष्ट्रीय विद्युत नीति
   - अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट पॉलिसी
   - मेगा पावर पॉलिसी
   - टैरिफ पॉलिसी

3. **विद्युत क्षेत्र मेंः एफ.डी.आई.**

   निवेश की मात्रा पर कोई परिसीमा लगाए बिना विद्युत क्षेत्र में (नाभिकीय ऊर्जा को छोड़कर) उत्पादन, पारेषण तथा वितरण और विपणन में 100% विदेशी इक्विटी के लिए स्वतः अनुमोदन (आरबीआई रूट) की अनुमति है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा नीति में सीईआरसी (विद्युत बाजार) विनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत पावर एक्सचेंजों में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 49% एफडीआई की व्यवस्था है। तथापि, एफआईआई/एफपीआई खरीद केवल गौण बाजार के लिए प्रतिबंधित की गई थी। अब इस प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है जिससे सेकेन्डरी मार्केट के जरिए भी विद्युत एक्सचेंजों में निवेश हेतु एफआईआई/एफपीआई की अनुमति होगी।

नीपको

120 मेगावाट डिब्बिन जल विद्युत परियोजना, अरूणाचल प्रदेश :

नीपको ने अरूणाचल प्रदेश में 120 मेगावाट डिब्बिन जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने हेतु 12 जून, 2014 को मैसर्स केएसके एनर्जी वेंचर्स लि. के साथ भागीदारी करार (एसएचए) पर हस्ताक्षर किया है। इस संबध में, नीपको एवं केएसकेईवीएल के बीच क्रमशः 30% और 70% की इक्विटी भागीदारी में एक एसपीवी अर्थात् केएसके डिब्बिन जल विद्युत प्रा.लि. (केएसकेडीएचपीपीएल) का सृजन किया गया। 2009 में इस परियोजना को टीईसी के रूप में मान्यता दी गई थी। हालाँकि, टीईसी बिचोम बेसिन अध्ययन रिपोर्ट में प्रस्तुत ई–फ्लो की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए टीईसी के अनुसार डिजाइन ऊर्जा को घटाकर 371 एमयू से 295 एमयू कर दिया गया जिससे परियोजना की व्यावसायिक व्यवहार्यता प्रभावित हो गई। परियोजना की व्यवहार्यता को पुनः प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकल्पों के साथ किए गए प्रयास सफल नहीं हुए।

तदनुसार, अनुरोध पर सीईए ने मामले की जांच की। सीईए द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, केएसके साइट विशिष्ट ई–प्रवाह अध्ययन कर रहा है। जब कि, सीईए ने बताया कि परियोजना की संस्थापित क्षमता लगभग 80 मेगावाट तक कम हो सकती है, तथापि,एमओईएफ और सीसी द्वारा अनुमोदन से साइट विशिष्ट ई–फ्लो अध्ययन विषय के उत्पादन के आधार पर बदल सकती है।

पारेषण

1. भारत में विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करना विद्युत अधिनियम, 2003 के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसार और दिनांक 06 जनवरी, 2006 की प्रशुल्क नीति के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय ने ''पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश और पारेषण सेवाओं के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देश'' जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया माध्यम से प्रशुल्क निर्धारण और पारेषण सेवाएं प्रदान करने में व्यापक प्रतिभागिता के माध्यम से पारेषण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित करना है।
2. दिशानिर्देशों में परिकल्पना किए गए अनुसार विद्युत मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया की देखरेख करने और बोली प्रकिया के माध्यम से अभिचिन्हित अंतर–राज्य पारेषण परियोजनाओं को तैयार किए जाने हेतु पारेषण संबंधी एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की थी। विद्युत मंत्रालय ने मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) अर्थात अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू), प्रस्ताव के लिए अनुरोध (एफआरपी), पारेषण सेवा करार (टीएसए) और साझा क्रय करार (एसपीए) भी जारी किए हैं। दिशानिर्देश में प्रदान किए गए अनुसार, विद्युत मंत्रालय ने बोली प्रक्रिया के निष्पादन के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) को नियुक्त किया है।
3. इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने 06 जनवरी, 2006 की टैरिफ नीति में निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन में 09 दिसम्बर, 2010 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जिसमें यह प्रावधान है कि 06 जनवारी, 2011 से, विद्युत मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित कुछ परियोजनाओं के अलावा जो कम्प्रेस्ड टाइम शेड्यूल के अंतर्गत सीटीयू द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी, सभी आईएसटीएस पारेषण परियोजनाएं टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कार्यान्वित की जाएंगी।
4. विद्युत मंत्रालय द्वारा 28 जनवरी, 2016 को जारी की गई संशोधित टैरिफ नीति में निम्नलिखित प्रावधान हैं :

   खण्ड 5.3 : केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन अथवा इसके स्वामित्व वाली सभी नई विद्युत उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं के टैरिफ का निर्धारण 6 जनवरी, 2006 को अधिसूचित टैरिफ नीति के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर किया जाता रहेगा, जब तक कि अन्यथा केंद्र सरकार द्वारा मामला–दर–मामला आधार पर विनिर्दिष्ट न किए जाए।

   इसके अतिरिक्त, अंतःराज्य पारेषण परियोजनाएं एक थ्रेशहोल्ड सीमा, जिसका निर्धारण एसईआरसी द्वारा किया जाएगा, से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जाएंगी।

   खण्ड 7.1 (7) : सभी भावी अंतर–राज्यीय पारेषण परियोजनाएं, सामान्यतः प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जाएंगी, तथापि, केंद्र सरकार (क) नीतिगत महत्व, तकनीकी उन्नयन इत्यादि विशेष श्रेणी की परियोजनाओं अथवा (ख) मामला दर मामला आधार पर अत्यावश्यक स्थिति का प्रबंध करने के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्य के लिए, प्रतिस्पर्द्धी बोली से छूट प्रदान कर सकती है।
5. पूर्व में, पारेषण पर राष्ट्रीय समिति आईएसटीएस प्रणाली की योजना बनाते थे और कार्यान्वयन की प्रक्रिया सहित अपनी सिफ़ारिशों को सचिव, विद्युत मंत्रालय के नेतृत्व में पारेषण पर सशक्त समिति को भेजते थे। पारेषण योजना की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज़ बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से एक सदस्य को शामिल करके दिनांक 04.11.2019 की आदेश सं के माध्यम से एन सी टी का पुनर्गठन किया गया। इसके अलावा, एनसीटी के नियम एवं शर्तों का भी संशोधन किया गया और पूर्ववर्ती पारेषण पर सशक्त समिति (ई सी टी) का विलयन कर दिया गया। अब, NCT आईएसटीएस लाइनों/तत्वों के निर्माण की सिफारिश करेगा, जो कि, टैरिफ नीति के दिशा–निर्देशों और एन सी टी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए निर्णय के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के समक्ष रखने के लिए आवश्यक है।

6. जहां तक अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली का संबंध है, आज की तारीख तक, इकतालीस परियोजनाएं टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अवार्ड की गई हैं जिनमें से बाईस परियोजनाएं पहले से चालू हो गई हैं/चालू होने के लिए तैयार हैं और पन्द्रह परियोजनाएं भिन्न–भिन्न पारेषण सेवा प्रदाताओं द्वारा कार्यान्वयनाधीन हैं। शेष चार परियोजनाओं में से, एक परियोजना सीईआरसी द्वारा रद्द कर दी गई है, एक परियोजना में टीएसपी ने बंद करने का अनुरोध किया है और मुकद्दमेबाजी के कारण दो परियोजनाओं का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा, बारह परियोजनाएं वर्तमान में बोली प्रक्रिया के अधीन हैं जिनमें से एक को रोक कर रखा गया है।
7. टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से अधिसूचित स्कीमों के ब्यौरे

क. पारेषण सेवा प्रदाताओं द्वारा पहले से चालू की गई/ चालू करने के लिए तैयार स्कीमें:

1. नागापट्टिनम/कुड्डालोर क्षेत्र . पैकेज–क के आईपीपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली
2. पूर्वी क्षेत्र से विद्युत के आयात के लिए एसआर में सुदृढ़ीकरण के लिए पारेषण प्रणाली
3. ऊंचाहार टीपीएस का एटीएस
4. उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम, एनआरएसएस–XXXI (भाग–क)
5. एनटीपीसी भाग–क के गदरवारा एसटीपीएस (2x800 मेगावाट) से संबद्ध पारेषण प्रणाली
6. एनटीपीसी भाग–ख के गदरवारा एसटीपीएस (2x800 मेगावाट) से संबद्ध पारेषण प्रणाली
7. विंध्याचल– V से संबद्ध पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण
8. पश्चिमी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण
9. पश्चिमी क्षेत्र एवं उत्तरी क्षेत्र के लिए प्रणाली सुदृढ़ीकरण
10. उत्तरी क्षेत्र द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र के आयात सक्षमीकरण हेतु योजना
11. राजस्थान में आरएपीपी यू– 7 एवं 8 के लिए पार्ट एटीएस
12. पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–VII
13. उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना, एनआरएसएस–XXIX
14. महेश्वरम (हैदराबाद) 765/400 केवी पूलिंग साइटों के लिए कनैक्टिविटी लाइनें
15. पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–VI (ईआरएसएस–VI)
16. उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम, एनआरएसएस–XXXI (भाग–ख)
17. एनटीपीसी लि. के कुडगी टीपीएस (फेज–I में 3x800 मेगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए अपेक्षित पारेषण प्रणाली
18. पात्रन 400केवी एस/एस के लिए पारेषण प्रणाली
19. कृष्णापट्टनम यूएमपीपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली–एसआर तथा डब्ल्यूआर (भाग–ख) के बीच सिंक्रोनस इंटरकनेक्शन
20. ओडिशा (उड़ीसा) में चरण–II उत्पादन परियोजनाओं के लिए साझा पारेषण प्रणाली तथा ओडिशा में ओपीजीसी (1320 मेगावाट) परियोजना के लिए तत्काल निकासी प्रणाली
21. सिपत एसटीपीएस के लिए अतिरिक्त प्रणाली सुदृढ़ीकरण
22. छत्तीसगढ़ आईपीपी भाग–ख के लिए अतिरिक्त प्रणाली सुदृढ़ीकरण
23. छत्तीसगढ़ आईपीपी के लिए प्रणाली सुदृढ़ीकरण और पश्चमी क्षेत्र में अन्य उत्पादन परियोजनाएं

ख. पारेषण सेवा प्रदाताओं द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाएं:

1. उत्तरपूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–VI (एनईआरएसएस–VI)
2. भूटान में नई जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत अंतरण के लिए भारतीय प्रणाली में पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण
3. वेमागिरी से आगे पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण
4. बबाई (आरआरवीपीएनएल) में सीकर–नीमराना 400 केवी डी/सी लाइन के लिलो के साथ उत्तरी क्षेत्र (एनआरएसएस–XXXVI)'' में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना
5. दक्षिणी क्षेत्र अर्थात वरोरा–वारंगल तथा चिलाकलूरीपेटा–हैदराबाद–कुरनूल 765 केवी लिंक में आयात के लिए अतिरिक्त अंतर क्षेत्रीय लिंक
6. आईएसटीएस के एक भाग के रूप में गुरूग्राम और पलवल क्षेत्र में नए 400 केवी जीआईएस उपक्रेंद्रों का सृजन
7. एनईआरएसएस–II भाग ख तथा एनईआरएसएसए–V के लिए प्रणाली सुदृढ़ीकरण
8. खरगौन टीपीपी (1320 मेगावाट) से संबद्ध डब्ल्यूआर में पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण
9. पूर्वी क्षेत्र में 765 केवी प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना (ईआरएसएस–XVIII)
10. (i) गोवा के लिए अतिरिक्त 400 केवी फीड (ii) रायगढ़ (तम्नार) पूल में पूल की गई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत निकासी के लिए अतिरिक्त प्रणाली
11. न्यू डब्ल्यूआर–एनआर 765 केवी अंतर–क्षेत्रीय कॉरीडोर
12. फतेहगढ़, जिला जेसलमेर राजस्थान में अल्ट्रामेगा सोलर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली
13. पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना ––XXI (ईआरएसएस–XXI)
14. एनटीपीसी की उत्तरी करनपुरा (3x660 मेगावाट) विद्युत उत्पादन परियोजना के लिए तत्काल निकासी और धनबाद में 400/200 केवी सब–स्टेशन का निर्माण – जेयूएसएनएल (ईआरएसएस– XIX) ख का प्रस्ताव
15. राजस्थान एसईज़ेड भाग ग से अनुप्रयोगों से जुड़ी पारेषण प्रणाली
16. राजस्थान एसईज़ेड भाग क से अनुप्रयोगों से जुड़ी पारेषण प्रणाली
17. राजस्थान एसईज़ेड भाग ख से अनुप्रयोगों से जुड़ी पारेषण प्रणाली
18. 400 केवी उडुप्पी–कासरगोड डी सी लाइन हेतु पारेषण प्रणाली की संस्थापना
19. डब्ल्यूआरएसएस–21 भाग–ख भुज पीएस में आरई इंजेक्शन्स के कारण गुजरात अंतर्राज्यीय प्रणाली में ओवरलोडिंग से छुटकारा पाने के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण
20. भुज–II, द्वारका एवं लाकडिया में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी पारेषण प्रणाली
21. द्वारका (गुजरात) में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए जाम खमबालिया पूलिंग स्टेशन एवं जाम खमबालिया पूलिंग स्टेशन का इंटरकनेक्शन और मैसर्स सीजीपीएल स्विचयार्ड पर संबद्ध बे के साथ 400/220 केवी आईसीटी की स्थापना
22. राजस्थान एसईजेड के लिए संबद्ध बे के साथ अजमेर (पीजी)– फागी 765 केवी डी/सी लाइन का निर्माण
23. राजस्थान एसईजेड भाख–घ से एलटीए अनुप्रयोगों से जुड़ी पारेषण प्रणाली
24. डब्ल्यूआरएसएस–21 भाग–क (टीबीसीबी) भुज पीएस में आरई इंजेक्शन्स के कारण गुजरात अंतर्राज्यीय प्रणाली में ओवरलोडिंग से छुटकारा पाने के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण
25. गुजरात में भुज–II (2000 मेगावाट) पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए पारेषण प्रणाली

ग. बोली प्रक्रिया समन्वयकों द्वारा बोली प्रक्रियाधीन योजनाएं:

1. पश्चिमी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XIX (डब्ल्यूआरएसएस–XIX) और पूर्वोत्तर क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–IX (एनईआरएसएस–IX)
2. करूर/तिरुप्पूर पवन ऊर्जा क्षेत्र (तमिलनाडू) (2500एमवी) के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत निकासी
3. कोप्पल ऊर्जा क्षेत्र (कर्नाटक) (2500एमवी) के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत निकासी।

अध्याय 15

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग विद्युत क्षेत्र में विभिन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ने के लिए काम करता है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम आदि के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने में सक्रिय रूप से रूचि ली गई है। सार्क, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल (सीईएम), इंटरनेशनल एजेंसी (आईईए) तथा ब्रिक्स के तत्वाधान में बहुपक्षीय अनुबंध भी किए गए हैं।

कई देशों के प्रतिनिधि नियमित रूप से विद्युत मंत्रालय आते हैं, जो भारत में विद्युत क्षेत्र की नीतियों में उनके विश्वास को दर्शाता है। वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित उच्च स्तरीय दौरे किए गए थेः–

(i) माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री ने ऊर्जा परागमन पर जी20 मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 15–16 जून, 2019 के दौरान जापान का दौरा किया।

(ii) सचिव (विद्युत) ने आईईए मंत्रालयी बैठक में भाग लेने के लिए 05–06 दिसंबर, 2019 के दौरान फ्रांस का दौरा किया।

(iii) 10वीं भारत–जापान ऊर्जा वार्ता आयोजित करने के लिए श्री काजियामा हिरोशी, अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्री (एमईटीआई) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में दिनांक 10 दिसंबर, 2019 को जापान के विद्युत मंत्री से मुलाकात की।

द्विपक्षीय सहयोग

पड़ोसी देशों के साथ सहयोग

भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र के केंद्र में स्थित होने और दक्षेस देशों नामतः नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एवं श्रीलंका के साथ राजनैतिक सीमाएं साझा करने के कारण क्षेत्रीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए इन देशों के साथ ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे पड़ोसी देशों में आपसी सहयोग और क्षेत्र में संसाधनों की साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा।

भारत–नेपाल

नेपाल के साथ विद्युत के सीमा पार व्यापार के लिए एनवीवीएन को नोडल अभिकरण के रूप में पदनामित किया गया है। एनवीवीएन और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनवीवीएन 400 केवी मुजफरपुर–ढालकबार पारेषण लाइन के माध्यम से नेपाल को 350 मेगावाट तक विद्युत की आपूर्ति कर रहा है।

चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 (अप्रैल–दिसंबर) के दौरान, एनवीवीएन ने नेपाल को 1032 एमयू (अनंतिम) की आपूर्ति की है।

नेपाल की कुल अभिनिर्धारित हाइड्रोइलैक्ट्रिक विद्युत क्षमता 83280 मेगावाट है। भारत की सहायता से निम्नलिखित चार जल विद्युत परियोजनाएं (कुल 51.1 मेगावाट) कार्यान्वित की गई हैं:

पोखरा	1 मेगावाट
त्रिसुली	21 मेगावाट
पश्चिमी गंडक	15 मेगावाट
देवीघाट	14.1 मेगावाट

इसके अलावा, टनकपुर जल विद्युत परियोजनाओं से नेपाल को 70 एमयू ऊर्जा निःशुल्क आपूर्ति की जा रही है।

नेपाल सरकार द्वारा भारत सरकार के बीच इलेक्ट्रिक पावर ट्रेड, क्रॉस–बॉर्डर ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन तथा ग्रिड कनेक्टिविटी संबंधी करार पर 21 अक्तूबर, 2014 को हस्ताक्षर किए गए थे।

नेपाल विभिन्न स्थानों में 11 केवी, 33 केवी, 132 केवी और 220 केवी लाइनों के जरिए भारत के साथ ऐतिहासिक रूप से अंतःसंबंधित है। भारत मात्रा में विद्युत अंतरण हेतु भारत और नेपाल के बीच संबंधों को दृढ़ बनाने के लिए वर्ष 2016 में 400 केवी ढालकबार (नेपाल में) – मुजफरपुर (भारत में) डीसी पारेषण लाइन चालू कराया गया था। वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच विद्युत अंतरण क्षमता 600 मेगावाट है। मुजफरपुर (भारत) – ढालकबार नेपाल में 400 केवी डीसी लाइन अपने निर्धारित वाल्टता के अनुसार जल्द ही प्रचलनरत होने की संभावना है जो नेपाल के लिए विद्युत अंतरण क्षमता लगभग 300–400 केवी (कुल लगभग 1000 मेगावाट) तक बढ़ाएगी। इसके अलावा, दो उच्च क्षमता 400 केवी गोरखपुर – नई बुटवल डीसी (क्वाड) लाइन को दोनों देशों के बीच विद्युत के विश्वसनीय अंतरण हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है।

नेपाल–भूटान

भूटान में चार प्रमुख नदियां हैं नामतः टोरसा, वांगचू (भारत में इसे राइडक के नाम से जाना जाता है), संकोश और मानस। भूटान के पास 76 जल योजनाओं (10 मेगावाट क्षमता से अधिक के) से 23,760 मेगावाट का व्यवहार्य जल क्षमता है। वर्ष 2008 में, भारत सरकार और रॉयल भूटान सरकार (आरजीओबी) के बीच 10000 मेगावाट जल उत्पादन क्षमता स्थापित करने पर सहमति हुई, इस प्रावधान के साथ कि इन परियोजनाओं से प्राप्त अधिशेष बिजली भारत को निर्यात किया जाएगा।

भारत सरकार तथा भूटान की शाही सरकार के बीच जल विद्युत के क्षेत्र में सहयोग को ध्यान में रखकर 28 जुलाई, 2006 को करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

वर्तमान में भूटान की जल संस्थापित क्षमता 2326 मेगावाट (9.79%) है। इसमें से 2136 मेगावाट का विकास भारत की तकनीकी और आर्थिक सहयोग से हुआ है। इसके अलावा, 2220 मेगावाट (9.34%) निर्माणाधीन है और 8470 मेगावाट (35.65%) भारत के तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के मदद से विभिन्न चरणों में विकसित किया जा रहा है।

भारत और भूटान के पास पहले से ही ताला एचईपी (1020 मेगावाट), चुक्का एचईपी (270 मेगावाट), कुरिचु एचईपी (60 मेगावाट) और मंगदेचु एचईपी (720 मेगावाट) से (400 मेगावाट, 200 मेगावाट, 132 केवी लाइनों के जरिए भूटान में भारत से) लगभग 2070 मेगावाट विद्युत आयात करने के लिए मौजूदा व्यवस्था है भूटान में आने वाली मुख्य उत्पादन फनत्संगचु–। (1200 मेगावाट) और फनत्संगचु–II (900 मेगावाट) है। निर्माणाधीन सीमापार अंतःसंबंधों जैसे जिगमेलिंग – अलिपुरूद्वार 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाइन को शुरू करने से, विद्युत अंतरण लगभग 4250 मेगावाट तक बढ़ेगा।

एनईआर परियोजनाओं के साथ भूटान के इन एचईपीओं से भारत के अन्य भागों में विद्युत अंतरण उच्च क्षमता मल्टी टर्मिनल +800 केवी, 6000 मेगावाट बिस्वनाथ चारियली–अलीपुरद्वार–आग्रा एचवीडीसी बाइपोल लाइनों के माध्यम से किया जाएगा।

भारत–बांग्लादेश

भारत सरकार तथा बांग्लादेश सरकार के बीच विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर 11 जनवरी, 2010 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। विद्युत क्षेत्र में सहयोग से संबंधित पिछली (17वी) बैठक संयुक्त संचालन समिति और संयुक्त

कार्यदल के बीच 25 अगस्त, 2019 को ढाका, बांग्लादेश में आयोजित की गई थी।

भारत और बांग्लादेश के बीच बहेरमारा में बहरमपुर (भारत) . बहेरमारा (बांग्लादेश) 400 केवी डीसी लाइन और 2x500 मेगावाट एचवीडीसी बैक टू बैक टर्मिनल के माध्यम से उच्च क्षमता अंतःसंबंध मौजूद है, जो बांग्लादेश को 1000 मेगावाट बिजली हस्तांतरण की सुविधा देती है। बांग्लादेश को 160 मेगावट विद्युत हस्तांतरित करने के लिए त्रिपुरा के सूरजमणि नगर (भारत) से बांग्लादेश के कोमीला में अतिरिक्त रेडियल अंतःसंबंधों का कार्यान्वयन किया गया है। अंतः दोनों देशों के बीच कुल विद्युत अंतरण क्षमता लगभग 1160 मेगावाट है।

इसके अलावा, बहरामपुर (भारत) – बहेरमारा (बांग्लादेश) 400 केवी डीसी दूसरी लाइन, बहेरमारा 1000 मेगावाट एचवीडीसी लिंक द्वारा विद्युत की विश्वसनीय आपूर्ति करने का कार्य कार्यान्वयनाधीन है, जिसे फरवरी 2020 तक शुरू करने की संभावना है। दोनों देशों के बीच समकालिक अंतःसंबंध के लिए कनिहार (भारत) – पारबोतिपुर (बांग्लादेश) – बोरनगर (भारत) 765 केवी डीसी लाइन का विकास चर्चाधीन है।

एनटीपीसी ने बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड (बीआईएफपीसीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है, जो कि एनटीपीसी और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) की 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे 1320 मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए शुरू किया गया था । यह परियोजना रामपाल (खुलना) में स्थित है और इसका नाम 'मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट' रखा गया है। बीएचईएल द्वारा इस परियोजना को आद्योपांत आधार पर निष्पादित किया जा रहा है। दिनांक 09 अप्रैल, 2019 को वित्तीय समापन प्राप्त करने के बाद दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को बीएचईएल द्वारा 'नोटिफिकेशन टू प्रोसीड' जारी किया गया था। इस ईपीसी टर्नकी पैकेज को भारतीय एक्सिम बैंक द्वारा 1.6 बिलियन यूएसडी के लिए वित्तपोषित कर दिया गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। एनटीपी से पहले यूनिट शुरू करने के लिए परियोजना शेड्यूल 42 महीने है।

बांग्लादेश के साथ सीमापार विद्युत व्यापार हेतु एनटीपीसी के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एनवीवीएन को भारत सरकार द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। एनवीवीएन और बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड (बीपीडीबी) के बीच हस्ताक्षरित एनटीपीसी स्टेशनों से 25 साल की अवधि के लिए 250 मेगावाट विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) के आधार पर अक्तूबर, 2013 से बांग्लादेश को विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

इसके अलावा, बीपीडीबी और एनवीवीएन के बीच पीपीए पर हस्ताक्षर हुआ और रेडियल मोड के अंतर्गत बीपीडीबी को 100 मेगावाट विद्युत आपूर्ति के लिए त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएसईसीएल) के साथ बैक टू बैक विद्युत आपूर्ति करार (पीएसए) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के अंतर्गत, 17 मार्च, 2016 से एनवीवीएन द्वारा बीपीडीबी को विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अप्रैल 2017 को त्रिपुरा से बांग्लादेश को अतिरिक्त 60 मेगावाट विद्युत आपूर्ति हेतु पीएसए पर हस्ताक्षर किए गए थे और उसी महीने से आपूर्ति भी शुरू की गई थी।

एनवीवीएन ने फरवरी 2018 में बीपीडीबी को 15 वर्षों के लिए 300 मेगावाट राउंड क्लॉक (आरटीसी) विद्युत आपूर्ति हेतु अंतरराष्ट्रीय संविदा में भाग लिया और जीत भी हासिल की। तदनुसार, डीवीसी से 300 मेगावाट विद्युत आपूर्ति हेतु एनवीवीएन ने बीपीडीबी के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए और आपूर्ति 10.09.2018 को शुरू हुई।

एनवीवीएन ने नेपाल में जीएमआर ऊपरी कर्नाली परियोजना से दिनांक 10 अप्रैल 2017 को 500 मेगावाट विद्युत आपुर्ति के लिए बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संबंध में नियम, शर्तें एवं टैरिफ को अंतिम रूप दिया गया है। उक्त के लिए बीपीडीबी द्वारा एलओआई जल्द ही जारी की जाएगी।

वर्तमान वित्त वर्ष 2019–20 (अप्रैल–दिसंबर) के दौरान, एनवीवीएन ने बांग्लादेश को 3751 (अनंतिम) एमयू की आपूर्ति की है।

भारत–श्रीलंका

त्रिंकोमाली पावर कंपनी लि. (टीपीसीएल) एनटीपीसी लिमिटेड तथा सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। जो 26 सितम्बर, 2011 को श्रीलंका (सीईबी) में शुरू किया गया था । एनटीपीसी तथा सीईबी दोनों की कम्पनी की पूंजी में 50% इक्विटी की साझेदारी है।

इस संयुक्त उद्यम कम्पनी की स्थापना श्रीलंका में 500 मेगावाट (2x250 मेगावाट) के कोयला आधारित ताप विद्युत संयत्र के विकास, निर्माण, स्थापना, प्रचालन तथा रख–रखाव के लिए शुरू की गई थी।

इसके अतिरिक्त, श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर, श्रीलंका के सेमपुर में 50 मेगावाट सौर परियोजना और केरावलपिटिया में 300 मेगावाट एलएनजी परियोजना शुरू करने के लिए इस परियोजना को संशोधित किया गया।

केरावलपिटिया, श्रीलंका में प्रस्तावित 300 एमडब्ल्यूएलएनजी विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए, एक नया 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी के समावेशन हेतु, दिनांक 25.10.2019 को कोलंबो, श्रीलंका में एनटीपीसी लिमिटेड और सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) के बीच संयुक्त उद्यम हितधारक करार (जेवीएसएचए) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, मौजूदा जेवी त्रिंकोमाली पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा समपुर, त्रिंकोमाली में 50 मेगावाट पीवी विद्युत परियोजना विकसित किए जाने की परिकल्पना की है। संशोधित परियोजना करार अंतिम चरण में है।

इसके अलावा, प्रत्येक 500 मेगावाट के दो चरणों में (समुद्री भाग सहित) ओवर हेड लाइन के साथ मदुरै (भारत) और न्यू हबराणा (श्रीलंका) के बीच 2x500 मेगावाट एचवीडीसी लाइन द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच सीमा पार अंतःसंबंध प्रस्तावित है। भारत–श्रीलंका के अंतःसंबंध हेतु डीपीआर निर्माणाधीन है।

भारत–म्यांमार

भारत सरकार तथा म्यांमार गणतंत्र के बीच विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर 19 अक्टूबर, 2016 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत म्यांमार को मणिपुर (भारत) में मोरेह से (म्यांमार) में टोमु तक 11 केवी पारेषण लाइन के माध्यम से लगभग 3 मे.वा. विद्युत उपलब्ध करा रहा है। निम्नलिखित (कम क्षमता वाले अंतःसंबंध) संस्थापनाओं की व्यवहार्यता पड़ोसी गांवों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निर्माणाधीन हैं :–

- नामपोंग (अरूणाचल प्रदेश, भारत) – पानसांग (म्यांमार) 11 केवी लाइन।
- बेहियांग (मणिपुर, भारत) – चिका (म्यांमार) 11 केवी लाइन।
- जोखावतार (मिजोरम, भारत), रिखावदार (म्यांमार) 11 केवी लाइन।
- मोरे (मणिपुर) का उन्नयन – तामु (म्यांमार) उच्च वोल्टता पर 11 केवी लाइन।

भारत के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट – 2024 समय–सीमा के अनुरूप तामु में 2x500 मेगावाट एचवीडीसी बैक टू बैक स्टेशन के साथ, इंफाल से तामु तक 400 केवी डीसी लाइन के साथ म्यांमार उच्च क्षमता अंतःसंबंध भी निर्माणाधीन है।

अन्य देशों के साथ सहयोग

जर्मनी

ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, जिसमें ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है, ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश तथा सतत विकास की पर्यावरणीय चुनौतियों को

ध्यान में रखते हुए सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भारत–जर्मन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऊर्जा के संबंध में विचार–विमर्श करने के लिए 2006 में भारत–जर्मन एनर्जी फोरम (आईजीईएफ) स्थापना की गई थी।

आईजीईएफ की उप–अध्यक्षता भारत की ओर से सचिव (विद्युत) तथा जर्मनी की ओर से संसदीय सचिव, आर्थिक कार्य एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय (बीएमडब्ल्यूआई) करते हैं। फोरम की बैठकें जर्मनी तथा भारत में वैकल्पिक रूप से की जाती हैं। फोरम के अन्तर्गत निम्नलिखित चार उप–समूह गठित किए गए हैं:–

उप–समूह–I : ''जैव ईधन आधारित विद्युत संयत्रों में दक्षता वद्धि '' (संयुक्त सचिव ताप द्वारा सहअध्यक्षता)

उप–समूह–II : ''नवीकरणीय उर्जा'' [संयुक्त सचिव, एमएनआरई द्वारा सहअध्यक्षता]

उप–समूह–III : ''मांग पक्ष ऊर्जा दक्षता तथा लो कार्बन ग्रोथ स्ट्रेटजी (डीजी, बीईई द्वारा सहअध्यक्षता)

उप–समूह–IV : ''ग्रीन एनर्जी कोरीडोर्स'' [संयुक्त सचिव (एबीसी), डीईए द्वारा सहअध्यक्षता]

आईजीईएफ की पिछली बैठक नई दिल्ली में दिनांक 1 नवंबर, 2019 को आयोजित की गई थी। यह फोरम दोनों राज्यों के बीच भावी रूपरेखा को अंतिम रूप दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ मौजूदा कोयला विद्युत आधारित संयंत्रों को लचीला बनाना, सौर ऊर्जा हेतु निच बाजारों का संवर्धन, ईसीबीसी द्वारा इमारतों में ऊर्जा दक्षता का संवर्धन, वित्तपोषण के लिए निर्माण सामग्री और क्रेडिट लाइनें और नवीनतम अंतरराज्यीय और अंतर्राज्यीय पारेषण ग्रिड अवसंरचना के द्वारा आरई निकासी शामिल है।

जापान

ऊर्जा क्षेत्र में जापान के साथ सहयोग इंडो–जापान ऊर्जा वार्ता के अंतर्गत किया जाता है। भारत–जापान ऊर्जा वार्ता के अंतर्गत पांच कार्य दल शामिल हैं नामतः

- विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा
- ऊर्जा दक्षता आर संरक्षण
- कोयला
- पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस
- हाइड्रोजन

पिछली (10वीं) भारत–जापान ऊर्जा वार्ता 10 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। विद्युत, एनआरई और कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्री, श्री आर.के. सिंह और अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य मंत्री (एमईटीआई) श्री काजियामा हिरोशी ने बैठक की समाप्ति पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए थे।

दोनों मंत्रियों ने विभिन्न कार्य समूहों के तहत किए गए कार्यों का जायजा लिया। दोनों देशों ने हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए सतत विकास की दिशा में काम करने के महत्व का समर्थन किया। कोयला आधारित ताप संयंत्रों को लचीला बनाना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने जैसे प्रथाओं के अतिरिक्त हाइड्रोजन जैसे गैर परंपरागत स्रोतों के उपयोग के लिए भी सहमत हुए।

दोनों भारत और जापान ने दोनों देशों में ऊर्जा मिश्रणों में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन के महत्व को दोहराया और कोयला आधरित विद्युत संयंत्रों के लिए पर्यावरणीय उपायों पर सहयोग को बढ़ावा देने पर भी सहमति व्यक्त की।

भारत और जापान ने, रूस, यूएफई, कनाडा और मोजाम्बिक जैसे तीसरे देशों में कई तेल और गैस परियोजनाओं को विकसित करने और पारदर्शी और लचीला सीएनजी बाजार की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

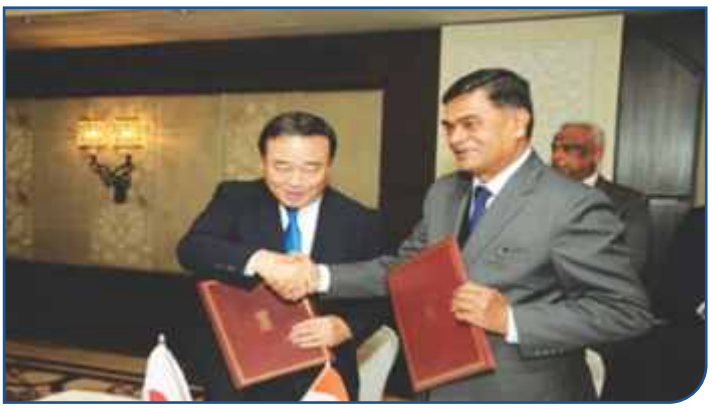

भारत–जापान ऊर्जा वार्ता के अंत में संयुक्त वक्तव्य का आदान–प्रदान करते हुए माननीय मंत्री

इसके अलावा, 16 दिसंबर, 2019 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और जापान कोयला ऊर्जा केंद्र (जेसीओएल) के बीच बिजली की सतत, स्थिर और कम कार्बन आपूर्ति के लिए दक्षता एवं पर्यावणीय सुधार पर भारत जापान सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

चीन

चीन के साथ हम, भारत–चीन सामरिक, आर्थिक वार्ता (एसईडी) के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिसका नेतृत्व तत्कालीन योजना आयोग ने किया था, जो कि अब नीति आयोग है। एसईडी के अंतर्गत शामिल छः कार्य समूह निम्नानुसार हैं :

- नीति समन्वय
- अवसंरचना
- हाईटेक
- संसाधन संरक्षण और पर्यावरणीय प्रदूषण
- ऊर्जा
- औषध

एसईडी की पिछली बैठक 9 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ऊर्जा पर कार्य समूह के अंतर्गत दोनों देशों ने अभिनिर्धारित सहयोग के भावी क्षेत्रों और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी क्षेत्र, स्मार्ट ग्रिड और ग्रिड एकीकरण और स्मार्ट मीटरों और ई–मोबिलिटी क्षेत्रों पर काम करने का संकल्प लिया है।

दोनों पक्षों ने वैकल्पिक सामग्री से सौर सेल के निर्माण हेतु नया प्रौद्योगिकी विकसित करने और सौर कोशिकाओं की दक्षता में सुधार लाने और भारत में सौर सेल/मॉड्यूल/वेफर/इनगॉटस विनिर्माण के दौरान, सहयोग में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की और सौर पीवी रूफटॉप प्रोग्राम और सौर विद्युत संयंत्रों के कार्यान्वयन पर काम करने तथा कुशल और लागत प्रभावी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास में तेजी लाने का भी संकल्प लिया गया है। दोनों पक्षों ने ई–मोबिलिटी और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में सहयोग करने की सहमति व्यक्त की।

भारतीय पक्ष ने भूमिगत कोयला खनन प्रौद्योगिकी और कोयला गैसीकरण और पर्यावरण अनुकूल खनन, कोयला प्रसंस्करण और कोयला का प्रभावी उपयोग सहित स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी को बढ़ाव देने में तकनीकी सहयोग प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की। यह भी निर्णय लिया गया था कि ग्रिड की सुरक्षा/स्थिरता के लिए नवीकरणीय निवेश पर ज्ञान बांटना और नवीकरण ग्रिड एकीकरण पर चीन के बेहतरीन कार्य प्रणालियों को सीखने का कार्य भी सुनिश्चित किया जाना है।

रूस

दिनांक 15 अप्रैल, 2019 को मॉस्को में आयोजित कार्यदल की 22वीं बैठक के दौरान हुई वार्ताओं के आधार पर, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय ओर रूस ऊर्जा एजेंसी के बीच ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के क्षेत्र में कार्यकलापों और गतिविधियों की संयुक्त कार्यान्वयन हेतु समझौता–ज्ञापन, जिसपर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है।

जुलाई–अगस्त, 2019 के दौरान विद्युत मंत्रालय और संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ रूस से कंपनियों की संघ के बीच बैठक का आयोजन किया गया था ताकि उनके सहयोग को बढ़ाने की क्षेत्रों को चिह्नित की जा सके। सीईए और एनटीपीसी के साथ विचार–विमर्श करके एक रूपरेखा तैयार की जा रही है ताकि रूसी पक्ष के साथ आपसी सहमति से अपने हितों के क्षेत्र जैसे भारत की बड़ी संख्या में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के रेट्रोफिट और आधुनिकीकरण (आर एंड एम) का समर्थन करके रूसी इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का ज्ञान हस्तांतरण को आगे बढ़ाया जा सके।

इसके अलावा, 12–13 अगस्त, 2019 के दौरान, रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए भारत की एक प्रतिनिधिमंडल ने रूस का दौरा किया था। इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व अभिनिर्धारित क्षेत्रों के साथ विद्युत क्षेत्र के सदस्य शामिल थे।

यूनाइटेड किंगडम

भारत संघ सरकार और ग्रेट ब्रिटेन एवं उत्तरी आयरलैंड की सरकार के बीच'ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग'पर एक समझौता ज्ञापन पर 11 नवंबर, 2015 को हस्ताक्षर किए गए थे।

विद्युत मंत्रालय के पास अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) का एक विद्युत क्षेत्र सुधार (पीएसआर) कार्यकम भी है, जो भारत को यूके सरकार द्वारा $10 मिलियन की तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम और भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों से संबंधित मामलों में, विभिन्न केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों को सहायता प्रदान करने का है। पीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित छः वर्गों को चिह्नित किया है :

- संरचनात्मक और विनियामक सुधार
- विद्युत बाजार
- नवीकरणीय ऊर्जा का विनियोजन और ग्रिड एकीकरण
- उपयोगिता संधारणीयता
- 24x7 पहुंच एवं कल्याण
- प्रभावी पहलें

विद्युत क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत यूके की नई साझेदारी कार्यक्रम के तहत £7 मिलियन की तकनीकी सहायता पर अंतिम निर्णय लिया गया है। यह कार्यक्रम दो विषयों यथा, विद्युत वितरण क्षेत्र और ऊर्जा दक्षता पर उपकरण, विश्लेषणात्मक और क्षमतावर्धन सहायता प्रदान करेगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका

ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी सहयोग बढ़ाने के लिए भारत गणराज्य सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर 2 जून, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे।

अमेरिका के नेतृत्व में भारत सामरिक ऊर्जा भागीदारी के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग जारी है। एसईपी के चार स्तम्भ हैं अर्थात तेल एवं गैस, विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सतत वृद्धि। विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता संबंधी स्तम्भ का नेतृत्व विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता स्तंभों की पिछली बैठक का आयोजन डीवीसी द्वारा 18 दिसंबर, 2019 को किया गया था। दोनों पक्षों ने जारी परियोजनाओं का जायजा लिया और समर्थकारी भावी सहयोग के लिए प्रारूप संयुक्त कार्य योजना तैयार की।

इसके अलावा, 2027 तक, 275 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के किफायती उपाय विकसित करने के लिए और बिजली की मांग को प्रभावी ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से यूएस–भारत स्वच्छ ऊर्जा वित्तीय कार्यदल के अंतर्गत 4 अक्तूबर, 2019 को लचीला संसाधन पहल शुरू की गई थी।

डेनमार्क

भारत और डेनमार्क के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा सहयोग पर ऊर्जा मंत्रालय, उपयोगिता और जलवायु, किंगडम ऑफ डेनमार्क और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है।

इस समझौता–ज्ञापन में अपतटीय हवाओं, दीर्घावधिक ऊर्जा योजना, पूर्वानुमान, ग्रिड की लचीलापन, ग्रिड कोडों को एकीकृत करके उत्पादन को प्रभावी बनाना, विद्युत खरीद समझौतों की लचीलापन, विद्युत संयंत्र लचीलापन को प्रोत्साहित करना, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अस्थिरता, हरित राज्य द्वारा हरित समाधान आदि शामिल हैं।

बहुपक्षीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए)

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) एक स्वायत्त संगठन है जिसका गठन 1973–74 में तेल संकट की प्रतिक्रिया में किया गया था। यह तेल संकट भारत–इजराइल युद्ध के दौरान इजराइल का समर्थन करने के लिए यूएस निर्णय के विरुद्ध ओपेक द्वारा अमेरिका पर प्रतिबंध लगाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ था। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में आईईए के साथ कार्य करने वाला नोडल मंत्रालय है।

भारत नवंबर, 2013 में आईईए का सहभागी देश बना था। भारत 30 मार्च, 2017 तक सहभागी देश रहा है तथा प्रत्येक दो वर्ष आईईए में आईईए की मंत्रालयी बैठकों में संयुक्त विवरण तथा संयुक्त कार्य अनुसूची के माध्यम से आईईए के साथ सहयोग बना हुआ है। भारत ने 30 मार्च, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के साथ ''एसोसिएशन'' के सक्रिय होने की घोषणा की।

हाल ही में, नीति आयोग की भागीदारी से, दिनांक 10 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने भारतीय ऊर्जा नीति के संबंध में पहली गहन समीक्षा जारी की। रिपोर्ट में भारत की ऊर्जा नीति की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है और अच्छी तरह काम करने वाले ऊर्जा बाजारों को बढ़ावा देना तथा नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन हेतु सरकारी लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए सिफारिश करती है।

आईईए ने भारत को दोनों पक्षों के साथ संस्थागत संबंधों और गहन सहयोग को तैयार करने के लक्ष्य से परामर्श में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। आईईए ने प्रस्तावित कार्य ढांचे के संदर्भों को खोजने के लिए वार्ताएं शुरू की हैं और आईईए के सदस्यों के रूप में गैर–ओसीईडी देशों (जैसे भारत) को स्वीकार करने के संदर्भ में बेहतर समझ विकसित करने के लिए भी चर्चाएं शुरू कर दी है।

ब्रिक्स

ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के लिए उत्तरदायी मंत्रालयों तथा ब्रिक्स की सरकारी एजेंसियों के बीच ऊर्जा बचत तथा ऊर्जा दक्षता में परस्पर समझौता ज्ञापन पर नवंबर, 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे।

आईईए मंत्रालयी बैठक के प्रतिभागियों के साथ सचिव (विद्युत)

माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री ने ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की चौथी बैठक में भागीदारी करने के लिए 11 दिसम्बर, 2019 को ब्राजील का दौरा किया था। सदस्यों ने ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग मंच (ईआरसीपी) के विचारार्थ विषय को अंतिम रूप दिया। ईआरसीपी का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, ब्रिक्स भागीदारी राज्यों के ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ीकरण और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र के विकास का संवर्धन और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने का है।

जी–20

जी–20 दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक मुख्य मंच है जो आज के महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक नीतियां विकसित करना चाहता है। जी–20 सदस्य देशों के पास दुनिया में मौजूदा नवीकरणीय विद्युत क्षमता का 80 प्रतिशत हिस्सा है और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु कुल वैश्विक क्षमता का 75 प्रतिशत रखकर उन्हें जलवायु परिवर्तन कम करने का मुख्य कारक बनाता है।

जी–20 जापानी राष्ट्रपति ने दिनांक 15–16 जून, 2019 तक करूइजावा, नगानो प्रीफेक्चुर जापान में ऊर्जा परिवर्तन और सतत विकास हेतु वैश्विक पर्यावरण पर मंत्रिमंडल बैठक का आयोजन किया था। माननीय मंत्रीजी ने मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।

बैठक में, नवाचार के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के सदगुणी चक्र को त्वरित करने के संबंध में तथा हाल के वर्षों में, समुद्री प्लास्टिक के कूड़े की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए तर्कसाध्य चर्चाएं कीं।

स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालन्यी मंच (सीईएम)

स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालयी मंच (सीईएम) 2009 से गठित उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है। आरंभ में इसका गठन प्राप्त जानकारी तथा उत्कृष्ट पद्धतियां साझा करने तथा वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। इसकी शुरूआत सितम्बर 2009 में कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन (यूनेस्को) सम्मेलन पर संयुक्त राज्य फ्रेमवर्क को दौरान की गई थी, उसके बाद अमरीकी सचिव, ऊर्जा, जिन्होंने पहली सीईएम की मेजबानी भी की थी, ने इसकी शुरुआत की। वर्तमान में सीईएम ऊर्जा मंत्रियों की एकमात्र नियमित बैठक है जिसमें स्वच्छ ऊर्जा पर पूर्णतः फोकस किया जाता है। सीईएम की वर्तमान में 26 सदस्य हैं। सीईएम तीन वैश्विक जलवायु तथा ऊर्जा नीति लक्ष्यों पर केंद्रित है:

- विश्वव्यापी में ऊर्जा दक्षता में सुधार।
- स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि।
- स्वच्छ ऊर्जा पहुंच का विस्तार।

भारत सीईएम के अंतर्गत निम्नलिखित पहलों में भाग ले रहा है:

- सुपर–एफिशिंएट उपस्कर तथा उपकरण परिनियोजन (एसईएडी) पहल।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवीआई)
- ऊर्जा प्रबंधन कार्य दल (ईएमडब्ल्यूजी)
- 21वीं शताब्दी विद्युत भागीदारी
- इंटरनेशनल स्मार्ट ग्रिड एक्शन नेटवर्क (आईएसजीएएन)
- मल्टीलेटरल सोलर तथा विंड वर्किंग ग्रुप
- क्लीन एनर्जी सोल्यूशन सेंटर
- एडवांस्ड कूलिंग चैलेंज
- नीतिगत क्षेत्रों में वितरित उत्पादन को अपनाने में तेजी लाना।
- ईवी 30 / 30 अभियान
- उन्नत विद्युत संयंत्र फ्लेक्सीबीलाइजेशन अभियान

पिछली (10वीं) स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालयी बैठक (सीईएम10) 27–29 मई, 2019 से वेन्कुवर, कनाडा में आयोजित की गई थी। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक ने इस बैठक में भाग लिया। दसवीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालय ने स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए चार प्रमुख विषयों को लिया है। स्वच्छ विद्युत, ऊर्जा का बेहतर उपयोग, सतत स्वच्छ ऊर्जा वित्तपोषण और कार्यदल एवं समुदाय।

महानिदेशक, बीईई ने सीईएम के विभिन्न पहलों के अंतर्गत चल रही कार्यकलापों की स्थिति के साथ भारत का रूख साझा किया। इसके अलावा, दो नए काम धाराएं जैसे हाइड्रोजन पहल और लचीला नाभिकीय अभियान भी सीईएम 10 के दौरान शुरू किया गया था।

सार्क

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) दक्षिण एशियाई राज्यों का क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन और भू–राजनीतिक संघ है। इसके सदस्य राज्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालद्वीप, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है।

ऊर्जा क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग के प्रक्रिया को जनवरी, 2000 में ऊर्जा तकनीकी समिति की संस्थापना से शुरू हुई। मंत्रिपरिषद ने कहा कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जनवरी, 2004 में ऊर्जा पर एक विशेष कार्यदल के सृजन को मंजूरी दी थी। यह कार्यदल उनकी संस्थापना के बाद 8 बार बैठक कर चुके हैं। इसी तरह, 2005 से ऊर्जा मंत्रियों ने इस्लामाबाद, नई दिल्ली, कोलम्बो, ढ़ाका और नई दिल्ली में अब तक 5 बार बैठकें कर चुके हैं।

सार्क सचिवालय / सार्क ऊर्जा केंद्र (एसईसी) सालभर में नियमित रूप से विद्युत मुद्दों से संबंधित कार्यशालाएं / प्रशिक्षण / अध्ययन / बैठकों का आयोजन करते हैं। विद्युत मंत्रालय / अधीनस्थ कार्यालयों / सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी इन बैठकों में भाग लेते हैं। ये बैठकें विभिन्न सार्क देशों के अनुभवों से ज्ञान साझा करने / सीखने का अच्छा अवसर प्रदान करता है।

एसएएसईसी

दक्षिण एशियाई उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) कार्यक्रम बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालद्वीप, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका को परियोजना आधारित भागीदारी में एक साथ लाया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देना, आर्थिक अवरों में सुधार करना और उपक्षेत्र के लोगों के जीवन में बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने का है।

एसएएसईसी लागत और आयात निर्भरता को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे को

विकसित करके ऊर्जा सुरक्षा में सुधार लाना तथा व्यापार का संवर्धन करके सदस्य देशों की सहायता करना है। तदनुसार, एसएएसईसी सीमापार विद्युत व्यापार कार्यदल (एसपीटी–डब्ल्यूजी) एसएएसईसी उपक्षेत्र में अग्रिम विद्युत खरीद व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने का मंच के रूप में संस्थापित है। इस कार्यदल के मुख्य कार्यों में सीमापार विद्युत व्यापार (सीबीईटी) हेतु प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की सूची का अद्यतन और रखरखाब तथा चर्चा का मंच के रूप में कार्य करना और सीबीईटी मुद्दों की सरलीकरण जैसे कार्य शामिल है।

विश्व ऊर्जा परिषद (डब्ल्यूईसी)

विश्व ऊर्जा परिषद (डब्ल्यूईसी) एक वैश्विक निकाय है जो सभी को लाभ प्रदान करने हेतु, सस्ती, स्थिर और पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देती है। लगभग 90 सदस्य देशों के साथ 1923 में संस्थापित, डब्ल्यूईसी एक वैश्विक और समावेशी निकाय है, जो ऊर्जा के सतत आपूर्ति और उपयोग की खोज के नेतृत्व और भौतिक वचनबद्धता के लिए मौजूद हो।

भारत, विश्व ऊर्जा परिषद (डब्ल्यूईसी) का एक सदस्य देश है और यह विद्युत मंत्रालय के संरक्षण में कार्य करता है। वर्तमान में डब्ल्यूईसी भारत, ऊर्जा मंच (भारतीय ऊर्जा कांग्रेस, ऊर्जा वार्ता) वैश्विक अध्ययनों में भागीदारी, दैनिक ऊर्जा समाचार बुलेटिन के माध्यम से सूचना प्रसार, ऑनलाइन ऊर्जा पोर्टल आदि को कवर करती है।

त्रि–वार्षिक विश्व ऊर्जा कांग्रेस, विश्व ऊर्जा परिषद की एक वैश्विक सर्वोत्कृष्ट आयोजन है और वैश्विक ऊर्जा नेताओं को नए ऊर्जा भविष्य, महत्वपूर्ण नवाचार क्षेत्र और नई रणनीतियां का पता लगाने के लिए वैश्विक ऊर्जा नेताओं के लिए एक अनोखा मंच प्रदान करता है। संयुक्त सचिव (थर्मल और आईसी) के साथ सचिव (विद्युत) ने अबुदाबी में दिनांक 9–12 सितंबर, 2019 के दौरान आयोजित विश्व ऊर्जा कांग्रेस में भाग लिया। विश्व ऊर्जा त्रिधापाश और सभी को समृद्धि प्रदान करने के लिए सतत, सुरक्षित और समावेशी ऊर्जा प्रणाली हेतु प्रायोगिक समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से कांग्रेस ने वैश्विक वार्ता और सर्वसम्मति के लिए एक साथ काम करने का अवसर प्रदान किया है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण

वित्तीय वर्ष 2019–2020 में विदेशी वित्तपोषण (ऋण/अनुदान) के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की सूची:

ऋण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	सरकार/कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी	वित्तीय निकाय	परियोजना लागत (करोड़ रुपयों में)	ऋण राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	एसबीआई ऊर्जा कुशल आवास कार्यक्रम	एसबीई/बीईई	केएफडब्ल्यू	1942.5	1942.5
2.	केएफडब्ल्यू से वित्तीय सहायता हेतु पीएफसी डिस्कॉम निवेश	पीएफसी	केएफडब्ल्यू	1896	1580
3.	तीस्ता IV एचई परियोजना (520 मेगावाट) मानगान, पूर्वी सिक्किम, भारत	एनएचपीसी	केएफडब्ल्यू एवं एएफएडी	5471.68	3830.18
4.	स्काडा द्वारा वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण; 33/11 केवी सब–स्टेशनों को सक्षम बनाना और मध्य प्रदेश में एएमआई आधारित स्मार्ट मीटरिंग निवेश	मध्य प्रदेश	केएफडब्ल्यू	1400	1120
5.	त्रिपुरा विद्युत उत्सर्जन, उन्नयन और वितरण विश्वसनीयता सुधार परियोजना के लिए एडीबी से वित्तीय सहायता हेतु त्रिपुरा सरकार से परियोजना प्रस्ताव	त्रिपुरा सरकार	एडीबी	1925	1540

तकनीकी सहायता

क्र.सं.	परियोजना का नाम	सरकार/कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी	वित्तीय निकाय	परियोजना लागत (करोड़ रुपयों में)
1.	भारतीय एसएमईयों के लिए एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन समाधान	टीईआरआई	जीआईसीए	तकनीकी सहायता
2.	विद्युत क्षेत्र में तकनीकी सहायता सहयोग से भारत यूके नया भागीदार कार्यक्रम	राज्य डिस्कॉम	दोनों सरकारों द्वारा सह–वित्तपोषण	तकनीकी सहायता
3.	मांग पक्ष ऊर्जा दक्षता क्षेत्र परियोजना को बढ़ावा	ईईएसएल	एडीबी	तकनीकी सहायता
4.	सीकेआईसी कॉरिडोर कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युत उपक्षेत्र निवेश के लिए तकनीकी सहायता	तमिलनाडु सरकार	एडीबी	तकनीकी सहायता
5.	ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत का प्रभावी उपयोग तथा उत्तर प्रदेश विद्युत का संस्थागत क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना	उत्तर प्रदेश सरकार	एडीबी	तकनीकी सहायता
6.	डिस्कॉम निवेश सुविधा – साथ उपाय	पीएफसी	केएफडब्ल्यू	तकनीकी सहायता

अध्याय 16

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत विकास गतिविधियां

नीपको

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में नीपको द्वारा विकसित की जा रही विभिन्न विद्युत परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

निर्माणाधीन परियोजनाएं :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	चालू करने की समय–सीमा
1.	कामेंग जल–विद्युत परियोजना	अरुणाचल प्रदेश	600	यूनिट I और II-जनवरी, 2020 यूनिट III और IV-जून / जुलाई 2020
कुल			**600**	

स्वामित्व आधार पर नीपको द्वारा योजनागत भावी परियोजनाएं :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
		हाइड्रो	
1.	वाह उमियम स्टे.–III एचईपी	मेघालय	85
2.	वाह उमियम स्टे.–I एचईपी	मेघालय	50
3.	वाह उमियम स्टे.–II एचईपी	मेघालय	100
हाइड्रो कुल			**235**

संयुक्त उद्यम आधार के माध्यम से नीपको द्वारा योजनागत भावी परियोजनाएं:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
		जल	
1.	कुरुंग जल–एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	330
2.	डिब्बन जल–एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	120
3.	**सियांग अपर स्टेज-II एचईपी#**	अरुणाचल प्रदेश	3750
कुल संयुक्त उद्यम			**4200**

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 18 नवंबर, 2015 के माध्यम से सियांग अपर स्टेज–I व II परियोजना संबंधी कार्यों को रोके जाने संबंधी अपने निर्णय को सूचित कर दिया गया।

एसजेवीएन

एसजेवीएन मामले को अरूणाचल प्रदेश सरकार के साथ अनुवर्तन कर रहा है और जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए क्षेत्र में अवसरों को तलाश रहा है। इस प्रयोजनार्थ, एसजेवीएन का एक सम्पर्क कार्यालय नाहरलागुन, अरूणाचल प्रदेश में कार्य कर रहा है।

एनटीपीसी

असम में एनटीपीसी की बोंगाईगांव ताप विद्युत परियोजना की 250 मेगावाट की तीन इकाइयां हैं। सभी तीनों इकाइयों में वाणिज्यिक प्रचालन शुरू हो गया है। ये स्टेशन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को विद्युत की आपूर्ति करते हैं।

पारेषण

पारेषण को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र एवं सिक्किम की उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित दो स्कीमों का अनुमोदन किया गया है:

I. **उत्तर–पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी):** यह स्कीम विद्युत मंत्रालय के 1 दिसम्बर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा 5111.33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत (फरवरी, 2014 का मूल्य स्तर) के साथ निधि की पहली किस्त जारी होने की तारीख से 48 माह की पूर्णता समय सीमा के साथ अन्तर–राज्यीय पारेषण एवं वितरण प्रणाली (33 केवी एवं उससे अधिक) के सुदृढीकरण के लिए छः (6) राज्यों (असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं नागालैंड) के लिए स्वीकृत की गई थी। स्कीम की कुल संस्वीकृत लागत 5111.33 करोड़ रुपये है जिसमें निष्पादन लागत की 12 प्रतिशत की दर से परामर्श शुल्क सहित 5022.33 करोड़ रुपये परियोजना लागत और 89.00 करोड़ रुपये का क्षमता निर्माण व्यय शामिल है। स्कीम को विद्युत मंत्रालय के बजट और विश्व बैंक के द्वारा 50:50 के आधार पर भारत सरकार द्वारा निधियन के लिए अनुमोदित किया गया था। 89.00 करोड़ रुपये के क्षमता निर्माण व्यय का अनुमोदन विद्युत मंत्रालय के बजट के माध्यम से भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से निधियन किए जाने का अनुमोदन किया गया था। पीजीसीआईएल इस स्कीम के लिए कार्यान्वयनकर्ता अभिकरण है।

ii. **अरूणाचल प्रदेश एवं सिक्किम में पारेषण एवं वितरण के सुदृढीकरण की व्यापक स्कीम:** यह स्कीम विद्युत मंत्रालय के 10 अक्तूबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा 4754.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत (अप्रैल, 2013 का मूल्य स्तर) के साथ पहली किस्त (निवेश पश्च अनुमोदन) जारी होने की तारीख से 48 माह की पूर्णता समय सीमा के साथ स्वीकृत की गई थी। स्कीम की कुल संस्वीकृत लागत 4754.42 करोड़ रुपये है जिसमें 4208.96 करोड़ रुपये की परियोजना लागत और अनुमानित निष्पादन लागत की 12 प्रतिशत की दर से परामर्श शुल्क शामिल है। परियोजना की पूरी लागत विद्युत मंत्रालय की योजना स्कीम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वहन की जा रही है। पीजीसीआईएल इस स्कीम के लिए कार्यान्वयनकर्ता अभिकरण है।

दोनों परियोजनाएं निर्धारित पूर्णता अवधि से अधिक विलम्बित हैं यह विलम्ब मुख्यतः संविदाओं के अवार्ड करने में विलम्ब के कारण हुआ है जो नीलामी के लिए अनेक प्रयासों के कारण हुआ क्योंकि भौगोलिक समस्याओं के साथ–साथ स्थानीय कानून एवं व्यवस्था के मुद्दों के कारण बोलीदाताओं का प्रतिउत्तर बहुत खराब था। इसके अलावा, निष्पादन के दौरान भी पीजीसीआईएल वित्तीय मुद्दों अर्थात् राज्यों द्वारा जीएसटी आदि की समय से प्रतिपूर्ति के अलावा अनेक मार्गाधिकार के मुद्दों के साथ–साथ राज्य सरकारों द्वारा भूमि के हस्तांतरण में विलम्ब का सामना कर रही थी।

अध्याय 17

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा)

1. केंद्रीय विद्युत प्राधिरण का गठन

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) एक संवैधानिक संगठन है, जिसका गठन रद्द विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 3(1) के तहत किया गया था और अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 के तहत अस्तित्व में है। इसे वर्ष 1951 में एक अंशकालिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था और वर्ष 1975 में पूर्णकालिक संस्था बनाई गयी।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 (3) के अनुसार, प्राधिकरण में अध्यक्ष को मिलाकर 14 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जिनमें से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 08 से अधिक नहीं होंगी। के.वि.प्रा. का नेतृत्व अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जो प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में देश में आमतौर पर विद्युत के क्षेत्र में हुए विकास की देखरेख करते हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 72 के तहत केंद्र सरकार के अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा सचिव की नियुक्ति की जाती है जो के.वि.प्रा. के वैधानिक कार्यों के निर्वहन में अध्यक्ष की सहायता करते हैं। सचिव, प्रशासन और तकनीकी से संबंधित सभी मामलों में उनकी सहायता करते हैं जिसमें मानव संसाधन विकास और प्रौद्योगिक आर्थिक मूल्यांकन और विद्युत परियोजनाओं की सहमति आदि शामिल है। वर्तमान में कुल छः स्कंध है जिनके नाम हैं– योजना, जल विद्युत, ताप, ग्रिड संचालन एवं वितरण, आर्थिक एवं वाणिज्यक और विद्युत प्राणाली जिनका प्रत्येक स्कंध की अध्यक्षता प्राधिकरण के सदस्य करते हैं। इसके अलावा एच.ए. ग्रेड में प्रधान मुख्य अभियंता (पीसीई) के दो सी.पी.ई.एस संवर्ग पद भी हैं। प्रत्येक सदस्य के अधीन, विभिन्न तकनीकी प्रभाग होते हैं और प्रत्येक प्रभाग का नेतृत्व मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी करते हैं। के.वि.प्रा का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में के.वि.प्रा के कार्यालय स्थित हैं। के.वि.प्रा. समग्र विद्युत क्षेत्र का नियोजन, समन्वय, जल विद्युत योजना की सहमति प्रदान करना, परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना, तकनीकी मानकों का निर्धारण, सुरक्षा आवश्यकता, ग्रिड मानक एवं राष्ट्र के विद्युत क्षेत्र पर लागू मीटर की स्थापना की शर्तों के लिए उत्तरदायी है। के.वि.प्रा राष्ट्रीय विद्युत नीति पर केंद्र सरकार को सलाह देता है साथ ही विद्युत प्रणाली के विकास के लिए भावी योजना तैयार करता है। यह विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित सभी तकनीकी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार के साथ–साथ विद्युत विनियामक आयोगों को भी सलाह देता है। इसे विद्युत क्षेत्र के सभी घटकों से संबंधित प्राप्त आंकडों के संग्रह, अभिलेख करने और उन्हें सार्वजनिक करने, शोध करने और अनुसंधान को बढ़ावा देने का अधिदेश प्राप्त है।

2. के.वि.प्रा. के कार्य

प्राधिकरण के कार्यों एवं कर्तव्यों का उल्लेख विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 के अन्तर्गत किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 3,8,34,53,55 एवं 177 के अन्तर्गत के.वि.प्रा. को विभिन्न अन्य कार्यों का निर्वहन करना पड़ता है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 73 के अनुसार, के.वि.प्रा. ऐसे कार्यों व कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित हो एवं विशेष रूप से–

क. राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना, विद्युत प्रणाली के विकास के लिए अल्पावधि और भावी योजनाओं का निर्माण करना तथा राष्ट्रीय अर्थव्यस्था के हितों के संरक्षण के लिए संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए नियोजन एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करना, साथ ही सभी उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और सस्ती विद्युत उपलब्ध कराना,

ख. विद्युत संयत्रों, विद्युत लाइनों के निर्माण और ग्रिड से संयोजन के लिए तकनीकी मानकों को निर्दिष्ट करना,

ग. विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण, संचालन और देखरेख के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करना,

घ. पारेषण लाइनों के प्रचालन और रखरखाव के लिए ग्रिड मानकों को निर्दिष्ट करना,

ड. विद्युत के पारेषण और आपूर्ति के लिए मीटर की स्थापना की शर्तों को निर्दिष्ट करना,

च. विद्युत प्रणाली में सुधार और विस्तार के लिए योजनाओं और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए बढ़ावा देना और सहायता करना,

छ. विद्युत उद्योग में लगे व्यक्तियों के कौशल के उन्नयन के उपायों को बढ़ावा देना,

ज. किसी मामले में केंद्र सरकार को यथावांछित सलाह देना या सुझाव देना यदि प्राधिकरण की राय में सुझाव विद्युत उत्पादन, पारेषण, व्यापार, वितरण, और उपयोग में सुधार हेतु उपयोगी हों,

झ. विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और उपयोग से संबंधित आंकड़ों को संग्रह तथा अभिलेखन करना और लागत, दक्षता, प्रतिस्पर्धा और इसी तरह के मामलों के संबंध में अध्ययन करना,

ञ. इस अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी को समय–समय पर सार्वजनिक करना तथा रिपोर्ट और शोध को प्रकाशन के लिए उपलब्ध कराना,

ट. विद्युत के उत्पादन,पारेषण,वितरण और व्यापार को प्रभावित करने वाले मामलों में अनुसंधान को बढ़ावा देना,

ठ. विद्युत के उत्पादन या पारेषण या वितरण के उद्देश्यों से संबंधित अनुसंधान करना या करवाना,

ड. किसी राज्य सरकार, लाइसेंसधारी या उत्पादक कंपनी को ऐसे मामलें में परामर्श देना जो अपने स्वामित्व या नियंत्रण वाली विद्युत प्रणाली को उन्नत तरीके से संचालित करने एवं रखरखाव करने तथा आवश्यकतानुसार किसी अन्य सरकार, लाइसेंसधारी या उत्पादक कंपनी के स्वामित्व वाली या अन्य विद्युत प्रणाली के नियंत्रण हेतु सक्षम बनाये,

ढ़. विद्युत उत्पादन, पारेषण, और वितरण से संबंधित सभी तकनीकी मामलों पर उपयुक्त सरकार और उपयुक्त आयोग को सलाह देना,

ण. इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अन्य कार्यों का निर्वहन करना,

उपर्युक्त कार्यों एवं कर्तव्यों के अलावा के.वि.प्रा को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधोलिखित धारा के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य करने होते हैं–

धारा–3 राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं योजना

1. केंद्र सरकार समय–समय पर राज्य सरकार एवं प्राधिकरण के परामर्श से विद्युत प्राणाली के विकास हेतु प्राकृतिक गैस, परमाणु पदार्थ या सामग्री, जल और उर्जा के नवीकरणीय स्रोत जैसे संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर आधारित राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं प्रशुल्क नीति तैयार करेगी।

2. केंद्र सरकार समय–समय पर राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं प्रशुल्क नीति को प्रकाशित करेगी।

3. केंद्र सरकार समय–समय पर राज्य सरकार एवं प्राधिकरण के परामर्श से उप धारा (1) में निहित राष्ट्रीय विद्युत नीति और प्रशुल्क की समीक्षा या संसोधन कर सकती है।

4. प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार एक राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करेगी तथा ऐसी योजना को पांच वर्ष में एक बार अधिसूचित करेगी।

बशर्ते प्राधिकारी द्वारा जो निर्धारित हो प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करते हुए राष्ट्रीय विद्युत योजना के मसौदे को प्रकाशित करेगा तथा प्राधिकरण निर्धारित समय के भीतर लाइसेंसधारक, उत्पादक कंपनियां एवं जनता से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करेगा।

क. केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के उपरांत योजना को अधिसूचित करेगा।

ख. केंद्र सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार, यदि कोई हो तो, खण्ड (क) के तहत अनुमोदन प्रदान करते समय योजना में संशोधन करेगा।

5. प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना की समीक्षा या संशोधन कर सकता है।

धारा–8 जल विद्युत उत्पादन

1. कोई भी विद्युत उत्पादक कंपनी जल विद्युत केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से ऐसी योजना को तैयार कर प्राधिकरण की सहमति हेतु प्रस्तुत करेगा जिसमें केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित राशि से अधिक व्यय का अनुमान हो।

2. उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किसी भी योजना को सहमति प्रदान करने के पूर्व या प्राधिकरण अपनी राय के संबंध में निम्नलिखित विशेष ध्यान देगा–

क. विद्युत उत्पादन हेतु प्रस्तावित नदी–कार्य, नदी और उसकी सहायक नदियों के सर्वोत्तम विकास की संभावनाओं की खोज करेगा जो पेयजल, सिंचाई, परिवहन, बाढ़ नियंत्रण या अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की आवश्यकता के अनुरूप हो और इसी उद्देश्य के लिए, प्राधिकरण राज्य सरकार, केंद्र सरकार या जिसे वह उपयुक्त समझें, ऐसी अन्य एजेंसियों से परामर्श कर बाधों और अन्य नदी कार्यों के उपयुक्त स्थानों का पर्याप्त अध्ययन करेगा।

ख. प्रस्तावित योजना, बांध प्रारूप एवं सुरक्षा के मानकों को पूरा करता है।

3. जब किसी क्षेत्र में जिस नदी के विकास के लिए जहां एक बहुउद्देश्यीय योजना संचालित होती है, वहां राज्य सरकार और विद्युत उत्पादक कंपनी अपनी गतिविधियों का समन्वय इसी अंर्तसंबंध गतिविधियों वाले उस उत्तरदायी व्यक्तियों की गतिविधियों के साथ करेंगा।

धारा 34 ग्रिड के मानक

प्रत्येक पारेषण लाइसेंसधारी ग्रिड मानकों के अनुरूप पारेषण लाइनों के संचालन और रखरखाव के लिए ऐसे तकनीकी मानकों का अनुपालन करेगा जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट हो।

धारा 53 सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपबंध

प्राधिकरण राज्य सरकारों के परामर्श से उपयुक्त उपाय निर्दिष्ट कर सकता है:–

क. विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण या व्यापार से उत्पन्न खतरों से जनता (उत्पादन, पारेषण या वितरण या व्यापार में शामिल व्यक्ति सहित) की रक्षा करना या विद्युत आपूर्ति या मीटर की स्थापना, रखरखाव या किसी विद्युत लाईन या विद्युत संयंत्र का उपयोग करना।

ख. किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत चोट या संपत्ति के नुकसान या ऐसी संपत्ति के उपयोग में हस्तक्षेप के जोखिम को शमन करना या कम करना।

ग. किसी प्राणाली के माध्यम से विनिर्दिष्ट विशेषताओं के अनुरूप के अलावा विद्युत की आपूर्ति या पारेषण को प्रतिबंधित करना।

घ. निर्दिष्ट प्रारूप में उपयुक्त आयोग एवं विद्युत निरीक्षक को विद्युत आपूर्ति या पारेषण के कारण हुई दुर्घटनाओं एवं चूकों की सूचना देना।

ड़. विद्युत उत्पादक कंपनियों या लाइसेंसधारी द्वारा मानचित्र, योजनाओं या विद्युत के पारेषण व विद्युत आपूर्ति से संबंधित विनियमों का पालन करवाना।

च. किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा या विद्युत निरीक्षक या नियत शुल्क पर कार्यरत कर्मी द्वारा, योजनाओं एवं विनियमों का निरीक्षण करना।

छ. किसी भी विद्युत लाईन या विद्युत संयंत्र या किसी उपभोक्ता द्वारा नियंत्रित किसी विद्युत उपकरण के द्वारा हुए व्यक्तिगत जोखिम को कम करने या शमन करने या इसके नुकसान के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही को विनिर्दिष्ट करना।

धारा–55 मीटर का प्रयोग आदि।

1. प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में बनाये जाने वाले विनियमों के अनुरूप जब तक सही मीटर ना लगा लिए जाएं, कोई भी लाइसेंसधारी उसकी नियुक्ति तिथि से दो वर्ष के बाद विद्युत की आपूर्ति नहीं करेगा।

   बशर्ते जब तक उपभोक्ता मीटर ना खरीद लें, लाइसेंसधारी को मीटर की कीमत के लिए उसे जमानत राशि देनी होगी और इसके लिए एक किराये का करार करना होगा।

   इतना ही नहीं, राज्य आयोग चाहे तो अधिसूचना द्वारा उस वर्ग के लिए या व्यक्तियों के वर्ग के लिए या उस अधिसूचना में निर्दिष्ट उक्त क्षेत्रों के लिए दो वर्ष की अवधि का विस्तार कर सकता है।

2. प्राधिकरण, विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण या व्यापार में उचित लेखांकन एवं लेखा परीक्षण के लिए विद्युत उत्पादक कंपनी या लाइसेंसधारी को, जहां आवश्यक हो, विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण या व्यापार के ऐसे स्थानों एवं चरणों में मीटर लगाने का निर्देश दे सकता है।

3. यदि कोई व्यक्ति उस धारा में निहित उपबंधों या उपधारा (1) के तहत बनाये गये उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो यथाचित आयोग किसी विद्युत उत्पादक कंपनी या लाइंसेंसधारी या कंपनी का किसी अन्य अधिकारी या अन्य संगठन या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस चूक को ठीक कराया जा सकता है।

धारा– 177 प्राधिकरण की नियम बनाने की शक्तियां

1. प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा समान्यतः इस अधिनियम के अनुरूप नियमों और उपबंधों के अनुपालन हेतु नियम बना सकता है।

2. विशेष रूप से, उपधारा (1) में प्रदत्त शक्ति के पूर्वाग्रह के बिना निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले में यह विनियम लागू होगा–

   क. धारा–34 के तहत ग्रिड मानक,

   ख. धारा–53 के तहत सुरक्षा और विद्युत से संबंधित उपयुक्त उपाय,

   ग. धारा–55 के तहत मीटरों की स्थापना एवं उसका प्रचालन,

   घ. धारा– 70 के उपधारा (9) के तहत व्यापार हेतु विनिमय की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध,

   ड. धारा–74 के खंड (ब) के तहत विद्युत और विद्युत लाइनों के निर्माण और ग्रिड से संयोजन के लिए तकनीकी मानक,

   च. प्रपत्र और तरीका, जिस प्रकार और जब राज्य सरकार तथा लाइसेंसधारी आंकडे प्रस्तुत करेगें, उसे धारा 74 के तहत आंकडें, रिटर्न एवं अन्य सूचनाओं का आदान–प्रदान,

   छ. किसी अन्य मामलों को चिन्हित करना,

3. इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा बनाये गये सभी विनियम पूर्व प्रकाशित शर्तों के अध्यधीन होंगे।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 177 के तहत के.वि.प्रा. के विनियमों का निर्धारण एवं संशोधन।

के.वि.प्रा. को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 177 के तहत विनियम बनाने की शक्तियां प्राप्त है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात मूल विनियमों और उसके बाद के संशोधनों की अधिसूचना की स्थिति निम्नलिखित है–

क. अधिसूचित/अधिसूचित किए जाने के लिए प्रस्तावित विनियमः

विद्युत अधिनयम, 2003 के अधिनियमन के बाद से पूर्व वर्षों के दौरान प्राधिकरण द्वारा सृजित और अधिसूचित मूल विनियम निम्नलिखित हैं:–

क्र. सं.	विनियम	अधिसूचित किए जाने की तिथि
1	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006	22.03.2006
2	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, (कामकाज की प्रक्रिया) विनियम, 2006.	22.8.2006
3	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, (ग्रिड के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2007.	09.03.2007
4	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, (सांख्यिकी, विवरणी एवं सूचनाओं की प्रस्तुति) विनियम, 2007.	19.04.2007
5	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, (ग्रिड मानक) विनियम, 2010	26.06.2010
6	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010	24.09.2010
7	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, (विद्युत संयंत्र और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2010	20.08.2010 (अंग्रेजी संस्करण) और 07.09.2010 (हिन्दी संस्करण)
8	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, (विद्युत संयंत्र और विद्युत लाइनों के निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं) विनियम, 2011	14.02.2011
9	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, (वितरित विद्युत उत्पादन संसाधनों के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2013	07.10.2013
10	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत प्रणाली संचालन में संचार प्रणाली के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2019	प्रक्रियाधीन है।

ख. अधिसूचित/अधिसूचित किए जाने के लिए विनियमों में प्रस्तावित संशोधनः

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत पैमाने पर विद्युत क्षेत्र में आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों की आवश्यकतानुसार, नियमित रूप से विनियमों की समीक्षा और संशोधन किया जाता है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के बाद से पूर्व वर्षों के दौरान प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित संशोधनों/प्रस्तावित किये जाने वाले संशोधनों की सूची निम्नलिखित है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में कुछ विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया जारी है।

क्र. सं.	विनियम	अधिसूचित किए जाने की तिथि
1	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) संशोधन विनियम, 2010	26.06.2010
2	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) संशोधन विनियम, 2013.	15.10.2013
3	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) संशोधन विनियम, 2014.	03.12.2014
4	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) संशोधन विनियम, 2015.	07.04.2015
5	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) प्रथम संशोधन विनियम, 2015.	13.04.2015
6	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) द्वितीय संशोधन विनियम, 2018.	01.03.2018
7	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (33 केवि से कम विद्युत संयोजन के लिए तकनीकी मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2019.	08.02.2019
8	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) (संशोधन), विनियम, 2019.	08.02.2019
9	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) (संशोधन) तृतीय संशोधन विनियम, 2019.	28.06.2019
10	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) (संशोधन) तृतीय संशोधन विनियम, 2019.	23.12.2019

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

1. परिचय

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ), अर्ध–न्यायिक शक्तियों सहित एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत दिनांक 25 जुलाई, 1998 को गठित किया गया था तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत जारी है। आयोग में पदेन सदस्य के रूप में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा एक अध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं।

2. केविविआ के कार्य

विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा सौंपे गए कार्यों के अनुसार, आयोग निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है:

क. केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना;

ख. खंड (क) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण से भिन्न उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक राज्य से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और विक्रय के लिए संयुक्त स्कीम में शामिल होती हैं या अन्यथा उनकी ऐसी कोई संयुक्त स्कीम है;

ग. विद्युत के अतंर–राज्यीय पारेषण को विनियमित करना;

घ. विद्युत के अंतर–राज्यीय पारेषण के लिए टैरिफ अवधारित करना;

ङ. किन्हीं व्यक्तियों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और उनकी अंतर–राज्यिक प्रचालनों की बाबत विद्युत व्यापारी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना;

च. उपर्युक्त खंड (क) से (घ) तक जुड़े विषयों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को शामिल करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करना तथा मध्यस्थता के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट करना;

छ. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस वसूल करना;

ज. ग्रिड मानकों को ध्यान में रखते हुए, ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना;

झ. अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता की बाबत मानकों को विनिर्दिष्ट और प्रवृत्त करना;

ञ. विद्युत के अंतर–राज्यीय व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, व्यापार अंतर को नियत करना;

ट. ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं।

केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(2) के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना :

क. राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति बनाना;

ख. विद्युत उद्योग के क्रियाकलाप में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययता को बढ़ावा देना;

ग. विद्युत उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना और;

घ. उस सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

3. वर्ष 2019–20 (31 दिसम्बर, 2019 तक) के दौरान प्रमुख गतिविधियाँ:

क. अधिसूचित किए गए प्रमुख विनियम

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस तथा शुल्क तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम, 2019

ये विनियम ग्रिड पहुंच और अनुसूचीकरण के आरंभ के लिए पंजीकरण तथा उपयोगकर्ताओं से वार्षिक एलडीसी प्रभारों के रूप में एकत्रित किए जाने वाले वार्षिक प्रभारों के लिए उत्पादन कंपनियों, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, क्रेताओं, विक्रेताओं तथा अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों और कोई अन्य उपयोगकर्ताओं से प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले फीस एवं प्रभारों के निर्धारण के लिए लागू हैं।

इस विनियम में प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र पूंजी व्यय (केपेक्स), प्रतिस्थापन व्यय (रीपेक्स) तथा ओपेक्स योजनाएं सम्मिलित हैं। इस विनियम में फीस और प्रभारों के अवधारण के लिए आवेदन, पूंजी व्यय की प्रज्ञावान जांच, वार्षिक प्रभारों का ट्रूइंग अप, अतिरिक्त पूंजीकरण और पूंजीगत लागत की संगणना भी सम्मिलित हैं।

इन विनियमों के अधीन, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र / राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र नियंत्रण अवधि के भीतर एक बार अपने खर्चों की मध्यावधि समीक्षा करेगा, यदि समान स्थिति को देखते हुए आवश्यक हो, जैसे कि वेतन पुनरीक्षण, अनुमोदित केपेक्स या रीपेक्स या किसी अन्य नहीं देखी गई आवश्यकता के संबंध में महत्वपूर्ण विचलन, और इन विनियमों के प्रारंभ होने के तारीख से दो साल बाद आयोग के समक्ष ट्रू–अप याचिका दायर कर सकता है।

ख. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र तथा सहबद्ध विषय) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2019

वर्ष 2014 में अधिसूचित विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियमों में विचलन व्यवस्थापन तंत्र कीमत वेक्टर के पुनरीक्षण की व्यवस्था है। वर्ष 2014 से पावर क्षेत्र में कई विकास हुए हैं। इस पृष्ठभूमि में, आयोग ने उभरते बाजार वास्तविकताओं के परिप्रेक्ष्य में ग्रिड के सुरक्षित, संरक्षित एवं विश्वसनीय प्रचालन की आवश्यकता तथा फ्रीक्वेंसी के साथ उनके लिंकेज सहित विचलन व्यवस्थापन तंत्र (डीएसएम) दरों के सिद्धांतों की समीक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रीक्वेंसी के मौजूदा प्रचालन बैंड की समीक्षा को आवश्यक समझा।

तदनुसार, आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं सहबद्ध मामले) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 के बाद केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं सहबद्ध मामले) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2019 अधिसूचित किया।

इन संशोधनों ने डीएसएम कीमत वेक्टर के लिए संदर्भ फ्रीक्वेंसी बैंड (अर्थात् 49. 85 हर्ट्स से 50.05 हर्ट्स) के पुनरीक्षण के अलावा पावर एक्सचेंज के अहेड बाजार खंड में पता लगाई गई दैनिक औसत क्षेत्र क्लीयरिंग कीमत को डीएसएम कीमत वेक्टर (50 हेर्टस की कीमत पर) से लिंक करने के द्वारा उसका पुनरीक्षण आरंभ किया। ग्रिड अनुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में, चिन्ह परिवर्तन मानदंड के गैर–अनुपालन के लिए वित्तीय दंड आरंभ किया। एक दिशा में सतत विचलन के मामले में चिन्ह के परिवर्तन के लिए समय ब्लॉकों की संख्या दिनांक 31.3.2020 तक 12 समय–ब्लॉक के रूप में रखी गई है तथा 1.4.2020 से आगे के लिए 6 समय–ब्लॉक तक पुनरीक्षित की गई है। आयोग ने चिन्ह परिवर्तन मानदंड के अनुपालन के लिए तकनीकी एवं प्रचालनगत कमियों को ध्यान में रखते हुए, अनुसूची से +/– मेगावाट की स्वीकार्य रेंज प्रदान की, जो की मौजूदा विनियमों के अधीन उपलब्ध 150 मेगावाट/200 मेगावाट/250 मेगावाट के मौजूदा विचलन लचीलेपन का एक सबसेट होगी।

ग. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2019

इन विनियमों में ''विद्युत प्रणाली विकास निधि'' (पीएसएफडी) नामक निधि की व्यवस्था है जिसमें निम्नलिखित से राशियां जमा की जाती हैं, (क) संकुलन राहत विनियमों के अनुसार ब्याज, यदि कोई हो, के साथ संकुलन प्रभारों की प्राप्ति के लिए पात्र प्रादेशिक इकाइयों को देय राशियों के रिलीज के बाद ''संकुलन प्रभार लेखा'' में जमा करने हेतु संकुलन प्रभार (ख) पावर बाजार विनियमों के अनुसार पावर एक्सचेंजों में बाजार विखंडन के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों की बाजार कीमतों में भिन्नता से उत्पन्न संकुलन राशि (ग) विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियमों के अनुसार दावों के अंतिम व्यवस्थापन के बाद ''प्रादेशिक विचलन पूल लेखा निधि'' में जमा किए जाने वाले विचलन व्यवस्थापन प्रभार (घ) ग्रिड संहित के अनुसार ''रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार लेखा'' में जमा किए जाने वाले रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार (ङ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के अनुसार अल्पकालिक निर्बाध पहुंच अग्रिम द्विपक्षीय संव्यवहारों में नीलामी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न अतिरिक्त पारेषण प्रभार और समय–समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित इस प्रकार के अन्य कोई प्रभार।

विनियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि विद्युत प्रणाली विकास निधि भारत के सार्वजनिक लेखा के माध्यम से परिरक्षित तथा प्रचालित की जाएगी। विनियम में व्यवस्था है कि विद्युत प्रणाली विकास निधि इन सभी के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु परियोजनाओं या योजनाओं के निधिपोषण के लिए उपयोग किया जाएगा (क) अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली तथा अंतःराज्यिक प्रणालियों, जो कि अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में आकस्मिक हैं, में संकुलन से राहत के लिए भार प्रेषण केन्द्रों के प्रचालन फीडबैक पर आधारित रणनीतिक महत्व वाली आवश्यक पारेषण प्रणालियों का सृजन करना (ख) ग्रिड में वोल्टेज प्रोफाईल के सुधार के लिए शंट कैपसिटर, श्रृंखला कंपेन्सेटर तथा अन्य रिएक्टिव ऊर्जा उत्पादकों की स्थापना (ग) मानक तथा विशिष्ट सुरक्षा योजनाएं, पायलट तथा प्रदर्शनात्मक योजनाएं तथा प्रादेशिक आधार पर संरक्षण लेखापरीक्षा में पता लगाई गई विसंगतियों को ठीक करना (घ) संकुलन में राहत हेतु पारेषण तथा वितरण प्रणालियों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण (ङ) तकनीकी अध्ययन तथा क्षमता निर्माण जैसे उपरोक्त उद्देश्यों के प्रोत्साहन में कोई अन्य परियोजना।

विद्युत प्रणाली विकास निधि से धन को उपरोक्त क्षेत्रों में वितरण इकाइयों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भी उपयोग किया जा सकता है जो कि अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में आकस्मिक हैं तथा जिनका ग्रिड संरक्षण तथा सुरक्षा से संबंध है, बशर्ते ये परियोजनाएं भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार (सरकारों) की किसी अन्य योजना में कवर नहीं होती हैं। विद्युत प्रणाली के विकास के हित में केन्द्रीय सरकार की कोई अन्य योजना जिसमें विद्युत प्रणाली विकास निधि से सहायता अपेक्षित है, विद्युत प्रणाली विकास निधि से सहायता हेतु पात्र होंगे। केन्द्रीय सरकार, परियोजना या योजना के महत्व तथा सम्मिलित धन की मात्रा के आधार पर विद्युत प्रणाली विकास निधि से धन की स्वीकृति तथा रिलीज को प्राथमिकता दे सकती है। निजी क्षेत्र परियोजनाएं, विद्युत प्रणाली विकास निधि से सहायता हेतु पात्र नहीं होंगी।

घ. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2019 के माध्यम से वास्तविक–समय बाजार (आरटीएम) के लिए रूपरेखा

नवीकरणीय ऊर्जा अस्थिर और अनिश्चित होने के कारण, विद्युत प्रणालियों के सुचारु प्रचालन के लिए इसका ग्रिड में प्रभावी एकीकरण महत्वपूर्ण है, अतः प्रणालियों में इसके एकीकरण और बाजार प्रचालन के लिए पर्याप्त रूपरेखा की आवश्यकता रखता है। इस संदर्भ में, आयोग ने न केवल अनिरंतर नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर उपयोग के लिए, बल्कि अंतःदिवस समय हॉरिजॉन में संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए भी वास्तविक समय से संबंधित बाजार प्रचालनों में सुधारों के संबंध में आगे की कार्यवाही की आवश्यकता महसूस की। बोली लगाकर भुगतान करें मॉडल पर आधारित निरंतर व्यापार (अंतःदिवस व्यापार) की वर्तमान प्रणाली में अपर्याप्तता है और यूरोप में भी इस डिजाइन पर पुनर्विचार हो रहा है। अतः भारत में भी अंतःदिवस बाजार सेगमेंट को निरंतर व्यापार से एकरूप कीमत तंत्र पर आधारित नीलामी जैसे सुधारों के अगले चरण की ओर जाने की आवश्यकता है।

इस पृष्ठभूमि में, आयोग ने प्रत्येक आधे घंटे में पंद्रह मिनटों के दो ब्लॉकों में डिलीवरी के लिए प्रत्येक आधे घंटे में एक बार वास्तविक–समय बाजार आयोजित करने का प्रस्ताव रखते हुए भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, विद्युत बाजार विनियमों और निर्बाध पहुंच विनियमों के ड्राफ्ट संशोधन के बाद एक विचार–विमर्श पेपर प्रस्तुत किया। आयोग द्वारा अधिसूचित वास्तविक–समय बाजार डिजाइन में एकसमान कीमत के साथ दो तरफा बंद नीलामी कीमत खोज तंत्र वाले आधे घंटे के वास्तविक–समय बाजार की व्यवस्था है। गेट क्लोजर की अवधारणा में आधे घंटे के बाजार के साथ तालमेल में समय प्रदान किया जाता है।

इस तंत्र के अधीन, क्रेताओं/विक्रेताओं को आधे घंटे के वास्तविक–समय बाजार में प्रत्येक पंद्रह मिनट समय ब्लॉक के लिए क्रय/विक्रय करने के लिए बोली लगाने का विकल्प दिया जाता है। दीर्घकालिक संविदा और इस बाजार में सहभागिता करने वाले उत्पादनकारियों से निवल लाभों को साझा करना अपेक्षित है। वास्तविक समय बाजार वित्तीय रूप से एवं भौतिक रूप से बाध्यकारी है और यदि यूटिलिटी वास्तविक समय बाजार के बाद प्रेषण अनुदेश का अनुपालन करने में असफल होते हैं, तो विचलन व्यवस्थापन तंत्र के अधीन प्रभार देय होगा।

ख. अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति

2018–19 के अंत तक 37 अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारी हैं। इनमें से, लगभग 25 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी विद्युत में व्यापार कर रहे हैं। यह व्यापार अनुज्ञप्तिधारी क्रेता और विक्रेताओं दोनों के लिए राउण्ड दि क्लॉक (आरटीसी) एवं पीक अवधि से भिन्न और पीक अवधि, राउण्ड दि क्लॉक अवधि के लिए अलग से द्विपक्षीय संविदाएं करते हैं। व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की मात्रा वर्ष 2009–10 में 26.72 बीयू से 2018–19 में 47.32 बीयू हो गई है।

ग. पावर एक्सचेंज कारोबार

2008 में स्थापित और 11 वर्षों के लिए प्रचालन कर रहे पावर एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं और डे–अहेड कांट्रेक्ट, टर्म अहेड कांट्रेक्ट (साप्ताहिक कांट्रेक्ट, अंतःदिवस कांट्रेक्ट इत्यादि) के लिए व्यापार के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध करा रहे हैं। पावर एक्सचेंजों पर कारोबारी विद्युत 2009–10 में 7.2 बीयू से 2018–19 में 53.52 बीयू हो गई। पावर एक्सचेंजों में सहभागियों की संख्या में वृद्धि हुई है और यह विभिन्न राज्यों में 4000 खुली पहुंच उपभोक्ता से अधिक हो गए हैं।

दिनांक 8.4.2015 के अपने आदेश में आयोग ने पावर एक्सचेंजों को विस्तारित बाजार सत्र (अर्थात् राउण्ड दि क्लॉक, अंतःदिवस/आकस्मिक बाजार) को प्रचालनगत करने के लिए पावर एक्सचेंज को निर्देश दिया। पावर एक्सचेंजों ने डे–अहेड आकस्मिकता और अंतःदिवस बाजारों के लिए मौजूदा उत्पादों को जारी रखते हुए जुलाई, 2015 में विस्तारित बाजार सत्र पर अपने प्रचालनों को आरंभ किया।

घ. पावर मार्केट मॉनिटरिंग

सुचारू रूप से कार्य कर रहे विद्युत बाजार में प्रभावी बाजार मॉनिटरिंग प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। विद्युत बाजार मॉनिटरिंग प्रक्रिया के भाग के रूप में, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) 2 रिपोर्टों को तैयार करता रहा है। यह रिपोर्टें निम्नलिखित हैं :

क. भारत में विद्युत के अल्पकालिक कारोबारों पर मासिक रिपोर्ट जिसका उद्देश्य निम्नानुसार है:

i. विद्युत के अल्पकालिक कारोबारों (एक वर्ष के कम की कांट्रेक्ट अवधि) की मात्रा और कीमत में प्रवृत्तियों का पता लगाना।

ii. बाजार प्रतिस्पर्धियों में प्रतिस्पर्धा को विश्लेषित करना; और

iii. सभी संगत बाजार सूचना प्रकट/प्रसारित करना।

अतएव यहां ''विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार से अभिप्राय वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, पावर एक्सचेंजों और विचलन व्यवस्थापन तंत्र (डीएसएम) द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों (केवल अंतरराज्यिक भाग)'' के माध्यम से द्विपक्षीय कारोबारों के अधीन अंतरित विद्युत के एक वर्ष के कम की अवधि के कांट्रेक्ट हैं।

ख. भारत में अल्पकालिक विद्युत बाजार से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने वर्ष 2018–19 के लिए भारत में अल्पकालिक विद्युत बाजार से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में मुख्यतः विद्युत के अल्पकालिक कारोबारों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण, पावर एक्सचेंजों पर निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं का विश्लेषण, व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों और पावर एक्सचेंजों के माध्यमों से विद्युत के बड़े क्रेता और विक्रेता, एक्सचेंजों के माध्यम से व्यापार किए गए विद्युत की मात्रा पर संकुलता के प्रभाव, व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापार मार्जिन, पावर एक्सचेंजों पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र का व्यापार और विभिन्न वितरण कंपनियों के लिए विद्युत के दीर्घकालिक स्रोतों के टैरिफ सहित अल्पकालिक कीमत की तुलना की गई है।

ङ. वर्ष के दौरान संशोधित विनियम

क. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (छठा संशोधन) विनियम, 2019

ख. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यीय पारेषण में निर्बाध पहुंच) (छठा संशोधन) विनियम, 2019

ग. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर बाजार) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2019

घ. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं सहबद्ध मामले) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2019

ङ. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (स्टाफ की भर्ती, नियंत्रण एवं सेवा शर्तें) (चौथा संशोधन) विनियम, 2019

च. ड्राफ्ट विनियम/विचार–विमर्श पेपर

क. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यीय पारेषण में निर्बाध पहुंच) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर बाजार) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2019 के माध्यम से वास्तविक–समय बाजार के लिए ड्राफ्ट ढांचा

ख. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की शेयरिंग) विनियम, 2019

ग. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2019

घ. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं सहबद्ध मामले) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2019

ङ. ड्राफ्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें और अन्य सहबद्ध मामले) विनियम, 2019

च. ''विद्युत क्षेत्र के लिए लागू कोयला कीमत सूचकांक के संकलन के लिए कार्यप्रणाली'' के संबंध में स्टाफ पेपर

छ. ई–कोर्ट प्रणाली – सौदामिनी

डिजिटल इण्डिया के स्वप्न के साथ तालमेल रखते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने याचिकाओं और अन्य दस्तावेजों को ऑनलाइन दाखिल करने के लिए समेकित, लचीला और गतिशील डाटाबेस विकसित करने के लिए कोर्ट केस मैनेजमेंट ऑटोमेशन प्रणाली (सीसीएमएएस) परियोजना के अधीन दिनांक 4.4.2016 से प्रभावी ई–फाइलिंग एप्लीकेशन आरंभ किया है। ई–फाइलिंग एप्लीकेशन के माध्यम से, प्रयोक्ता अपनी याचिकाओं/उत्तरों/प्रत्युत्तरों/अन्य दस्तावेजों को ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं और अपनी याचिकायों की स्थिति का पता लगा सकते हैं। यह केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की विधिक प्रणाली में आसानी से पहुंच प्रदान करता है और यह त्वरित निपटान, पारदर्शिता, किफायती और कुशलता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संस्था के जारी प्रयासों का हिस्सा है। एसएमएस सूचना, नोटिस की ऑनलाइन सेवा, कार्यवाहियों, आदेशों इत्यादि के रिकार्ड का ऑनलाइन प्रेषण, जैसी विशेषताओं के साथ ई–फाइलिंग प्रणाली का लक्ष्य इस ढंग से परिवर्तन करना है जिसमें केविविआ में विधिक प्रणाली कार्य करती है।

एनटीपीसी लिमिटेड वित्त वर्ष 2018–19 के लिए 2,473.64 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश का भुगतान करते हुए

अध्याय 19

विद्युत अपील प्राधिकरण (एपटेल)

1. विद्युत अपील प्राधिकरण (एपटेल) की स्थापना विद्युत अधिनियम, 2003 की (धारा 110) के प्रावधानों के अंतर्गत अखिल भारतीय अधिकार क्षेत्र (जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर) के साथ की गई थी और यह 13 मई, 2005 को स्थापित हुआ। इसने 21 जुलाई, 2005 से अपीलें स्वीकार करना शुरू कर दिया। इस समय अधिकरण सातवां तल, कोर–4, स्कोप काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में स्थित है।

2. एपटेल की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाती है। 13.08.2018 से माननीया न्यायमूर्ति श्रीमती मंजुला चेल्लूर मुंबई, कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश अधिकरण की अध्यक्षा हैं। अधिकरण में एक न्यायिक सदस्य तथा तीन तकनीकी सदस्य के पद भी हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश श्री एन के पाटिल दिनांक 01.05.2019 तक न्यायिक सदस्य रह चुके है और दिनांक 04.12.2019 से दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री आर के गौबा, न्यायिक सदस्य है। श्री एस. डी. दुबे और श्री आर के वर्मा इस अधिकरण के तकनीकी सदस्य हैं।

3. अधिकरण को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के आदेशों/निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए भी अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। अधिकरण में एक तकनीकी सदस्य (पीएंडएनजी) और दिनांक 31.12.2019 तक श्री बी. एन. तालुकदार इस अधिकरण के तकनीकी सदस्य (पीएंडएनजी) रहे है।

4. वर्तमान में, डॉ. आशु संजीव तिंजन अधिकरण की रजिस्ट्रार हैं। वह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर हरियाणा उच्च न्यायायिक सेवा की सदस्य हैं।

5. एपटेल केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों, संयुक्त आयोगों और अधिनिर्णयन अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई अपीलों की सुनवाई और निपटारा करता है। एपटेल की स्थापना के बाद से इस विषय पर, जम्मू–कश्मीर राज्य को छोड़कर, सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों में लंबित अपीलें भी इस अधिकरण को अंतरित कर दी गई थीं।

6. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत (धारा 127 के अंतर्गत छोड़कर) किसी निर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त आयोग द्वारा किए गए आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति विद्युत अपीलीय प्राधिकरण में अपील कर सकता है। लेवी तथा प्रशस्ति लगाने वाले निर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करने वाला व्यक्ति अपील दायर करते समय विद्युत की अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ऐसी प्रशस्ति की राशि जमा करेगा। प्रत्येक अपील निर्णायक अधिकारी अथवा उपयुक्त आयोग द्वारा किए गए आदेश की प्रति असंतुष्ट व्यक्ति को प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर दायर की जानी चाहिए। (धारा 111)

7. कार्यवाहियां दो न्यायालयों में आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक न्यायालय में एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होते हैं।

8. दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार, दाखिल की गई 14368 अपीलें/याचिकाएं/मामले इत्यादि दाखिल की गई हैं। इनमें से 11072 का निपटारा किया जा चुका है (31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, 3296 मामले लंबित हैं जिनमें अपीलें, आंतरिक आवेदन, मूल याचिकाएं, समीक्षा याचिका, संशोधित याचिका, निष्पादन याचिका और अवमानना याचिका इत्यादि शामिल हैं)।

9. इस प्रकार से अपने प्रचालन की इस लघु अवधि में एपटेल पूर्ण रूप से प्रचालनात्मक हो चुका है और बड़ी संख्या में मामलों का सफलतापूर्वक निपटान किया गया है। यह अधिकरण चेन्नई, मुंबई एवं कोलकाता में भी सर्किट बेंच सिटिंग के साथ प्रचालन कर रहा है।

10. अधिकरण की वेबसाइट **(www.aptel.gov.in)** में दैनिक मामलों की सूची और निर्णय/आदेश आसानी से देखे जा सकते हैं।

एनटीपी खरगोन – भारत की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल युनिट

एनटीपीसी लिमिटेड

1. भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी, एनटीपीसी लिमिटेड, भारत में सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक है, जिसके पास विद्युत स्टेशनों के निर्माण तथा प्रचालन में व्यापक आंतरिक क्षमताएं मौजूद हैं। एनटीपीसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 10,000 करोड़ रूपए है, जबकि संदत्त पूंजी 9894.56 करोड़ रूपए है। 31 दिसंबर, 2019 तक 51.02% इक्विटी भारत सरकार के पास है।

   एनटीपीसी का विजन ''भारत के विकास को ऊर्जा प्रदान करते हुए विश्व की अग्रणी विद्युत कंपनी बनना'' और मिशन ''नवप्रवर्तन एवं स्फूर्ति द्वारा संचालित रहते हुए किफायती, दक्षतापूर्ण एवं पर्यावरण–हितैषी तरीके से विश्वसनीय विद्युत–ऊर्जा एवं संबद्ध सेवाएँ प्रदान करना'' है।

   एनटीपीसी की मूल मान्यताएं नीचे दी गई हैं:

   - सत्यनिष्ठा,
   - ग्राहक को प्रधानता,
   - संगठन का गौरव,
   - परस्पर आदर और विश्वास,
   - नवप्रवर्तन एवं ज्ञानार्जन और
   - संपूर्ण गुणवत्ता और सुरक्षा।

संक्षेप में इन्हें ''आईकमिट (आईसीओएमआईटी)'' कहा जाता है।

पिछले कई वर्षों में एनटीपीसी ने वैश्विक स्तर प्राप्त किया है। वर्ष 2019 के लिए प्लैट्स टॉप 250 वैश्विक ऊर्जा कंपनियों में एनटीपीसी को विश्व में दूसरे (2) स्वतंत्र विद्युत उत्पादक का स्थान प्राप्त हुआ है।

2. वर्ष 2019–20 के लिए प्रचालनात्मक निष्पादन झलकियां

2.1. अप्रैल–दिसम्बर, 2019 के दौरान, संयुक्त उद्यमों को छोड़कर, एनटीपीसी स्टेशनों से सकल उत्पादन 191.347 बीयू है। इस अवधि के दौरान, एनटीपीसी कोयला आधारित स्टेशनों ने रिजर्व शटडाउन सहित 90.02 प्रतिशत की उपलब्धता के साथ 67.13 प्रतिशत का पीएलएफ प्राप्त किया है।

2.2. एनटीपीसी के चार (4) कोयला स्टेशनों अर्थात् सिंगरौली (87.04 प्रतिशत), रिहंद (85.92 प्रतिशत), कोरबा (85.81 प्रतिशत), और विंध्याचल (85.53 प्रतिशत) ने 85 प्रतिशत से अधिक पीएलएफ प्राप्त किया।

2.3. दिसम्बर, 2019 तक की स्थिति के अनुसार, एनटीपीसी की संस्थापित क्षमता 58,156 मेगावाट (संयुक्त उद्यमों तथा अनुषंगी कंपनियों के अंतर्गत 8,461 मेगावाट सहित) है। एनटीपीसी की संस्थापित क्षमता का ब्यौरा **अनुलग्नक– I** में दिया गया है।

2.4. मेजा इकाई–1 (660 मेगावाट), गदरवारा इकाई–1 (800 मेगावाट), एनपीजीसीएल इकाई–1 (660 मेगावाट), लारा इकाई–1 (800 मेगावाट) और टांडा इकाई–5 (660 मेगावाट), अर्थात कुल 3,580 मेगावाट ने चालू वित्त वर्ष में वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया है।

3. वाणिज्यिक निष्पादन

3.1. त्रिपक्षीय करार (टीपीए) : टीपीए तंत्र, वितरण यूटिलिटियों को विद्युत की आपूर्ति के संबंध में केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के भुगतान सुनिश्चित करता है। महाराष्ट्र और पंजाब को छोड़कर, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

3.2. बिलिंग और वसूली: वर्ष 2019–20 के दौरान, दिसम्बर तक, एनटीपीसी ने 71,039 करोड़ रुपये (इकत्तहर हजार उनतालीस करोड़ रुपये) की बिलिंग की तुलना में 61,916 करोड़ रुपये (इकसठ हजार नौ सौ सोलह करोड़ रुपये) की वसूली की है। भुगतान प्रतिभूति के तौर पर अधिकांश लाभग्राहियों द्वारा अपने औसत मासिक बिल के 105 प्रतिशत के समतुल्य राशि के साख पत्र (एलसी) रखे जा रहे हैं।

3.3. ग्राहक संबंध प्रबंधन: ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम), ग्राहकों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए की गई एक महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। यह एनटीपीसी की मूल मान्यताओं के अनुरूप है, जहां ग्राहक को प्रधानता एक प्रमुख तत्व है।

सीआरएम के अंतर्गत, ग्राहकों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए ग्राहकों के साथ नियमित संरचित चर्चा, सहयोग के संभाव्य क्षेत्रों की पहचान करना और वितरण हानि कम करने, विद्युत संयंत्र निष्पादन में सुधार, विद्युत व्यापार के वाणिज्यिक पहलू आदि जैसी विभिन्न समर्थन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, एनटीपीसी पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (पीएमआई) ग्राहकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश करता है। अप्रैल–दिसम्बर, 2019 के दौरान, 14 कार्यक्रमों में 39 प्रतिभागियों ने ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

3.4. यूआरएस (अनरिक्कीसिशंड सरप्लस) विद्युत की बिक्री: एनटीपीसी लाभार्थियों की सहमति से विद्युत विनिमय में यूआरएस विद्युत की बिक्री कर रहा है। अप्रैल–दिसम्बर, 2019 के दौरान, एनटीपीसी ने 419 मिलियन यूनिट यूआरएस विद्युत की बिक्री की है। इस बिक्री से प्राप्त लाभ को टैरिफ नीति के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थियों के साथ 50:50 के अनुपात में साझा किया गया है।

4. वित्तीय निष्पादन

एनटीपीसी ने बेहतरीन वित्तीय प्रदर्शन बनाए रखा है। अप्रैल–सितंबर 2018 के दौरान, एनटीपीसी ने 45,326 करोड़ रूपये (पैंतालीस हजार तीन सौ छब्बीस करोड़ रूपये) (गैर–लेखापरीक्षित) की कुल आय और 5,014 करोड़ रूपये (पांच हजार चौदह करोड़ रूपये) (गैर–लेखापरीक्षित) कर उपरांत निवल लाभ की तुलना में अप्रैल–सितंबर 2019 के दौरान, एनटीपीसी ने 48,177 करोड़ रूपये (अड़तालीस हजार एक सौ सतत्तर करोड़ रूपये) (गैर–लेखापरीक्षित) की कुल आय और 5,865 करोड़ रूपये (पांच हजार आठ सौ पैंसठ करोड़ रूपये) (गैर–लेखापरीक्षित) कर उपरांत निवल लाभ प्राप्त किया।

5. वृद्धि

एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक की समयावधि के लिए दीर्घावधि कारपोरेट योजना तैयार की है, जो एनटीपीसी के विकास के लिए व्यापक रूपरेखा (रोडमैप) निर्धारित करती है। इस योजना के अंतर्गत, एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक 130 गीगावाट की संस्थापित क्षमता का लक्ष्य बनाया है, जिसमें कोयला (65.4 प्रतिशत), गैस (4.6 प्रतिशत), सौर (23.1 प्रतिशत), जल विद्युत (3.8 प्रतिशत), अन्य नवीकरणीय ऊर्जा (1.5 प्रतिशत) तथा परमाणु ऊर्जा (1.5 प्रतिशत) वाला एक बहु–विविध ईंधन मिश्रण शामिल है।

5.1. क्षमता वर्धन कार्यक्रम

दिनांक 31.12.2019 तक की स्थिति के अनुसार, संयुक्त उद्यमों तथा सहायक कंपनियों सहित 26 परियोजना स्थलों पर 17,243 मेगावाट क्षमता हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है। ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

5.2. संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों के माध्यम से वृद्धि: एनटीपीसी ने वृद्धि हेतु विभिन्न संयुक्त उद्यम कंपनियों तथा सहायक कंपनियों की स्थापना की है। इन कंपनियों का ब्यौरा **अनुलग्नक–III** में दिया गया है।

5.3. पड़ोसी देशों में क्षमता अभिवर्धन हेतु पहलें (संयुक्त उद्यम के माध्यम से)

5.3.1. बांग्लादेशः एनटीपीसी ने कोयला आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए बांग्लादेश भारत मैत्री विद्युत कंपनी लिमिटेड (बीआईएफपीसीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की है, जो एनटीपीसी तथा बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड (बीपीडीबी) के बीच 50:50 भागीदारी वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह संयुक्त उद्यम कंपनी बांग्लादेश में रामपाल (खुलना) में 1,320 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित कर रही है।

5.3.2. श्रीलंकाः सामपुर, त्रिंकोमाली में एक 50 मेगावाट की सौर पीवी बिजली परियोजना को त्रिंकोमाली पावर कंपनी लिमिटेड, जो कि एनटीपीसी लिमिटेड और सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) के बीच मौजूदा संयुक्त उद्यम है, द्वारा विकसित किये जाने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, केरावलपिटिया, श्रीलंका में प्रस्तावित 300 मेगावाट की एलएनजी विद्युत परियोजना के विकास के लिए, एक नई 50:50 भागीदारी वाली संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी के निगमन हेतु, एनटीपीसी लिमिटेड और सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) के बीच संयुक्त उद्यम और शेयरधारक करार (जेवीएसएचए) पर दिनांक 25.10.2019 को कोलंबो, श्रीलंका में हस्ताक्षर किए गए।

5.3.3. एनटीपीसी म्यांमार, वियतनाम, जिम्बावे, ओमान, कतर, मोरक्को, यूएई, मालावी, केन्या, मोजाम्बिक, उज्बेकिस्तान और इजरायल में भी व्यापार के अवसर तलाश रही है।

5.4. नवीकरणीय ऊर्जा

एनटीपीसी की नवीकरणीय पहलों की संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गई हैः

5.4.1. सौर ऊर्जा परियोजनाएंः एनटीपीसी पहले ही ईपीसी मोड के तहत 870 मेगावाट की सौर परियोजनाओं और डेवलपर मोड के तहत 2,750 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का प्रारम्भ कर चुकी है। एनटीपीसी ने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत 545 मेगावाट की सौर परियोजनाएं प्राप्त की हैं। इसके अलावा, सीपीएसयू स्कीम के तहत वीजीएफ आधारित बोली के माध्यम से 1692 मेगावाट की परियोजनाएं हासिल की हैं।

वर्तमान में, 662 मेगावाट की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनमें 237 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा एनटीपीसी ने डेवलपर मोड में आईएसएसएस कनेक्टिविटी सहित और भारत में किसी भी स्थान पर स्थित 1,400 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का कार्य सौंपा है।

5.4.2. पवन विद्युत परियोजना : एनटीपीसी ने गुजरात में अपनी पहली पवन ऊर्जा आधारित 50 मेगावाट परियोजना का प्रारम्भ किया है। इसके अलावा एनटीपीसी ने डेवलपर मोड में आईएसएसएस कनेक्टिविटी सहित और भारत में किसी भी स्थान पर 850 मेगावाट की पवन विद्युत परियोजनाओं का कार्य सौंपा है।

5.5. नाभिकीय ऊर्जा

एनटीपीसी लिमिटेड ने नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए क्रमशः 49 प्रतिशत तथा 51 प्रतिशत की इक्विटी धारिता के साथ न्यूक्लियर विद्युत कारपारेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की है। ''अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड'' नामक इस संयुक्त उद्यम कंपनी को 27.01.2011 को निगमित किया गया था।

5.6. कार्यनीतिक विविधीकरणः विद्युत उत्पादन व्यापार में अपने प्रतिस्पर्धी बढ़त को सुदृढ़ करने के लिए एनटीपीसी ने कोयला खनन, परामर्श, विद्युत व्यापार आदि जैसे क्षेत्रों में अपने पोर्टफोलियो का विविधीकरण किया है।

5.6.1. कैप्टिव कोयला खानों का विकासः कोयला खनन एनटीपीसी की ईंधन सुरक्षा कार्यनीतियों का अभिन्न अंग है। एनटीपीसी का यह मानना है कि कोयले पर अधिक आत्मनिर्भरता विद्युत उत्पादन की सतत वृद्धि को सुनिश्चित करने की दृष्टि से बहुत ही सफल सिद्ध होगी।

एनटीपीसी को 10 कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए हैं, जिनकी अधिकतम उत्पादन क्षमता लगभग 103 एमटीपीए (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) है। एनटीपीसी ने तीन कैप्टिव खानों अर्थात् पकरी बरवाडीह, दुलंगा और तलाइपल्ली में पहले से ही कोयला उत्पादन शुरू कर दिया है। चालू वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, इन खदानों से 7.5 एमएमटी कोयला (दिसंबर तक) का उत्पादन किया गया है। अन्य खदानें विभिन्न चरणों में विकासाधीन हैं।

5.6.2. परामर्शिताः वर्ष 1989 में स्थापित, एनटीपीसी कंसल्टेंसी, भारत और विदेशों में लगभग 50,000 मेगावाट की क्षमता के साथ संबद्ध रही है, जो ओनर्स इंजीनियर सेवाओं, लेंडर इंजीनियर सेवाओं, परियोजना प्रबंधन और निर्माण पर्यवेक्षण सेवाओं, ओ एंड एम सेवाओं, पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण सेवाओं, गुणवत्ता आश्वासन, निरीक्षण सेवाओं, अनुकूलित प्रशिक्षण और आईटी संबंधित सेवाओं, ईआरपी सेवाओं, अधिप्रापण, भर्ती, एफजीडी/डी–एनओएक्स संस्थापना, नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला खनन आदि जैसी सेवाओं की पेशकश करती है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, दिसंबर 2019 तक, एनटीपीसी कंसल्टेंसी 175.98 करोड़ रुपये के मूल्य के 99 कार्य/कार्य आदेश प्राप्त किए हैं।

5.6.3. विद्युत व्यापारः एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन), जो एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, विद्युत व्यापार संबंधी मामलों में संलग्न है और चालू वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर, 2019 तक इसने 10,904 मिलियन यूनिट (अनंतिम आंकड़ा) का व्यापार किया है। 31 दिसम्बर, 2019 तक कुल व्यापार में 3852 एम यू (अनंतिम आंकड़ा) सौर तथा ताप संयुक्त विद्युत (बंडिल्ड विद्युत) के अंतर्गत 405 मिलियन यूनिट की व्यापार की गई, स्वैप व्यवस्थाओं के अंतर्गत 729 मिलियन यूनिट, विद्युत विनिमय के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार के अंतर्गत 1,135 मिलियन यूनिट और सीमा पार विद्युत व्यापार के अंतर्गत व्यापार की गई 4,783 मिलियन यूनिट शामिल हैं। एनवीवीएन ने विद्युत विनिमय में 31 दिसम्बर, 2019 तक 128 मिलियन यूनिट के नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों (आरईसी) का भी व्यापार किया है।

6. प्रौद्योगिकी पहलें

एनटीपीसी लिमिटेड फ्लोटिंग सौर पीवी, 765 केवी स्विचयार्ड, ऐश जल पुनःपरिचालन, द्रव अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, पीएडीओ (निष्पादन विश्लेषण तथा निदान का इष्टतमीकरण), टनल बोरिंग मशीन और सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी सहित अनेक नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में अग्रणी रही है।

बिजली उत्पादन की कार्यदक्षता पर जोर देते हुए, एनटीपीसी ने नॉर्थ करनपुरा (3x660 मेगावाट) के लिए वाष्प मापदंडों (स्टीम पैरामीटरों) में 260 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 593 डिग्री सेल्सियस/593 डिग्री सेल्सियस तक सुधार करके अल्ट्रा–सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी को अपनाया है। खरगोन (2x660 मेगावाट), तेलंगाना (2x800 मेगावाट) और पतरातू (3x800 मेगावाट) के लिए वाष्प मानदंड (स्टीम पैरामीटरों) 270 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 600 डिग्री सेल्सियस/

600 डिग्री सेल्सियस हैं। इन इकाइयों की संयंत्र दक्षता में पारंपरिक सब–क्रिटिकल 500 मेगावाट इकाई से लगभग 8% अधिक और इसी तरह के कोयले का उपयोग कर रहे पारंपरिक सुपर क्रिटिकल इकाइयों से 3% अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, एनटीपीसी ने खरगोन में देश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल आधारित इकाई स्थापित की है।

पानी के उपयोग को कम करने के लिए, एनटीपीसी अपनी नॉर्थ करनपुरा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना और पतरातू सुपर थर्मल विद्युत परियोजना में एअर कूल्ड कंडेंसर प्रौद्योगिकी को कार्यान्वित कर रही है।

भेल (बीएचईएल) और आईजीसीएआर के सहयोग से एनटीपीसी, एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) तकनीक के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित कर रही है, जिसमें सब–क्रिटिकल संयंत्र की तुलना में 46% दक्षता और विशिष्ट CO2 उत्सर्जन में 20% की कमी होने की उम्मीद है। एनटीपीसी के छत्तीसगढ़ स्थित सिपत संयंत्र में एयूएससी प्रौदयोगिकी पर आधारित 800 मेगावाट के एक प्रदर्शन संयंत्र की योजना बनाई जा रही है।

पर्यावरण के प्रति अपनी वचनबद्धता के तहत, एनटीपीसी ने बिजली उत्पादन के लिए कृषि अवशेषों के उपयोग हेतु एक नई पहल की है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के साथ–साथ किसानों द्वारा फसल अवशेषों को जलाए जाने को हतोत्साहित करना भी है। दादरी में बायोमास को–फायरिंग के सफल प्रदर्शन करने के बाद, कंपनी ने दादरी में वाणिज्यिक स्केल बायोमास को–फायरिंग पहले ही शुरू कर दी है।

एनटीपीसी ने भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) को मूर्त रूप देने की दिशा में प्रयास और सहायता करने के लिए अनेक पहलें की हैं। एनटीपीसी ने वाराणसी के करसारा में "अपशिष्ट से खाद" संयंत्र को सफलतापूर्वक पुर्नोत्थान और क्रियाशील बनाया है। इसके अलावा, एनटीपीसी ने भारत में प्रौद्योगिकी विकास का समर्थन करने के लिए वाराणसी में 24 टीपीडी थर्मल गैसीकरण आधारित प्रदर्शन स्केल डब्ल्यूटीई संयंत्र चालू किया है। एनटीपीसी ने सूरत और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के साथ अत्याधुनिक डब्ल्यूटीई संयंत्र की स्थापना के लिए सैद्धांतिक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

7. एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च एलाएंस (नेत्रा)

विश्व ऊर्जा क्षेत्र में एक अग्रणी निकाय के रूप में एनटीपीसी ने अपनी सेवाओं तथा दक्षता में और सुधार के लिए नूतन प्रौद्योगिकी की क्षमता को पहचाना है। कंपनी अनुसंधान और विकास के माध्यम से उभरती हुई प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा प्रौद्योगिकी के उन्नयन की आवश्यकताओं से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। वर्ष 2009 में स्थापित नेत्रा (एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च एलाएंस) इस दृष्टिकोण का परिणाम है। नेत्रा के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैः दक्षता सुधार और लागत में कमी; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा; जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जिनमें जल संरक्षण, ऐश का उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं।

हाल ही में पूर्ण की गई परियोजनाएं:

- एनटीईसीएल – वल्लूर में सोलर सी वाटर डिसेलिनेशन
- कवास में 1 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर
- उच्च ताप हेडर के दृश्य निरीक्षण के लिए रोबोटिक डिवाइस का विकास
- टी–91 ट्यूबों के पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट क्वालिटी का स्वःस्थान गैर–विध्वंसकारी मूल्यांकन
- टांडा में नैनो–सिल्वर H_2O_2 बायोसाइड उपचार की प्रभावशीलता के लिए अध्ययन
- नेत्रा में एडियाबेटिक कूलिंग टॉवर (प्रायोगिक संयंत्र) की संस्थापना
- हाइड्रोथर्मल उपचार द्वारा एमएसडब्ल्यू से ठोस ईंधन (01 टीपीडी) का उत्पादन
- बॉयलर ट्यूबों के अल्ट्रासोनिक परीक्षण आधारित हाइड्रोजन क्षति मूल्यांकन
- बालू के आंशिक प्रतिस्थापन के रूप में बॉटम ऐश
- सोलर थर्मल हाइब्रिड प्लांट, दादरी
- चिनाई उद्देश्य के लिए भू पॉलिमर आधारित मोर्टार
- एयर प्रीहीटर्स में फ्ल्यू गैस की ऑनलाइन तापमान निगरानी के लिए फाइबर ऑप्टिक तापमान सेंसर का विकास
- जनरेटर ओवरहैंग वाइंडिंग्स की ऑनलाइन वाइब्रेशन निगरानी के लिए फाइबर ऑप्टिक वाइब्रेशन सेंसरों का विकास
- जियो पॉलिमर रोड– रामागुंडम और फरक्का

चल रही प्रमुख परियोजनाएं:

- इलेक्ट्रो कोएगुलेशन आधारित सिलिका रिडक्शन – सोलापुर
- फ्लैक्शीबलाइजेशन– तकनीकी न्यूनतम लोड को 40% तक कम करना– यूनिट #6 दादरी
- वायवीय ऐश संप्रेषण प्रणाली के लिए अनुकूल डिजाइन का विकास
- विभिन्न स्टेशनों पर जिओ–पॉलमैट्रिक कंक्रीट की सड़कें
- चुंबकीय निग्रह बल (MCF) और अल्ट्रासोनिक विधि का उपयोग करके बॉयलर ट्यूब के अपस्तरण का पता लगाने और मात्रा निर्धारण के लिए प्रौद्योगिकी का विकास
- अवशिष्ट FRF के लिए बायोरेमेडिएशन प्रक्रिया का विकास
- फेज चेंज मैटेरियल आधारित थर्मल एनर्जी सिस्टम
- सिपत में लाइट वेट एग्रीगेट (LWA) प्लांट
- सहायक ऊर्जा बचत के लिए सीएफडी सेवाएँ
- कूलिंग टॉवर के डिजाइन और निष्पादन में सुधार
- सीडब्ल्यू पिट के निरीक्षण के लिए रोबोटिक प्रणाली का विकास
- ऐश लेवल के मापन के लिए सेंसर का विकास
- ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी के ऑनलाइन मापन के लिए सेंसर

नेत्रा, गैर–विध्वंसक मूल्यांकन तथा इमेजिंग, धातुकर्मीय तथा विफलता विश्लेषण, ट्रांसफार्मर, जेनरेटर स्वास्थ्य, क्रीप तथा फटिग विश्लेषण, संक्षरण तथा जल रसायन शास्त्र, कोयला तथा दहन और पर्यावरण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एनटीपीसी स्टेशनों तथा बाह्य विद्युत उपयोगिताओं को उन्नत वैज्ञानिक सहायता भी उपलब्ध करवाता है।

नेत्रा ने सीएफडी, नवीकरणीय, पर्यावरण, जल रसायन विज्ञान, ऐश उपयोग आदि के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों/संगठनों जैसे एनईटीएल – यूएसए, कर्टिन यूनिवर्सिटी–ऑस्ट्रेलिया, न्यूकैसल यूनिवर्सिटी–ऑस्ट्रेलिया, वीजबी–जर्मनी, डीएलआर/आईसीई जर्मनी, विभिन्न आईआईटी, आईआईएस–बैंगलोर, सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं, सीआईपीईटी, टेरी और अन्य अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं आदि के साथ सहयोग किया है। नेत्रा की प्रयोगशालाएं आईएसओ 17025 मान्यता प्राप्त हैं और यह कंपनी के सभी स्टेशनों के साथ–साथ कई अन्य उपयोगिताओं के लिए आधुनिक वैज्ञानिक सेवाएं प्रदान करती हैं।

उन्नत अनुसंधान के लिए नेत्रा के संचालन हेतु एक अनुसंधान परामर्शी परिषद

(आरएसी) गठित की गई है जिसमें भारत तथा विदेश के विख्यात वैज्ञानिक तथा विशेषज्ञ शामिल हैं। संयंत्र के निष्पादन में सुधार और उत्पादन की लागत को कम करने हेतु निदेश देने के लिए आंतरिक वैज्ञानिक सलाहकार परिषद (एसएसी) का भी गठन किया गया है।

8. सतत विकास

सतत विकास का आशय भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने से है। सतत विकास सामाजिक रूप से समावेशी तथा पर्यावरणीय रूप से सतत आर्थिक वृद्धि की अपेक्षा करता है। एनटीपीसी में सतत विकास इसके व्यापार की एक केन्द्रित अवधारणा है। कंपनी ऐसी प्रौद्योगिकी तथा व्यवहारों को अपनाने में अग्रणी रही है जो पर्यावरणीय प्रबंधन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा आर्थिक निष्पादन (ट्रिपल बॉटम लाइन एप्रोच) को बढ़ावा देते हैं। सततता की धारणा एनटीपीसी के व्यापार क्रियाकलापों के सभी पहलुओं में निहित है।

8.1. दक्षता प्रबंधन – 'विद्युत दक्षता और पर्यावरण संरक्षण केंद्र' (सेनपीप)

'विद्युत दक्षता और पर्यावरण संरक्षण केंद्र' (सेनपीप) की स्थापना कोयला चालित स्टेशनों की दक्षता में सुधार के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए की गई थी। यह जीएचजी में कमी करने के प्रति एनटीपीसी के स्वैच्छिक, अग्रसक्रिय दृष्टिकोण और पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

सेनपीप, प्रणालियों, कार्यनीतिक पहलों तथा नई तकनीकों एवं व्यवहारों की शुरूआत के माध्यम से एनटीपीसी विद्युत स्टेशनों की दक्षता तथा विश्वसनीयता के सुधार हेतु कार्य कर रहा है। यह केन्द्र दक्षता तथा विश्वसनीयता से संबंधित मुद्दों की पहचान करने तथा उनके समाधान के लिए निष्पादन अंतर–विश्लेषण तथा क्षमता परीक्षण करता है। सहायक विद्युत उपभोग (एपीसी) को अनुकूलित करने के लिए सभी स्टेशनों पर एक संरचित 'सहायक शक्ति 'कटौती कार्यक्रम' कार्यान्वित किया जा रहा है। ताप क्षति विश्लेषण (टीएलए) जैसे ऑनलाइन निष्पादन निगरानी साधनों का उपयोग, निष्पादन अंतर की पहचान करने तथा उचित सुधार कार्रवाई हेतु योजना बनाने के लिए किया जाता है।

आंशिक भार पर पैरामीट्रिक इष्टतमीकरण की पहचान महत्व वाले क्षेत्र के रूप में की गई है, जिसमें रनिंग ऑक्सिलरी की संख्या का अनुकूलन, स्लाइडिंग प्रेशर ऑपरेशन, अतिरिक्त वायु इष्टतमीकरण आदि शामिल हैं। कंडेंसरों तथा कूलिंग टावरों के निष्पादन में भी सुधार हेतु संभाव्यता मौजूद है और स्टेशनों पर सुधार कार्य–योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। जोखिम ग्रिड तथा जोखिम प्लाट जैसे उन्नत विश्लेषणात्मक साधनों के उपयोग ने विश्वसनीयता मुद्दों का अभिनिर्धारण करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए योजना बनाने में सहायता की है। इन ऊष्मा दरों और एपीसी सुधार पहलों ने एनटीपीसी स्टेशनों की निष्पादन के उच्च स्तर को बनाए रखने में सहायता की है। सेनपीप कोयला और गैस स्टेशनों में विशिष्ट जल उपभोग में कमी लाने की दिशा में भी कार्य कर रहा है।

एक समर्पित समूह सीईईटीईएम – ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी एवं ऊर्जा प्रबंधन केंद्र सुधार के संभावित क्षेत्रों और कार्यों के अभिनिर्धारण के लिए जांच का कार्य करता है।

सेनपीप ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) के तहत 'निष्पादन करो, प्राप्त करो और व्यापार करो (पैट)' स्कीम के कार्यान्वयन का भी समन्वय किया है। समग्र रूप से एनटीपीसी के कोयला और गैस स्टेशनों ने निवल ऊष्मा दर के सुधार के लक्ष्यों से अधिक प्रदर्शन किया है और पैट–1 चक्र में लगभग निवल 1,70,653 ESCerts (ऊर्जा बचत प्रमाण–पत्र) अर्जित किए हैं। एनटीपीसी ने एनवीवीएन और आईईएक्स के माध्यम से ESCerts में सक्रिय रूप से प्रतिभागिता की। इस व्यापार के परिणामस्वरूप, एनटीपीसी के पास 1,61,759 ESCerts हैं जिनका उपयोग पैट चक्र–II के लिए किया जाएगा।

8.2. ऊर्जा संरक्षण

जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास हेतु अपनी चिन्ता के साथ, एनटीपीसी ने प्रमुख उपकरणों की विद्युत खपत की उचित निगरानी तथा बेहतर प्रचालनात्मक तथा अनुरक्षण पद्धतियों के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के प्रति अपनी वचनबद्धता बनाए रखी है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, चुनिंदा स्टेशनों में अनिवार्य ऊर्जा लेखापरीक्षा की गई है। एनटीपीसी ने टाउनशिप सहित अपने सभी स्टेशनों पर मौजूदा प्रकाश व्यवस्था को एलईडी प्रकाश फिटिंग से पूर्णतः प्रतिस्थापित करने हेतु एक पहल की है। दिसम्बर, 2019 तक, 10 लाख एलईडी फिटिंग्स (कुल संख्या का 85 प्रतिशत) को समस्त एनटीपीसी आधार पर प्रतिस्थापित किया गया है। दादरी कोयला यूनिट –2 के आईडी फैंस पर एचटी वीएफडी की रेट्रोफिटिंग पूरी हो चुकी है और इसकी कमीशनिंग की जा रही है। कोरबा यूनिट 4, 5, 6 के सीईपी एचटी वीएफडी और रामागुंडम यूनिट 4 के आईडी फैंस की रेट्रोफिटिंग प्रक्रियाधीन है।

8.3. पर्यावरण प्रबंधन

एनटीपीसी अपनी स्थापना के समय से ही पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने में सक्रिय रही है। एनटीपीसी ने उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन को महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में अभिनिर्धारित किया है। पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए एनटीपीसी ने ठोस पर्यावरण प्रबंधन व्यवहार और उन्नत पर्यावरण बचाव प्रणाली को अपनाया है ताकि पर्यावरण पर विद्युत उत्पादन के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके।

एनटीपीसी के सभी स्टेशन उन्नत पर्यावरण बचाव तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों जैसे इसकी कोयला आधारित यूनिटों में उच्च दक्षता इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपीटेटर से लैस हैं। अधिकांश विद्युत स्टेशनों में ऐश जल पुनःसंचलन प्रणालियां (एडब्ल्यूआरएस), द्रव अपशिष्ट उपचार संयंत्र (एलडब्ल्यूटीपी) और सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) मौजूद हैं। एनटीपीसी ने अपने सभी विद्युत स्टेशनों को चरणों में उत्तरोत्तर रूप से जेडएलडी (शून्य द्रव्य स्राव) के साथ प्रचालन करने हेतु उपयुक्त बनाने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। उक्त उपायों को अपनाकर एनटीपीसी '3आर (Reduce, Recycle and Reuse, अर्थात कम करना, पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग)' के सिद्धांत को अपनाते हुए अपनी विभिन्न यूनिटों में जल संरक्षण करने में समर्थ हुई है।

एसओएक्स उत्सर्जन में कमी लाने हेतु एनटीपीसी ने 500 मेगावाट क्षमता वाली विंध्याचल चरण–5 इकाई में फ्लू गैस डी–सल्फराइजेशन (एफजीडी) यूनिट संस्थापित की है। विभिन्न स्टेशनों और परियोजनाओं (47 गीगावाट क्षमता) पर एफजीडी का निर्माण कार्य

प्रगति पर है। इसके अलावा, एनटीपीसी ने 18 गीगावाट से अधिक क्षमता के लिए निविदा आमान्यताएं सूचना जारी की है।

एनटीपीसी की अधिकांश स्टेशन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतर–राष्ट्रीय प्रमाणीकरण एजेंसियों द्वारा आईएसओ 14001 प्रमाणित हैं। वास्तविक समय के आधार पर लगातार परिवेशी वायु और स्टैक उत्सर्जन के प्रमुख पर्यावरणीय मानकों की निगरानी के लिए एनटीपीसी में निगरानी तकनीकों में स्वचालन को अपनाया गया है। एनटीपीसी ने अपने सभी प्रचालनशील विद्युत स्टेशनों के आस–पास वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणालियों को संस्थापित किया है।

एनटीपीसी ने नियामकों को वास्तविक समय आधारित ऑनलाइन पहुंच के साथ वास्तविक समय आधार पर अपने सभी स्टेशनो पर उपचारित उत्सर्जनों की निगरानी हेतु सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ईक्यूएमएस (उत्सर्जन गुणवत्ता निगरानी प्रणाली) के उत्सर्जनों की निगरानी हेतु सीईएमएस (सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली) स्थापित की है।

एनटीपीसी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए दिसंबर, 2019 तक कुल 9.36 लाख (अप्रैल – दिसंबर 2019) लगाए गए पेड़ों सहित कुल 35 मिलियन पेड़ लगाए हैं, जो सीओ2 के सिंक के रूप में कार्य करते हैं और प्रदूषकों के अवशोषण में भी मदद करते हैं।

8.4. कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

सीएसआर कंपनी के बिजली उत्पादन के मुख्य व्यवसाय का पर्याय रहा है। कंपनी की एक व्यापक पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन (आरएंडआर) नीति है जिसमें सामुदायिक विकास कार्यकलाप सन्निहित हैं। परियोजनाओं को संकल्पना का रूप देते समय ग्रीन फील्ड क्षेत्र में सामुदायिक विकास कार्यकलाप प्रारंभ किए जाते हैं तथा उसके बाद परियोजना विकास के साथ व्यापक सामुदायिक/परिधीय विकास कार्यकलाप प्रारंभ किए जाते हैं। सीएसआर नीति को जुलाई, 2004 में तैयार किया गया था तथा कंपनी अधिनियम, 2013 और सीएसआर संबंधी लोक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों के अनुरूप, इसे 2016 तथा फिर 2019 में ''एनटीपीसी की सीएसआर नीति'' के रूप में संशोधित किया गया है। इसमें एनटीपीसी फाउंडेशन के माध्यम से मुख्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन सहित व्यापक कार्यक्रम शामिल हैं।

एनटीपीसी द्वारा चलाए गए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम में व्यापक रूप से, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट कार्यकलाप तथा समाज के लाभ के लिए कोई अन्य कार्यकलाप शामिल है। एनटीपीसी सीएसआर कार्यकलापों के मुख्य क्षेत्र में स्वास्थ्य, सफाई, सुरक्षित पेय जल, शिक्षा शामिल हैं। तथापि कंपनी, युवाओं के क्षमता निर्माण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक अवसरंचना, आजीविका सृजन और नूतन कृषि और पशुधन विकास के माध्यम से सहायता, दिव्यांगजनों को सहायता तथा पर्यावरण अनुकूलता के संबंध में सहायक कार्यकलाप आदि के क्षेत्र में भी कार्यकलाप करती है।

स्थानीय क्षेत्रों में क्रियाकलापों पर अधिकांश सीएसआर निधियों के व्यय को सुनिश्चित करते हुए कंपनी के प्रचालनों के आस–पास के स्थानीय क्षेत्रों में सीएसआर क्रियाकलापों को प्राथमिकता दी जाती है। तथापि, समावेशी विकास और पर्यावरणीय स्थिरता तथा सरकारी प्रयासों में सहयोग देने के लिए देश के किसी भी स्थान पर कार्यकलाप शुरू किए जाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न स्थानों पर उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्रों में एनटीपीसी की विभिन्न सीएसआर पहलों द्वारा 500 से अधिक गांव और 450 से अधिक स्कूल लाभान्वित हुए हैं। एनटीपीसी की सीएसआर पहलों ने सुदूर स्थानों पर निवास करने वाले लगभग 10 लाख से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। एनटीपीसी सामुदायिक केंद्रों, बहुउद्देशीय हॉल, सड़कों, पुलियों, बस स्टैंडों, शमशान घाटों के निर्माण, स्ट्रीट लाइटों, हाई मास्ट लाइटों को लगाने के माध्यम से बड़ी मात्रा में सामाजिक आधारभूत ढांचे का निर्माण कर रहा है। इसके अतिरिक्त, इसने ऐतिहासिक धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की है। एनटीपीसी सौर स्ट्रीटलाइट्स, सोलर हाई मॉस्ट लाइटें इत्यादि संस्थापित करके, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। एनटीपीसी चिकित्सा शिविरों, चलते–फिरते चिकित्सा वाहनों, सर्जिकल कैंप, नेत्र शिविरों आदि के माध्यम से निवास स्थान के समीप निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रही है। पाइप पेयजल योजनाओं, हैंडपंप बोरवेल, सामुदायिक आरओ प्लांट, वाटर एटीएम और वाटर फिल्टर की स्थापना के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा, एनटीपीसी ने जल संरक्षण, गड्ढों में जल संचयन और जल निकायों का पुनरूद्धार कर तथा अपशिष्ट प्रबंधन आदि के लिए पहल की है। पिछले कुछ वर्षों में की गईं कुछ अन्य प्रमुख सीएसआर पहलें निम्नानुसार हैं:

- जीवन के सभी क्षेत्रों में बालिकाओं को आत्म–निर्भर और आत्मविश्वासी बनाने के लिए एनटीपीसी ने अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम ''बालिका सशक्तीकरण मिशन (जीईएम)'' के माध्यम से एनटीपीसी के 23 स्थानों के निकट सरकारी स्कूलों में अध्ययन कर रही 10–12 वर्ष आयु वर्ग की 1,800 से अधिक बालिकाओं के लिए 04 सप्ताह की आवासीय ग्रीष्म कार्यशाला का आयोजन।
- उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी रिहंद के आस–पास आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल और छात्रावास का निर्माण।
- वाराणसी, उत्तर प्रदेश; होशंगाबाद, मध्य प्रदेश; और संबलपुर, ओडिशा में स्कूल भवनों का निर्माण।
- 03 एनटीपीसी स्टेशनों के आस–पास स्थित सरकारी स्कूलों में स्मार्ट टैब लैब।
- एनटीपीसी टाउनशिप में स्थित 34 स्कूलों के माध्यम से मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
- ओडिशा राज्य में सैनिटरी नैपकिन ''स्त्री स्वाभिमान'' लघु विनिर्माण इकाइयों (एमएमयू) की स्थापना।
- कैंसर के इलाज के लिए नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट नागपुर में अवसंरचना का सृजन और उपकरणों के लिए सहायता।
- एम्स पटना, एम्स भुवनेश्वर और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में बर्न यूनिट स्थापित करना।
- दादरी, उत्तर प्रदेश में नेत्र चिकित्सालय और भुवनेश्वर में नेत्र चिकित्सालय का ऑपरेटिंग कक्ष परिसर का निर्माण।
- यूपी के करसड़ा में यांत्रिक ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र का पुनरुद्धार और संचालन।
- भारत सरकार के ''स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान परियोजना'' के तहत चारमीनार, हैदराबाद के विकास और सौंदर्यीकरण का कार्य।
- उत्तर प्रदेश के पांच जिलों में स्थित एनटीपीसी स्टेशनों के पास

रहने वाले किसानों के खेतों में ऊर्जा कुशल पंप प्रणाली का संस्थापन।

- राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी टूर्नामेंट और राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप को वित्त पोषित करते हुए तीरंदाजी खेलों को बढ़ावा देना।
- गाँवों में आय सृजन के अवसरों को बढ़ाने के लिए, एनटीपीसी ने गाँव के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया तथा पशुधन विकास और फसल प्रबंधन परियोजनाएं चलाई।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और आय सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार में वृद्धि करना। एनटीपीसी ने 18 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को गोद लिया है और 8 नए संस्थान स्थापित कर रहा है। एनटीपीसी ने 12 राज्यों में 05 वर्षों की अवधि में 30000 युवाओं का कौशल विकास करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ करार ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि एनटीपीसी द्वारा उन्हें स्व–रोजगार योग्य बनाया जा सके।

इसके अलावा, एनटीपीसी ने एनटीपीसी फाउंडेशन की स्थापना भी की है, जो समाज के दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सेवा करने और उन्हें सशक्त बनाने में लगा हुआ है। वर्तमान क्रियाकलापों के तहत दिव्यांगजनों और दृष्टिहीन छात्रों को आईटी शिक्षा प्रदान की जा रही हैं, दिव्यांगता पुनर्वास केंद्रों (डीआरसी) की स्थापना की जा रही हैं और चलती–फिरती एम्बुलेंस सुविधाओं के साथ डायरेक्टली ऑबजर्वड ट्रीटमेंट कम डेजिगनेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर (डॉट्स सह डीएमसी) का संचालन किया जा रहा है। एनटीपीसी फाउंडेशन का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम 'एनटीपीसी उत्कर्ष' – छात्रों के लिए मेरिट छात्रवृत्ति योजना है जो माध्यमिक, हाई स्कूल, इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश करती है।

सीएसआर क्षेत्र में अपने निरंतर प्रयासों के लिए, एनटीपीसी को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है:

- एपेक्स इंडिया सीएसआर उत्कृष्टता पुरस्कार (प्लैटिनम) 2019।
- जेडईई (ZEE) बिज़नेस – नेशनल सीएसआर लीडरशिप पुरस्कार 2019।
- दैनिक जागरण सीएसआर पुरस्कार 2019।
- ''स्वच्छ भारत मिशन'' 2019 के लिए ईटी नाउ सीएसआर लीडरशिप पुरस्कार।
- सीएसआर हेल्थ इम्पैक्ट पुरस्कार 2019।
- फेम बेस्ट सीएसआर पुरस्कार 2019 (डायमंड श्रेणी)
- एनटीपीसी फरक्का ने फेम बेस्ट सीएसआर पुरस्कार 2019 (डायमंड श्रेणी) भी जीता
- ईडी (सीएसआर) को विश्व सीएसआर दिवस पर 101 मोस्ट इम्पैक्टफुल सीएसआर लीडर से सम्मानित किया गया।

8.5. पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर)

एनटीपीसी अपनी परियोजनाओं से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। अपने सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप, कंपनी परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के प्रभावी पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एण्ड आर) पर ध्यान केंद्रित कर रही है तथा परियोजना और इसके आसपास सामुदायिक विकास (सीडी) की गतिविधियां चला रही है।

भारत सरकार ने संयुक्त भूमि अधिग्रहण तथा आर एण्ड आर अधिनियम – ''भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटी एलएआरआर अधिनियम, 2013)'' अधिनियमित किया है जो 01.01.2014 से लागू है। एनटीपीसी ने आरएफसीटी एलएआरआर अधिनियम, 2013 के अनुसार आर एण्ड आर पात्रताओं को शामिल करने के लिए अपनी आर एंड आर नीति को संशोधित किया है, साथ ही परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को दी जाने वाली सुविधाओं पर एनटीपीसी की अच्छी प्रथाओं/ दिशानिर्देशों को भी बरकरार रखा है।

एनटीपीसी परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन हेतु अपनी आरएण्डआर नीति के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य से उपाय करती है कि परियोजना प्रभावित परिवारों को उनके पूर्व के जीवन स्तर में सुधार हो या कम से कम पूर्ववर्ती स्तर पर तो प्राप्त ही हो। नीति के अनुसार तथा आरएफसीटी एलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण (एसईएस)/जनगणना सर्वेक्षण भी राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र के विस्तृत जनसांख्यकीय ब्यौरों को एकत्र करने के लिए किया जाना आवश्यक होगा जो ''पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन (आर एण्ड आर) योजना/स्कीम'' को तैयार किए जाने हेतु आधार होगा। आरएफसीटी एलएआरआर अधिनियम के अनुरूप निरूपित आरएण्डआर योजना के अलावा, लोगों/ परियोजना के आस–पास के क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए आवश्यकता आधारित सामाजिक विकास (सीडी) क्रियाकलापों को भी शामिल किया जाएगा।

आर एंड आर योजना व्यय परियोजना की पूंजीगत लागत का एक भाग होता है और योजना को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाता है ताकि इसका कार्यान्वयन परियोजना चालू होने तक पूरा किया जा सके। आर एंड आर योजना कार्यान्वयन की पूर्णता पर भावी अध्ययन के लिए आर एंड आर योजना कार्यान्वयन की दक्षता का पता लगाने के लिए एक पेशेवर एजेंसी सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एसआईई) करती है।

वर्ष 2019–20 के दौरान उपलब्धियां:

बाढ, बोंगईगांव, दरलीपल्ली, गदरवारा, खरगौन, कांटी, एनपीजीसी नबीनगर, बीआरबीसीएल नबीनगर, कुडगी, लारा, मेजा, मौदा, उत्तर करणपुरा, सोलापुर, टांडा–II, ऊंचाहार–IV, विंध्याचल स्टेज–V, तेलंगाना में नए ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड थर्मल परियोजना, कोलडैम, तपोवन विष्णुगढ़, रम्माम चरण–III में जल विद्युत परियोजनाओं तथा पकरी –बरवाडीह, चट्टी–बरियातु, केरेंदारी, दुलंगा एवं तलाईपल्ली में कोयला खनन परियोजनाओं में आरएंडआर/सीडी कार्यकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं। स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने/ हितधारकों के अनुरोध और सामाजिक विकास संकेतकों में सुधार को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट परियोजनाओं हेतु मामला दर मामला आधार पर इन क्रियाकलापों को अनुमोदित आरएण्डआर योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है।

सामुदायिक विकास क्रियाकलापों हेतु क्षेत्र:

- **पेयजल:**– निर्माणाधीन एनटीपीसी परियोजनाओं के सभी परियोजना प्रभावित गांवों को शामिल कर 100% पेयजल पहुंच हेतु आयोजना तथा कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- **क्षमता निर्माण / कौशल उन्नयनः**– प्रभावित व्यक्तियों की नियोजनीयता और आजीविका साधनों में वृद्धि करने के लिए उनके कौशल को बढ़ाने हेतु आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।
- **शिक्षाः**– सुंदरगढ़ (ओडिशा) में मेडिकल कॉलेज और शिवपुरी (मध्य प्रदेश) में इंजीनियरिंग कॉलेज हेतु निर्माण क्रियाकलाप प्रगति पर है।
- **स्वास्थ्यः**– परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और आसपास की जनसंख्या के लाभार्थ, विभिन्न परियोजनाओं में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की व्यापक स्वास्थ्य कवरेज के लिए 'मोबाइल हेल्थ क्लीनिक', चिकित्सा शिविर और डिस्पेंसरियां चलाई जा रही हैं।

एनटीपीसी नीति के अनुसार, कोलडैम में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईई) किया जा रहा है। आरएफसीटी एलएआरआर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, तलाईपल्ली और कोरबा में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) किया गया है।

9. कारपोरेट अभिशासन

''एक अच्छे कारपोरेट नागरिक के रूप में एनटीपीसी अपने विभिन्न हितधारकों का विश्वास निर्मित करने में विवेक, उन्मुक्तता, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और जिम्मेदारी के आधार पर सुदृढ़ कारपोरेट पद्धतियों के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे इसने अपनी दीर्घकालिक सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है।

एनटीपीसी का दृढ़ मत है कि बेहतर कारपोरेट अभिशासन, निवेशक के विश्वास को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हम नैतिकता और सुशासन के साथ अपने निष्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एनटीपीसी लगातार कारपोरेट अभिशासन में उभरते हुए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का प्रयास कर रहा है। हमारा प्रयास उच्च मानकों को प्राप्त करना और रणनीति कार्यान्वयन तथा जोखिम प्रबंधन और निर्धारित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति में प्रबंधन को पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना है।

एनटीपीसी सर्वोत्तम अभिनिर्धारित कारपोरेट अभिशासन पद्धतियों का पालन कर रहा है और हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयास में इस तरह की प्रत्येक पद्धति के लिए स्वयं को निरंतर बेंचमार्किंग कर रहा है। दिनांक 16 नवंबर, 2019 से महिला स्वतंत्र निदेशक संबंधी अपेक्षाओं को छोड़कर, कंपनी सेबी एलओडीआर, कंपनी अधिनियम, 2013 और लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा–निर्देशों की सभी अपेक्षाओं, का अनुपालन करती है।

10. सुरक्षा

कार्य स्थल पर व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा व्यवस्था एनटीपीसी के प्रमुख मुद्दों में से एक है और सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने तथा कर्मचारियों में सुरक्षा–जागरूकता लाने को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। सुरक्षा एनटीपीसी की मूल मान्यताओं का हिस्सा है। हम मानते हैं कि सभी दुर्घटनाओं की रोकथाम की जा सकती है; इसलिए, सुरक्षा संबंधी कार्यकलापों को हमारे सभी कार्यकलापों में प्राथमिकता दी जाती हैं। हमारा उद्देश्य कार्य का सुरक्षित माहौल प्रदान करना और कार्यस्थल पर शून्य दुर्घटनाओं के लिए प्रयास करना है। सुरक्षा नीति सुरक्षा नियमों द्वारा समर्थित है और एनटीपीसी द्वारा की जाने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रक्रियाएँ लागू हैं।

एनटीपीसी में व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन के लिए तीन स्तरीय संरचना अर्थात् स्टेशन / परियोजना पर, क्षेत्रीय मुख्यालयों पर और कारपोरेट केंद्र स्तर पर है । कारपोरेट स्तर पर, कारपोरेट सुरक्षा विभाग का प्रमुख महाप्रबंधक होता है और वह सुरक्षा संबंधी नीतियों / दिशा–निर्देशों को तैयार करने, समीक्षा करने तथा केंद्रों और स्थलों की निगरानी हेतु उत्तरदायी होता है।

एनटीपीसी के सभी स्टेशन ओएचएसएएस–18001 / आईएस–18001 प्रमाणित हैं। परियोजना / स्टेशन के प्रमुख के साथ नियमित रूप से संयंत्र निरीक्षण और समीक्षा की जा रही है। प्रत्येक परियोजना / स्टेशन के लिए, विभिन्न परियोजनाओं / स्टेशनों के अपने स्वयं के सुरक्षा अधिकारियों द्वारा आंतरिक सुरक्षा लेखापरीक्षा और प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा बाह्य सुरक्षा लेखापरीक्षा की जाती है।

अंतर–कार्यात्मक सुरक्षा कार्य बल स्थल पर असुरक्षित कार्य स्थितियों पर निगरानी रखने और उनके सुधार के लिए सभी परियोजनाओं / स्टेशनों पर कार्यशील हैं। जन–शक्ति तथा सामग्री की सुरक्षा की देख–रेख हेतु सांविधिक नियमों / प्रावधानों के अनुसार सभी यूनिटों पर अपर महानिदेशक के स्तर पर एक सुरक्षा समन्वयक और उपयुक्त संख्या में योग्य सुरक्षा अधिकारी तैनात होते हैं। ठेकेदारों द्वारा सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से अनुपालन और प्रवर्तन करने के लिए संविदा की सामान्य शर्तें / संविदा की स्थापना शर्तों में सुरक्षा खंड शामिल किए जाते हैं।

विस्तृत आपातकालीन योजनाएं विकसित की गई हैं और आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रणाली की कारगरता की जांच करने के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता हैं। एनटीपीसी की प्रतिबद्धता के चलते कंपनी की इकाइयों को कई प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मुंबई, इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर और राज्य सरकारों से पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त हुए हैं।

11. जोखिम प्रबंधन

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी की सूची संबंधी बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन में, एनटीपीसी ने निम्नलिखित के लिए एक विस्तृत उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू किया है:

- जोखिम प्रबंधन ढांचे के अंतर्गत जोखिम आकलन को अंतिम रूप देना।
- बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन योजना / ढांचे की निगरानी तथा समीक्षा।
- बोर्ड को आकलित जोखिम और त्रैमासिक आधार पर जोखिमों को कम करने हेतु की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई / पूर्व में की जा चुकी कार्रवाई के संबंध में सूचित करना।
- समय–समय पर बोर्ड द्वारा यथा निर्देशित अन्य मामले को लेना।

एक कार्यात्मक निदेशक स्तर की ''जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)'' को अल्पावधि तथा साथ ही साथ दीर्घावधि आधार पर जोखिमों की पहचान करने तथा उनकी समीक्षा और उन्हें कम करने के लिए योजनाओं तथा रणनीतियों को बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

आरएमसी रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठकों का आयोजन करती है। जोखिमों की निगरानी प्रमुख निष्पादन संकेतकों की रिपोर्टिंग के माध्यम से की जाती है। आरएमसी के परिणामों को सूचना हेतु निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जाता है।

12. व्यावसायिक उत्कृष्टता

डिजिटल तथा कागज–रहित कार्यकलापों को अपनाने के अपने प्रयास में, एनटीपीसी ने एक सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित पहल का कार्यान्वयन प्रारंभ किया है – कारपोरेट निष्पादन प्रबंधन तथा व्यापार बुद्धिमता प्रणाली, जिसका

उद्देश्य रणनीति निष्पादन तथा संप्रेषण, विश्लेषण, प्रश्न प्रत्युत्तर, रिपोर्टिंग तथा कुछ व्यापार प्रक्रियाओं के स्वचालन को समर्थ बनाना है जो विभिन्न स्तरों के मध्य प्रबंधन हेतु प्रभावी निर्णय सपोर्ट मुहैया करवाएंगी। प्रणाली कार्यान्वयन, कॉर्पोरेट कार्यों, क्षेत्रों और स्टेशनों पर किया गया है। शेष स्थानों पर कार्यान्वयन अगस्त 2021 तक पूरा हो जाएगा।

एनटीपीसी ने मैलकम बालड्रिज निष्पादन उत्कृष्टता ढांचा, यूरोपीय गुणवत्ता प्रबंधन फाउंडेशन (ईएफक्यूएम) उत्कृष्टता मॉडल, डेमिंग एवं आईटीसी धारणीयता मॉडल जैसे वैश्विक रूप से स्वीकार्य निष्पादन उत्कृष्टता ढांचों की तर्ज पर ''एनटीपीसी व्यापार उत्कृष्टता मॉडल'' को विकसित किया तथा अपनाया है। इस वित्तीय वर्ष 2019–20 में, एनटीपीसी ने इस निष्पादन उत्कृष्टता ढांचे का उपयोग करते हुए 22 विद्युत उत्पादन स्टेशनों का मूल्यांकन पूरा किया है।

अन्य समकालीन पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) अवधारणाओं तथा तकनीकों जैसे आईएसओ, गुणवत्ता चक्र, पेशेवर चक्र, 5एस आदि को पूरे संगठन में लागू किया गया है। एनटीपीसी–बाढ के 'लक्ष्य' गुणवत्ता चक्र दल ने सितम्बर, 2019 को जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्यूसी सम्मेलन में भाग लिया।

13. उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग

एनटीपीसी ने सूचना उपलब्धता, पारदर्शिता और निर्णय लेने में सुधार करने के लिए अपने सभी व्यापारिक कार्यों के एकीकरण हेतु उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) अनुप्रयोग को कार्यान्वित किया है। प्रक्रिया समेकन आंकड़ा प्रणालियों को वास्तविक समय आधार पर संयंत्र निष्पादन पैरामीटरों के एकत्रीकरण, प्रदर्शन तथा विश्लेषण हेतु विकसित किया गया है।

गैर–ईआरपी अनुप्रयागों को अभियांत्रिकी आरेख अनुमोदन, गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, अतिथि गृह प्रबंधन, सूचना का अधिकार अधिनियम और सुरक्षा नियंत्रण जैसे अन्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया हैं।

समूचे भारत के एनटीपीसी संयत्र और कार्यालय, बाधारहित संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए हाई स्पीड एमपीएलएस (मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग) के माध्यम से कारपोरेट कार्यालय तथा डाटा केन्द्र से जुड़े हुए है। जारी परियोजनाओं की कार्य प्रगति और चालू विद्युत स्टेशनों के मुद्दों पर नियमित रूप से कारपोरेट कार्यालय के परियोजना निगरानी केन्द्र में हाई–डेफिनेशन वीडियो कॉफ्रेंसिंग प्रणाली के माध्यम से चर्चा की जाती है। एनटीपीसी का मुख्य एवं बैकअप प्रणालियों के साथ स्वयं का मेलिंग सलूशन है।

वेंडरों के पंजीकरण, बोली लगाने तथा बिना किसी भौतिक संपर्क के अपने बिलों का पता लगाने को प्रभावी बनाने के लिए एक वेंडर पोर्टल विकसित किया गया है। यह अब मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।

एनटीपीसी की डिजिटल परिसंपत्तियों की सुरक्षा हमारी उच्चतम प्राथमिकता है और इसीलिए 24 x 7 एक सुरक्षा प्रचालन केन्द्र (एसओसी) प्रारंभ किया गया है। एसओसी के माध्यम से सभी बाहरी और भीतरी डाटा ट्रैफिक की निगरानी 24 घंटे की जा रही है और किसी साइबर हमले या डाटा चोरी को रोकने के लिए नवीनतम खतरा प्रबंधन उपकरणों को नियोजित किया जा रहा है। एनटीपीसी की अपनी आपदा रिकवरी साइट है। डाटा सेंटर और आपदा रिकवरी सेंटर दोनों अब आईएसओ 27001 प्रमाणित हैं।

एनटीपीसी ने व्यावसायिक प्रक्रियाओं को कागजरहित मोड में पुनःअभियंत्रित और पुनः डिज़ाइन किया है। डिजिटलीकरण की पहल ''प्रोजेक्ट PRADIP'' के परिणामस्वरूप ई–ऑफिस, दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और विभिन्न कार्यों के लिए पेपरलेस प्रक्रियाएं लागू हुईं। इसने न केवल कागज के टन को बचाया है, बल्कि तेजी से निर्णय लेने, पारदर्शिता और दक्षता में सुधार भी हुआ है।

14. मानव संसाधन प्रबंधन

एनटीपीसी को अपने अत्यधिक प्रेरित और दक्ष मानव संसाधन पर गर्व है जिसने एनटीपीसी को इसके वर्तमान स्तर तक लाने में अपना सर्वोत्तम योगदान दिया है। 31 दिसम्बर, 2019 तक की स्थिति के अनुसार, इसके कर्मचारियों (प्रशिक्षुओं को छोड़कर) की कुल संख्या 19,537 है।

14.1. भर्ती योजनाएं

कंपनी के संवृद्धि कार्यक्रम हेतु जनशक्ति की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सुदृढ़ प्रतिभा युक्त ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें की गई हैं। महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि योजना को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकता के अनुसार कार्यकारी प्रशिक्षुओं तथा साथ ही साथ डिप्लोमा एवं आईटीआई प्रशिक्षुओं की भर्ती की जाती है और युक्तीकरण द्वारा जनशक्ति को प्रभावी उपयोग के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं।

इसके अलावा, व्यावसायिक आवश्यकता के आधार पर अनुभवी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए खनन, हाइड्रो, सुरक्षा, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा, वैज्ञानिकों के लिए नेत्रा आदि जैसे विविध और उच्च दर्जे के क्षेत्रों में भर्ती की जा रही है। अल्पावधि और परियोजना विशिष्ट जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एनटीपीसी ने निश्चित अवधि के कर्मचारियों को नियुक्त करना भी शुरू किया है।

14.2. प्रशिक्षण और विकास

सतत रूप से ज्ञान की आवश्यकता को समझने और नए कौशलों तथा दक्षताओं को विकसित करने के लिए एनटीपीसी ने एक व्यापक प्रशिक्षण आधारभूत ढांचा तैयार किया है जिसमें सर्वोच्च स्तर पर एनटीपीसी विद्युत प्रबंधन संस्थान (एनटीपीसी–पीएमआई), एनटीपीसी क्षेत्रों में क्षेत्रीय अधिगम संस्थान और कार्यस्थलों पर कर्मचारी विकास केन्द्र (ईडीसी) शामिल हैं। एनटीपीसी कर्मचारियों को भारत तथा विदेश में बाहरी प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए भी प्रायोजित करती है। ओ एंड एम कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की इकाइयों के लिए सिम्युलेटर प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। आज की तारीख तक, कुड़गी 800 मेगावाट और सोलापुर 660 मेगावाट कार्यशील हैं और शेष 9 सिमुलेटर शीघ्र ही कार्यशील होंगे। सोलापुर सिमुलेटर, जो दो सिमुलेटरों का एक सेट है, 660 मेगावाट और 800 मेगावाट की ग्यारह इकाइयों को चलाने में सक्षम है, और अब कार्यात्मक हैं। इसके अलावा, एनटीपीसी की 500 मेगावाट की अधिकांश इकाइयों में एक छोटा भेल (बीएचईएल) सिम्युलेटर है, जिसका उपयोग बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। कोरबा में 250 और 500 मेगावाट के सिम्युलेटर का पहले ही जीर्णोद्धार किया जा चुका है और विध्यांचल आरएलआई में 500 मेगावाट के दो सिम्युलेटर की स्थापना की जा रही है और सिम्हाद्री में 500 मेगावाट का एक और आरएलआई सिम्युलेटर की योजना बनाई जा रही है।

नोएडा में शीर्ष स्तरीय एनटीपीसी–पीएमआई, एनटीपीसी की अधिगम अवसंरचना की आधारशिला है। इस पर संगठन की बौद्धिक पूंजी को बढ़ाने और उन्नत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। पिछले 35 वर्षों में, यह प्रबंधन, तकनीकी दक्षताओं तथा नेतृत्व के संबंध में अधिगम उपलब्ध करवाने के लिए एक अग्रणी संस्थान के रूप में उभरा है। वस्तुतः, स्वयं के लिए एक परिवर्तन एजेंट की भूमिका अपनाते हुए, एनटीपीसी–पीएमआई समूचे विद्युत क्षेत्र हेतु एक अधिगम सुविधा बन गया है। यह भारत तथा अन्य विकासशील देशों से विद्युत व्यावसायिकों

को उन्नत प्रशिक्षण मुहैया करवाकर विश्व स्तरीय दक्षताओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2019–20 (31 दिसम्बर, 2019 तक) के दौरान, पीएमआई ने कुल 1,12,477 प्रशिक्षण श्रम दिवसों (78,900 श्रम दिवस की ई–लर्निंग और 33,577 श्रम दिवस के अनुदेशक नेतृत्व वाले प्रशिक्षण) को दर्ज करते हुए 5,995 कार्यपालकों का शामिल करके 261 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

एनटीपीसी ने अपने इलेक्ट्रिकल लो टेंशन और हाई टेंशन स्विचगियर्स के सुरक्षित प्रचालन के लिए एक विशाल अनुभवमूलक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नवीनतम वर्चुअल रियलिटी आधारित ज्ञानात्मक तकनीकों को भी अपनाया है। यह विद्युत संयंत्र उपकरण के विभिन्न अन्य क्षेत्रों पर कई ऐसे ही प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने की प्रक्रिया में है। एनटीपीसी–पीएमआई अंतर्राष्ट्रीय बुकमार्क पद्धति का उपयोग करके तीव्र और बेहतर परियोजना प्रदायगी, गतिक जोखिम प्रबंधन के लिए परियोजना विश्लेषी को भी लागू कर रहा है।

एनटीपीसी–पीएमआई सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण (एसएचई) को विशेष प्राथमिकता दे रहा है, क्योंकि यह ऐसे प्रचालन व्यवहारों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होता है जो विद्युत संयंत्रों को दक्ष तथा धारणीय बनाते हैं। एनटीपीसी ऊंचाहार में एक सुरक्षा अकादमी विकसित कर रही है। इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी ने ई–लर्निंग के माध्यम से अपने कर्मचारियों को कहीं भी, किसी भी समय के आधार पर प्रशिक्षण मुहैया करवाने के एक प्लेटफार्म के रूप में, हार्वर्ड मैनेज मेंटर और जीपीआईलर्न के द्वारा अधिगम शुरू किया है। इसने अपना स्वयं का लर्निंग मैनेजमेंट सर्वर (एलएमएस) भी बनाया है और एनटीपीसी विशिष्ट तकनीकी और ईआरपी संबंधित ई–लर्निंग मॉड्यूल विकसित किए हैं। ई–लर्निंग के माध्यम से अधिगम की शुरुआत के साथ, एनटीपीसी में अधिगम और विकास के परिदृश्य में एक बड़ी वृद्धि देखी गई है, जिसमें ई–लर्निंग के माध्यम से 35 प्रतिशत तक अधिगम हो रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पीएमआई ने इस वर्ष आबू धाबी में एबीबी हेतु विद्युत संयंत्र प्रचालन पर एक 4 सप्ताह के कार्यक्रम का और तथा जीई मिश्रित चक्र गैस विद्युत संयंत्र पर सिम्युलेटर प्रशिक्षण का आयोजन किया। एनटीपीसी की संयुक्त उद्यम कंपनी बीआईएफपीसीएल के बांग्लादेशी कर्मचारियों हेतु तीन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें उन्हें विद्युत संयंत्र निर्माण के संबंध में इनपुट प्रदान किए गए थे।

भारत के विद्युत क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए पीएमआई ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा की विद्युत यूटिलिटियों; विद्युत फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक विद्युत कारपोरेशन (एनएचपीसी), टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, एडसिल और ईईएसएल जैसे सीपीएसई और रिलाइंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) तथा टाटा विद्युत आदि जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियों के लाभ हेतु उनके स्थलों के साथ–साथ पीएमआई पर कई विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। दिसम्बर, 2019 तक पीएमआई द्वारा अन्य संगठनों को कुल 3,525 श्रम दिवसों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

15. सेक्टर को सहायता

एनटीपीसी ने एनएसएम, डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और एनएसडीएफ के माध्यम से भारत सरकार की कई योजनाओं में भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। भारत के विद्युत क्षेत्र के विकास में एनटीपीसी की भूमिका की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः

15.1. राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम)

भारत सरकार ने एनएसएम के चरण–1 के अंतर्गत ग्रिड से जुड़ी सौर विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद और ऐसी विद्युत की बिक्री एनटीपीसी कोयला विद्युत स्टेशनों से प्राप्त विद्युत के साथ मिला कर वितरण यूटिलिटियों को किए जाने के अधिदेश के साथ एनवीवीएन को राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) के चरण–1 हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया है। इस चरण में 1000 मेगावाट की सौर क्षमता को स्थापित किया जाना परिकल्पित है। एनवीवीएन ने सौर विद्युत विकासकर्ता के चयन हेतु रिवर्स बोली से जुड़ी पारदर्शी बोली प्रक्रिया प्रारंभ की है जिसने सौर टैरिफ को उस समय सीईआरसी अधिसूचित टैरिफ से काफी नीचे लाने में सहायता की है। इस स्कीम के अंतर्गत अभी तक, 733 मेगावाट की सौर उत्पादन क्षमता (533 मेगावाट सौर पीवी परियोजनाएं और 200 मेगावाट सौर तापीय परियोजनाएं) वाली 70 परियोजनाएं चालू की जा चुकी है।

इस सौर विद्युत को एनटीपीसी कोयला विद्युत स्टेशनों के अनावंटित कोटे से प्राप्त समतुल्य क्षमता की विद्युत की आपूर्ति वर्तमान में राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक और डीवीसी की वितरण कंपनियों/यूटिलिटिओं को की जा रही है। अप्रैल–दिसम्बर, 2019 के दौरान, एनवीवीएन ने डिस्कॉम/उपयोगिताओं को 3,852 एमयू (अनंतिम) बंडल्ड विद्युत की आपूर्ति की है।

एनटीपीसी को वर्ष 2014–15 में 2018–19 तक तीन ट्रांचों में राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) चरण–।। के माध्यम से 15 गीगावाट सौर पीवी विकसित करने का कार्य सौंपा गया है, जहां एनटीपीसी डिस्कॉमों और विकासकर्ताओं के बीच सुकरकर्ता/ व्यापारी होगी। एनटीपीसी विकासकर्ताओं से बिजली खरीदेगी तथा डिस्कॉमों को बेचेगी। एमएनआरई से सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) चरण– II, बैच– II के तहत 15 गीगावाट को कम करके 3 गीगावाट कर दिया गया है। 3 गीगावाट (3000 मेगावाट) सौर पीवी क्षमता के ट्रेंच –1 के तहत, अब तक 2950 मेगावाट सौर पीवी क्षमता चालू की गई है और शेष 50 मेगावाट क्षमता कार्यान्वयन अधीन है।

15.2. डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य

एनटीपीसी को डीडीयूजीजेवाई (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना) और सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य सौंपा गया है। सभी जिलों में संबंधित डिस्कॉम/ओडिशा सरकार से प्राप्त पात्र लाभार्थी सूची के अनुसार लगभग 8.6 लाख घरेलू कनेक्शन प्रदान करके कार्य पूरा कर दिया गया है।

17,142 संख्याओं (संशोधित और आंशिक रूप से विद्युतीकृत) के संशोधित गांव दायरे में से, 14,464 गांवों में बुनियादी ढांचे का काम पूरा हो चुका है और 492 गांवों में काम जारी है। इसके अलावा, सब–स्टेशन की वृद्धि का कार्य, 99 में से 78 में पूरा हो गया है।

03 जिलों अर्थात् झारसुगुड़ा, संबलपुर और नयागढ़ में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है और संबंधित डिस्कॉम को सौंप दिया। शेष कार्य और पूर्ण अवसंरचना को डिस्कॉम को सौंपने का लक्ष्य मार्च, 2020 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

15.3. राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ)

एनटीपीसी ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एनएसडीएफ – राष्ट्रीय कौशल विकास निधि) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ दो त्रिपक्षीय करार –ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसने विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों हेतु अपनी सीएसआर निधि से कुल 36.50 करोड़ रूपए आवंटित किए है। एनटीपीसी करार –ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार एनएसडीएफ को निधियां मुहैया करवाएगा और एनएसडीसी विभिन्न स्थलों पर इन कौशल विकास कार्यक्रमों को निष्पादित करने के लिए एनएसडीएफ से राशि निकालेगा।

इन कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन, देश के विभिन्न भागों में एनएसडीसी के विशेषीकृत कार्यान्वयन भागीदारों के माध्यम से सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों हेतु बाजार संयोजित व्यावसायिक कौशल सेटों में 30,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा रहा है। लगभग 22,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, 19,000 का मूल्यांकन किया गया है और 12,000 को नियुक्त किया गया है।

16. पुरस्कार और सम्मान

एनटीपीसी को उत्पादकता, पर्यावरण और सुरक्षा के क्षेत्र में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा लगातार मान्यता दी गई है। वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान, एनटीपीसी द्वारा प्राप्त किए गए प्रमुख पुरस्कार और रैंकिंग निम्नानुसार हैं:

- विद्युत जनरेशन में उत्कृष्टता' के लिए डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इन्फ्रा अवार्ड–2019; माननीय केंद्रीय मंत्री, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम और सचिव (विद्युत), भारत सरकार ने दिनांक 22 अगस्त, 2019 को पुरस्कार दिए।
- लंदन (यूनाइटेड किंगडम) में आयोजित कॉरपोरेट अभिशासन और सततता पर 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 'गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी' 2019।
- जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ वी के सिंह, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन विद्युत उत्पादन कंपनी पुरस्कार दिया गया।
- दिनांक 3 अक्तूबर, 2019 को लगातार तीसरी बार एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट (एटीडी), यूएसए द्वारा 2019 एटीडी ग्लोबल बेस्ट अवार्ड। यह पुरस्कार उद्यम–व्यापी सफलता, दि चैम्पियनशिप ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड ए लर्निंग कल्चर, प्राप्त करने के लिए एक सामरिक व्यापार भागीदार के रूप में प्रतिभा विकास कार्यों का लाभ उठाने के लिए अभिनिर्धारित है।
- दिनांक 13 दिसंबर 2019 को हैदराबाद में आयोजित किए गए 41वें वार्षिक पीआरएसआई (पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया) राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 में माननीय गृह मंत्री तेलंगाना, श्री मोहम्मद अली से नौ (9) पुरस्कार।
- दिनांक 4 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एससीओपीई कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड्स 2019 में उत्कृष्टता के लिए तीन (3) पुरस्कार। एनटीपीसी को अपने आंतरिक संचार सम्वाद ऐप के लिए इनोवेटिव स्टेकहोल्डर इंटरफेस के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एनटीपीसी रिहंद द्वारा सीएसआर पर फिल्म के लिए समावेशी विकास के माध्यम से ब्रांड बिल्डिंग के लिए पहला पुरस्कार और ब्रांड बिल्डिंग के लिए सीएसआर कॉफी टेबल बुक के लिए तीसरा पुरस्कार।
- दिनांक 12 जून 2019 को ''चैलेंजर्स अवार्ड – मेगा लार्ज बिजनेस, प्रोसेस सेक्टर कैटेगरी'' के तहत फ्रॉस्ट एंड सुलिवन और टीईआरआई सस्टेनेबिलिटी 4.0 अवार्ड्स 2019।
- दिनांक 2 जून 2019 को बेहतरी नूतन सीएसआर परियोजना में उत्कृष्टता के लिए डायमंड श्रेणी में ''एफएएमई बेस्ट सीएसआर अवार्ड 2019''। एनटीपीसी फरक्का ने भी सीएसआर के क्षेत्र में डायमंड श्रेणी में एफएएमई अवार्ड 2019 प्राप्त किया।
- एनटीपीसी को भारत के लिए 2019 की ''ग्रेट प्लेस टू वर्क'' रैंकिंग में 14 वां स्थान दिया गया है। 10,000 से अधिक कर्मचारियों की श्रेणी के साथ पीएसयू श्रेणी और संगठन में भी एनटीपीसी सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है।
- दिनांक 27 फरवरी 2019 को श्री मनोज सिन्हा, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संचार मंत्रालय एवं रेल राज्य मंत्री से शिक्षा श्रेणी में ''दैनिक जागरण सीएसआर अवार्ड्स 2019''।
- एनटीपीसी रामागुंडम, सिपत, सिम्हाद्रि, सिंगरौली, विंध्याचल, रत्नागिरी गैस एंड विद्युत प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) ने हैदराबाद में आयोजित 18वें ऊर्जा दक्षता शिखर सम्मेलन 2019 में पुरस्कार प्राप्त किए।
- एनटीपीसी को दिनांक 22 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में स्थायी उत्कृष्टता श्रेणी में बीएमएल मुंजाल पुरस्कारों के 14वें संस्करण का विजेता घोषित किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने पुरस्कार प्रदान किए।
- विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे कि प्रशिक्षक के नेतृत्व वाली कक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब–कांफ्रेंस के साथ–साथ एचएमएम, जीपीआईलर्न और ई–गुरू जैसे ऑन–लाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने की एनटीपीसी की लर्निंग एंड डेवलपमेंट (एलएंडडी) पहल को अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और विश्लेषक फर्म ब्रैंडन हॉल ग्रुप, यूएसएस द्वारा उनके मानव पूंजी प्रबंधन उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 में मान्यता दी गई है।

अनुलग्नक-I

एनटीपीसी द्वारा संस्थापित स्टेशन/परियोजना

I. कोयला आधारित परियोजना

क्रम सं.	परियोजना	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1	सिम्हाद्री– I और II	आंध्र प्रदेश	2,000
2	बोंगईगांव	असम	750
3	कहलगांव– I और II	बिहार	2,340
4	बाढ़ II	बिहार	1,320
5	बरौनी	बिहार	470
6	सीपत– I और II	छत्तीसगढ़	2,980
7	कोरबा– I, II और III	छत्तीसगढ़	2,600
8	लारा	छत्तीसगढ़	800
9	कुडगी	कर्नाटक	2,400
10	मौदा – I और II	महाराष्ट्र	2,320
11	सोलापुर	महाराष्ट्र	1,320
12	विंध्याचल– I, II, III, IV और V	मध्य प्रदेश	4,760
13	गाडरवारा	मध्य प्रदेश	800
14	खरगौन	मध्य प्रदेश	660
15	दर्लीपली	ओडिशा	800
16	तालचर एसटीपीएस– I और II	ओडिशा	3,000
17	तालचर टी.पी.एस.	ओडिशा	460
18	रामागुंडम– I, II, और III	तेलंगाना	2,600
19	रिहंद– I, II, और III	उत्तर प्रदेश	3,000
20	सिंगरौली– I और II	उत्तर प्रदेश	2,000
21	दादरी– I और II	उत्तर प्रदेश	1,820
22	ऊंचाहार– I, II, III और IV	उत्तर प्रदेश	1,550
23	टांडा– I और II	उत्तर प्रदेश	1,100
24	फरक्का– I, II और III	पश्चिम बंगाल	2,100
	कुल (कोयला)		**43,950**

II. संयुक्त चक्र गैस/तरल ईंधन आधारित परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1	झानौर – गांधार	गुजरात	657
2	कवास	गुजरात	656
3	फरीदाबाद	हरियाणा	432
4	कायमकुलम	केरल	360
5	अन्ता	राजस्थान	419
6	दादरी	उत्तर प्रदेश	830
7	औरैया	उत्तर प्रदेश	663
	कुल (गैस/तरल)		**4,017**

III. हाइड्रो आधारित परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1	कोलडैम	हिमाचल प्रदेश	800
	कुल (हाइड्रो)		**800**

IV. नवीकरणीय परियोजनाए

क्रम सं.	परियोजना	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1	अंडमान और निकोबार सोलर	अंडमान और निकोबार	5
2	फरीदाबाद सोलर	हरियाणा	5
3	रायगढ़ सोलर	मध्य प्रदेश	50
4	तालचेर सोलर	ओडिशा	10
5	रामागुंडम सोलर	तेलंगाना	10
6	दादरी सोलर	उत्तर प्रदेश	5
7	सिंगरौली सोलर	उत्तर प्रदेश	15
8	ऊंचाहार सोलर	उत्तर प्रदेश	10
9	अनंतपुरम सोलर	आंध्र प्रदेश	250
10	भादला सोलर	राजस्थान	260
11	मंदसौर सोलर	मध्य प्रदेश	250
12	रोजमल पवन	गुजरात	50
13	सिंगरौली स्मॉल हाइड्रो	उत्तर प्रदेश	8
	कुल (नवीकरणीय)		**928**

V. संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों के अंतर्गत विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1	मुजफ्फरपुर (केबीयूएनएल)	बिहार	610
2	नबीनगर (बीआरबीसीएल)	बिहार	750
3	नबीनगर (एनपीजीसीएल)	बिहार	660
4	भिलाई (एनएसपीसीएल)	छत्तीसगढ़	574
5	झज्जर (एपीसीपीएल)	हरियाणा	1,500
6	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल)	महाराष्ट्र	1,967
7	राउरकेला (एनएसपीसीएल)	ओडिशा	120
8	वल्लूर (एनटीईसीएल)	ततमिलनाडु	1,500
9	दुर्गापुर (एनएसपीसीएल)	पश्चिम बंगाल	120
10	मेजा (एमयूएनपीएल)	उत्तर प्रदेश	660
	कुल (संयुक्त उद्यम के तहत)		**8,461**
	कुल योग (I+II+III+IV+V)		**58,156**

अनुलग्नक-II

चल रही परियोजनाओं के ब्यौरे

क्रम सं.	परियोजना का नाम (ईंधन) / राज्य / देश	क्षमता (मेगावाट)
1	बरौनी (कोयला) / बिहार	250
2	बाढ़– I (कोयला) / बिहार	1,980
3	लारा (कोयला) / छत्तीसगढ़	800
4	नॉर्थ करनपुरा (कोयला) / झारखंड	1,980
5	गाडरवारा (कोयला) / मध्य प्रदेश	800
6	खरगोन (कोयला) / मध्य प्रदेश	660
7	दर्लीपली (कोयला) / ओडिशा	800
8	तेलंगाना (कोयला) / तेलंगाना	1,600
9	टांडा– II (कोयला) / उत्तर प्रदेश	660
10	लता तपोवन (हाइड्रो) / उत्तराखंड #	171
11	तपोवन विष्णुगढ़ (हाइड्रो) / उत्तराखंड	520
12	राम्मम (हाइड्रो) / पश्चिम बंगाल	120
13	सिम्हाद्री (फ्लोटिंग सोलर) / आंध्र प्रदेश	25
14	कायमकुलम (फ्लोटिंग सोलर) / केरल	92
15	औरैया (सोलर एंड फ्लोटिंग सोलर) / राजस्थान	40
16	जैतसर (सौर) / राजस्थान	160
17	रामागुंडम (फ्लोटिंग सोलर) / तेलंगाना	100
18	बिल्हौर (सौर) / उत्तर प्रदेश	225
19	रिहंद (सौर) / उत्तर प्रदेश	20
20	नबीनगर–रेलवे के साथ संयुक्त उद्यम (कोयला) / बिहार	250
21	नबीनगर– एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी (कोयला) / बिहार	1,320
22	पतरातू –जेबीवीएनएल के साथ संयुक्त उद्यम (कोयला) / झारखंड	2,400
23	राउरकेला– सेल के साथ संयुक्त उद्यम (कोयला) / ओडिशा	250
24	मेजा . यूपीआरवीएन के साथ संयुक्त उद्यम (कोयला) / उत्तर प्रदेश	660
25	दुर्गापुर– III– सेल के साथ संयुक्त उद्यम (कोयला) / पश्चिम बंगाल	40
26	साथ खुलना– बीपीडीबी के संयुक्त उद्यम (कोयला) / बांग्लादेश	1,320
	कुल	**17,243**

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 07.05.2014 के आदेश के अनुसार, दिनांक 08.05.2014 से कार्य रोक दिया गया है।

अनुलग्नक- III

एनटीपीसी समूह – संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियां

क्रम सं.	संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम, (निगमन की तारीख)	दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को इक्विटी धारिता	प्रचालन का (के) क्षेत्र/स्थिति
		क्षमतावर्धन के लिए संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियां	
1.	एटीपीसी–सेल विद्युत कंपनी लिमिटेड (एनएसपीसीएल) (08.02.1999)	एनटीपीसी–50% भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल)–50%	कंपनी दुर्गापुर (120 मेगावाट), राउरकेला (120 मेगावाट) और भिलाई (74 मेगावाट) और भिलाई पीपी–III (2 स 250 मेगावाट) पर सेल के लिए कैप्टिव इलेक्ट्रिकल प्लांट की स्वामी है और उनका प्रचालन करती है, जो सेल, छत्तीसगढ़, दादर व नगर हवेली और दमन व दीव को बिजली की आपूर्ति कर रही है। इसकी मौजूदा स्थापित क्षमता 814 मेगावाट है। एनएसपीसीएल राउरकेला पीपी–II विस्तार (1 x 250 MW) और दुर्गापुर पीपी–III (2 x 20 MW) में नए कोयला आधारित क्षमता का निर्माण कर रही है।
2.	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड (23.05.2003)	एनटीपीसी–50% टीएएनजीईडीसीओ–50%	एक संयुक्त उद्यम कंपनी एन्नोर बंदरगाह की अवसंरचना का प्रयोग कर वेल्लूर में 1,500 मेगावाट (3 x 500 मेगावाट) क्षमता का कोयला आधारित विद्युत स्टेशन स्थापित करने के लिए गठित की गई। तीनों इकाइयां वाणिज्यिक प्रचालन में है।
3.	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड (22.11.2007)	एनटीपीसी 74% भारतीय रेलवे–26%	इस सहायक कंपनी का गठन नबीनगर, जिला–औरंगाबाद, बिहार में 1,000 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट (4x250 मेगावाट) स्थापित करने से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए किया गया था। यूनिट –1, 2 और 3 वाणिज्यिक परिचालन में हैं। यूनिट–4 के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है।
4.	कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (06.09.2006)	एनटीपीसी–100%	कंपनी 610 मेगावाट (2 x 110 मेगावाट + 2 x 195 मेगावाट) के मुजफ्फरपुर थर्मल विद्युत स्टेशन की स्वामी है और इसके प्रचालन चलती है। सभी चारों इकाईयाँ वाणिज्यिक प्रचलन में है। केबीयूएलएल में एनटीपीसी द्वारा बीएसपीजीसीएल के शेयर की खरीद के कारण अब यह एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी बन गई है।
5.	पतरातू विद्युत उत्पदान निगम लिमिटेड (15.10.2015)	एनटीपीसी–74% जेबीवीएनएल–26%	इस सहायक कंपनी का निगमन दिनांक 15.10.2015 को मौजूदा कंपनी के निष्पादन में सुधार लाने तथा दो चरणों में 4,000 मेगावाट क्षमता का और विस्तार करने के लिए किया गया था। पीवीयूएनएल 2,400 मेगावाट (3x800 मेगावाट) की ताप विद्युत परियोजना विकसित कर रही है। ईपीसी पैकेज भेल (बीएचईएल) को दिया गया है और निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।
6.	नबीनगर विद्युत जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (09.09.2008)	एनटीपीसी–100%	इस संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन, बिहार के औरंगाबाद जिले में नबीनगर नामक स्थान पर 1,980 मेगावाट (3x660 मेगावाट) क्षमता की कोयला आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना और रख–रखाव करने के लिए किया गया था। एनजीपीसीएल में बीएसपीजीसीएल की हिस्सेदारी का एनटीपीसी द्वारा खरीद के कारण अब यह एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी बन गई है। यूनिट–1 में सितम्बर, 2019 से वाणिज्यिक प्रचालन शुरू किया गया और अन्य दो इकाईयां निर्माणाधीन हैं।
7.	मेजा उर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड (02.04.2008)	एनटीपीसी–50% यूपीआरवीयूएनएल–50%	इस संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में 1320 मेगावाट (2 x 660 मेगावाट) के विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए किया गया था। यूनिट –1 में अप्रैल, 2019 से वाणिज्यिक प्रचालन शुरू हो गया है और यूनिट –2 निर्माणाधीन है।
8.	अरावली विद्युत कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (21.12 2006)	एनटीपीसी–50% आईपीजीसीएल–25% एचपीजीसीएल–25%	एपीसीपीएल ने हरियाणा के झज्जर जिले में 1,500 मेगावाट (3x500 मेगावाट) का इंदिरा गांधी थर्मल विद्युत विद्युत स्टेशन स्थापित किया है। तीनों इकाईयां वाणिज्यिक प्रचालनाधीन है।
9.	रत्नागिरी गैस एंड विद्युत प्रा0 लिमिटेड (आरजीपीपीएल) (08.07.2005)	एनटीपीसी–25.51%, गेल–25.51%, भारतीय वित्तीय संस्थाएं–35.47% एमएसईबी होल्डिंग कंपनी–13.51%	इस कंपनी की स्थापना एलएनजी टर्मिनल के साथ–साथ गैस आधारित दाभोल विद्युत परियोजना का अधिग्रहण करने और चलाने के लिए एनटीपीसी, गेल, एमएसईबी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और भारतीय वित्तीय संस्थाओं के संयुक्त उद्यम के रूप में की गई है। सभी तीन विद्युत ब्लाक जिनकी संयुक्त क्षमता 1,967.08 मेगावाट (रि–रेटिंग के बाद) है मई, 2009 से प्रचालन में हैं।

क्रम सं.	संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम, (निगमन की तारीख)	दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को इक्विटी धारिता	प्रचालन का (के) क्षेत्र/स्थिति
			दिनांक 01.04.2017 से 5 वर्षों के लिए 500 मेगावाट की आपूर्ति के लिए भारतीय रेल के साथ आरजीपीपीएल द्वारा पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा दिनांक 01.04.2017 से 5 वर्षों के लिए 1.75 एमएमएससीएमडी आरएलएनजी की आपूर्ति के लिए गेल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमएसईडीसीएल और अन्य लाभार्थियों से कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं होने के कारण, आरएलएनजी को रेलवे की आवश्यकता से अधिक गेल से नहीं खरीदा जा रहा है। आरजीपीपीएल की स्थापित क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए घरेलू गैस की कमी है। आरजीपीपीएल के एलएनजी व्यवसाय की एक नई कंपनी मैसर्स कोंकण एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड के (केएलपीएल) साथ वि–विलयन के पश्चात् 01.01.2016 की नियत तिथि से यह दिनांक 26.03.2018 से प्रभावी हुआ है।
10.	त्रिंकोमाली पावर कंपनी लिमिटेड (टीपीसीएल) (26.09.2011)	एनटीपीसी–50%, सीईबी–50%	त्रिंकोमाली पावर कंपनी लिमिटेड (टीपीसीएल) 26 सितंबर, 2011 को श्रीलंका में निगमि एनटीपीसी लिमिटेड और सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, श्रीलंका (सीईबी) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसमें एनटीपीसी और सीईबी प्रत्येक कंपनी 50% इक्विटी शेयर पूंजी धारक है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन श्रीलंका में त्रिंकोमाली में 500 मेगावाट (2 x 250 मेगावाट) क्षमता के कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र के विकास, निर्माण, स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए किया गया था। इसके अलावा, श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर, केरावलपिटिया में 300 मेगावाट की एलएनजी परियोजना और श्रीलंका के सामपुर में 50 मेगावाट सौर पीवी परियोजना लगाने के लिए प्रस्ताव को संशोधित किया गया है। केरावलपिटिया, श्रीलंका में प्रस्तावित 300 मेगावाट की एलएनजी विद्युत परियोजना के विकास के लिए एक नई 50:50 भागीदारी वाली संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी के निगमन के लिए, दिनांक 25.10.2019 को कोलंबो, श्रीलंका में एनटीपीसी लिमिटेड और सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) के बीच संयुक्त उद्यम और शेयरधारक करार (जेवीएसएचए) हस्ताक्षरित किया गया है। इसके अलावा, सामपुर, त्रिंकोमाली में एक 50 मेगावाट सौर पीवी बिजली परियोजना की परिकल्पना मौजूदा संयुक्त उद्यम त्रिंकोमाली पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित की जाने वाली है। संशोधित परियोजना समझौतों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
11.	बांग्लादेश भारत मैत्री विद्युत कंपनी (प्रा0) लिमिटेड (31.10.2012)	एनटीपीसी–50%, बीपीडीबी–50%	इस संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन बांग्लादेश में परियोजना का ''निर्माण, विकास और प्रचलन'' के आधार पर विकास, कार्यान्वयन, प्रगति और रख–रखाव शुरू करने के लिए किया गया था। वर्तमान में कंपनी खुलना, बंगलादेश में 1,320 मेगावाट (2 X 660 मेगावाट) के कोयला आधारित विद्युत परियोजना का निर्माण कर रही है। परियोजना को निष्पादित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मैसर्स भेल (बीएचईएल) को ईपीसी एजेंसी के रूप में चुना गया था। निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।
12.	अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड (27.01.2011)	एनटीपीसी–49%, एनपीसीआईएल–51%	नाभिकिय विद्युत परियोजना (एनपीसीआईएल) स्थापित करने के लिए यह संयुक्त उद्यम कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. के बीच निगमित की गई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग ने परमाणु ऊर्जा (संशोधन) अधिनियम, 2015 में सरकारी कंपनी की परिभाषा में परिवर्तन के कारण दो सीपीएसई को संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति दे दी है। वर्तमान में, कंपनी द्वारा कोई गतिविधि नहीं की जा रही है।

क्रम सं.	संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम, (निगमन की तारीख)	दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को इक्विटी धारिता	प्रचालन का (के) क्षेत्र/स्थिति
		संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियां – फॉरवर्ड इन्टीग्रेशन	
1.	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड (21.08.2002)	एनटीपीसी–100%	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एनईएससीएल), जो एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने 01 अप्रैल, 2015 से अपने सभी प्रचालन एनटीपीसी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिए और उसमें निहित कर दिए। एनईएससीएल का निगमन वितरण व्यापार के लिए किया गया था और बाद में इसने डेपोजिट और परामर्शिता कार्य शुरू कर दिया। मौजूदा प्रचालनों के हस्तांतरण और सौंपने से वितरण के क्षेत्र में केंद्रित व्यापारिक दृष्टिकोण आएगा जिसके लिए एनईएससीएल का निगमन किया गया था। तथापि, इस समय खुदरा वितरण में एनईएससीएल का कोई व्यापार नहीं, उचित समय पर अवसर आने पर इसे शुरू किया जाएगा।
2.	एनटीपीसी विद्युत निगम लिमिटेड (01.11.2002)	एनटीपीसी–100%	एननटीपीसी विद्युत निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) जो 1 नवंबर, 2002 को निगमित की गई पूर्णस्वामित्व वाली कंपनी है, विद्युत व्यापार के व्यापार में संलग्न है। एनवीवीएन के पास श्रेणी–I (उच्चतम श्रेणी) के तहत व्यापार करने का लाइसेंस है। एनवीवीएन को बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ सीमा पार व्यापार करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है।
		संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियां–कार्यनीतिक संधि	
1.	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्रा0 लिमिटेड (20.05.2009)	एनटीपीसी–0.27%, आरआईएनएल–24.80%, सेल–49.59, एनएमडीसी–24.80%, कोल इंडिया–0.54%	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल), एक संयुक्त उद्यम कंपनी का निगमन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), एनएमडीसी लिमिटेड (एनएमडीसी) के साथ मिल कर 'इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड' नाम से दिनांक 20.05.2009 को किया गया था। तापीय कोयले के लिए उपयुक्त वाणिज्यिक व्यवहार्य अवसरों के अभाव को देखते हुए, एनटीपीसी ने आईसीवीएल से अलग होने का निर्णय लिया है। चूँकि कंपनी का गठन भारत सरकार के निदेश के तहत किया गया था इसलिए कंपनी से हटने के लिए सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड (27.04.2010)	एनटीपीसी–50% सीआईएल–50%	सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड (सीएनयूपीएल) एनटीपीसी लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एक 50:50 भागीदारी वाला संयुक्त उद्यम है जिसका निगमन झारखंड में ब्राह्मिनी और चिचरो पतसीमल कोयला ब्लॉकों के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए और एकीकृत कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के संचालन के लिए किया गया था। कोयला मंत्रालय ने अपने दिनांक 14.06.2011 के पत्र द्वारा ब्राह्मिनी और चिचरो पतसीमल कोयला ब्लॉकों को संयुक्त उद्यम कंपनी से अनावंटित कर दिया। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सितंबर, 2014 में इन दो ब्लॉकों सहित 204 कोयला ब्लाकों का आबंटन रद्द कर दिया था। अब तक ब्राह्मिनी और चिचरो पतसीमल कोयला ब्लाकों पर आबंटन नीलामी के लिए विचार नहीं किया गया है। सीएनयूपीएल द्वारा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के नए व्यावसायिक अवसरों का पता लगाया जा रहा है।
3.	केएलपीएल (कोंकण एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड)	एनट्रीमः 14.82%, गेलः 56.709%, आरजीपीपीएलः 0.001% आईएफआई–20.617% एमएसईबी होल्डिंग कंपनी–7.853%	आरजीपीपीएल द्वारा दायर वि–विलयन स्कीम को एनसीएलएटी द्वारा दिनांक 28.02.2018 को मंजूरी दे दी गई थी, जिससे आरजीएनपीएल के व्यवसाय को आरजीपीपीएल से अलग कर नई इकाई कोंकण एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड (केएलपीएल) के रूप में परिवर्तित दिया गया। वि–विलयन स्कीम दिनांक 01.01.2016 की नियत तारीख से दिनांक 26.03.2018 को लागू हुई। इसके साथ, एलएनजी व्यवसाय और इसकी सभी संबंधित संपत्तियों और देनदारियों को एक अलग कंपनी, अर्थात् केएलपीएल में विलय कर दिया गया है।

क्रम सं.	संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम, (निगमन की तारीख)	दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को इक्विटी धारिता	प्रचालन का (के) क्षेत्र/स्थिति
	संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियां – कार्यनीतिक विविधीकरण		
1.	हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) (15.06.2016)	एनटीपीसी–29.67% सीआईएल–29.67% आईओसीएल–29.67% एफसीआईएल–7.33% एचएफसीएल–3.66%	एचयूआरएल का निगमन सीआईएल, आईओसीएल, एफसीआईएल तथा एचएफसीएल के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में 15.06.2016 को किया गया था ताकि एफसीआईएल की गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों तथा एचएफसीएल की बरौनी इकाइयों में नये उर्वरक तथा संबद्ध रासायनिक संयंत्र स्थापित कर चलाए जा सकें तथा गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी स्थित एफसीआईएल और एचएफसीएल की परिसंपत्तियों को ध्यान में रखते हुए इसके उत्पादों का विपणन किया जा सके। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए), भारत सरकार ने 13.07.2016 को औपचारिक रूप से एफसीआईएल की गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों और एचएफसीएल की बरौनी इकाई के पुनरुद्धार को मंजूरी दी। सभी 3 परियोजनाओं के लिए वित्तीय समापन हासिल किया गया। दिनांक 20.09.18 को गोरखपुर और 11.10.18 को बरौनी और सिंदरी परियोजनाओं के लिए ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए। पूर्व परियोजना– गतिविधियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और तीनों स्थानों पर बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। आवश्यक प्रमुख अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त हो गई है। स्क्रैप निपटान और साइट क्लीयरेंस पूरी हो गई है। गेल द्वारा गैस पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है। गोरखपुर और बरौनी/सिंदरी ऊर्वरक परियोजनाओं में बुनियादी इंजीनियरिंग कार्य पूरे हो चुके हैं और निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।
2.	ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिकल्स केरल लिमिटेड (09.12.1963)	एनटीपीसी–44.60% केरल सरकार–54.56% अन्य–0.84%	एनटीपीसी ने वर्ष 2007 में 'टीईएलके' में 44.60% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए केरल सरकार के साथ गठबंधन किया था। टीईएलके अधिक वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मरों और उससे जुड़े उपस्करों का विनिर्माण करता है। इस कदम से आशा थी कि एनटीपीसी अपने स्टेशनों की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु योग्य बन सकेगी तथा देश में बड़े तथा पुराने ट्रांसफार्मरों के बेड़े की मरम्मत की जा सकेगी। व्यापारिक परिवेश में परिवर्तन होने के कारण एनटीपीसी बोर्ड ने दिनांक 28.04.2016 को एनटीपीसी को टीईएलके से हटने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने 25 जनवरी, 2017 के पत्र के माध्यम से टीईएलके से एनटीपीसी के हटने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। हालाँकि, दिनांक 2 मई 2017 को केरल सरकार ने पत्र के माध्यम से एनटीपीसी से टीईएलके छोड़ने के निर्णय की समीक्षा करने और निर्णय को रद्द करने के लिए अनुरोध किया है।
3.	एनटीपीसी भेल (बीएचईएल) विद्युत प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (28.04.2008)	एनटीपीसी–50% भेल (बीएचईएल)–50%	एनटीपीसी बीएचईल विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल) एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसका गठन विद्युत संयंत्रों की इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी)गतिविधियां शुरू करने और उपस्करों के विनिर्माण के लिए एनटीपीसी और भेल के बीच किया गया था। व्यापारिक परिवेश में परिवर्तन के कारण, दोनों प्रमोटरों ने संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया। विद्युत मंत्रालय ने एनटीपीसी को एनबीपीपीएल में भेल (बीएचईएल) की हिस्सेदारी खरीदने पर विचार करने की सलाह दी है। एनटीपीसी ने सूचित किया है कि भेल (बीएचईएल) की हिस्सेदारी खरीदने के संबंध में निर्णय ऊंचाहार परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के बाद लिया जा सकता है।
4.	बीएफ–एनटीपीसी एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड (19.06.2008)	एनटीपीसी–49%, भारत फोर्ज लिमिटेड–51%	बीएफ–एनटीपीसी एनर्जी सिस्टम लिमिटेड (बीएफएनईएसएल) नामक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन, विद्युत परियोजनाओं तथा उद्योगों के लिए आवश्यक कास्टिंग, फोर्जिंग, फिटिंग और उच्च दबाव वाले पाइपों के विनिर्माण के लिए एनटीपीसी और भारत फोर्स लिमिटेड के बीच किया गया था। व्यावसायिक परिदृश्य में बदलाव के कारण, कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया गया है। समापन हेतु क्रियाकलाप प्रगति पर है।

क्रम सं.	संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम, (निगमन की तारीख)	दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को इक्विटी धारिता	प्रचालन का (के) क्षेत्र/स्थिति
	संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियां – सेवा व्यवसाय		
1.	यूटिलिटी पॉवरटेक लिमिटेड (23.11.1995)	एनटीपीसी–50%, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड – 50%	यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड (यूपीएल) एनटीपीसी और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसका गठन विद्युत क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों जैसे ओएंडएम सेवाएं, अवशिष्ट जीवन मूल्यांकन अध्ययन, गैर–परंपरागत परियोजनाओं आदि के क्षेत्र में निर्माण, उत्पादन और व्यापार के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारियां लेने के लिए किया गया था।
2.	एनटीपीसी जीई विद्युत सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एनजीएसएल) (27.09.1999)	एनटीपीसी –50%, जीई पॉवर सिस्टम्स–50%	एनटीपीसी जीई विद्युत सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एनजीपीएसएल), जिसे पहले एनटीपीसी एलस्टॉम विद्युत सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, एनटीपीसी और जीई पावर सिस्टम्स की संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसका गठन आरएंडएम सेवाएं देने, जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण रिफर्बिश, पुनर्वास, उन्नयन, रिवर्स इंजीनियरिंग, घटक नुकसान आकलन, अवशिष्ट जीवन आकलन, भारत और विदेशों में विद्युत संयंत्रों की पुनः इंजीनियरिंग और उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए किया गया था।
3.	राष्ट्रीय उच्च शक्ति परीक्षण प्रयोगशाला (प्राइवेट) लिमिटेड (22.05.2009)	एनटीपीसी –20%, एनएचपीसी–20% पीजीसीआईएल–20%, डीवीसी–20%, सीपीआरआई–20%	नेशनल हाई विद्युत टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल) एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसका गठन एनएचपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दामोदर वैली कापोरेशन और सेंट्रल विद्युत रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोजन में किया गया था। ट्रांसफार्मर तथा अन्य विद्युत उपस्करों के शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए दिनांक 22.05.2009 को कंपनी का निगमन किया गया था। यह प्रयोगशाला (लैबोरेटरी) बीना, मध्य प्रदेश में स्थित है और इसने 01.07.17 से वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ कर दिया है।
4.	एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड (10.12.2009)	एनटीपीसी–47.15% पीएफसी–24.97% पीजीसीआईएल– 5.70% आरईसी–22.18%	एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसका गठन ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए विद्युत फाइनेंस कापोरेशन लिमिटेड, विद्युत ग्रिड कापोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के साथ किया गया था। ईईएसएल भवनों की ऊर्जा लेखापरीक्षा, निष्पादन प्राप्ति व्यापार (पैट) व्यापार कार्य और बीईई के कार्य और मानक तथा लेबल संबंधी कार्य, परामर्श कार्य, विभिन्न राज्य सरकारों के लिए बचत लैंप योजना के कार्यान्वयन स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) और कृषि तथा म्यूनिसीपल पंप प्रतिस्थापन के लिए कार्य कर रहा है।
	संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियां – खनन व्यवसाय		
1.	एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड (29.08.2019)	एनटीपीसी–100%	एनटीपीसी के कोयला खनन व्यवसाय को सौंपने के लिए दिनांक 29.08.2019 को एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड (एनएमएल) के नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निगमन किया गया है।

अध्याय 21

एनएचपीसी लिमिटेड

एनएचपीसी 7 नवंबर, 1975 को ''नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड'' के नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में गठित की गई थी। एनएचपीसी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में 02 अप्रैल, 1986 को परिवर्तित किया गया। इस कंपनी का नाम वर्ष 2008 में परिवर्तित कर ''एनएचपीसी लिमिटेड'' कर दिया गया। इसका लक्ष्य **''दक्ष, उत्तरदायी एवं नवाचारी मानकों के माध्यम से स्वच्छ विद्युत के धारणीय विकास हेतु वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी संगठन''** बनना है।

एनएचपीसी एक अनुसूची 'क' उद्यम है तथा भारत सरकार की 73.11% स्वामित्व वाली 'मिनी रत्न' कंपनी है। 15,000 करोड़ रूपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी और 62,970 करोड़ रूपए (30 सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार) से अधिक के निवेश आधार के साथ एनएचपीसी को जलविद्युत विकास के लिए देश में अग्रणी संगठन का दर्जा प्राप्त है। एनएचपीसी आईएसओः 9001:2015, आईएसओ–14001:2015 तथा ओएचएसएएस 18001:2007 से प्रमाणित कंपनी हैं।

एनएचपीसी एक बहुमुखी संगठन है और इसने बड़ी तथा छोटी आकार की जलविद्युत परियोजनाओं के अन्वेषण, योजना, डिजाइनिंग तथा निष्पादन में पर्याप्त विशेषज्ञता तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त कर ली है। इसके पास जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु डिजाइन एवं अभियांत्रिकी, भू–तकनीकी अभियांत्रिकी, निर्माण योजना और निर्माण प्रबंधन में अत्यधिक कुशल तथा अनुभवी पेशेवरों की जनशक्ति मौजूद है। एनएचपीसी की तकनीकी तथा अभियांत्रिकी दक्षता और अनुभव इसे भारत तथा पड़ोसी देशों में जलविद्युत के विकास के क्षेत्र में एक अग्रणी स्थिति प्रदान करता है।

निगम की गतिविधियों / प्रचालनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

एनएचपीसी परियोजनाओं का अवलोकन :			
प्रचालनाधीन जल विद्युत स्टेशन :	**22**	**:**	**6971.20 मेगावाट**
एनएचपीसी के स्वामित्व में	20	:	5451.20 मेगावाट
संयुक्त उद्यम में	02	:	1520 मेगावाट
प्रचालनाधीन पवन विद्युत परियोजना	**01**	**:**	**50 मेगावाट**
प्रचालनाधीन सौर विद्युत परियोजना	**01**	**:**	**50 मेगावाट**
निर्माणाधीन परियोजनाएं	**06**	**:**	**4934 मेगावाट**
- एनएचपीसी के स्वामित्व में			
हाइड्रो	02	:	2800 मेगावाट
सौर	01	:	10 मेगावाट
- संयुक्त उद्यम में			
हाइड्रो	03	:	2124 मेगावाट
मंजूरी के अधीन परियोजनाएं	**13**	**:**	**8211 मेगावाट**
- एनएचपीसी के स्वामित्व में	**08**	**:**	**5953 मेगावाट**
हाइड्रो	07	:	5945 मेगावाट
पवन	01	:	8 मेगावाट
- संयुक्त उद्यम में	**05**	**:**	**2258 मेगावाट**
हाइड्रो (भारत में)	03	:	1456 मेगावाट
हाइड्रो (भूटान में)	01	:	770 मेगावाट
पवन	01	:	32 मेगावाट
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के अधीन परियोजनाएं	**02**	**:**	**1079 मेगावाट**
हाइड्रो	02	:	1079 मेगावाट
एनएचपीसी ने भारत और विदेश में भी टर्नकी व डिपोजिट वर्क के आधार पर कुल 89.35 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं को पूरा किया है । एनएचपीसी ने 1494.70 के किलोवॉट पावर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट को भी विकसित किया है।			

प्रचालनाधीन परियोजनाएं

एनएचपीसी ने अभी तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और संघ शासित जम्मू व कश्मीर राज्यों में 7071.2 मेगावाट की 24 परियोजनाओं (पवन, सौर और संयुक्त उद्यम में ली गई परियोजनाओं सहित) को चालू किया हैं।

टर्नकी / डिपाजिट आधार पर पहले से चालू की गई परियोजनाएं :–

एनएचपीसी ने टर्नकी/डिपाजिट आधार पर 89.35 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली 5 परियोजनाओं नामतः नेपाल में देवीघाट (14.1 मेगावाट) भूटान में कुरूचू (60 मेगावाट) अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कलपोंग (5.25 मेगावाट) अरूणाचल प्रदेश में सिप्पी (4 मेगावाट) कामबांग (6 मेगावाट) को चालू किया हैं ।

वर्ष 2019–20 के लिए एनएचपीसी पावर स्टेशनों से अनुमानित व वास्तविक उत्पादन संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ)

वर्ष 2019–20 के दौरान, दिसबंर,19 तक एनएचपीसी का अपने 22 पावर स्टेशनों से कुल उत्पादन 22156 मिलियन यूनिट है। वर्ष 2019–20 के दौरान दिसबंर,19 तक एनएएचपीसी द्वारा प्राप्त समग्र पीएएफ 87.47% है ।

निर्माणाधीन परियोजनाएं

वर्तमान में एनएचपीसी 4934 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता के साथ संयुक्त उद्यम सहित 06 परियोजनाओं के निर्माण कार्य में लगी है। चालू परियोजना पार्बती–।। और सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना में निर्माण गतिविधियां प्रगति पर हैं। तीसता–VI जलविद्युत परियोजना (500 मेगावाट) का डेवलपर अर्थात मेसर्स लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (मैसर्स एलटीएचपीएल) को एनसीएलटी के माध्यम से अधिग्रहित किया गया है और उसके लिए निविदा की प्रक्रिया प्रगति पर है।

इसके अलावा, संघ शासित राज्य, जम्मू व कश्मीर में पकलदुल (1000 मेगावाट) परियोजना और किरू (624 मेगावाट) परियोजना को संयुक्त उद्यम नामतः चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि. (सीवीपीपीएल) के अधीन क्रियान्वयन किया जा रहा है। पकलदुल जलविद्युत परियोजना का पावर हाउस, बांध, ई एंड एम और एचएम पैकेजों को अवार्ड किया जा चुका है तथा पकलदुल जलविद्युत परियोजना का एचआरटी–टीबीएम पैकेज अभी अवार्ड किया जाना है। किरू परियोजना के लिए, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 08.03.2019 को जुलाई, 2018 के मूल्य स्तर पर 4287.59 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर परियोजना की निवेश मंजूरी के बारे में सूचित किया है। बोर्ड द्वारा बोलियां अनुमोदित की गई हैं और सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण की संस्वीकृति के बाद आश्वासन पत्र जारी किया जायेगा।

एनएचपीसी पश्चिम कल्लाड़, केरल में फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना के विकास करने की प्रक्रिया में है। प्रथम चरण में 10 मेगावाट क्षमता के विकास के लिए अवार्ड पत्र 20.09.2019 को जारी किया गया है।

सरकार की स्वीकृति / मंजूरी के अधीन परियोजनाएं

1. **कोटली भेल–1ए (195 मेगावाट)**
2. **दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (2880 मेगावाट), अरूणाचल प्रदेश**
3. **तीस्ता–IV (520 मेगावाट), सिक्किम**
4. **तवांग–I जलविद्युत परियोजना (600 मेगावाट), अरूणाचल प्रदेश**
5. **तवांग–II जलविद्युत परियोजना (800 मेगावाट), अरूणाचल प्रदेश**
6. **गोरीगंगा चरण–IIIए जलविद्युत परियोजना (150 मेगावाट), उत्तराखण्ड**

सर्वेक्षण व अन्वेषण के तहत परियोजनाएं

1. गरबा तवाघाट जलविद्युत परियोजना, 630 मेगावाट, उत्तराखंड
2. डुगर जलविद्युत परियोजना, 449 मेगावाट, हिमाचल प्रदेश

संयुक्त उद्यम परियोजनाएं :

1. **लोकतक डाउनस्ट्रीम (66 मेगावाट), मणिपुर**
2. **जम्मू एवं कश्मीर में पकल दुल और अन्य जलविद्युत परियोजनाएं :**

   जम्मू व कश्मीर की चिनाब नदी बेसिन में पकल–दुल और अन्य जलविद्युत परियोजनाओं का विकास कार्य संयुक्त उद्यम कंपनी "चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड" द्वारा किया जाना है जिसमें जेकेएसपीडीसी, एनएचपीसी लिमिटेड और पीटीसी के मध्य क्रमशः 49%, 49% एवं 2% की हिस्सेदारी है। सीवीपीपीएल के पास निम्नलिखित निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं :

   (i) पकल दुल जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट)

   (ii) कीरू जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट)

3. **तीस्ता–VI – 500 मेगावाट (4x125 मेगावाट) – सिक्किम**

   इस परियोजना का कार्यान्वयन लेनको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमि. (एलटीएचपीएल) जो एनएचपीसी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, द्वारा किया जा रहा है। सीसीईए ने मैसर्स लेंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एलटीएचपीएल) के अधिग्रहण के लिए तथा तीस्ता चरण–VI (500 मेगावाट) जलविद्युत परियोजना के शेष कार्यों को करने के लिए 5748.04 करोड़ रुपए के निवेश अनुमोदन के लिए मंजूरी प्रदान की।

एनएचपीसी के अन्य संयुक्त उद्यम की पहल

1. **नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचडीसी)**

   कंपनी को मध्य प्रदेश राज्य में जल विद्युत, तापीय और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संभाव्यता के विकास हेतु 01.08.2000 को स्थापित किया गया था जिसमें एनएचपीसी लिमिटेड (51%) की इक्विटी हिस्सेदारी और मध्य प्रदेश सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी (49%) थी। नर्मदा नदी पर दो जल विद्युत परियोजनाएं नामतः इंदिरा सागर पावर स्टेशन (1000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर पावर स्टेशन (520 मेगावाट) को क्रमशः वर्ष 2005 तथा 2007 में चालू किया गया है। दोनों परियोजनाओं को निर्धारित समय से पहले चालू किया गया ।

2. **नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटेरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)**

   एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावरग्रिड व डीवीसी प्रत्येक की 25 प्रतिशत समान इक्विटी भागीदारी की संयुक्त उद्यम कंपनी एनएचपीटीएल की स्थापना दिनांक 22.5.2009 को बीना, मध्य प्रदेश में देश में शार्ट सर्किट परीक्षण सुविधा प्रदान करने हेतु ऑन–लाइन हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी स्थापित करने के लिए की गई थी। बाद में, एनएचपीटीएल में पांचवें समान इक्विटी भागीदार के तौर पर सीपीआरआई शामिल हुई। एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावरग्रिड, डीवीसी व सीपीआरआई के मध्य 20 प्रतिशत प्रत्येक की समान इक्विटी भागीदारी के साथ एक अनुपूरक संयुक्त उद्यम समझौते पर दिनांक 15.02.2012 को हस्ताक्षर किए गए। एचवीटीआर लेबोरेटेरी की वाणिज्यिक परिचालन की तारीख (डीओसीओ) 01.07.2017 को घोषित की गई थी। वाणिज्यिक परिचालन की तारीख की घोषणा के बाद, एनएचपीटीएल 50 एमवीए, 132 केवी क्लास से 315 एमवीए, 400 केवी क्लास ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने में सक्षम हो गया है। प्रयोगशाला की क्षमता को 765 केवी स्तर तक बढ़ा दिया गया है और प्रथम वाणिज्यिक 765 केवी ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट (ऑनलाइन) दिनांक 11.09.2017 को पूरा किया गया। अब, एनएचपीटीएल 85 एमवीए से 333.3 एमवीए तक के लिए 765 केवी क्लास ट्रांसफार्मर के ऑनलाइन शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने में भी सक्षम है। एनएचपीटीएल दिनांक 12.10.2017 को एनएबीएल की मान्यता प्राप्त होने के बाद एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला बन जाएगी। एमवीटीआर प्रयोगशाला मार्च, 2020 तक चालू होने की संभावना है।

एनएचपीसी द्वारा किए गए अन्य पहल

क. सौर विद्युत परियोजनाएं :

I. ईपीसी मोड के अंतर्गत विकास :

(I) एनएचपीसी और यूपीएनईडीए के मध्य एक संयुक्त उद्यम बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड (बीएसयूएल) द्वारा कल्पी, उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट सौर पीवी विद्युत परियोजना – एनएचपीसी (न्यूनतम 74%) और यूपीएनईडीए (26% तक):

कंपनी को उत्तर प्रदेश के जिला जालौन की काल्पी तहसील में 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौंपी गई अन्य परम्परागत तथा गैर–परम्परागत विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु 02.02.2015 को निगमित किया गया ।

बीएसयूएल को 63.491 हैक्टेयर भूमि हस्तांतरित की गई है। भूमि की उपलब्धता के आधार पर एक 32 मेगावाट सौर विद्युत संयंत्र को कार्यान्वित करने की परिकल्पना की गई है। पुनः निविदा निकालने जाने के बाद प्राप्त की ईपीसी लागत के अनुसार, 32 मेगावाट की संस्थापना का वर्तमान प्रस्ताव तकनीकी–वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है। अतः बीएसयूएल को अतिरिक्त भूमि आवंटित कर परियोजना की क्षमता को बढ़ाने के लिए नये प्रस्ताव पर विचार यूपीएनईडीए के साथ किया जा रहा है।

(ii) 10 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, केरल

एनएचपीसी केरल के पश्चिम कल्लड़ में फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना के विकास की प्रक्रिया में है। लेटर ऑफ अवार्ड प्रथम चरण में 10 मेगावाट क्षमता के विकास के लिए दिनांक 20.09.2019 को जारी किया गया है।

(iii) ओडिशा में 100 मेगावाट एनएचपीसी सोलर पार्क (प्रथमचरण में 40 मेगावाट):

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने एनएचपीसी द्वारा ओडिशा में 100 मेगावाट क्षमता का एक सोलर पार्क की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। गंजम जिले में चिन्हित भूमि पर प्रथम चरण में 40 मेगावाट विकसित किया जाएगा। 40 मेगावाट के लिए राज्य तकनीकी समिति (एसटीसी) का अनुमोदन उपलब्ध है। एनएचपीसी को भूमि का आवंटन किये जाने का कार्य प्रक्रिया के अधीन है। पूर्व में निकाली गई निविदा को पारेषण लाइन की वृहद लंबाई के कारण आरओडब्ल्यू मुद्दे की आशंकाओं के आधार पर बोली लगाने वाले से कम प्रतिक्रिया के कारण रद्द करना पड़ा था। मौजूदा 220 केवी लाइन के साथ समीपस्थ लाइन इन लाइन आउट (एलआईएलओ) संयोजक्ता अथवा एक पृथक पैकेज के रूप में पारेषण लाइन का कार्य पूरा किये जाने के वैकल्पिक प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है।

अतिरिक्त क्षमता के लिए भूमि की पहचान देवघर जिले में की गई है जो 100 मेगावाट की क्षमता के विकास के लिए उपयुक्त है। राज्य तकनीकी समिति (एसटीसी) का अनुमोदन 26.07.2019 को सूचित किया गया है। विद्युत निकासी प्रणाली को राज्य पारेषण यूटिलिटी, ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कारपारेशन लिमि. (ओपीटीसीएल) के सहयोग से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(iv) रूफटॉप/लघु ग्राउण्ड माउन्टेड सोलर परियोजनाएं :

रूफटॉप सोलर संयंत्रों का 2494.70 किलोवाट विद्युत विभिन्न एनएचपीसी कार्यालयों/ परियोजनाओ/ इकाईयों में पहले ही चालू कर दिया गया है । एनएचपीसी के विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त 1589 किलोवाट विद्युत के विकास के लिए ईपीसी संविदा हेतु बोलियां आमंत्रित की गई थीं, जिनमें से अवार्ड पत्र 372 किलोवाट विद्युत के लिए पहले ही जारी किया जा चुका है और शेष 1217 किलोवाट विद्युत क्षमता अवार्ड किये जाने के अधीन है ।

II. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की मौजूदा सोलर पार्क योजना के अधीन अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय उर्जा विद्युत पार्कों (यूपीआरईपीपी) का विकासः

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने एनएचपीसी को यूपीआरईपीपी के विकास की संभावना तलाशने के लिए जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा के राज्यों को (फ्लोटिंग सोलर के लिए) आवंटित किया है। तदनुसार, संबंधित राज्यों के साथ एनएचपीसी ने इस मामले को उठाया है और राज्यों में उपलब्ध संभाव्यता के आधार पर यूएमआरईपीपी के कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर चर्चा जारी है । प्रारूप समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान क्रमशः तेलंगाना और ओडिशा में 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजनाओं के विकास के लिए तेलंगाना राज्य नोडल एजेंसी ''तेलंगाना राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम (टीएसआरईडीसीओ)'' और ''ओडिशा हरित ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीईडीसीओएल)'' के साथ आदान प्रदान किया गया है और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

III. फेसिलिटेटर मोड (मध्यवर्ती खरीददार के रूप में):

एनएचपीसी ने भारत में किसी भी स्थान पर एसपीडी द्वारा पहचान की जाने वाली और व्यवस्था किये जाने वाले भूमि पर 2000 मेगावाट की संपूर्ण क्षमता की ग्रिड से जुड़ी सोलर–पीवी विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए डेवलपरों के चयन हेतु अनुरोध (आरएफएस) दस्तावेज जारी किये हैं।

(ख) पवन ऊर्जा परियोजनाएं :

(I) केरल पवन ऊर्जा परियोजना (प्रथम चरण में 08 मेगावाट) :

एनएचपीसी ने केरल राज्य में विकास के लिए पवन ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की हैं और 2014 में केरल सरकार के विद्युत विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पहली बार में, केरल सरकार ने विद्युत निकासी के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के अनुसार एनएचपीसी से पलक्कड़ जिले के अगाली गांव में उपलब्ध उच्च पवन क्षमता का दोहन करने के लिए कहा है। 08 मेगावाट के लिए ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आमंत्रित की गई पिछली निविदा के लिए अच्छे परिणाम न मिलने के कारण रद्द करना पड़ा। निविदा को पुनः आमंत्रित करने के लिए परियोजना मापदंडों की समीक्षा की जा रही है। भूमि आवंटन, पीपीए और कनेक्टिविटी अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

31.12.2019 तक वाणिज्यिक निष्पादन

- वर्ष 2019–20 के दौरान 31.12.2019 तक 6183.32 करोड़ रूपए की संचयी वसूली की प्राप्ति हुई है जिसमें 209.01 करोड़ रूपए का देर से भुगतान का अधिभार संग्रह शामिल है।
- 31.12.2019 को 45 दिनों से अधिक के लिए मूल बकाया राशि 2375.15 करोड़ रूपए हैं।
- बिल में छूट के माध्यम से यूपीपीसीएल, एवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल और टेनजेडको से प्राप्त क्रमशः 300 करोड़ रुपए, 62.70 करोड़ रुपए, 107.04 करोड़ रुपए और 40.60 करोड़ रुपए की बकाया राशि।
- दिनांक 29.07.2019 को बैठक के दौरान एनएचपीसी का बीओडी ने डब्ल्यूबीएसईडीसीएल से 12 किस्तों में 28.79 करोड़ रुपए के अधिभार भुगतान के प्राप्त होने का अनुमोदन किया। 2.40 करोड़ रुपए की 4 किस्तें आज की तारीख तक प्राप्त हुई हैं।
- अपने कर्मचारियों तथा केंद्रीय विद्यालय (केवी) / दयानंद एंग्लो वैदिक (डीएवी) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) / जम्मू व कश्मीर के पुलिस का 01.01.2016 से 31.03.2019 की अवधि के लिए एनएचपीसी विद्युत स्टेशनों के संबंध में वेतन में संशोधन के भार की वसूली के लिए 18 याचिकाएं सीईआरसी में जुलाई, 2019 और अगस्त 2019 में दायर की गई हैं। इन याचिकाओं के लिए शामिल कुल वित्तीय भार लगभग 653.41 करोड़ रुपए (लगभग) है।
- 01.01.2007 से 31.03.2019 की अवधि के लिए एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड से नीचे के स्तर के कार्यपालकों के वेतन नियमितिकरण के भार (4 प्रतिशत) जिसमें 135.86 करोड़ रुपए का वित्तीय भार शामिल है, की वसूली के लिये याचिका सीईआरसी में सितंबर 2019 में दायर की गई है।
- 12 विद्युत स्टेशनों अर्थात चमेरा– I, चमेरा– II, उड़ी–1, टनकपुर, रंगीत, तीस्ता–V, दुलहस्ती, धौलीगंगा, निम्मो बाजगो, चुटक, पार्बती– III और सलाल के लिए 2019–2024 की अवधि के लिए मुख्य शुल्क याचिकाएं सीईआरसी में अक्टूबर, 2019 के दौरान दायर की गई हैं। 14 विद्युत स्टेशनों के लिए 2014–19 की अवधि के लिए ट्रूइंगअप शुल्क याचिकाएं सीईआरसी में अक्टूबर 2019 के दौरान दायर की गई।
- चमेरा– II विद्युत स्टेशन के संबंध में 2017–18 की अवधि के लिए और चमेरा– III, सेवा– II, टीएलडीपी– III, टीएलडीपी–IV और धौलीगंगा विद्युत स्टेशनों के संबंध में 2018–19 की अवधि के लिए उत्पादन में गिरावट को पुनः प्राप्त करने के लिए विविध याचिकाएं सीईआरसी में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में लगभग 45.44 करोड़ रुपए का वित्तीय भार शामिल है।

- रंगीत और टीएलडीपी–।।। विद्युत स्टेशनों जिसमें 36.05 करोड़ रुपए का वित्तीय भार शामिल है, के लिए 2014–15 के दौरान उत्पादन में गिरावट के लिए, धौलीगंगा,चमेरा–।।।, टीएलडीपी–।।। विद्युत स्टेशनों जिसमें 32.81 करोड़ रुपए का वित्तीय भार शामिल है, के लिए 2015–16 के दौरान उत्पादन में गिरावट के लिए, चमेरा–।।।, पार्बती–।।।, सेवा–।।, टीएलडीपी–।।। विद्युत स्टेशनों जिसमें 31.24 करोड़ रुपए का वित्तीय भार शामिल है, के लिए 2016–17 के दौरान उत्पादन में गिरावट के लिए, टीएलडीपी–प्ट विद्युत स्टेशन जिसमें 30.34 करोड़ रुपए का वित्तीय भार शामिल है, के लिए 2017–18 के लिए उत्पादन में गिरावट के लिए आदेश सीईआरसी द्वारा विभिन्न सुनवाइयों और अनुरोधों में हमारे दावे को सही ठहराने के बाद सीईआरसी द्वारा जारी किया गया।
- मणिपुर राज्य में एनएचपीसी के 105 मेगावाट लोकतक विद्युत स्टेशन के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए ओदश सीईआरसी द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2019 को जारी किया गया है।
- पार्बती जलविद्युत परियोजना – चरण ।। के मामले में 6 महीने से आगे वाणिज्यिक प्रचालन के पूर्व विद्युत का निवेश करने के लिए अनुमति की मांग करते हुए याचिका दिनांक 26.07.2019 को सीईआरसी में दायर की गई। सीईआरसी द्वारा 31.08.2020 तक अथवा वास्तविक सीओडी तक इसमें से जो भी पहले हो उस समय तक वाणिज्यिक प्रचालन के पूर्व विद्युत का निवेश करने के लिए अनुमति दिये जाने के लिए सीईआरसी द्वारा आदेश जारी किया गया है।
- विद्युत विकास विभाग, जम्मू व कश्मीर के साथ उड़ी–।। विद्युत स्टेशन, एनएचपीसी लिमि. के संबंध में विद्युत खरीद करार (पीपीए) का नवीकरण दिनांक 26.04.2019 को जम्मू में समाप्ति की तिथि अर्थात 28.02.2019 से 5 वर्षों की आगे की अवधि के लिए किया गया है।
- उड़ी–।। और पार्बती–।।। विद्युत स्टेशनों के संबंध में विद्युत खरीद करारों का नवीकरण यूपीपीसीएल के साथ लखनऊ में दिनांक 25.07.2019 को संबंधित विद्युत स्टेशनों की शेष उपयोगी जीवन अर्थात सीओडी से 35 वर्षों तक के लिए किया गया है।
- विद्युत खरीद करार पर एनएचपीसी और विद्युत विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच विद्युत स्टेशन की सीओडी से 40 वर्षों की अवधि के लिए सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) अरुणाचल प्रदेश के लिए दिनांक 27.08.2019 को हस्ताक्षर किया गया था।
- विद्युत खरीद करार पर हस्ताक्षर दिनांक 31.08.2019 को एनएचपीसी और केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमि. के बीच 10 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर संयंत्र जिसे केरल राज्य में एनएचपीसी द्वारा विकसित किया जाना है, के संबंध में सीओडी से 25 वर्षों के लिए किया गया था।
- उड़ी–।। और पार्बती–।।। विद्युत स्टेशनों के संबंध में विद्युत खरीद करार का नवीकरण बीवाईपीएल, बीआरपीएल और टीपीडीडीएल (दिल्ली की वितरण कंपनियों) के साथ संबंधित विद्युत स्टेशनों के सीओडी के 40 वर्षों अर्थात शेष उपयोगी जीवन के लिए सितंबर, 2019 में किया गया है ।
- हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने दिनांक 16.10.2019 के आदेश के माध्यम से सीओडी से शेष उपयोग जीवन के लिए एनएचपीसी की उड़ी–।। और पार्बती–।।। विद्युत स्टेशनों के संबंध में हरियाणा के साथ विद्युत खरीद करार का समय विस्तार किये जाने का अनुमोदन किया है।
- सीईआरसी द्वारा अप्रैल 2018 में श्रेणी–। व्यापार लाइसेंस जारी किये जाने के बाद, एनएचपीसी ने बहुत कम अवधि में अल्पकालिक लेनदेन के लिए व्यापारियों के बीच आठवां स्थान प्राप्त किया है। (संदर्भ : अक्टूबर 2019 के लिए अल्पकालीन बाजार पर सीईआरसी रिपोर्ट)।
- 316 करोड़ रुपए के कारोबार के साथ लगभग 946 एमयू उर्जा का व्यापार एनएचपीसी के विद्युत व्यापार क्रियाकलाप के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान किया गया है ।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्वनाम आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की स्थिति

एनएचपीसी द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्वनाम आरजीजीवीवाई) की 10वीं तथा 11वीं योजना स्कीम के तहत, नियत एजेंसी शुल्क अर्थात परियोजना की लागत के 09–12% के आधार पर 36 ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया है। एनएचपीसी को लगभग 2600 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 5 राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़ तथा ओडीशा के 27 जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं आवंटित की गई थी। 36 परियोजनाओं में से, जम्मू एवं कश्मीर में लेह परियोजना को छोड़कर, 35 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण हो गए है।

31.03.2019 तक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार रही है:–

- 9077 अविद्युत / निविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण।
- 18693 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण।
- 16.1 लाख गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को सर्विस कनेक्शन मुहैया करवाए गए।
- लेह तथा कारगिल में 66/11 केवी के 11 नए सब–स्टेशनों का निर्माण।
- 33/11 केवी के 48 नए सब–स्टेशनों का निर्माण।
- 33/11 केवी के 104 नए सब–स्टेशनों का विस्तार/उन्नयन।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीण सड़क परियोजनाएं :

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बिहार के 06 जिलों नामतः वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, शिवहर और पश्चिमी चंपारण में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए एनएचपीसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था । इस योजना के अंतर्गत, एनएचपीसी को 06 जिलों में 758 सड़कों के लिए 1,725.65 करोड़ रूपए की लागत पर निष्पादन कार्य सौंपा गया था। 31 मार्च, 2019 तक 3090 किलोमीटर कुल लम्बाई के साथ 755 सड़कें पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, वैशाली जिले में शेष 03 सड़कों का निर्माण प्रगति पर हैं।

त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार, सभी 758 सड़कों का रखरखाव उनका निर्माण पूरा होने के पांच (05) वर्ष पश्चात तक किया जाना है । पहले से पूर्ण 755 सड़कों में से, 3015 किलोमीटर कवर करने वाली 740 सड़कों की पांच वर्षों की रखरखाव अवधि पूरी हो गई है, जबकि 75 किलोमीटर लंबाई की 15 सड़कें रखरखाव अवधि के अधीन है ।

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल)

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पावरग्रिड) 23 अक्तूबर, 1989 को निगमित (राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम के रूप में) किया गया था और 1998 के बाद से केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी के रूप में अधिसूचित है। निगम केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं और आईपीपी, से विद्युत की निकासी, प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना के लिए देश में अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के विकास और इसे सौंपी गई पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

पावरग्रिड : एक परिदृश्य

पावरग्रिड तकनीकी और प्रबंधकीय क्षेत्रों में सतत नवीनतम कार्यों द्वारा विद्युत पारेषण नेटवर्क का समन्वित विकास कार्य करके भारतीय विद्युत क्षेत्र का विकास करने में उल्लेखनीय योगदान करता है। विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास और इन वर्षों में उसके सतत निष्पादन के लिए कंपनी के योगदान को मान्यता देते हुए भारत सरकार द्वारा इसे **अक्तूबर, 2019** में **''महारत्न''** का दर्जा प्रदान किया गया है। पावरग्रिड प्रमुख पणधारी के रूप में भारत सरकार की एक सूचीबद्ध कंपनी है।

पावरग्रिड ने **''डन एन्ड ब्रेडस्ट्रीट पी एस यू अवार्ड, 2019'' में** तीन पुरस्कार, **''बेस्ट नवरत्न ओवरऑल'', ''इलेक्ट्रिसिटी सेक्टरः ट्रांसमिशन''** और **''बेस्ट नवरत्नः सर्विसेज''** प्राप्त कर में अपने ख्याति के लिए अर्जित करता रहा।

स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस (एसआईपी) और स्वच्छ भारत कोष (एसकेपी) की पहल के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण सीएसआर योगदान को मान्यता देते हुए भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 06 सितंबर, 2019 को **स्वच्छता के लिए पीएसयू निगम श्रेणी में पावरग्रिड को पुरस्कृत किया।**

पावरग्रिड ने **''सर्वोत्तम निष्पादक विद्युत पारेषण यूटिलिटी''** और **''विद्युत पारेषण में नवोनव्य उत्कृष्टता के लिए सीबीआईपी विशेष ज्यूरी अवार्ड''** के लिए सीबीआईपी अवार्ड, 2019 प्राप्त किया।

पावरग्रिड ने **''पीएमआई इंडिया अवाड्र्स–20'', ''सीएसआर एवं संधारणीयता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय अवार्ड'', ''सर्वोत्तम समुदाय विकास अवार्ड'',** कुरनूल (आंध्र प्रदेश) और विजयपुर (कर्नाटक) में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन परियोजना के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में सुधार कर समुदाय में योगदान के लिए **''कृषक केंद्रित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में सुधार'', ''सीएसआर टाइम्स – राष्ट्रीय सीएसआर अवार्ड, 2019''** जैसे पुरस्कार प्राप्त किए।

पावरग्रिड ने प्लाट्स टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग के आधार पर 2014 से निरंतर छः वर्ष के लिए एशिया में **तीव्रतम बढ़ती हुई विद्युत यूटिलिटी** के रूप में एक बार फिर अपनी स्थिति बनाए रखी है।

पावरग्रिड को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पहल के माध्यम से प्राप्त निर्यात निष्पादन के लिए वाणिज्य मंत्रालय के तत्वाधान में इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए प्रतिष्ठित ''निर्यात उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार'' प्रदान किया गया है।

पावरग्रिड **आईएसओ** 9001:2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), **आईएसओ** 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) और **ओएचएसएएस** 18001:2007 (व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) की अपेक्षाओं को एकीकृत करते हुए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विनिर्देशन **पीएएस** 99:2012 के अनुसार एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित है। पावग्रिड की सभी स्थापनाओं की सामाजिक उत्तरदायित्व मानक, **एसए** 8000:2014 के लिए उसके सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रणालियों और प्रमाणन के लिए लेखापरीक्षा की गई है।

31 दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार पावरग्रिड के पास देश के विभिन्न भागों में फैले हुए 248 सब–स्टेशनों में 3,99,897 मेगा वोल्ट एम्पियर (एमवीए) की विद्युत पारेषण क्षमता तथा पारेषण लाइनों (मुख्य रूप से 400 केवी और उससे अधिक की एसी एवं एचवीडीसी लाइनें) के लगभग 1,61,864 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) का पारेषण नेटवर्क है और उसका प्रचालन करता है। कंपनी सर्वोत्तम प्रचालन एवं रख–रखाव परिपाटियां लगाकर इस विशालकाय पारेषण नेटवर्क की उपलब्धता को सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलनीय निरंतर 99% से अधिक बनाए रखने में अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने में सक्षम रही है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिसंबर, 2019 तक) के दौरान, पारेषण प्रणाली के लिए 99.81 प्रतिशत से अधिक उपलब्धता बनाये रखी गई थी। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिसंबर, 2019 तक) के दौरान प्रति लाईन ट्रिपिंग की संख्या 0.32 तक सीमित की गई थी। सब–स्टेशनों की केन्द्रीकृत रिमोट मॉनिटिरंग, प्रचालन और नियंत्रण करने के लिए ''राष्ट्रीय ट्रांसमिशन परिसंपत्ति प्रबंधन केन्द्र'' कार्यान्वित किया गया है, जिसने देश में पारेषण प्रणाली के प्रचालन में दक्षता और पारदर्शिता में और अधिक सुधार किया है।

कंपनी ने 34,119.12 करोड़ रु. का कारोबार और 9,938.55 करोड़ रु. का निवल लाभ प्राप्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान एक प्रभावशाली वित्तीय निष्पादन रिकार्ड किया है। कंपनी का कुल परिसंपत्ति आधार 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 1,97,792 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है।

कंपनी ने विभिन्न पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 25,807 करोड़ रुपये का कैपेक्स किया। अपेक्षित निधियां घरेलू बाजार और वित्तपोषण एजेंसियों से सतत ऋणों की आय से जुटायी गयी थीं। आंतरिक संसाधनों के अलावा, विश्व बैंक, के एफ डब्ल्यू और एशियन विकास बैंक आदि संगठन थे।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, लगभग 15,000 करोड़ रु. के परिकल्पित कैपेक्स में से विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 31 दिसंबर, 2019 तक 10,000 करोड़ रूपए का निवेश किया गया है।

अप्रैल, 2019 – दिसंबर, 2019 के दौरान, पावरग्रिड द्वारा लगभग 3,567 सीकेएम पारेषण लाइनें, 27,985 एमवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता और 1,500 मेगावाट अंतर–क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता जोड़ी गई है।

नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण में पावरग्रिड की पहल

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम उत्पादन पूर्व अवधि के अतिरिक्त आंतरायिकता तथा परिवर्तनशीलता द्वारा अभिलक्षित है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन समृद्ध राज्यों में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से पावर ग्रिड ने नवीकरणीय ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण हेतु निम्नलिखित कदम उठाया है :

1. पावरग्रिड ने एक व्यापक योजना यथा ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर (जीईसी) तैयार की है। यह योजना एक अनुकूल तरीके से बड़े पैमाने के नवीकरणीयों की ग्रिड एकीकरण चुनौतियों को हल करने के लिए तैयार की गई थी। तद्नुसार, यह योजना ग्रिड में नवीकरणीय उत्पादन का इंटर–कनेक्शन सुकर बनाने तथा ग्रिड के लचीलेपन को बढ़ाने की दृष्टि से शेष अवशिष्ट को बढ़ाने के लिए तैयार की गई थी। इस योजना में पावरग्रिड द्वारा कार्यान्वित अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली तथा संबंधित राज्य पारेषण यूटिलिटियों द्वारा कार्यान्वित अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली शामिल है। ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर – अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) में 6 सब–स्टेशनों (17,000 एमवीए) के साथ लगभग 3200 सर्किट किलोमीटर उच्च क्षमता वाली पारेषण लाइनें शामिल हैं जिनमें से अधिकतर जीईसी – अंतर–राज्यीय पारेषण योजना पहले ही शुरू हो गई है।
2. इस योजना में नवीकरणीयों के कारण प्रणाली प्रचालन में विविधता तथा संतुलन के मुद्दों को हल करने के लिए ऊर्जा संसाधन समृद्ध राज्यों, आरएलडीसी और एनएलडीसी में पूर्वानुमान तथा शेड्यूलिंग टूल्स से युक्त अत्याधुनिक ग्यारह (11) नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों (आरईएमसी) की स्थापना भी शामिल है जो कि भारत में अपने किस्म की पहली योजना है। जिसमें से पावरग्रिड द्वारा बढ़ते हुए नवीकरणीय ऊर्जा व्यापन में आसान ग्रिड प्रचालन सुकर बनाते हुए दक्षिणी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में 08 आरईएमसी शुरू कर दिए गये हैं जबकि उत्तरी क्षेत्र में शेष 03 आरईएमसी जनवरी, 2020 तक शुरू होने की आशा है। इसके अतिरिक्त, 02 नई आरईएमसी (दक्षिण अंडमान तथा तेलंगाना में एक–एक) कार्यान्वयन हेतु लिए गए हैं।
3. 34 सौर विद्युत पार्कों के ग्रिड एकीकरण के लिए योजना तैयार करने हेतु पावरग्रिड ने अंर्तराज्यीय और अंतर–राज्यीय प्रणाली से परिकल्पित सौर विद्युत पार्कों से लगभग 20,000 मेगावाट क्षमता के निष्क्रमण के लिए व्यापक पारेषण योजना तैयार की।

   पावर ग्रिड (7) सोलर पार्कों के लिए अंतरराज्यीय पारेषण स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। उसमें से आंध्रप्रदेश में अनंतपुर (1500 मेगावाट), कर्नाटक के पावागडा चरण–I (1000 मेगावाट), मध्यप्रदेश में रीवा (750 मेगावाट), भाडला–III (500 मेगावाट), भाडला–IV (250 मेगावाट) का कार्य पूरा हो चुका है तथा पावागडा चरण–II (1000 मेगावाट), एस्सेल (750 मेगावाट) और बाणसकांठा (750 मेगावाट) पारेषण योजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

व्यापार विकास

पावरग्रिड विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को परामर्शी सेवाएं दे रहा है। इसने 20 देशों में कारोबार आरंभ किया है और इस समय बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और फिजी में 14 परामर्शी परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, पावर ग्रिड ने वित्त वर्ष 2019–20 (दिसम्बर 2019 तक) 29 नया घरेलु परामर्शी कार्य प्राप्त किए है।

मुख्य परामर्श कार्यों में रीवा सबस्टेशन में चार 220 केवी बे एमपीपीटीसीएल हेतु इटारसी सबस्टेशन में दो 220 केवी बे का कार्यान्वयन, खेत्री ट्रांस्को लिमिटेड के लिए राजस्थान एसईजैड (भाग–ग) से एलटीए आवेदन सहित पारेषण प्रणाली की स्थापना, संबंधित लाइन सहित मेरठ में 765/400/200 केवी जीआईएस सबस्टेशन की स्थापना, मेरठ–सिम्बावली ट्रॉसमिशन लिमिटेड (एमएसटीएल), हेतु संबंधित पारेषण लाइन सहित सिम्बावली में 400/220/132 केवी जीआईएस सबस्टेशन, जमा कार्य आधार पर 765/400 केवी पावर ग्रिड कानपुर जीआईएस में यूपीपीटीसीएल हेतु दो 400 केवी बे का कार्यान्वयन और त्रिपुरा में 400 केवी सबस्टेशन में टीएसईसीएल के 132 केवी सूरजमणिनगर सबस्टेशन का उन्नयन शामिल है।

कार्यान्वयनाधीन अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल) के लिए पारेषण लाइनों एवं सब–स्टेशन चरण–IV, भाग–II का निर्माण, झारखंड में पारेषण लाइनों और सब–स्टेशनों का निर्माण, घाटमपुर टीपीएस से विद्युत निकासी के लिए कानपुर जीआईएस में 2 बे का निर्माण, तीव्र ट्रांजिट रेल परियोजना अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (एनसीआरटीसी) के लिए पारेषण लाइनों का डाईवर्जन आदि शामिल हैं।

पावरग्रिड कठिन भौगोलिक क्षेत्र में पारेषण कार्य निष्पादित कर रहा है, यथा – विश्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित पूर्वोत्तर क्षेत्र के छः राज्यों में ''एनईआर विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना'' का कार्यान्वयन, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण एवं वितरण के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक योजना।

कंपनी ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण लेह एवं कारगिल क्षेत्र में ग्रिड कनेक्टिविटी तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए जम्मू–कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र में पारेषण परियोजना शुरू की है।

प्रौद्योगिकी विकास

पावरग्रिड भावी प्रतिस्पर्द्धी बाजार संधारित करने के लिए विद्युत पारेषण प्रणाली के क्षेत्र में कई अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों को सहायता दे रहा है। इसने विभिन्न अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं के साथ मानेसर में **एक उन्नत अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र** स्थापित किया है।

कंपनी ने बुशिंग की विफलताओं के कारण होने वाली परिणामी क्षतियों से बचने के लिए 800 केवी और रिएक्टरों के लिए ऑयल इम्प्रिग्नेटेड पेपर बुशिंग से **रेसिन इम्प्रिग्नेटेड पेपर (आरआईपी) बुशिंग** में जाने में भारी सफलता प्राप्त की है और इस प्रकार विद्युत प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाई है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, बुशिंग का विकास एवं परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया है।

कंपनी ने रैंकिंग के लिए स्वास्थ्य इंडेक्सिन तथा ट्रांसफार्मरों और रिएक्टरों के बेड़े के स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन सुकर बनाने के लिए पाम्स – **पावरग्रिड एसेट लाइट मैनेजमेंट सिस्टम** नामक सॉफ्टवेयर प्रणाली विकसित की है। इस सॉफ्टवेयर से प्रबंधन मरम्मत, रिफरबिशमेंट अथवा ट्रांसफार्मर और रिएक्टर के प्रतिस्थापन के संबंध में समय पर निर्णय ले सकेगा।

कंपनी ने अपनी पायलट परियोजना की सफलता के बाद पुराने सब–स्टेशन की पारंपरिक नियंत्रण एवं संरक्षण प्रणाली को अत्याधुनिक प्रोसेस बस आधारित सब–स्टेशन स्वचालन प्रणाली में रेट्रोफिटिंग करने का कार्य किया है और इस प्रकार आगामी वर्षों में पूर्णतः **डिजिटल सब–स्टेशनों** की ओर कदम बढ़ाया है।

वितरण सुधारों में योगदान करना

पावरग्रिड ने भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और पीएमडीपी जैसी अग्रणी योजनाओं के तहत देश के विभिन्न भागों में वितरण सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

86,067 गॉवों के विद्युतीकरण के लिए अवसंरचना सृजित की गई है तथा डीडीयूजीजेवाय के 10वीं, 11वीं तथा 12वीं योजना के तहत संचयी रूप से लगभग 39.1 लाख बीपीएल घरों को सर्विस कनेक्शन जारी किए गए है।

पावरग्रिड उड़ीसा के (यूई तथा पीई) 13876 गॉव, जम्मु एवं कश्मीर (यूटी), के 358 गॉव तथा लद्दाख (यूटी) के 20 गॉवों के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के अंतर्गत प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य कर रहा है। यह फैनी तथा बुलबुल चक्रवात से प्रभावित 1666 गॉवों के पुनरूद्धार कार्यों के अतिरिक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड जम्मू एवं कश्मीर में पीएमडीपी–2015 स्कीम के अंतर्गत तीन 220/132 केवी स्तर (उप–पारेषण परियोजना), 220 केवी एआईएस सबस्टेशन तथा दो जीआईएस सबस्टेशन (प्रत्येक 220 तथा 132 केवी), एक 132 केवी सबस्टेशन (आवर्धन कार्य), 132 केवी भूमीगत केबल–5 किमी (रूट की लंम्बाई) तथा दो 220 केवी डीसी पारेषण लाइन का प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य किया।

भारत सरकार ने देश में सार्वभौमिक घरेलु विद्युतीकरण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना–सौभाग्य शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत उड़ीसा के 15 जिलों के संबंधित गॉवों में सहायक मूल अवसंरचना स्कीम सहित 5.61 लाख सर्विस कनेक्शन जारी किए गए हैं, उत्तरप्रदेश के देवरिया जिले में 10921 सर्विस कनेक्शन जारी किए गए हैं, जम्मु में 4180 सर्विस कनेक्शन, कश्मीर में 1618 सर्विस कनेक्शन तथा लेह में 242 सर्विस कनेक्शन जारी किए गए है।

उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए मानव पूंजी का लाभ प्राप्त करना

पावरग्रिड अनुक्रमण योजना के अनुरूप अग्रणी विकास के भाग के रूप में इसमें कार्यपालक के ई8 स्तर पर 500 से अधिक कार्यपालकों के लिए मूल्यांकन एवं विकास केंद्र (एडीसी) आयोजित किए। प्रमाणित बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं ने उन 6 व्यवहार/नेतृत्व क्षमताओं के संबंध में विभिन्न मूल्यांकन टूल्स मानदंडों के माध्यम से प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया जो व्यापार कुशाग्रता, जन कौशल, निष्पादन की क्षमता, वैयक्तिक प्रभावकारिता, स्वयं और अन्य को विकसित करने की क्षमता तथा प्रतिबद्धता हैं। एडीसी के अंत में प्रत्येक प्रतिभागी को संबंधित कर्मचारी के विकास के लिए अल्पकालिक/दीर्घकालिक कार्रवाई योजना चालू करते हुए व्यक्तिगत विकास योजनाओं (आईडीपी) सहित विस्तृत सूचना प्रदान की गई थी।

पावरग्रिड ने प्रज्ञान शुरू किया है: ज्ञान प्रबंधन तथा ई–शिक्षण पोर्टल, जो इस समय 12 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में चल रहा है। उपर्युक्त के अलावा, ई–शिक्षण के माध्यम से तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमता विकास हेतु आईआईटी, मद्रास (प्रौद्योगिकी वृद्धि शिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीटीईएल)) और व्यवहार, नेतृत्व, प्रबंधन पर 21 मॉड्यूलों के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ तालमेल कर दिया गया है।

मानव संसाधन विकास मध्यस्थता के भाग के रूप में पावरग्रिड ने कर्मचारी संतुष्टि, कर्मचारी नियुक्ति और सेवा गुणवत्ता के संबंध में संगठन जलवायु सर्वेक्षण शुरू किया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं की अधिकारिता के भाग के रूप में पावरग्रिड द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

- परिपाटी समुदाय के भाग के रूप में महिला कर्मचारियों के लिए व्यावसायिक सर्किल।
- महिला कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से नेतृत्व विकास कार्यक्रम।
- महिला अधिकारिता एवं अधिकारों का संवर्धन (पावर) – विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कार्यशाला, महिला कर्मचारियों की अधिकारिता, अभिभावकता, कार्यजीवन शेष संबंधी कार्यशाला।
- महिला कर्मचारियों के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम।
- महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करना जो पावरग्रिड में प्रशिक्षण कार्यक्रम दे रहे हैं।

पावरग्रिड एकेडमी ऑफ लीडरशिप (पीएएल) मानेसर में स्थापित एक अत्याधुनिक संस्था है। पीएएल कार्यपालक प्रशिक्षणार्थियों (ईटी) को भर्ती कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। पीएएल परामर्शी आधार पर अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विद्युत यूटिलिटियों के लिए भी कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में हमारे घरेलू ग्राहकों, यथा महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड (एमएसईटीसीएल), केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड (केआईआईएफबी), एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएन), तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम (टीएएनजीईडीसीओ), हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) के लिए प्रशिक्षम कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, विदेश मंत्रालय के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019–20 में विदेशी ग्राहकों, यथा – पावरग्रिड कंपनी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड (पीजीसीबी), केन्या इलैक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (केट्राको) के कर्मचारियों तथा अन्य मध्यस्थताओं को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

पावरग्रिड ट्रांसफार्मर एवं रिएक्टर, एसएएस एवं सुदूर प्रचालन, स्टेटकॉम, जीआईएस, एचवीडीसी, मार्गाधिकार तथा नई भूमि अधिग्रहण अधिनियम, प्रमाणित

परियोजना प्रबंधन कार्यक्रमों, नवीनतम सर्वेक्षण तकनीकों, साइबर सुरक्षा तथा नेटवर्किंग कौशल, दल निर्माण, नेतृत्व विकास आदि के संबंध में भी हाथोंहाथ प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

पावरग्रिड को दक्षता आधारित टीएनए प्रक्रिया, एचआरडी ऑनलाइन पोर्टल का कंपनी के अंदर ही विकास, एचआरडी ऑनलाइन अध्ययन सामग्री पुस्तकालय, मेल तथा एसएमएस के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को कार्यक्रम की सूचना दर्शाने वाली नवोनव्य प्रशिक्षण परिपाटियों के लिए आईएसटीडी अवार्ड प्रदान किया गया है।

पावरग्रिड परियोजना प्रबंधन संस्थान (पीएमआई), यूएसए द्वारा पंजीकृत शिक्षा प्रदाता (आरईपी) के रूप में मान्यता दिए जाने वाला प्रथम पीएसयू बन गया है।

देश में, विशेष रूप से विद्युत वितरण लाइन निर्माण के क्षेत्र में समग्र कौशल विकास के लिए पारेषण लाइन (टीएल) निर्माण संविदाकारों की सहायता से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पावरग्रिड दो आईटीआई, एक पिपरौली ब्लॉक, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में और दूसरा पेरूंबकम ब्लॉक, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु में प्रत्येक के लिए 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित करने की योजना भी बना रहा है। पेरूंबकम ब्लॉक, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु में आईटीआई की स्थापना के लिए 30.11.2019 को रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय, तमिलनाडु सरकार तथा पावरग्रिड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कर दिया गया है।

सिटीजन चार्टर

कंपनी ने इसके उद्देश्यों, मिशन, प्रतिबद्धताओं, सेवा शर्तों और विभिन्न पणधारकों के प्रति दायित्व का विवरण प्रदान करने के लिए अपना सिटीजन चार्टर तैयार किया है। पावरग्रिड की योजनाओं, नीतियों, परियोजना योजनाओं और पणधारकों के प्रति सामान्य हित के मुद्दों के संबंध में सूचना इसके कार्यालयों में उपलब्ध है।

सामाजिक न्याय

पावरग्रिड में अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और पीडब्ल्यूडी श्रेणियों के व्यक्तियों को आरक्षण, रियायतों एवं छूटों के संबंध में सरकारी निर्देशों/दिशा–निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाता है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन करने और आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल करने के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति को क्रियान्वित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः–

i. सभी क्षेत्रीय संस्थापनाओं और निगमित केंद्रों में आरक्षण प्रकोष्ठों का संस्थापन।
ii. क्षेत्रीय संस्थापनाओं और निगमित केंद्रों पर आरक्षित श्रेणियों से संबंधित मामलों के लिए पृथक संपर्क अधिकारी का नामांकन।
iii. निगम की सभी उपर्युक्त संस्थापनाओं में पद–आधारित, अनुशासन और ग्रेडवार भर्ती आरक्षण रोस्टर्स का अनुरक्षण।
iv. आरक्षण रोस्टरों का वार्षिक रूप से आंतरिक और मंत्रालय के अधिकारियों, राष्ट्रीय आयोगों तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण।
v. संबंधित कर्मचारियों की शिकायत की सुनावाई के लिए अ.जा./अ.ज.जा., अ.पि.व और पी डब्ल्यू डी के लिए पृथक संपर्क अधिकारी की उपलब्धता।
vi. अपनी शिकायतों, यदि कोई हो, को दर्ज कराने के लिए आरक्षित और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आरक्षण प्रकोष्ठ में शिकायत रजिस्टर की उपलब्धता।
vii. सरकार/विद्युत मंत्रालय को आवधिक रिपोर्ट/विवरणी प्रस्तुत करना।
viii. समय–समय पर नियमित भर्ती के भाग के रूप में तथा विशेष भर्ती अभियान के जरिए आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भरना।

पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों का प्रबंधन

पर्यावरणीय मुद्दों और समाज पर उनके प्रभाव के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता से व्यापार संगठनों को उनकी व्यापार प्रक्रियाओं के साथ संबद्ध नकारात्मक बहिर्मुखताओं के बारे में उनकी अभिवृतियों में एक निर्देशनात्मक बदलाव आया है। व्यापार अब लगातार सुधार के सिद्धांत पर आधारित अधिक विस्तृत स्वैच्छिक प्रकटन ढांचे के प्रति मात्र अनुपालन के परे भी कार्य कर रहे हैं। नीति निर्माताओं, विनियामकों, प्रयोक्ताओं और निवेशकों साथ ही सामान्य जनता के सदस्यों के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव के उचित प्रबंधन पर बढ़ते हुए प्रभाव के परिणामस्वरूप यह स्वागत योग्य परिवर्तन आया है।

एक जिम्मेदार निगमित सत्ता होने के कारण पावरग्रिड न केवल प्रयोज्य विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में हमेशा न केवल वक्र रेखा के आगे बना रहा है बल्कि वास्तव में उनसे आगे रहता है। वर्ष 1998 में, पावरग्रिड ने अपनी प्रथम पर्यावरणीय और सामाजिक नीति एवं कार्य प्रक्रिया (ई एस पी पी) प्रकट की, जो पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों से निपटने में कंपनी के दृष्टिकोण की रुपरेखा को दर्शाता है और प्रबंध कार्य प्रक्रियाओं और इससे निपटने के लिए प्रोटोकोल निर्धारित करता है। इस बोर्ड द्वारा अनुमोदित विस्तृत दस्तावेज को दुबारा वर्ष 2005 और 2009 में संशोधित किया गया ताकि इसे बदलती हुए विनियामक शासन प्रणाली और बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों की आशाओं के अनुरूप अद्यतित रखा जा सके। पावरग्रिड के ई एस पी पी के विस्तृत और विलक्षण विवरण को प्रमाणित करते हुए, विश्व की दो प्रमुख बहुपक्षीय एजेंसियों अर्थात विश्व बैंक और एडीबी ने इसे ''देशीय प्रणाली का प्रयोग (यू सी एस)'' और ''कंपनी रक्षोपाय प्रणाली (सी एस एस)'' की उनकी नीति के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है जो एक अद्वितीय विशेषता है।

हालांकि, यह भूमि कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है, पावरग्रिड ने, जैसा कि इसके ई एस पी पी में निर्धारित किया गया है, अपनी परियोजनाओं के विस्तृत पर्यावरणीय और सामाजिक आकलन को स्वीकार किया है और सर्वाधिक इष्टतम मार्ग/संरेखन/न्यूनतम विपरीत/नकारात्मक प्रभावों वाले स्थलों को चुना है। इस अभ्यास के भाग के रूप में, पावरग्रिड ने पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे वन, वन्य जीवन, प्राकृतिक आवासों, ऐतिहासिक/पुरातत्व स्थलों, धार्मिक स्थानों आदि को शामिल नहीं किया है। विभिन्न प्रौद्योगिकीय और प्रबंधकीय नवीनताओं को अपनाने के परिणामस्वरूप शामिल न करने के सिद्धांत के अनुसरण में, वन्य भूमि का अवेष्टन 1998 में 6 प्रतिशत से क्रमशः कम होकर 2018–19 में 2.5 प्रतिशत से कम रह गया है। यह आंकलन किया गया है कि उपर्युक्त से लगभग 1.25 मिलियन टन CO_2 लेने से इस पहल के माध्यम से वार्षिक रूप से वनों की बचत हुई। इस प्रकार, पेरिस समझौता के प्रति भारत सरकार की

प्रतिबद्धता के अनुरूप महत्वपूर्ण कार्बन सिंक को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

पावरग्रिड के सघन प्रयासों और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की सतत सहायता के परिणामस्वरूप, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), जिसने हाल के वर्षों में शीघ्रता से वन मंजूरी सुकर बनाई, द्वारा पारेषण लाइनों सहित लीनियर परियोजना के लिए विशेष रूप से विभिन्न मंजूरी प्रक्रियाओं को आसान बनाया है। दिसंबर, 2019 तक पावरग्रिड 765 केवी डी/सी विंध्याचल – वाराणसी, 765 केवी डी/सी रांची – मेदिनीपुर आदि जैसी 17 लाइनों को शामिल करते हुए लगभग 388 हेक्टेयर वन भूमि के लिए सिद्धांत रूप में (चरण–I) वन मंजूरी और 400 केवी डी/सी औरंगाबाद – बोइसर, 765 केवी डी/सी अंगुल – झारसुगड़ा, 400 केवी डी/सी बेतुल – खंडवा आदि जैसी 25 लाइनों को शामिल करते हुए 1061 हेक्टेयर के लिए अंतिम (चरण–II) वन मंजूरी प्राप्त करने में सक्षम रहा।

इसके अतिरिक्त, स्थिरता के क्षेत्र पर, पावरग्रिड ने स्थिरता विकास के लक्ष्य के प्रति अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए और संगठन के पर्यावरणीय प्रभावों को और कम करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। इस संबंध में की गई विभिन्न पहलों में बहुमूल्य मार्ग का अधिकार (आर ओ डब्ल्यू) को संरक्षित करने, के लिए टावर के डिजाइन में परिवर्तन, विभिन्न प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों के जरिए वर्तमान लाइनों की वहन क्षमता को बढ़ाना, सब स्टेशन डिजाइन के रूप में रेन वाटर हारवेस्टिंग को डिजाइन का अभिन्न अंग बनाना है। एल ई डी बल्बों और सब स्टेशन में सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना, डी जी सेट आदि के लिए ईंधन उत्प्रेरक डिवाइस आदि शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सौर विद्युत के महत्व की पहचान करते हुए, पेरिस करार के प्रति भारत सरकार की वचनबद्धता को अनुसरण में, पावरग्रिड के अपने परिसर में 50 से अधिक स्थानों को शामिल करते हुए 5 मेगावाट पी एम डब्ल्यू पी सोलर पी वी प्रणालियों की स्थापना करने की प्रक्रिया चल रही है। इस पहल के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष ग्रिड से जुड़ी ऊर्जा की 7–8 मिलियन यूनिट (एम यू) की बचत होगी जिसके द्वारा प्रतिवर्ष CO_2 के 35916 मी.टन के वातावरणीय उत्सर्जन में कमी होगी। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के अपने सतत प्रयास में पावरग्रिड ने टेलीकॉम एंटिना को पावर हेतु अर्थवायर में इंडेक्टिव विद्युत का प्रयोग करने के लिए एक नया तंत्र तैयार किया है। यह इंडक्टिव पावर, जो अन्यथा व्यर्थ जाती है, डी जी सेट के प्रयोग को समाप्त करेगी जो प्रदूषण और जी एच जी उत्सर्जन का एक सतत स्रोत है।

भारत जैसे देश में, जहां जनसंख्या प्रयोग योग्य भूमि की मात्रा की उपलब्धता की तुलना में बहुत अधिक है, जब भी भूमि अधिग्रहण का प्रश्न उठता है तो विरोध आम बात है। इस पर विचार करते हुए पावरग्रिड ने भूमि अधिग्रहण के दौरान सामना किए जा रहे न्यायालय के हस्तक्षेप और जनता के विरोध को रोकने के लिए बाजार/विनिमय की दर पर इच्छुक क्रेता इच्छुक विक्रेता आधार पर प्रत्यक्ष खरीद के जरिए भूमि को सुनिश्चित करने के लिए पहलें की हैं। समाज की अत्यावश्यक जरूरतों का उल्लेख करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका के उत्तोलन में हमेशा दृढ़ विश्वास रखने वाला, पावरग्रिड नई और बेहतर प्रौद्योगिकियों जैसे गैस इंसुलेटिड स्विच यार्ड (जी आई एस) जिसे पारंपरिक एयर इंसुलेटिड स्विचयार्ड (ए आई एस) की तुलना में कम क्षेत्र की जरूरत है, के उन्नयन और अपनाने के लिए आसन्न है।

इसके अतिरिक्त, आर ओ डब्ल्यू मुद्दों का समाधान करने और सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए, पावरग्रिड ने देश के उन सभी राज्यों में टावर आधारित भूमि और कॉरीडोर के लिए अदायगी करना आरंभ कर दिया है जिसने विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आर ओ डब्ल्यू पर ऐतिहासिक मार्गदर्शिकाओं को अपनाया है। भूमि लागत/ह्रासमान भूमि के लिए ऐसी अतिरिक्त अदायगी क्षतिपूर्ति के आधार में आमूल परिवर्तन/रुपांतरण किया है और वास्तव में समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

पावरग्रिड ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, स्वच्छता, पेयजल और पर्यावरणीय संधारणीयता आदि के क्षेत्र में इसकी सी एस आर पहलों के जरिए जनता की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बहुत से सक्रिय उपाय किए हैं जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अनिवार्य किया गया है। पावरग्रिड ने दिशा–निर्देशओं के अनुरूप अपने सीएसआर क्रियाकलापों के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सी एस आर के तहत 209.92 करोड़ रु. का बजट निर्धारित किया है।

दिनांक 31 दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार, पावरग्रिड ने 116.35 करोड़ रु. की राशि की कुल 106 सी एस आर परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। ये सी एस आर पहलें शिक्षा (45.21 करोड़ रुपये), स्वास्थ्य देखभाल एवं पोषण (24.44 करोड़ रु.), ग्रामीण विकास (12.56 करोड़ रु.), स्वच्छता और पेयजल (10.69 करोड़ रु.), पर्यावरण (3.54 करोड़ रु.), कौशल विकास (5.14 करोड़ रु.) और अन्य (11.88 करोड़ रुपये) आदि में प्रमुख आबंटन के साथ विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों के प्रति निर्देशित की गई है।

पावरग्रिड ने निम्नानुसार भारत सरकार द्वारा आबंटित 9 आकांक्षी जिलों में विभिन्न एकीकृत विकास पहलों को अपनाया है:–

1. सीतामढ़ी (बिहार)

- हाई मास्ट लाइट की स्थापना, गार्बेज रिक्शा की आपूर्ति और दिव्यांगों के लिए मोटरवाली ट्राईसिकल।
- सीतामढ़ी में पमरा चौक से परमानंदपुर गांव तक 2.4 कि. मी. सड़क का निर्माण।

2. रांची (झारखंड)

- आर आई एम एस, रांची में पावरग्रिड विश्राम सदन का निर्माण।
- सरकारी हाई स्कूल, रांची में कूलर सहित 100 एलपीएच वाटर आरओ संयंत्र की आपूर्ति, संस्थापन और आरंभ।

3. राजनंदगांव (छत्तीसगढ़)

- राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ में ''सामर्थ्य'' छात्रावास (दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय सह–छात्रावास)।
- पावरग्रिड ने भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मनपुर, राजनंदगांव का उन्नयन भी किया है।

4. कालाहांडी (ओडिशा)

- कालाहांडी जिले के विभिन्न अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण और उपस्कर उपलब्ध कराना।
- इक्रीसेट के माध्यम से ओडिशा में कालाहांडी जिले के जयपटना ब्लॉक में ''एकीकृत जल विभाजन प्रबंध के जरिए ग्रामीण जीविका में सुधार''।
- कालाहांडी जिले के विभिन्न आवासीय विद्यालयों में आर ओ पेय जल व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- कालाहांडी जिले के भवानीपटना नगर निगम में 01 ऑर्गेनिक कंपोस्ट मशीन, 01 वाहन कम्पैक्टर, 10 डम्पर बिन, 01 व्हीकल माउंटिंग फॉगिंग मशीन, 01 मार्चुरी वैन और 01 बॉब कैट मशीन उपलब्ध कराना।

5. दमोह (मध्य प्रदेश)

- डायमंड पार्क में सोलर लाइटों की स्थापना।
- 100 हाई–टेक सिलाई मशीनों और 5 सेमी ऑटोमेटिक सेनीटरी नेपकिन विनिर्माण मशीनों को उपलब्ध कराना।
- राजकीय अंध बधिर एवं मूक विद्यालय में डाइनिंग हॉल और किचन का निर्माण तथा मेजों और बैंचों की आपूर्ति।
- बाला कल्प की स्थापना – 100 प्रदर्शन विद्यालयों में दीवारों पर छात्रों के स्मार्ट शिक्षण के लिए शैक्षिक पेंटिंग।
- 28 विद्यालयों (मिडिल स्तर) में मेज एवं कुर्सियां (ड्यूअल डेस्क) प्रदान करना।

6. हेलाकांडी (असम)

- 100 बिस्तरों वाले एस. के. राय सिविल अस्पताल की मरम्मत और नवीकरण।
- एस. के. राय सिविल अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नए वार्ड का निर्माण।

7. बारन (राजस्थान)

- शाहबाद ब्लॉक में 29 ग्राम पंचायतों में 106 आंगनवाड़ी केंद्र के नवीरकण के साथ उभरते हुए बारान जिले का परिवर्तन, शाहबाद, किशनगढ़, बारानके ब्लॉकों में 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/उप केंद्रों का नवीकरण और मामूली मरम्मत।

8. फिरोजपुर (पंजाब)

- 2 पीएचसी का निर्माण तथा 3 ऐम्बुलेंस की आपूर्ति।
- 282 सरकारी मिडिल हाई एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूल को सेनेटरी नेपकीन वेंडिंग मशीन तथा इंसिनरेटर मशीन प्रदान करना।

9. मुजफ्फरपुर (बिहार)

- इंसेफलाइटिस प्रभावित क्षेत्रों में ग्लूकोज, ओआरएस पाउडर और जागरूकता पम्फलेट का वितरण।

वंचित वर्गों को सस्ती आवास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एम्स, दिल्ली और जीआईएमएस, पटना में ''पावरग्रिड विश्राम सदन'' का कार्य पूरा कर दिया गया है, अब वे प्रचालन में हैं। केजीएमयू, लखनऊ (फेज़–I) में भी पावरग्रिड विश्राम सदन पूरा कर दिया गया है। पावरग्रिड ने वर्ष के दौरान प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में 87.72 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 6 और विश्राम सदन (गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी, आरआईएमएस, रांची, निमहांस, बेंगलुरु, मेडिकल कॉलेज, दरभंगा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, चरण–II, लखनऊ) अनुमोदित किए हैं।

पावरग्रिड ने व्यापक विकास क्रियाकलाप किए हैं, यथा – नगर निगमों के लिए वैक्यूम क्लीनर से युक्त वाहन पर जड़ी सफाई मशीन की खरीद, विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को सेनेटरी नेपकीन वेंडिंग मशीनें प्रदान करना, ऐम्बुलेंस की आपूर्ति, जिला सरकारी पुस्तकालय, गुड़गांव का पुनरुद्धार एवं उन्नयन, डिचेनलिंग शवदाह परिसर, पूर्वी सिक्किम, गंगटोक, सिक्किम का उन्नयन, बैद्यनाथ धाम, देवगढ़, झारखंड में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करना, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्कूलों का उन्नयन करना तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।

पावरग्रिड की ग्रामीण विकास पहलों में कुरनूल जिले (आंध्र प्रदेश) और विजयपुरा जिले (कर्नाटक) में अर्ध–शुष्क भूमि में से प्रत्येक में लगभग 10,000 हेक्टेयर में पावरग्रिड ''ग्रामीण आजीविका में सुधार और किसान केंद्रित एकीकृत जल प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा'' योजनाएं चल रही हैं जिससे निवल जल भंडारण क्षमता में 96,950 क्यूबिक मीटर की पर्याप्त वृद्धि के परिणामस्वरूप पहले ही सफलता मिली है जिसके परिणामस्वरूप 1,45,000 क्यूबिक मीटर से अधिक पानी का संरक्षण हुआ और लक्षित क्षेत्र में फसल उत्पादकता में 10–40% की सीमा तक वृद्धि हुई।

इसके अलावा, पावरग्रिड कुरुक्षेत्र (₹ 7.24 करोड़) के लिए स्वच्छ और भव्य कुरुक्षेत्र कार्यक्रम, भोजपुर, आरा बिहार में ग्रामीण विकास परियोजनाओं (₹ 11 करोड़), बिजली क्षेत्र के 6000 युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम (₹ 14.91 करोड़) मुंबई उप–नगरीय क्षेत्रों में 100 रेलवे स्टेशनों और समस्तीपुर रेलवे डिवीजन में 5 स्टेशनों को तीव्र वाई–फाई सेवाओं से युक्त करने (₹ 30 करोड़) का कार्य कर रहा है। पश्चिम मध्य, दक्षिण पश्चिम मध्य क्षेत्र और समस्तीपुर डिवीजन के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के लिए 19,800 कूड़ेदानों (₹ 8.75 करोड़) और केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर के लिए महिला हॉस्टल (₹ 4.45 करोड़) का प्रावधान चल रहा है।

31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, देश के विभिन्न स्थानों में लगभग 300 सीएसआर पहलों का कार्यान्वयन चल रहा है।

दूरसंचार व्यवसाय

पावरग्रिड ने अपने देश व्यापी पारेषण बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए अपनी एकीकृत लोड डिस्पेच केन्द्र योजना की अतिरिक्त स्थापित फाइबर का उपयोग करके अपने मुख्य पारेषण व्यवसाय से दूरसंचार व्यवसाय में विविधीकरण किया है। ओपीजीडब्लू आधारित आप्टिकल दूरसंचार नेटवर्क देश भी के विभिन्न उपभोक्ताओं को विश्वसनीय दूरसंचार संपर्क प्रदान करता है।

कंपनी के पास अवसंरचना प्रदाता श्रेणी–I (आईपी–I) पंजीकरण, राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) और इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) श्रेणी 'क' सेवा प्राधिकार है। कंपनी ने देशभर में एन x 100 जी डीडब्लूडीएम और एसडीएच प्रौद्योगिकी पर आधारित दूरसंचार नेटवर्क उच्च क्षमता स्थापित की है। कंपनी ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) और इंटरनेट सेवाओं की जरूरत वाले उद्यम के ग्राहकों की सेवा

के लिए अखिल भारतीय आईपी/एमपीएलएस नेटवर्क भी स्थापित किया है। इंटरनेट बैकबोन को सुरक्षा के लिए वीपीएन नेटवर्क से अलग किया जा रहा है। एमपीएलएस नेटवर्क को कोर, ऐज और एक्सेस स्तरों के साथ त्रिस्तरीय संरचना में कार्यान्वित किया गया है। यह नेटवर्क प्रयुक्त क्यूओएस के साथ किसी उपभोक्ता के अनेक स्थानों के लिए वॉयस, डेटा और विडियो संदेशों को ले जाने में सक्षम है।

अपने ब्रांड नाम पावरटेल के साथ वह घरेलू लीज्ड सर्किट (वार्षिक और दीर्घावधिक सेवा दोनों) और इंटरनेट सेवाएं एवं एंटरप्राइस सेवाएं जैसे मल्टी प्रोटोकोल लेबल स्वीचिंग (एमपीएलएस) नेटवर्क पर वी पी एन जैसी सेवाओं की पेशकश करती है। कंपनी लगभग 61,000 कि.मी. दूरसंचार नेटवर्क का प्रचालन करती है जिससे सभी महानगरों, प्रमुख शहरों और कस्बों जिनमें जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर–पूर्वी राज्यों के सुदूर क्षेत्र शामिल है, को संपर्क उपलब्ध कराती है और प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्यमों और सरकारी संगठनों को मूल्यवर्धित सेवाएं देती है।

पावरग्रिड पांच राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए परिकल्पित भारतनेट चरण–I परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है।

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के विकास के लिए पावरग्रिड के प्रयास

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत क्षमता का उपयोग करने के लिए पारेषण प्रणाली की रूपरेखा पूर्वोत्तर क्षेत्र में 50,000 मेगावाट से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं और सिक्किम/ भूटान में लगभग 15,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए तैयार की गई है। इन जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए सीईए द्वारा एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिसमें छह ±800 केवी एचवीडीसी बाइपोल लाइनें हैं। इनमें से बिश्वनाथ चरियाली) एनईआर) से अलीपुरद्वार होते हुए आगरा (एनआर) तक पहली ±800 केवी 6000 मेगावाट मल्टी टर्मिनल एचवीडीसी बाइपोल लाइन, जिसमे बिश्वनाथ चरियाली और अलीपुरद्वार में 3000 मेगावाट टर्मिनल और आगरा में 2x3000 मेगावाट टर्मिनल शुरू कर दी गई है।

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की अंतःराज्यीय पारेषण और वितरण (टीएण्डडी) प्रणाली के विकास के लिए पारेषण, उप–पारेषण और वितरण प्रणाली (33 केवी और उससे अधिक) की अंतःराज्यीय पारेषण और वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु एक व्यापक योजना दो पृथक परियोजनाओं के रूप में तैयार की गई हैं और पावरग्रिड द्वारा कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई हैं। अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम में टीएंडडी परियोजना के लिए परियोजना की पूरी लागत विद्युत मंत्रालय की योजना स्कीम के जरिए भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। शेष छह राज्यों अर्थात् असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड के लिए इस स्कीम को 50:50 आधार पर विद्युत मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक के बजट से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। पावरग्रिड ने उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी कार्यकलाप शुरू कर दिये हैं।

तत्कालीन सचिव (विद्युत), भारत सरकार, श्री अजय कुमार भल्ला, को **103.94** करोड़ रुपयों के अधिग्रहण हेतु खरीद क्षतिपूर्ति के रूप में इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफर एडवाइस सौंपते हुए श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)

1.0. पीएफसी का सिंहावलोकन

1.1. प्रस्तावना

विद्युत तथा संबद्ध क्षेत्रों को वित्तीय संसाधन प्रदान करने और निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत में विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण बढ़ाने से संबंधित भारत सरकार की पहल के भाग के रूप में 16 जुलाई, 1986 को पीएफसी का निगमन किया गया। पीएफसी को 1990 में कंपनी अधिनियम की धारा 4क के अंतर्गत सार्वजनिक वित्तीय संस्था (पीएफआई) घोषित किया गया।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) विद्युत क्षेत्र की एक अग्रणी सार्वजनिक वित्तीय संस्था तथा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो भारत के विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए निधि तथा गैर–निधि आधारित सहायता प्रदान करती है।

पीएफसी 31.12.2019 तक भारत सरकार की 55.99% शेयरधारिता के साथ विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वित्तीय सेवा क्षेत्र में अनुसूची 'क', नवरत्न सीपीएसई है। इसके पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली में हैं।

कॉर्पोरेशन को भारत सरकार द्वारा 22 जून, 2007 को 'नवरत्न'का दर्जा प्रदान किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 जुलाई, 2010 को पीएफसी को 'ऋण कंपनी' के स्थान पर 'अवसंरचना वित्त कंपनी' (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया है।

1.2. पीएफसी के ग्राहक एवं उत्पाद

पीएफसी उत्पादन (परंपरागत एवं नवीकरणीय), पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं तथा संबद्ध जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण परियोजनाओं सहित विद्युत क्षेत्र में हमारे ग्राहकों के लिए परियोजना की संकल्पना से लेकर कमीशनिंग पश्चात चरण तक वित्तीय उत्पादों तथा संबद्ध परामर्श एवं अन्य सेवाओं की एक व्यापक रेंज प्रदान करता है। पीएफसी परियोजना वित्तपोषण, अल्पावधि ऋण, क्रेता लाइन ऑफ क्रेडिट तथा ऋण पुनर्वित्त पोषण योजना सहित विभिन्न निधि आधारित वित्तीय सहायता तथा चूक भुगतान गारंटी एवं चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कंफर्ट) सहित गैर–निधि आधारित सहायता प्रदान करता है। पीएफसी की 100% स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी अर्थात पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के माध्यम से विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए विभिन्न शुल्क आधारित तकनीकी सलाह एवं परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है।

पीएफसी के भारत सरकार तथा राज्य सरकारों, विनियामक प्राधिकरणों, विद्युत क्षेत्र के प्रमुख संगठनों,केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की विद्युत यूटिलिटीज तथा निजी क्षेत्र के विद्युत परियोजना डेवलपर्स के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं।

1.3. भारत सरकार के साथ पीएफसी का संबंध

पीएफसी विद्युत क्षेत्र के लिए भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल है जिसमें यूएमपीपी तथा हाल ही शुरू की गई एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) (तत्कालीन आर–एपीडीआरपी कार्यक्रम का आईपीडीएस में विलय हो गया है) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करना तथा स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक और आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत क्षमता निर्माण के लिए कार्यान्वयन भागीदार के रूप में काम करना शामिल है।

1.4. संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियां

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारत सरकार की आरईसी में कुल प्रदत्त इक्विटी शेयरधारिता की 52.63% हिस्सेदारी की कार्यनीतिक बिक्री, प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ पीएफ़सी को करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। 28 मार्च 2019 को पीएफ़सी ने को भारत सरकार को 14,500 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करते हुए भारत सरकार के आरईसी के 52.63% शेयरों का अधिग्रहण किया। पीएफ़सी आरईसी के प्रोमोटर के समूह में शामिल हो गया है। इस अधिग्रहण से दोनों संस्थानों में अनुकूल प्रक्रियाओं और नीतियों में दक्षता बढ़ेगी और बिजली क्षेत्र में बेहतर ऋण उत्पादों की पेशकश से सार्वजनिक मूल्य का सृजन होगा। संयुक्त समूह एंटिटियों के रूप में इन दोनों एंटिटियों के बीच अभिसरण (कन्वर्जेंस) से विद्युत क्षेत्र को आरईसी के विकेंद्रीकृत आउटरीच और पीएफसी की एक पेशेवर परियोजना वित्त विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, समूह की परिसंपत्तियों के विविधीकरण और पोर्टफोलियो जोखिम से समूह की विद्युत क्षेत्र की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के बेहतर और समन्वित तरीके से समाधान करने में मदद मिलेगी। पीएफ़सी एवं आरईसी के एकीकरण/विलय की प्रक्रिया भारत सरकार के विचाराधीन है।

कॉर्पोरेट कार्यनीति के रूप में, पीएफसी परामर्श, नवीकरणीय ऊर्जा आदि जैसे विशिष्ट व्यवसाय के विभिन्न अवसरों तथा प्रचालन के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहा है। पीएफसी राष्ट्रीय हित क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम करार भी कर रहा है जिससे पर्यावरण संरक्षण तथा विद्युत बाजारों के विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है,जैसे कि 'एनर्जी एफ़िशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड', 'नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड' तथा पीटीसी इंडिया लिमिटेड। आरईसी के अधिग्रहण के पश्चात, पीएफ़सी एनर्जी एफ़िशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) की संयुक्त प्रोमोटर और होल्डिंग कंपनी है।

1.5. रणनीति का विस्तार एवं विविधता

पीएफसी ने ऐसी परियोजनाओं को शामिल करने के लिए अपने फोकस क्षेत्र का कार्यनीतिक दृष्टि से विस्तार भी किया है जो विद्युत क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं के साथ अग्रवर्ती एवं पश्चवर्ती सहलग्नताएं (फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज) दर्शाती हैं, जिसमें विद्युत क्षेत्र के लिए पूंजी उपकरण का प्रापण (प्रोक्योरमेंट), विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए ईंधन के स्रोत तथा संबद्ध अवसंरचना विकास शामिल है।

2.0. पीएफसी की मुख्य विशेषताएं

2.1 भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

पीएफसी वर्ष 1993–94 से भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता आ रहा है और कार्य–निष्पादन के विभिन्न पैरामीटरों के संबंध में एमओयू के लक्ष्यों के आधार पर इसे लगातार 'उत्कृष्ट' आंका गया है। (वित्तीय वर्ष 2004–05 में 'बहुत अच्छा')।

2.2 अनुकूल क्रेडिट रेटिंग तथा निधियों के विभिन्न लागत प्रतिस्पर्धी स्रोतों तक पहुंच

कार्य–निष्पादन में उत्कृष्टता घरेलू रेटिंग एजेंसियों से निरंतर प्राप्त हो रही सर्वोच्च क्रेडिट रेटिंग तथा अंतरराष्ट्रीय श्रेणी रेटिंग एजेंसियों के निवेश ग्रेड रेटिंग में भी परिलक्षित हो रही है।

पीएफसी की क्रेडिट रेटिंग		
रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि ऋण	अल्पावधि ऋण
घरेलू रेटिंग		
क्रिसिल	'एएए'	'ए1+' (सर्वोच्च रेटिंग)
आईसीआरए	'एएए'	'ए1+' (सर्वोच्च रेटिंग)
केयर	'एएए'	'ए1+' (सर्वोच्च रेटिंग)
अंतरराष्ट्रीय रेटिंग ('संप्रभु' रेटिंग के सममूल्य पर)		
मूडीज	बीएए3	
स्टैंडर्ड एंड पूअर्स	बीबीबी–	
फिच	बीबीबी–	

2.3 प्रभावी संसाधन जुटाव

पीएफसी बाजार से विभिन्न परिपक्वताओं तथा मुद्राओं के ऋण लेकर निधियां जुटाता है। पीएफसी विभिन्न लिखतों के माध्यम से घरेलू ऋण बाजार को एक्सेस करता है जिसमें दीर्घ अवधि के अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) बॉण्ड, कर मुक्त बॉण्ड, दीर्घ अवधि एवं अल्प अवधि के ऋण, वाणिज्यिक पेपर, विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से अंतर–कॉर्पोरेट जमा राशियां आदि शामिल हैं। पीएफसी द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय एजेंसियों से ईसीबी एवं ऋण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार से भी अपनी निधियां जुटाता है।

2.4 अनुभवी तथा प्रतिबद्ध मानव पूंजी

पीएफसी के पास अनुभवी, योग्य तथा प्रतिबद्ध प्रबंधन एवं कार्मिक आधार है। पीएफसी के कार्मिकों में से कई कार्मिकों ने, विशेष रूप से वरिष्ठ प्रबंधन ने काफी लंबी अवधि तक पीएफसी के साथ कार्य किया है। पीएफसी के प्रचालनों तथा लाभ की मात्रा की तुलना में पीएफसी की संगठनात्मक संरचना दक्ष एवं छोटी है। पीएफसी की कार्मिक नीतियों का उद्देश्य प्रतिभावान कार्मिकों की भर्ती करना तथा कंपनी में उनके एकीकरण को सुसाध्य बनाना तथा उनके कौशल संबंधी विकास को प्रोत्साहित करना है।

पीएफसी के प्रबंधन के पास विद्युत क्षेत्र तथा वित्तीय सेवा उद्योग में काफी अनुभव है, जिसकी वजह से यह एक व्यापक एवं प्रभावी परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास करने, कठोर जोखिम प्रबंधन ढांचे (फ्रेमवर्क) को लागू करने, विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं की विशिष्ट अपेक्षाओं की पहचान करने तथा ऐसी परियोजनाओं को व्यापक वित्त–पोषण समाधान तथा सलाहकारी सहायता प्रदान करने में समर्थ हुआ है।

2.5 उच्च निवल मूल्य

विद्युत क्षेत्र की अधिकांश परियोजनाएं अत्यधिक पूंजी सघन हैं तथा बड़े आकार की परियोजनाएं हैं जिसके लिए काफी मात्रा में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए ऋण देना विशिष्ट ऋणकर्ता के संबंध में कुल अनुमत जोखिम पर निर्भर होता है। चूंकि पीएफसी की काफी उच्च निवल मूल्य (नेटवर्थ) है, यह प्रत्येक ऋणकर्ता की परियोजनाओं में काफी जोखिम (एक्सपोजर) उठाने में समर्थ है। इससे शीघ्र वित्तीय समापन (क्लोज़र) का मार्ग प्रशस्त होता है जिससे तेजी से पूंजी वृद्धि प्राप्त होती है।

2.6 मूल्यांकन की मजबूत कार्यविधि

पीएफसी ने भारतीय विद्युत क्षेत्र में व्यापक ज्ञान एवं अनुभव का विकास किया है तथा इसके पास व्यापक क्रेडिट मूल्यांकन नीतियां एवं प्रक्रियाएं हैं, जिसके आधार पर पीएफसी विद्युत क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने में समर्थ होता है। परियोजना तथा क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन एवं इन्हें कम करने के लिए पीएफसी परियोजना मूल्यांकन की व्यवस्थित संस्थानिक प्रक्रिया का पालन करता है। पीएफसी की आंतरिक प्रक्रियाएं तथा क्रेडिट समीक्षा तंत्र ऋणों के संबंध में चूक (default) की संख्या कम करते हैं तथा लाभप्रदता में योगदान करते हैं।

2.7 आईएसओ प्रमाणन

पीएफसी के प्रचालन 'आईएसओ 9001:2008' प्रमाणित हैं तथा आरंभिक प्रमाणन जनवरी, 2010 में किया गया था। 'आईएसओ 9001:2008' इस समय पीएफसी के प्रचालन आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित हैं तथा यह प्रमाणन वैध है।

3.0 कार्य–निष्पादन संबंधी विशेषताएं

3.1 पीएफसी अपनी स्थापना के समय से लाभ कमाने वाला उद्यम है तथा इसने प्रतिवर्ष अपने निवल लाभ में प्रभावी वृद्धि दर्ज की है। इसने 30 सितंबर, 2019 को समाप्त छमाही के दौरान कंपनी का निवल लाभ 2,540 करोड़ रुपए है।

3.2 चरण–III परिसंपत्तियां :

30 सितंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार, चरण–III ऋण परिसंपत्तियां (>90 दिन ओवरड्यू) 13,917 करोड़ रुपए है और यह सकल ऋण परिसंपत्तियों का 4.28% है।

3.3 इंड एएस वित्तीय विवरण के आधार पर पिछले दो वर्षों के लिए पीएफसी के वित्तीय कार्य–निष्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय कार्य–निष्पादन एक नज़र में (पिछले 2 वर्ष)			
विवरण	2017-18	2018-19	30 सितंबर, 2019 तक
कर पूर्व लाभ	5,845	9,816	3,669
कर पश्चात लाभ	4,387	6,953	2,540
लाभांश (अंतरिम + अंतिम)	2,059	-	-

4.0 पुरस्कार एवं सम्मान

I. भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से वर्ष 2018–19 के लिए प्रतिष्ठित 'राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार' (''क'' क्षेत्र की श्रेणी में)।

II. केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड द्वारा वर्ष की ''बेस्ट पावर फाइनेंसिंग कंपनी'' से सम्मानित।

III. पीएसयू अवॉर्ड्स 2019 में 'वित्तीय सेवाएं' श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पीएसयू के लिए डन एंड ब्रैडस्ट्रीट (डी एंड बी) अवॉर्ड।

IV. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को स्वच्छ भारत कोष की पहल के अंतर्गत इसके महत्वपूर्ण सीएसआर योगदान के लिए 'स्वच्छ भारत अवॉर्ड 2019' से सम्मानित किया गया है। यह अवॉर्ड श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने श्री पी के सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) को प्रदान किया।

V. पर्यावरण, सतत विकास और सौर ऊर्जा की श्रेणी में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय सीएसआर अवॉर्ड'। यह अवॉर्ड माननीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने

श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफ़सी, श्री एन बी गुप्ता, निदेशक (वित्त), और श्री पी के सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) को प्रदान किया।

VI. पीएसयू अवॉर्ड 2019 में 'बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी' श्रेणी के लिए डन एंड ब्रैडस्ट्रीट (डी एंड बी) इंफ्रा अवॉर्ड 2019।

5.0 प्रचालन संबंधी विशेषताएं

पीएफसी ने राज्य, केंद्रीय, निजी तथा संयुक्त क्षेत्र की संस्थाओं को राजकोषीय वर्ष 2018–19 के दौरान 95,230 करोड़ रुपए के ऋण संस्वीकृत किए। इस अवधि के दौरान, 67,678 करोड़ रुपए की राशि का संवितरण किया गया। इसके साथ, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, संचयी संस्वीकृत राशि 7,62,248 करोड़ रुपए तथा संचयी संवितरित राशि 5,87,446 करोड़ रुपए हो गई है। 30 सितंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार ऋण परिसंपत्तियों का मूल्य 3,25,434 करोड़ रुपए है।

6.0 संसाधन जुटाव

6.1 घरेलू

पीएफसी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 31 दिसंबर, 2019 तक घरेलू बाजार से 47,631.05 करोड़ रुपए की निधियां जुटाईं। उपर्युक्त में से 26,353.60 करोड़ रुपए डिबेंचर के रूप में जारी किए गए कर योग्य बॉण्डों के माध्यम से, 745.90 करोड़ रुपए पूंजीगत लाभ बॉण्ड के माध्यम से, 11,677.20 करोड़ रुपए सावधि ऋण के माध्यम से तथा 8,854.35 करोड़ रुपए वाणिज्यिक पेपर के निर्गम के माध्यम से जुटाए गए।

6.2 विदेशी

पीएफसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजार टैपिंग के माध्यम से अपने ऋण में विविधता लाई गई है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, पीएफसी द्वारा ईसीबी दिशा-निर्देशों/एफसीएनआर (बी) ऋण के अंतर्गत 1,500 मिलियन यूएस डॉलर (10,482.4 करोड़ रुपए के बराबर) तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान (दिसंबर, 2019 तक (2,300 मिलियन यूएस डॉलर) 16,101.39 करोड़ रुपए के बराबर) की विदेशी मुद्रा जुटाई गई है। साथ ही, केएफडब्ल्यू द्वारा डिस्कॉम की फंडिंग के लिए पीएफ़सी को रियायती दर पर 200 मिलियन यूरो की क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराई गई है।

एमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत पीएफ़सी द्वारा दिसंबर, 2017 में 400 मिलियन यूएस डॉलर के लिए 3.75% प्रति वर्ष के कूपन पर पहली बार जारी किए गए ग्रीन बॉण्ड क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव प्रमाणित हैं तथा यह ग्रीन बॉण्ड लंदन स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। ग्रीन बॉण्ड के मूल्यनिर्धारण में प्रारंभिक 10 वर्षीय लेन–देन के लिए किसी भारतीय निर्गमकर्ता द्वारा 10 वर्षीय यूएस ट्रेजरी में 157.5 बीपीएस (आधार बिंदु)अब तक का सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी स्प्रेड था।

साथ ही, पीएफ़सी के 1,100 मिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य पीएफसी के संपूर्ण मौजूदा विदेशी मुद्रा ऋण पोर्टफोलियो के संदर्भ में पुनर्वित्तपोषण/पुनर्मूल्यनिर्धारण के लिए सफलतापूर्वक बातचीत की गई। इसके परिणामस्वरूप लागत में 70 बीपीएस तक कटौती हुई है और उक्त ऋणों की अवशिष्ट परिपक्वता (residual maturity) के लिए लगभग 52 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

7.0 व्यवसाय की नई पहलें

7.1 विद्युत एक्सचेंज में निवेश

पीएफसी ने पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) की इक्विटी शेयर पूंजी में 3.22 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो 31 मार्च, 2018 तक 48.47 करोड़ रुपए की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 6.64% है।

पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) भारत का पहला संस्थानिक रूप से प्रमोट किया गया पावर एक्सचेंज है, जो भारतीय विद्युत बाजारों को परिवर्तित करने के लिए नवाचारी एवं विश्वसनीय समाधान उपलब्ध कराता है। पीएक्सआईएल विद्युत के व्यापार के लिए राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज प्रदान करता है तथा विद्युत व्यापार एवं पारेषण संबंधी स्वीकृति का काम देखता है, साथ ही, यह पारदर्शी, तटस्थ एवं दक्ष इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। पीएक्सआईएल विभिन्न उत्पाद जैसे कि डे अहेड, डे अहेड कंटिंजेंसी, ऐनी डे, इंट्रा डे तथा साप्ताहिक संविदाएं प्रदान करता है। पीएक्सआईएल नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। पीएक्सआईएल के निवल मूल्य (नेटवर्थ) के ह्रास के कारण पीएफसी ने इसकी बहियों में निवेश के मूल्य में कटौती हेतु प्रावधान के लिए 3.22 करोड़ रुपए की संपूर्ण निवेश राशि प्रदान की है।

8.0 गठित उत्पाद समूह (एसपीजी)

एसपीजी से संबंधित सूचना इस प्रकार है :

8.1.1 राज्य उत्पादन कंपनियों/वितरण कंपनियों/पारेषण कंपनियों को अल्प अवधि के ऋण/मध्यम अवधि के ऋण/दीर्घ अवधि के ऋण

पीएफसी राज्य क्षेत्र की उत्पादन कंपनियों / वितरण कंपनियों / पारेषण कंपनियों जो विद्युत के उत्पादन / वितरण / पारेषण के व्यवसाय में हैं, को अल्पावधि के ऋण, अति अल्पावधि के ऋण, फ्लेक्सी लाइन आफ क्रेडिट, मध्यम एवं दीर्घावधि के ऋण के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है ताकि वे निधियों की अपनी तात्कालिक आवश्यकता पूरी कर सकें जैसे कि भारत सरकार की उदय योजना के अंतर्गत कार्यशील पूंजी ऋण, विद्युत संयंत्र के लिए ईंधन की खरीद, उपभोज्य वस्तुओं, आवश्यक स्पेयर की खरीद, उत्पादन संयंत्र के लिए आपातकालीन प्रापण/कार्य तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य की प्रकृति का टी एंड डी नेटवर्क, विद्युत का क्रय तथा प्राप्य राशियों के निमित्त। पीएफसी द्वारा राज्यों अर्थात राजस्थान, पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, मेघालय, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की उत्पादन कंपनियों/ वितरण कंपनियों और पारेषण कंपनियों को उपर्युक्त ऋणों के अंतर्गत रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 20,083 करोड़ रुपए की कुल राशि संस्वीकृत की गई है।

8.2 निजी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं को अल्प अवधि के ऋण:

पीएफसी द्वारा निजी क्षेत्र के ऋणकर्ता (अर्थात पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसिज लिमिटेड एवं आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड) को रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान क्रमशः 500 करोड़ रुपए एवं 75 करोड़ रुपए के अल्पावधि ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

8.3 क्रेता (बायर्स) लाइन ऑफ क्रेडिट

मशीनरी, उपकरण तथा अन्य पूंजीगत माल के क्रय के लिए पीएफसी राज्य क्षेत्र की उत्पादन कंपनियों/वितरण कंपनियों/पारेषण कंपनियों को गैर–परिक्रामी (नॉन–रिवोल्विंग) रुपया लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करता रहा है। पीएफसी द्वारा रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान क्रेता (बायर्स) लाइन ऑफ क्रेडिट ऋण (लोन) संस्वीकृत नहीं किया गया है।

8.4 अन्य ऋण

पीएफसी विनियामक परिसंपत्ति निधीयन के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, कोयला के आयात के लिए रुपया लाइन ऑफ क्रेडिट तथा पावर एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत के क्रय के लिए वित्तपोषण। पीएफसी ने

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान उपर्युक्त उत्पादों के अंतर्गत कोई नया ऋण संस्वीकृत नहीं किया है।

8.5 निवेश

पीएफसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) के आईपीओ/एफपीओ/ओएफएस में निवेश करता रहा है। आज तक, पीएफसी ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी) तथा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के आईपीओ तथा कोल इंडिया लिमिटेड और एनएचपीसी लिमिटेड के ओएफएस में निवेश किया है।

पीएफसी संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) तथा इसकी सहायक कंपनियों / एसपीवी / यूएमपीपी की इक्विटी शेयर पूंजी में भी निवेश करता रहा है। पीएफसी ने पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) तथा पीटीसी इंडिया लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश किया है। इसके अतिरिक्त, पीएफसी ने आंध्रा बैंक के शाश्वत, अतिरिक्त टीयर–I, बासेल–III अनुपालक, गैर–परिवर्तनीय कर योग्य बॉण्डों में भी निवेश किया है। पीएफसी ने केएसके – स्माल इज ब्यूटिफुल फंड (केएसके – एसआईबी) में भी निवेश किया है।

9.0 जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में, निगम को अपने व्यवसाय से संबंधित विभिन्न जोखिमों का प्रबंधन करना होता है। ऐसे जोखिम का प्रबंधन करने के लिए पीएफसी का एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचा (फ्रेमवर्क) है जो पीएफसी को प्रभावित करने वाले जोखिम (जोखिमों) तथा उनको कम करने के लिए उपयुक्त उपायों को चिन्हित करता है। जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के माध्यम से जोखिमों की मॉनीटरिंग की जाती है, जिसमें विभागीय प्रमुख शामिल होते हैं जो अपने–अपने कार्य की जोखिम प्रोफाइल की मॉनीटरिंग करने तथा आवधिक आधार पर समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद आरएमसी व्यवसाय से संबद्ध प्रमुख जोखिमों, उसके मूल कारणों तथा उनको कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित करती है जिसमें बोर्ड स्तरीय सदस्य शामिल होते हैं।

इसके अतिरिक्त, ऋण के व्यवसाय से संबद्ध कुछ प्रमुख जोखिमों को मॉनीटर करने के लिए पीएफसी ने अलग समिति (समितियों) का भी गठन किया है। चलनिधि तथा ब्याज दर के जोखिम की मॉनीटरिंग के लिए पीएफसी ने निदेशक (वित्त) की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन फ्रेमवर्क में परिसंपत्तियों की प्राप्ति तथा ऋण चुकता करने की बाध्यताओं की दीर्घावधि चलनिधि प्रोफाइल का आवधिक विश्लेषण शामिल है। ऐसा विश्लेषण आवधिक आधार पर विभिन्न समय सीमा में किया जाता है तथा ऋणों की समय, आयतन एवं परिपक्वता प्रोफाइल के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णयों और समयावधि (अल्प, मध्यम एवं दीर्घ अवधि) की दृष्टि से तथा नियत एवं चल ब्याज दरों की दृष्टि से परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मिश्रण तैयार करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

विदेशी मुद्रा के जोखिम का प्रबंधन करने के लिए पीएफसी में एक अलग मुद्रा जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क है, जिसके अंतर्गत एक अलग मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। विदेशी मुद्रा के जोखिम से बचाव के लिए पीएफसी ने विभिन्न लिखतों जैसे कि मुद्रा वायदा, विकल्प, प्रधान स्वैप तथा वायदा दर स्वैप के माध्यम से विनिमय दर एवं ब्याज दर को कवर करने के लिए हेजिंग लिखतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

10.0 ऋणकर्ताओं का संस्थागत विकास

10.1 पीएफसी द्वारा राज्य विद्युत यूटिलिटीज का वर्गीकरण (31 दिसंबर, 2019 तक)

निधीयन (फंडिंग) के प्रयोजनार्थ, पीएफसी ने राज्य विद्युत उत्पादन एवं पारेषण यूटिलिटीज को ए++, ए+, ए, बी, सी तथा गैर–अनुक्रियाशील (**Non-responsive**) श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। राज्य विद्युत उत्पादन एवं पारेषण यूटिलिटीज का वर्गीकरण (द्विवार्षिक आधार पर) विनियामक परिवेश, लेखापरीक्षित लेखाओं का सृजन आदि सहित प्रचालन एवं वित्तीय कार्य–निष्पादन को शामिल करने वाले विशिष्ट मापदंडों के निमित्त यूटिलिटी के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन पर आधारित होता है।

जहां तक राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटीज (एसईबी / एकीकृत प्रचालन वाली यूटिलिटीज सहित) का संबंध है, पीएफसी की वर्गीकरण नीति में पीएफसी की ए+, ए, बी और सी की मानक श्रेणियों के साथ ऐसी रेटिंग / ग्रेडिंग को संरेखित करके विद्युत मंत्रालय की एकीकृत रेटिंग अपनाने का प्रावधान है।

वर्गीकरण से पीएफसी राज्य पावर यूटिलिटीज के संबंध में ऋण एक्सपोजर की सीमा तथा ऋणों का मूल्य निर्धारित करने में समर्थ होता है। 31 दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार 134 यूटिलिटीज का वर्गीकरण किया गया जिसमें से 10 का 'ए++' के रूप में, 46 को ''ए+'' के रूप में, 48 को ''ए'' के रूप में, 18 को ''बी'' के रूप में, 9 को ''सी'' के रूप में और 3 को ''गैर–अनुक्रियाशील'' के रूप में वर्गीकृत किया गया।

10.2 राज्य वितरण यूटिलिटीज के लिए विद्युत मंत्रालय का एकीकृत रेटिंग ढांचा (फ्रेमवर्क)

विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न कारकों की वजह से राज्य वितरण यूटिलिटीज की खराब वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटीज को शामिल करते हुए एक एकीकृत रेटिंग क्रियाविधि का विकास करने का कार्य शुरू किया।

एकीकृत रेटिंग का उद्देश्य विद्युत वितरण क्षेत्र में सभी यूटिलिटीज़ की उनके कार्य–निष्पादन तथा कार्य–निष्पादन स्तर को बनाए रखने में उनके सामर्थ्य के आधार पर रेटिंग करना है। अपनाई गई क्रियाविधि मोटे तौर पर (i) प्रचालन एवं सुधार के पैरामीटर, (ii) बाहरी पैरामीटर एवं (iii) वित्तीय पैरामीटर के अंतर्गत वर्गीकृत विभिन्न पैरामीटरों के निमित्त राज्य वितरण यूटिलिटीज के कार्य–निष्पादन का वस्तुनिष्ठ ढंग से आकलन करने का प्रयास करती है। कतिपय पैरामीटरों के मूल्यांकन के अंतर्गत वर्ष–दर–वर्ष कार्य–निष्पादन एवं सापेक्षित सुधार के वर्तमान स्तर शामिल होंगे। प्रचालन एवं सुधार के पैरामीटरों अर्थात एटी एंड सी हानि, विद्युत क्रय लागत की दक्षता, डिजिटल भुगतान की सुविधा आदि के लिए 51% का वेटेज होता है और वित्तीय पैरामीटरों अर्थात लागत कवरेज अनुपात, देय राशियां, प्राप्य राशियां, समय से लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करना आदि के लिए 34% का वेटेज होता है। विनियामक परिवेश, राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी सहायता आदि से संबंधित बाहरी पैरामीटरों को 15% का वेटेज प्रदान किया गया है।

इस क्रियाविधि में लेखापरीक्षित लेखाओं की अनुपलब्धता, राज्य पारेषण यूटिलिटी का गठन न होना, टैरिफ याचिका दाखिल न करना आदि जैसे पैरामीटरों पर गैर–अनुपालन के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान करने का प्रावधान है। ऐसे पैरामीटरों के लिए ऋणात्मक अंक रेटिंग क्रियाविधि को आवश्यक गहराई प्रदान करते हैं।

एकीकृत रेटिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत राज्य विद्युत विभागों को छोड़कर सभी राज्य वितरण यूटिलिटीज (एसईबी(यों)/एकीकृत प्रचालन वाली यूटिलिटीज सहित) शामिल हैं। स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा वार्षिक आधार पर एकीकृत रेटिंग की जाती है। इस समय,आईसीआरए तथा केयर नामित रेटिंग एजेंसियां हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा पीएफसी को क्रेडिट रेटिंग

एजेंसियों की नियुक्ति सहित राज्य वितरण यूटिलिटीज की एकीकृत रेटिंग से संबंधित गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

अब तक, विद्युत मंत्रालय द्वारा 7 वार्षिक एकीकृत रेटिंग की घोषणा कर दी गई है तथा पिछली रेटिंग अक्तूबर, 2019 में घोषित की गई सातवीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग है, जिसमें 41 राज्य वितरण यूटिलिटीज शामिल हैं। रेटिंग वर्ष वित्तीय वर्ष 2019 के लिए आठवीं एकीकृत रेटिंग की कवायद/प्रक्रिया चल रही है तथा वित्तीय वर्ष 2021 की पहली तिमाही में अधिसूचित होने की उम्मीद है।

10.3 राज्य विद्युत यूटिलिटीज की वार्षिक कार्य–निष्पादन रिपोर्ट

पीएफसी ने वर्ष 2015–16 के लिए 101 को यूटिलिटीज को शामिल करते हुए वर्ष 2013–14 से वर्ष 2015–16 के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटीज (एसपीयू) के कार्य–निष्पादन पर 14वीं रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट विश्वसनीय डाटाबेस प्रदान करने की दिशा में पीएफसी के प्रयास का भाग है, जो इस क्षेत्र में सुधार से संबंधित परिणामों का निर्धारण करने में मदद कर सकती है। इस रिपोर्ट को विभिन्न हितधारकों द्वारा राज्य विद्युत क्षेत्र के संबंध में सूचना के उपयोगी स्रोत के रूप में भी माना जाता है। यह रिपोर्ट वित्तीय एवं प्रचालनात्मक कार्य–निष्पादन, उदाहरण के लिए लाभप्रदता, आपूर्ति की औसत लागत तथा औसत राजस्व के बीच अंतर (रुपया/केडब्ल्यूएच), निवल मूल्य, प्रयुक्त पूंजी, प्राप्य राशियां, देय राशियां, संस्थापित क्षमता (मेगावाट), उत्पादन (मिलियन केडब्ल्यूएच), एटी एंड सी हानि आदि तथा राज्य, यूटिलिटी तथा राष्ट्रीय स्तर पर सेक्टर के उपभोग के पैटर्न का विश्लेषण करती है। वर्ष 2015–16 से 2017–18 के लिए 104 यूटिलिटीज़ की रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

10.4 सबके लिए 24x7 बिजली (पीएफए)

भारत सरकार ने सबके लिए 24 x 7 बिजली (पीएफए) प्रदान करने के लिए सभी राज्यों तथा संघ क्षेत्रों (UTs) के साथ एक संयुक्त पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा उपभोक्ताओं को उत्तम कोटि की बिजली की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा ऐसे सभी उपभोक्ताओं को कनेक्शन प्रदान करना है जिनके पास कनेक्शन नहीं हैं। विद्युत मंत्रालय का उद्देश्य देश में सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए रोडमैप तैयार करना है। इस प्रयोजन के लिए, विद्युत मंत्रालय ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) को विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सबके लिए 24x7 विद्युत (पीएफए) की आपूर्ति के लिए राज्य विशिष्ट योजना के लिए समयबद्ध तरीके से रोडमैप तैयार करने के लिए 3 परामर्शदाता नियुक्त करने का अधिदेश दिया।

भारत के राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों (राजस्थान और आंध्र प्रदेश को छोड़कर, जिनके लिए विद्युत मंत्रालय/सीईए द्वारा दस्तावेज पहले ही तैयार किए गए थे) को तीन पैकेज में बांटा गया था। सभी तीन पैकेज के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए गए तथा उन्होंने अपना काम पूरा कर चुके थे। यह अध्ययन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के समग्र पर्यवेक्षण में किया गया।

सबके लिए बिजली (पीएफए) दस्तावेज पर सभी राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। सभी राज्यों के हस्ताक्षरित दस्तावेज विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट (www.powermin.nic.in) तथा सबके लिए बिजली (www.powerforall.co.in) पर उपलब्ध हैं।

11.0 उत्पादन परियोजना का वित्तपोषण

11.1 ताप-विद्युत परियोजनाएं

ताप–विद्युत उत्पादन में भारत की संस्थापित क्षमता का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 31 दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी ने 8,790 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं तथा 7,348 करोड़ रुपए की राशि का संवितरण किया है। ताप–विद्युत उत्पादन योजनाओं के लिए कंपनी द्वारा प्रदान की गई संचयी वित्तीय सहायता 3,21,051 करोड़ रुपए है, जिसमें से 2,58,723 करोड़ रुपए 31 दिसंबर, 2019 तक संवितरित कर दिए गए हैं। वर्ष के दौरान संस्वीकृत ताप–विद्युत उत्पादन परियोजनाएं नीचे दी गई हैं :

परियोजना का नाम	संस्वीकृत राशि
अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड 2x800 मेगावाट अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल टीपीपी	₹5038
एमपीपीजीसीएल – श्री सिंगाजी टीपीएस चरण–II 2x660 मेगावाट	₹4250
एनयूपीपीएल–घाटमपुर टीपीएस, 3x660 मेगावाट	₹2434

11.2 जल–विद्युत उत्पादन परियोजनाएं

देश में जल–विद्युत उत्पादन क्षमता में काफी अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है ताकि उत्पादन प्रणालियों में समग्र रूप में अनुकूलतम ऊर्जा मिश्रण प्राप्त हो सके। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 31 दिसंबर, 2019 तक कंपनी ने 8,479 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं तथा 5,619 करोड़ रुपए की राशि का संवितरण किया है। जल विद्युत उत्पादन योजनाओं के लिए कंपनी द्वारा प्रदान की गई संचयी वित्तीय सहायता 51,462 करोड़ रुपए है, जिसमें 40,106 करोड़ रुपए 31 दिसंबर, 2019 तक संवितरित कर दिए गए हैं।

11.3 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं

देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में काफी अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है ताकि उत्पादन प्रणालियों में समग्र रूप में अनुकूलतम ऊर्जा मिश्रण प्राप्त हो सके। 2019–20 के दौरान, 31 दिसंबर, 2019 तक कंपनी ने 5,471 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं तथा 4,791 करोड़ रुपए की राशि का संवितरण किया है। नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के लिए कंपनी द्वारा प्रदान की गई संचयी वित्तीय सहायता 34,433 करोड़ रुपए है, जिसमें 24,886 करोड़ रुपए 31 दिसंबर, 2019 तक संवितरित कर दिए गए हैं।

12.0 नवीनीकरण, आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार

12.1 ताप–विद्युत परियोजनाएं

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 31 दिसंबर, 2019 तक कंपनी ने 6,477 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं तथा ताप–विद्युत परियोजनाओं के आरएंडएम के लिए 273 करोड़ रुपए की राशि का संवितरण किया है। ताप–विद्युत उत्पादन योजनाओं के आरएंडएम के लिए कंपनी द्वारा प्रदान की गई संचयी वित्तीय सहायता 17,218 करोड़ रुपए है,जिसमें 9,924 करोड़ रुपए 31 दिसंबर, 2019 तक संवितरित किए गए हैं।

12.2 जल–विद्युत परियोजनाएं

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, 31 दिसंबर, 2019 तक कंपनी ने जल–विद्युत परियोजनाओं के आरएंडएम के लिए 35 करोड़ रुपए संस्वीकृत

किए हैं। जल–विद्युत उत्पादन योजनाओं के आरएंडएम के लिए कंपनी द्वारा प्रदान की गई संचयी वित्तीय सहायता 2,098 करोड़ रुपए है, जिसमें 1,436 करोड़ रुपए 31 दिसंबर, 2019 तक संवितरित किए गए हैं।

13.0 भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए पीएफसी ने निम्नलिखित प्रमुख वित्तीय लक्ष्यों के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है :

क्र. सं.	वित्तीय कार्य–निष्पादन के मापदंड	यूनिट	उत्कृष्ट श्रेणी के अंतर्गत एमओयू 2019–20 के लक्ष्य
i	**टर्नओवर** प्रचालन से राजस्व (निवल)	करोड़ रुपए	31,000
ii	**प्रचालन लाभ / हानि** प्रचालन से राजस्व के के रूप में प्रचालन लाभ (निवल)	%	31.00%
iii	**निवेश पर प्रतिफल** पीएटी / औसत निवल मूल्य	%	15%

14.0 मानव संसाधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण

14.1 मानव संसाधन प्रबंधन

कंपनी ने प्रभावी मानव संसाधन अधिग्रहण एवं अनुरक्षण नीति लागू की है जिसमें संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित सर्वोत्तम कॉर्पोरेट पद्धतियों को शामिल किया गया है। अन्य कार्यनीतिक हस्तक्षेपों (इंटरवेंशनों) के अतिरिक्त इससे मानव संसाधन के प्रभावी प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त होता है जिससे उच्च स्तर की उत्पादकता सुनिश्चित होती है।

संगठन के अंदर कार्मिकों के साथ औद्योगिक संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण हैं,जिसकी वजह से वे संगठन के उद्देश्यों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी कार्य–दिवस की हानि नहीं हुई। 01 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 की अवधि के लिए कंपनी छोड़ने की दर 1% से भी कम है।

14.2 कल्याणकारी उपाय

निगम प्रबंधन की अच्छी प्रथाओं का अनुसरण करता है। कंपनी के कार्मिकों की प्रबंधन के शीर्ष अधिकारियों तक पहुंच है जिससे वे निगम के विकास एवं प्रबंधन में प्रभावी ढंग से योगदान कर रहे हैं।

कल्याणकारी उपायों के एक प्रभावी पैकेज के माध्यम से कार्यबल की प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जाती है जिसमें व्यापक बीमा,चिकित्सा सुविधाएं तथा अन्य सुविधाएं शामिल हैं जिससे स्वस्थ कार्यबल का मार्ग प्रशस्त होता है।

14.3 मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान (31 दिसंबर, 2019 तक), निगम के लक्ष्यों के अनुसार विशिष्ट कौशल विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कंपनी ने इन–हाउस कार्यक्रमों का संचालन जारी रखने पर बल दिया। अन्य आवश्यकता–आधारित कार्यक्रमों के साथ अनुकूलित (कस्टमाइज्ड) कार्यक्रम जैसे कि अपने ग्राहक को जानें नीति/धन–शोधन रोधी, सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम (जीएमपी), नेतृत्व तथा टीम निर्माण, औद्योगिक संबंध तथा आरक्षण नीति, कार्यनीतिक व्यवसाय संप्रेषण, कार्य–निष्पादन प्रबंधन–प्रक्रिया एवं महत्व आदि पर प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

31 दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार, पीएफसी द्वारा अपने कार्मिकों के लिए 07 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के माध्यम से तथा अन्य प्रशिक्षण एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में पीएफसी के कार्मिकों को प्रायोजित करके कुल 1259 कार्य–दिवस प्राप्त किए गए।

14.4 आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत क्षमता निर्माण प्रक्रिया

पीएफसी भारत सरकार के कार्यक्रम को क्रियाशील बनाने के लिए नोडल एजेंसी है। पीएफसी ने राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटी के 'क' और 'ख' तथा 'ग' और 'घ' दोनों स्तर के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भागीदार प्रशिक्षण संस्थानों (पीटीआई) का पैनल तैयार किया है। अब तक, आईपीडीएस (जिसका आर–एपीडीआरपी में विलय हो गया है) की क्षमता निर्माण पहल के अंतर्गत विभिन्न यूटिलिटीज के 44,900 कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

15.0 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) तथा स्थायी विकास (एसडी)

अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से पीएफसी अपनी नीति में उल्लिखित प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि पर्यावरणीय स्थायित्व सुनिश्चित करना, कौशल विकास जिससे समाज के कमजोर वर्गों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त हो, बुनियादी शिक्षा, स्वच्छता, पेय जल आदि पर बल देते हुए स्थायी विकास की परियोजनाएं संचालित कर रहा है। पीएफसी अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से महिलाओं के उत्थान तथा दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

15.1 सीएसआर व्ययः

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए, पीएफसी ने (कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ठीक पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत एकल पीबीटी के 2% की दर से) पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 148.15 करोड़ रुपए के बजट के निमित्त 135.86 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। पीएफसी ने 31 दिसंबर, 2019 तक सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत 94.86 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं संस्वीकृत की हैं।

15.2 प्रमुख पहलें :

15.2.1 स्वास्थ्य एवं स्कूली शिक्षाः

तेलंगाना, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के महत्वाकांक्षी जिलों के विकास के लिए, पीएफ़सी ने डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा के विषयगत क्षेत्र में लगभग 57.56 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं। पीएफसी द्वारा संस्वीकृत परियोजनाओं में फिरोजपुर, पंजाब में 200 आंगनवाड़ी केंद्रों का और श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में 100 मॉडल आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण शामिल हैं। पीएफसी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी स्कूल के अपग्रेडेशन में भी सहयोग कर रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पीएफ़सी बिहार के सीतामढ़ी जिले के दो अस्पतालों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर रूम के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। महत्वाकांक्षी जिलों के अतिरिक्त, पीएफ़सी ने स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा के विषयगत क्षेत्र में महत्वाकांक्षी जिलों (केरल तथा महाराष्ट्र राज्य में) के अलावा 14.00 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं।

15.2.2 पर्यावरणीय स्थायित्व

पीएफसी ने प्रकाश (लाइटों) की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा/ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को अपनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया और हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें उपलब्ध कराईं। पीएफसी ने देश भर में भारतीय सेना के सैनिकों के लिए 5000 सौर लालटेन उपलब्ध कराए। वित्तीय वर्ष 2019–20 में, पीएफसी ने ऐसी परियोजनाओं के लिए 1.96 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए।

15.2.3 स्वच्छता, पेयजल और स्वास्थ्य

पीएफसी ने गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती समारोह के दौरान पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में स्वच्छता बुनियादी ढांचे और अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों पर 4.923 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए।

15.2.4 कौशल विकास/बुनियादी शिक्षा

वित्तीय वर्ष 2019–20 में, पीएफसी ने जम्मू–कश्मीर के बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए 10 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं। पीएफ़सी देश भर में एससी/एसटी/ओबीसी/पीडबल्यूडी/महिला/ईडबल्यूएस वर्गों से संबंधित बेरोजगार युवाओं के लिए भी कौशल विकास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान कर रहा है।

15.2.5 वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान संस्वीकृत मुख्य परियोजनाओं की सूची

- पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले में अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के साथ–साथ 200 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 17.59 करोड़ रुपए की परियोजना।
- उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के साथ–साथ 100 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए 4.18 करोड़ रुपए की परियोजना।
- मुंडेरी, कन्नूर (केरल) में सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन निर्माण के लिए 3.00 करोड़ रुपए की परियोजना।
- समाज के एससी/एसटी/ओबीसी/पीडबल्यूडी/महिला/ईडबल्यूएस वर्गों से संबंधित बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए 1.65 करोड़ रुपए की परियोजना।
- हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के विभिन्न गांवों में 500 सोलर फोटोवोल्टिक एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम (एसएलएस) की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग के लिए 1.12 करोड़ रुपए की परियोजना।
- भारतीय सेना के सैनिकों के लिए 5000 एसपीवी एलईडी लालटेन उपलब्ध करने के लिए 0.84 करोड़ रुपए की परियोजना।
- सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज और पुपरी में दो अस्पतालों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर रूम के निर्माण के लिए 0.94 करोड़ रुपए की परियोजना।
- महत्वाकांक्षी जिला भूपालपल्ली, तेलंगाना में 8.74 करोड़ रुपए की लागत से जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों का ट्रांसफोर्मेशन, थैलेसीमिया डिजीज डे केयर और पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) सहित एकीकृत रोग निदान सुविधाओं का अपग्रेडेशन।
- श्री रामकृष्ण आरोग्य संस्थान के लिए त्र्यंबकेश्वर नासिक में 100 बिस्तर वाले मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर के निर्माण के लिए 11.00 करोड़ रुपए की परियोजना।
- कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने की दिशा में राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) को वित्तीय सहायता के लिए 10.00 करोड़ रुपए की परियोजना।
- उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी स्कूलों के अपग्रेडेशन के लिए 9.29 करोड़ रुपए की परियोजना।
- भद्राद्री कोथागुडेम, तेलंगाना के महत्वाकांक्षी जिले में उप स्वास्थ्य केंद्रोंए आंगनवाड़ी केंद्रों का विकासए हेल्थ प्रोवाइडर के लिए मोबिलिटी का प्रावधान, और चयनित सरकारी स्कूलों में डिजिटल कक्षाओं के विकास कार्यों के लिए 6.29 करोड़ रुपए।
- तेलंगाना राज्य के महत्वाकांक्षी जिलों भूपालपल्ली और मुलुग में जनजातीय आवासीय स्कूलों और छात्रावासों में शिक्षा और स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए ऊर्जा दक्ष हस्तक्षेप (इंटरवेंशनों) के लिए और जनजातीय स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम उपलब्ध करने के लिए 10.51 करोड़ रुपए की परियोजना।
- पंजाब के कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी में गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती समारोह के दौरान पर्याप्त स्वच्छता अवसंरचना और अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों की व्यवस्था के लिए 4.92 करोड़ रुपए की परियोजना।

16.0 पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल), पीएफसी की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी

16.1 प्रस्तावना

विद्युत क्षेत्र को परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन कंपनी के रूप में 25 मार्च, 2008 को निगमन किया गया। पीएफसीसीएल ने 25 अप्रैल, 2008 को अपना कार्य आरंभ किया। पीएफसीसीएल का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा भुवनेश्वर, चेय्यूर, कोलकाता, बांका और सुंदरगढ़ में इसके परामर्श साइट कार्यालय हैं।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) ने विद्युत क्षेत्र की परामर्शी सेवाओं के संपूर्ण दायरे को शामिल करते हुए कार्यों को अपने हाथ में लिया है जिसमें बोली प्रक्रिया प्रबंधन, विनियामक मामले जैसे कि टैरिफ याचिका तथा एआरआर तैयार करना और दाखिल करना, वितरण प्रणाली सुधार योजना (आईपीडीएस / डीडीयूजीजेवाई / स्मार्ट ग्रिड), संसाधन जुटाव, ईपीसी ठेकेदार का चयन, नए पावर प्लांट के लिए परियोजना एवं वित्तीय परामर्श, विद्युत क्षेत्र का सुधार एवं पुनर्गठन, विनियामक संस्थाओं को सहायता, विद्युत व्यापार परामर्श, लेन–देन परामर्श, परियोजना मूल्यांकन, पीपीए, रणनीति, नीति, ऊर्जा लेखापरीक्षा, संविदा से संबंधित परामर्श, कोल ब्लॉक विकास, पारेषण परियोजनाओं का विकास इत्यादि शामिल है।

16.2 प्रदान की गई सेवाएं

- विद्युत अधिनियम, 2003 के कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दों जैसे कि सुधार, पुनर्गठन, विनियामक मुद्दों आदि पर परामर्शी सेवाएं।

- विद्युत क्षेत्र के विभिन्न सेगमेंट के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का पालन करके डेवलपर का चयन।
- पर्यावरण तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन सहित परियोजना गठन / योजना / विकास / विशिष्ट अध्ययन।
- संचार, सूचना का प्रसार तथा फीडबैक।
- संगठनों की कार्य–निष्पादन सुधार योजनाएं तैयार करना।
- विद्युत क्षेत्र के लिए संविदा से संबंधित सेवाएं।
- वित्तीय प्रबंधन, संसाधन जुटाव, लेखाकरण प्रणाली आदि।
- कोल ब्लॉक का विकास।
- नवीकरणीय तथा गैर–पंरपरागत ऊर्जा परियोजना विकास।
- अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) परियोजना विकास पर लेन–देन परामर्श।
- परियोजनाओं जैसे कि स्मार्ट ग्रिड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना तथा पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली सुधार योजनाओं जैसे कि डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस तथा सौभाग्य के लिए परियोजना प्रबंध परामर्श।
- दीप ई–रिवर्स बिडिंग पोर्टल का विकास तथा विद्युत के अल्पावधि तथा मध्यमावधि के क्रय के लिए वितरण कंपनियों की ओर से बोली का संचालन करना।
- ताप–विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण, पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त करना, तकनीकी अध्ययन संचालित करना।
- भू–विज्ञानी रिपोर्ट तैयार तथा अन्वेषण करना।
- पीएफसी वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए ऋणदाता स्वतंत्र इंजीनियर और ऋणदाता बीमा सलाहकार के रूप में
- स्मार्ट मीटरिंग

उपर्युक्त के अतिरिक्त, पीएफसीसीएल विद्युत संस्थाओं की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित (कस्टमाइज्ड) सेवाएं प्रदान करता है।

16.3 प्रचालन

पीएफसीसीएल के प्रचालन का दायरा निम्नानुसार हैं :

- यूएमपीपी तथा आईटीपी जैसी भारत सरकार की पहलें।
- उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं के लिए परियोजना डेवलपर के चयन के लिए बोली प्रक्रिया प्रबंधन।
- विद्युत क्षेत्र के विभिन्न सेगमेंट के लिए संयुक्त उद्यम के भागीदारों का चयन।
- नवीकरणीय विद्युत के लिए दिशा–निर्देश तथा बोली दस्तावेज तैयार करना।
- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत दिशा–निर्देश तथा बोली दस्तावेज तैयार करने में विद्युत मंत्रालय की सहायता करना।
- दीप ई–रिवर्स पोर्टल के माध्यम से अल्पावधि तथा दीर्घवाधि के विद्युत प्रापण के लिए विद्युत संस्था की ओर से बोली लगाना।
- विनियामक परामर्श एवं सहायता।
- शक्ति योजना के अंतर्गत स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के लिए कोल लिंकेज की नीलामी के लिए परामर्श।
- पायलट स्कीम के अंतर्गत विद्युत खरीद करार किए बिना जेनरेटिंग कंपनियों से विद्युत की खरीद।
- शक्ति नीति के पैरा बी (II) के अंतर्गत कोयले की 3 राउंड नीलामी और पैरा बी (v) के अंतर्गत विद्युत की खरीद।

16.4 फुटप्रिंट

आज तक की स्थिति के अनुसार, पीएफसीसीएल द्वारा 24 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात अरूणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 68 ग्राहकों के लिए 125 कार्य किए गए हैं।

ग्राहक	संख्या
राज्य विद्युत संस्थाएं	35
लाइसेंस धारक (कों) / नगरपालीय निकायों / आईपीपी	11
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (मों)	9
राज्य सरकारें	7
विनियामक आयोग	3
केंद्र सरकार के विभाग / मंत्रालय	3
कुल	**68**

यूएमपीपी

(क) अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत में विशाल क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं का विकास करने के उद्देश्य से नवंबर, 2005 में अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) अर्थात 4,000 मेगावाट की सुपर थर्मल पावर परियोजनाओं की पहल शुरू की है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) को इन परियोजनाओं के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब तक मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, बिहार, और उत्तर प्रदेश में स्थापित करने के लिए 17 यूएमपीपी की पहचान की गई है।

ओडिशा (3), तमिलनाडु (1), मध्य प्रदेश (1), छत्तीसगढ़ (1), झारखंड (2), उत्तर प्रदेश (1) और बिहार (1) में 10 परियोजनाएं घरेलू कोयला आधारित हैं, जबकि अन्य 7 परियोजनाएं अर्थात गुजरात (2), महाराष्ट्र (1), कर्नाटक (1), आंध्र प्रदेश (2) और तमिलनाडु (1) आयातित कोयले पर आधारित हैं। यूएमपीपी के लिए 19 विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) स्थापित किए गए हैं। इनमें से 14 एसपीवी (प्रचालनरत एसपीवी) स्थल संबंधी गतिविधियों जैसे कि परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, बोली प्रक्रिया के संचालन

के लिए आवश्यक सांविधिक स्वीकृति के लिए निगमित किए गए। विकास, कार्यान्वयन एवं प्रचालन के लिए टैरिफ आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित ये एसपीवी सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) को हस्तांतरित किए जाएंगे। घरेलू कोयला आधारित यूएमपीपी (ओडिशा, बिहार, देवघर, चेय्यूर और तिलैया यूएमपीपी) के मामले में पावर प्लांट तथा कोल ब्लॉक के लिए भूमि धारण करने के लिए पीएफसी द्वारा 5 अतिरिक्त एसपीवी (इंफ्रा एसपीवी) निगमित किए गए। इन इंफ्रा एसपीवी(यों) को विद्युत के संबंधित खरीदारों को हस्तांतरित किया जाएगा। इनमें से, 4 एसपीवी अर्थात तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड, छत्तीसगढ़ सुरगुजा पावर लिमिटेड, कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड और कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड को संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध के अनुसार विद्युत मंत्रालय के निदेश पर बंद किया जा रहा है।

(ख) प्रचालनरत यूएमपीपी

प्रचालनरत यूएमपीपी इस प्रकार हैं :

क्र. सं.	यूएमपीपी नाम	प्रकार	हस्तांतरण की तारीख	सपाट टैरिफ (रुपए प्रति किलोवाट)	सफल डेवलपर
1	मुंद्रा, गुजरात	तटीय	22 अप्रैल, 2007	2.264	टाटा पावर लिमिटेड
2	सासन, मध्य प्रदेश	पिटहेड	07 अगस्त, 2007	1.196	रिलायंस पावर लिमिटेड

चयनित डेवलपर अर्थात रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) को दिनांक 07.08.2009 को झारखंड इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड हस्तांतरित की गई। रिलायंस पावर लिमिटेड/ झारखंड इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड (जेआईपीएल) ने दिनांक 28 अप्रैल 2015 को तिलैया यूएमपीपी के लिए विद्युत क्रय करार (पीपीए) का समाप्ति नोटिस जारी किया है। खरीदारों की ओर से झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने आरपीएल से 16 मई, 2018 को झारखंड इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड (जेआईपीएल) का अधिग्रहण किया था। दिनांक 29.01.2008 को कोस्टल आंध्रा पावर लिमिटेड (कृष्णापट्टनम यूएमपीपी) को आरपीएल को हस्तांतरित किया गया। जहां तक कृष्णापट्टनम यूएमपीपी का संबंध है, इंडोनेशिया में कोयले के मूल्य के संबंध में नए विनियम का उल्लेख करते हुए डेवलपर ने स्थल पर काम रोक दिया है। खरीदारों ने दिनांक 15.03.2012 को समाप्ति नोटिस जारी किया है। मामला 6 वर्षों से अधिक न्यायाधीन था। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 15.01.19 को आरपीएल की याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी के बाद खरीददारों ने आरपीएल द्वारा प्रस्तुत रु 300 करोड़ की बैंक गारंटी को नकदीकृत किया है।

विद्युत क्षेत्र का सबसे पुराना सीपीएसई, आरईसी अपना **50** वर्ष मना रहा है। श्री अजीत कुमार अग्रवाल, सीएमडी, आरईसी और श्री एस के गुप्ता, निदेशक (तकनीकी), आरईसी के साथ श्री आर के सिंह माननीय मंत्रीजी दीप प्रज्जवलित कर समारोह का शुभारंभ करते हुए।

आरईसी लिमिटेड

1. देश में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं का वित्तपोषण करने के मुख्य लक्ष्य के साथ वर्ष 1969 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी के रूप में आरईसी लिमिटेड (आरईसी) निगमित की गई थी। जनसंख्या, भौगोलिक स्थान या आकार की किसी बाधा के बिना सभी प्रकार की विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए वर्ष 2002 में आरईसी के अधिदेश/उद्देश्य खंड में विस्तार किया गया था। वर्ष 1992 मेंए आरईसी को कंपनी अधिनियम, 1956 [कंपनी अधिनियम, 2013 की तदनुरूपी धारा 2(72)] की धारा 4क के अंतर्गत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया। वर्ष 1998 में, आरईसी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत एक गैर.बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में आरईसी को अनुसूची ''क'' की पीएसयू के रूप में अपग्रेड कर दिया। वर्ष 2002 में आरईसी को मिनी रत्न ग्रेड–I का दर्जा प्रदान किया गया। मई, 2008 में आरईसी को ''नवरत्न का दर्जा'' प्रदान किया गया था। सितंबर, 2010 में, आरईसी को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में भी वर्गीकृत किया गया। आरईसी के इक्विटी शेयर मार्च, 2008 से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) तथा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) पर सूचीबद्ध हैं।

कंपनी का नाम ''रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड'' से बदलकर ''आरईसी लिमिटेड'' कर दिए जाने पर कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा ने दिनांक 13 अक्तूबर, 2018 को एक नया निगमन प्रमाण–पत्र जारी किया है। इसके अलावा, कंपनी को विद्युत मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और स्टॉक एक्सचेंज से भी इस प्रकार नाम परिवर्तन के लिए अपेक्षित अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त हो गए हैं।

आरईसी ग्रामीण विद्युत अवसंरचना का विस्तार करने और उसमें सुधार लाने के लिए वित्तपोषण योजनाओं के उद्देश्य से, देश की एक प्रमुख वित्तीय संस्था है, आरईसी उत्पादन, पारेषण अथवा वितरण को शामिल करते हुए विद्युत क्षेत्र के संपूर्ण मूल्यवर्धन क्रियाकलापों परियोजनाओं को पूंजी उपलब्ध कराता है। आरईसी राज्य सरकारों, केंद्रीय/राज्य विद्युत यूटिलिटियों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों और निजी क्षेत्र की यूटिलिटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो देश में संस्थापित क्षमता की अनुमानित वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इस कंपनी का कारपोरेट कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है और एक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात आरईसी विद्युत प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरईसीआईपीएमटी) के अलावा, देश के विभिन्न राज्यों में स्थित 22 राज्य कार्यालय हैं।

आरईसी को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं अर्थात प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया गया है। आरईसी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) तथा ''सभी के लिए विद्युत'' की निगरानी में विद्युत मंत्रालय की सहायता भी करती है।

आरईसी की दो सहायक कंपनी – आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) हैं जो विद्युत वितरण और विद्युत पारेषण के क्षेत्र में पूरे विद्युत स्पेक्ट्रम में मूल्यवर्धित परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।

2 कार्य–निष्पादन की विशेषताएं (2018–19 के दौरान)

2.1 वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए आरईसी लिमिटेड की कार्य–निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गयी हैं:

विवरण	राशि (करोड़ रुपए में)
संस्वीकृत ऋण	1,15,957.35
संवितरण	72,165.43
डीडीयूजीजेवाई (डीडीजी सहित) एवं सौभाग्य के तहत सब्सिडी	19,662.13
वसूलियां (ब्याज सहित)	55,093.20
संसाधन जुटाना	69,383.22
कर पूर्व लाभ	8,100.50
कर पश्चात् लाभ	5,763.72
निवल मूल्य	34,302.94
लाभांश (अंतरिम + अंतिम)	2,172.41
प्रति कर्मचारी कारोबार*	261.31

*(प्रति कर्मचारी कारोबार = संवितरण + वसूलियां/31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या)

2.2 विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के साथ समझौता ज्ञापन

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, आरईसी की कार्य निष्पादन में ''बहुत अच्छी'' श्रेणी प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए, मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग में प्रक्रियाधीन है।

2.3 शेयर पूंजी

1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार और 31 दिसंबर, 2019 को, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए थी जिसमें प्रत्येक 10 रुपए के 500 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं और, कंपनी की जारी और प्रदत्त शेयर पूंजी 1,974.92 करोड़ रुपए थी जिसमें प्रत्येक 10 रुपए के 197,49,18,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

1 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार और 31 दिसंबर, 2019 को, पावर फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीएफसी) के पास 103,94,95,247 इक्विटी शेयर अर्थात् कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 52.63 प्रतिशत थे और यह आरईसी लिमिटेड की धारक कंपनी है।

2.4 निधियां जुटाना

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, बाजार से 69,383.22 करोड़ रुपए की राशि जुटायी तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 (31 दिसंबर, 2019 तक) के दौरान कंपनी ने 48,103.17 करोड़ रुपए की राशि जुटायी है। आरईसी के घरेलू ऋण दस्तावेजों को क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और आईसीआरए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा लगातार ''एएए'' रेटिंग अथवा सर्वोच्च रेटिंग प्रदान की जा रही है। आरईसी को मूडीज तथा फिच जैसी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से क्रमशः ''बीएए3'' और ''बीबीबी–'' रेटिंग भी प्राप्त हुई है।

''बीएए3'' रेटिंग मध्यम क्रेडिट जोखिम को दर्शाती है और ''बीबीबी–'' रेटिंग यह दर्शाती है कि चूक के जोखिम की संभावनाएं वर्तमान में कम हैं।

3. वित्तीय वर्ष 2019.20 (31.12.2019 तक) के दौरान की गयी प्रगति और वर्ष की शेष अवधि अर्थात् 31.03.2020 तक, के दौरान प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित लक्ष्यः

3.1 संस्वीकृतियां

वित्तीय वर्ष 2019.20 (31.12.2019 तक) के दौरान, आरईसी ने निम्नानुसार राज्य एवं निजी क्षेत्र की विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों को 95,898.23 करोड़ रुपए (अनंतिम) की वित्तीय सहायता संस्वीकृत कीः

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31.12.2019 तक प्राप्त किए गए लक्ष्य	वर्ष की शेष अवधि के दौरान अर्थात् 31.03.2020 तक प्रत्याशित उपलब्धि
1.	पारेषण एवं वितरण (डीडीयूजीजेवाई सहित)	33,347.34	7,240.00
2.	उत्पादन परियोजनाएं	51,619.23	3,000.00
3.	नवीकरणीय ऊर्जा	6,501.66	1,900.00
4.	अल्पावधि ऋण/ मध्यावधि ऋण	4,430.00	1,000.00
	कुल	**95,898.23**	**13,140.00**

3.2 राष्ट्रीय विद्युत निधि के अंतर्गत संस्वीकृतियांः

एनईएफ योजना के अंतर्गत, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों में, राज्य विद्युत यूटिलिटियों, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को वितरण क्षेत्र में पूंजीगत निवेश के लिए ब्याज भुगतान के लिए पूर्व–परिभाषित सुधार मापदंडों की प्राप्ति के आधार पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायी जाती है।

एनईएफ के अंतर्गत, शामिल परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान अनुमोदित ऋण के लिए, 14 वर्षों हेतु ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। दिसंबर, 2019 तक 14 राज्यों में 24 डिस्कॉमों के लिए 23,973 करोड़ रुपए के ऋण घटक सहित 920 एनईएफ परियोजनाओं की स्वीकृति की तुलना में करीब 18,200 करोड़ रुपए के ऋण जारी किए गए हैं। स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता और नोडल एजेंसी द्वारा किए गए ब्याज सब्सिडी मूल्यांकन, अर्थात् समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों तथा जीएपी राजस्व को कम करके, के आधार पर, विद्युत मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान दिसंबर, 2019 तक राज्यों/विद्युत यूटिलिटियों को 74.63 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2019.20 की शेष अवधि के लिए एजेंसी शुल्कों और डिस्कॉमों को ब्याज सब्सिडी के भुगतान के लिए अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि इस प्रकार हैः

अवधि के लिए सूचना	राशि (करोड़ रुपए में)
1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक की गई प्रगति	114.01
1 जनवरी, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक प्राप्त किये जाने वाले अनुमानित लक्ष्य	285.99 (ब्याज सब्सिडी और एजेंसी शुल्क)

तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एनईएफ के तहत बजट (200 करोड़ रुपए) का उपयोग किया जाएगा।

3.3 संवितरण

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आरईसी के निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:

(राशि करोड़ रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	
	01 अप्रैल 19 से 31 दिसंबर 19	01 जनवरी 20 से 31 मार्च 20 (प्रत्याशित संवितरण)
संवितरण (डीडीयूजीजेवाई–आरई एवं डीडीजी के तहत सब्सिडी सहित)	56,584.72	10,979.00

वित्तीय वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान किए गए संवितरणों (डीडीयूजीजेवाई–आरई और डीडीजी के तहत सब्सिडी को छोड़कर) का ब्यौरा निम्नवत है:

क्रम सं.	विवरण	31.12.2019 तक वास्तविक संवितरण (करोड़ रुपए में)
1.	पारेषण	9,754.92
2.	वितरण	14,917.47
3.	उत्पादन – परंपरागत	16,155.47
4.	नवीकरणीय ऊर्जा	4,741.23
5.	डीडीयूजीजेवाई स्कीम के अंतर्गत ऋण	2,837.38
6.	आरजीजीवीवाई स्कीम के अंतर्गत ऋण	94.11
7.	डीडीजी स्कीम के अंतर्गत ऋण	9.89
8.	अल्पावधि ऋण	1,751.42
9.	मध्यावधि ऋण	3,200.00
	कुल	**53,461.89**

3.4 निधियां जुटाना

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी का कुल बाजार उधार कार्यक्रम 90,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। दिनांक 31.12.2019 तक, अनुमोदित बाजार उधार कार्यक्रम के तहत 48,103.17 करोड़ रुपए तथा वर्ष की शेष अवधि के लिए संभावित निधियों का जुटाव 41,896.83 करोड़ रुपए है।

3.5 01.04.2019 से 30.09.2019 तक कार्य–निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

(सीमित समीक्षा के वित्तीय परिणामों पर आधारित)

क्रम सं.	वित्तीय मापदंड	यूनिट	30.09.2019 तक उपलब्धि (वार्षिकीकृत)*	वर्ष 2019-20 के लिए समझौता ज्ञापन के लक्ष्य	% उपलब्धि
1	प्रचालनों से राजस्व	₹ करोड़	28,818	28,000	103%
2	प्रचालनों से राजस्व (निवल) के प्रतिशत के रूप में प्रचालन लाभ	%	27.32	27.00	101%
3	पीएटी/औसत निवल मूल्य	%	15.79	15.00	105%
4	निवल एनपीए/ऋण परिसंपत्तियां (निवल)	%	3.61	4.10	सीमा के अंदर (लक्ष्य से कम निर्धारित लक्ष्य की बेहतर उपलब्धि को दर्शाता है)

*एक सूचीबद्ध सीपीएसयू होने के कारण, 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार वांछित वित्तीय आंकड़े अंतिम रूप से तैयार किये जा रहे हैं तथा ये कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन हैं।

4. आरईसी के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनियां

वितरण, पारेषण आदि के क्षेत्र में परामर्श के अतिरिक्त कारोबार पर ध्यान देने के लिएए आरईसी की निम्नलिखित दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं:

(1) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड तथा

(2) आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

4.1 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस् कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) अन्य बातों के साथ–साथ भारत अथवा विदेश में विद्युत के पारेषण एवं वितरण से संबंधित किसी भी क्षेत्र में परामर्शी सेवाओं और/अथवा परियोजना के कार्यान्वयन को प्रोन्नत करने, संगठित करने या ले जाने के कारोबार में लगी हुई है।

विद्युत मंत्रालय, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता (टीएसपी) के रूप में विकासकर्ता के चयन हेतु बोली प्रक्रिया समन्वयकर्ता (बीपीसी) के रूप में आरईसीटीपीसीएल को समय–समय पर स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं आबंटित करता है। प्रत्येक पारेषण परियोजना का विकास शुरू करने के लिए, आरईसीटीपीसीएल अपने पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी के रूप में एक विशिष्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) परियोजना निगमित करता है तथा पारेषण परियोजनाओं के लिए अधिसूचित प्रशुल्क आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सफल बोलीदाता के चयन के उपरांत संबंधित परियोजना विशिष्ट एसपीवी को उसकी सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित कर देता है।

चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 (31 दिसंबर, 2019 तक) के दौरान, नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित आठ (8) परियोजना विशिष्ट कंपनियां चयनित बोलीदाता को अंतरित की गई हैं:

क्रम सं.	पारेषण परियोजना का नाम	परियोजना विशिष्ट एसपीवी का नाम	चयनित बोलीदाता का नाम	एसपीवी के अंतरण की तिथि
1.	राजस्थान एसईजेड (भाग–ग) से एलटी, अनुप्रयोग के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली	खेत्री ट्रांस्को लिमिटेड	मैसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	29.08.2019
2.	गुना (जिला–गुना) के समीप 400 केवी सब–स्टेशन के निर्माण के साथ संबद्ध अंतरा–राज्यीय पारेषण कार्य और भिंड (जिला–भिंड) के समीप 220 केवी सब–स्टेशन के निर्माण के साथ संबद्ध अंतरा–राज्यीय पारेषण कार्य	भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	मैसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	11.09.2019

3.	400 केवी उडुपी (यूपीसीएल) – कासरगोड डी/सी लाइन	उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड	मैसर्स स्टरलाइट ग्रिड 14 लिमिटेड	12.09.2019
4.	राजस्थान एसईजेड के लिए संबद्ध बेज के साथ–साथ अजमेर (पीजी) – फागी 765 केवी डी/सी लाइन का निर्माण	अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड	मैसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	03.10.2019
5.	डब्ल्यूआरएसएस – 21 भाग–क – भुज पीएस में आरई अंतःक्षेपण के कारण गुजरात अंतरा–राज्यीय प्रणाली में ओवर लोडिंग को कम करने के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण देखी गई।	डब्ल्यूआरएसएस XXI (ए) ट्रांस्को लिमिटेड	मैसर्स अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	14.10.2019
6.	भुज–II, द्वारका और लकड़िया में आरई उत्पादनों के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली	लकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड	मैसर्स अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	13.11.2019
7.	द्वारका (गुजरात) में आरई परियोजनाओं (1500 मेगावाट) को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जम खंबालिया पूलिंग स्टेशन और मैसर्स सीजीपीएल स्विचयार्ड में संबद्ध बेज के साथ–साथ 400/220 केवी आईसीटी की संस्थापना	जाम खंभालिया ट्रांस्को लिमिटेड	मैसर्स अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	13.11.2019
8.	संबद्ध पारेषण लाइनों सहित 765/400/220 केवी जीआईएस सब–स्टेशन, रामपुर एवं 400/220/132 जीआईएस सब–स्टेशन, संभल का निर्माण	रामपुर संभल ट्रांस्को लिमिटेड	मैसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12.12.2019

उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित अंतर–राज्यीय पारेषण परियोजनाओं की बोली प्रक्रिया चल रही है:

क्रम. सं.	पारेषण परियोजना का नाम	परियोजना विशिष्ट एसपीवी का नाम	एसपीवी के निगमन की तारीख	तारीख के अनुसार स्थिति
1.	झारखंड राज्य (पैकेज–1) में पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए पारेषण प्रणाली	चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	14.03.2018	वर्ष 2020–21 के दौरान समापन की संभावना है।
2.	झारखंड राज्य (पैकेज–2) में पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए पारेषण प्रणाली	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	23.03.2018	
3.	झारखंड राज्य (पैकेज–3) में पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए पारेषण प्रणाली	मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	26.03.2018	
4.	झारखंड राज्य (पैकेज–4) में पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए पारेषण प्रणाली	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.03.2018	

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 1 फरवरी, 2019 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा डिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड से संबंधित पारेषण परियोजना की अधिसूचना रद्द कर दी है। उपर्युक्त को देखते हुएए कंपनी के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने के लिए प्रक्रिया विद्युत मंत्रालय से उसके लिए अनुमोदन प्राप्त होते ही आरंभ कर दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में आरईसीटीपीसीएल ने विस्तृत रूप में नीचे दिए अनुसार अच्छी पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म तथा मोबाइल ऐप विकसित किया है:

ऊर्जा मित्र: ऊर्जा मित्र विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है जो एसएमएस/ई–मेल/पुश अधिसूचनाओं के जरिए सम्पूर्ण भारत के विद्युत वितरण उपभोक्ताओं को बिजली बंद होने से संबंधित सूचना देने के लिए बिजली बंदी प्रबंधन और अधिसूचना प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। यह वितरण कंपनियों के लिए बिजली बंद होने की सूचना पहुँचाने के लिए नागरिकों को सक्षम बनाने हेतु एंड्रॉयड तथा आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए पैन इंडिया इंटीग्रेटिड मोबाइल ऐप्लीकेशन भी उपलब्ध कराता है। विद्युत उपभोक्ता भी मोबाइल ऐप के जरिए उनके क्षेत्र में विद्युत के बंद होने के बारे में सूचित कर सकते हैं।

दिनांक 31 दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार 52 डिस्कॉमों के करीब 21.15 करोड़ ग्रामीण/शहरी/मिश्रित फीडर उपभोक्ताओं के आंकड़े पहले ही वेब पोर्टल से जोड़े जा चुके हैं और लगभग 20.20 करोड़ के आवेदन, उपभोक्ता आधार के साथ 48 डिस्कॉमों में प्रक्रिया में हैं। करीब 205.50 करोड़ एसएमएस उपभोक्ताओं को भेजे जा चुके हैं।

तरंग (ट्रांसमिशन ऐप फॉर रियल टाइम मॉनीटरिंग एंड ग्रोथ):–. तरंग प्रतिस्पर्द्धी बोली आधारित प्रशुल्क (टीबीसीबी) तथा विनियमित प्रशुल्क तंत्र के जरिए अंतरा–राज्यीय तथा अंतर–राज्यीय पारेषण परियोजनाओं, दोनों के लिए देश में पारेषण प्रणाली की प्रगति की निगरानी करता है। तरंग अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न पारेषण यूटिलिटियों द्वारा शुरू की जा रही एनआईटी सहित स्थापित होने वाली संभावित अंतरा–राज्यीय और अंतर–राज्यीय परियोजनाओं को भी दर्शाता है। तरंग भावी पारेषण परियोजनाओं में शीघ्रता लाने के लिए बोलीदाताओं की सहायता करने हेतु पारेषण संबंधी अधिकारिता समिति द्वारा अनुमोदित भावी पारेषण परियोजनाओं की अग्रिम सूचना उपलब्ध कराता है।

11 केवी रूरल फीडर मॉनीटरिंग स्कीम : आरईसीटीपीसीएल को ''11 केवी रूरल फीडर मॉनीटरिंग स्कीम'' के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस योजना का लक्ष्य फीडर स्तर पर ऊर्जा इनपुट/विद्युत आपूर्ति की मॉनीटरिंग को सक्षम बनाना तथा इसके साथ ही देश के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की सही तस्वीर प्रस्तुत करना है ताकि ''सभी के लिए 24x7 विद्युत'' को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत, वितरण मानदंडों अर्थात् विद्युत आपूर्ति के घंटे, आउटेज, वोल्टेज, करंट और पीएफ प्राप्त किया जाता है। 11 केवी ग्रामीण फीडरों पर मोडेम की संस्थापना लगभग पूरी हो गई है और ये आंकड़े केंद्रीय सर्वर से लिये जा रहे हैं जहां से विभिन्न रिपोर्टों को बनाया जा रहा है। ये रिपोर्टें ग्रामीण विद्युत आपूर्ति की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सहायता देने संबंधी निर्णय में उपयोगी हैं।

कंपनी वित्तीय वर्ष 2019–20 में लाभपूर्ण कारोबार करती रही और 31 दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार 71.26 करोड़ रुपए की कुल आय तथा 53.33 करोड़ रुपए का कर पश्चात निवल लाभ अर्जित किया। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019–20 की शेष अवधि के लिए लगभग 2.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व तथा लगभग 2.20 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ प्राप्त होने की संभावना है।

4.2 आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) एक आईएसओ 9001:2008 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001:2004 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली), ओएचएसएएस 18001:2007 (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा) प्रमाणित कंपनी और आरईसी लिमिटेड (आरईसी), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक ''नवरत्न सीपीएसई'', की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

आरईसीपीडीसीएल ग्रामीण विद्युतीकरण, एटीएंडसी हानियों में कमी से संबंधित कार्यनीतियां, जीआईएस इंटीग्रेशन सहित डाटा सेंटर, कस्टमर केयर सेंटर आदि की स्थापना सहित आईटी कार्यान्वयन कार्य, एएमआई सहित स्मार्ट मीटरिंग को शामिल करते हुए स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं का कार्यान्वयन, सोलर पीवी संयंत्रों का निर्माण, स्काडा कार्यान्वयन, एमआरआई/एएमआर आधारित मीटर रीडिंग और बिलिंग के कार्य, डीपीआर तैयार करना और विद्युत वितरण परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श, विद्युत वितरण के कार्यों का सुदृढ़ीकरण, ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं और गुणवत्ता एवं मात्रा की निगरानी/निष्पादित कार्यों का निरीक्षण, आदि के क्षेत्र में परामर्शी एवं शुल्क आधारित सेवाएं प्रदान कर रही है।

हमारी कंपनी देश भर में अर्थात 25 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में 48 वितरण कंपनियों (डिस्कॉम)/विद्युत विभाग और 5 सहकारी समितियों में विद्युत यूटिलियों को विशेषज्ञों की परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रही है।

4.2.1 वर्तमान वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान किए गए कार्य की प्रगति/उपलब्धि

चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान आरईसीपीडीसीएल अपनी निम्नलिखित चालू परियोजनाओं के संबंध में काम कर रही है:

(क) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) परियोजनाएं नामतः (i) आर.एपीडीआरपी भाग–क के अंतर्गत जीईडी, गोवा में आईटी कार्यान्वयन कार्य, (ii) शहरी स्कीमों (आईपीडीएस, पीएमडीपी और आर–एपीडीआरपी भाग–ख) के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर में शहरी वितरण अवसंरचना का कार्यान्वयन, (iii) जम्मू व कश्मीर में 2 लाख स्मार्ट मीटरों की संस्थापना।

(ख) परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) परियोजनाएं:

- नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन के अंतर्गत सीईडी के लिए एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई), स्काडा और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर मॉनीटरिंग यूनिट (डीटीएमयू) के कार्यान्वयन के लिए पीएमए;
- इसके अलावा, आरईसीपीडीसीएल, डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस स्कीमों के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के एपीडीए, कर्नाटक के बेसकॉम, सेसकॉम, मेसकॉम, हेसकॉम, गेसकॉम और हुक्केरी सोसायटी, गोवा के जीईडी, छत्तीसगढ़ के सीएसपीडीसीएल, मध्य प्रदेश के एमपीएमकेवीवीसीएल, तेलंगाना के टीएसएसपीडीसीएल और टीएसएनपीडीसीएल, पश्चिम बंगाल के डब्ल्यूबीएसईडीसीएल तथा उत्तर प्रदेश के पीवीवीएनएल के लिए पीएमए, सेवाएं प्रदान कर रहा है;
- डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत असम के एपीडीसीएल, आंध्र प्रदेश के एपीईपीडीसीएल, एपीएसपीडीसीएल, केआरईसीएस, सीआरईसीएस और एआरईसीएस के लिए पीएमए सेवाएं;
- आईपीडीएस के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के डीपीएल, मेघालय के एमईपीडीसीएल, मणिपुर के एमएसपीडीसीएल को पीएमए सेवाएं
- इसके अलावा, आरईसीपीडीसीएल 12वीं योजना स्कीम के डीडीयूजीजेवाई आरई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के डीवीवीएनएल, झारखंड के जेबीवीएनएल और त्रिपुरा के टीएसईसीएल और 11वीं और 12वीं योजना स्कीम के डीडीयूजीजेवाई आरई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पीयूवीवीएनएल तथा 10वीं योजना स्कीम (बचा हुआ कार्य) के डीडीयूजीजेवाई आरई के अंतर्गत झारखंड के जेबीवीएनएल को भी पीएमसी सेवाएं प्रदान कर रहा है।
- सीएसपीडीसीएल में आईपीडीएस–आईटी के कार्यान्वयन के लिए पीएमए सेवाएं।

(ग) टीपीआई कार्य: (i) विभागीय स्कीम के अंतर्गत झारखंड का जेबीवीएनएल डिस्कॉम, (ii) 11वीं योजना के डीडीयूजीजेवाई आरई के अंतर्गत मणिपुर का एमएसपीडीसीएल, (iii) 12वीं योजना के डीडीयूजीजेवाई आरई के अंतर्गत असम का एपीडीसीएल, (iv) 11वीं योजना के डीडीयूजीजेवाई आरई के अंतर्गत बिहार का एनबीपीडीसीएल और एसबीपीडीसीएल।

(घ) आरक्यूएम और एनक्यूएम कार्य: (i) बिहार, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू व कश्मीर और मणिपुर में 12वीं योजना कार्य के तहत आरक्यूएम, (ii) 11वीं योजना स्कीम के डीडीयूजीजेवाई आरई के अंतर्गत मध्य प्रदेश और मणिपुर में आरक्यूएम कार्य, (iii) डीडीयूजीजेवाई स्कीम के अंतर्गत 14 राज्यों में आरक्यूएम नई परियोजना कार्य, (iv) 12वीं योजना के डीडीयूजीजेवाई आरई के अंतर्गत मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में एनक्यूएम कार्य।

(ङ.) अन्य कार्य: (i) डीईआरसी की परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की समीक्षा, (ii) त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गोवा और उत्तर प्रदेश में ईईएसएल की स्ट्रीट लाइटिंग परियोजना के लिए पीएमसी/एएमसी सेवाएं, (iii) यूपीपीसीएल में सारथी परियोजना के अंतर्गत प्रबंधन एवं तकनीकी सेवाएं, (iv) यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन में एचपीपीसी के लिए विद्युत प्रबंधन प्रणाली, (v) नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में एटीएंडसी हानि विश्लेषण।

वित्तीय वर्ष 2019.20 (अर्थात 31.12.2019 तक) के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने उपरोक्त परियोजनाओं के संबंध में 76 करोड़ रुपए का प्रचालनों से राजस्व अर्जित किया है तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 (अर्थात मार्च, 2020 तक) के शेष भाग के दौरान 74 करोड़ रुपए (लगभग) का अतिरिक्त राजस्व संभावित है।

कंपनी वित्तीय वर्ष 2019.20 में लाभपूर्व कारोबार करती रही और 31 दिसंबर, 2019 तक 89 करोड़ रुपए (लगभग) का कुल राजस्व तथा 9 करोड़ रुपए (लगभग) का कर पश्चात निवल लाभ अर्जित किया।

नये कार्य

चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित नये कार्य शुरू किये हैं:

i. गोवा में गोवा विद्युत विभाग के लिए आईटी एवं राजस्व आश्वासन सहायता प्रकोष्ठ।

ii. उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर (भूतपूर्व फैजाबाद एवं अयोध्या शहर), बाराबंकी शहर, बदायूं शहर (I और II), सहसवान शहर (जिला बदायूं) में भूमिगत तार बिछाने के कार्य का तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण।

iii. उत्तर प्रदेश में संस्थापित नवीकरणीय/सौर प्रणालियों के लिए टीपीआई कार्य।

iv. उत्तर प्रदेश में पीवीवीएनएल के लिए आईपीडीएस योजना के अंतर्गत गाजियाबाद के लिए (नगर निगम) अतिरिक्त रूप से स्वीकृत डीपीआर के कार्य के प्रति पीएमए सेवाएं।

v. उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 33 केवीए 11 केवी और भूमिगत लाइनों का टीपीआईए।

vi. उत्तर की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक निरीक्षण के लिए टीपीआईए।

vii. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा के राज्य के लिए एलईडी स्ट्रीट–लाइटिंग परियोजना के कार्यान्वयन के लिए परियोजना के पूरा होने की अवधि तक एएमसी और पीएमसी सेवाएं।

viii. नए डीटीआर की संस्थापना के द्वारा तथा पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एबी केबल का उपयोग करते हुए हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) के कार्यान्वयन के लिए पीएमए सेवाएं।

ix. पश्चिम बंगाल में 9,300/– प्रति मानव दिवस की दर से डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के अंतर्गत भूमिगत तार बिछाने के लिए पीडीआई।

x. पश्चिम बंगाल के 10 शहरों में आईपीडीएस योजना के अंतर्गत जीआईएस सब–स्टेशनों के कार्यान्वयन के लिए पीएमए।

xi. विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के साथ डब्ल्यूबीएसईडीसीएल की वितरण नेटवर्क सुदृढ़ीकरण और ग्रिड आधुनिकीकरण परियोजनाओं के अंतर्गत 6 शहरों में भूमिगत तार बिछाने का कार्य और 13 जिलों में एचवीडीएस और जीआईएस के संदर्भ में डीपीआर और परियोजना खरीद नीति दस्तावेज (पीपीएसडी) तैयार करना।

xii. कर्नाटक में सीईएससीओएम की आईपीडीएस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त एसआरटीपीवी डीपीआर कार्यों के लिए पीएमए सेवाएं।

xiii. छत्तीसगढ़ (सीएसपीडीसीएल), मध्य प्रदेश (एमपीएमकेवीवीसीएल), कर्नाटक (एचईएससीओएम और सीईएससीओएम), पश्चिम बंगाल (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) में डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के अंतर्गत पीएमए का विस्तार।

xiv. त्रिपुरा (टीएसईसीएल) और उत्तर प्रदेश (डीवीवीएनएल और पीयूवीवीएनएल) में डीडीयूजीजेवाई – 12वी योजना के अंतर्गत पीएमए का विस्तार।

xv. मणिपुर (एमएसपीडीसीएल) में आईपीडीएस के अंतर्गत पीएमए का विस्तार।

इसके अलावा, निम्नलिखित प्रस्ताव डिस्कॉम/विद्युत विभागों को पहले ही प्रस्तुत किये गये हैं और उन्हें चालू वित्तीय वर्ष के अंदर आरईसीपीडीसीएल को आवंटित किये जाने की आशा है:

i. लातूर जोन में बीड़ जिले में 50 डीटीसी और 500 कनेक्शनों का तृतीय पक्ष निरीक्षण जिसे एमएसईडीसीएल के अंतर्गत महाराष्ट्र में सौभाग्य योजना के अंतर्गत पूरा कर लिया गया है।

ii. एमएसईडीसीएल की एचवीडीएस योजना के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य और कारीगरी के निरीक्षण के लिए तीसरा पक्ष।

उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित प्रस्तावों पर विभिन्न डिस्कॉम/विद्युत प्रभागों द्वारा विचार किया जा रहा है:

i. एमआईडीसी के अंतर्गत औद्योगिक उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए 86 एमआईडीसी हेतु डीपीआर तैयार करना।

ii. एमएसईडीसीएल के लिए 40 जिलों को शामिल करते हुए 121 नगरीय शहरों में प्रणाली सुदृढीकरण कार्य के लिए डीपीआर तैयार करना।

iii. टीएसएनपीडीसीएल के 16 सर्किलों के लिए प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग एजेंसी के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव।

iv. मिजोरम में स्मार्ट मीटरिंग के लिए डीपीआर तैयार करना और आगे स्मार्ट मीटरिंग का कार्यान्वयन।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरईपीडीसीएल को अवार्ड की गई उपर्युक्त उल्लिखित परियोजनाओं का कुल निविदा मूल्य 164.20 करोड़ रुपए है और विभिन्न अन्य परियोजनाएं चल रही हैं जिनसे 40 करोड़ रुपए की संचयी राशि को प्राप्त करने की संभावना है।

4.2.2. वर्ष की शेष अवधि अर्थात् 31.03.2020 तक, के दौरान आरईसीपीडीसीएल द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित लक्ष्य

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019–20 की शेष अवधि के लिए 74 करोड़ रुपए (लगभग) का राजस्व तथा 26 करोड़ रुपए (लगभग) का कर पश्चात निवल लाभ प्राप्त होने की संभावना है।

5. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक एकीकृत योजनाए अर्थात दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) का शुभारंभ/कार्यान्वयन स्वीकृत किया था, जिसे विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 3 दिसंबर, 2014 को संसूचित किया गया था। योजना के तहत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है और 15 प्रतिशत तक का अतिरिक्त अनुदान (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिए जाने के बाद प्रदान किया जाता है। सभी पूर्ववर्ती आरई योजनाओं (राजीव गांधी

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सहित) को डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर दिया गया है। आरईसी लिमिटेड को डीडीयूजीजेवाई के प्रचालनीकरण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया गया था।

5.1 उद्देश्य

स्कीम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं–

1) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकशील बहाली के लिए कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण प्रदान करना, और

2) ग्रामीण क्षेत्र में वितरण ट्रांसफार्मर, फीडर एवं अंतिम उपभोक्ताओं के लिए मीटरिंग सहित उप–पारेषण एवं वितरण (एसटीएंडडी) अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन।

योजना में विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्यों के परामर्श से अंतिम कम की गई ट्रेजेक्टरी (डिस्कॉम–वाइस) के अनुसार सभी ग्रामीण घरों को विद्युत की आपूर्ति और एटीएंडसी हानियों में कटौती भी शामिल है ताकि गैर–कृषि उपभोक्ताओं के लिए 24x7 विद्युत आपूर्ति और कृषि उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा सकेए इसके लिए निम्नलिखित घटक हैं:

I. ग्रामीण क्षेत्रों में गैर–कृषि उपभोक्ताओं के लिए उन्नत गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति और कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में समर्पित कृषि फीडरों के माध्यम से प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित / साझा 11 केवी फीडरों में से कृषि फीडरों को अलग करना।

ii. ग्रामीण क्षेत्रों में उप–पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन।

iii. वितरण ट्रांसफार्मरों / फीडरों / उपभोक्ताओं की मीटरिंग; और

iv. पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई स्कीम जिसे डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर दिया गया है, के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य करना।

डीडीयूजीजेवाई में, गांवों / वासस्थलों की पात्रता के लिए पूर्व आबादी मानदंड समाप्त किए गए हैं और बिना किसी आबादी मानदंड के सभी गांव / वासस्थल पात्र हैं।

योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिएए सभी स्टेकहोल्डरों विशेषकर जन प्रतिनिधियों की भागीदारी को वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला विद्युत समितियां (अब दिशा) बनाकर कार्यरूप दिया जाएगा। दिशा को डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है।

5.2 परियोजनाओं की स्वीकृति

5.2.1 डीडीयूजीजेवाई (आरई घटक):

पूर्ववर्ती ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) कार्यक्रम के अंतर्गत, 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, संचयी रूप से निम्नलिखित संघटकों सहित 65,298 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से 1,365 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं:

- 3,065 विद्युत सब–स्टेशनों (2,184 सब–स्टेशनों के संवर्धन सहित) को चालू करना
- 11.18 लाख वितरण ट्रांसफार्मर चालू करना
- 7.30 लाख सर्किट किलोमीटर एलटी लाइनों का इरेक्शन
- 6.37 लाख सर्किट किलोमीटर 11 केवी लाइनों का इरेक्शन
- 0.17 लाख सर्किट किलोमीटर 33 और 66 केवी एचटी लाइनों का इरेक्शन।

5.2.2 डीडीयूजीजेवाई (नई) :

दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, निम्नलिखित संघटकों सहित 43,485 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से 4,351 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं:

- 3,404 सब–स्टेशनों (1,561 विद्युत सब–स्टेशनों के संवर्धन सहित) को चालू करना
- 4.18 लाख वितरण ट्रांसफार्मर सब–स्टेशनों को चालू करना
- 1.15 लाख सर्किट किलोमीटर नई 11 केवी लाइन का इरेक्शन
- 1.25 लाख सर्किट किलोमीटर एलटी लाइनों का इरेक्शन
- 0.26 लाख सर्किट किलोमीटर एचटी लाइनों (33 व 66 केवी लाइनें) का इरेक्शन
- 1.63 लाख सर्किट किलोमीटर 11 केवी फीडरों का पृथक्करण
- 150.22 लाख उपभोक्ता परिसरों, 3.76 लाख वितरण ट्रांसफार्मरों एवं 0.29 लाख 11 केवी फीडरों में ऊर्जा मीटरों की संस्थापना।

5.2.3 डीडीयूजीजेवाई (अतिरिक्त अवसंरचना परियोजनाएं)

राज्य के अनुरोधों पर 19 राज्यों को 14,270 करोड़ रुपए की राशि सौभाग्य के अंतर्गत शामिल किये गये घरों के लिए विशेष रूप से अतिरिक्त अवसंरचना के सृजन के लिए संस्वीकृत की गई है।

5.3 संचयी उपलब्धि (31.12.2019 की स्थिति के अनुसार)

5.3.1 डीडीयूजीजेवाई (आरई घटक):

31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, संचयी रूप से भारत सरकार ने 49,981 करोड़ रुपये का अनुदान राज्यों को जारी किया है। वास्तविक प्रगति नीचे दिए अनुसार है:

- 2,872 सब.स्टेशन (2,027 सब–स्टेशनों के संवर्धन सहित) को चालू किये गये
- 10.19 लाख वितरण ट्रांसफार्मर चालू किये गये
- 8.11 लाख सर्किट किलोमीटर एलटी लाइनों का इरेक्शन किया गया
- 4.79 लाख सर्किट किलोमीटर 11 केवी लाइनों का इरेक्शन किया गया
- 0.14 लाख सर्किट किलोमीटर 33 और 66 केवी एचटी लाइनों का इरेक्शन किया गया।

5.3.2 डीडीयूजीजेवाई (नई):

31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, संचयी रूप से भारत सरकार ने 18,593 करोड़ रुपये का अनुदान राज्यों को जारी किया है। वास्तविक प्रगति नीचे दिए अनुसार है:

- 3,100 सब.स्टेशन (1,608 सब–स्टेशनों के संवर्धन सहित) चालू किए गए
- 3.07 लाख वितरण ट्रांसफार्मर चालू किये गए
- 1.00 लाख सर्किट किलोमीटर नई 11 केवी लाइनों का इरेक्शन किया गया
- 1.98 लाख सर्किट किलोमीटर एलटी लाइनों का इरेक्शन किया गया
- 0.18 लाख सर्किट किलोमीटर एचटी लाइनों (33 व 66 केवी लाइनें) का इरेक्शन किया गया
- 1.00 सर्किट किलोमीटर 11 केवी फीडरों का पृथक्करण किया गया
- 129.60 लाख उपभोक्ता परिसरों, 1.77 लाख वितरण ट्रांसफार्मरों एवं 0.11 लाख 11 केवी फीडरों में ऊर्जा मीटरों की संस्थापना।

5.3.3 डीडीयूजीजेवाई (अतिरिक्त अवसंरचना):

31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, संचयी रूप से भारत सरकार ने 4,826 करोड़ रुपये का अनुदान राज्यों को जारी किया है। वास्तविक प्रगति नीचे दिए अनुसार है:

- 90 सब–स्टेशन (83 सब–स्टेशनों के संवर्धन सहित) चालू किए गए
- 1.89 लाख वितरण ट्रांसफार्मर चालू किये गए
- 0.58 लाख सर्किट किलोमीटर नई 11 केवी लाइनों का इरेक्शन किया गया
- 1.57 लाख सर्किट किलोमीटर एलटी लाइनों का इरेक्शन किया गया

5.4 डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 2019.20 के दौरान उपलब्धि (आरई, नई तथा अतिरिक्त अवसंरचना परियोजनाएं): (31.12.2019 तक)

- नई 11 केवी लाइनों सहित 1,57,933 सर्किट किलोमीटर का फीडर पृथक्करण पूरा किया गया।
- 1,217 सब–स्टेशन (809 सब–स्टेशनों के संवर्धन सहित) चालू किए गए।
- 4,38,349 वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) चालू किये गये।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा आरईसी लिमिटेड को 3,857 करोड़ रुपए का भारत सरकार का अनुदान जारी किया गया।

5.5 वर्ष की शेष अवधि अर्थात 1 जनवरी, 2020 से 31 मार्च, 2020 के

दौरान प्रत्याशित उपलब्धि

वित्तीय वर्ष 2019.20 की शेष अवधि के लिए निम्नलिखित उपलब्धियों की संभावना है:

- 0.31 लाख सर्किट किलोमीटर फीडरों (नई 11 केवी लाइनों सहित) का पृथक्करण।
- 83 सब–स्टेशनों (60 सब–स्टेशनों के संवर्धन सहित) को चालू करना।
- 0.20 लाख वितरण ट्रांसफार्मर चालू करना।

6. सौभाग्य–प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना

माननीय प्रधान मंत्री ने देश में हर गांव एवं हर जिले को शामिल करके हर घर में बिजली पहुँचाने के उद्देश्य से 25 सितंबर, 2017 को सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया। हर घर बिजली पहुँचाने के लिए अंतिम छोर तक बिजली सुलभ कराना अपेक्षित है। स्कीम का परिव्यय 16,320 करोड़ रुपए है जिसमें 12,320 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता शामिल है।

6.1 स्कीम का क्षेत्र:

- ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर–विद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी एवं विद्युत कनेक्शन प्रदान कराना।
- दूर–दराज के और दुर्गम गांवों/वासस्थलों में स्थित गैर–विद्युतीकृत घरों के लिए, जहां पर ग्रिड विस्तार संभव नहीं है या लागत प्रभावी नहीं है, सोलर फोटोवोल्टेक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन प्रणाली प्रदान करना।
- शहरी क्षेत्र में सभी शेष आर्थिक रूप से कमजोर गैर–विद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन प्रदान करना। संपन्न शहरी घर इस स्कीम में शामिल नहीं किये गये हैं।

6.2 मुख्य विशेषताएं:

- निःशुल्क कनेक्शन के लिए भावी लाभार्थी घरों का पता सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 आंकड़ों का प्रयोग करते हुए लगाया जाएगा। जो घर एसईसीसी आंकड़ों के अनुसार पात्र नहीं पाए जाते हैं, को भी विद्युत बिलों के जरिए 10 किश्तों में वसूली योग्य 500 रुपए का भुगतान करने पर विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।
- निजी क्षेत्र डिस्कॉम, राज्य विद्युत विभाग तथा आरई सहकारी समितियों सहित सभी डिस्कॉम वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।
- आरईसी लिमिटेड (आरईसी) स्कीम के प्रचालनीकरण के लिए नोडल एजेंसी है।
- घरों के विद्युतीकरण से संबंधित सूचना और प्रगति प्राप्त करने के लिए सौभाग्य हेतु समर्पित वेब पोर्टल विकसित किया गया है।

6.3 वित्तीय प्रगति:

- 31 दिसंबर, 2019 तक राज्यों/डिस्कॉमों को 14,017 करोड़ रुपए संस्वीकृत (10,889 करोड़ रुपए का भारत सरकार का अनुदान घटक) किए गए एवं 4,540 करोड़ रुपए का भारत सरकार का अनुदान जारी किया गया।

6.4 वास्तविक प्रगति:

विद्युत मंत्रालय और राज्य/विद्युत यूटिलिटी और अन्य स्टेक होल्डरों के सक्रिय समर्थन और सहयोग के कारण, सौभाग्य की शुरूआत से 262.84 लाख घरों को बिजली का कनेक्शन प्रदान किया गया है। तदनुसार, 31.03. 2019 की स्थिति के अनुसारए सभी राज्यों ने घरेलू विद्युतीकरण (छत्तीसगढ़ में एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 गैर–विद्युतीकृत घरों को छोड़कर) के पूर्ण होने की घोषणा की।

तथापि, उत्तर प्रदेश, असम, झारखण्ड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मणिपुर ने लगभग 19.09 लाख इच्छुक घरों का विद्यतीकरण के लिए समय विस्तार किये जाने का अनुरोध किया है जिनकी पहचान सौभाग्य योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 से पहले की गई थी। राज्यों ने 31.12.2019 तक 9.85 लाख गैर–विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत किया है।

7. राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

आरईसी लिमिटेड देश में वितरण क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक ब्याज सब्सिडी स्कीम, राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के प्रचालनीकरण के लिए नोडल एजेंसी है।

8. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं

नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत, आरईसी ने कुल 1639.10 मेगावाट की संस्थापित उत्पादन क्षमता की 14 परियोजनाओं, जिसमें निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में विभिन्न प्रौद्योगिकियों अर्थात पवन एवं सौर ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं, के लिए 6,501.66 करोड़ रुपए की ऋण सहायता एवं अपने आरपीओ दायित्व को पूरा करने के लिए एक राज्य क्षेत्र उधारकर्ता को 274 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं। उपर्युक्त परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 9,640.72 करोड़ रुपए है। वर्ष 2019.20 (31.12.2019 तक) के दौरान संवितरण उपलब्धि 4,733.72 करोड़ रुपए है। उपरोक्त परियोजनाओं में से, आरईसी ने असम राज्य में 4 स्थानों पर 90 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 415.47 करोड़ रुपए की ऋण सहायता संस्वीकृत की है।

9. पूर्वोत्तर राज्य

वित्तीय वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान, आरईसी ने पूर्वोत्तर राज्यों को 8,921.44 करोड़ रुपये की ऋण सहायता संस्वीकृत की तथा 5,367.41 करोड़ रुपये का संवितरण किया है।

10. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास (आईसी एंड डी)

आरईसी ने आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के वित्तपोषण तथा हरियाणा राज्य में विद्युत पारेषण परियोजना के वित्तपोषण के लिए कुल स्वीकृत 41.55 बिलियन जेपीवाई से ऑफिशियल डेवलेपमेंट असिस्टेंस के अंतर्गत जापान इंटरनेशनल को–ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से दो लाइन ऑफ क्रेडिट प्राप्त किए हैं। परियोजनाओं का कार्यान्वयन पूरा कर लिया गया है।

आरईसी ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, हरियाणा में एचवीडीएस परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कुल 240 मिलियन यूरो से इंडो–जर्मन बाइलेटेरल डेवलेपमेंट को–ऑपरेशन के अंतर्गत केएफडब्ल्यू से तीन लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्राप्त की हैं। परियोजनाओं का कार्यान्वयन पूरा कर लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018 में, आरईसी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के पुनर्वित्तपोषण के लिए 200 मिलियन यूरो की वित्तीय सहायता के लिए केएफडब्ल्यू के साथ एक चौथा ऋण करार किया है जिसका कार्यान्वयन प्रगति पर है।

11. आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, हैदराबाद में प्रशिक्षण संबंधी क्रियाकलाप

क. वर्तमान वर्ष के दौरान 31.12.2019 तक की गई प्रगति:

i) पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन के नाम से ज्ञात **आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग** (आरईसीआईपीएमटी) की स्थापना विद्युत क्षेत्र से संबंधित अन्य संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों की प्रशिक्षण एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन के तत्वाधान में, वर्ष 1979 में, हैदराबाद में की गयी थी। विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

ii) साक्ष्य कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

''ऑनलाइन क्वालिटी पोर्टल साक्ष्य'' पर एक कार्यशाला का आयोजन

आरईसीआईपीएमटी में किया गया था, जिसमें पोर्टल से परिचित होने के लिए देश के विभिन्न डिस्कॉमों के कार्यपालकों ने भाग लिया था और कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की गई थी।

आरईसीआईपीएमटी को ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू विद्युतीकरण और विद्युत वितरण के कार्यान्वयन से संबंधित गुणवत्ता पहलुओं, मानकों, निर्माण कार्यपद्धतियों आदि की सूचना की रिपोर्टिंग ऑनलाइन करने के बारे में जागरूकता लाने के लिए डीडीयूजीजेवाई/सौभाग्य योजना के अंतर्गत विकसित किये गये ''ऑनलाइन क्वालिटी पोर्टल साक्ष्य'' पर डिस्कॉम इंजीनियरों, टर्न की ठेकेदारों, कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों और गुणवत्ता मॉनीटरों के प्रशिक्षण का कार्य सौंपा गया है। दिसंबर, 2019 तक, विभिन्न राज्यों के मुख्यालयों में इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 1,219 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था।

iii) अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पैनलबद्ध किया गया है। वर्ष के दौरान, आरईसीआईपीएमटी ने विषयों अर्थात विद्युत वितरण प्रबंधन में प्रमाण–पत्र पाठयक्रम (6 सप्ताह); सौर विद्युत संयंत्रों को चालू करने के लिए संकल्पना (6 सप्ताह); ईएचवी सब–स्टेशनों डिजाइन, इरेक्शन, प्रचालन, रख–रखाव एवं संरक्षण (6 सप्ताह); विद्युत पारेषण और वितरण प्रणाली की आयोजना एवं प्रबंधन (8 सप्ताह); ग्रामीण विद्युतीकरण एवं विद्युत प्रबंधन में उभरती प्रवृत्तियां (8 सप्ताह) 5 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 86 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विभिन्न देशों अर्थात अफगानिस्तान, अजरबेजान, अंगोला, बांग्लादेश, भूटान, ब्रूनी, बोट्सवाना, कंबोडिया, इथोपिया, कांगो जनतांत्रिक गणराज्य, जाम्बिया, गुनिया, घाना, केन्या, लेबनान, म्यांमार, मोजांबिक, मंगोलिया, मॉरीशस, नाइजीरिया, समोआ, साउथ सूडान, सेसेल्स, सूडान, स्विजीलैंड, सीरिया, लियोन, तंजानिया, तजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, वियतनाम और जिम्बाबे के प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

iv) नियमित राष्ट्रीय कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी ने विभिन्न विषयों जैसे बिजली की चोरी से संबंधित मुद्दों, चुनौतियां और उपचारात्मक उपाय, सोलर विद्युत संयंत्रों और ग्रिड को सक्षम बनाने के लिए अवधारणा से लेकर आरंभ करने तक, विद्युत प्रणाली संरक्षा और वितरण हानि कटौती मुद्दों, चुनौतियां और उपचारात्मक उपाय, पर विभिन्न विद्युत यूटिलिटी के कार्मिकों के लिए 4 नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं। कुल 22 प्रतिभागियों ने उपर्युक्त कार्यक्रमों में भाग लिया।

v) कस्टमाइज्ड कार्यक्रम

6 कस्टमाइज्ड कार्यक्रम यूटिलिटी की आवश्यकताओं के अनुसार बनाये गये थे और आयोजित किये गये थे। आरईसीआईपीएमटी के परिसर में एमएसईटीसीएल के लिए आयोजित किये गये कार्यक्रम ''सब–स्टेशन का अनुरक्षण, परीक्षण, भविष्य सूचक अनुरक्षण, अर्थिंग, सुरक्षा, नियमावली और विनियमावली, आईएस'' (2 बेच); स्थिति की मॉनीटरिंग और ईएचवी सब–स्टेशनों के लिए जीवन चक्र प्रबंधन कार्यपद्धति (1 बेच); रिले समन्वय और बस–बार संरक्षण सहित पारेषण प्रणाली (लाइन और सब–स्टेशन) का संरक्षण (2 बेच) और नेटवर्क संकुलन प्रबंधन एवं विनियामक मुद्दे (1 बैच) पर हैं। कुल मिलाकर, कस्टमाइज्ड कार्यक्रमों के अंतर्गत 141 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था।

vi) आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी ने आरईसी के कर्मचारियों के लिए 2 इन–हाउस कार्यक्रम भी आयोजित किये और 26 कर्मचारियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया है। शामिल किये गये विषय ''सौरविद्युत संयंत्रों को चालू करने के लिए संकल्पना'' और ''विद्युत क्षेत्र में प्रबंधकीय परिवर्तन'' हैं।

vii) आरईसी द्वारा प्रायोजित व्यवहार संबंधी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी को ''व्यवहार संबंधी कौशल'' पर एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों के क और ख संवर्ग के कार्यपालकों के क्षमता निर्माण का कार्य सौंपा गया है। कार्यक्रम विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए आरईसी द्वारा प्रायोजित किये जाते हैं। दिसंबर, 2019 तक, 27 कार्यक्रम आयोजित किए गये और इन कार्यक्रमों में 659 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था।

viii) विशेष कार्यक्रम

आरईसीआईपीएमटी ने आरईसी और यूटिलिटियों के कर्मचारियों के लिए 2 विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किये गये और विद्युत वितरण प्रणाली का परियोजना प्रबंधन और आरईसी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम – वरिष्ठ प्रबंधन के लिए विद्युत क्षेत्र में प्रबंधकीय परिवर्तन विषय पर कार्यक्रमों में 55 कार्यपालकों ने भाग लिया है।

ix) अन्य/आरईएनएसी

आरईएनएसीए जर्मनी के सहयोग से भारत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के सह लाभ के साथ संधारणीय विद्युत प्रणाली आयोजना पर एक प्रायोजित कार्यक्रम आरईसीआईपीएमटी में आयोजित किया गया और उसमें 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

x) कुल मिलाकर, वर्ष 2019–20 के दौरान, दिसंबर, 2019 तक,आरईसीआईपीएमटी ने विभिन्न मुद्दों/विषयों पर 95 कार्यक्रम आयोजित किए हैं तथा नीचे दर्शाये अनुसार, 2,227 कार्मिकों (7,588 मानव दिवस) को प्रशिक्षित किया:

क्र. सं.	कार्यक्रम का प्रकार	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या	प्राप्त किये गये दिनों की संख्या
1	राष्ट्रीय नियमित कार्यक्रम	4	22	104
2	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	86	3,440
3	आंतरिक कार्यक्रम	2	26	78
4	कस्टमाइज्ड कार्यक्रम	6	141	564
5	विशेष कार्यक्रम	2	54	166
6	सौभाग्य स्कीम के तहत साक्ष्य कार्यशाला एवं कार्यक्रम	48	1,219	1,219
7	व्यवहार संबंधी कौशल कार्यक्रम	27	659	1,977
	अन्य/आरईएनएसी	1	20	40
	कुल जोड़	**95**	**2,227**	**7,588**

xi) वर्ष की शेष अवधि अर्थात् 01.01.2020 से 31.03.2020 तक प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित लक्ष्य

2019–20 की शेष अवधि के दौरान आरईसीआईपीएमटी के निम्नलिखित कार्यक्रमों के आयोजित किए जाने की संभावना है:

क्रम सं.	कार्यक्रम का प्रकार	कार्यक्रमों की संख्या
1.	नियमित राष्ट्रीय कार्यक्रम	11
2.	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	2
3	आंतरिक कार्यक्रम	2
4	कस्टमाइज्ड कार्यक्रम	3
5	सौभाग्य स्कीम के तहत साक्ष्य कार्यक्रम	4
6	व्यवहार संबंधी कौशल कार्यक्रम	23
	कुल	**45**

12. आरईसी द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व की पहलों के अंतर्गत सतत् परियोजनाएं: चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान की गयी प्रगति:

आरईसी कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं धारणीयता नीति के अनुरूप, निदेशक मंडल, आरईसी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सीएसआर एवं संधारणीयता कार्यकलापों के लिए 156.68 करोड़ रुपए का बजटीय आबंटन अनुमोदित किया है। आरईसी कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं धारणीयता नीति के अनुपालन में आरईसी ने परियोजना मोड में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों के अंतर्गत संधारणीयता परियोजनाएं शुरू की हैं। सीएसआर पहलों की पहचान करते समय आरईसी ने सामुदायिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है।

12.1 वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान शुरू की गईं/चालू प्रमुख सीएसआर परियोजनाएं:

झुग्गियों में स्वच्छता, पेयजल की स्वच्छता, स्वच्छता, शौचालय, आईईसी अभियान आदि को भारत में विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के अंतर्गत सुनिश्चित करने के लिए एक झुग्गी बस्ती को गोद लेना।

- दिल्ली में 16 सरकारी स्कूलों में 500 एलपीएच आरओ के 16 वाटर प्यूरिफायर और 400 लीटर के 16 वाटर कूलरों की संस्थापना।
- गुरु नानक देव जी की वर्षगांठ के अवसर पर पंजाब में सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला जिले सहित विभिन्न प्रतीकात्मक स्थानों पर 5 वाटर एटीएम मशीनों की संस्थापना।
- स्कूल लाइब्रेरी का सुदृढ़ीकरण, विज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मेला आयोजित कर, गणित शिक्षकों की भर्ती, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, छात्रावास का नवीकरण, फर्नीचर उपलब्ध कराना, शिक्षकों का प्रशिक्षण और शिक्षकों एवं छात्रों का अनुभव दौरा, नर्सिंग प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, जनरेटरों की खरीद, सरकारी स्कूल भवनों में अवसंरचनात्मक विकास, सीसीटीवी कैमरा लगाना–इनटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी), क्लास रूम को स्मार्ट क्लास रूम में परिवर्तित करना, किचन सह डाइनिंग हॉल का निर्माण करना, आरओ जल आशोधन संयंत्र आदि के द्वारा पश्चिम सिक्किम (सिक्कम), किफिरे (नागालैण्ड), मोतिहारी (बिहार), चंदेल (मणिपुर), कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश), ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) में स्कूली शिक्षा में बदलाव लाना।
- विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों को उपकरण उपलब्ध कराकर अनुसूचित जाति/अ.जन.जा/अ.पि. वर्ग/ महिलाओं / अल्पसंख्यकों / आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/कम सुविधा प्राप्त वर्गों के 4,580 बेरोजगार युवकों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण।
- औरंगाबाद जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्र में रह रहे 5,000 किसानों को बीजों का वितरण।
- मुज्जफरपुर, बिहार के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 30,000 बच्चों को 200 मिली फोर्टिफाइड सुगंधित पाश्चुराज्ड दूध का वितरण/आपूर्ति।
- कैंसर में उपचार, अनुसंधान और शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र (एसीटीआरईसी), टाटा मेमोरियल सेंटर, खारगार, नवी मुम्बई में मल आशोधन संयंत्र का निर्माण।
- पंडित राम सुमेर शुक्ला स्मृति गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड की अवसरंचना का विकास और 150 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री–स्कूल में परिवर्तित करना और शिक्षा, हेल्थ केयर, पोर्टेबल के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित समाधान उपलब्ध कराना।
- जागरमुंडा, छत्तीसगढ़ में हाई स्कूल भवन का निर्माण (भूतल+1), जिला अस्पताल में रिजेंट के साथ हिमेटोलॉजी एनालाइजर–सीबीएस उपलब्ध कराना और जिला अस्पताल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सीएचसी में 18 विद्युत इनवर्टर उपलब्ध कराना और सीएचसी एवं जिला अस्पताल में 5 श्रेडर मशीन की खरीद करना और ओडिशा के 30 जिलों में लाल खून की कोशिका से संबंधित रोगों और थेलेसिमिया के नियंत्रण के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना।
- सस्ते सेनेटरी नेपकीन का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण तथा ग्रामीण लड़कियों/नवयुवतियों/महिलाओं में रजोधर्म संबंधी स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- कुष्ठ रोग से प्रभावित तथा अन्य निर्धन लोगों को चम्पा, छत्तीसगढ़, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश और वदाथोरासलूर, तमिलनाडु में कुष्ठ रोग मिशन अस्पतालों में ऑपरेशन थियेटर और मेटरनिटी ब्लॉक का निर्माण कर और उसमें उपकरण उपलब्ध कराकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- भोजपुर के पिछड़े जिलों में आरा, कोइलवर और बरहारा ब्लॉकों के गांवों में और सीतामणि जिला, बिहार के गांवों में ग्रामीण विकास कार्य।

12.2 वर्ष की शेष अवधि के दौरान अर्थात् 31.03.2020 तक प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित लक्ष्य:

आरईसी द्वारा इस वर्ष के अंत तक, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आबंटित सीएसआर व्यय करने की संभावना है।

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (नीपको) लिमिटेड

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (नीपको) लिमिटेड, अनुसूची ए–मिनी रत्न (श्रेणी– I) सीपीएसई है, जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹5000.00 करोड़ रुपए है तथा इसकी स्थापना 2 अप्रैल, 1976 को विद्युत मंत्रालय के तहत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम के रूप में हाइड्रो, थर्मल एवं सौर ऊर्जा स्टेशनों की योजना, उन्नयन, अन्वेषण, सर्वेक्षण, डिजाइन, निर्माण, उत्पादन, प्रचालन एवं रख–रखाव के लिए किया गया। वर्तमान में नीपको की कुल अधिष्ठापित क्षमता 1457 मेगावाट है, जिसमें से 925 मेगावाट हाइड्रो, 527 मेगावाट थर्मल और 5 मेगावाट सौर पीवी क्षेत्र का है।

उत्पादन निष्पादन (अप्रैल, 2019 से दिसम्बर, 2019) :

वित्तीय वर्ष 2019–20 के 8484 एमयू के लक्ष्य की तुलना में अप्रैल,19 से दिसम्बर,19 तक की अवधि के दौरान नीपको के पावर स्टेशनों से उत्पादन 5215 एमयू है जो समझौता ज्ञापन (बहुत अच्छा) के तहत है। दिसम्बर, 19 तक हाइड्रो संयंत्रों के लिए संयंत्र उपलब्धता फैक्टर (पीएएफ) 86.48% है और इसी अवधि के लिए थर्मल संयंत्रों के 72.31% है। (कोपिली पावर स्टेशन के पीएएफ को ध्यान में रखकर 07 अक्टूबर 2019 तक के औसतन भार पीएएफ की गणना की गई है)।

उत्पादन अनुमान (जनवरी 2020 से मार्च 2020):

जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक की अवधि के लिए नीपको के संयंत्र से अनुमानित उत्पादन निम्नानुसार हैं:

थर्मल संयंत्र से उत्पादन	:	717 एमयू
जल संयंत्र से उत्पादन	:	405 एमयू
सोलर संयंत्र से उत्पादन	:	1.6 एमयू

अनंतिम वित्तीय निष्पादन (अप्रैल 2019 से मार्च 2020):

- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में निष्पादन से राजस्व ₹2052.52 करोड़ है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 कुल आय ₹2112.13 करोड़ है
- वित्तीय वर्ष 2019–20 कर पूर्व लाभ (विनियामक आय के बाद) ₹459.85 करोड़ है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 शेयर पूंजी (भुगतान) ₹3609.81 करोड़ है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 सकल ऑपरेटिंग मार्जिन ₹668.30 करोड़ है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 नेट ब्लॉक ₹12260.39 करोड़ है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 बिक्री कारोबार/नेट ब्लॉक (%) 17.00% है।

नोट :

1. उपरोक्त आंकड़े नवंबर 2019 तक के वास्तविक व्यय/आय और दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक की अवधि के लिए अनुमानित आय तथा व्यय पर विचार कर तैयार किए गए हैं।
2. जनवरी 2020 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान 600 मेगावाट कामेंग एचईपी की कमीशनिंग को घ्यान में रखते हुए वित्तीय प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति को संशोधित किया गया है।

निर्माणाधीन परियोजनाओं की संक्षिप्त कार्य स्थिति :

(i) कामेंग जल विद्युत परियोजना (600 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश :

मार्च 2018 में परियोजना को चालू करने के लिए आवश्यक सभी प्रमुख कार्य फरवरी 2018 के अंतिम सप्ताह तक पूरे हो गए थे और प्रत्येक 150 मेगावाट के दो हाइड्रो जेनरेटिंग सेट (यूनिट–I और यूनिट–II) को क्रमशः 08.03.201 और 0.03.2018 को यांत्रिक परीक्षण रन पर रखा गया। हालांकि, 12 मार्च 2018 को पेनस्टॉक्स में रिसाव देखा गया। पेनस्टॉक्स का निरीक्षण कर सभी समस्याओं को चिन्हित/उजागर किया गया तथा पेनस्टॉक –1 में सुधार कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि पेनस्टॉक–II का सुधार कार्य प्रगति पर है।

सुधार कार्य के बाद, पेनस्टॉक– I को 13/11/2019 को चार्ज किया गया और इसके पश्चात आवश्यक तैयारी के बाद, भेल ने 18/11/2019 से 150 मेगावाट यूनिट–II को घुमाने का कार्य शुरू किया। प्री कमीशनिंग टेस्ट पूरा होने के बाद, प्रत्येक 150 मेगावाट की (कुल 300 मेगावाट) दो उत्पादक इकाइयों से जनवरी 2020 के अंत से बिजली उत्पादन शुरू होने की संभावना है।

दोनों ही पेनस्टॉकों में टूटे हुए पेनस्टॉक के उपकरणों को पुर्नस्थापन का कार्य पूरा कर लिया गया है। इकाइयों को घुमाने के दौरान इसे कमीशन किया जाएगा। जनवरी 2020 के भीतर इकाइयों–I और II के कमीशन किए जाने की संभावना है। यूनिट्–III और IV की कमीशनिंग जून/जुलाई 2020 तक पूरी होने की संभावना है।

भावी परियोजनाएं :

नीपको, मेघालय राज्य में कुछ आगामी जल–विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से अपनी क्षमता परिवर्धन करने और कुछ अन्य जल–विद्युत परियोजनाओं को संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित करने की योजना बनाई है। ये परियोजनाएं निम्नवत है :

1. **वाह उमियम स्टेज–III जल–विद्युत परियोजना (85 मेगावाट), मेघालयः**

   परियोजना के निवेश–पूर्व गतिविधियों के लिए 67.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति 05.06.2017 को विद्युत मंत्रालय से प्राप्त हो गई है। जुलाई 2017 में सीईए के पास परियोजना का डीपीआर प्रस्तुत किया गया। तकनीकी–आर्थिक मंजूरी हेतु सीईए/सीडब्ल्यूसी में इसकी जांच की जा रही है, जो शीघ्र ही अपेक्षित है। पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी), निर्माण के लिए बिजली की व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण, परियोजना के लिए संपर्क मार्ग और बिजली की खरीद के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से आश्वासन पत्र प्राप्त करने जैसी अन्य गतिविधियां प्रक्रियाधीन हैं। नीपको की ओर से वन भूमि के लिए प्रतिपूरक वनीकरण का अनुरोध राज्य सरकार के पास लंबित है। राज्य सरकार द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण पर स्थानीय लोगों द्वारा कुछ विरोध किया गया है।

2. **वाह उमियम स्टेज–I जल–विद्युत परियोजना (50 मेगावाट) तथा वाह उमियम स्टेज–II जल–विद्युत परियोजना (100 मेगावाट), मेघालय :**

   यह परियोजनाएं उपरोक्त में उल्लेखित वाह उमियम स्टेज–III जल–विद्युत परियोजना के अपस्ट्रीम पर स्थित हैं। मेघालय सरकार ने नीपको को इन परियोजनाओं का आवंटन 12.03.2019 को किया। एमओएएस को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार कर लिया गया है। अग्रिम प्रीमियम के मुद्दे पर मेघालय सरकार का निर्णय प्रतीक्षित है।

3. **अन्य परियोजनाएं (संयुक्त उद्यम) :**

   इसके अतिरिक्त, नीपको ने संयुक्त उद्यम के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश राज्य में कुछ जल–विद्युत परियोजनाओं के स्थापना की संभावनाओं का अध्ययन कर रहा है। परियोजनाएं जैसे 330 मेगावाट कुरूंग जल–विद्युत परियोजना, 120

मेगावाट डिब्बिन जल–विद्युत परियोजना और 3750 मेगावाट सियांग अपर स्टेज–II जल–विद्युत परियोजना को अंतिम रूप देने का कार्य अपने विभिन्न चरणों में हैं, यद्यपि 3750 मेगावाट सियांग अपर स्टेज–II जल–विद्युत परियोजना के संबंध में, विद्युत मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांकित नवंबर 18 के माध्यम से सूचित किया कि सियांग अपर स्टेज–I जल–विद्युत परियोजना के साथ इसे एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित करने से संबंधित लंबित निर्णय के कारण इस परियोजना के निर्माण कार्य को स्थगित रखा जाए।

वाणिज्यिक प्रदर्शन (2019–20):

2019–20 (दिसंबर 2019 तक) के दौरान बिजली की बिक्री से कुल रूपये 1617.64 करोड़ का बिलिंग हुआ है। हालांकि, केवल 1547.35 करोड़ रुपये (दी गई छूट सहित रुपये 11.28 करोड़) दिसंबर 2019 तक लाभार्थियों को प्राप्त हुए हैं।

इसके अलावा, दिसंबर 2019 तक कुल बकाया राशि (देर से भुगतान अधिभार रुपये 291.00 करोड़ सहित) रुपये 834.20 करोड़ है जिसमें मेघालय के पास रुपये 630.61 करोड़ शामिल हैं।

माननीय राज्य मंत्री (प्रभारी), विद्युत द्वारा 30.11.2019 को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के जल–विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा बैठक

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पोसोको)

पोसोको का सिंहावलोकन

''पावर सिस्टम ऑपरेशन'' बिजली की आपूर्ति मूल्य श्रृंखला में उत्पादन स्टेशनों से विद्युत के सुचारु रूप से निष्कर्षण (इवेक्युएशन) और अंतिम उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय महत्व का एक मिशन आधार पर किया जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य है। सिस्टम ऑपरेटर एक सुरक्षित और विश्वसनीय ढ़ंग से वास्तविक समय आधार पर परस्पर संबद्ध विद्युत प्रणाली में विद्युत का संतुलन सुनिश्चित करते हैं। पावर सिस्टम ऑपरेशन में विद्युत प्रणाली की समग्र विश्वसनीयता, सुरक्षा, इकॉनमी और दक्षता का ख्याल रखना शामिल होता है।

पोसोको के पास विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विश्व में सबसे बड़े और सबसे जटिल अखिल भारतीय समकालिक ग्रिड के प्रचालन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। विश्व में विद्युत के उत्पादन, बिजली की खपत, स्थापित उत्पादन क्षमता और पारेषण प्रणाली के आकार के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। भारत के विद्युत क्षेत्र में अभी हाल ही के वर्षों में प्रगतिशील नीति – स्तर के सुधारों और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के साथ एक युगांतकारी परिवर्तन का दौर देखा गया है। पोसोको अपने राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) और पाँचों क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों (आरएलडीसी) के माध्यम से पूरे भारत की बिजली कंपनियों के लिए बिजली के अंतर – राज्यीय पारेषण को सुगम बनाता है, जो कि अंततः 1.3 बिलियन से अधिक लोगों तक पहुँचती है। पोसोको केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के विनियमों के अनुरूप हर 15 मिनट में मांग और उत्पादन को संतुलित करने के लिए हर दिन हजारों संस्थाओं के साथ समन्वय के माध्यम से भारत के थोक बिजली बाजार का भी प्रबंधन करता है।

पोसोको के कार्य विद्युत प्रणालियों के एकीकरण, विद्युत ऊर्जा की मांग में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में वृद्धि और विद्युत प्रणाली के प्रौद्योगिकी, विनियमों, बाजार रचना, प्रशासन और प्रबंधन में हो रहे परिवर्तनों के साथ विकसित हो रहे हैं। पोसोको एक ज्ञान आधारित संगठन है एवं समय–समय पर भारत सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य विभिन्न कार्यों का भी पालन कर रहा है। पोसोको विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों को सुगम बनाता है और उसे सक्षमता प्रदान कर रहा है। विद्युत प्रणालियों और विद्युत बाजार प्रचालन से संबंधित रचना और परिचालन पहलुओं पर केंद्रीय आयोग, प्राधिकरण और केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी को नियमित रूप से फीडबैक दिया जाता है।

पोसोको विश्वसनीयता, सुरक्षा और इकॉनमी के साथ विद्युत क्षेत्रों के भीतर और परस्पर एक दूसरे क्षेत्रों में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण और बिजली के अंतराष्ट्रीय विनिमय (ट्रांस–नेशनल एक्सचेंज) को सुगम बनाने के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विद्युत प्रणालियों का एकीकृत प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह स्वतंत्र प्रणाली प्रचालन सुनिश्चित करता है और सभी हितधारकों को एक समान अवसर प्रदान करता है।

प्रचालनात्मक मुख्य आकर्षण

उच्च वोल्टेज, दीर्घ विस्तार और नई प्रौद्योगिकियों के मामले में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के विस्तार की जबरदस्त गति से भारतीय पावर ग्रिड सुदृढ़ हुई है, जो कि भारत सरकार के ''सभी के लिए बिजली'' के विजन को प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2019–20 (दिसंबर तक) की प्रचालनात्मक विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

उपलब्धियां

आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) रूपरेखा – वर्ष 2019–20 (दिसंबर तक) के दौरान आवृत्ति 72.67% समय के लिए 49.90–50.05 हर्ट्ज के भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) बैंड के भीतर बनी रही। आवृत्ति 6 सितम्बर 2019 को सर्वाधिक

	2019-20 (दिसम्बर तक)	2018-19 (दिसम्बर तक)	% उतार–चढ़ाव	अब तक का अधिकतम
पूरी की गई अखिल भारतीय ऊर्जा मांग (बीयू)	987	980	0.7	4145 एमयू – 30 मई 2019 को
पूरी की गई अखिल भारतीय सर्वोच्च मांग (गीगावाट)	183	176	4.0	183 गीगावाट – 30 मई 2019 को
अखिल भारतीय जल विद्युत उत्पादन (बीयू)	137	117	17.0	816 एमयू – 8 सितम्बर 2019 को
अखिल भारतीय ताप विद्युत उत्पादन (कोयला और लिग्नाइट) (बीयू)	707	733	-3.5	3156 एमयू – 30 मई 2019 को
अखिल भारतीय पवन ऊर्जा उत्पादन (बीयू)	50	50	0.23	467 एमयू – 12 जून 2018 को
अखिल भारतीय सौर ऊर्जा उत्पादन (बीयू)	31	25	25.41	147 एमयू – 6 मई 2019 को
अंतर–क्षेत्रीय विनिमय के माध्यम से सुकर की गई ऊर्जा (बीयू)	149	137	8.9	–
अंतर–राष्ट्रीय विद्युत विनिमय (निर्यात) (एमयू)	7425	5976	24.2	–
अंतर–राष्ट्रीय विद्युत विनिमय (आयात) (एमयू)	6042	4559	32.5	–
अल्पकालिक मुक्त अभिगम के माध्यम से अनुमोदित ऊर्जा (बीयू)	92	96	-3.6	–

84.71% समय के लिए आईईजीसी बैंड के भीतर बनी रही। ज्यादातर दिनों को औसत आवृत्ति 50 हर्ट्ज की राष्ट्रीय संदर्भ आवृत्ति के आस–पास थी।

आवृत्ति प्रतिक्रिया का परीक्षण – आईईजीसी आरएलडीसी या एसएलडीसी द्वारा चयनित स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से दो साल में एक बार नियमित अंतराल पर उत्पादन यूनिटों की प्राथमिक आवृत्ति प्रतिक्रिया की नियमित अंतराल पर जांच को अनिवार्य बनाता है। पोसोको ने उत्पादन यूनिटों की प्राथमिक प्रतिक्रिया को सत्यापित करने के लिए परीक्षण करने हेतु कार्य पद्धति और संदर्भ की शर्तें तैयार की हैं। पोसोको ने 1 अक्टूबर 2018 को वैश्विक आधार पर इच्छुक एजेंसियों को अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी की है। चुनी गई एजेंसियों को 27 अगस्त 2019 को प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया गया। 18 सितंबर 2019 को प्री–बिड सम्मेलन आयोजित किया गया था। बिडस के मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है। जनवरी 2020 के अंत तक एलओए जारी किए जाने की संभावना है।

ऑटोमैटिक जनरेशन कंट्रोल (एजीसी) प्रायोगिक परियोजना – जनवरी 2018 से एनटीपीसी दादरी चरण–II में पायलट प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल होने के अलावा, एनटीपीसी सिम्हाद्री और एनटीपीसी मौडा क्रमशः 16 नवंबर, 2018 और 30 जनवरी, 2019 को ऑपरेशनल हुए। दो और पायलट प्रोजेक्ट्स एनटीपीसी बाढ 2x660 मेगावाट और एनटीपीसी बोंगाईगाँव 2x250 मेगावाट भी क्रमशः 23 अगस्त 2019 और 19 नवंबर 2019 को ऑपरेशनल किए गए। 1 अप्रैल 2020 तक अखिल भारतीय एजीसी के कार्यान्वयन के लिए पोसोको सक्रिय कदम उठा रहा है और कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए बिजली संयंत्रों, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता (सीटीयू) और आरपीसी सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ सहयोग कर रहा है। पूर्ण पैमाने पर एजीसी पैन–इंडिया, भारतीय बिजली प्रणाली में दक्षता और ग्रिड सुरक्षा को सक्षम करेगा, जिससे यह 2022 तक लक्षित नवीकरण के 175 गीगावॉट को संभालने के लिए तैयार हो जाएगा।

त्वरित प्रतिक्रिया सहायक सेवाएं (एफ आर ए एस) – सीईआरसी ने अपने दिनांक 16 जुलाई, 2018 के आदेश के माध्यम से पोसोको को सभी केंद्रीय क्षेत्र के पनबिजली उत्पादन स्टेशनों की एफआरएएस के लिए प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वति करने हेतु निर्देशित दिया। एफआरएएस को कम अवधि के लिए प्रति घंटा सीमा पर आवृत्ति स्पाइक्स को संभालने के लिए एक 'त्वरित' तृतीयक आवृत्ति नियंत्रक के रूप में कार्यान्वति किया जाता है। पोसोको द्वारा एफआरएएस को 26 नवम्बर, 2018 को कार्यान्वति किया गया। 8,604 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ उत्तरी, पूर्वी और उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों के कुल 20 पनबिजली स्टेशन इस एफआरएएस में भाग ले रहे हैं। दैनिक आधार पर लगभग 3 से 4 निर्देश जारी किए जा रहे हैं। थे। यह पायलट परियोजना 26 मई 2019 को समाप्त हुई। पायलट परियोजना में प्राप्त अनुभव के आधार पर कार्यान्वयन पहलुओं, चुनौतियों और सुझाए गए मार्ग को आगे बढ़ाने वाली एक रिपोर्ट 30 जुलाई 2019 को सीईआरसी को सौंपी गई।

सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रेन्ड इकॉनोमिक डिस्पैच (एससीईडी) – पोसोको द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन स्टेशनों की सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रेन्ड इकोनॉमिक डिस्पैच पर एक परामर्श पत्र तैयार किया गया, जो मुख्य रूप से भारत में आईएसजीएस अनुसूचियों के अनुकूलन (ऑप्टिमाइजेशन) के लिए उसके दायरे को बढ़ाने पर केंद्रित था। अनुकूलन अभ्यास का उद्देश्य बिजली प्लांटों और ग्रिड की तकनीकी बाधाओं का सम्मान करते हुए बिजली प्लांटों की कुल उत्पादन लागत को न्यूनतम करना है। सीईआरसी ने अपने दिनांक 31 जनवरी, 2019 के आदेश के माध्यम से पोसोको को छह महीने के लिए प्रायोगिक परियोजना आधार पर सभी थर्मल आईएसजीएस के लिए एससीईडी कार्यान्वित करने के लिए निर्देश दिया। तद्नुसार एससीईडी के कार्यान्वयन और अनुसूचीयन के साथ इसके एकीकरण के लिए अपेक्षित ढांचा और अवसंरचना स्थापित की गई है तथा 1 अप्रैल, 2019 को प्रायोगिक परियाजना को संचालित कर दिया गया है। 58 जीडब्ल्यू क्षमता वाले 52 थर्मल आईएसजीएस एससीईडी का हिस्सा हैं जो हर 15 मिनट में चल रहे है। पायलट परियोजना को 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाया गया है।

रियल टाइम मार्केट – खरीदारों और विक्रेताओं को रीयल टाइम में ऊर्जा व्यापार के लिए एक संगठित मंच प्रदान करने के लिए, सीईआरसी ने रीयल–टाइम मार्केट का नियामक ढांचा तैयार किया गया है। यह 01 अप्रैल, 2020 को लागू किया जाएगा।

सुधार प्रक्रिया में भागीदारी

पोसोको ने विभिन्न नीतिगत और विधायी प्रक्रियाओं में विद्युत मंत्रालय को सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान किया। नियामक स्तर पर भी, राष्ट्रीय ओपन एक्सेस रजिस्ट्री, गेट क्लोजर, रियल टाइम मार्केट्स, पांच–मिनट की शेड्यूलिंग और समाधान, सिक्योरिटी कांस्ट्रेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच, आदि की शुरुआत पर जुड़ा रहा है।

ज्ञान और सूचना का प्रसार

भारतीय विद्युत प्रणाली और बिजली बाजार के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने के लिए हाल के दिनों में कई अध्ययन और सिमुलेशन किए गए हैं, विशेष रूप से, नवीकरणीय एकीकरण के लिए। 2019 में, डेटा विश्लेषण और मार्ग को आगे बढ़ाने, भारत में कोयला जनित विद्युत उत्पादन की रैंपिंग क्षमता का विश्लेषण और सूर्य ग्रहण –26 दिसंबर 2019 संभावित प्रभाव और तैयारियों आदि पर विभिन्न अध्ययन किए गए हैं।

ग्रिड का लचीलापन

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जिसके परिणामस्वरूप कई भागों में मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और / अथवा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के साथ – साथ उच्च प्रभाव एवम कम संभावना वाली घटनाओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रणाली को और अधिक लचीला एवं मजबूत बनाने की आवश्यकता है। पोसोको–एनएलडीसी ने विद्युत क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में मई 2019 में पूर्वी तट पर 'चक्रवात फनी' और पश्चिमी तट पर जून, 2019 में 'चक्रवात वायू' और नवंबर, 2019 में 'महा चक्रवात' आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित बहाली के लिए निवारक उपायों के लिए समन्वय स्थापित किया।

संस्थागत निर्माण और सुदृढ़ीकरण

मानव पूंजी प्रबंधन और स्थायी संस्थानों का निर्माण पोसोको के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। सिस्टम ऑपरेटरों के डोमेन ज्ञान और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और अधिप्रमाणन सुनिश्चित किया जा रहा है। पोसोको विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में राज्य भार प्रेषण केंद्रों के साथ सहयोग कर रहा है, जिसके फलस्वरूप यह ज्ञान साझाकरण और क्षेत्र के समग्र विकास में अग्रणी कार्य कर रहा है। पोसोको हमारे बिजली संसाधनों, अनुभव और तकनीकी अनुसंधान को देखते हुए भारतीय विद्युत क्षेत्र में अधिक से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा पैठ में हो रहे परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

हर साल पोसोको, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में सीएसआर गतिविधियों करती है। कंपनी के पिछले तीन वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत के 2% के बराबर राशि सीएसआर गतिविधियों के लिये आवंटित होती है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, सीएसआर गतिविधियों को लेने के लिए 124.84 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर के तहत निम्नलिखित गतिविधियां चल रही हैं:

- नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वाटर एटीएम की स्थापना के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना
- स्वच्छ भारत अभियान / स्वच्छता पखवाड़ा / स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ / स्वच्छ भारत कोष में योगदान
- मेघालय में री–भोई जिले में विकलांग व्यक्तियों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए शिविरों का आयोजन।
- कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण
- शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में पावर सिस्टम से संबंधित अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना।

अध्याय 27

एसजेवीएन लिमिटेड

1.0 एसजेवीएन – एक परिचय

भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में 24 मई, 1988 को स्थापित हुआ एसजेवीएन लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक मिनीरत्न, श्रेणी–I एवं अनुसूची–'ए' केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जिसकी स्थापना अभियोजन, अन्वेषण, अनुसंधान, डिजाईन तथा प्रारंभिक संभाव्यता एवं निर्दिष्ट परियोजना रिपोर्टें तैयार करने, विद्युत स्टेशनों एवं परियोजनाओं के निर्माण, विद्युत उत्पादन, विस्तृत प्रचालन, अनुरक्षण, पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण, भारत एवं विदेश में उत्पादित बिजली की बिक्री सहित भारत और विदेश में बिजली के सभी रूपों, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय दोनों तथा इनसे संबंधित सभी सहायक गतिविधियों की अभियोजना, संवर्धन और विकास करने के लिए हुई है।

भारत सरकार ने मई, 2010 में इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) के जरिए जनता तथा वित्तीय संस्थानों को अपने 10.03% शेयर ऑफर किए हैं। वित्त मंत्रालय ने सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडिड फंड (ईटीएफ) को पुर्नरूपायित किया है और एसजेवीएन को भी भारत–22 के समूह में शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार, हि.प्र. सरकार तथा पब्लिक की इक्विटी शेयर धारिता क्रमशः 61. 05%, 26.85% तथा 12.10% है। एसजेवीएन की वर्तमान प्राधिकृत शेयर पूंजी 7000 करोड़ रूपए है।

एकल परियोजना तथा एकल राज्य प्रचालन (हि.प्र. में भारत का सबसे बड़ा 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन) से शुरूआत करके एसजेवीएन वर्तमान में भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड के अलावा पड़ोसी देशों जैसे नेपाल और भूटान में जल विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। एनजेएचपीएस की सभी ईकाईयां 18 मई, 2004 से वाणिज्यिक प्रचालन में हैं। इसके बाद 412 मेगावाट की रामपुर जलविद्युत परियोजना का वाणिज्यिक प्रचालन 16 दिसम्बर, 2014 को शुरू किया गया। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 31 दिसम्बर, 2019 तक एनजेएचपीएस तथा आरएचईपी में क्रमशः 6809.539 मिलियन यूनिट (सकल उत्पादन) तथा 1913.497 मिलियन यूनिट (सकल उत्पादन) का विद्युत उत्पादन किया गया है। एसजेवीएन ने 20 मई, 2014 को महाराष्ट्र में 47.6 मेगावाट की खिरवीरे पवन विद्युत परियोजना, 31 मार्च, 2017 को गुजरात में 5.6 मेगावाट की चरंका सौर विद्युत परियोजना तथा वर्ष 2019–20 के दौरान 50 मेगावाट की सादला पवन विद्युत परियोजना को भी कमीशन किया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 31 दिसम्बर, 2019 तक खिरवीरे पवन विद्युत संयंत्र, सादला पवन विद्युत संयंत्र तथा चरंका सौर विद्युत परियोजना ने क्रमशः 49.53 मिलियन यूनिट (सकल उत्पादन), 64.84 मिलियन यूनिट (सकल उत्पादन) तथा 4.34 मिलियन यूनिट (सकल उत्पादन) का विद्युत उत्पादन किया है।

एसजेवीएन का कुल पोर्टफोलियो 7489 मेगावाट है जिसमें से 2015 मेगावाट प्रचालनाधीन, 2880 मेगावाट निर्माणाधीन, 482 मेगावाट पूर्व निर्माणाधीन और निवेश अनुमोदनाधीन तथा 2112 मेगावाट सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के चरण में है।

एसजेवीएन ने भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार को वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 844.91 करोड़ रुपए का लाभांश अदा किया है। जिसमें से भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा आम जनता को कुल अदा किया गया लाभांश क्रमशः 524.29 करोड़ रुपए, 226.83 करोड़ रुपए एवं 93.79 करोड़ रुपए है। पिछले पांच वर्षों के दौरान अदा किए गए लाभांश का वर्षवार विवरण निम्नवत है:

(रुपए करोड़ में)

वर्षवार लाभांश की घोषणा

क्र.सं.	वर्ष	भारत सरकार	हि.प्र. सरकार	पब्लिक	योग
1	2014-15	279.99	110.78	43.58	434.35
2	2015-16	293.33	116.05	45.65	455.03
3	2016-17	733.32	290.13	114.12	1137.57
4	2017-18	554.89	221.55	88.12	864.56
5	2018-19	524.29	226.83	93.79	844.91

2.0 वर्ष 2019–20 के दौरान प्रगति

वर्ष 2019–20 के दौरान 31.12.2019 तक की बिजली उत्पादन संबंधी प्रगति निम्नवत् है:

विवरण	वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 31 दिसंबर, 2019 तक वास्तविक उपलब्धि	जनवरी 2020–मार्च 2020 की अवधि के दौरान सकल उत्पादन संबंधी संभावित अनुमान	मार्च 2020 के अंत तक कुल प्रक्षेपित/अनुमानित सकल ऊर्जा उत्पादन	वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एमओयू के अनुसार लक्ष्य
मिलियन यूनिटस में कुल विद्युत उत्पादन (जलविद्युत)	8723.036	667.67	9390.706	8905.50
पवन ऊर्जा (मिलियन यूनिटस)	114.37	25.63	140	186.60
सौर ऊर्जा (मिलियन यूनिटस)	4.34	2.16	6.5	7.9
योग	**8841.746**	**695.46**	**9537.206**	**9100**

3.0 उपलब्धियां और पुरस्कार

भारत सरकार ने बिहार में बक्सर ताप विद्युत परियोजना (1320 मेगावाट) का निवेश अनुमोदन दिनांक 08.03.2019 को प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परियोजना का शिलान्यास दिनांक 09.03.2019 को किया।

भारत सरकार ने नेपाल में अरूण–3 जलविद्युत परियोजना (ट्रांसमिशन कंपोनेंट) का निवेश अनुमोदन 28.02.2019 को प्रदान किया।

एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री नन्द लाल शर्मा को वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस के दौरान ईटी नाऊ द्वारा प्रतिष्ठित सीईओ विद एचआर ओरिएंटेशन अवार्ड से दिनांक 16.02.2019 को सम्मानित किया गया।

एसजेवीएन को वर्ल्ड सीएसआर दिवस के दौरान अपनी सीएसआर पहलों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 18.02.2019 को ईटी नाऊ सीएसआर लीडरशिप अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया ।

एसजेवीएन फांऊडेशन को निर्माण उद्योग विकास परिषद्, दिल्ली द्वारा 03.03.2019 को 11वां सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड 2019 के दौरान सामाजिक विकास एवं प्रभाव के लिए अचीवमेंट अवार्ड 2019 तथा पार्टनर इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया ।

एसजेवीएन को ग्रीनटेक फांऊडेशन ,दिल्ली द्वारा 26.02.2019 को इसकी सीएसआर पहलों के लिए 6वें वार्षिक ग्रीनटेक अवार्ड से सम्मानित किया गया।

एसजेवीएन को 07.12.2019 को इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईपीपीएआई) द्वारा सर्वश्रेष्ठ हाइड्रो पावर प्लांट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

4.0 एसजेवीएन का वित्तीय पैरामीटर

एसजेवीएन का पिछले 5 वर्षों का वित्तीय निष्पादन निम्नवत् है:

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 (भारतीय एएस के अनुसार)	2014-15
क	**आय विवरण**					
I	बिक्री	2655.77	2229.97	2679.31	2493.96	2817.53
II	अन्य आय	253.22	357.10	440.59	409.86	438.39
III	कुल आय	2908.99	2587.07	3119.90	2903.82	3255.92
IV	कर पूर्व लाभ	1792.54	1648.37	1873.93	1704.21	2047.25
V	कर पश्चात लाभ	1364.29	1224.88	1544.14	1407.34	1676.75
VI	घोषित लाभांश	844.91	864.56	1137.57	455.03	434.35
VII	लाभांश कर	173.68	176.16	231.59	92.63	89.71
VIII	अन्य (इक्विटी) आरक्षित एवं अधिशेष	7308.98	6764.91	7347.20	7161.24	6066.41

5.0 क्षमतागत वृद्धि हेतु भविष्य की योजना

एसजेवीएन ने वर्ष 2023 तक 5000 मेगावाट, 2030 तक 12000 मेगावाट तथा 2040 तक 25000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के विजन के साथ विद्युत उत्पादन में एक प्रमुख योगदानकर्त्ता के रूप में उभरने के लिए एक व्यापक क्षमतागत वृद्धि योजना तैयार की है। आगामी पांच वर्षों में (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2024–25 तक), एसजेवीएन की भावी क्षमतागत वृद्धि योजना निम्नवत् है :

- 900 मेगावाट की अरूण–3 जलविद्युत परियोजना, 60 मेगावाट की नैटवाड़ मोरी जलविद्युत परियोजना, 1320 मेगावाट का बक्सर ताप विद्युत संयंत्र, 600 मेगावाट की खोलोंग्चू जलविद्युत परियोजना नामक परियोजनाओं से युक्त 2880 मेगावाट की क्षमतागत वृद्धि तथा नेपाल में 900 मेगावाट की अरूण–3 परियोजना से ढालकेबार (नेपाल में) तक विद्युत निकासी के लिए 217 सीकेएम, 400 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन की कमीशनिंग।
- इसके अतिरिक्त, कुल 2594 मेगावाट की अन्य 10 जलविद्युत परियोजनाएं सर्वेक्षण एवं अन्वेषण तथा निर्माण पूर्व के विभिन्न चरणों में है जिनका आगामी पांच वर्षों में निर्माण स्तर पर आने की संभावना है। इनमें से दो जलविद्युत परियोजनाएं नामतः 210 मेगावाट की लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण–I तथा 66 मेगावाट की धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना के वित्तीय वर्ष 2020–21 में निर्माण स्तर पर आने की संभावना है ।
- भारत सरकार द्वारा सौर एवं ऊर्जा जैसे अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर जोर दिए जाने के अनुरूप एसजेवीएन भी इन नवीकरणीय परियोजनाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगा। इस संबंध में भारत सरकार ने एसजेवीएन को भी हिमाचल प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्कों के विकास के लिए नियुक्त किया है।
- उपरोक्त के अलावा, एसजेवीएन स्टॉल्ड/स्ट्रैस्ड विद्युत परियोजनाओं को लेने एवं निष्पादित करने की ओर भी ध्यान केन्द्रित कर रहा है ।

6.0 वर्तमान परियोजनागत पोर्टफोलियो

एसजेवीएन ने भारत के राज्यों एवं विदेशों में निम्नवत् परियोजनाओं को निष्पादन तथा उसके बाद उसके प्रचालन एवं रखरखाव के लिए लिया है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थान (राज्य/देश)	क्षमता
क	**प्रचालनाधीन**		
1	नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन	हिमाचल प्रदेश (हि.प्र.)	1500 मे.वा.
2	रामपुर जलविद्युत स्टेशन	हि.प्र.	412 मे.वा.
3	खिरवीरे पवन विद्युत परियोजना	महाराष्ट्र	47.6 मे.वा.
4	चारंका सौर विद्युत परियोजना	गुजरात	5.6 मे.वा.
5	400 केवी, डी/सी क्रॉस बार्डर ट्रांसमिशन लाईन (जेवीके माध्यम से क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी)	भारतीय भाग (मुजफरपुर से सुरसंद)	86 सीकेएम
6	सादला पवन विद्युत परियोजना	गुजरात	50 मे.वा.
	उप–योग		**2015 मे.वा.**
ख	**निर्माणाधीन**		
1	पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी एसएपीडीसी के माध्यम से अरुण– 3 जलविद्युत परियोजना	नेपाल	900 मे.वा.
2	नैटवाड़ मोरी जलविद्युत परियोजना	उत्तराखंड	60 मे.वा.
3	पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी एसटीपीएल के माध्यम से बक्सर ताप विद्युत परियोजना	बिहार	1320 मे.वा.
4	ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन (डीजीपीसी) भूटान के साथ जेवी के माध्यम से खोलोंग्चू जलविद्युत परियोजना	भूटान	600 मे.वा.
5	400 केवी, डी/सी अरूण–3 ट्रांसमिशन लाईन (टीएल)	नेपाल	217 सीकेएम
	उप–योग		**2880 मे.वा.**
ग	**निर्माण पूर्व और निवेश अनुमोदनाधीन**		
1	धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना	हि.प्र.	66 मे.वा.
2	लूहरी चरण–II जलविद्युत परियोजना	हि.प्र.	210 मे.वा.
3	देवसारी जलविद्युत परियोजना	उत्तराखण्ड	162 मे.वा.
4	जाखोल सांकरी जलविद्युत परियोजना	उत्तराखण्ड	44 मे.वा.
	उप–योग		**482 मे.वा.**
घ	**सर्वेक्षण एवं अन्वेषणाधीन**		
1	सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना	हि.प्र.	382 मे.वा.
2	लूहरी चरण–II जलविद्युत परियोजना	हि.प्र.	172 मे.वा.
3	जंगी थोपन पोवारी जलविद्युत परियोजना	हि.प्र.	780 मे.वा.
4	बरदंग जलविद्युत परियोजना	हि.प्र.	138 मे.वा.
5	पुर्थी जलविद्युत परियोजना	हि.प्र.	210 मे.वा.
6	रिओली दुगली जलविद्युत परियोजना	हि.प्र.	430 मे.वा.
	उप–योग		**2112 मे.वा.**
	कुल योग (क+ख+ग+घ)		**7489 मे.वा.**

7.0 औद्योगिक संबंध

विभिन्न एसोसिएशनों/कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रुप से बैठकें आयोजित की गई। चर्चा के प्रमुख मुद्दे उत्पादन एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने तथा संगठनात्मक माहौल में सुधार संबंधी विषयों के साथ–साथ निगम की नीतियों से संबंधित होते हैं। प्रबंधन वर्ग द्वारा उठाए गए इन कदमों के परिणामस्वरुप साल के दौरान कर्मचारी–नियोक्ता संबंध और औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और बेहतर बने रहे। कर्मचारियों के अन्तर्वैयक्तिक संबधों में सुधार हेतु तथा कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की प्रतिभा को उभारने के मद्देनजर विभिन्न अवसरों पर मनोरंजक, सांस्कृतिक एवं खेल–कूद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

8.0 पर्यावरण

एसजेवीएन पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के अपने दायित्व के प्रति जागरूक है। एसजेवीएन परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान और उनके शमन के संबंध में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) की सभी नीतियों और दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन करता है । सततशील विकास को प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी), डैम ब्रेक विश्लेषण, रेज़वायर इंड्यूस्ड सेसमिसिटी (आरआईएस) जैसे अध्ययनों, जो व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का एक हिस्सा है, को अत्यधिक प्रतिष्ठित संगठनों/परामर्शकों के माध्यम से कराया जाता है। सभी पर्यावरणीय पहलुओं को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना की रिर्पोटों में उपयुक्त रूप से लिया जाता है। परियोजना के निर्माण एवं प्रचालन चरणों के दौरान पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर किसी प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाया जाता है ।

एसजेवीएन के पास हि.प्र. राज्य में नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन तथा रामपुर जलविद्युत स्टेशन नामक दो जलविद्युत स्टेशन है। परियोजनाओं के लिए जलग्रहण क्षेत्र उपचार, अनुपूरक वनीकरण,अपशिष्ट निपटान स्थलों का पुनरूद्धार, खदान स्थलों तथा निर्माण क्षेत्रों, हरित क्षेत्र विकास, जैव–विविधता प्रबंधन, मत्स्य पालन प्रबंधन आदि जैसे उपायों को सफलतापूर्वक किया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य में निर्माणाधीन नैटवाड़ मोरी जलविद्युत परियोजना के मामले में निम्नवत् उपाय किए जा रहे हैः–

- जलग्रहण क्षेत्र उपचार (कैट) योजना के कार्यान्वयन के लिए सीएएमपीए फंड के तहत 12.96 करोड़ रूपए जमा किए गए हैं । कैट योजना को राज्य वन विभाग के साथ परामर्श से अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है ।
- एसजेवीएन ने जलीय जीवन की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल इनलैंड फिशरिज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीआईएफआरआई), बैरकपुर को शामिल किया है ।
- राज्य वन विभाग द्वारा जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबंधन योजना तैयार की गई है जिसके तहत वन विभाग द्वारा इसके आगामी कार्यान्वयन के लिए 43 लाख रूपए की राशि प्रेषित की है ।
- प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, भेल हरिद्वार द्वारा परियोजना क्षेत्र के शोर स्तर , परिवेशी वायु गुणवत्ता तथा जल गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। निगरानी का डाटा दर्शाता है कि रिपोर्ट के आंकड़े नियामक निकायों द्वारा परिभाषित स्वीकृत सीमाओं से कम है। इसके अलावा, सभी उच्च शोर उत्पन्न करने वाले उपकरण निर्माताओं के विनिर्देश के अनुरूप मफलरों के साथ उपलब्ध कराए गए हैं ।
- विभिन्न पर्यावरण प्रबंधन उपायों के कार्यान्वयन पर 32.48 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रावधान की तुलना में अभी तक 23.23 करोड़ रूपए व्यय किए गए हैं ।

उपरोक्त के अलावा, एसजेवीएन ने सततशील पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए हैं:

- झाकड़ी, जिला शिमला में रद्दी कागज से पेंसिल बनाने के संयंत्र की स्थापना।
- एनजेएचपीएस झाकड़ी, जिला शिमला के सर्ज शॉट में 310 कि.वाट (डीसी) के ग्रिड कनेक्टिड सौर ऊर्जा संयंत्र को कमीशन किया गया है ।
- उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के माध्यम से 49 लाख रूपए की लागत से देहरादून में जैव विविधता पार्क का विकास ।
- हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान (एचएफआरआई) शिमला को पश्चिमी हिमालयन शीतोष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र में लुप्तप्राय वनस्पतियों के संरक्षण हेतु ढांचागत कार्यों के लिए 9 लाख रूपए की निधि प्रदान की गई है ।
- एसजेवीएन शिमला जिले के वधाल में 01 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टिड सौर ऊर्जा संयंत्र लगा रहा है। इसके लिए संकार्य अवार्ड किया गया है तथा कार्य प्रगति पर है।
- एसजेवीएन प्रत्येक वर्ष अपनी परियोजनाओं और कार्यालयों में बहुत जोश और उत्साह के साथ 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। इस वर्ष , विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए गए। पर्यावरणीय मुद्दों के बार में जागरूकता और संवेदनशीलता फैलाने के लिए परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों के प्रमुखों द्वारा पर्यावरणीय पहलुओं पर वार्तालाप भी की गई । उपरोक्त के अलावा , विद्युत स्टेशनों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्लोगन प्रतियोगिताएं , जागरूकता रैली आदि भी निकाली गई । कारपोरेट कार्यालय ने शिमला और सोलन जिलों के स्कूलों के लिए पर्यावरण क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें 78 स्कूलों ने भाग लिया ।

9.0 कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सततशीलता (सीएसआर)

एक जिम्मेदार निकाय के रूप में एसजेवीएन सीएसआर कार्यक्रमों को अपनी मुख्य कारोबारी गतिविधियों के अभिन्न अंग के रूप में शुरू से क्रियान्वित करता आ रहा है। सीएसआर कार्यक्रमों के केन्द्र में इसके प्रचालनात्मक क्षेत्रों के इर्द–गिर्द के समाजों का समावेशी उन्नति करना निहित है।

एसजेवीएन ने कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनी (नैगम सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014 (नियम) के मुताबिक सीएसआर के लिए निदेशकों की एक समिति बनाई है तथा तदनुसार सीएसआर नीति को आशोधित किया है। एसजेवीएन ने अधिनियम तथा विहित मार्गनिर्देशों के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के लिए ठीक पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित लाभ की 2% राशि के आबंटन का प्रावधान किया है। तद्नुसार एसजेवीएन ने 35.43 करोड़ के परिव्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सीएसआर एवं सततशीलता योजना अपनाई है। विभिन्न सीएसआर गतिविधियों का चयन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII के तहत सुझाई गतिविधियों के अनुसार किया है। एसजेवीएन द्वारा विभिन्न शीर्षों के तहत निष्पादित की जा रही मुख्य सीएसआर गतिविधियां निम्नवत हैं :

9.1 स्वास्थ्य एवं स्वच्छताः एसजेवीएन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार और महाराष्ट्र में अपने परियोजना क्षेत्रों में तथा इसके ईर्द–गिर्द के स्थानीय समुदायों के घर द्वार तक हेल्पएज इंडिया द्वारा चलाई जा रही 13 मोबाईल स्वास्थ्य वैनों के जरिए 4 राज्यों, 11 जिलों, 101 ग्राम पंचायतों तथा 197 सामुदायिक स्थलों को कवर करते हुए निःशुल्क परामर्श सेवाएं एवं दवाईयां उपलब्ध करा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान दिनांक 31.10.2019 तक कुल 14335 रोगियों का उपचार किया गया। इसके अलावा, परियोजना अस्पतालों के माध्यम से दो मोबाईल स्वास्थ्य वैनें भी परिचालन में है। इसके अतिरिक्त, लोगों को बेहतर जीवन शैली अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए परियोजना क्षेत्रों में 500 आयुर्वेदिक शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है।

9.2 शिक्षा एवं दक्षता विकास कार्यक्रमः इस शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों को किया जा रहा है :

- विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से 888 स्थानीय युवाओं को कौशल विकास पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 में किसानों की आय दुगुना करने के लिए, सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर तथा एसजेवीएन की परियोजनाओं के सहयोग से 1600 किसानों को नवीनतम कृषि/बीज तकनीकों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- गत वर्षों के दौरान एसजेवीएन परियोजना क्षेत्रों से 780 अभ्यर्थियों को सरकारी आईटीआई में व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया गया। प्रायोजित अभ्यर्थियों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त 2000/– रुपए प्रतिमाह की वृत्तिका भी दी गई। यह योजना मैट्रिक पास युवाओं को सरकारी आईटीआई के माध्यम से आईटीआई अर्हता प्राप्त करने के लिए बनाई गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 115 छात्रों को सरकारी आईटीआई में प्रायोजित किया गया है ।
- हाथिन ब्लॉक के गांव स्वामिका एवं कलसाडा, जिला–पलवल, हरियाणा में अगरबत्ती कलस्टर की स्थापना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण/जीविकोपार्जन – 5000/– रुपए प्रतिमाह की औसत आय के साथ 200 महिलाओं के प्रशिक्षण और 100 महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए गांव स्वामिका और कलसाडा में अगरबत्ती कलस्टर की स्थापना हेतु सोसायटी फॉर एम्पवारमेंट ऑफ यूथ एंड मासिस (एसपीवाईएम) तथा सांकुल फाऊंडेशन के साथ एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।
- वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के माध्यम से 2200 स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- स्टार्ट–अप कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन के तहत जिला किन्नौर में 60 युवाओं को उनके घरों में बुनाई की इकाईयों को शुरू करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- एसजेवीएन ने परियोजना क्षेत्रों के ईर्द–गिर्द छः आईटीआई में ढांचागत एवं अन्य सुविधाओं के सुदृढीकरण हेतु एक एमओयू साईन किया है। ये आईटीआई हैं – शासकीय आईटीआई रामपुर बुशैहर, शासकीय आईटीआई खधान, शासकीय आईटीआई कुमारसेन एवं शासकीय आईटीआई नैनीधार, शिमला जिले में तथा कुल्लू जिले में शासकीय आईटीआई, निरमंड तथा शासकीय आईटीआई दलाश। एमओयू के अनुसार छः सरकारी आईटीआई (प्रत्येक को एक करोड़) के उन्नयनार्थ 6 करोड़ रुपए (तीन साल में) की वित्तीय मदद दी जानी है जिसमें से 4.99 करोड़ रूपए पहले ही प्रदान कर दिए हैं।
- एसजेवीएन ने जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश को एसपीरेशनल जिले के रूप में डीपीई, भारत सरकार सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसआर कार्यों को करने के लिए अपनाया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 वार्षिक थीम ''स्वास्थ्य और शिक्षा'' पर आधारित 2.61 करोड़ की कार्य योजना निष्पादनाधीन है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक थीम स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण है। जिसके लिए डीसी चंबा के परामर्श से कार्य योजना तैयार की जा रही है। स्वास्थ्य सुविधा के लिए एसजेवीएन द्वारा किस्तों में रु 1.39 करोड़ जारी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य गतिविधियां जैसे आयुर्वेद स्वास्थ्य कैम्प, कृषि कैम्प तथा 560 स्थानीय लोगों को दक्षता विकास प्रशिक्षण को भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

9.3. अवसंचरनात्मक एवं सामुदायिक विकासः सीएसआरके तहत एसजेवीएन की अवसंरचनात्मक विकास गतिविधियों के दायरे में पंचायत भवनों, महिला मंडल भवनों, शौचालयों, स्कूल भवनों, अस्पतालों, बस अड्डे, दाह संस्कार स्थलों आदि का निर्माण आता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 17 परिसंपत्तियां निर्माण/पूर्णता के विभिन्न चरणों में है। इन संकार्यों का निर्माण ग्राम विकास सलाहकार समिति (वीडीएसी), स्थानीय ठेकेदार तथा एसएमसी इत्यादि के जरिए करवाया जा रहा है।

9.4. सततशील विकासः इस शीर्ष के तहत एसजेवीएन द्वारा निम्नवत् गतिविधियां चलाई जा रही हैं:

- दीन दयाल उपाध्याय जल संरक्षण योजना के तहत गत वर्षों के दौरान 60 जल निकायों का निर्माण/पुनरूद्वार किया गया है । वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 14 जल निकायों का पुनर्स्थापन/कायाकल्प किया जा रहा है, जिनमें से 02 जल निकायों के पुनर्स्थापन/निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- ऊर्जा संरक्षण पर जागरूकता – प्रत्येक वर्ष राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है ।
- स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत निर्मित शौचालयों के रखरखाव हेतु प्रतिवर्ष प्रति शौचालय 5000 रुपए प्रदान किए जाते हैं।
- दो गाँव अर्थात् झाकड़ी और बायल गाँवों को आदर्श गाँवों के रूप में विकास के लिए आदर्श गाँव योजना के तहत अपनाया गया है, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएँ प्रदान करना (पीयूआरए)।
- दिव्यांग व्यक्तियों (दिव्यांगजनों) के लिए शौचालयों का निर्माण तथा जैव शौचालय।
- समाज में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एसजेवीएन ने हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड में 24,000 कूड़ेदान उपलब्ध कराए हैं।
- उत्तर प्रदेश के लखनऊ, देवरिया तथा शाहजहांपुर क्षेत्र में ईईएसएल के माध्यम से 75 हाई मास्ट लाइटें तथा 425 सोलर स्ट्रीट लाईटें स्थापित की गई। हिमाचल प्रदेश में ईईएसएल के माध्यम से 5750 एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाईटें भी स्थापित की जा रही हैं।

9.5. प्रतिष्ठित स्थानों का अंगीकरण तथा सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षणः सराहन, शिमला (हि.प्र.) में भीमाकाली मंदिर परिसर तथा शिमला (हि.प्र.) में तारा देवी मंदिर को इनकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अंगीकृत किया गया है। लकड़ी की नक्काशी आदि सहित निर्माण और मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा अनेक अन्य मंदिरों जैसे तरंडा माता मंदिर, निगुलसरी, किन्नौर (हि.प्र.), चम्बू देवता मंदिर,झाकड़ी, शिमला (हि.प्र.) देव ढांक मंदिर, बायल, कुल्लू (हि.प्र.), सूर्य नारायण मंदिर, नीरथ, जिला शिमला (हि.प्र.), श्री काली माता मंदिर देयोंधर, चौपाल तथा भूतेश्वर महादेव मंदिर, धारोपा, कुल्लू (हि.प्र.) में मरम्मत एवं सफाई अभियान चलाए गए हैं। इसके अलावा निम्नलिखित सांस्कृतिक विरासत स्थलों के विकास के लिए इस वर्ष हि.प्र. सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है :

i. सपनी फोर्ट, गांव सापनी, सांगला वैली, किन्नौर
ii. परशुराम मंदिर परिसर, निरमंड, जिला कल्लू
iii. कालका–शिमला रेलवे
iv. छितकुल गांव, सांगला वैली, जिला–किन्नौर

9.6. एसजेवीएन द्वारा समाज के कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण :

- एसजेवीएन 'महिला एवं बाल विकास योजना' चला रहा है जिसके तहत एसजेवीएन के परियोजना प्रभावित क्षेत्रों की गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन कर रही महिलाएं नवजात शिशु को स्वास्थ्यवर्धक खुराक दे सकने के लिए प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर अवधि में

प्रत्येक 5000/– रुपए की दो किश्तों में 10000/– रुपए के वित्तीय लाभ ले सकने की पात्र हैं। सीधे वित्तीय लाभ के अलावा इन बीपीएल महिलाओं को नवजात की देखभाल के लिए जरूरी पोषक खाद्य मदों, साबुनों और अन्य स्वच्छता संबंधी मदों से युक्त 1000/– रुपए मूल्य का एक गिफ्ट पैक भी दिया जाता है। आज तक कुल 1052 महिलाएं इस योजना के तहत लाभान्वित हुई हैं।

- एसजेवीएन फाऊंडेशन मूक, श्रवण एवं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ढली (शिमला) में स्कूल/घर के लिए नए भवन के निर्माण हेतु 8.28 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद प्रदान कर रहा है।
- इन बच्चों को अलीमको के सहयोग से और सहायक उपकरण तथा मददगार यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं।
- एसजेवीएन फाऊंडेशन 5.61 करोड़ रूपए की लागत से मानव मंदिर के निर्माणार्थ इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कूलर डिस्ट्रॉफी (आईएएमडी) को निधि प्रदान कर रहा है ।

9.7. प्राकृतिक आपदाओं/त्रासदी से पीडितों को सहायता/राहत कोषों में योगदानः

- उत्तराखंड परियोजनाओं में चार ब्लॉकों नामतः मोरी, पुरोला, नौगांव तथा चिन्यालीसौर में 3579 परिवारों के लिए चारा/लकड़ी भंडारण हेतु शेड निर्माण के लिए 13.28 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसे चरणबद्ध तरीके से जारी किया जा रहा है।

10. एसजेवीएन में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन

समाज के प्रति अपने दायित्वों के लिए संवेदनशील एसजेवीएन परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के लाभार्थ उदार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन उपाय करके विद्युत परियोजनाओं को सामाजिक रूप में एक दायित्व पूर्ण ढंग से निर्मित और प्रचालित करने तथा सामुदायों के सामाजिक–आर्थिक विकास में निवेश करने के प्रति कृतसंकल्प हैं, ताकि संभावित रूप से प्रतिकूल प्रभावों को लगातार कम करने के साथ–साथ उन पर परियोजनाओं का सततशील प्रभाव कायम हो।

निर्माण के लिए कोई भी परियोजना हाथ में लेने से पहले सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) अध्ययन करवाया जाता है ताकि परियोजना से मिलने वाले संभावित सामाजिक–आर्थिक संलाभों का पलड़ा, सामाजिक कीमतों और प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव से भारी रहे। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा हितधारकों से जनमंत्रणा बैठकें की जाती हैं, ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ–सफाई, पेयजल, पहुंच सड़कों तथा अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों तथा उनसे समाज को होने वाले फायदों के क्षेत्र में सृजनीय विकासात्मक सुविधाओं के बारे में स्थानीय समुदायों को अवगत कराया जा सके। तदुपरांत, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण से निकले निष्कर्षों के आधार पर आर.एंडआर. योजना बनाई जाती है। इस तरह तैयार की गई और अभिस्वीकृत आर. एंडआर. योजना में मूलतः पीएएफ के आर्थिक तंत्रों के पुनर्निमाण और पुनर्स्थापनार्थ शमन उपाय रहते हैं।

आर.एंडआर. के क्रियान्वयन चरण के दौरान आर.एंडआर. गतिविधियों का एक बाह्य स्वतंत्र एजेंसी के जरिए अनुवीक्षण करवाया जाता है ताकि पीएएफ को समय पर आर.एंड.आर. लाभों का दिया जाना यकीनी बनाया जा सके। इसी तरह आर.एंडआर. योजना के तहत निर्धारित आर.एंड आर. गतिविधियां पूरी हो जानेके बाद एक बाह्य स्वतंत्र एजेंसी के जरिए सामाजिक प्रभाव आंकलन करवाया जाता है ताकि सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में मिलने वाले विभिन्न मूर्त एवं अमूर्त संलाभों का पता लगाया जा सके। हि.प्र. में अवस्थित 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन (एनजेएचपीएस) तथा 412 मेगावाट रामपुर जलविद्युत परियोजना (आरएचपीएस) दोनों में आर. एंड आर. योजनाएं सफलतापूर्वक अमल में लाई गई हैं जबकि 60 मेगावाट नैटवाड़ मोरी जलविद्युत परियोजना (उत्तराखंड) में आर.एंड आर. योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पीएएफ को आर.एंड आर. योजना के तहत वैकल्पिक कृषि भूमि देने, पुनर्स्थापन कालोनियों में निर्मित मकान देने अथवा बेघर पीएएफ को निर्माण लागत देने, पात्र भूमिहीन पीएएफ को वाजिब रोजगार देने अथवा रोजगार के बदले में वित्तीय मदद देने, निर्वाह भत्ता देने जैसे कई संलाभ दिए गए हैं। इन संलाभों के अलावा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियां भी बनाई गई हैं जिनमें ग्रामीण सड़कों, रास्तों, पंचायत भवनों, ढांचागत स्कूली संरचना, क्रीडा मैदान, पेयजल, स्वास्थ्य एवं साफ सफाई जैसी अवसंरचना एवं सामुदायिक विकास सुविधाएं सृजित की गई हैं। हि.प्र. सरकार की फसल भरपाई नीति के अनुसार रामपुर जलविद्युत परियोजना के ईर्द–गिर्द स्थानीय किसानों को फसल में आई कमी की भरपाई के लिए पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान की गई। इसके अलावा विभिन्न ढांचागत विकास संकार्यों हेतु स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) के तहत 55.26 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई है।

लूहरी जलविद्युत परियोजनाओं (एलएचईपी) के सभी 3 चरणों के लिए भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर, अधिनियम, 2013) के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है। हि.प्र.सरकार द्वारा सूचीबद्ध एजेंसी द्वारा 210 मेगावाट एलएचईपी चरण–I (हि.प्र.) का सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन किया गया है और भाग–11 के तहत अधिसूचना प्रक्रियाधीन है । सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना की एसआईए अध्ययन रिपोर्ट हि.प्र. सरकार के पास अनुमोदनाधीन है। 172 मेगावाट एलएचईपी चरण–II का सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन प्रक्रियाधीन है ।

66 मेगावाट की धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना के लिए, सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन किया जा रहा है। सर्वेक्षण पूरा हो गया है और एसआईए अध्ययन रिपोर्ट विशेषज्ञ समूह के मूल्यांकनाधीन है।

1320 मेगावाट की बक्सर ताप विद्युत परियोजना में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार निजी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा हर्जाने की गणना कर ली गई है तथा आरएफसीटीएलएआरआर, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अदा कर दिया गया है।

उत्तराखंड में 44 मेगावाट की जाखोल सांकरी जलविद्युत परियोजना (जेएसएचईपी) में , स्थानीय प्रशासन द्वारा आर एंड आर योजना को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। उत्तराखंड सरकार द्वारा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के खंड 4के तहत एसआईए अध्ययन रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया है तथा खंड–II के तहत निजी भूमि की अधिसूचना कर दी गई है ।

उत्तराखण्ड की देवसारी जलविद्युत परियोजना (डीएचईपी) में डीएम चमोली द्वारा दिनांक 10.07.2019 को निजी भूमि का अवार्ड घोषित किया गया। मुआवजे का आबंटन प्रक्रियाधीन है ।

हि. प्र. विश्वविद्यालय कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र (एईआरसी) द्वारा नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन एवं रामपुर जलविद्युत स्टेशन में क्रियान्वित आर एंड आर योजना का सामाजिक प्रभाव आकलन करवाया गया। एईआरसी द्वारा पेश रिपोर्ट बताती है कि परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में आर एंड आर योजनाओं पर अमल का स्थानीय आबादी के सामाजिक–आर्थिक मानदंडों का विभिन्न विकास प्राचलों पर भारी उन्नयन हुआ है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल)

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य इक्विटी की अंशभागिता 3:1 के अनुपात में है। कंपनी का गठन जुलाई, 1988 में 2400 मेगावाट के टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्पलैक्स तथा अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए किया गया था। निगम की प्राधिकृत पूंजी 4000 करोड़ रूपए है। 31.12.2019 के अनुसार कंपनी की प्रदत्त पूंजी 3665.88 करोड़ रूपए है।

भारत सरकार द्वारा टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को अक्टूबर, 2009 में 'मिनीरत्न–श्रेणी– I' का दर्जा दिया गया था और जुलाई, 2010 में शेडयूल 'ए' कंपनी में अपग्रेड किया गया।

भागीरथी नदी पर 2400 मे.वा.के टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्पलैक्स में टिहरी बांध एवं एचपीपी (1000 मे.वा.), कोटेश्वर एचईपी (400 मे.वा.) तथा टिहरी पीएसपी (1000 मे.वा.) शामिल हैं। कंपनी ने टिहरी बांध और एचपीपी (1000 मे.वा.), प्रथम चरण एवं कोटेश्वर एचईपी (400 मे.वा.) को क्रमशः 2006–07 एवं 2011–12 में सफलतापूर्वक कमीशन कर दिया है। 1000 मे.वा. की टिहरी पीएसपी निर्माणाधीन है तथा जून, 2022 तक इसकी कमीशनिंग किया जाना प्रस्तावित है।

उत्तराखण्ड में अलकनंदा नदी पर विष्णुगाड पीपलकोटी हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (444 मे.वा.) निर्माणाधीन है। परियोजना विश्व बैंक से वित्त पोषित है। परियोजना को दिसंबर, 2022 में कमीशन किया जाना प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में 24 मे.वा. की ढुकुवां एसएचपी की सभी तीनों यूनिट 20 दिसंबर, 2019 में कमीशन की जा चुकी है।

टीएचडीसीआईएल ने भूटान में संकोश एचईपी (2585 मे.वा.) तथा बुनाखा एचईपी (180 मे.वा.) की डीपीआर भी अद्यतन कर दी है। बुनाखा एचईपी भूटानी पीएसयू के साथ संयुक्त उद्यम के द्वारा कार्यान्वित की जानी प्रस्तावित है।

ऊर्जा के अन्य क्षेत्रों में कंपनी के विविधीकरण की ओर, टीएचडीसीआईएल ने उत्तर प्रदेश राज्य के खुर्जा में कोयला आधारित 1320 मे.वा. के सुपर थर्मल पावरस्टेशन के विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

टीएचडीसीआईएल ने ऊर्जा के गैर–परंपरागत एवं नवीकरणीय स्रोतों में भी विविधीकरण किया है। टीएचडीसीआईएल ने 29.06.2016 को पाटन, गुजरात में 50 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र तथा 31.03.2017 को देवभूमि द्वारका, गुजरात में 63 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र की सफलतापूर्वक कमीशनिंग कर दी है। दिनांक 13.02.2015 को 250 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए है जिसमें से केरल राज्य के कॉसर गाड में 50 मेगावाट की परियोजना निर्माणाधीन है।

टीएचडीसीआईएल को 2017–18 में भर्ती प्रक्रिया रणनीति में नयापन लाने के लिए गोल्ड ट्रॉफी प्राप्त हुई एवं ट्रेनिंग एक्सीलेंस के लिए राष्ट्रीय एवं सामाजिक विकास में जुटे एक जाने–माने गैर सरकारी संगठन''एक काम देश के नाम'' से 2018–19 में एचआर गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया । टीएचडीसीआईएल ने वर्ष 2018–19 के लिए ''राजभाषा कीर्ति अॅवार्ड'' का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है। टीएचडीसीआईएल ने पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया (पीआरएसआई) से दिसंबर, 2018 को देहरादून में आयोजित हुए उसके 40वें अखिल भारतीय जनसम्पर्क सम्मेलन में ''अॅवार्ड फॉर सोशल मीडिया फॉर पीआर एण्ड ब्रांडिंग'' प्राप्त किया है।

टीएचडीसीआईएल ने 04 जनवरी, 2019 को ''जल विद्युत क्षेत्र में बेस्ट परफोर्मिंग यूटिलिटी के लिए'' सीबीआईपी अॅवार्ड–2019 भी प्राप्त किया। टीएचडीसीआईएल ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली से सीएसआर इन्नोवेशन एंड लीडरशिप अॅवार्ड 2019 प्राप्त किया

प्रचालनात्मक निष्पादन

टीएचडीसी इंडिया लि. वर्तमान में टिहरी एचपीपी एवं कोटेश्वर एचईपी, पाटन पवन ऊर्जा संयंत्र तथा द्वारका पवन ऊर्जा संयंत्र के साथ कुल 1513 मे.वा. संस्थापित क्षमता का विद्युत उत्पादन कर रही है। उत्पादित जल विद्युत की आपूर्ति उत्तरी क्षेत्र के 09 लाभार्थी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को तथा पवन विद्युत की आपूर्ति गुजरात को की जा रही है।

वर्ष 2018–19 के दौरान, टिहरी विद्युत संयंत्र से 3106 मि.यू. के लक्ष्य की तुलना में 3172.17 मि.यू. विद्युत का उत्पादन किया गया, कोटेश्वर एचईपी से 1230 मि.यू. के लक्ष्य की तुलना में 1223.81 मि.यू. विद्युत का उत्पादन किया गया एवं पाटन पवन ऊर्जा संयंत्र तथा द्वारका पवन ऊर्जा संयंत्र दोनों ने क्रमशः 108 मि.यू. एवं 183 मि.यू. ऊर्जा का उत्पादन किया। टीएचडीसीआईएल ने वित्त वर्ष 2018–19 में कुल उत्पादन लक्ष्य 4590 मि.यू. की तुलना में 4686.98 मि.यू. विद्युत का उत्पादन किया।

चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान टीएचडीसी इंडिया लि. ने 31 दिसंबर, 2019 तक 3399.98 मि.यू. विद्युत का उत्पादन किया है।

वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी की कुल आय पिछले वर्ष के 2223.19 करोड़ रूपए की तुलना में 2850.29 करोड़ रूपए है। टीएचडीसी इंडिया लि. ने वर्ष 2017–18 के दौरान 778.74 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान 1251.60 करोड़ रूपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। कंपनी का निवल मूल्य 31.03.2018 के 8508.36 करोड़ रूपए की तुलना में 31.03.2019 को 9281.90 करोड़ रूपए था।

वाणिज्यिक निष्पादन

वित्त वर्ष 2019–20 में 31.12.2019 तक इस अवधि के दौरान 2425.33 करोड़ रू. की ऊर्जा बिक्री की तुलना में लाभार्थियों से लगभग 1525.15 करोड़ रूपए (62.88%) राजस्व की वसूली की गई है।

टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट) एवं कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) के संबंध में 2019–24 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका एवं 2014–19 की अवधि के लिए ट्रूइंग अप टैरिफ याचिका सीईआरसी में अक्टूबर, 2019 में दर्ज की गई।

टिहरी पीएसपी एवं वीपीएचईपी से उत्पादित की जाने वाली विद्युत को पूर्ण रूप से उत्तरी क्षेत्र में लाभार्थियों से विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर द्वारा अनुबंधित किया गया। पाटन में (50 मेगावाट) और द्वारका में (63 मेगावाट) के पवन ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता के लिए जीयूवीएनएल के साथ विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजना (24 मे.वा.) के लिए यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश के साथ विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर किए गए। सौर विद्युत परियोजना (50 मे.वा.) के लिए विद्युत क्रय करार पर केएसईबी के साथ 16.01.2019 को हस्ताक्षर किए गए।

उत्तराखंड में चल रही परियोजनाओं की प्रगति :

टिहरी पम्प स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) 1000 मे.वा.

परियोजना की लागत का वित्तपोषण 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात के साथ किया जाना है। एसबीआई संघ द्वारा मंजूर किए गए 1500 करोड़ रु. ऋण के भाग की पुनर्अदायगी पूर्ण रूप से कर दी गई है। इसके पश्चात ऋण के आंतरिक भाग के लिए टीएचडीसीआईएल ने पहले से ही पीएनबी के साथ अनुबंध किया हुआ है। शेष भाग के लिए टीएचडीसीआईएल अन्य बैंक / वित्तीय संस्थानों के साथ अनुबंध की प्रक्रिया में है। ऑफ शोर कम्पोनेंट के लिए 05 फरवरी, 2015 को 83.86 मिलियन यूरो के लिए सोसाइटे जनरेले एस.ए. बैंक,फ्रांस के साथ ऋण करार किया गया है।

ईपीसी / टर्नकी संविदा 23 जून,2011 को मैसर्स अल्स टॉम हाइड्रो फ्रांस एवं हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के संयुक्त संघ को अवार्ड कर दी गई है। परियोजना पर कार्य 27 जुलाई, 2011 से शुरू हो गया है।

सर्जशाफ्ट्स, पैनस्टॉक असेम्बली चैंबर, पैनस्टॉक्स, बटरफ्लाई वॉल्ब चैंबर, बस बार गैलरियों, मशीन हॉल और टेल रेस सुंरगों में उत्खनन सघन स्थिरीकरण उपायों के साथ चल रहा है एवं आउटलेट ढलान स्थिरीकरण प्रगति पर है। विद्युत गृह का उत्खनन कार्य पूर्ण हो गया है एवं ड्राफ्ट ट्यूब एलबो लाईनर की उत्थापन प्रगति पर है। सर्विस बे कंक्रीटिंग पूर्ण होने के पश्चात, यूनिट 5 के लिए स्टेटर एवं रोटर की असेम्बली एवं यूनिट 6 के लिए रोटर असेम्बली का कार्य प्रगति पर है। टीआरटी, बस बार गैलरियों एवं नियंत्रण कक्ष क्षेत्र में कंक्रीटिंग का कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

सर्विस–बे सहित पूर्ण लंबाई (180 मी. लंबाई) में ईओटी क्रेन पूर्ण हो गई है। मशीन हॉल में यूनिट 6 तक ईओटी क्रेन रेल्स का संस्थापन पूरा हो गया है। ईओटी क्रेन नं. 1 एवं 2 की कमीशनिंग प्रगति पर है। सर्विस बे में ईओटी क्रेन के लिए डीएसएल का संस्थापन पूर्ण हो गया है। जबकि जीएसयू ट्रांसफॉर्मर एवं एसएसटीएस को स्थापित कर दिया गया है,गैस इंसुलेटेड स्विचगेयर (जीआईएस) / गैस इंसुलेटेड बसडक्ट (जीआईबी) का उत्थापन पूर्ण हो गया है।

पेनस्टॉक स्टील लाइनर्स का फेब्रीकेशन पूरा कर दिया गया है और फेरुल का उत्थापन कार्य प्रगति पर है।

इलैक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों की आपूर्ति प्रगति पर है। लगभग 883.69 करोड़ रूपए मूल्य के उपकरण / सामग्री परियोजना स्थल पर पहुंच गए हैं।

दिसंबर' 05 के मूल्य स्तर पर 1657.60 करोड़ रु. का निवेश अनुमोदन जुलाई' 06 में प्रदान किया गया था। फरवरी–19 के मूल्य स्तर पर 5024.35 करोड़ रूपए (1131.72 करोड़ रूपए की आईडीसी व एफसी सहित) की आरसीई–।। वित्त मंत्रालय के दिशानिदेशों के अनुसार अनुमोदन के लिए विद्युत मंत्रालय को 30 अप्रैल, 2019 को प्रस्तुत कर दी है। टिहरी पीएसपी की आरसीई–।। 4835.60 करोड़ रु.,1089.80 करोड़ रु. की आईडीसी एवं एफसी सहित,का 29 नवंबर, 2019 को सीईए ने अनुमोदन कर दिया है।

परियोजना को जून, 2022 में कमीशन करने का लक्ष्य रखा गया है। टिहरी पीएसपी पर दिसम्बर '19 तक 3205.49 करोड़ रू. (883.31 करोड़ रु. की आईडीसी एवं एफसी सहित) का व्यय किया गया है।

विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (444 मे.वा.) : –

भारत सरकार ने अगस्त' 08 में वीपीएचईपी के निष्पादन के लिए मार्च, 2008 के मूल्य स्तर पर 366.83 करोड़ रु. की आईडीसी और एफसी सहित 2491.58 करोड़ रू. लागत पर निवेश अनुमोदन प्रदान किया था।

सीईए द्वारा 09 जनवरी, 18 को 1657.09 मि.यू. की पुनरीक्षित परिकल्प ऊर्जा के अनुमोदन एवं सीईए / सीडब्ल्यूसी के विभिन्न निदेशालयों से परिवर्तनों के ज्ञापन (एमओसी) की मंजूरी के पश्चात फरवरी, 2019 के मूल्य स्तर पर 4397.80 करोड़ रूपए की वीपीएचईपी की आरसीई, 31 मई, 2019 को विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत की जा चुकी है।

परियोजना का निर्माण 70:30 की ऋणः इक्विटी अनुपात के साथ वित्त पोषित किया जाना प्रस्तावित है। इक्विटी भाग का 50 प्रतिशत टीएचडीसीआईएल द्वारा वहन किया जाना है और शेष 50 प्रतिशत भाग की क्रमशः भारत सरकार और उ.प्र. सरकार के द्वारा 75:25 के अनुपात में अंशभागिता की जानी है।

परियोजना के ऋण भाग (70 प्रतिशत) के वित्त पोषण के लिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) के साथ 10 अगस्त, 2011 को 648 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं।

- सिविल और एचएम कार्यों के लिए मैसर्स एचसीसी के साथ 54 माह की पूर्णता अवधि के साथ 17.01.2014 को करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बांध आधार क्षेत्र में निर्माण कार्य की सुविधा के लिए अलकनंदा नदी का मार्ग 02.04.18 को परिवर्तित कर दिया गया है। नदी परिवर्तन के पश्चात, अपर स्ट्रीम कॉफर बॉध का निर्माण कार्य भी 31 जुलाई, 2019 को पूर्ण हो गया है। टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) असेम्बल कर दी गई है एवं पूर्व से तैयार टीबीएम लांचिंग चैम्बर में लगाने के लिए तैयार है। अन्य प्रमुख कार्य जैसे भूमिगत डिस्लिटिंग चेंबरों की खुदाई, इंटेक सुरंगों का उत्खनन / कंक्रीटिंग, टीबीएम प्लेटफार्म का विकास, विद्युतगृह, ट्रॉसफार्मर हॉल का निर्माण, शर्ज शाफ्ट / शर्ज टैंक के लिए एडिट्स का उत्खनन, डाउनस्ट्रीम शर्ज टैंक का उत्खनन ड्रिल एवं ब्लास्ट तरीके (डीबीएम) द्वारा एचआरटी के हिस्से का निर्माण एवं टीआरटी का उत्खनन प्रगति पर है।
- मैसर्स एचसीसी, ठेकेदार के नगदी संकट के कारण पूर्व में कार्य की गति धीमी थी। कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए, विद्युत मंत्रालय की राय से टीएचडीसीआईएल द्वारा जनवरी, 2019 में निधि की व्यवस्था की गई, जिसके द्वारा गैप फंडिंग को दूर करने के रूप में सुरक्षित अग्रिम टीएचडीसीआईएल द्वारा ठेकेदार (मैसर्स एचसीसी) को दिया जाना है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ठेकेदार को अवमुक्त की गई पूर्ण धनराशि परियोजना कार्य में लगानी है, 08 फरवरी, 2019 को एक एस्क्रो खाता भी खोला गया। इसके पश्चात मैसर्स एचसीसी द्वारा प्रस्तुत 38.00 करोड़ रु. की बीजी के एवज में टीएचडीसीआईएल द्वारा जनवरी, 2019 से जून, 2019 तक मैसर्स एचसीसी को 34.19 करोड़ रु. की धनराशि अवमुक्त की गई। इसके बाद, पीबीजी के एवज में 24.18 करोड़ रु. अवमुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त मैसर्स एचसीसी द्वारा मैसर्स एसईएलआई (टीबीएम आपूर्ति कर्ता) को 21.80 करोड़ रु. जनवरी, 2019 से जून, 2019 तक टीबीएम के ऑपरेशन कार्य में तेजी लाने के लिए अवमुक्त किए गए।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त, परियोजना निर्माण गतिविधियों में तेजी लाने हेतु निर्माण सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जून, 2019 में मैसर्स एचसीसी को 8.12 करोड़ रु. अवमुक्त किए गए। अब नई निधि के लगाने से कार्य ने गति पकड़ी है।

- ईएम कार्यों के लिए संविदा करार पर मैसर्स बीएचईएल के साथ 48 माह की पूर्णता अवधि के साथ 18.11.2014 को हस्ताक्षर किए गए थे। टरबाईन की मॉडल टेस्टिंग का कार्य 01.08.2015 को मै. बीएचईएल, भोपाल में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। टरबाइन, जनरेटर, विक्षोभ प्रणाली और विभिन्न अनुषंगी उपकरणों, ड्राफ्ट ट्यूब संयोजकों, गवर्नर एवं जनरेटर के डिजाइन दस्तावेज अनुमोदित हो गए हैं। शेष डिजाइन तथा इंजीनियरिंग प्रगति पर है। 400 केवी जीआईएस की सिंगल लाईन डायग्राम, पोटहैड यार्ड एवं प्रोटेक्शन सिस्टम का बेसिक डिजाईन (अर्थात मेन सिंगल लाईन डायग्राम), जीआईएस एवं पोटहैड यार्ड भी अनुमोदित हो गए हैं।
- एक्सएलपीई केबिल का बेसिक डिजाईन, पोटहैड यार्ड, नियंत्रण प्रणाली, जीआईएस, आईपीबीडी , इलूमिनेशन प्रणाली, एचवीएसी, पैसेंजर इलिवेटर, लूब्रिकेटिंग ऑयल हैंडलिंग प्रणाली ,ड्रेनेज, डिवाटरिंग प्रणाली, अग्नि सुरक्षा एवं डिटेक्शन प्रणाली अनुमोदित हो गई हैं।
- एमआईवी एवं बीएफवी अर्थात डिजाईन से संबंधित परिकल्प दस्तावेजों का अनुमोदन अग्रिम चरण में है।
- शेष परिकल्प एवं अभियांत्रिकी प्रगति पर है ।

परियोजना दिसंबर, 2022 तक कमीशन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वीपीएचईपी परियोजना पर दिसंबर, 2019 तक 113.01 करोड़ रू. की आईडीसी एवं एफसी सहित 1826.27 करोड़ रूपए व्यय हुआ है।

अन्य परियोजनाएं

बोकांग बेलिंग एचईपी (बीबीएचईपी) उत्तराखण्ड राज्य के जिला पिथौरागढ़ में धौलीगंगा (काली/शारदा नदी की सहायक नदी) पर स्थित है जिसकी प्रस्तावित संस्थापित 200 मेगावाट क्षमता है। परियोजना में 136 मी. ऊंचे कंक्रीट बांध का निर्माण होना है। वर्तमान में परियोजना की डीपीआर बनाने का कार्य चल रहा है।

झेलम तमक एचईपी (108 मे.वा.), परियोजना अगस्त, 2013 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण प्रभावित हुई है जिसमें अगले आदेशों तक पर्यावरण एवं वन मंजूरी प्रदान करने पर रोक लगा दी गई है।

उत्तर प्रदेश में:–

ढुकुवां लघु एचईपी (24 मेगावाट)

यूनिट–1 : 29 सितंबर, 19 को ग्रिड के साथ सिंक्रोनाईज की गई।

यूनिट–2 : 02 दिसंबर,19 को ग्रिड के साथ सिंक्रोनाईज की गई।

यूनिट–3 : 19 दिसंबर, 19 को ग्रिड के साथ सिंक्रोनाईज की गई।

उपर्युक्तानुसार सिंक्रोनाईजेशन के पश्चात, इन यूनिटों के सभी अपेक्षित परीक्षण 20.12.2019 को सफलतापूर्वक निष्पादित कर लिए गए हैं। 20.12.2019 से परियोजना कमीशन के लिए तैयार है। वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) के लिए मामले पर यूपीईआरसी/यूपीपीसीएल के साथ बातचीत की जा रही है। ढुकुवां परियोजना पर दिसंबर, 19 तक 322.22 करोड़ रु. व्यय हुए हैं।

खुर्जा एसटीपीपी–1320 मे.वा.

- भारत सरकार के द्वारा 07 मार्च, 2019 को खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट (एसटीपीपी) एवं अमेलिया कोल खदान के लिए अनुमानित लागत क्रमशः रु. 11,089.42 करोड़ रु. एवं 1587.16 करोड़ रु. (दिसंबर, 17 के मूल्य स्तर पर) निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया।
- परियोजना की प्रथम वर्ष के टैरिफ एवं लैविलाइज्ड टैरिफ क्रमशः 3.90 रु/यूनिट एवं 3.61 रु. /यूनिट निर्धारित किया गया है ।
- दो प्रमुख पैकेज नामतः स्टीम जनरेटर एवं संबद्ध पैकेज जिसमें स्थल समतलीकरण तथा टरबाइन जनरेटर एवं संबद्ध पैकेज क्रमशः 4087 करोड़ रु. एवं 1575 करोड़ रु.के लिए पहले से ही अवार्ड किए जा चुके है और आवाजाही प्रगति पर है।
- शेष 5 बीओपी पैकेज, (i) जल प्रणाली पैकेज, (ii) स्विचयार्ड पैकेज (iii) कोयला, लाईमस्टोन एवं जिप्सम रखरखाब प्लांट पैकेज की तकनीकी बोलियां क्रमशः 13 अगस्त, 19, 5 सितंबर, 19 एवं 15 नवंबर, 19 को खोली गई हैं एवं (iv) एश डाईक पैकेज तथा (v) विविध भवन एवं अन्य पैकेजों को अन्तिम रूप दिए जाने के चरण में है। चालू वित्त वर्ष में सभी 05 बीओपी पैकेजों को अवार्ड करने का कार्यक्रम है।
- 07 मार्च, 2019 को परियोजना के निवेश अनुमोदन के बाद प्रथम एवं द्वितीय यूनिट को क्रमशः 48 माह एवं 54 माह अर्थात मार्च, 23 एवं सितंबर, 23 में कमीशन किया जाना प्रस्तावित है।
- परियोजना पर दिसंबर, 19 तक 836.39 करोड़ रु. व्यय हुए हैं।

अमेलिया कोयला खदान

- अमेलिया कोयला खदान का आवंटन आदेश भी टीएचडीसी इंडिया लि. को 17.01.2017 को जारी किया गया है जिसके लिए टीएचडीसी इंडिया लि. ने अग्रिम राशि की प्रथम किस्त के रूप 33.10 करोड़ रू., नियम राशि के रूप में 4.5 करोड़ रू. का भुगतान किया है और निष्पादन प्रतिभूति के लिए 250.99 करोड़ रू. की बैंक गारंटी जमा की है।
- पर्यावरण मंजूरी के लिए, 22 अक्टूबर, 2019 को संयुक्त सचिव (थर्मल), विद्युत मंत्रालय ने समीक्षा बैठक की, जिसमें यह निर्णय हुआ कि टीएचडीसी से सूचनाएं/विवरण प्राप्त होने के पश्चात विद्युत मंत्रालय मामले पर एमओईएफ एण्ड सीसी के साथ बातचीत करेगा। संयुक्त सचिव (थर्मल), विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 18 नवंबर, 2019 के अपने पत्र के माध्यम से संयुक्त सचिव (एमओईएफ एण्ड सीसी), से शीघ्र पर्यावरण मंजूरी टीएचडीसीआईएल के नाम पर हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। उप सचिव, ओ/ओ नामित एजेंसी, एमओसी ने भी अपने दिनांक 27 नवंबर, 2019 के पत्र के द्वारा एमओईएफ एण्ड सीसी से टीएचडीसीआईएल के पक्ष में पर्यावरणीय मंजूरी के शीघ्र हस्तांतरण को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। नियमित रूप से एनए, एमओसी एवं एमओईएफ एण्ड सीसी के साथ मामले पर बातचीत की जा रही है।
- खनन लीज के लिए, निदेशक (भूविज्ञान एवं खनन), खनिज संसाधन विभाग, भोपाल ने अवगत किया है कि अमेलिया कोयला खदान के लिए खनन लीज की स्वीकृति वन भूमि के परिवर्तन की अन्तिम (द्वितीय चरण) मंजूरी के पश्चात ही दी जाएगी। एपीसीसीएफ (एलएम), भोपाल ने टीएचडीसीआईएल द्वारा प्रस्तुत वन मंजूरी–I की अनुपालन रिपोर्ट आईजी (वन मंजूरी) एमओईएफ एण्ड सीसी, भारत सरकार को द्वितीय चरण की वन मंजूरी के लिए अग्रसारित कर दी है । खनन लीज की स्वीकृति हेतु मामले पर निजी सचिव (खनन) के साथ बातचीत की जा रही है।
- अमेलिया कोयला खदान के लिए कुल 1412.37 हेक्टेयर भूमि (337.35 हेक्टेयर निजी/किराएदारी की भूमि, 178.13 हेक्टेयर लीज वाली राजस्व

भूमि, आर एंड आर परियोजना स्थल के लिए 53.13 हेक्टेयर राजस्व भूमि और 843.76 हेक्टेयर वन भूमि) मंजूरियों के विभिन्न चरणों के अंतर्गत है। 843.76 हेक्टेयर वन भूमि के परिवर्तन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 12.12.2018 को प्रथम चरण की वन मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

- अमेलिया कोयला खदान के विकास एवं प्रचालन के लिए खदान विकासक एवं प्रचालक (एमडीओ) के चयन हेतु निविदा दस्तावेज तैयार कर लिए गए है। माईन क्लोजर योजना (टेक्सट एंड प्लेट्स) सहित पुनरीक्षित खनन योजना पर कोयला मंत्रालय से अनुमोदन के पश्चात 06 दिसंबर, 19 को कोयला मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है । परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद, एमडीओ की नियुक्ति के लिए निविदा प्रक्रिया की जाएगी।
- दिसंबर,19 तक किया गया व्यय 308.70 करोड़ रु. है।

केरल

सौर पीवी विद्युत संयंत्र (50 मेगावाट)

- टीएचडीसीआईएल एवं सौर ऊर्जा कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) ने भारत में 250 मेगावाट सौर पीवी परियोजना की स्थापना के लिए 13 फरवरी, 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एसईसीआई, केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) एवं टीएचडीसीआईएल के मध्य जिला कासरगोड, केरल में 200 मेगावाट के सौर पार्क में से 50 मेगावाट की सौर परियोजना के विकास के लिए 31 मार्च, 15 को एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ।
- केएसईबी एवं टीएचडीसीआईएल के मध्य विद्युत क्रय करार पर 16 जनवरी, 19 को हस्ताक्षर किए गए हैं। भूमि उपयोग करार एवं कार्यान्वयन करार पर भी 07 फरवरी, 2019 को टीएचडीसीआईएल एवं आरपीसीकेएल के मध्य हस्ताक्षर किए गए।
- 50 मेगावाट (एसी) सौर पीवी विद्युत संयंत्र का कार्य मैसर्स टाटा पावर सौलर सिस्टम लिमिटेड को परिकल्प, अभियांत्रिकी, प्रापण एवं आपूर्ति, निर्माण एवं प्रतिस्थापन, परीक्षण, कमीशनिंग एवं 10 वर्ष के लिए सम्पूर्ण परिचालन एवं अनुरक्षण, 09 माह की अवधि में पूर्ण करने के लिए 08 अगस्त, 19 को अवार्ड किया गया।
- एजेंसी ने परियोजना स्थल पर आवाजाही शुरू कर दी है एवं कार्य प्रगति पर है।
- सौर विद्युत परियोजना पर दिसंबर, 19 तक किया गया व्यय 25.83 करोड़ रु. है।

  कॉसरगॉड, केरल में उसी सौर पार्क में 5–10 मेगावाट के अन्य सौर विद्युत संयंत्र के लिए विद्युत क्रय करार (पीएसए) पर केएसईबी के साथ 25 सितंबर, 2019 को हस्ताक्षर किए गए

महाराष्ट्र

टीएचडीसीआईएल ने मलशेज घाट पीएसएस की 700 मे.वा. की बढ़ाई हुई संस्थापित क्षमता के साथ डीपीआर महाराष्ट्र सरकार को 16 सितंबर, 2010 को प्रस्तुत कर दी थी। ईआईए अध्ययन और ईआईए/ईएमपी ड्राफ्ट रिपोर्ट काफी पहले से पूर्ण हो गए हैं।

टीएचडीसीआईएल ने परियोजना का कार्यान्वयन टीएचडीसीआईएल, एनपीसीआईएल और महाराष्ट्र सरकार के साथ 30 प्रतिशत इक्विटी की सहभागिता के साथ नए संयुक्त उद्यम के माध्यम से कराने पर अपनी सहमति प्रस्तुत कर दी है। कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर होने की प्रतीक्षा है।

भूटान में परियोजनाएं–

विद्युत क्षेत्र के विकास में भारत–भूटान सहयोग के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल ने भूटान में संकोश एचईपी (2585 मेगावाट) तथा बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट) की डीपीआर अद्यतन कर दी है।

संकोश एचईपी की अंतिम अद्यतन की गई डीपीआर पर अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी के लिए टीएचडीसीआईएल ने 17.07.2017 को आयुक्त बी एंड बी विंग, जल संसाधन मंत्रालय, आरडी एवं जीआर, नई दिल्ली के कार्यालय में प्रस्तुतीकरण दिया था। एमओयू के अनुसार संकोश एचईपी, भूटान की अंतिम अद्यतन डीपीआर 11.08.2017 को जल संसाधन मंत्रालय एवं आरजीओबी को प्रस्तुत कर दी गई है।

बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट) की डीपीआर को सीईए द्वारा तकनीकी–आर्थिक रूप से सहमति दी गई है। भूटान की शाही सरकार को प्रस्तुत की गई अंतिम डीपीआर फरवरी, 2014 को भूटान की शाही सरकार की केबिनेट के द्वारा अनुमोदित हो गई है। बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट) के ड्रूक ग्रीन पावर कारपोरेशन, भूटान के साथ संयुक्त उद्यम में कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। जेवीसी के निर्माण के लिए सभी तौर–तरीकों को अंतिम रुप दिया जा रहा है।

बुनाखा एचईपी के कार्यान्वयन पर विद्युत मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

अध्याय 29

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी)

प्रस्तावना

दामोदर घाटी निगम, टेनिसी घाटी प्राधिकरण (टीवीए) के अनुसार परिकल्पित, देश की प्रथम प्रमुख बहुद्देशीय संगठित नदी घाटी परियोजना बिहार (वर्तमान में झारखण्ड) तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में दामोदर घाटी क्षेत्र के संगठित विकास को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विधानमंडल की एक अधिनियम द्वारा 7 जुलाई, 1948 को अस्तित्व में आया ।

संस्थापित क्षमताः

डीवीसी की वर्तमान ताप विद्युत उत्पादन क्षमता 7090 मे.वा. तथा पनबिजली उत्पादन क्षमता 147.2 मे.वा. है।

टिप्पणी : सीपीसीबी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशानुसार चंद्रपुरा तापीय विद्युत स्टेशन की यूनिट#3 को कार्यमुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

उत्पादन कार्यनिष्पादन

डीवीसी तापीय इकाइयों तथा पनबिजली इकाइयों का कार्यनिष्पादन

डीवीसी इकाइयां	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिस'19 तक)	अपेक्षित उत्पादन (जन– मार्च'20)	वित्तीय वर्ष 19–20	
				सीईए लक्ष्य	अपेक्षित उत्पादन
तापीय उत्पादन (एमयू)	36677	27962	11038	37476	39000
पनबिजली (एमयू)	186.41	160.22	21.0	210	181.22

2019–20 में कार्यनिष्पादन विशिष्टताएँ (दिसंबर,19 तक)

- वित्त वर्ष 2019–20 (दिसम्बर, 19 तक) में डीवीसी तापीय उत्पादक इकाइयों द्वारा प्राप्त कुल उत्पादन 27962 एमयू है जो विगत वित्तीय वर्ष की समकालीन अवधि से 1471 एमयू अधिक है ।

वितीय कार्यनिष्पादन – 2019–20

क्र. सं.	विवरण	(अनंतिम) अप्रैल–19 से दिस–19	अनुमानित जन–20 से मार्च–20	अनंतिम वित्त वर्ष 2019–20
	<u>भौतिक</u>			
1	संयंत्र भार गुणक (%)	59.76	71.29	62.62
2	विद्युत की बिक्री (एमयू)	27548	10008	37556
	<u>वित्तीय (रु. करोड़)</u>			
3	राजस्व (विद्युत) (क+ख)	12898	5111	18009
	क. विद्युत की बिक्री	12590	4919	17509
	ख. विविध आय	308	192	500
4	राजस्व व्यय	14064	5180	19244
5	विद्युत से लाभ (हानि) (3–4)	–1166	–69	–1235
6	सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर अधिशेष/घाटा	11088	202	1290
7	**निवल लाभ/हानि (5+6)**	**–78**	**133**	**55**

क्षमता संवर्धन कार्यक्रम एवं उपलब्धियाँ :

- **तापीय क्षमता संवर्धन** : 2019–20 में किसी प्रकार का दक्षता संयोजन नहीं किया गया।
- **रघुनाथपुर टीपीएस चरण–II:** आरटीपीएस चरण–II के पुनरूद्धार हेतु ड्यू डिलिगेंस अध्ययन के लिए डीवीसी बोर्ड ने एक सलाहकार की नियुक्ति हेतु सलाह दी है। तदनुसार, मेसर्स डेलॉइट को निविदा प्रक्रिया के माध्यम इस कार्य में लगाया गया तथा उन्होंने डीवीसी द्वारा प्रावधानित विभिन्न सूचनाओं के आधार पर आरटीपीएस चरण–II परियोजना के पुनरूद्धार के संबंध में 'ड्यू डिलिगेंस अध्ययन' हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रतिवेदन समीक्षाधीन है।
- **लुगु पहाड़ में 1500 मे.वा. क्षमता सम्पन्न पंप स्टोरेज हाइड्रो उत्पादक केन्द्र** : यह परियोजना झारखण्ड के बोकारो जिला में लुगु पहाड़ के बोकारो नदी पर परिकल्पित की गयी है। मेसर्स डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड द्वारा पूर्व सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की गयी थी। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चरण–I की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्श की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
- **पंचेत में 50 एमडब्ल्यूपी ग्राउंड माउंटेड सौर पीवी केन्द्र** : नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप, डीवीसी ने पंचेत में निविदाकरण प्रक्रिया के माध्यम डिजाईन–बिल्ट अपरेट व ट्रांसफर (डीबीओटी) के अधीन 50 एमडब्ल्यूपी ग्राउंड माउंटेड सौर पीवी केन्द्र स्थापित करने की योजना बनायी है। 20.11.2019 को एनआईटी प्रकाशित की गयी।
- **डीवीसी जलागारों में फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट:** डीवीसी में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार की अल्ट्रा मेगा रिनिवबल एनर्जी पावर पार्कस (यूएमआरईपीपी) योजना के अधीन अपने चार बांधों के जलागारों में 2000 मे.वा. (लगभग) फ्लोटिंग सोलर पीपी प्रोजेक्ट स्थापित करने का विचार किया है।

डीवीसी टीपीएस में चालू शेष कार्य :

- **बोकारो–ए टीपीएस (500 मे.वा.)** : ट्रैक हुपर से सीधे कोयला फीड करने हेतु नया कोयला हस्तलन प्रणाली का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा जनवरी 2020 तक चालू किया जाना अपेक्षित है।
- **कोडरमा टीपीएस (2x500 मे.वा.):** कानून–व्यवस्था मामलों की सुलह के पश्चात जून 2017 से राख कुंड कार्य अनुशंसित है। यद्यपि, मेसर्स भेल व इसके उप–वेंडर (मेसर्स एनईसीएस) के बीच वाणिज्यिक विवादों के सुलह न होने के कारण कार्य फिलहाल स्थगित है। यह निर्णय लिया गया कि डीवीसी भेल की लागत पर शेष कार्य करना जारी रखेगा।

  स्थायी राख कुंड (सिविल भाग) के शेष कार्य हेतु आदेश जनवरी, 2020 में जारी किया गया। यह कार्य दिसम्बर 2020 तक पूरे होने की सम्भावना है।
- **रघुनाथपुर टीपीएस चरण–I (2x600 मे.वा.)** : जयचंडी पहाड़ स्टेशन (जेओसी) से आरटीपीएस संयंत्र तक की एकल लाइन संयोजक हेतु रेलवे अवसंरचना कार्य पूरे जोर–शोर से चलाया जा रहा है। अभी तक, 17.6 किमी रेल लिंकिंग कार्य में से 16.7 किमी तक पूरा कर लिया गया है। जेओसी से संयंत्र के अंतिम छोर तक कोयला रेक की गतिविधि मार्च 20 तक आरम्भ होने की सम्भावना है।

पारेषण व वितरण (टीएण्डडी) प्रणाली:

डीवीसी का पारेषण तथा वितरण कार्यजाल (टीएण्डडी) दामोदर घाटी अधिकार क्षेत्र तथा इसके बाहर भी फैला हुआ है। डीवीसी के टीएण्डडी कार्यजाल में 36 ईएचवी उपकेन्द्र, 13 अदद 33 के.वी. ग्राही उपकेन्द्र तथा उत्पादक केन्द्रों में 12 स्विचयार्ड शामिल है। विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर ईएचवी पारेषण लाइनों के 6077 सर्किट के.वी. तथा विद्युत के वितरण हेतु 33 के.वी. लाइनों के 1533 सर्किट किमी के माध्यम जुड़ा हुआ है।

टीएण्डडी कार्यजाल डीवीसी उत्पादन केन्द्रों से विद्युत के निष्क्रमण तथा स्थायी उपभोगताओं तथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जीबीवीएनएल) को विद्युत वितरण करने के लिए मेरूदण्ड के रूप में स्थापित है। डीवीसी ओपेन ऐसेस के माध्यम टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल) तथा रेलवे को विद्युत आपूर्ति कर रहा है। अंतर राज्य लाभार्थी यथा; कनार्टक, केरल, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल डिस्कॉम्स के साथ–साथ अंतरर्राष्ट्रीय लाभभोगियों जैसे बांग्लादेश को भी विद्युत पारेषण करता है।

स्थायी तथा भरोसेमंद विद्युत आपूर्ति बनाये रखने के लिए 220 किवो लाइन का 731 सर्किट किमी तथा 220 किवो उपकेन्द्र का उत्थापन तथा चालू किये जाने के प्रति टीएण्डडी परियोजनाओं का निष्पादन प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, प्रणाली की स्थिरता बढ़ाने के साथ–साथ विद्युत मांग में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) के माध्यम 10 अदद 220 किवो उपकेन्द्र की अवसंरचना सहित बहुत पुरानी नियंत्रण एवं संरक्षण प्रणाली के नवीकरण एवं संवर्धन, पुराने एक्स्ट्रा हाई वोलटेज (ईएचवी) पारेषण लाइनों के कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, उपकेन्द्रों पर ट्रांसफर्मर क्षमता का संवर्धन आदि शुरू किया गया है।

विद्यमान कार्यजाल को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए बर्धमान में 220 किवो उपकेन्द्र की स्थापना पारूलिया (उपकेन्द्र के साथ संयोजन सहित) कल्याणेश्वरी उपकेन्द्र तथा सीटीपीएस स्विचयार्ड में 220/33 किवो अवसरंचना का संयोजन तथा जमुरिया उपकेन्द्र में 132 किवो प्रणाली का विस्तार जैसे कदम उठाये गये हैं।

वर्ष के दौरान (दिस.–19 तक) उत्पादक केन्द्रों समेत टीएण्डडी प्रणाली में समग्र हानि 2.25% रही । टीएण्डडी पारेषण प्रणाली हानि की समुचित गणना करने तथा उसके निवारात्मक उपाय किये जाने के लिए डीवीसी अपने समग्र ग्रिड को आवृत्त करते हुए 'प्रणाली ऊर्जा प्रबोधन तथा एकाउंटिंग (एसईएमए)' की प्रक्रिया में है।

वर्ष के दौरान, डीवीसी 11 नये उपभोक्ताओं को समाविष्ट तथा विद्यमान अनुबंध मांग में वृद्धि समेत 109 एमवीए का आंतरिक भार वृद्धि पंजीकृत किया।

रिले और उपकरण परीक्षण प्रयोगशाला :

सेंट्रल टेस्टिंग सर्किल (सीटीसी), मैथन के अधीन रिले व उपकरणों के साथ–साथ सभी प्रमुख विद्युतीय उपकरण और स्विचगियर हेतु परीक्षण सुविधा सम्पन्न डीवीसी का रिले व उपकरण परीक्षण प्रयोगशाला, पूर्वी क्षेत्र में अपने तरह की एक विशिष्ट प्रयोगशाला है। इसके मीटर परीक्षण स्कंध को अंतरराष्ट्रीय मानक आईएसओ/आईईसी 17025 : 2005 के अनुसार

एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त है। सीटीसी में ट्रांसफॉर्मरों की दशा–प्रबोधन के लिए एक उपयोगी तकनीक ट्रांसफॉर्मर तेल के डिजोल्वड गैस विश्लेषण (डीजीए) को अंतरगृह सुविधा है। डीवीसी स्थापना तथा क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों/उपयोगिताओं के लिए परीक्षण और कमीशनिंग सेवाएं भी प्रदान करता है।

संचार प्रणाली :

आधुनिक तकनीकों के साथ ताल–मेल बनाये रखने के क्रम में, डीवीसी ने अपने ईएचवी पारेषण कार्यजाल के माध्यम ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू) केबल को सफलतापूर्वक विस्तृत किया है। ओपीजीडब्ल्यू कार्यजाल के माध्यम पूर्व क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (ईआरएलडीसी), टॉलीगंज व डीवीसी टावर्स के साथ संयोजन सम्पन्न हावड़ा व राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) में पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डेटा संग्रहण प्रणाली (एससीएडीए) क्रियान्वित किया गया है। ईएचवी उपकेन्द्र समेत सभी उत्पादन केंद्रों के लिए यूनिफाइड रीयल टाम डायनामिक स्टेट मेजरमेंट (यूआरटीडीएसएम) को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण :

डीवीसी इकाई उष्मा दर में सुधार सहित सहायक विद्युत एवं कोयला, तेल तथा जल की कम खपत सहित विद्युत उपलब्धता की वृद्धि बाबत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली में कार्यक्षम व आधुनिक पद्धतियों को शामिल करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है।

विद्युत संयंत्रों की कार्यक्षम ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाये गये हैं:

- विभिन्न दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण प्राचलों का प्रबोधन, उष्मा दर विचलन विश्लेषण तथा उसकी निवारात्मक कार्य योजना।
- ऊर्जा कुशलता उपकरण अर्थात वैरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (वीएफडी), कुलिंग टावर (सीटी) पंखों को ऊर्जा–दक्षता ब्लेट ऐसेम्बली का प्रतिस्थापन।
- प्रणाली कुशलता तथा सहायक विद्युत खपत को कम करने के लिए ओएण्डएम पद्धतियों के माध्यम कम्बुशन ऑप्टीमाइजेशन, कंडेंसर वैक्युम का सुधार, अनबर्न्ट कार्बन की कमी, डक्ट व एक्सपेंशन ज्वाइंटों से एयर लिंकिग की कटौती जैसे उपाय किये गये।
- सभी क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों के विभिन्न कार्यालय भवनों में विद्यमान लूरेसेन्ट लैंम्पो को एलईडी में बदलना।
- डीवीसी ताप विद्युत केन्द्रों में ऊर्जा लेखा परीक्षा/तकनीकी लेखा परीक्षाओं का संचालन तथा इसके संस्तुतियों का क्रियान्वयन करना।

विद्युत केन्द्रों का नवीकरण व आधुनिकीकरण (आरएण्डएम):

- **पंचेत पनबिजली यू. #1 (40 मे.वा.) का नवीकरण, आधुनिकीकरण व संवर्धन (आरएमएण्डयू)** : मेसर्स मेकन को आरएलए अध्ययन, डीपीआर तैयार करने, तकनीकी विशिष्टता आदि हेतु एक परामर्शक के रूप में नियुक्ति की गयी थी। मेकन ने अपनी डीपीआर जमा कर दी है। आरएमएण्डयू कार्य करने हेतु वेंडर की नियुक्ति के प्रति एनआईटी जनवरी – 2020 तक जारी किये जाने की संभावना है।
- **मैथन पनबिजली यू. #1 व 3 (2x20 मेवा) का नवीकरण, आधुनिकीकरण व संवर्धन (आरएमएण्डयू)** : मेसर्स मेकन को आरएलए अध्ययन, डीपीआर तैयार करने, तकनीकी विशिष्टता आदि हेतु एक परामर्शक के रूप में नियुक्ति की गयी थी । इकाई #1 व 3 में आरएलए अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण उपाय तथा नये पर्यावरण मानदंडों का अनुपालन :

- **फ्लू गैस डिसलफराइजेशन (एफजीडी) व डी–नोक्स प्रणाली :** डीवीसी ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिनांक 07.12. 2015 के नए पर्यावरण मानको के अनुपालन के क्रम में, डीवीसी ने अपने 500 मेवा एवं उससे अधिक की क्षमता वाली विभिन्न विद्युत उत्पादक ईकाइयों में नोक्स की कमी लाने हेतु डी–नोक्स प्रणाली तथा एसओएक्स की कमी लाने हेतु एफजीडी की स्थापना के लिए जुलाई 2019 में आदेश प्रस्तुत किया है। विभिन्न इकाइयों में एफजीडी की चालू किया जाना अक्टूबर 2021 नियत है जबकि डी–नोक्स प्रणाली का आरम्भ इकाईयों की अनुमोदित मरम्मती अनुसूची के अनुसार चरणों में अक्टूबर 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा।

  डीवीसी की 250/210 मे.वा. इकाइयों में एफजीडी तथा डी–नोक्स प्रणाली की संस्थापना हेतु अनुबंध फरवरी 2020 तक प्रदान किये जाने की संभावना है।
- **मेजिया इकाई #1 से 3 (3x210 मे.वा.) का ईएसपी संवर्धन :** डीपीआर तथा निविदा दस्तावेज तैयार करने के लिए एनटीपीसी को परामर्शक के रूप में नियुक्त किया गया था जो उनके द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। एनआईटी जनवरी 2020 तक जारी किया जाना अपेक्षित है।
- **राख उपयोगिता :** डीवीसी शुष्क उड़न राख (डीएफए) की अत्यधिक उपयोगिता पर बल दे रहा है। डीएफए सीमेंट, ईंट तथा ब्लॉक विनिर्माताओं आदि को बेचा जाता है। डीवीसी से कुंड राख की उपयोगिता पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुपालन में परिव्यक्त खदानों, निचली क्षेत्रों भरण तथा सड़कों के निर्माण (मुख्य रूप से नेहाई परियोजना के एनएच–02 तथा एनएच–32 हेतु) आदि के लिए की जाती है। डीवीसी ने वित्त वर्ष 19–20 (दिसम्बर 2019 तक) 25.97 एलएमटी शुष्क उड़न राख की उपयोगिता के जरिये 21.36 करोड़ रुपये की अब तक का उच्चतम राजस्व उत्पादन प्राप्त किया। वित्त वर्ष 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक) में डीवीसी द्वारा राख की उपयोगिता 55.20 एलएमटी (कुल उत्पादित राख का 66.40%) है।

खनन कार्यकलापः

बेरमो खदानः

1951 में बेरमो खदान में खनन कार्यकलाप प्रारम्भ किया गया। 2016 में खदान पट्टा की समाप्ति पर खनन कार्यकलाप बंद है। यह निर्णय लिया गया है कि बेरमो खदान से कोयले का खनन सीसीएल प्रारम्भ कर सकता है तथा विद्युत उत्पादन हेतु डीवीसी को 2.62 एमएमटीपीए की पूरा मात्रा की आपूर्ति करेगा।

खगरा जयदेव कोयला खदान :

खगरा जयदेव कोयला खदान, 103 मिलियन टन खनन रिजर्व तथा 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता शीर्ष कोयला उत्पादन के साथ मेजिया टीपीए ईकाइ # 7 व 8 के अंतिम व्यवहार हेतु आबंटित किया गया था। कथित खनन हेतु अधिकांश सांविधिक स्वीकृतियॉं प्राप्त हो चुकी है। भूमि अधिग्रहण हेतु प्रक्रिया मार्गस्थ है। मेसर्स खगरा जयदेव रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड एक जीडीसीएल–एमपीएल–जीएसएल का एक संघाय, खदान डेवलपर सह प्रचालक है। खनन कार्यकलाप वित्त वर्ष 2020–21 में शुरू होने की संभावना है।

तुबेद कोयला खदान :

तुबेद कोयला खनन, 130 मिलियन टन की खनन योग्य क्षमता तथा 6 मिलियन की शीर्ष उत्पादन क्षमता सहित मेजिया टीपीएस ईकाइ #7 व 8 तथा चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र इकाइ #8 के अंतिम व्यवहार हेतु डीवीसी को आबंटित किया गया।

कोयला ब्लॉक क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कर दी गयी है तथा डीवीसी को सौंप दी गयी है। सतही जल स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चरण–। वन स्वीकृति जारी कर दी गयी है। चरण–।। वन स्वीकृति प्राप्ति हेतु अनुपालन की जा रही है। पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रक्रिया में है। मेसर्स डेवलेक्टो माइनिंग लिमिटेड एसआईसीएएल–एएमपीएल–जीसीएल का एक संघाय, खदान डेवलपर सह प्रचालक है। वित्त वर्ष 2020–21 में खनन कार्यकलाप शुरू होने की संभावना है।

डीवीसी के गैर–विद्युत कार्यकलाप:

जल संसाधन प्रबंधन में बाढ़ नियंत्रण व विकासात्मक कार्यकलाप:

प्रस्तावना:

दामोदर बेसिन में मूल रूप से योजनाबद्ध सात भंडारण जलागारों में से, प्रथम चरण तिलैया (1953), कोनार (1955), मैथन (1957) तथा पंचेत(1959) में बहुदेशीय बॉधों का निर्माण किया गया । लेकिन मैथन तथा पंचेत जलागारों हेतु राज्य सरकारों (झारखण्ड सरकार व पश्चिम बंगाल सरकार) से अपेक्षित भूमि अधिग्रहण में बाधाओं के कारण परिकल्पित भण्डारण स्तरों को प्राप्त नहीं किया जा सका ।

तथापि, योजना के आंशिक क्रियान्वयन के बाद भी डीवीसी वर्षों से निम्न घाटी में बाढ़ नियंत्रण के अपने प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने में काफी सफल हुआ है । इसके अतिरिक्त, जलागारों के कुशल जल संसाधन प्रबंधन द्वारा दामोदर घाटी क्षेत्र में सभी वचनबद्ध आवश्यकताओं यथा; सिंचाई, नगरपालिका और औद्योगिक जलापूर्ति पूर्णरूपेण किया गया है।

बाढ़ नियंत्रण:

बराकर और दामोदर स्रवण क्षेत्र में औसत वास्तविक वर्षा (जून से अक्टूबर 2019) सामान्य मानसून वर्षा के प्रति क्रमशः +11% तथा –9% दर्ज की गयी। 28.09.2019 को 2.50 लाख क्यूसेक का एक संयुक्त (मैथन व पंचेत) उच्च अंतर्वाह देखा गया तथा समनुरूप बहिर्वाह 0.50 लाख क्यूसेक थी जिससे 80% का अधिकतम बाढ़ संयमन हुआ ।

सदस्य सचिव, डीवीआरआरसी (दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति) से संदेश प्राप्त होने पर मैथन और पंचेत बांध से बाढ़ चेतावनियां समय–समय पर (डीवीसी वेबसाइट में सूचना प्रदर्शन सहित) जारी की गयीं और डीवीसी की संशोधित बाढ़ चेतावनी ज्ञापन 2019 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बाढ़ जल निकास लागू किये गये थे ।

इस मानसून अवधि के दौरान तिलैया और कोनार जलागारों से कोई बड़ी बाढ़ जल निकास करने की आवश्यकता नहीं थी।

सिंचाई जल आपूर्ति:

दुर्गापुर बराज तथा सिंचाई प्रणाली के अनुरक्षण व प्रचालन वर्ष 1964 में पश्चिम बंगाल सरकार को एजेंसी आधार पर लेकिन डीवीसी के पास इसका स्वामित्व रखते हुए, हस्तांतरित कर दिया गया था । निम्न घाटी में खरीफ तथा रबी की खेती हेतु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत मांगपत्रों के आधार पर सदस्य सचिव, डीवीआरआरसी के सलाहानुसार डीवीसी अपने मैथन व पंचेत जलागारों से सिंचाई हेतु जल छोड़ता है।

दामोदर घाटी जलागारों हेतु विनियमन मैनुअल में बोरो की खेती हेतु कोई आबंटन नहीं है।

यद्यपि, इस वर्ष जलागारों में अधिशेष जल लगभग 528 हजार एकड़ फीट उपलब्ध है जिसमें से पश्चिम बंगाल राज्य में बोरो सिंचाई की उपयोगिता हेतु 488 हजार एकड़ फीट जल उपलब्ध कराया गया।

वर्ष 2019–20 हेतु जल की उपयोगिता नीचे सारणी में दिया गया है :

वर्ष	खरीफ		रबी		बोरो	
	जल आवंटित (लाख एकड़ फीट)	सिंचाई क्षेत्र (लाख एकड़)	जल आवंटित (हजार एकड़ फीट)	सिंचाई क्षेत्र (हजार एकड़ फीट)	जल आवंटित (लाख एकड़ फीट)	सिंचाई क्षेत्र (लाख एकड़)
2019-20	10.00	8.22	70.00	52.00	488.00	160.00

नगरपालिका व औद्योगिक (एमएण्डआई) जल की आपूर्ति :

डीवीसी नगरपालिका तथा औद्योगिक उद्देश्यों हेतु (झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल में) लगभग 143 अभिकरणों को जल की आपूर्ति करता है । झारखण्ड राज्य में एमएण्डआई हेतु कुल आवंटित मात्रा 620 एमसीएम/वर्ष (376 एमजीडी) है तथा पश्चिम बंगाल राज्य हेतु 652 एमसीएम/वर्ष (395 एमजीडी) है।

जल प्रबंधन विकासात्मक पहल :

जल संसाधन क्षेत्र में विकासात्मक कार्यकलापों के रूप में, डीवीसी द्वारा अपनायी गयी कुछ परियोजनाओं की स्थिति नीचे सारणी में दर्शायी गयी है :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
1.	बांध पुनर्वासन व संवर्धन परियोजना (डीआरआईपी)	डीवीसी के कोनार, मैथन व पंचेत बांधों को विश्व बैंक द्वारा निधियन डीआरआईपी के अधीन शामिल किया गया है। सभी तीनों बांधों का सिविल तथा हाइड्रो–मैकेनिकल पैकेज के अधीन पुनर्वासन कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना जून, 2020 में पूरा किया जाना निर्धारित है।
2.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी)	डीवीसी को राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना में शामिल किया गया है जो जल संसाधन विभाग, नदी विकास तथा गंगा पुनरूद्धार (डब्ल्यूआर, आरडी व जीआर) के संरक्षण के अधीन विश्व बैंक द्वारा निधियन (50 करोड़ रुपये की एक राशि हेतु) अनुदान परियोजना है। डब्ल्यूआर, आरडी व जीआर विभाग द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना प्रगति पर है। परियोजना की अवधि 8 वर्ष अर्थात 2023–24 तक का है।

		एनएचपी के अधीन प्रमुख कार्य निम्नानुसार है : i) हाइड्रोलोजी डाटा सेंटर का निर्माण ii) रियल टाइम डाटा एक्यूजिसन सिस्टम iii) जीआइएस सॉफ्टवेयर का अनुप्रयोग iv) डीवीसी जलागारों हेतु गादीकरण सर्वेक्षण v) पेयजल/औद्योगिक जल आपूर्ति हेतु स्वचालित पाइप लो मेजरमेंट सेंसर की खरीद

पर्यावरण संरक्षण, वनीकरण तथा भू–संरक्षण

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, डीवीसी ने ''दामोदर–बराकर'' के जलग्रहण क्षेत्र में ''मृदा व नमी संरक्षण'' के क्षेत्र में अपनी कार्यकलापों को जारी रखा है। जलग्रहण क्षेत्र में स्वस्थ पर्यावरण की सुविधा जिसमें पश्चिम बंगाल तथा झारखण्ड राज्य में पर्यावरण संरक्षण के कार्यों जैसे कार्यकलाप शामिल है।

सीएसआर कार्यकलापों के रूप में विभिन्न विद्युत परियोजना के साथ– साथ मैथन स्थित अपने जलीय संसाधन स्कंधों के माध्यम डीवीसी के प्रमुख जलागारों में मत्स्य पालन तथा इससे संबद्ध कार्यकलापों को भी चलाया गया था।

जल निकायों की नवीकरण, नयी वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, डीग्रेटेड वन क्षेत्र का रिस्टोकिंग, भूसंरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, विद्युत परियोजनाओं में बहु–स्तरीय हरित विकासात्मक कार्यों, मत्स्य पालन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना, स्रवण क्षेत्र के लघु प्रवाहों में मृदा की हानि की मात्रा पता लगाने के लिए हाइड्रोलोजिक प्रबोधन प्रणाली तथा प्राकृतिक संसाधनों की संरचना जैसे कार्यकलापों का निष्पादन किया गया था।

2019–20 के दौरान भू संरक्षण योजना की वार्षिक उपलब्धियां

क्र. सं.	प्राचल	इकाई	2019–20 के दौरान उपलब्धियाँ	
			31 दिस. 2019 तक	01.01.2020 से 31.03.2020 तक (प्रत्याशित)
	भू–संरक्षण			
1	**तालाबों का नवीकरण** क) तालाब नवीकरण के माध्यम लाभार्थियों की संख्या (लगभग)	संख्या संख्या	00 00	120 1200
	ख) तालाब नवीकरण के माध्यम उपचारित हेक्टेयर भूमि (लगभग)	एकड़	00	960
2	नये वर्षा जल विभाजक संरचनाओं का निर्माण	जल निकायों की संख्या	00	35
	क) तालाब नवीकरण के माध्यम लाभार्थियों की संख्या (लगभग)	संख्या	00	350
	ख) तालाब नवीकरण के माध्यम उपचारित हेक्टेयर (लगभग)	एकड़	00	280
3	**भू संरक्षण – प्रशिक्षण**			
	क) प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	संख्या	9	4
	ख) प्रशिक्षुओं की संख्या	संख्या	250	90
4	**पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार विद्युत परियोजनाओं में पर्यावरणिक विकासगत कार्य**			
	कोडरमा टीपीएस में नया हरित क्षेत्र सृजन	क्षेत्र वर्ग मीटर में	5000	40000
	डीवीसी निम्न तथा ऊपरी घाटी दोनों की सभी परियोजनाओं में भू निर्माण तथा सौंदर्यीकरण कार्य सहित अन्य हरित क्षेत्र का अनुरक्षण	क्षेत्र वर्ग मीटर में	9.8 लाख	वही क्षेत्र
5	**मृदा प्रयोगशाला के माध्यम परामर्शी सेवाएं**			
	मृदा परीक्षण तथा ऊर्वरक संबंधी अनुशंसाऐं	संख्या	1141	659
6	**डीवीसी स्रवण क्षेत्र में वनीकरणसृजन कार्य**	**क्षेत्र हेक्ट में**	**18.5**	**00**
7	**चयनित जल विभाजकों का जलविज्ञानी व गाद प्रबोधन**	**केन्द्र की संख्या**	**06**	**00**

2019–20 के दौरान मत्स्यपालन योजना की वार्षिक उपलब्धियाँ

क्र. सं.	प्राचल	इकाई	2019–20 के दौरान उपलब्धियाँ	
			31 दिस. 2019 तक	01.01.2020 से 31.03.2020 तक (प्रत्याशित)
	मत्स्य पालन (जलीय संसाधन, डीवीसी, मैथन द्वारा अपनाये गये मत्स्य पालन कार्यकलाप)			
1	मैथन व एमटीपीएस में अंडज उत्पादन	संख्या लाख में	838.145	14.00
2	आंगुलिकों का उत्पादन	संख्या लाख में	41.23	00
3	जल निकायों में मत्स्यपालन	संख्या	20	00
4	जलागार मत्स्य पालन प्रबंधन पर प्रशिक्षण, तालाबों/टैंकों में वैज्ञानिक मत्स्य पालन	लाभार्थियों की संख्या	48	40
5	लाभार्थियों को मत्स्य अंडज/आंगुलिकों का वितरण	लाभार्थियों की संख्या	1027	00

डीवीसी की नैगम सामाजिक उत्तरदायित्वः

लोगों की तकलीफों को कम करने और अपने प्रमुख सयंत्रों के चारों ओर निवास कर रहे ग्रामीणों एवं औद्योगिक कामगारों के बीच की दूरी को पाटने के लिए डीवीसी ने वर्ष 1981–82 के दौरान अपना सीएसआर कार्यक्रम प्रारम्भ किया। नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का प्राथमिक उद्देश्य अपने प्रमुख परियोजनाओं की परिधि के 10 किमी के दायरे में निवास करने वाले समुदायों का सामाजिक – आर्थिक विकास करना है। वर्तमान में डीवीसी सीएसआर स्कंध 7 जिलों को आवृत्त कराते हुए 629 गॉवों (पश्चिम बंगाल : 297 गॉव + झारखण्डः 332 गॉव) में कार्य करता है।

सीएसआर कार्यक्रम मुख्यतः दो प्रकार के क्रियाकलापों में विभाजित है। पहला कार्यकलाप में ग्रामीण लोगों के सामाजिक व आर्थिक विकास के मदों पर ध्यान देता है। ये कार्यकलाप स्थायी और सतत् स्वरूप से चलने वाले हैं। इस कार्यक्रम के अधीन आवृत्त किये गये क्रियाकलाप नीचे वर्णित है ;

- **प्राथमिक एवं गैर–औपचारिक शिक्षा का प्रोन्नयन** – स्कूली अवसंरचना का संवर्धन तथा स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य तथा स्वच्छता मामले की जानकारी
- **व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा स्व–रोजगार** – कम्प्यूटर प्रचालन, पाइप लाइन, वैद्युतिक वायरिंग आदि पर ग्रामीण युवकों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- **खेलकूद, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम**
- **ग्रामीण स्वच्छता** – ''स्वच्छ भारत'' मिशन के तहत स्वच्छता कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण।
- **प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य जागरूकता व परिवार कल्याण** – टीकाकारण कार्यक्रम, विभिन्न जल जनित व संक्रामक रोगों पर जागरूकता शिविर एवं परिवार कल्याण तथा नेत्र जांच शिविर।
- **कृषि व कृषि–इतर कार्यकलापों का विकास** – कृषि तथा उससे संबद्ध कार्यकलापों पर वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया गया।
- **सामाजिक वानिकी एवं मत्स्य पालन** (मत्स्य अंडज का वितरण, कृषि वानिकी तथा केज कल्चर मत्स्यिकी)।

दूसरा कार्यकलाप अवसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम से संबंधित है जिसके अधीन ग्रामीण अवसंरचना संबर्धन हेतु कार्यकलाप के अधीन विभिन्न ग्रामीण अवसंरचनाएँ, यथा; सड़क, स्कूल भवन, समुदाय केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, सिंचाई संरचना तथा ट्यूबवेलों को लगाना व नवीकरण करना तथा पेय जल कुँओं का निर्माण आदि जैसे विभिन्न अवसंरचना कार्यक्रम अपनाए गये हैं।

निगम ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम हेतु 545.31 लाख रूपये तथा अवसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम हेतु 580.25 लाख रुपये प्रतिचिह्नित किया है। 2019–20 के दौरान दिसंबर 2019 तक आबंटित निधि में से क्रमशः सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम के प्रति 175 लाख रुपये तथा आंतसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम के प्रति 217 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। अन्य प्रकार के क्रियाकलाप प्रगति पर है तथा शेष बची राशि को वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपयोग कर लिया जाएगा। डीवीसी ने ''स्वच्छता पखवाड़ा–2019'' में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विद्युत मंत्रालय पुरस्कार (तृतीय पुरस्कार) प्राप्त किया है। यह पुरस्कार सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सदस्य–सचिव, डीवीसी को 11.07.2019 को प्रदान किया।

ई–गवर्नेंस/सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पहल :

- फार्म उपभोक्ताओं हेतु विद्युत उपभोक्ता बिलों का सृजन प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में बिलों को बनाने की प्रचलित प्रथा के स्थान पर प्रत्येक माह के द्वितीय दिन तक तैयार करना संभव हुआ है।
- विद्युत उपभोक्ताओं को बिलों/योजनाबद्ध आउटेज घंटे/अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में सूचना भेजने के लिए ई–मेल तथा संदेश भेजे जाने हेतु प्रणाली को एकीकृत किया गया है।
- एंटरप्राइज बिजनेस एप्लीकेशन (ईबीए) को नए प्लेटफार्म अर्थात् विद्यमान प्लेटफार्म स्ट्रट्स के जावा सर्वर फसेस (जे एस एफ) पर अपग्रेड किया गया है।
- ईबीए, वेबसाइट तथा डीवीसी पोर्टल जैसे एप्लीकेशनों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मैती) द्वारा सूचीबद्ध टियर–III डाटा सेन्टर में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- डीवीसी की अपनी ई–मेल सेवा को भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की ई–मेल सेवाओं द्वारा बदल दिया गया है।
- डीवीसी की ई–निविदाकरण प्रणाली के सेन्ट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल द्वारा बदल दिया गया है।
- नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी) की क्रियान्वयन योजना को 2019–20 में बनायी गयी है।

अध्याय 30

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड (बीबीएमबी)

भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड (बीएमबी) का गठन, भाखड़ा नंगल परियोजना के प्रशासन, अनुरक्षण तथा परिचालन के लिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966,की धारा–79 के अंतर्गत 1 अक्तूबर, 1967 से किया गया । ब्यास परियोजना के कार्य पूरे होने पर, भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 80 के अनुसार ब्यास निर्माण बोर्ड (बीसीबी) से बीएमबी को स्थानान्तरित कर दिए गए और दिनांक 15.5.1976 से भाखड़ा प्रबंध बोर्ड का नाम बदल कर भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड (बीबीएमबी) कर दिया गया ।

कार्य

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड, भाखड़ा नंगल परियोजना, ब्यास–सतलुज लिंक परियोजना तथा ब्यास बाध, साथ ही विद्युत गृह और पारेषण लाइनों तथा ग्रिड उप केन्द्रों के नेटवर्क के प्रशासन,परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है । भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के कार्य निम्नलिखित हैं:–

- भाखड़ा–ब्यास परियोजनाओं का प्रशासन परिचालन एवं अनुरक्षण ।
- भाखड़ा–ब्यास परियोजनाओं से पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों को पानी की आपूर्ति का नियमन ।
- भाखड़ा–ब्यास परियोजनाओं पर उत्पादित विद्युत की आपूर्ति का नियमन।
- हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान राज्य की सरकारों के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य ।
- भारत सरकार ने वर्ष 1999 में जल विद्युत परियोजनाओं तथा सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में इंजीनियरी और संबंद्ध तकनीकी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने और निष्पादन के अतिरिक्त कार्य सौंपे है।

बीबीएमबी द्वारा प्रबंधित कार्यो के तीन बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप समूहबद्ध किया गया है, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, ब्यास परियोजना यूनिट– I, (बीएसएल परियोजना) तथा ब्यास परियोजना यूनिट– I I (ब्यास बांध) ।

भाखड़ा–नंगल परियोजना में भाखड़ा बांध, भाखड़ा बायां किनारा तथा भाखड़ा दायां किनारा विद्युत गृह, नंगल बांध, नंगल जल विद्युत चैनल, गंगूवाल और कोटला विद्युत गृह तथा सहायक पारेषण प्रणाली शामिल हैं। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना एक तेजस्वी स्मारक है। यह एक ऊंचा स्ट्रेट ग्रैविटी कंक्रीट बांध है जो सबसे गहरी नींव से 225.55 मीटर ऊंचा है और घाटी मार्ग शीर्ष पर 518.16 मीटर लम्बाई तक फैला है। बांध द्वारा निर्मित गोबिन्द सागर झील का क्षेत्र 168.35 वर्ग कि.मी और इसकी सकल भण्डारण क्षमता 9621 मिलियन क्यूबिक मीटर है । दो विद्युत घरों, एक बाएं किनारे पर और दूसरा दाएं किनारे पर,की संयुक्त अधिष्ठापित क्षमता 1379 मेगावाट है। नंगल हाइडल चैनल द्वारा पोषित गंगूवाल और कोटला विद्युत घरों की अधिष्ठापित क्षमता 153.73 मेगावाट है। ब्यास परियोजना यूनिट–I (बीएसएल परियोजना) ब्यास जल को सतलुज बेसिन में डाइवर्ट करती है जो 320 मीटर की उँचाई से गिरता है और देहर विद्युत घर पर विद्युत उत्पादन करता है जिसकी अधिष्ठापित क्षमता 990 मेगावाट है। इस परियोजना में पण्डोह में एक डाइवर्सन बांध, 13.1 कि.मी. लम्बी पण्डोह–बग्गी सुरंग 11.8 कि.मी. लम्बी सुन्दरनगर हाइडल चैनल, सुन्दरनगर में संतोलक जलाशय 12.35 कि.मी लम्बी सुन्दरनगर–सतलुज सुरंग, 125 मीटर ऊँची सर्ज शाफ्ट और 990 मेगावाट देहर विद्युत घर शामिल हैं । पौंग ब्यास बांध 132.6 मीटर ऊँचा एक अर्थ–फिल (अर्थ कोर, ग्रेवेल शैल) बांध है जिसकी कुल भण्डारण क्षमता 8579 मिलियन क्यूबिक मीटर है। 396 मेगावाट पौंग विद्युत घर पेनस्टॉक सुरगों के डाऊनस्ट्रीम स्टिलिंग बेसिन में स्थित है।

बीबीएमबी के विद्युत घरों की कुल अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता 2918.73 मेगावाट है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

विद्युत घर	अधिष्ठापित क्षमता	मेगावाट
भाखड़ा (दायां किनारा)	5x157	785
भाखड़ा (बायां किनारा)	3x126+2x108	594
गंगूवाल	1x27.99+2x24.20	76.39
कोटला	1x28.94+2x24.20	77.34
देहर	6x165	990
पौंग	6x66	396

उत्पादन और पारेषण प्रणाली

वर्ष 2018–19 के दौरान 9425 मिलियन यूनिट लक्ष्य के विरूद्ध 10190.26 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ। बीबीएमबी विद्युत घरों से संबंध में जोकि लक्ष्य से 8.12% ज्यादा उत्पादन हुआ है। वर्ष 2019–20 के दौरान बीबीएमबी विद्युत घरों से 7727.00 मिलियन यूनिट के विरूद्ध दिनांक 31.12.2019 तक 10095.601 मिलियन यूनिट उत्पादन हुआ है जोकि लक्ष्य से 30.653% अधिक है। वर्ष 2019–20 के लिए लक्ष्य 9470 मिलियन यूनिट का है। 31 मार्च 2020 तक 11433 मिलियन यूनिट उत्पादन होने की संभावना है।

वर्ष 2019–20 के दौरान विद्युत घरों की प्लांट उपलब्धता क्रमशः भाखड़ा बायां किनारा 98.43% (आर, एम यू के बिना), भाखड़ा दायां किनारा–99.98%, गंगूवाल–98.42%, कोटला 99.16%, देहर 96.79% और पौंग 94.27% रही है। वर्ष 2018–19 के लिए कुल मिलाकर संयंत्र उपलब्धता 97.95% प्राप्त की गई थी।

वर्ष 2019–20 के लिए दिनांक 31.12.2019 तक बीबीएमबी के विद्युत घरों की प्लांट उपलब्धता क्रमशः भाखड़ा बायां किनारा 99.98% (आर, एम यू के बिना), भाखड़ा दायां किनारा 99.80%, गंगूवाल 99.31%, कोटला 99.01%, देहर 96.95% और पौंग 99.12% रही है। कुल मिला कर 31.12.2019 तक की संयंत्र उपलब्धता 98. 75% रही है।

बीबीएमबी के विद्युत घरों से विद्युत उत्पादन की निकासी बीबीएमबी विद्युत निकासी प्रणाली के माध्यम से 3704.71 सर्किट किलोमीटर लम्बी 400, 220, 132 और 66 किलो वोल्टस पारेषण लाइनों और 24 उप केन्द्रों से की जा रही है । बीबीएमबी विद्युत निकासी प्रणाली हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में फैले हुए अपने पारेषण नेटवर्क के साथ उत्तरी ग्रिड में एकीकृत तरीके से कार्य करती है। यह प्रणाली पीजीसीआईएल और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चण्डीगढ़ तथा दिल्ली राज्यों की पारेषण प्रणाली के साथ अन्तः सम्बद्ध है। वर्ष 2018–19 के दौरान पारेषण प्रणाली की उपलब्धता 99.69% रही, जबकि वर्ष 2019–20 में दिनांक 31.12.2019 तक पारेषण प्रणाली की उपलब्धता 99.84% रही है।

सिंचाई:

भारत के विभाजन के समय, विभाजन से पहले पंजाब का लगभग 80 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र पाकिस्तान के पास चला गया और भारत के पास बहुत थोड़े सिंचाई संसाधन रह गए। विशाल भाखड़ा–नंगल और ब्यास परियोजनाओं ने यह परिदृश्य बदल दिया और उत्तर भारत को राष्ट्र के अन्न भण्डार में परिवर्तित कर दिया। भाखड़ा–नंगल एवं ब्यास परियोजनाएं पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों में केवल हरित क्रांति ही नहीं लाई बल्कि दूध के रिकार्ड उत्पादन द्वारा श्वेत क्रांति भी लाई हैं। पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों को प्रत्येक वर्ष लगभग 28 मिलियन एकड़ फीट तक पानी की आपूर्ति की जा रही है।

नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन (आर,एम एण्ड यू कार्य)

पुराने बिजली घरों के नवीनीकरण आधुनिकीकरण और उन्नयन से मशीनों को नया जीवन ही नहीं मिलता अपितु प्रणाली में कम लागत वाली व्यस्ततम कालीन विद्युत (पीकिंग पावर) के योगदान द्वारा राष्ट्र की अभिलाषाओं को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

बीबीएमबी ने अपने विद्यमान हाईड्रो उत्पादक यूनिटो के नवीनीकरण आधुनिकी करण और उन्नयन का एक महत्वाकांक्षी कार्य आरम्भ किया है। आर,एम एण्ड यू के द्वारा बीबीएमबी ने पहले ही 329 मेगावाट क्षमता की वृद्धि कर ली है। वर्तमान में भाखड़ा बायां किनारा बिजली घर की 5 मशीनों का आर एम एण्ड यू का कार्य प्रगति पर है।

220 केवी उपकेन्द्र का स्वचालन

बीबीएमबी ने अपनी पारेषण प्रणाली में उपकेन्द्रों के स्वचालन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 220 केवी उपकेन्द्र, संगरूर (बरनाला से 40 कि.मी. दूर) से दूरस्थ परिचालन पूर्णतः स्वचालित 220 केवी उपकेन्द्र बरनाला हाल ही में 1.7 करोड़ रुपए की लागत पर शुरूआत की गई है। उपकेन्द्र, अब मानव रहित है, कट्रोल रूम को ताला लगा दिया गया है और शिफ्ट में कोई स्टाफ तैनात नहीं है।

रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र

बीबीएमबी ने 40 गैर आवासीय इमारतों/उपकेन्द्रों पर 1.685 एमडब्ल्यूपी के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र चालू कर दिए है और लगभग 1.5 एमडब्ल्यूपी के सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यान्वयन के अधीन है।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड नें अन्तर्वाह की भविष्यवाणी (अल्पावधि 3 दिन, मध्यम अवधि 7 से 15 दिन), जलाश्य संचालन व योजना तथा बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए चण्डीगढ़ में अर्थ रिंसीविंग स्टेशन (ईआरएस) स्थापित किया है ताकि भाखड़ा व पौंग जलाश्यों और नहर नेटवर्क का इष्टतम उपयोग किया जा सके। बीबीएमबी विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित जल विज्ञान परियोजना चरण–II के तहत देश में ''पहलाप्रस्तावक'' रहा है ।

इस परियोजना के तहत अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके सतलुज और ब्यास नदी के जलग्रहण क्षेत्र में 100 रियल टाइम डेटा अधिग्रहण स्टेशन लगाए गए है जिसमें आईएमडी वाले 6 को–ऑपरेटर स्टेशनों तथा पार्टनर राज्य के संपर्क बिदुओं पर लगाए गए 10 ओटोमेटिक स्टेज रिकार्डर स्टेशनों सहित आटोमेटिक रेन गेज स्टेशन, आटोमेटिक फुल क्लाईमेंट स्टेशन एस्नो वाटर इक्युवेलैंट, वाटर लेवल रिकोर्डर्स, केवल वे आदि शामिल हैं।

रियम टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की योजनाबद्ध व्यवस्था में चण्डीगढ़ अर्थ रिसीवड स्टेशन पर 1 घंटे के अंतराल पर इनसैट–3डी के माध्यम से हाइड्रो मौसम संबंधी डेटा का रियल टाइम संचरण शामिल है। रियल टाइम डेटा को रेनफॉल अपवाह मॉडल, हाइड्रो डायनामिक मॉडल, फल्ड मॉडल और माइक सॉफ्टवेयर के जल आबंटन मॉडल का उपयोग करके संसाधित किया जाता है। इसका परिणाम आगे एनएचपी डैशबोर्ड पर दर्शाया जाता है । भारतीय मौसम विभाग के वर्षा और तापमान के आंकड़ों के आधार पर 3 दिनों का अल्पकालिक पूर्वानुमान निर्माताओं/हितधारकों को ईमेल/ एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार नें विश्व बैंक के सहयोग से भारत में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एन.एच.पी.) को जल विज्ञान परियोजना चरण–II के कार्यों और उद्देश्यों को आगे ले जाने के लिए शुरू किया है। इस आशय के लिए बीबीएमबी को बेहतर आंकड़े प्राप्त करने के लिए एवं मौजूदा डेटा अधिग्रहण प्रणाली (डीएएस) व वैकल्पिक मॉडल के विकास और संगठन में क्षमता निर्माण के साथ टैक्नालोजी विकास को मजबूत करने और विस्तार के लिए 30 करोड़ रूपये आबंटित किये गए हैं।

एनएचपी के तहत वार्षिक कार्य योजना 2019–20 को पहले ही भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

अध्याय 31

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)

भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (ईसी एक्ट), 2001 लागू किया है और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए 1 मार्च, 2002 से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) प्रचालन में लाया गया। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में देश में ऊर्जा दक्षता पहलों के लिए एक कानूनी संरचना प्रदान की गई है। अधिनियम में अनिवार्य और प्रोत्साहनात्मक पहल की गई है जो प्रमुख रूप से अभिहित उपभोक्ताओं, उपकरण और उपस्कर हेतु मानकों और लेबलिंग कार्यक्रमों एवं नए वाणिज्यिक भवनों और आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) से संबंधित हैं। ब्यूरो विनियामक और प्रोत्साहनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को सुधारने के कार्य में अग्रणी है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अभिहित उपभोक्ताओं, अभिहित एजेंसियों तथा अन्य संगठनों के साथ समन्वय द्वारा इसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में मौजूदा संसाधनों और मूल संरचना को मान्यता देने, चिन्हित तथा उपयोग करने का कार्य किया जाता है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मिशन

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) का मिशन ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की समग्र रूपरेखा के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा सघनता कम करने के प्राथमिक उद्देश्य सहित स्व विनियमन और बाजार के सिद्धांतों पर बल देते हुए नीति और कार्यनीतियों का विकास करना है। इसे सभी पणधारियों की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को तेजी से और स्थायी रूप से अपनाया जाएगा।

उद्देश्य और कार्यनीतियां

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा सघनता को कम करना है। उद्देश्यों को परिणामोन्मुखी कार्य में परिवर्तित करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थूल कार्यनीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- ऊर्जा के दक्ष उपयोग पर नीतियों और कार्यक्रमों का समन्वय करना तथा पणधारियों को शामिल करने के साथ इसका संरक्षण करना।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संकल्पित ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों की योजना, प्रबंधन और कार्यान्वयन।
- राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता और संरक्षण प्रयास तथा कार्यक्रमों के लिए नेतृत्व प्राप्त करना, दिशा तथा नीति रूपरेखा प्रदान करना।
- निजी–सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में परिकल्पित ऊर्जा दक्षता आपूर्ति प्रक्रियाओं का समन्वय करना।
- वैयक्तिक क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त ऊर्जा दक्षता के परिणामों को मापने, उनकी निगरानी तथा सत्यापन करने की प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थापना।
- कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बहुपक्षीय, द्विपक्षीय और निजी क्षेत्र का समर्थन जुटाने पर बल देना तथा ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण पर बल देना।
- ऊर्जा बचत और ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के कार्य

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपने क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए अभिहित उपभोक्ताओं, अभिहित एजेंसियों तथा अन्य संगठनों में समन्वय स्थापित करता है और मौजूदा संसाधनों तथा आधारभूत संरचना का पता लगाकर उसका उपयोग करता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम विनियमन और संवधर्नात्मक कार्यकलाप करता है।

विनियामक कार्य

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रमुख विनियामक कार्यों में शामिल हैं :

- उपकरणों और उपस्करों के लिए न्यूनतम ऊर्जा खपत मानकों और लेबलिंग का विकास।
- विशिष्ट ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) का विकास।
- अभिहित उपभोक्ताओं पर केन्द्रित गतिविधियां :
  - ऊर्जा खपत के मानकों का विकास।
  - ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों का प्रमाणन।
  - ऊर्जा लेखा परीक्षकों को मान्यता दिलवाना।
  - अनिवार्य ऊर्जा लेखा परीक्षाओं की रीति और आवधिकता को परिभाषित करना।
  - ऊर्जा खपत पर और ऊर्जा लेखा परीक्षकों की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्टिंग फार्मेट तैयार करना।

प्रोत्साहन कार्य

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रमुख प्रोत्साहन कार्यों में शामिल हैं :

- ऊर्जा दक्षता और संरक्षण पर सूचना का प्रसार और जागरूकता लाना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण की तकनीकों में कार्मिकों तथा विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की व्यवस्था और आयोजन।
- परामर्शी सेवाओं को मजबूत बनाना।
- अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देना।
- परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रियाओं का विकास तथा परीक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना।
- प्रायोगिक परियोजनाओं तथा प्रदर्शन परियोजनाओं का सूत्रपात करना तथा कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना।
- ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाओं, उपकरण, युक्तियों और प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देना।

- ऊर्जा दक्ष उपकरण या उपस्कर के उपयोग की प्राथमिकता को बढ़ावा देने के कदम उठाना।
- ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के नूतन वित्त पोषण को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण पर शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

परियोजनाएं और कार्यक्रम

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भारत में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित स्वैच्छिक और अनिवार्य योजनाओं को पहले ही प्रारंभ कर दिया है जिसके विवरण ऊर्जा संरक्षण से संबंधित अध्याय 10 में दिए गए हैं :

1. मानक और लेबलिंग योजना
2. ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)
3. विभिन्न परियोजनाओं में ईसीबीसी संबंधी सहायता
4. मौजूदा भवनों में ऊर्जा दक्षता
5. कृषि (एजी डीएसएम) और नगर पालिका (एमयू डीएसएम) मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) योजना
6. एसडीए योजना की संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण
7. राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) योजना में योगदान
8. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार
9. ऊर्जा संरक्षण पर चित्रकला प्रतियोगिता
10. राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई)
11. छात्र क्षमता निर्माण कार्यक्रम
12. लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) में ऊर्जा दक्षता

अध्याय 32

केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई)

केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सी पी आर आई) 1960 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया तथा वर्ष 1978 में भारतीय विद्युत प्रणाली में विद्यमान स्थितियों के अंतर्गत उपयोग के लिए पर्याप्त गुणवत्ता के उपस्कर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन तथा रेटिंग के प्रमाणन के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्राधिकार के तौर पर सेवा प्रदान करने हेतु एक स्वायत्त सोसाइटी के तौर पर पुनर्गठित किया गया। अध्यक्ष के तौर पर भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के सचिव के साथ शासी परिषद द्वारा सोसाइटी के मामलों का प्रबंधन किया जाता है। शासी परिषद में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विद्युत उपयोगिता, निर्मातागण, शैक्षणिक संस्थानों आदि के प्रतिनिधित्व हैं।

संस्थान का प्रधान कार्यालय एवं प्रमुख प्रयोगशालाएँ बेंगलूर में स्थित है। संस्थान के एकक भोपाल, हैदराबाद, कोराडी, नोएडा एवं कोलकाता में स्थित हैं। नासिक में नई इकाई की स्थापना प्रगति पर है।

संस्थान की मुख्य गतिविधियाँ हैं :

- अनुसंधान एवं विकास
- परीक्षण एवं प्रमाणन
- परामर्श
- आवश्यकतानुसार तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रम
- विक्रेता विश्लेषण
- तृतीय पार्टी निरीक्षण सेवाएँ

प्रत्यायन :

- आईएसओ / आईईसी 17025:2017 के अनुसार प्रत्यायित
- लघु परिपथ परीक्षण संपर्क (एसटीएल) ग्रुप का सदस्य
- डीएलएमएस यूए (डिवाईस लैंगवेज मेसेज स्पेसिफिकेशन यूसर एसोसिएशन) एवं यूसीए आईयूजी (यूटिलिटी कम्यूनिकेशन आर्किटेक्चर इंटरनेशनल यूसर ग्रुप) के निगमित सदस्य
- अनुसंधान एवं प्रमाणीकरण क्रियाकलापों के लिए आईएसओ 9001:2015 प्रमाणीकरण
- इंटरटेक–आस्टा, यूके द्वारा प्रत्यायित
- वितरण ट्रांसफॉर्मर के लिए इन्मेट्रो, ब्राजील द्वारा प्रत्यायित
- एलवी उपकरणों के परीक्षण के लिए अंडरराइटर लेबोरेटरीस (यूएल) के साथ संबंध

महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

1) महानिदेशक–सीपीआरआई ने 8 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एनएचपीटीएल की 53 वीं बोर्ड बैठक में भाग लिया।

2) सीपीआरआई की अनुसंधान एवं विकास (एससीआरडी) पर स्थायी समिति की 21 वीं बैठक 9 अप्रैल, 2019 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता सीईए, नई दिल्ली के अध्यक्ष श्री प्रकाश एस. मस्के जी ने किया। बैठक में उप सचिव (वित्त), विद्युत मंत्रालय, सीईए, बीएचईएल, पावरग्रिड, एनटीपीसी – नेत्रा, डीएसआईआर एवं एनएचपीसी के सदस्य तथा महानिदेशक – सीपीआरआई भी शामिल थे। चालू और पूर्ण की गई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। छह नई परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया।

3) महानिदेशक–सीपीआरआई ने 24 अप्रैल 2019 को विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली में एनएचपीटीएल के कामकाज और प्रवर्तकों द्वारा एनएचपीटीएल को प्रस्तावित ऋण पर विचार करने के संबंध में अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा की गई समीक्षा बैठक में भाग लिया।

4) महानिदेशक–सीपीआरआई और श्री बी.ए. सावले, अपर निदेशक, एसटीडीएस–सीपीआरआई, भोपाल ने 8 मई 2019 को नई दिल्ली में विद्युत मंत्रालय में आयोजित भारत में स्मार्ट मीटरिंग से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में सचिव (विद्युत) द्वारा ली गई बैठक में भाग लिया।

5) महानिदेशक–सीपीआरआई और श्री एम.के. वाधवानी, अपर निदेशक, एसटीडीएस–सीपीआरआई, भोपाल ने 16 और 17 मई 2019 को वारविकशायर, बर्मिंघाम, यू.के. में आयोजित लघु परिपथ परीक्षण संपर्क (एसटीएल) की 45 वीं प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल हुए।

6) श्री बी.ए. सावले, अपर निदेशक, एसटीडीएस–सीपीआरआई, भोपाल ने 20 मई 2019 को नई दिल्ली में आयोजित बीआईएस ईटी– 13 पैनल पी 4 (स्मार्ट मीटर) बैठक में भाग लिया।

7) संस्थान ने 16 मई 2019 से 31 मई 2019 तक स्वच्छता पखवाड़ा – 2019 मनाया । स्वच्छता पखवाडे के पहले दिन यानी 16 मई 2019 को सभी कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता प्रतिज्ञा ली गई।

8) सीपीआरआई, बेंगलूरु और इसकी एककों ने 21 मई 2019 को ''आतंकवाद विरोधी दिवस'' मनाया।

9) श्रीमती रेणुका कुमार, निदेशक (टी एंड आर), विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली ने सीपीआरआई के चालू पूंजी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 14 जून 2019 को सीपीआरआई, बेंगलूरु का दौरा किया।

10) भारत रत्न डॉ. बी. आर. अंबेडकर की 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में 19 जुलाई 2019 को सीपीआरआई, बेंगलूरु में एक सरकारी समारोह आयोजित किया गया। श्री अशोक एन. चलवादी, संयुक्त निदेशक, कन्नड़ और संस्कृति विभाग, कर्नाटक सरकार मुख्य अतिथि रहे और समारोह की अध्यक्षता श्री वी.एस. नंदकुमार महानिदेशक–सीपीआरआई ने की।

11) सीपीआरआई के 83वीं स्थायी समिति की बैठक 4 सितंबर 2019 को सीपीआरआई, बेंगलूर में आयोजित की गई।

12) महानिदेशक–सीपीआरआई ने 12 सितंबर 2019 को चेन्नई में निदेशक (वितरण), तैन्जेडको के साथ बैठक में भाग लिया।

13) महानिदेशक–सीपीआरआई ने 11 और 12 अक्तूबर, 2019 को टेंट सिटी, नर्मदा, गुजरात में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया।

14) महानिदेशक–सीपीआरआई ने 25 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली के संसद भवन में आयोजित 2019–20 के लिए विद्युत मंत्रालय के अनुदान मांगों की परीक्षा के संबंध में ऊर्जा पर स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया।

15) 28 अक्तूबर 2019 से 02 नवंबर 2019 तक सीपीआरआई में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। 28 अक्तूबर, 2019 को प्रधान कार्यालय तथा एककों के सभी कर्मचारियों को ''अखंडता प्रतिज्ञा'' दिलाई गई।

16) लघु परिपथ परीक्षण संपर्क (एसटीएल) सदस्य प्रयोगशालाओं की 67 वीं तकनीकी समिति की बैठक 19 और 20 नवंबर, 2019 को हैदराबाद में आयोजित की गई। सीपीआरआई, भारत ने बैठक का आयोजन किया और इंटरटेक (आस्टा), यूके, सीईएसआई, इटली, ईएसईएफ, एएसईएफए, फ्रांस, जेएसटीसी, जापान, कीमा, दि नेदरलैंड, केरी, दक्षिण कोरिया आदि से 32 सदस्यों ने बैठक भाग लिया। श्री वी.एस. नंदकुमार, महानिदेशक–सीपीआरआई और श्री एस. सुधाकर रेड्डी, अपर निदेशक, श्री राजाराम मोहन राव चेनू, इंजीनियरी अधिकारी ग्रेड 3, सीपीआरआई, बेंगलूरु भी बैठक में शामिल हुए।

- **वार्षिक ग्राहक बैठक – 2019 :**

  सीपीआरआई वार्षिक ग्राहक बैठक – 2019 का आयोजन 13 सितंबर, 2019 को बेंगलूरु में किया गया। उद्योग एवं उपयोगिताओं से कुल 69 वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया।

- **ऊर्जा संरक्षण पर राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता – 2019 :**

  ऊर्जा संरक्षण पर राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता – 2019, 14 नवंबर 2019 को सहयोगात्मक एवं उन्नत अनुसंधान केंद्र (सीकार), सीपीआरआई, बेंगलूरु के परिसर में आयोजित की गई।

महत्वपूर्ण परामर्श क्रियाकलाप :

- सामग्री प्रौद्योगिकी प्रभाग, सीपीआरआई, बेंगलूरु द्वारा मेसर्स टीएचडीसी, कोटेश्वर के यूनिट 1 में 100 मे.वा. जल विद्युत स्टेशन का निदान (यांत्रिक) अध्ययन संपन्न किया गया।
- यूनिट सं 4, भुसावल ताप शक्ति केंद्र , भुसावल के लिए प्रभागीय अति तापक प्लेटन अति तापक एवं पुनः तापक ट्यूब (एल टी–321) का धातु विज्ञान विश्लेषण
- मेसर्स ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्रा.लि., नागपुर के लिए ऊर्जा संपरीक्षा अध्ययन
- यूनिट # 1 के लिए, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, रायगढ़ के लिए बॉयलर सं. सीजी –20 (आर–179) का शेष जीवनकाल निर्धारण अध्ययन
- चुटक विद्युत संयंत्र, एनएचपीसी लिमिटेड के लिए संरक्षण संपरीक्षा
- मेसर्स एनटीपीसी, रामागुंडम यूनिट 1, 200 एम डब्ल्यू वी बॉयलर के लिए जल भित्ती का संक्षारण अनुचित्रण
- यूनिट 1, मेसर्स टीएचडीसी,कोटेश्वर के लिए 100 एम डब्ल्यू जल विद्युत केंद्र का निदान (यांत्रिक) अध्ययन

आयोजित सम्मेलन / संगोष्ठी / कार्यशालाएँ :

- **''स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  22 से 24 मई 2019 तक सीपीआरआई, बेंगलूरु में सीपीआरआई और एनएसजीएम द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न उपयोगिताओं के इंजीनियरों के लिए ''स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी'' पर तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- **पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) कोलकाता के इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  3 से 22 जून, 2019 तक प्रशिक्षण प्रभाग, सीपीआरआई, बेंगलूरु द्वारा सीपीआरआई, बेंगलूरु में पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) कोलकाता (बैच –37) के इंजीनियरों के लिए तीन सप्ताह का आवासीय प्रवेशस्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- **मेसर्स राइट्स लिमिटेड के इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  15 से 20 जुलाई 2019 तक सीपीआरआई , बेंगलूरु में प्रशिक्षण प्रभाग,

सीपीआरआई , बेंगलूरु द्वारा मेसर्स राइट्स लिमिटेड के इंजीनियरों के लिए छः दिन का आवासीय प्रवेशस्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- **''निम्न वोल्टता स्विचगियर, नियंत्रण गियर और संबद्ध समुच्चयों में नवीनतम प्रवृत्तियाँ और विकास'' एलटीसीओएन–2019 पर राष्ट्रीय**

सम्मेलन : 20 सितंबर 2019 को लघु परिपथ प्रयोगशाला, सीपीआरआई, बेंगलूरु द्वारा ''निम्न वोल्टता स्विचगियर, नियंत्रण गियर और संबद्ध समुच्चयों में नवीनतम प्रवृत्तियाँ और विकास'' एलटीसीओएन–2019 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया ।

- **''स्मार्ट मीटर और पूर्व–अदायगी मीटर प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रवृत्तियाँ'' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी**

  15 नवम्बर 2019 को एसटीडीएस–सीपीआरआई, भोपाल द्वारा भोपाल में ''स्मार्ट मीटर और पूर्व–अदायगी मीटर प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रवृत्तियाँ'' पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

- **''ट्रांसफॉर्मर और संबद्ध उपकरण''पर राष्ट्रीय सम्मेलन**

  19 एवं 20 दिसम्बर 2019 को बेंगलूरु में उच्च शक्ति प्रयोगशाला, सीपीआरआई, बेंगलूरु द्वारा ''ट्रांसफॉर्मर और संबद्ध उपकरण'' पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता

- **ग्रिड टेक 2019 प्रदर्शनी** : केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) ने 3 से 5 अप्रैल 2019 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित ग्रिड टेक 2019 प्रदर्शनी में भाग लिया। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने ग्रिड टेक 2019 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

- **8 वाँ इलेशिया – 2019** : 21 से 24 जून, 2019 तक बेंगलूरु अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र (बीआईईसी), बेंगलूरु में शक्ति, विद्युत, नियंत्रण और प्रकाश व्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सीपीआरआई ने प्रदर्शनी में भाग लिया और अपने प्रत्यायक, अनुसंधान, परीक्षण सुविधाएं, परामर्श और प्रशिक्षण गतिविधियों का प्रदर्शन किया।

- **इलेक्ट्रिक म्यांमार 2019 प्रदर्शनी:** सीपीआरआई ने मै. फायर वर्क्स ट्रेड मीडिया प्रा. लि. सिंगापुर द्वारा आयोजित इलेक्ट्रिक म्यांमार 2019 प्रदर्शनी में भाग लिया तथा नोवोटेल यांगून मैक्स कन्वेंशन सेंटर, म्यांमार में 1 से 3 अगस्त 2019 तक आयोजित इस प्रदर्शनी में सीपीआरआई ने स्टाल में अपनी क्रियाकलापों का प्रदर्शन किया। सीपीआरआई प्रमाणपत्रों के बेहतर उपयोग और स्वीकृति के लिए इस प्रदर्शनी में भाग लेने के कारण म्यांमार की उपयोगिताओं के साथ संवाद स्थापित करने में मदद मिली।

- **सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी–2019** : 26 से 28 नवंबर 2019 तक पैलेस ग्राउंड्स, बेंगलूरु में सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी) और कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंस्डस्ट्री (सीआईआई) की साझेदारी में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित सेवाओं– 2019 पर वैश्विक प्रदर्शनी आयोजित की गयी। श्री पीयूष गोयल, माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और रेल मंत्री, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा श्री जगदीश शेट्टार, माननीय बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री, कर्नाटक सरकार भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस प्रदर्शनी ने बारह सेवा क्षेत्रों को शामिल करते हुए बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग और विकासशील तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया।

  सीपीआरआई ने प्रदर्शनी में भाग लिया और ऊर्जा मंडप के नीचे स्टाल में अपने अत्याधुनिक अनुसंधान, परीक्षण सुविधाओं, परामर्श और प्रशिक्षण गतिविधियों को प्रदर्शित किया।

अनुसंधान और विकास (अनु. एवं वि.) संबंधित गतिविधियाँ:

सीपीआरआई, विद्युत मंत्रालय (एम ओ पी) के अधीन भारत में अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुसंधान प्रस्तावों के चयन, प्रवर्तन, निष्पादन और समीक्षा के लिए समन्वयकारी केंद्रक अभिकरण है। सीपीआरआई को विद्युत मंत्रालय की अनु. एवं वि. योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जैसा कि नीचे दिया गया है :

i. राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत अनुसंधान और विकास
   - अ. आईआईटी, आईआईसी, एनआईटी, उद्योग एवं सीपीआरआई द्वारा परियोजनाएँ
   - आ. उच्चतर आविष्कार योजना– I (यू ए वाई– I) के अंतर्गत परियोजना
   - इ. प्रभाव अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी – I (इंप्रिंट– I) के अंतर्गत परियोजना

ii. विद्युत पर अनुसंधान योजना (आरएसओपी)

iii. आंतरिक अनुसंधान परियोजनाएं (आई एच आर डी)

अन्य मंत्रालय / विभाग / संस्थान / संगठन आदि द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं भी सीपीआरआई अधिकारियों द्वारा ली जाती हैं।

विदेशी ग्राहकों के लिए आयोजित परीक्षण

- मई 2019 में मेसर्स मस्सा एलएलसी (इज़ोलीटोर कंपनी), इस्तरा जिला, मॉस्को क्षेत्र, रूस – 143 581 के लिए 420 के वी, 3000ए एवं 800 के वी, 2000ए रेसिन संसेचित कागज़ (आरआईपी) ट्रांसफॉर्मर बुशिंग का भूकंपीय परीक्षण संपन्न किया गया।

- जुलाई 2019 में मेसर्स श्राइडर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज एसएएस फ्रांस के लिए 415 वी एसी 3 फेज + न्यूट्रल प्रिस्मा– आईपीएम निम्न वोल्टता पैनल पर न्यूट्रल भूकंपीय परीक्षण संपन्न किया गया।

- मेसर्स टॉवर सॉल्यूशंस, कनाडा के लिए 400 के वी 120 के एन सम्मिश्र लाइन पोस्ट विद्युतरोधन वीईई समुच्चय पर तडन आवेश सहन –1, स्विचन आवेग सहन (आर्द्र) –1, कोरोना परीक्षण – 1 संपन्न किया गया।

- मेसर्स होयमाइल्स कनवर्टर टेक्नोलॉजी कं. लि., चीन के लिए सौर ग्रिड संयोजित माइक्रो श्रृंखला प्रतीपक पर आईएस 16169:2014 / आईईसी 62116:2008 के अनुसार एंटी–आइलैंडिंग संरक्षण परीक्षण संपन्न किया गया।

- मेसर्स सोलर एडज टेक्नोलॉजीस प्रा. लिमिटेड इज़राइल के लिए 27.6 के डब्ल्यू क्षमता के सौर ग्रिड संयोजित श्रृंखला प्रतीपक पर आईएस 16221–1 / आईईसी 62109–1 एवं आईएस 16221–2 / आईईसी 62109–2 मानकों के अनुसार मानक सुरक्षा परीक्षण संपन्न किया गया ।

सीपीआरआई में विदेशी टीम का दौरा

- लंदन के इम्पीरियल कॉलेज के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी विभाग के इंजीनियरी संकाय डॉ. बालेरक चौधरी, जो वर्तमान में आईआईएससी, बेंगलूरु में सीपीआरआई के अध्यक्ष हैं, ने 7 अगस्त, 2019 को सीपीआरआई, बेंगलूरु का दौरा किया और अधिकारियों के साथ चर्चा की।

सीपीआरआई की गतिविधियों के बारे में और सीपीआरआई में उपलब्ध सुविधाओं का भी दौरा किया।

- मेसर्स अल्सताम, फ्रांस से श्री मोरसम थिएरी, श्री संतामरिया ग्रेगोर, सुश्री मेग्रेट एल्सी और सुश्री यासमीन लारबौई तथा मेसर्स अल्सताम, भारत से श्री बसु रे आरित्रा और श्री जी. थिरुवरुल सीपीआरआई, बेंगलूरु में उपलब्ध परीक्षण सुविधा को समझने के लिए 16 अक्तूबर 2019 को सीपीआरआई, बेंगलूरु का दौरा किया।
- मेसर्स एल्सविडी इलेक्ट्रिक, मिस्र से श्री एल सईद अब्द 25 अक्तूबर, 2019 को सीपीआरआई, बेंगलूरु का दौरा किया और सीपीआरआई, बेंगलूरु में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं का वीक्षण किया।

कार्यान्वयन के तहत अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएँ :

- ✓ सीपीआरआई, बेंगलूर में विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण (ईएमआई)/विद्युत चुम्बकीय सुसंगतता (ईएमसी) परीक्षण सुविधा
- ✓ सीपीआरआई, बेंगलूर में मोटर परीक्षण सुविधा (55 केवीए)
- ✓ सीपीआरआई, बेंगलूर में 2500 एमवीए से 7500 एमवीए तक उच्च शक्ति प्रयोगशाला का उन्नयन
- ✓ यूएचवीआरएल – हैदराबाद में ऑन लाइन लघु परिपथ परीक्षण सुविधा (350 एमवीए)
- ✓ यूएचवीआरएल – सीपीआरआई, हैदराबाद में आधुनिक टावर परीक्षण सुविधा
- ✓ ट्रांसफॉर्मर, ऊर्जा मीटर तथा विद्युत रोधी तेल के लिए परीक्षण सुविधाओं के साथ नासिक, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला
- ✓ सीपीआरआई, बेंगलूर में तापमान वृद्धि परीक्षण (40 के ए) की सुविधा
- ✓ सीपीआरआई, बेंगलूर में स्मार्ट ग्रिड अनुसंधान प्रयोगशाला
- ✓ ताप अनुसंधान केंद्र – सीपीआरआई, कोराडी – नागपुर का पुनःस्थानन

अध्याय 33

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई)

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई), विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक आईएसओ 9001 एवं आईएसओ 14001 संगठन है, जो विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय शीर्ष संस्था है तथा इसका कारपोरेट कार्यालय फरीदाबाद में स्थित है। एनपीटीआई 5 दशकों से अधिक समय से अपनी समर्पित सेवाएं प्रदान कर रहा है। एनपीटीआई ने पिछले 5 दशकों में अपने नियमित कार्यक्रमों में 3,60,000 से अधिक विद्युत व्यावसायिको को प्रशिक्षित किया है। एनपीटीआई विश्व का अग्रणी एकीकृत विद्युत प्रशिक्षण संस्थान है। एनपीटीआई अपने प्रकार का एकमात्र संस्थान है जिसका काफी व्यापक भौगोलिक प्रसार है और जो विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के एक व्यापक क्षेत्र को कवर करता है। एनपीटीआई को सीईए/उपयोगिताओं के अधिकारियों के लिए संवर्ग प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। एनपीटीआई को डीडीयू–जीकेवाई के लिए दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से कौशल विकास मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण, आकलन और प्रमाणीकरण निकाय के रूप में मान्यता प्रदान की है।

एनपीटीआई देश के विभिन्न विद्युत क्षेत्रों में अपने 09 संस्थानों के माध्यम से 84 अधिकारियों सहित 211 की जनशक्ति के साथ अखिल भारतीय आधार पर प्रचालन करता है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैः

क. उत्तरी क्षेत्र
1. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, कारपोरेट कार्यालय, फरीदाबाद
2. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (उत्तरी क्षेत्र), बदरपुर, नई दिल्ली
3. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (जल विद्युत प्रशिक्षण केंद्र), नंगल

ख. दक्षिण क्षेत्र
4. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (विद्युत प्रणाली प्रशिक्षण संस्थान), बेंगलूरू
5. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (हॉट लाइन प्रशिक्षण केंद्र), बेंगलूरू
6. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (दक्षिणी क्षेत्र), नैवेली
7. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, अलपुज्जा

ग. पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र
8. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पूर्वी क्षेत्र), दुर्गापुर
9. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी

घ. पश्चिमी क्षेत्र
10. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पूर्वोत्तर क्षेत्र) नागपुर

ड. उत्तरी–केन्द्रीय क्षेत्र
11. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान शिवपुरी,

जनशक्ति प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक कार्यक्रम

एनपीटीआई भारतीय विद्युत उद्योग को चलाने के लिए उचित तकनीकी कौशलों से लैस प्रतिबद्ध एवं दक्ष व्यावसायिकों के एक पूल को बनाने के उद्देश्य से उद्योग के इंटरफेस वाले निम्नलिखित शैक्षणिक कार्यक्रमों को संचालित करता

- पावर प्लांट इंजीनियरिंग में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पीजीडीसी)।
- पावर सिस्टम ऑपरेशन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पीजीडीसी)।
- नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रिड इंटरफेस प्रौद्योगिकियों में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पीजीडीसी)।
- स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पीजीडीसी)।
- पावर प्लांट इंजीनियरिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा–पश्च पाठ्यक्रम (पीडीसी)।
- उप–पारेषण एवं वितरण प्रणालियों में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पीजीडीसी)।
- जल विद्युत संयंत्र इंजीनियरिंग में 9 माह का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पीजीडीसी)।
- पारेषण एवं वितरण प्रणाली में 6 माह का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पीजीडीसी)।
- जल विद्युत संयंत्र इंजीनियरिंग में 6 माह का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पीडीसी)।
- थर्मल, सीसीजीटी, हाइड्रो एवं लोड डिस्पैच में सिमुलेटर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, थर्मल, हाइड्रो, पारेषण तथा वितरण, प्रबंधन और विनियामक कार्य आदि के क्षेत्रों में राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के विभिन्न प्रतिष्ठानों में कई दीर्घकालिक, मध्यकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं के लिए उनकी आवश्यकतानुसार भी वर्ष भर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

विद्युत ट्रेनिंग सिमुलेटर

पूरे देश में प्रचालन कार्मिकों को विशिष्ट दक्षता प्रदान करने के लिए एनपीटीआई के फरीदाबाद स्थित संस्थान में 500 मेगावाट थर्मल पावर संयंत्र ट्रेनिंग सिम्युलेटर तथा नागपुर एवं बदरपुर संस्थान में 210 मेगावाट थर्मल पावर संयंत्र ट्रेनिंग सिम्युलेटर उपलब्ध है। एनपीटीआई कारपोरेट कार्यालय, फरीदाबाद में एक 430 मेगावाट (2x143 मेगावाट गैस टरबाइन एवं 1x144 मेगावाट स्टीम टरबाइन) फुल स्कोप कम्बाइंड साइकिल गैस टरबाइन रिपिलिका सिम्युलेटर्स भी स्थापित किए गए है जिनका उपयोग सीसीजीटी प्रचालन कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु किया जा रहा है। नेशनल ग्रिड के प्रतिकृति के रूप में पीएसटीआई, बेगलूरू में एक हाई फैडेलिटी लोड डिस्पैच ऑपरेटर सिमुलेटर स्थापित किया गया है जिसका उपयोग प्रणाली प्रचालकों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जा रहा है। एचपीटीसी नंगल में स्थापित 250 मेगावाट हाइड्रो सिमुलेटर पर हाइड्रो प्रचालन कार्मिको को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

तापीय, जल, गैस व नवीकरणीय को समाविष्ट किए हुए एक प्रणाली की एकीकृत संरचना में स्मार्ट विद्युत प्रवाह नियंत्रक के साथ 210 मेगावाट, 500 मेगावाट, 800 मेगावाट और 9एफ जीई संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र, 250 मेगावाट हाइड्रो, स्काडा व स्मार्ट ग्रिड के वास्तविक समय प्रचालन को दोहराते हुए 6 बहुआयामी प्रशिक्षण सिमुलेटर फरीदाबाद, दुर्गापुर, बेंगलूरू, नागपुर, अलपुझा और शिवपुरी में स्थापित किए गए हैं।

फरीदाबाद स्थित एनपीटीआई के कारपोरेट कार्यालय में एक 800/660 मेगावाट का सुपरक्रिटिकल तापीय सिमुलेटर भी चालू किया गया है ।

हॉट लाइन प्रशिक्षण केंद्र

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के हॉट लाइन प्रशिक्षण केंद्र, बेगलूरू में 400 केवी तक पारेषण लाइनों के लाइव लाइन अनुरक्षण किया जा सके (यह एशिया में इस प्रकार का पहला केंद्र है) जिसमें प्रशिक्षित व्यक्ति विद्युत आपूर्ति को बाधित किए बिना अपेक्षित अनुरक्षण कर सकते हैं। इसमें सब–स्टेशन उपस्करों की पानी से धुलाई की सुविधा भी उपलब्ध है। एशियाई उप महाद्वीप में यह इस तरह का एकमात्र संस्थान है ।

नियोजन

स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा डिप्लोमा–पश्च पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कंपनियों जैसे अदानी, आरसेलर मित्तल, अमारा राजा, एंड्रिटज हाइड्रो, अल्स्टॉम, ए2जेड ग्रुप, बाल्को, भूषण स्टील, बजाज एनर्जी, बीएसईएस, सी एंड ओ ग्रुप, सीएलपी, सायन, एमरसन, एस्सार, जेएसडब्ल्यू, जिंदल, केवीके, कामाची पावर, काल्कीटेक, एल एंड टी, टाटा इत्यादि में रोजगार मिल रहा रहा है ।

वर्ष 2019–20 के दौरान उपलब्धियां

एनपीटीआई द्वारा 31.12.2019 तक कुल 29,848 प्रशिक्षण सप्ताह में 15,237 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

इंडक्शन प्रशिक्षण

एनपीटीआई द्वारा विभिन्न विद्युत क्षेत्र संगठनों जैसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पीजीसीआईएल, कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, बीआरबीसीएल, नबीनगर पावर जनरेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड–एनटीपीसी की अनुषंगी कंपनी, यूपीएल–मेजा इत्यादि के नए स्नातक इंजीनियरों/कार्यपालकों को प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ।

अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र (आरईएमसी) कार्यक्रम

नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड एकीकरण पर द्वितीय कार्यक्रम का आयोजन 26–31 अगस्त, 2019 को एनपीटीआई–पीएसटीआई, बंगलौर में जीआईजेड द्वारा पोसोको तथा एनपीटीआई के साथ मिलकर किया गया था।

प्रणाली प्रचालक प्रमाणीकरण परीक्षा

एनपीटीआई का विद्युत प्रणाली प्रशिक्षण संस्थान (पीएसटीआई) वर्ष 2011 से विद्युत प्रणाली प्रचालकों का प्रमाणन कर रहा है। फरीदाबाद स्थित एनपीटीआई के कारपोरेट कार्यालय व बेंगलुरू स्थित विद्युत प्रणाली प्रशिक्षण संस्थान (पीएसटीआई) प्रणाली प्रचालकों को प्रणाली प्रचालन प्रमाणन परीक्षा देने के लिए आवश्यक सहयोग दे रहे हैं।

नवबंर 2011 से देशभर में स्थित विभिन्न केंद्रों में हर वर्ष आधारभूत स्तरीय ऑनलाइन प्रणाली प्रचालक प्रमाणन परीक्षा आयोजित की जा रही है। कुल 1257 प्रणाली प्रचालकों को आधारभूत स्तरीय प्रमाणन परीक्षा में प्रमाणित किया गया । फरीदाबाद स्थित निगमित कार्यालय व बेंगलुरू स्थित पीएसटीआई, दोनों में 'विद्युत क्षेत्र में नियामक संरचना', 'विद्युत तंत्र विश्वसनीयता', 'नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ग्रिड एकीकरण', 'विद्युत प्रणाली लॉजिस्टिक्स' और 'विद्युत बाजार विशेषज्ञ', पर विशेषज्ञ पाठ्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। सभी विशेषज्ञ स्तरीय विषय पर परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं। विशेषज्ञ स्तरीय प्रमाणन के लए ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करवाई गई । कुल 379 प्रणाली प्रचालकों को प्रमाणन दिया गया।

परामर्शी सेवाएं :

एनपीटीआई, ओपीटीसीएल, ओडिशा के नेस्को तथा वेस्को उपयोगिता क्षेत्रों और असम पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड, असम हेतु आईपीडीएस पीएमए कार्यों के लिए डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस परियोजना कार्यों हेतु परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) सेवाएं मुहैया करवा रहा हैं । एनपीटीआई को उत्तर प्रदेश विद्युत निगम द्वारा सौभाग्य योजना के अंतर्गत टीपीआईए कार्य सौंपे गए है। एनपीटीआई को डीडीयूजीजेवाई (पूर्व में आरजीजीवीवाई) के आरई घटक के अंतर्गत ओडिशा राज्य के विभिन्न जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के निरीक्षण के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया गया है और कार्य प्रगति पर है। एनपीटीआई को पीवीयूएनएनएल के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में मीटररहित उपभोक्ताओं को मीटर मुहैया करवाने के कार्यों हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए)/परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है और कार्य प्रगति पर है। एनपीटीआई को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत वाराणसी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एचटी/एलटी ओवरहेड लाइन को भूमिगत में परिवर्तित करने के लिए स्काडा प्रणाली, वितरण ट्रांसफार्मरों का स्थापन और उपभोक्ता के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को ओवरहेड से भूमिगत करने तथा अन्य संबद्ध निर्माण कार्य सहित डीपीआर तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण

एनपीटीआई, फरीदाबाद ने वर्ष 2019–20 के दौरान पीआईयू स्टाफ, कदूना राज्य, नाईजीरिया के लिए तीन सप्ताह के तकनीकी और प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। जीईसीओएल, लीबिया के 2 बैचों के लिए गैस टरबाइन विद्युत संयंत्र पर तीन सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

प्रमुख प्रशिक्षण क्रियाकलाप

सीईए–।।। के सहायक निदेशकों का चार सप्ताह का प्रारंभिक प्रशिक्षण 24.05.2019 को समाप्त हुआ। सीईए के सहायक निदेशकों का चौथा बैच प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।

कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड का तापीय विद्युत संयंत्र (आवासीय) पर 6 माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 02.06.2019 को पूरा हुआ।

ओएचपीसी के डीईटी तथा जीईटी के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 08.07.2019 से 02.08.2019 तक किया गया।

टीसीई इंजीनियर्स के लिए वाईब्रेशन विश्लेषण एवं आरसीएम पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 05.08.2019 से 09.08.2019 तक किया गया। एनएसपीसीएल के लिए सूर्यमित्र सोलर पीवी स्थापना का आयोजन 05.08.2019 से 06.09.2019 तक किया गया।

डब्ल्यूबीएसईटीसीएल हेतु ईएचवी ट्रांसमिशन प्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 19.08.2019 से 31.08.2019 तक किया गया।

डब्ल्यूबीपीडीसीएल हेतु ट्रांसफार्मर के बचाव एवं रखरखाव पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 29.08.2019 से 30.08.2019 तक किया गया।

बीएसईएस लाइनमेन हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ऊर्जा सारथी 2.0 के 11 बैचों का आयोजन किया गया और लगभग 1400 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। बीएसईएस के टीएफ अभियंताओं का प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया।

लीबिया के नागरिकों के लिए ''गैस टरबाइन विद्युत संयंत्र'' पर तीन सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 30.09.2019 से 18.10.2019 तक किया गया।

आईओसीएल के कार्मिकों के लिए ''रोटरी मशीन का आरसीएम और कंपन विश्लेषण'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का अयोजन 14.10.2019 से 16.10.2019 और 21.10.2019 से 23.10.2019 तक किया गया।

ऊर्जा विभाग, नेहू शिलांग में ''ऊर्जा प्रबंधन और जांच'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 14.10.2019 से 18.10.2019 तक किया गया।

फ्लोटिंग सौर पीवी प्रणालियों के डिजाइन और कार्यान्वयन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 07.11.2019 से 08.11.2019 तक किया गया।

एनटीपीसी लिमिटेड के कार्यपालकों हेतु सीसीजीटी सिमुलेटर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

केपीटीसीएल हेतु उत्पादन टैरिफ की गणना और टैरिफ याचिकाओं की हैण्डलिंग पर प्रशिक्षण का आयोजन 17.06.2019 से 21.06.2019 तक किया गया।

एनपीटीआई सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी: आधारभूत सिद्धात एवं अनुप्रयोग और ई–मोबिलिटी एवं चार्जिंग आधारभूत ढांचे पर ऑन–लाइन प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

आयोजित किए गए एआईसीटीई प्रशिक्षण और अधिगम अकादमी (अटल) कार्यक्रमः

ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, डाटा एनालिटिक्स, डाटा विज्ञान, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर प्रशिक्षण का आयोजन एनपीटीआई के विभिन्न संस्थानों में किया गया था।

समझौता ज्ञापन

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, एमएनआईटी जयुपर, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी अरूणाचल प्रदेश, जेएनटीयू अनंतपुर, एमएमएमयूटी और गलगोटिया विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भविष्य हेतु दृष्टिकोण

दक्ष जनशक्ति को तैयार करने और रोजगार अवसरों को अधिकतम करने के लिए आगामी प्रौद्योगिकियों में विद्यमान कौशल सेटों में वृद्धि करना।

कार्यक्रमों को विद्युत मंत्रालय के उद्देश्यों और 2017–22 तथा 2022–27 हेतु आगामी राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुरूप बनाना।

डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस, यूडीएवाई, सभी के लिए 24x7 विद्युत जैसी विद्युत मंत्रालय की पहलों के संबंध में विद्युत क्षेत्र के कार्मिकों में पूर्ण जागरूकता लाना।

नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों सहित उत्पादन, प्रसारण, वितरण, उपकरण विनिर्माण और विद्युत व्यापार के सभी क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना, विद्युत मंत्रालय के जनशक्ति का प्रशिक्षण व कौशल विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना । देश के स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रम, स्मार्ट ग्रिड संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण विकास, विकेन्द्रीकृत उत्पादन और वितरण, मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम), आगामी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के साथ पीक लोड प्रबंधन आदि को सपोर्ट करना।

एनपीटीआई फरीदाबाद में नाइजीरिया प्रतिनिधिमंडल

लोक शिकायत

विद्युत मंत्रालय

विद्युत मंत्रालय का लोक शिकायत (पीजी) प्रकोष्ठ को लोक शिकायत निवारण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके अनुपालन में विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत (डीएआरएंडपीजी) विभाग का सीपीजीआरएएम/पीजी ऑनलाइन पोर्टल का लिंक उपलब्ध कराया गया है।

मंत्रालय में प्राप्त सभी शिकायत याचिकाओं की जाँच की जाती है और उनके निवारण हेतु संबंधित प्रभागों/उपक्रमों को अग्रेषित किया जाता है। डीएआरएंडपीजी के दिशा–निर्देशों के अनुसार, शिकायतों का निपटारा सामान्यतया एक महीने के भीतर करना होता है।

''न्यूनतम सरकार–अधिकतम शासन'' के अनुपालन में तथा लोक शिकायतों का प्रभावी एवं समय निष्ठ समाधान सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में नोडल प्रकोष्ठ की ओर से कार्रवाई के लिए समय–सीमा, मंत्रालय के नागरिक/ग्राहक चार्टर में 30–60 दिन से घटाकर 10–15 दिन कर दी गई थी।

शिकायत निवारण को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए प्रो–एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्पलीमेंटेशन (प्रगति), एक सूचना प्रौद्योगिकी समर्थकृत शिकायत निवारण प्लेटफार्म के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है। एक महीने से अधिक समय से लंबित याचिकाओं की समीक्षा/निगरानी संयुक्त सचिव (प्रशासन/शिकायत) द्वारा भी मंत्रालय के प्रभागीय प्रमुखों के साथ–साथ मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संगठनों के निदेशक (लोकशिकायत) के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से की जाती है।

मंत्रालय ने नागरिकों की शिकायतों के मूल कारणों का विश्लेषण करने और प्रणालीगत परिवर्तनों के माध्यम से इन शिकायतों का निवारण करने पर ध्यान संकेंद्रित किया है। उदाहरण के लिए, प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण करने के लिए शिकायतों के स्वरूप को श्रेणीबद्ध करने अर्थात वेतन, पेंशन, भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में विलंब का बकाया अथवा भर्ती अथवा स्थानांतरण में श्रेणीबद्ध करने की संगठनों से अपेक्षा की जाती है। इस से निपटान की गुणवत्ता तथा समयबद्ध तरीके से लोक शिकायतों के निवारण पर जोर देने में सहायता मिलेगी।

वर्ष 2019 (01.01.2019 से 31.12.2019 तक) के दौरान, 4168 प्राप्त याचिकाओं और पिछले वर्ष की अग्रेषित की गई याचिकाओं में से 3814 ऑनलाइन शिकायत याचिकाएं निपटायी गई हैं। 01.01.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के लिए निपटान की दर 91.51 प्रतिशत है।

सीईए

इस प्राधिकरण में विभिन्न सेवाएं और कार्यात्मक गतिविधियां संपादित करने के लिए सुयोग्य और समर्पित कर्मी उपलब्ध हैं। सेवाग्राही, की जाने वाली अपेक्षित औपचारिकताओं के ब्यौरे सहित शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा कर सकते हैं। के.वि.प्रा. में मुख्य अभियंता के नेतृत्व में एक शिकायत निवारण प्रणाली कार्यरत है, जिसे शिकायत अधिकारी के रूप में पद नामित किया गया है। किसी भी सेवा प्रतिबद्धता को पूरा न करने की स्थिति में, सेवाग्राही, सीईए, सेवाभवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली –110066 के द्वितीय तल पर शिकायत अधिकारी और/या सचिव से संपर्क कर सकते हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त और विगत वर्ष की शेष कुल 176 याचिकाओं में से 165 ऑनलाइन याचिकाओं का निस्तारण किया गया है। वर्ष 2018–19 के लिए निपटान दर 93.75% है।

वेतन एवं लेखा कार्यालय

श्री सी. महेश्वरन, लेखा नियंत्रक को मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली के संबंध में नोडल अधिकारी/शिकायत अधिकारी के रूप में पद नामित किया गया है।

एनटीपीसी

बड़े पैमाने पर लोक शिकायतों के समाधान करने के लिए एनटीपीसी में एक लोक शिकायत समाधान प्रणाली है। एनटीपीसी प्रभावी और समयबद्ध तरीक से ''लोक शिकायतों'' का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जनता से प्राप्त शिकायतों का समाधान प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाता है। कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों का समाधान इस संबंध में तैयार की गई कर्मचारियों की शिकायत प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक शिकायतों को कार्यकुशल और समयबद्ध रीति से निपटाने के लिए एक विशेष लोक शिकायत (पीजी) पोर्टल भी शुरू किया है। एनटीपीसी, भारत सरकार के पीजी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा कर रहा है ताकि उनका समाधान समयबद्ध तरीके से किया जा सके।

एनएचपीसी

एनएचपीसी में शिकायत नीति एवं प्रक्रिया वर्ष 1979 में लागू की गई है।

- एनएचपीसी की शिकायत नीति एवं प्रक्रिया में कर्मचारियों की शिकायत निवारण के लिए शिकायत निवारण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है।
- शिकायत निवारण प्राधिकरण लोक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में भी कार्य करेंगे।
- लोक शिकायतों की निगरानी विद्युत मंत्रालय के साथ लिंक किए गए वेबपोर्टल 'केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली'' के माध्यम से की जा रही है।
- एनएचपीसी द्वारा शिकायत का निपटान करने के पश्चात संबंधित व्यक्ति एवं विद्युत मंत्रालय को सूचना भेजी जाती है और इसे सिस्टम में अद्यतन किया जाता है।

पावरग्रिड

पावरग्रिड में पावरग्रिड से संबंधित किसी मुद्दे पर नागरिकों की शिकायत पर भारत सरकार द्वारा बताए गए दिशानिर्देशों के व्यापक मापदंडों के भीतर समाधान के लिए तुरंत विचार किया जाता है। पावरग्रिड ने निर्धारित समय–सीमा के भीतर नागरिकों की शिकायतों के व्यवस्थित और तुरंत निवारण के लिए कारपोरेट तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में नोडल अधिकारियों को पदनामित किया है। सार्वजनिक शिकायत के मुद्दे आमतौर पर पावरग्रिड द्वारा लाइन/टावर के निर्माण के लिए भूमि/ फसल संबंधी मुआवजे से संबंधित होते हैं। ये शिकायतें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा विकसित ''पीजी पोर्टल'' @pgportal.gov.in से विद्युत मंत्रालय, राष्ट्रपति सचिवालय, डीएआरपीजी आदि के माध्यम से पावरग्रिड को भेजी जाती है। भारत सरकार के इस पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच प्रदान करना है।

पीएफसी

आम जनता की शिकायतों के निवारण के लिए पीएफसी में एक शिकायत निवारण प्रणाली है। प्रणाली विधिवत रूप से अधिसूचित की गई हैं तथा नोडल अधिकारी अनुमत समय सीमा के अंदर शिकायतों के शीघ्रता से निवारण का सुनिश्चय करते

हैं। पीएफसी ने कार्य की अपनी गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नागरिक चार्टर भी अधिसूचित किया है। यह चार्टर पीएफसी के वेबसाइट पर उपलब्ध है ताकि इसे आसानी से प्राप्त किया जा सके।

आरईसी

लोगों की ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में शिकायतों का निवारण करने के प्रयोजनार्थ आरईसी लिमिटेड में एक लोक शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना की है। शिकायतों का एक समयबद्ध ढंग से निपटान किया जाता है। यह शिकायत प्रकोष्ठ केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल का रख–रखाव करता है, यह पोर्टल लोगों द्वारा अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए एक प्लेटफार्म है। सीपीजीआरएएमएस पोर्टल को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), भारत सरकार द्वारा विकसित एवं अनुरक्षित किया जाता है।

लोक शिकायत प्रकोष्ठ की अध्यक्षता कार्यकारी निदेशक (लोक शिकायत प्रकोष्ठ) द्वारा की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) संभाली गयी शिकायतों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नवत है।

क्रम सं.	विवरण	संख्या
1	01.04.2019 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें	23
2	01.04.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें	146
3	01.04.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान निपटायी गयीं शिकायतें	146
4	31.12.2019 की स्थिति के अनुसार निपटाने की प्रक्रिया में शिकायतें (विद्युत यूटिलिटियों की साथ उठाई गई हैं)	23

नीपको

वर्ष 2019–20 के दौरान

1. कुल प्राप्त शिकायतों की संख्या (31 मार्च, 2019 तक) : 17 (सत्रह)
2. कुल निवारण शिकायतों की संख्या : 17 (सत्रह)

प्राप्त शिकायतों का निवारण तथा उसका निपटान प्राप्ति के कुछ ही दिनों के भीतर कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार तथा सार्वजनिक शिकायत विभाग (डीएआर एण्ड पीजी), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की संस्तुति के आधार पर स्थानांतरण तथा पदोन्नति के कारण उत्पन्न कर्मचारियों के शिकायतों को दूर करने हेतु नीपको में एक पृथक स्वतंत्र कर्मचारी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

एसजेवीएनएल

एसजेवीएन के पास इसके कारपोरेट मुख्यालय में एक अभिनामित जन शिकायत अधिकारी है तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सात शिकायतें प्राप्त हुई। ये शिकायतें सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवा मामलों तथा परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पहलुओं से संबंधित थी। इनमें से छह शिकायतों का पहले ही निवारण एवं निपटान कर दिया गया है। एक मामला समाधानार्थ प्रक्रियाधीन है।

टीएचडीसी

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में लोक शिकायत निवारण तंत्र की पूर्ण स्थापित एवं सुव्यवस्थित प्रणाली है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रत्येक परियोजना / यूनिट में प्रबंधन द्वारा नामोनिर्दिष्ट किए गए निदेशक (लोक शिकायत) के साथ–साथ लोक शिकायत निवारण अधिकारियों के सभी विवरण जैसे पदनाम, पता, फोन, ई–मेल आदि उपलब्ध हैं। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर चालू वर्ष एवं पिछले वर्ष की लोक शिकायतों की प्राप्ति और निपटान की स्थिति भी उपलब्ध है। लोक शिकायतों की स्थिति प्रत्येक तिमाही में वेबसाइट पर अद्यतन की जाती है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग सिस्टम (सीपीजीआरएएमएस) की वेबसाइट पर निगम संबंधी दर्ज लोक शिकायतों, जिन्हें पीजी पोर्टल के माध्यम से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की समर्पित विंडो में अग्रसारित किया जाता है, का उचित और समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करती है। इन शिकायतों को प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, डीएआरपीजी, विद्युत मंत्रालय आदि से अग्रेषित किया जाता है। डीएआरपीजी के सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के अलावा, टीएचडीसी इंडिया लि. की अपनी भी एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसके माध्यम से नागरिक ऑनलाइन शिकायतों /व्यथाओं को दर्ज कर सकते हैं।

वर्ष 2019 के दौरान, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में 24 लोक शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 20 का उत्तर दिया गया एवं 04 शिकायतें 31 दिसंबर, 2019 तक लंबित हैं।

डीवीसी

डीवीसी को जन शिकायतें या तो शिकायत कर्ता से सीधे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), विद्युत मंत्रालय, पेंशन तथा पेंशन धारक कल्याण (डीओपीपीडब्ल्यू) तथा राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा अग्रेषित केन्द्रीय जन शिकायत निवारण तथा प्रबोधन प्रणाली (सीपीजीआरएएम)/पीजी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होती हैं तथा एक समयबद्ध सीमा में इसका निपटान किया जाता है। चालू वित वर्ष में दिसंबर, 2019 तक 69 मामलों का निपटान किया गया।

बीबीएमबी

बीबीएमबी में कार्यरत कर्मचारियों की शिकायतों को निपटाने के लिए बीबीएमबी द्वारा उचित प्रक्रिया तैयार की है। अधीक्षण अभियन्ताओं को बीबीएमबी के सभी मुख्य अभियन्ताओं के प्रशासन के लिए, उप मुख्य लेखा अधिकारी को वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के प्रशासन के लिए तथा निदेशक/एचआरडी, बोर्ड सचिवालय, बीबीएमबी, चण्डीगढ़ के लिए जन शिकायत अधिकारी के रूप में कर्मचारियो/जनता की शिकायतें सुनकर उस पर कार्रवाई करेंगें जबकि विशेष सचिव, बीबीएमबी पूरे बीबीएमबी के लिए निदेशक/शिकायतों के रूप में कार्रवाई करेंगें। कथित शिकायत अधिकारी दुखी कर्मचारियों/जनता के लिए महीने के पहले बुधवार को बैठक करेंगें। सभी शिकायत अधिकारियों द्वारा नोटिस बोर्ड पर इसके सम्बन्ध में नोटिस लगाए गए हैं।

बीईई

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में कोई पृथक शिकायत निपटान प्रकोष्ठ नहीं है। यदि कोई शिकायतें होती हैं तो इनका निपटान ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रशासन अनुभाग द्वारा किया जा रहा है।

सीपीआरआई

स्टाफ व लोक शिकायतों के निवाराण के लिए केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान में एक अलग कक्ष है। शिकायत निवारण तंत्र सीपीआरआई प्रशासन व्यवस्था का अभिन्न अंग है। लोक और स्टाफ शिकायत कक्ष मुख्यतः स्टाफ और लोक शिकायत याचिकाओं के निवारण में मदद देने की भूमिका निभाती है। कक्ष द्वारा

प्राप्त शिकायत, शिकायतकर्ता को सूचना के तहत निवारणार्थ शिकायत, से जुडे मूल कार्य निपटाने वाले संबंधित अनुभाग/प्रभाग को अग्रेषित की जाती है। ये शिकायतें व्यक्तिगत तौर पर या डाक से, फैक्स, ई मीडिया या ऑन लाइन सीपीजीआरएएमएस पोर्टल द्वारा प्राप्त की जाती है। सीपीआरआई वेब पोर्टल का सीपीजीआरएएमएस पोर्टल **www.CPGRAMS.IN** के साथ सीधा सम्बंध है। सीपीजीआरएएमएस स्टाफ और जनता को ऑनलाइन शिकायत व ऑनलाइन अनुस्मारक दर्ज करने और शिकायतों की वर्तमान स्थिति को ऑनलाइन देखने की सुविधा प्रदान करता है। दिशा निर्देश वास्तव में यह है कि सीपीआरआई हर शिकायत का निपटान निष्पक्ष, वस्तु निष्ठ व न्यायोचित ढंग से करें। सीपीआरआई द्वारा प्राप्त शिकायतें व उनके निपटान लोक व कर्मचारी शिकायत अधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जाती है।

वर्ष 2019–20 के दौरान सीपीआरआई ने पेंशन, भर्ती व पदोन्नति नीति, चिकित्सा व स्टाफ कल्याण उपाय से संबंधित मामलों पर स्टाफ व सामान्य जनता दोनों से 20 ऑनलाइन याचिकाओं सहित कई शिकायत याचिकाओं का निवारण किया है। सामान्य जनता द्वारा दिए गए सुझाव व टिप्पणियाँ की सराहना की गई और जवाब दिए गए।

1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक प्राप्त आवेदनों का विवरण निम्नलिखित हैं:

शिकायत का स्रोत	अग्रानीत शेष	अवधि के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	इस अवधि के दौरान निपटाए मामले	31.12.2019 को यथा स्थिति अंतशेष	निर्धारणा–धीन	कुल प्राप्तियाँ	इस अवधि के दौरान निपटाए मामले
स्थानीय/इंटरनेट	2	6	8	8	0	0	0	0
पेंशन	1	2	3	3	0	0	0	0
पीएमओ	1	4	5	5	0	0	0	0
कुल	**4**	**12**	**16**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**

एनपीटीआई

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के निर्देशों के अनुसार शिकायतों का समाधान करने के लिए एनपीटीआई के कारपोरेट कार्यालय तथा इसके संस्थानों हेतु डॉ. मंजू माम, निदेशक (कैम्पस), कारपोरेट कार्यालय, मुख्य शिकायत अधिकारी और श्री एन.आर. हल्दर, उप निदेशक, उप मुख्य शिकायत अधिकारी, के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, एनपीटीआई के सभी क्षेत्रीय संस्थानों में शिकायत अधिकारी नामित किए गए हैं। संदर्भाधीन अवधि के दौरान सेवा तथा अन्य मामले से संबंधित 23 मामले आए जिनमें से सभी का निपटान कर दिया गया है। शिकायत निवारण तंत्र को एनपीटीआई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

लद्दाख में जलविद्युत परियोजना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

विद्युत मंत्रालय

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय द्वारा सीपीआईओ के रूप में अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में निदेशक/उप सचिव को पदनामित किया गया है। मंत्रालय में आरटीआई आवेदन/अपील मैनुअली एवं ऑनलाइन प्राप्त होते हैं। मंत्रालय तथा इसके संगठन/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम आरटीआई आवेदनों/प्रथम अपील पर कार्रवाई करने के लिए डीओपीटी के ''आरटीआई एमआईएस'' ऑनलाइन पोर्टल के साथ जुड़े हुए हैं। इससे न केवल सूचना उपलब्ध कराने में समय में कमी आई है अपितु आरटीआई आवेदनों एवं अपीलों के निपटान में पारदर्शिता में भी वृद्धि हुई है। कैलेंडर वर्ष 2019 अर्थात् 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक के दौरान मंत्रालय में 4056 से अधिक आरटीआई आवेदन और लगभग 227 अपीलें प्राप्त हुई हैं जिन्हें आगे की कार्रवाई हेतु मंत्रालय के संबंधित प्रभागों/संगठनों में अग्रेषित/अंतरित कर दिया गया है। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 25 (3) के अंतर्गत यथापेक्षित वार्षिक विवरणी (2018–2019) केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर भर दी गई है। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत अपेक्षित प्रो–एक्टिव/स्वतः उजागरों को मंत्रालय के संबंधित प्रभागों द्वारा मंत्रालय के आरटीआई पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इसके अलावा, मंत्रालय के 'प्रो–एक्टिव/स्वतः उजागरों' की भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली द्वारा लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन है।

सीईए

के.वि.प्रा. में दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि में सूचना का अधिकार संबंधी आवेदनों की स्थिति

अनुरोध/अपील	विद्युत मंत्रालय/अन्य लोक प्राधिकारियों से प्राप्त स्थानांतरित मामले	नए आवेदनों की कुल संख्या	अन्य लोक प्राधिकारियों को स्थानांतरित मामले	कुल स्वीकृत किए गए अनुरोध/अपील
अनुरोध	243	431	26	674
अपील	0	64	0	64

वेतन एवं लेखा कार्यालय

01.01.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान आरटीआई के पाँच मामले प्राप्त हुए थे और सभी का उत्तर दे दिया गया था। श्री अर्नब बरूआ, लेखा अधिकारी को दिल्ली कार्यालय के लिए तथा श्रीमती पी. प्रमिला को बंगलौर कार्यालय के लिए लोक सूचना अधिकारी पदनामित किया गया है तथा श्री सी. महेश्वरन, लेखा नियंत्रक को आरटीआई मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी पदनामित किया गया है।

एनटीपीसी

एनटीपीसी लिमिटेड ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की शुरूआत किए जाने के समय से ही इसे वास्तविक भावना के साथ कार्यान्वित किया है। इसका कार्यान्वयन, प्रभावी ढंग से करने के लिए, केंद्रीय कार्यालय में एनटीपीसी का एक सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) होते हैं। एनटीपीसी परियोजनाओं/ स्टेशनों/ कार्यालयों में सहायक लोक सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) की भी नियुक्ति की गई है। एक अपीलीय प्राधिकरण भी है, जो स्वतंत्र रूप से अपीलों का निपटान करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 का अनुपालन करते हुए सूचना का अधिकार से संबंधित नियम पुस्तिका को अद्यतन बना कर वार्षिक रूप से एनटीपीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से एनटीपीसी ने डीओपीटी के आरटीआई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आरटीआई आवेदन तथा प्रथम अपील ऑनलाइन स्वीकार करना शुरू कर दिया है।

आरटीआई अधिनियम के प्रशिक्षण और जागरूकता से संबंधित आरटीआई अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, अधिनियम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए एनटीपीसी के अधिकारियों को नवीनतम अधिसूचनाओं, संशोधनों और अन्य मुद्दों को साझा करने के लिए विभिन्न आंतरिक और बाह्य आरटीआई कार्यशालाओं / प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामोद्दिष्ट किया जाता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान (31 दिसम्बर, 2019 तक) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 1,634 आवेदन प्राप्त किए गए थे, जिनमें से 1,562 आवेदनों के उत्तर दिए गए हैं।

एनएचपीसी

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में, एनएचपीसी लिमिटेड ने वर्ष के दौरान अपनी वेबसाइट पर विभिन्न दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध कराए हैं।

संपूर्ण राष्ट्र तक सूचना पहुंचाने के लिए एनएचपीसी ने, निगम मुख्यालय स्तर पर केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), अपीलीय अधिकारी एवं पारदर्शिता अधिकारी मनोनीत किया है, तथा प्रत्येक पावर स्टेशन/ परियोजनाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों/यूनिटों में सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक वास्तविक) के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 372 आवेदन, 41 प्रथम चरण अपीलें और 05 द्वितीय चरण अपीलें प्राप्त हुई जिसमें से 360 आवेदनों, 41 प्रथम चरण अपीलों और 5 द्वितीय चरण अपीलों का पहले ही उत्तर दे दिया गया है तथा उनका निपटान कर दिया गया है। जनवरी से मार्च 2020 की अवधि में अनुमान है कि लगभग 102 आवेदन, 13 प्रथम चरण अपीलें प्राप्त हो सकती है।

एनएचपीसी को 1 जनवरी, 2016 से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल से लिंक किया गया है तथा तब से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं ।

पावरग्रिड

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम, 2005) सार्वजनिक प्राधिकरणों की गोपनीयता और नियंत्रण के स्थान पर खुलेपन, पारदर्शिता और भागीदारी की एक प्रणाली लाने संबंधी एक कदम है। इस अधिनियम में सार्वजनिक प्राधिकरणों, जिनमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका शामिल हैं, में सूचना तक नागरिक की पहुंच सुलभ कराकर हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है।

पावरग्रिड, जो भारत सरकार का एक उद्यम है, ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार देश के नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए ठोस कार्रवाई की है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कारपोरेट केन्द्र और क्षेत्रीय मुख्यालयों/अन्य कार्यालय में जनसूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों को पदनामित किया गया है। धारा 4(1)(ख) के अनुरूप अनुपालन के भाग के रूप में सूचना पावरग्रिड की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

पावरग्रिड अपने सभी सीपीआईओ/पीआईओ/अपील प्राधिकारियों (एए) के लिए प्रति वर्ष उन्हें आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका के संबंध में संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और साथ ही इन लोगों को अन्य संगठनों यथा स्कोप आदि द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी नामित किया जाता है।

इसके अलावा, आरटीआई और अपीलों पर कारगर कार्रवाई, निगरानी और प्रबंधन के लिए पावरग्रिड में वेब आधारित आनलाइन आरटीआई पोर्टल विकसित किया गया है। आरटीआई पोर्टल से यह उम्मीद है कि सभी आरटीआई/अपील की वास्तविक समय पर निगरानी के द्वारा आवेदक को आरटीआई/अपील का समय पर जवाब देने की सुविधा होगी। इसके अलावा, पोर्टल सीआईसी, सतर्कता और आंतरिक खपत की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आरटीआई रिपोर्टों को बनाने और आवश्यकता पड़ने पर प्रणाली/प्रक्रियाओं में सुधार के उपायों का विश्लेषण करने के लिए भी सुविधा प्रदान करता है। आरटीआई वेब पोर्टल में नॉलेज बैंक की सुविधा से सभी संबंधितों को सूचनाओं, उत्तरों और नवीनतम आरटीआई परिपत्रों और दिशानिर्देशों को देखने/ साझा करने की सुविधा मिल जाती है।

पीएफसी

पीएफसी ने भारत के नागरिकों को सूचना प्रदान करने तथा कंपनी के कामकाज में जवाबदेही एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन किया है। कंपनी ने आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपने पंजीकृत कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) तथा अपीलीय प्राधिकारी नामित किया है। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट (www.pfcindia.com) पर संगत सूचना/ प्रकटन को भी उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान (दिसंबर, 2019 तक), आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सभी 111 आवेदनों को विधिवत रूप से प्रोसेस किया गया तथा उनके उत्तर दिए गए। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान (दिसंबर, 2019 तक), पीएफसी ने 13 आरटीआई अपील प्राप्त की और विधिवत रूप से प्रोसेस किया गया तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (आरटीआई) द्वारा उनके उत्तर दिए गए। पीएफसी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिसंबर, 2019 तक) के लिए ऑनलाइन तिमाही विवरणी दाखिल करने के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निदेशों का अनुपालन भी किया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुसार प्रकटन के प्रावधानों का अनुपालन सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने दिनांक 15 अप्रैल, 2013 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/6/2011–आईआर के माध्यम से दिशा–निर्देश जारी किए हैं।

उपर्युक्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन में पीएफसी ने कंपनी के वेबसाइट पर अपेक्षित सूचना अपलोड की है।

इसके अतिरिक्त, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत स्व–प्रेरणा से प्रकटीकरण के कार्यान्वयन के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एक थर्ड पार्टी ऑडिट किया गया था। यह ऑडिट डीओपीटी द्वारा दिनांक 15.04.2013 को ओएम सं.1/6/2011–आईआर द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के संदर्भ में किया गया था तथा ऑडिट रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, पीएफसी भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल (**https://rtionline.gov.in**) से भी जुड़ा है जिससे भारत के नागरिक भुगतान गेटवे के साथ आरटीआई आवेदन/ पहली अपील दाखिल करने में समर्थ होते हैं। भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहयोगी बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग, मास्टर/ वीजा तथा रुपे कार्ड के डेबिट/ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।

आरईसी

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन करने तथा इससे संबंधित आवेदनों की प्राप्ति और सूचना देने के संबंध में कार्य का समन्वय करने के लिए आरईसी में एक स्वतंत्र आरटीआई प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है। आरटीआई प्रकोष्ठ, प्रथम अपील प्राधिकारी और केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील से संबंधित कार्य का भी समन्वय करता है तथा अपीलों के निपटान के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है।

आरटीआई हैंडबुक (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में) आरईसी की वेबसाइट पर दी गयी है। वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के लिए आरटीआई आवेदनों और अपीलों की स्थिति निम्नवत है:

क्रम सं.	विवरण	(संख्या) (31.12.2019 तक)
1.	प्राप्त आवेदन	282
2.	निपटाये गये आवेदन	281
3.	अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलें	15
4.	अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा निपटायी गयी प्रथम अपीलें	15
5.	केंद्रीय सूचना आयोग से प्राप्त दूसरी अपीलें	01
6.	केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा निपटायी गयी दूसरी अपीलें	01

नीपको

नीपको ने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों और सार्वजनिक व्यवहारों में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम की भावना के अनुरूप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को ईमानदारी में लागू किया है। निगम के कई अधिकारियों को सीपीआईओ/पीआईओ/एपीआईओ का काम सौंपा गया है।

निगम अपने कार्यालयीन वेबसाइट में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) के प्रावधानों अनुसार आम जनता के संज्ञान में लाने हेतु आवश्यक सभी संबंधित सूचनाओं को प्रकाशित करता है। यह भी प्रयास किया जा रहा है कि उपरोक्त सूचना को यथा संभव रूप में सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत की जा सके कि सभी संबंधित सूचना निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त निगम इस विषय पर अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से समय–समय पर जारी किए गए सुझावों तथा अनुदेशों का सक्रियता से पालन करता है।

निगम द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 (अर्थात 01.04.2019 से 31.12.2019 तक) सूचना का अधिकार आवेदनों पर की गई कार्रवाईयों का आंकड़ा निम्नवत है–

1. उत्तर दिए गए आवेदनों की संख्या : 89
2. प्राप्त आवेदन शुल्क : 630.00 रुपये
3. प्राप्त अतिरिक्त शुल्क : शून्य
4. प्रथम अपीलेट प्राधिकारी के पास अपीलों की संख्या : 2

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सूचना के अधिकार द्वारा मांगी गई सूचना को संतोषढंग से उपलब्ध कराया गया तथा निगम यह प्रतिज्ञा करता है कि आनेवालों दिनों में इस प्रणाली को और प्रभावी बनाया जाएगा।

पोसोको

पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूरे पोसोको में 'अधिसूचना का अधिकार अधिनियम 2005' के अनुसरण में एक समुचित तंत्र स्थापित किया गया है। कंपनी ने आर टी आई अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों को वांछित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय तथा पूरे देश में क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों में सीपीआईओ / अपीलीय प्राधिकारी को नामित किए हैं। पोसोको नियमित रूप से सीआईसी वेबसाइट पर तिमाही रिपोर्ट को प्रकाशित करता है।

सीआईसी द्वारा संचालित आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अधीन अनिवार्य उद्घोषणा के पारदर्शिता ऑडिट में पोसोको ने 'ए' ग्रेड प्राप्त किया।

अनुरोध/ अपील	एमओपी/अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों से स्थानांतरित मामले	कुल नया आवेदन प्राप्त (प्रत्यक्ष)	मामलों को स्थानांतरित किया गया अन्य सार्वजनिक अधिकारियों के लिए	कुल अनुरोध/ अपील स्वीकार किया गया	आवेदन/ अपील निपटारा किया गया
अनुरोध	44	167	1	169	153
अपील	0	15	0	15	15

एसजेवीएन

एसजेवीएन ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की सभी सांविधिक मार्ग–निर्देशों तथा दिशा–निर्देशों की अनुपालना की है। अधिनियम के तहत अपेक्षित विभिन्न विवरण एसजेवीएन की बेवसाईट www.sjvn.nic.in पर उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त वार्षिक रिपोर्टों, अधिकारों के प्रत्यायोजन, आचार संहिता इत्यादि जैसे अन्य विभिन्न दस्तावेज भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आरटीआई आवेदन के निपटान तंत्र को और प्रभावी बनाने के लिए कारपोरेट मुख्यालय में अभिनामित जनसूचना अधिकारी के अलावा परियोजना स्थलों में जन सूचना अधिकारियों को अभिनामित किया गया है, और जिनका विवरण एसजेवीएन बेवसाईट पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि सभी आवेदनों का प्रत्युत्तर/निपटान अधिनियम के तहत तय समय–सीमा के अंदर किया जाता है।

अपने कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से हमने अपनी परियोजनाओं में जन सूचना केन्द्र (पीआईसी) स्थापित किए हैं, जहां से स्टेकहोल्डर परियोजनाओं विषयक सूचना निःशुल्क ग्रहण कर सकते हैं।

टीएचडीसी

सूचना का अधिकार भारत के किसी भी नागरिक का सरकार से सूचना प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार के तहत, सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर उत्तर देना आवश्यक होता है। पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए टीएचडीसीआईएल में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में टीएचडीसीआईएल ने देश के नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए ''आरटीआईएमआईएस पोर्टल'' के माध्यम से आरटीआई आवेदन, अपीलों एवं प्रति उत्तर को ऑन–लाइन करते हुए ठोस कदम उठाया है। नोडल अधिकारी (एनओ) / प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) / केंद्रीय सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) / 6 (छह) लोक सूचना अधिकारी (पीआईओएस) और एक सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। टीएचडीसीआईएल की अधिकृत वेबसाइट पर अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के तहत प्रकाशित की जाने वाली आवश्यक जानकारी उपलब्ध है। नोडल अधिकारी (एनओ), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) निगम के पीआईओ और एपीआईओ के विवरण और सूचना मांगने के लिए संबंधित सभी प्रारूप, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत करने हेतु टीएचडीसीआईएल वेबसाइट **http://thdc.co.in** पर उपलब्ध हैं।

सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों से मूल रुप से और ऑनलाइन प्राप्त आवेदन/ अपीलों का निपटारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है और उनके निपटान के लिए त्वरित कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2019–20 के दौरान देश भर के नागरिकों से कुल 89 (नवासी) आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें विभिन्न प्रकृति की जानकारी मांगी गई थी और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान के अनुसार उन्हें समय पर जानकारी उपलब्ध कराई गई थी।

अपीलों के संबंध में, वर्ष 2019–20 के दौरान प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा चौदह (14) अपील प्राप्त हुई हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा जांच के उपरांत सभी अपीलों का समय पर निपटान किया गया है।

इसके अलावा वर्ष 2019–20 के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी), नई दिल्ली के समक्ष एक (01) अपील प्रस्तुत की गईं और आयोग के द्वारा उसका निपटान कर दिया गया था ।

डीवीसी

डीवीसी में आरटीआई क्रियान्वयन प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए सचिवालय विभाग, डीवीसी, मुख्यालय, कोलकाता में एक आरटीआई स्कंध स्थापित किया है। आरटीआई स्कंध में एक नोडल अधिकारी (आरटीआई) के रूप में सीपीआईओ, डीवीसी, मुख्यालय द्वारा संचालित है। आरटीआई स्कंध डीवीसी मुख्यालय के साथ–साथ डीवीसी के क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में सभी आरटीआई कार्यान्वयन संबंधी मामले हेतु एक नोडल बिन्दु के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त डीवीसी, कोलकाता में एक अपीलीय प्राधिकारी तथा इसके प्रमुख परियोजनाओं के क्षेत्रीय स्तर पर दस केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) भी कार्यरत है।

पारदर्शिता को बनाए रखने तथा जनता तक आसानी से पहुंच बनाने के लिए नियमित अंतराल पर सक्रियता सहित आरटीआई को अपनी वेबसाइट **www.dvc.gov.in** (लिंक:आरटीआई) में सार्वजनिक डोमेन में सूचना का खुलासा पर डीवीसी ने विशेष बल दिया है।

आरटीआई स्कंध ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम आवेदन प्राप्त करता है तथा तद्नुसार निपटान करता है।

वित्त वर्ष 2019–20 (दिसंबर, 2019 तक) के दौरान आरटीआई आवेदन की स्थिति निम्नानुसार है:

प्राप्त आरटीआई आवेदन (संख्या)	अस्वीकृत आरटीआई आवेदन (संख्या)	आरटीआई आवेदन का निपटान (संख्या)
356	57	335

बीबीएमबी

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया गया है और यह 12 अक्तूबर, 2005 से पूरी तरह परिचालन में है। अधिनियम में, सार्वजनिक कार्यालयों में उदारता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक सत्ता को स्थापित करने का उपबंध किया गया है। इस अधिनियम को बीबीएमबी में पूर्ण रूप से अपनाया है। अधिनियम के परिचालन के लिए आवश्यक मूलभूत ढांचे की व्यवस्थाकी गई है। बीबीएमबी ने भिन्न–भिन्न स्थानों पर नौ सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) और आठ जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) को पदनामित किया है। अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं आठ अपीलीय–प्राधिकारी भी पदनामित किए गए हैं। बीबीएमबी के कार्यालय की वेबसाइट (**www.bbmb.gov.in**) पर इन अधिकारियों के कार्यालय पद नाम, पते और फोन नं. अंकित किए गए हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से सम्बन्धित प्रक्रिया का विस्तृत विवरण वेबसाइट पर दिया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(2) में दिए गए उपबन्धों के अनुसार 17 मैनुअलों से सम्बन्धित सूचना, सक्रिय प्रकटीकरण तैयार की गई है, जो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार यह सूचना समय–समय पर नियमित रूप से अद्यतन की जाती है। अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या की गई अपीलें और अन्य सम्बन्धित विवरण अनुबन्ध–1 पर दिए गए हैं।

अनुबन्ध–1

क्र. सं.	प्राप्त अनुरोधों की संख्या	निर्णय की संख्या	निर्णय, जहां सूचना के आवेदन निरस्त किए गए														उन मामलों की संख्या जिनमें इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई	एकत्रित प्रभार की राशि (रु.)
			उन अवसरों की संख्या जब विभिन्न प्रावधानों की सहायता ली गई															
			धारा 8 (1)										अन्य धारा					
				क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	9	11	24	अन्य		
1.	386	386	शून्य	शून्य										शून्य				शून्य	11290/-

बीईई

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अपनी वेबसाइट पर आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) के तहत सक्रिय प्रकटन अपलोड किए हैं। सभी प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाता है और अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आवेदकों को सूचना दी जाती है।

सीपीआरआई

सीपीआरआई के पास सूचना का अधिकार (आरटीआई) कक्ष है जो आरटीआई आवेदनों की प्रतिक्रिया देती है और आरटीआई सेल में विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सीपीआईओ, एपीआईओ और अपीलीय प्राधिकरण शामिल हैं। अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर श्री आर.ए. देशपांडे, अपर निदेशक, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में श्री एम. जनार्दन, संयुक्त निदेशक तथा केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी सीपीआरआईए बेंगलूरु के तौर पर श्री जी. किशोर कुमार आर टी आई सेल के नामित पदाधिकारियाँ है।

कर्मचारियों और संगठन के सभी विवरणों के साथ स्वयं प्रेरित प्रकटीकरण को आरटीआई अधिनियम 2005, धारा 4 के तहत सीपीआरआई **(www.cpri.in)** की वेब साइट में व्यवस्थित और अपलोड किया गया है और दैनिक आधार पर अद्यतन किया जाता है।

1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक की अवधि के दौरान अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों एवं भेजे गए उत्तरों का डाटा निम्नानुसार है :

प्राप्त आवेदनों की संख्या	सीधे प्राप्त आवेदन	विद्युत मंत्रालय द्वारा अग्रेषित आवेदन	अन्यों के द्वारा अग्रेषित आवेदन	अन्य विभागों को स्थानांतरित आवेदन	खंड–8 आरटीआई के विभिन्न धाराओं के तहत अस्वीकृत आवेदन
68	33	30	5	1	7

एनपीटीआई

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एनपीटीआई कारपोरेट कार्यालय एवं एनपीटीआई के संस्थानों के लिए क्रमशः जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए है। डॉ. मंजू माम निदेशक (कैम्पस) एनपीटीआई कारपोरेट कार्यालय, फरीदाबाद को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी और श्री एन.आर. हल्दर, उप निदेशक (प्रशिक्षण) को एनपीटीआई कारपोरेट कार्यालय, फरीदाबाद के केन्द्रीय उप सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। संदर्भाधीन अवधि के दौरान सूचना इत्यादि उपलब्ध करवाने के लिए 57 अनुरोध प्राप्त हुए जिनमें से सभी अनुरोधों का निपटान नियमानुसार किया गया है।

अध्याय **36.1**

राजभाषा का कार्यान्वयन

विद्युत मंत्रालय

विद्युत मंत्रालय, इसके संबद्ध कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त निकायों, बोर्ड और संस्थाओं ने सरकार की राजभाषा नीति का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे और मंत्रालय/कार्यालय के दैनन्दिन कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित किया।

मंत्रालय ने राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 का मंत्रालय एवं मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में अनुपालन सुनिश्चित किया।

राजभाषा नीति के अनुपालन में, 02 सितंबर, 2019 से 16 सितंबर, 2019 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान, मंत्रालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता, हिंदी टंकण प्रतियोगिता, हिंदी टंकण प्रतियोगिता, हिंदी आशुलिपि प्रतियोगिता, हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता, हिंदी प्रश्न मंच और अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मूल रूप से हिंदी में काम करने की प्रतियोगिता आयोजित की गई। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने काफी उत्साह के साथ इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। विजेताओं को प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार दिए गए। मंत्रालय से संबद्ध और इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों, बोर्ड, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने के लिए 07 कार्यालयों अर्थात उत्तरी क्षेत्र, पीजीसीआईएल, नई दिल्ली, एसजेवीएन, दिल्ली, पीजीसीआईएल, दादरी, एनपीटीआई, दादरी, टीएचडीसी, कोशाम्बी, उत्तरी क्षेत्र, पोसोको, नई दिल्ली तथा एनटीपीसी, फरीदाबाद का निरीक्षण किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 01 कार्यालय अर्थात पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. बस्सी, जयपुर का निरीक्षण किया गया। मंत्रालय के संयुक्त निदेशक (राजभाषा) ने भी संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण बैठक में भाग लिया। वर्ष के दौरान, राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत 10 कार्यालय अधिसूचित किए गए हैं।

मंत्रालय के कर्मचारियों के हिंदी शब्दकोश को समृद्ध बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय में हिंदी और अंग्रेजी में 'आज का शब्द' दर्शाने वाले तीन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए। कर्मचारियों को उनके दैनन्दिन जीवन में प्रेरित करने और उच्च विचार प्राप्त करने के लिए इन बोर्डों पर आज का विचार भी दर्शाया जाता है।

विद्युत मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई। इन बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर कार्रवाई की गई। हिंदी में काम करने को प्रोत्साहित करने हेतु अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

सीईए

केविप्रा को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के उप–नियम 4 तथा नियम 8 के उप नियम 4 के तहत हिंदी में दक्षता रखने वाले अधिकारियों द्वारा हिंदी में काम करने के लिए तत्कालीन रुप से सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया था ।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु 31 दिसम्बर, 2019 तक के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य प्राप्त किए गए थे।

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति को तिमाही बैठकें

वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर, 2019 तक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की निम्नलिखित तीन बैठकें आयोजित की गई थीं :

– प्रथम बैठक – 25 जून, 2019
– द्वितीय बैठक – 29 अगस्त, 2019
– तृतीय बैठक – 17 दिसम्बर, 2019

इन बैठकों में राजभाषा नीति संबंधी लिए गए निर्णयों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है।

i. वर्ष के दौरान प्रशासन और लेखा अनुभागों के साथ 33 निर्दिष्ट प्रभागों / अनुभागों में सभी कार्य जैसे कि नोटिंग, प्रारूपण, कार्यालय के आदेश जारी करना, पत्र आदि को राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार किया गया।

ii. शेष सभी प्रभागों / अनुभागों का हिंदी में अधिकतम कार्य करने के लिए भी प्रयास किए गए।

iii. हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया गया था। इस प्रकार राजभाषा अधिनियम के नियम 5 को लागू किया गया।

3. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान तीन तिमाहियों का औसत हिंदी पत्राचार लगभग 95% था। वर्ष के दौरान हिंदी पत्राचार का तिमाही प्रतिशत निम्नानुसार था–

	हिंदी में भेजे पत्र	हिंदी में भेजे गए पत्रों की प्रतिशतता
प्रथम तिमाही	13295	93%
द्वितीय तिमाही	16271	95%
तृतीय तिमाही	12645	95%

4. वर्ष के दौरान, निम्नलिखित रिपोर्टें द्विभाषी रूप में जारी की गई थी:

1. आउट कम
2. वार्षिक रिपोर्ट
3. हिंदी के प्रचार–प्रसार संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन

गृह मंत्रालय/ राजभाषा विभाग के दिनांक –16.12.1988 और 06.03.1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/12013/3/87–ओ.एल. (के–2) के अनुसरण में हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की गई थी।

जिसके अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार पुरस्कृत किया गया:

1) श्री आर.पी. सिंह, उप निदेशक, पी.सी.डी., (हिंदी डिक्टेशन)
2) श्री दिगंबर सिंह, एस.एस.ए., प्रशा.– II
3) श्री पंकज कुमार, आशुलि., प्रशा.–II
4) श्री राम बाबू, एस.एस.ए., एफ.एम.
5) श्री राजीव कुमार मित्तल, उप नि., टी.पी.पी.डी.
6) श्री सत्येंद्र कुमार दोतन, उप नि., पी.एस.पी.ए.–II
7) श्रीमती सुमन बाला, उप नि., टी.पी.एम.–I
8) श्रीमती पूनम कुमारी, सहा. अनु. अधि., सतर्कता
9) श्री मुकुल कुमार, सहायक निदेशक, ईआई।
10) श्री जितेन्द्र कुमार मीना, उप निदेशक, जीएम।

5. हिंदी पखवाड़ा समारोह

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में 11/09/2019 से 25/09/2019 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया था । दिनांक 11/09/2019 को, अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में दीप प्रज्जवलन और गणपति वंदना के साथ हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन किया गया। प्राधिकरण में कई अधिकारी/ कर्मचारी मौजूद थे, जिसमें सभी सदस्य, सचिव और मुख्य अभियंता शामिल थे।

इस अवसर पर, ''साइबर सिक्योरिटी'' विषय पर कार्यशाला सहित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिसमें श्री ओमकांत शुक्ल, उप निदेशक (आईटी), केविप्रा द्वारा व्याख्यान दिया गया।

हिंदी पखवाड़े के दौरान, प्राधिकरण में 4 प्रतियोगिताओं क्रमशः हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टिप्पण एवं मसौदा लेखन, हिन्दी अनुच्छेद लेखन (केवल एमटीएस) और राजभाषा नियम / अधिनियम एवं हिंदी साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

इस अवसर पर कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी परिणामों की निष्पक्षता के लिए, अध्यक्ष, के.वि.प्रा. की अनुमति से मुख्य अभियंता, ई.आई. की अध्यक्षता में ग्यारह सदस्यीय मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था।

पुरस्कार वितरण समारोह 25/09/2019 को मनाया गया। इस समारोह में, विभिन्न कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को सरस्वती वंदना के बाद नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए गए तथा प्रतिभागिता पुरस्कार के रूप में एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के कलाकारों के लिए विशेष रूप से कार्यालय को लोगों लगी हुई दीवार घड़ियां वितरित की गईं। वर्ष 2019–20 के दौरान, वर्ष में 20,000 से अधिक शब्द लिखने वाले कार्मिकों को वार्षिक हिंदी टिप्पणी और प्रारूपण लेखन प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कृत किया और अधिकारियों द्वारा दी गई डिक्टेशन योजना के तहत एक अधिकारी को नकद पुरस्कार और सभी को प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया। अध्यक्ष, के.वि.प्रा. द्वारा इस अवसर पर सभी पुरस्कृत अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई देते हुए सभी उपस्थित कार्मिकों को हिंदी में अधिक से अधिक कामकाज करने की अपील की गई। इस दौरान हिंदी पत्राचार में 9% की वृद्धि भी दर्ज की गई।

इसके अलावा डीपी एण्ड आर और पीडीएम प्रभागों को एक–एक चल वैजयंती शील्ड प्रदान की गई थी।

समापन समारोह के दौरान, विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बाद, श्री उपेन्द्र कुमार, मुख्य अभियंता (पीसीडी) और राजभाषा प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष वर्ष के दौरान हिंदी अनुभाग के कार्यों और उपलब्धियों के बारे में अपने भाषण में वर्णन किया गया। उन्होंने आगे कहा कि समापन तिमाही में हिंदी पत्राचार 95 प्रतिशत था और अध्यक्ष महोदय की प्रेरणा और प्रोत्साहन से व राजभाषा अनुभाग के समर्थन और सहयोग से पत्राचार में सफलता प्राप्त की गई है। इस पर, अध्यक्ष, के.वि.प्रा. द्वारा श्री उपेन्द्र कुमार, मुख्य अभियंता (पीसीडी) व राजभाषा प्रभारी और सहायक निदेशक (राजभाषा) सहित राजभाषा अनुभाग के सभी कर्मियों की सराहना की और हिंदी में अधिक से अधिक काम करने के लिए सभी विंग/प्रभागों को बधाई दी।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के 71 कार्यालयों की छमाही प्रगति रिपोर्ट को समेकित करना, उनका संकलन और समीक्षा करना, पश्चात बैठक का आयोजन, कार्यसूची व कार्यवृत्त तैयार करना और नराकास की वेबसाइट पर अपलोड करना आदि, हिंदी कार्यशालाओं के साथ काव्य संगोष्ठी का आयोजन करना, सभी प्रभागों/अनुभागों से समय पर हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के लिए अनुरोध करने के और समेकित करना बाद में त्रैमासिक बैठकें आयोजित करना, नियमों और विनियमों का अनुवाद, हिंदी सलाहकार समिति में भागीदारी और अन्य प्रकार की गतिविधियाँ जो हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करती हैं।

अध्यक्ष, महोदय ने अपने प्रेरित शब्दों से लोगों को हिंदी में अधिक से अधिक काम करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार एक सफल हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया और कर्मियों को सभी स्तरों पर हिंदी में अधिक से अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

6. हिंदी कार्यशाला का आयोजन

इस कार्यालय द्वारा राजभाषा नीति के प्रचार–प्रसार के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएँ आयोजित की जातीं हैं। कार्यालय में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, केविप्रा परिसर में काम करने वाले केविप्रा के अधिकारियों के लिए वर्ष के दौरान नियमित आधार पर कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई जिसमें कुल तीन ऐसी कार्यशालाएं आयोजित कीं गईं।

इन कार्यशालाओं में अधिकांशतः अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

1) दिनांक 25/06/19 को आयोजित वर्ष 2019–20 की पहली कार्यशाला में, श्री प्रवीण गुप्ता, मुख्य अभियंता (आईआरपी), केविप्रा एवं सुश्री एमी आर टोपो, निदेशक (आईआरपी), केविप्रा द्वारा ''राष्ट्रीय विद्युत योजना'' विषय पर एक व्याख्यान दिया गया था।

2) दिनांक 11/09/2019 को आयोजित की गई वर्ष 2019–20 की दूसरी कार्यशाला में श्री ओमकांत शुक्ल, उप निदेशक (आईटी),केविप्रा द्वारा ''साइबर सिक्योरिटी'' विषय पर व्याख्यान दिया गया।

3) दिनांक 20/01/2020 को आयोजित की गई वर्ष 2019–20 की तीसरी कार्यशाला में श्री राकेश कुमार, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा **''तिमाही रिपोर्ट को भरने में आने वाली कठिनाइयां एवं समाधान'' विषय पर एक व्याख्यान दिया गया था।**

7. हिंदी पुस्तकों / प्रकाशन की खरीद

इस कार्यालय में एक पुस्तकालय है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकें नियमित रूप से खरीदी जाती हैं। हिंदी समाचार पत्र और हिंदी पत्रिकाएँ भी नियमित रूप से पुस्तकालय में खरीदी जातीं हैं।

2018–19 वर्ष के दौरान पुस्तकालय में तकनीकी और गैर–तकनीकी पुस्तकें खरीदी गई थीं और हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए रु. 2,20,911/– का व्यय किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय विद्युत योजना के दो भागों के हिन्दी प्रकाशन पर रु. 1.95 लाख का व्यय भी शामिल था और इस वर्ष भी पुस्तकों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है।

8. पीसी पर द्विभाषी में काम करने की सुविधा

यह कार्यालय नियमित रूप से पीसी सॉफ्टवेयर की खरीद / अद्यतन करता रहा है जिससे अधिकारी / कर्मचारी अपना कार्य हिंदी / द्विभाषी रूप में कर सकें। वर्तमान में इस कार्यालय में द्विभाषी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करने की सुविधा उपलब्ध है।

वेतन एवं लेखा कार्यालय

हिंदी में प्राप्त सभी पत्र स्वीकार किए जाते हैं और उनका उत्तर हिंदी में दिया जाता है।

एनटीपीसी

एनटीपीसी के रोजमर्रा के कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग तथा संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इसकी परियोजनाओं तथा क्षेत्रीय मुख्यालयों में राजभाषा नीति के अनुपालन का निरीक्षण किया गया तथा कार्यालयों के प्रमुखों को इस संबंध में कार्यान्वयन से सबंधित सुझाव दिए गए।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें हिंदी के प्रयोग में और सुधार लाने के उपायों के संबंध में गहन विचार–विमर्श किए गए। स्टेशनों/परियोजनाओं/कार्यालयों में इसी प्रकार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की गईं।

14 सितंबर, 2019 को हिंदी दिवस मनाया गया तथा केंद्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालयों और परियोजनाओं/ स्टेशनों पर 01–15 सितंबर, 2019 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, ताकि विभिन्न प्रतियोगिताओं/कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों, सहयोगियों और उनके परिवार के सदस्यों में जागरूकता लाई जा सके। हिंदी में सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए एनटीपीसी की छमाही हिंदी पत्रिका ''विद्युत स्वर'' का प्रकाशन किया गया।

कर्मचारियों को हिंदी कार्यशालाओं, यूनीकोड हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण, कवि सम्मेलन, हिंदी नाटक तथा हिंदी प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से अपने कार्यालयीन कार्य में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कर्मचारियों के लिए राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हिंदी वेबपेज को अद्यतन किया गया।

एनएचपीसी

निगम में वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम व नियमों के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन किया गया। भारत सरकार की नीति के अनुसार राजभाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए।

निगम में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (का.), फरीदाबाद की बैठकें निर्धारित अवधि में नियमित रूप से निगम मुख्यालय में आयोजित की गईं। इन बैठकों में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा निदेशकगण की उपस्थिति में पूरे निगम में राजभाषा की उत्तरोत्तर प्रयोग की समीक्षा की गई। निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त, राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा भी निगम मुख्यालय के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया।

समीक्षाधीन अवधि में निगम में राजभाषा हिंदी के प्रचार हिंदी प्रचार–प्रसार के लिए हिंदी काव्य संगोष्ठी, महात्मा गांधी के भाषा चिंतन पर हिंदी संगोष्ठी, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी प्रतियोगिताएं, हिंदी साहित्योत्सव, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, हिंदी भाषा व हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण और सभी विभागों में विभागीय हिंदी मासिक बैठकें जैसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

कार्मिकों की हिंदी भाषा में अभिरूचि बढ़ाने के उद्देश्य से एक 'ऑनलाइन हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता' की शुरूआत की गई। इस प्रतियोगिता का ऑनलाइन संचालन प्रति कार्य दिवस पर मुख्यालय के सभी कार्मिकों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, निगम में नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाएं एवं विभागीय कम्प्यूटर कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इस अवधि में विद्युत मंत्रालय की हिंदी पत्रिका 'विद्युत प्रवाह' का सम्पादन सहयोग और मुद्रण कार्य भी किया गया। साथ ही, निगम की राजभाषा पत्रिका 'राजभाषा ज्योति' तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (का.), फरीदाबाद की हिंदी पत्रिका 'नगर सौरभ' का प्रकाशन भी किया गया।

हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भागीदारी हेतु कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन योजनाओं लागू की गई हैं जिसमें पत्रिकाओं में हिंदी में लेख/आलेख देना, हिंदी पुस्तकों का पठन और हिंदी में टिप्पण तथा प्रारूपण करना आदि शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2019–20 की शेष अवधि में, राजभाषा अधिनियम व नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में अन्य राजभाषा कार्यक्रमों के आयोजन के साथ–साथ एक हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चौथी बैठक आयोजित की जानी प्रस्तावित है।

पावरग्रिड

पावरग्रिड अपने उत्तरदायित्वों, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए सभी स्तरों पर अपने कार्यों में राजभाषा हिन्दी और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु पावरग्रिड ने हिन्दी के प्रयोग के एकीकरण तथा संवर्धन के लिए प्रगतिशील दृष्टिकोण से कार्य किया है। पावरग्रिड ने राजभाषा नीति का कर्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी वचनबद्धता साबित की है।

राजभाषा के अगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए पावरग्रिड की प्रत्येक इकाई में 'अनुवाद अभ्यास कार्यक्रम', कार्यशालाएं, प्रशिक्षण, प्रेरक कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं। कंप्यूटर पर हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर प्रशिझण दिया जा रहा है। हिन्दी शिक्षण योजना के जरिए अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए हिन्दी कक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों की मानसिकता को बदलने और हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विरासत, सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों संबंधी व्याख्यान भी नियमित आधार पर प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा दिए जा रहे हैं।

हिन्दी का प्रचार करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, हिन्दी में तकनीकी सम्मेलन, कवि सम्मेलन (कविता सत्र), नाटक, और हिन्दी पत्रिका 'ग्रिड दर्पण' का प्रकाशन, ई–मेल के माध्यम से हिन्दी में मासिक लेख इनमें से प्रमुख है। इसके अलावा हिन्दी पखवाड़ें के दौरान विशेष जोर के साथ वर्षभर विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं तथा विभागीय बैठकों और ओ.एल.आई.सी. की बैठकों आदि का संचालन भी किया जाता है। पावरग्रिड ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच एक सर्वोत्तम हिन्दी पुस्तकालय स्थापित किया है जिसमें लोकप्रिय/साहित्यिक पत्रिकाएं और समाचार पत्र सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

हिन्दी में काम करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं भी बनाई गई हैं। इसके साथ–साथ अधिक पठन–पाठन, सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करने की योजना अमल में लाई जा रही है।

पावरग्रिड के इन प्रयासों की सराहना के रूप में वर्ष 2018–2019 के दौरान पावरग्रिड की विभिन्न मंचों पर सराहना की गई है तथा पावरग्रिड को कई पुरस्कारों व सम्मानों से भी नवाज़ा गया है। राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के तत्वावधान में विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा सिलीगुडी, वडोदरा, शिलाँग, बेंगलूरु व नागपुर क्षेत्रीय मुख्यालयों तथा लुधियाना व मदुरै कार्यालयों को प्रथम, इटारसी, अरसूर, व तिरुवनंतपुरम कार्यालयों को द्वितीय पुरस्कार तथा क्षेत्रीय मुख्यालय कोलकाता को तृतीय पुरस्कार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न अवसरों पर

माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण व विचार–विमर्श कार्यक्रमों में पावरग्रिड की भूरि–भूरि प्रशंसा की गई है।

पीएफसी

यह बड़े गर्व का विषय है कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पीएफसी के सम्मिलित प्रयासों के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के क्षेत्र 'क' में सार्वजनिक उपक्रम श्रेणी में पीएफसी को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है। पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार पीएफसी ने लगातार छठी बार प्राप्त किया।

पीएफसी स्थापना दिवस के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिंदी उन्मुख वातावरण का सृजन करने के लिए 14 सितंबर से 13 अक्तूबर, 2018 तक हिंदी माह का आयोजन किया गया। हिंदी माह के दौरान, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 'हिंदी माह' के समापन समारोह की पूर्व संध्या पर, दिनांक 23 अक्तूबर, 2019 को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पीएफसी कार्मिकों ने विभिन्न भारतीय नृत्य, गायन, काव्य पाठ, नाटिका और माइम्स आदि सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 'कबीर – अंतर्मन की आवाज़' नमक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी कार्मिकों को 'रश्मीरथी' और 'मधुशाला' नमक दो सुप्रसिद्ध हिंदी पुस्तकें वितरित की गई थीं।

199 कार्यपालकों के लिए 06 हिंदी कार्यशालाओं और 03 संगोष्ठी एवं 01 विशेष वार्ता का आयोजन किया गया। निजी संपर्क कार्यक्रम के रूप में आंतरिक निरीक्षण किए गए।

गृह पत्रिका 'ऊर्जा दीप्ति' के दो अंक 'साहित्यकार विशेषांक' और 'भारत की महान विभूतियां' भी प्रकाशित किए गए।

ये सभी प्रयास निगम में हिंदी के बेहतर एवं उत्तरोत्तर प्रयोग की संभावना सृजित करने में प्रेरणा के स्रोत थे।

आरईसी

चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान प्राप्त प्रगतिः

राजभाषा नीति की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन में, आरईसी ने वर्ष 2019–20 के दौरान अपने कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास किया। सरकारी कार्य में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए, कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देती है तथा उन्हें विभिन्न माध्यमों से प्रेरित करती है। इसके अलावा, वर्ष 2019–20 के लिए राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन निगम के सरकारी कार्य में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्राथमिक चिंता थी।

हिंदी पखवाड़ा का आयोजन कारपोरेट कार्यालय में 14.09.2019 से 28.09.2019 तक किया गया था, जिसमें कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं/कार्यकलाप आयोजित किये गये थे। सभी कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों की भागीदारी उत्साहवर्धक थी और अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्य में हिंदी को उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने हेतु विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को नकद पुरस्कार भी दिये गये थे। हिंदी पखवाड़े का आयोजन सभी क्षेत्रीय/राज्य कार्यालयों/ आरईसीआईपीएमटी में उक्त तिथियों को ही किया गया था।

नोडल हिंदी अधिकारियों के लिए 25–26 अप्रैल, 2019 के दौरान तिरुवनंतपुरम में राजभाषा संबंधी दो दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही के लिए तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट संकलित की गयी थी और उन्हें डाटाबेस में शामिल किये जाने के लिए राजभाषा विभाग को भेजा गया था। वर्ष के दौरान अनेक हिंदी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया था ताकि कर्मचारी सरकारी कार्य हिंदी में करने में अपनी झिझक को दूर कर सकें और उन्हें राजभाषा नीति और संबंधित विषयों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान दिया जा सके।

हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से की गई थी और उसमें आगे सुधार के लिए सुझावों को अनुपालन के लिए अपनाया गया था। राजभाषा से संबंधित निरीक्षण कारपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों/राज्य कार्यालयों के आंतरिक प्रभागों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग का जायजा लेने के लिए किये गये थे और हिंदी में किये गये कार्य की मात्रा में और अधिक सुधार लाने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दिया गया था। इन निरीक्षणों ने कर्मचारियों में हिंदी में और अधिक कार्य करने के लिए जागरूकता की भावना मन में बैठाई है।

आरईसी ने छमाही हिंदी पत्रिका 'ऊर्जायन' का नया संस्करण भी प्रकाशित किया। पत्रिका के लिए हिंदी संस्मरणों, लेखों, कविताओं आदि के रूप में बढ़े हुए योगदान के लिए अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद प्रोत्साहन राशि भी दी गई थी।

1 जनवरी, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक प्राप्त किये जाने के लिए प्रत्याशित लक्ष्यः

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2019–20 का पालन करना, उक्त अवधि के दौरान प्रमुख चिंता रहेगी।

नीपको

निगम द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति को कारपोरेट कार्यालय के साथ–साथ अन्य कार्यालयों तथा परियोजनाओं में कार्यान्वित किया गया। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात द्विभाषी जारी करने के प्रयास किए गए। विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए हिंदी **प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ** पाठ्यक्रम हेतु नामित किया गया। हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को पात्रता के अधार पर नकद पुरस्कार दिए गए। दिसम्बर, 2019 तक हिंदी में सरकारी कामकाज करने का अभ्यास कराने हेतु **20 (बीस)** कार्यशालाएं आयोजित की गईं तथा कार्यशाला के दौरान 264 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। कार्यशाला के दौरान कर्मचारियों को प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई। नीपको की गृह पत्रिका **''नीपको न्यूज''** में हिंदी के प्रयोग संबंधी बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध करवाई गई। मासिक **''नीपको न्यूज फ्लैस''** द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी में नियमित रूप से प्रकाशित होता है। नीपको की वेबसाइट भी हिंदी में उपलब्ध है। **''आज का शब्द''** कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों के हिंदी शब्दकोश के ज्ञान को समृद्ध करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी समानान्तर शब्दों को प्रत्येक दिन डिजिटल बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया।

कर्मचारियों को हिंदी में सरकारी कामकाज करने तथा हिंदी के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान कारपोरेट कार्यालय के साथ–साथ अन्य कार्यालयों में राजभाषा हिंदी पखवाड़ा तथा हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। हिंदी पत्रिका **''नीपको ज्योति''**, **''रतनदीप''**, **''पंयोर प्रवाह''**, **''आलोक ज्योति''**, **''आरोही''**, **''कोपिली दर्पण''**, **''नीपको तरंग''**, **''विद्युत प्रभा''**, **''कामेंग धारा''** एवं **''दोयांग पत्रिका''** को क्रमशः **कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली समन्वय कार्यालय, रंगानदी जल विद्युत संयंत्र, टीजीबीपी, एजीबीपी, खेप, गुवाहाटी, एजीटीसीसीपीपी, कहेप और ढ़ेप** से प्रकाशित किया जाता है। हिंदी दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय भाषा के शब्दों से परिचित कराने

के उद्देश्य से एक त्रिभाषी (हिंदी–अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा) शब्दकोश प्रकाशित किया गया जिसमें दैनिक उपयोग के शब्दों के साथ–साथ कार्यालयीन शब्द भी शामिल किए गए है। कारपोरेट कार्यालय में राजभाषा प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें राजभाषा हिंदी की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हिंदी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग लिखने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

नीपको राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई। बैठक में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की गई तथा राजभाषा के कार्यान्वयन को और प्रभावी बनाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए गए।

राजभाषा के कार्यान्वयन में प्रशंसनीय कार्य के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक), शिलांग द्वारा कॉरपोरेट कार्यालय, शिलांग को तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया साथ ही अन्य कार्यालय को भी संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) तथा अन्य संस्थानों द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया।

पोसोको

पोसोको भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु राजभाषा को बढ़ावा देने तथा कार्मिकों को प्रेरित करने के लिए पूरे वर्ष प्रतिबद्ध है। सभी आरएलडीसी तथा एनएलडीसी में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें कार्मिकों के लिए प्रेरणादायक वार्ता, सेमीनार, संगोष्ठी तथा प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। अपने दैनिक कार्य तथा विशेष रुप से उत्साहवर्धक हिंदी प्रयोग वाली प्रौद्योगिकी में हिंदी के प्रयोग को अपनाने हेतु कर्मचारियों के लिए पूरे वर्ष विभिन्न कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। राजभाषा तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त **www.posoco.in** पर उपलब्ध है।

''ग्रिड संचालिका'' का तिमाही हिंदी अंक ई–मैगज़ीन के माध्यम से निकाला जा रहा है। राजभाषा के प्रयोग हेतु एनईआरएलडीसी द्वारा ''कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया । हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु एनईआरएलडीसी में हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण भी दिया गया ।

एसजेवीएन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में राजभाषा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निगम द्वारा हर संभव प्रयास किए गए हैं।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3.3(i) के अंतर्गत शत–प्रतिशत कागजात द्विभाषी जारी किए गए और हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर शत–प्रतिशत हिन्दी में भेजे गए। निगम की वेबसाइट पहले ही द्विभाषी रूप में है तथा इसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना समस्त कार्यालयीन कार्य हिन्दी में निष्पादित करने हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से निगम में पहले से ही प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, हिन्दी कार्यशालाओं/सेमिनारों, स्कूलों/कॉलेजों में हिन्दी प्रतियोगिताओं, कवि–सम्मेलन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों, हिन्दी पखवाड़े का नियमित आयोजन किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा निगम के समन्वय कार्यालय, नई दिल्ली का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण अधिकारियों ने हिन्दी के प्रयोग के क्षेत्र में की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

कर्मचारियों की बहुआयामी प्रतिभा को विकसित करने के लिए छमाही राजभाषा गृहपत्रिका 'हिमशक्ति' के अंकों का प्रकाशन कर कर्मचारियों/अधिकारियों में इसे वितरित किया गया।

टीएचडीसी

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के दिशा–निर्देशों के अनुसार दिन–प्रतिदिन के कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश एवं अधीनस्थ यूनिट/कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें कार्यालय प्रमुखों की अध्यक्षता में प्रत्येक तिमाही नियमित अंतराल पर आयोजित की गई। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कारपोरेट कार्यालय सहित यूनिटों/कार्यालयों में प्रत्येक तिमाही हिंदी कार्यशालाओं एवं हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

निगम के कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में 03 से 27 सितंबर, 2019 तक हिंदी माह मनाया गया। हिंदी माह के दौरान कारपोरेट कार्यालय के कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिंदी माह का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह 27 सितंबर, 2019 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही राजभाषा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया । कारपोरेट कार्यालय द्वारा आयोजित किए गए हिंदी माह की तर्ज पर ही यूनिट/कार्यालयों में भी मानवशक्ति की संख्या के अनुरूप हिंदी पखवाड़ा/हिंदी सप्ताह/हिंदी दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए।

हास्य व्यंग्य के माध्यम से हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार हेतु 01 नवंबर, 2019 को कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में एवं 12 दिसंबर, 2019 को टिहरी यूनिट में भव्य ''कवि सम्मेलन'' का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों से कविगणों को आमंत्रित किया गया जिन्होंने अपनी हास्य, वीर और श्रृंगार रस की कविताओं से कर्मचारियों में नया जोश एवं उत्साह भर दिया।

हिंदी पाठकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मनोरंजक एवं ज्ञानप्रद सामग्री से युक्त हिंदी गृह पत्रिका 'टीएचडीसी पहल' का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष 03 अंकों के साथ निरंतर किया जा रहा है। द्विभाषी कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निगम के सभी कंप्यूटरों/लैपटॉप में हिंदी सॉफ्टवेयर/फोंट संस्थापित किए गए हैं एवं निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही सामग्री भी द्विभाषी है। निगम की वेबसाइट के हिंदी पेज पर राजभाषा शीर्ष बनाया गया है जिसमें राजभाषा से संबंधित उपयोगी जानकारी अपलोड की गई है।

धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात निगम में द्विभाषी जारी किए गए। साथ ही हिंदी में पत्राचार के प्रतिशत में भी वृद्धि दर्ज की गई है। हिंदी कार्यान्वयन की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निगम के सभी कार्यालयों का हिंदी अनुभाग के अधिकारियों के द्वारा समय–समय पर राजभाषा निरीक्षण किया जाता है।

निगम का कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश एवं यूनिट कार्यालय, टिहरी क्रमशः हरिद्वार एवं टिहरी की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की अध्यक्षता का दायित्व भी संभाल रहा है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विभिन्न गतिविधियां/कार्यक्रम जैसे अर्धवार्षिक बैठकें, हिंदी समन्वयकर्ता सम्मेलन, हिंदी प्रतियोगिताएं एवं हिंदी कार्यशालाएं वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर आयोजित की गई। सभी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की गई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। नराकास के तत्वावधान में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं में

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों ने भाग लिया। नराकास द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नराकास द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

डीवीसी

निगम डीवीसी में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में नये मील–पत्थर प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। दामोदर घाटी निगम का राजभाषा स्कंध निगम के कार्यालयीन कार्य निष्पादित करने में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु कर्मचारियों के मध्य हिन्दी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हिन्दी कक्षाएँ मुख्यालय के साथ–साथ क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में हिंदी शिक्षण योजना, भारत सरकार के सहयोग से चलाये जाने के लिए प्रतिबद्ध है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 13 कार्मिकों को प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षा के लिए नामित किया गया है। कुल 571 कर्मचारियों (सचिवालयीन कार्य से जुड़े) में से 543 कर्मचारियों ने राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करते हुए हिंदी प्रशिक्षण में 80% का लक्ष्य हासिल किया है।

नियमित कार्यशालाओं के अतिरिक्त तिमाही रिपोर्ट की महत्ता, टाइपिंग कार्य के यूनिकोडिंग के साथ–साथ राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए 05 (पाँच) विशेष राजभाषा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यालय तथा क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों को मिलाकर कुल 227 कर्मचारियों ने भाग लिया।

वर्ष 2019 के दौरान हिन्दी दिवस/माह/पखवाड़ा भी मनाया गया। पखवाड़ा के दौरान निगम के कर्मचारियों को हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करने के लिए अध्यक्ष महोदय की ओर से एक संदेश निर्गत किया गया। इस अवसर पर ''नीलांबर'', कोलकाता – एक स्वयं सेवी साहित्यिक संस्था द्वारा 24.09.2019 को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। पखवाड़ा आयोजन की प्रक्रिया में कला, संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्र में सुविख्यात नारी प्रतिभाओं जैसे श्रीमती उषा गांगुली, श्रीमती ब्रतती बंद्योपाध्याय तथा डॉ. श्रीमती सोमा बनर्जी, कुलपति, पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन को नारी शक्ति को प्रतिचिह्नित करने के लिए 27.09.2019 को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ''डीवीसी करेंट'' नामक राजभाषा गृह पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन भी किया गया।

उपर्युक्त के अलावा, मुख्यालय में राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में राजभाषा विभाग, पूर्वी क्षेत्र, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27.11.2019 को निरीक्षण किया गया तथा अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, डीवीसी की अध्यक्षता में उप निदेशक (कार्यान्वयन), निजाम पैलेस, कोलकाता की उपस्थिति में राजभाषा नीति के क्रियान्वयन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

मार्च, 2020 तक प्रत्याशित कार्यक्रमों में जनवरी–मार्च, 2020, के दौरान चार (04) अतिरिक्त राजभाषा कार्यशाला, 10.01.2020 को ''विश्व हिंदी दिवस'' का आयोजन तथा राजभाषा के प्रचार–प्रसार के लिए डीवीसी की सभी परियोजनाओं को आवृत्त करते हुए 13 मार्च 2020 को राजभाषा संगोष्ठी–सह–कार्यशाला का आयोजन शामिल है।

बीबीएमबी

बीबीएमबी द्वारा संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत सभी कागजात द्विभाषी जारी किए जाते हैं और हिंदी में प्राप्त अथवा हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों के उत्तर आवश्यक रूप से हिंदी में ही दिए जाते हैं। अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिंदी में देने के प्रयास किए जाते हैं। वर्तमान में बोर्ड सचिवालय द्वारा ''क'' क्षेत्र के साथ 100% ''ख'' क्षेत्र के साथ 100% और ''ग'' क्षेत्र के साथ 100% पत्राचार हिंदी में किया जा रहा है। बीबीएमबी की वेबसाइट में भी समस्त जानकारी द्विभाषी रूप में उपलब्ध है।

बोर्ड सचिवालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है और इसकी तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। जिनमें हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा की जाती है। बोर्ड सचिवालय में इस समय लगभग 88% टिप्पणी हिन्दी में की जा रही हैं। प्रत्येक तिमाही में हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं और भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार समय–समय पर अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है।

सभी कम्पयूटरों में हिंदी एवं अंग्रेजी, दोनो भाषाओं में कार्य करने की सुविधा प्रदान की गई है। सभी स्टैनोटाइपिस्टों/ लिपिकों को हिंदी आशुलिपि/टंकण का प्रशिक्षण दिलाया गया है।

बोर्ड सचिवालय और परियोजना स्थलों में हिंदी पुस्तकालय की स्थापना की गई है। इस वर्ष कुल 12,460/– रुपए की राशि की पुस्तकें खरीदी जा रही हैं।

बोर्ड के सभी कार्यालयों में सितम्बर, 2019 के दौरान हिंदी माह का आयोजन किया गया जिसके दौरान कर्मचारियों में हिन्दी में काम करने के लिए जागरुकता उत्पन करने के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगताएं आयोजित की गई। इसके अलावा वर्ष के दौरान हिंन्दी में अधिकाधिक कार्य करने वाले 27 कर्मचारियों को नगद पुरस्कार देकर भी प्रोत्साहित किया गया। हिंदी पखवाड़े के समापन पर 22 नवम्बर, 2019 को ''पुरस्कार वितरण समारोह'' के साथ–साथ ''हास्य कवि सम्मेलन'' का आयोजन भी किया गया।

बीबीएमबी की सभी पत्र–पत्रिकाएं द्विभाषी प्रकाशित की जाती हैं। पत्रिका का जुलाई–सितम्बर अंक ''राजभाषा विशेषांक'' के रूप में प्रकाशित किया जाता है। हिंदी के उपयोग को सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ संकलन यथा ''प्रशासनिक टिप्पणियां'', ''तकनीकी शब्दावली'' और ''राजभाषा सहायक पुस्तक'' का प्रकाशन किया गया है और सभी कार्यालयों को इन की प्रतियां वितरित की गई हैं। बीबीएमबी को दिनांक 14.09.2018 को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों की बोर्डों/स्वायत्त संस्थानों आदि की श्रेणी के 'ख' क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार सें सम्मानित किया गया।

बीईई

कार्यालयीन कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में हिन्दी पखवाड़ा मनाया जाता है। वर्ष के दौरान, राजभाषा अधिनियम के तहत नियमों के अनुसार अधिक से अधिक कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने के लिए अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं और हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

बीईई में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन दिनांक 12–26 सितंबर, 2019 तक किया गया। पखवाड़े के दौरान 07 प्रतियोगिताएं अर्थात् निबंध प्रतियोगिता, टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए श्रुतलेख प्रतियोगिता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए हिन्दी श्रुतलेख प्रतियोगिता, राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, हिन्दी कविता पाठ प्रतियोगिता और ऊर्जा दक्षता और प्लास्टिक वेस्ट पर स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गईं। प्रतियोगिता के विजेताओं को 16 पुरस्कार अर्थात् प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार और तेरह प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए। हिन्दी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर महानिदेशक (बीईई) द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण–पत्र दिए गए।

19 जून, 2019 और 30 सितम्बर, 2019 को प्रत्येक दो घंटे के लिए हिन्दी कार्यशाला

का आयोजन किया गया जिसमें क्रमशः 16 और 22 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विशेषज्ञ अतिथि प्रवक्ताओं ने अपने गहन ज्ञान और अनुभवों को, न केवल साझा किया, बल्कि राजभाषा अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार हिन्दी में दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रतिभागियों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करने में भी सहायता की। इन कार्यशालाओं में सहभागिता से कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के उपयोग में वृद्धि करने में काफी सहायता मिली। इन कार्यशालाओं में भाग लेने के पश्चात् कर्मचारियों ने यूनिकोड के माध्यम से फाइलों में नोट हिन्दी में टाइप करना आरंभ कर दिया। 'क' और 'ख' क्षेत्रों को हिन्दी में भेजे गए पत्रों की संख्या में प्रत्येक तिमाही में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा महानिदेशक (बीईई) की अध्यक्षता में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा हेतु तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं।

सीपीआरआई

राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में संस्थान की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

1. संगोष्ठी एवं कार्यशाला :

टेबल कार्यशालाएँ:

राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में सीपीआरआई, बेंगलूर के क्रय प्रभाग, ताप चालन परीक्षण प्रभाग, सूचना एवं प्रचार प्रभाग, लघु परिपथ प्रयोगशाला, सुरक्षा, संधारित्र प्रयोगशाला, ईएटीडी का निरीक्षण किया गया तथा अनुवर्ती कार्य के तौर पर उक्त तिमाही के दौरान टेबल कार्यशाला का आयोजन किया गया जहाँ पर कर्मचारियों को अपने दैनंदिन कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने एवं पत्राचार आंकड़ों को प्रस्तुत करने के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि नाम पट्ट, नाम फलक, साइन बोर्ड, रबड़ मोहरे, मुलाकाती कार्ड आदि हिंदी (द्विभाषी) में हैं।

2. हिन्दी माह एवं हिन्दी दिवस :

27 अगस्त, 2019 से 24 सितंबर, 2019 तक हिंदी माह मनाया गया। हिंदी माह के अंग के तौर पर प्रश्नोत्तरी, अन्ताक्षरी, शब्दावली और सही वर्तनी, वर्ग पहेली, सामान्य ज्ञान (लिखित), गीत, हास्य वार्तालाप, तकनीकी लेख प्रतियोगिता, प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मूल हिन्दी टिप्पण और आलेखन जैसे विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। हिंदी माह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में अधिकारियों/कर्मचारियों ने अत्यंत उत्साह से भाग लिया।

सीपीआरआई, बेंगलूरु में 24 सितंबर, 2019 को हिंदी दिवस मनाया गया। डॉ. नारायण पाणिग्रही, वैज्ञानिक 'जी', सीएआईआर, बेंगलूरु समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने हिंदी के महत्व और इसके विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला। हिंदी माह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

3. प्रकाशनः

क. वार्षिक रिपोर्ट – वर्ष 2018–19 के लिए संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट का अनुवाद कार्य पूर्ण हुआ है तथा यह मुद्रणाधीन है।

ख. सीपीआरआई समाचार – संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका ''सीपीआरआई समाचार'' के चारों अंकों को द्विभाषी रूप में लाया गया।

ग. राजभाषा समाचार – राजभाषा समाचार का छठा अंक विमोचित किया गया जो वर्ष 2018 – 19 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में संस्थान की उल्लेखनीय उपलब्धियों का संकलन है।

घ. एसटीडीएस दर्पण – संस्थान के भोपाल एकक की इन–हाउस पत्रिका ''एसटीडीएस दर्पण'' का 20 वाँ अंक विमोचित किया गया।

4. हिंदी में टिप्पण एवं आलेखन

प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत संस्थान में हिंदी में टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता प्रचलन में है, जिसके लिए नकद पुरस्कार हिंदी दिवस के अवसर पर दिए जाएँगे।

5. वार्षिक तकनीकी लेख प्रतियोगिता :

तकनीकी क्षेत्र में हिंदी लेखन को बढ़ावा देने के लिए, संस्थान पिछले 24 वर्षों से सभी केंद्र सरकारी वैज्ञानिकों के लिए वार्षिक तकनीकी लेख प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। 24 सितंबर, 2019 को आयोजित हिंदी दिवस के अवसर पर तीन उत्तम लेखों के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए।

6. वेब साइट :

संस्थान की वेब साइट द्विभाषी में उपलब्ध है और इसे समय–समय पर अद्यतन की जाती है।

7. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियाँ :

क. सीपीआरआई ने नराकास (II) के सदस्य कार्यालयों के लिए 23 अक्तूबर, 2019 को हिंदी वर्ग पहेली प्रतियोगिता का प्रायोजन एवं सफलतापूर्वक आयोजन किया। प्रतिभागियों से भारी प्रतिक्रिया मिली। 18 दिसंबर 2019 को बेंगलूरु के सीएमटीआई में आयोजित संयुक्त हिंदी दिवस के अवसर पर विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

एनपीटीआई

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

- एनपीटीआई तथा इसके प्रशिक्षण संस्थान सरकार की राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन कर रहे हैं। सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- संवैधानिक एवं सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु कार्यालय द्वारा द्विभाषी रूप से जारी किए जाने वाले सभी दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किया जा रहा है। इसी प्रकार, हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जा रहा है।
- एनपीटीआई निगमित कार्यालय एवं इसके प्रशिक्षण संस्थानों पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है ।
- हिंदी में मूल रूप से टिप्पण और प्रारूपण के लिए प्रोत्साहन योजना जैसी नकद पुरस्कार योजना लागू की गई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एनपीटीआई कारपोरेट कार्यालय तथा इसके संस्थानों के 10 अधिकारियों/कर्मचारियों को इस योजना के अधीन पुरस्कृत किया गया है।
- एनपीटीआई के कार्पोरेट कार्यालय और इसके प्रतिष्ठानों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक निरीक्षण किए जाते हैं।
- राजभाषा नीति के अनुपालन में एनपीटीआई निगमित कार्यालय में 11 सितम्बर से 20 सितम्बर, 2019 तक ''हिन्दी पखवाड़ा'' का आयोजन किया गया । सरकारी कार्यों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी निबंध, हिन्दी वाद–विवाद, हिन्दी कविता पाठ, हिंदी टिप्पण एवं आलेखन आदि जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। इन प्रतियोगिताओं में अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया तथा विजेताओं को प्रमाण–पत्र/नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु एक अनुकूल तथा प्रेरणादायी परिवेश बनाने के लिए एनपीटीआई कारपोरेट कार्यालय तथा इसके संस्थानों पर ''हिंदी कार्यशालाओं'' का आयोजन किया जाता है।
- गत तीन वर्षों से, हिंदी पखवाड़े के दौरान एनपीटीआई स्टाफ के बच्चों तथा महिलाओं हेतु कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है।

सुबानसिरी जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एनएचपीसी और
असम सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए।

सतर्कता गतिविधियां/अनुशासनिक मामले

विद्युत मंत्रालय

1. विद्युत मंत्रालय का सतर्कता विंग विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य कार्यालयों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखता है। अनुभाग में प्राप्त सभी शिकायतें ई–ऑफिस प्रणाली के जरिए मंत्रालय/अनुभाग में पंजीकृत की जाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों से संबंधित शिकायतों की जांच करने के बाद, रिपोर्टें संबंधित एजेंसियों अर्थात् सीवीसी/पीएमओ/मंत्रिमंडल सचिव/डीओपीटी, जैसा भी मामला हो, को भेजी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, सीवीसी अधिनियम/पीआईडीपीआई के अंतर्गत सीवीसी से प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाता है और निर्धारित समय सीमा के भीतर सीवीसी को सूचित किया जाता है। लंबित शिकायतों के मामलों की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है।

2. विद्युत मंत्रालय में 28 अक्तूबर, 2019 से 02 नवम्बर, 2019 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019' मनाया गया। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय ''जीने की राह – सत्यनिष्ठा'' था। इस अवसर पर, दिनांक 28 अक्तूबर, 2019 को सचिव विद्युत द्वारा मंत्रालय के अधिकारियों एवं स्टाफ को सभी कार्य क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह काफी जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान मंत्रालय के कर्मचारियों, बच्चों सहित उनके परिवार के सदस्यों ने भी श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली परिसर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया।

मंत्रालय के कर्मचारियों के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता और सतर्कता विषय पर एक नुक्कड़ नाटक 29 अक्तूबर, 2019 को आयोजित किया गया था।

3. निरंतर सुरक्षा खतरों के परिदृश्य में, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न संस्थापनाओं की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित आधार पर समीक्षा की गई। समय–समय पर विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त निर्देशों/परामर्शों का तुरंत आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित प्राधिकारियों को भेजे गए उपयुक्त सम्प्रेषणों के माध्यम से अनुपालन भी सुनिश्चित किया गया। आईबी/सीआईएसएफ द्वारा सुझाये गए सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लंबित मामले पर चर्चा करने के लिए संयुक्त सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 10.04.2019 को आईजी, सीआईएसएफ के साथ बैठक की। जम्मू–कश्मीर राज्य में महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की गई।

सीईए

1. केविप्रा के सतर्कता प्रभाग के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं और यह प्रभाग प्राधिकरण तथा प्राधिकरण के अधीनस्थ कार्यालय में सतर्कता ढाँचे का एक नोडल केन्द्र है। यह प्रभाग सतर्कता तंत्र के विभिन्न पहलुओं तथा शिकायतों की जांच करने, नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने, निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के साथ–साथ निवारक सतर्कता कार्रवाई को पूरा करने के लिए सतर्कता तंत्र के विभिन्न पहलुओं को देखता है।

2. निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में, सतर्कता प्रभाग द्वारा केविप्रा के अधीनस्थ कार्यालयों के आवधिक निरीक्षण का कार्य नियमित अंतराल पर किया जा रहा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में दिनांक 28.10.2019 से 02.112019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह –2019 मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का उद्देश्य ''सत्यनिष्ठा – एक जीवन शैली'' नामक विषय पर प्रकाश डालना था।

3. बेनाम/छद्म नाम के अलावा अन्य शिकायतों की शीघ्र जांच की गयी और जांच पूरी होने के बाद, रिपोर्ट निर्धारित सक्षम प्राधिकारी को सौंप दी गई। दिनांक 31.12.2019 तक, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर (सेवानिवृत्त के बाद) के विरूद्ध अनुशासनात्मक मामला प्रक्रियाधीन है तथा इसे केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में विद्युत मंत्रालय को भेज दिया गया। निर्धारित आवधिक रिटर्न विद्युत मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को समय पर भेजी गई।

वेतन एवं लेखा कार्यालय

श्री महेश चंद्र वर्मा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी और श्री अर्नब बरूआ, लेखा अधिकारी के विरुद्ध तीन सतर्कता अथवा अनुशासनात्मक मामले लंबित अथवा विचाराधीन हैं।

एनटीपीसी

एनटीपीसी में एक सतर्कता विभाग है, जिसके अध्यक्ष भारत सरकार के संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं, जिन्हें केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नामोद्दिष्ट किया जाता है। एनटीपीसी के सतर्कता ढांचे में केंद्रीय कार्यालय और परियेजनाओं के सतर्कता कार्यपालक (वीई) होते हैं। परियोजना में वीई प्रशासनिक मामलों में परियोजना के प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं, परंतु कार्य संबंधी मामलों में वे मुख्य सतर्कता अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। निगम के सतर्कता विभाग में 04 प्रकोष्ठ शामिल हैं जिनके नाम हैंः i) अन्वेषण एवं प्रसंस्करण प्रकोष्ठ, ii) विभागीय कार्रवाई प्रकोष्ठ, iii) तकनीकी जांच प्रकोष्ठ और iv) एमआईएस प्रकोष्ठ। ये प्रकोष्ठ सतर्कता तंत्र के विभिन्न पहलुओं के संबंध में कार्य करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र नामतः ईआर–1, ईआर–2, डब्लूआर–1, डब्ल्यूआर–2, एनआर, डीबीएफ, एसआर और हाइड्रो क्षेत्र के सतर्कता कार्यों को अपर महाप्रबंधक रैंक के सतर्कता कार्यपालक को अलग से सौंपा गया है ताकि सतर्कता मामलों का निपटान तेजी से हो सके।

एनटीपीसी में वर्ष 2009 से सत्यनिष्ठा करार कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में 10 करोड़ रूपए तक या इससे अधिक की निविदा (करों और ड्यूटियों को छोड़कर) सत्यनिष्ठा करार के दायरे में आती है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) के प्रावधानों के अनुसार एनटीपीसी में धोखाधड़ी निवारण नीति कार्यान्वित की गई है और नोडल अधिकारियों द्वारा सतर्कता विभाग को संदर्भित धोखाधड़ी के मामलों का अन्वेषण तत्काल किया जाता है ताकि ''धोखाधड़ी निवारण नीति'' में परिभाषित किए गए धोखाधड़ी पूर्ण व्यवहार से बचा जा सके/रोका जा सके।

'सेबी' के दिशानिर्देशों के अनुसार एनटीपीसी में सूचना प्रदाता नीति लागू है ताकि कंपनी के भीतर कर्मचारियों को अनुचित गतिविधियों (सूचना देने) की जिम्मेदारी और सुरक्षित रिपोर्टिंग के लिए ढांचा/ प्रक्रिया उपलब्ध करवाई जा सके तथा कंपनी के भीतर अनुचित गतिविधि/ गंभीर अनियमितताओं के बारे में चिंता जताने के लिए कर्मचारियों की रक्षा कर सके। एक शिकायत निपटान नीति भी लागू की गई है, जिसे एनटीपीसी द्वारा अपने कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों आदि के विरूद्ध शिकायत प्राप्त करने और उनके निपटान के तरीके के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

वर्ष 2019–20 के दौरान सतर्कता कार्य

अप्रैल–दिसम्बर, 2019 के दौरान शिकायतों के अन्वेषण के संबंध में कुल मिलाकर 96 शिकायतों का अन्वेषण किया गया और उनमें से 75 शिकायतों को अंतिम रूप दिया गया है, जबकि शेष 21 शिकायतें अन्वेषण के विभिन्न चरणों में हैं। अन्वेषण के बाद लिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है तथा जहां आवश्यक समझा गया है, प्रणाली (सिस्टम) में सुधार किया गया है।

इस अवधि के दौरान 178 औचक जांच की गईं और अन्वेषण के दौरान पाई गई विभिन्न विसंगतियों के लिए 1,96,40,139/– रूपए की वसूली की गई। इस वर्ष विभिन्न परियोजनाओं/ स्थानों पर कुल 42 निवारक सतर्कता कार्यशालाएं चलाई गईं, जिनमें 1007 कर्मचारियों ने भाग लिया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2019

सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2019 का आयोजन एनटीपीसी, इसकी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों के कार्यालयों, संयंत्रों, समीपवर्ती गांवों और सौंपे गए शहरों में दिनांक 28 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2019 तक किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन 28 अक्टूबर, 2019 को प्रातः 11:00 बजे देश भर में कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा शपथ लिए जाने से प्रारंभ हुआ, जिसका संचालन परियोजनाओं/ स्टेशनों/ क्षेत्रों/ कार्यालयों और कारपोरेट केंद्र के संबंधित प्रमुखों द्वारा किया गया था। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ने कर्मचारियों को शपथ दिलाई।

पूरी एनटीपीसी में इस अवसर पर विषयवस्तु ''सत्यनिष्ठा – एक जीवन शैली'' पर कार्यक्रम और गतिविधियाँ केंद्रित थीं। छात्रों और नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों और ग्राम सभाओं में कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया गया और शहरी क्षेत्रों में संगोष्ठीयों का आयोजन हमारे स्टेशनों/ परियोजनाओं/ कार्यालयों/ कारपोरेट केंद्र के आसपास के क्षेत्रों में किया गया। बाहरी पहुंच के लिए एनटीपीसी को सौंपे गए नई दिल्ली, वाराणसी, फरक्का, कोरबा और तालचेर जैसे शहरों पर विशेष ध्यान दिया गया। सामान्य जागरूकता के लिए, नई दिल्ली, पटना, हैदराबाद, विशाखापत्तनम तथा रायपुर में भ्रष्टाचार के विरूद्ध सीवीसी संदेश प्रसारित करने के लिए एफएम रेडियो/ प्रसार भारती के माध्यम का भी उपयोग किया गया था।

एनटीपीसी कर्मचारियों के बच्चों के लिए एनटीपीसी विजिलेंस क्विज 2019 आयोजित किया गया। यह पहली बार था जब एनटीपीसी सतर्कता विभाग ने इस तरह के प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया। इसका पहला दौर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 29.09.2019 को आयोजित किया गया था और अंतिम दौर एनटीपीसी, दादरी में 18.10.2019 को आयोजित किया गया था। एनटीपीसी सिंगरौली (उत्तरी क्षेत्र) टीम राष्ट्रीय फाइनल की विजेता बनी, जबकि डीबीएफ एंड हाइड्रो क्षेत्र (एनटीपीसी दादरी) की टीम पहली रनर–अप के रूप में उभरी और कॉर्पोरेट सेंटर की टीम ने द्वितीय रनर–अप का स्थान प्राप्त किया। श्री राजित पुन्हानी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, एनटीपीसी, श्री राकेश प्रसाद, ईडी (एचआर), श्री ए.के. दास, सीजीएम, दादरी, सुश्री विजया लक्ष्मी मुरलीधरन, अध्यक्ष, एचआर, दादरी ने विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। कई परियोजनाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष मुद्दों से संबंधित ई–पत्रिका जारी की गई। सतर्कता जागरूकता पर ई–फ्लायर वीआईजीडीओएम के एनटीपीसी कॉर्पोरेट सतर्कता संग्रह को सीएमडी, एनटीपीसी द्वारा 28.10.2019 को जारी किया गया और सीवीओ द्वारा दिनांक 29.10.2019 को एनटीपीसी सतर्कता मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2019 के दौरान क्रियाकलापों का आयोजन पूरे भारत भर में 20 राज्यों को कवर करते हुए किया गया था, जिसमें एनटीपीसी, इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के कर्मचारियों के अलावा 40,000 से अधिक छात्र और 40,000 से अधिक नागरिक शामिल थे।

टीम एनटीपीसी के संगठित प्रयासों से, आउटरीच गतिविधियों पर मुख्य ध्यान दिया गया था। सप्ताह के दौरान कुल 260 स्कूलों और 120 कॉलेजों तक पहुंच बनाई गई। इन शिक्षण संस्थानों में वाद–विवाद और निबंध प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के अलावा, लगभग 150 इंटीग्रिटी क्लबों को क्रियाशील बनाया गया। लगभग 7000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ 54 ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया था। 3300 से अधिक प्रतिभागियों के साथ 55 कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित की गईं। कर्मचारियों सहित 14500 नागरिकों ने ई–शपथ ली।

समाचार पत्रों में विज्ञापन, पर्चों के वितरण और बैनर एवं पोस्टरों के प्रदर्शन के माध्यम से एनटीपीसी प्रतिष्ठानों के पास स्थित शहरों जैसा दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, पटना, वाराणसी, देहरादून, रायपुर, मुंबई, भुवनेश्वर, हैदराबाद और रांची आदि में इन कार्यक्रमों के लिए व्यापक प्रचार किया गया।

वर्ष 2019–20 के दौरान प्रणाली में सुधार के लिए किए गए उपाय

- जैसा कि सतर्कता विभाग द्वारा सुझाव दिया गया, सभी अनुबंध विभाग के प्रमुखों को कोरपोरेट अनुबंध प्रभाग द्वारा गैर–जरूरी पैन एनटीपीसी नई वस्तुओं/सेवाओं, जिनके लिए कोई पूर्व सूची नहीं है, के लिए विक्रेता सूची को अंतिम रूप देने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं।
- सतर्कता विभाग की सिफारिश पर, कोरपोरेट अनुबंध प्रभाग ने बजटीय प्रस्ताव को साझा करने के बारे में एक परिपत्र जारी किया है और सभी परियोजना प्रमुखों को सलाह दी है कि किसी भी विक्रेता से प्राप्त बजटीय प्रस्ताव को स्वतंत्र लागत अनुमान प्राप्त करने के लिए अन्य विक्रेताओं के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए।

एनएचपीसी

एनएचपीसी में सतर्कता विंग के प्रमुख, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) है, जिन्हें विद्युत मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनकी सहायता के लिए एनएचपीसी से महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक स्तर के उप सीवीओ और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा निर्धारित ढ़ांचे के अनुसार कारपोरेट कार्यालय और परियोजना/ यूनिट स्तर दोनों पर अन्य सतर्कता अधिकारी होते है।

एनएचपीसी के कारपोरेट कार्यालय में सतर्कता विभाग को मैसर्स बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु आईएसओ 9001:2015 प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है। सभी प्रक्रियाओं को प्रलेखनबद्ध किया गया है और सतर्कता शिकायतों एवं अनुशासनिक मामले में विलंब से बचने के लिए मॉनिटरिंग प्रणाली कार्यान्वित की गई है।

कारपोरेट सतर्कता, यूनिटों (परियोजना सतर्कता अधिकारी–पीवीओ) की सतर्कता विभागों के साथ मिल कर निगम में मौजूद प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं में सुधारों की पहचान करने तथा उन्हें सुलझाने के लिए सतत प्रयास करती है। प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकताओं पर ध्यान नियमित और आकस्मिक निरीक्षणों के दौरान और सतर्कता अधिकारियों द्वारा दिए गए अन्य रिपोर्टों के जांच पर पाई गई कमियों के संबंध में परिपत्र जारी करके दिया जाता है।

सतर्कता विभाग द्वारा नियमित अंतरालों पर नियमित और आकस्मिक निरीक्षण किए जा रहे हैं। परियोजना सतर्कता अधिकारी द्वारा कार्रवाई योग्य मदों की पहचान की जाती है और उसके बारे में समय–समय पर आवश्यक सुधार करने के लिए संबंधित परियोजना प्रमुख को सूचित किया जाता है। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई) द्वारा समय–समय पर कार्यों की गहन जांच भी की जाती है। सीटीई पैटर्न पर परियोजनाओं तथा पावर स्टेशनों पर कार्यों की गहन जांच भी सतर्कता विभाग द्वारा की जाती है।

एनएचपीसी ने दिन–प्रतिदिन के कार्यप्रणाली में प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु विभिन्न उपाय अपनाए है, विशेष रूप से उन मामलों में जिनमें वित्तीय कारोबार/सरोकार शामिल हो। एनएचपीसी में कर्मचारियों द्वारा आवेदन फार्म जमा करने तथा प्रस्तुत करने की एक इलेक्ट्रोनिक प्रणाली है। वेंडरों, संविदाकारों और कर्मचारियों को सभी भुगतान इलेक्ट्रोनिक प्रणाली के माध्यम से किए जाते है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा विकसित वेब पोर्टल में एनएचपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों

(बोर्ड स्तर के अधिकारियों समेत ई–8 एवं इससे उच्च अधिकारी) के संबंध में ऑनलाइन सतर्कता स्थिति का अद्यतन किया जा रहा है।

पारदर्शी खरीद प्रणाली के एक प्रयास के तौर पर और सीवीसी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में, एनएचपीसी ने वर्ष 2012 से समूचे निगम के लिए ई–खरीद समाधान का विकल्प चुना है। वर्तमान में, 2.0 लाख रूपए या इससे अधिक की अनुमानित लागत वाले कार्यों / आपूर्ति की निविदा ई–खरीद प्रणाली के माध्यम से की जा रही है । ई–रिवर्स नीलामी एक अन्य महत्वपूर्ण साधन है जिसे अप्रैल, 2016 से एनएचपीसी ने अपने निगम मुख्यालय में इलेक्ट्रो– मेकेनिकल (ई एंड एम) / हाइड्रो–मेकेनिकल (एचएम) संविदाओं, सौर, पवन परियोजनाओं तथा सामानों के प्रापण, जहाँ प्रापण अतिआवश्यक प्रकृति का न हो, के लिए 5 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत के निविदाओं के लिए अपनाया है।

इसके अतिरिक्त, सीवीसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार सत्यनिष्ठा समझौते को 100 लाख या अधिक मूल्य के खरीद कार्यों, 07 लाख रूपए या उससे अधिक के मूल्य की वस्तुओं की खरीद और 15 लाख रूपए तथा उससे अधिक मूल्य की सेवाओं की खरीद हेतु सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

पावरग्रिड

पावरग्रिड सतर्कता विभाग का प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है, जो सतर्कता कार्य के मामले में प्रबंधन की सहायता के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करता है। सीवीओ, पावरग्रिड को उससे आगे, ईडी रैंक के उप सीवीओ, कॉरपोरेट केन्द्र में 17 अधिकारियों और क्षेत्रीय स्तर पर 32 अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। पावरग्रिड के कॉर्पोरेट केंद्र में सतर्कता विभाग को तीन स्कंधों, अर्थात् जांच स्कंध, सतर्कता और अनुशासनात्मक कार्यवाही स्कंध और तकनीकी स्कंध में विभाजित किया गया है।

आज की दुनिया में, सुशासन किसी संगठन की सफलता को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिन–प्रतिदिन के प्रबंधन में इससे प्रेरणा लेते हुए, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, निष्पक्षता, समानता और देश के नियमों, विनियमों और कानूनों के पालन जैसे कारकों पर जोर दिया गया है। पावरग्रिड ने अपने दैनिक कामकाज में इन पहलुओं को विकसित करने का प्रयास किया है।

पावरग्रिड का सतर्कता विभाग, प्रबंधन के साथ मिलकर, हमेशा समय–समय पर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग और विद्युत मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार संगठन में सतर्कता प्रशासन में सुधार करने का प्रयास करता है। इसके भाग के रूप में, ई–भुगतान, ई–खरीद, ई–रिवर्स नीलामी, ई–बिलिंग, साथ ही उप–विक्रेता पंजीकरण और वेबसाइट पर मूल्यांकन मानदंड अपलोड करना, ऑनलाइन निरीक्षण प्रणाली, सतर्कता निरीक्षण प्रबंधन प्रणाली, ऑनलाइन सम्पत्ति विवरणी प्रणाली, साथ ही दस्तावेज़ ट्रैकिंग प्रणाली को संगठन के भीतर विकसित किया गया है। इसके अलावा, पावरग्रिड ने व्हिसल ब्लोअर नीति और धोखाधड़ी निवारण नीति भी तैयार की है।

संगठन ने 2009 से सत्यनिष्ठा समझौते को भी अपनाया है, जिसमें 1 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित मूल्य वाली निविदाएं शामिल हैं। 1 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाले पैकेज आईपी कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं और 100 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत वाले पैकेज के लिए स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ताओं को नामांकित किया जाता है।

पावरग्रिड का सतर्कता विभाग निवारक, सक्रिय, पूर्वानुमानित, सहभागी, अन्वेषण तथा दंडात्मक जैसे विभिन्न सतर्कता कार्य निष्पादित करता है। तथापि, सतर्कता विभाग का प्रमुख ध्यान निवारक और पूर्वानुमान सतर्कता और विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधन के सुधार के लिए प्रणाली का सुझाव देने पर है।

निवारक सतर्कता के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में, विभाग द्वारा वर्ष भर विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किए गए। प्रासंगिक अवधि के दौरान 62 औचक निरीक्षण और 25 सीटीई किस्म के निरीक्षण और 36 प्रोसेस–ऑन–लाइन निरीक्षण सतर्कता विभाग द्वारा किए गए थे।

प्रक्रिया ऑनलाइन निरीक्षणों में परियोजनाओं / स्कीमों के अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाता है और कार्य के बिल्कुल शुरूआती स्तर पर जांच की जाती है और उनमें देखी गई किसी खामी को तत्काल उपचारात्मक उपायों के लिए कार्य स्थल पर भेजा जाता है। स्रोत सूचना के आधार पर प्राथमिक रूप से औचक निरीक्षण भी किए जाते हैं। इसके अलावा, मुख्य तकनीकी जॉचकर्ता, सीवीसी के निरीक्षण प्रपत्र के अनुसार, सीटीई प्रकार के निरीक्षण भी किए जाते हैं। सीटीई प्रकार के निरीक्षण और सतर्कता लेखापरीक्षा कार्य सौंपे जाने से पहले तथा कार्य सौंपे जाने के बाद दोनों के लिए चुनिंदा कार्य परियोजनाओं में किए जाते हैं। सतर्कता निरीक्षणों और प्रबंधन को उसकी समुक्तियों और सिफारिशों के अनुपालन में, प्रणालीगत सुधार किए जाते हैं। प्रणालियों और प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार हमेशा से पावरग्रिड के हालमार्क में से एक रहे हैं।

इस प्रासंगिक अवधि के दौरान, विभिन्न स्रोतों से 86 शिकायतें प्राप्त हुई थी और इसकी सत्यापन / जॉच की गई थी। इसके अलावा, प्रासंगिक अवधि के दौरान, 31 विभागीय कार्यवाहियां शुरू की गईं। क्षमता निर्माण के भाग के रूप में निवारक सतर्कता, सदाचार और आरटीआई अधिनियम संबंधी कार्यशालाएं कार्पोरेट केन्द्र तथा क्षेत्रों में गैर–सतर्कता अधिकारियों के लिए की गईं थीं। जनवरी, 19 से दिसम्बर, 19 की अवधि के दौरान गैर–सतर्कता कार्मिकों के लिए 19 निवारक कार्यशालाएं आयोजित की गईं थीं।

सतर्कता विभाग समय–समय पर प्रबंधन के साथ उन कर्मियों को स्थानांतरित करने के लिए कार्रवाई करता है जो संवेदनशील पदों पर काम कर रहे हैं और इसके अलावा, वे अधिकारी जो सहमत सूची और ओडीआई सूची में हैं।

कंपनी के नियमों और प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, संपत्ति विवरणी और निवारक सतर्कता के लिए संगत अन्य मुद्दों, बल्क एसएमएस और ई–मेल नियमित रूप से समय–समय पर निगम के सभी कर्मचारियों को भेजे जाते हैं।

संगठन के सतर्कता कार्य की समीक्षा आंतरिक रूप से निदेशक मंडल द्वारा और बाह्य रूप से सीवीसी और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की जा रही है। विद्युत क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक पावरग्रिड द्वारा आयोजित दिनांक 15.10.2019 को शिलांग में हुई थी।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश के अनुसार, इस वर्ष भी पावरग्रिड में 28 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन इस वर्ष की थीम ''सत्यनिष्ठा – एक जीवनशैली'' के अनुरूप किया गया था। सीवीसी, पावरग्रिड के निर्देश के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह को पूरे जोश के साथ मनाया गया है। पावरग्रिड देश भर में 350 से अधिक स्थानों में से अधिक में स्थित है और 20 से अधिक देशों में इसकी गतिविधियां हैं। पावरग्रिड के सभी प्रतिष्ठानों में अलग–अलग गतिविधियाँ की गई हैं।

- पावरग्रिड के सभी कार्यालयों में सत्यनिष्ठा शपथ आयोजित की गई और इसे सभी हितधारकों के लिए बढ़ा दिया गया है। कुल लगभग 23000 कर्मचारियों और नागरिकों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली।
- हमने 700 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों में कई गतिविधियों का आयोजन किया है जिनमें शामिल छात्रों की संख्या 50000 से अधिक है।

- लगभग 300 प्रतिष्ठानों में वॉकथन आयोजित किया गया है जिसमें सभी कर्मचारियों के साथ–साथ उनके परिवारों ने भी भाग लिया है।
- 20000 से अधिक लोगों को शामिल करते हुए प्रमुख स्थानों में नुक्कड नाटक का आयोजन किया गया है।
- संगोष्ठी/कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिसमें प्रख्यात व्यक्तियों को सतर्कता जागरुकता सप्ताह के विषय के संबंध में वार्ताओं के लिए आमंत्रित किया गया है।
- हमारे देश के 13630 से अधिक ग्रामीणों को संपर्क में लाते हुए ग्राम सभा का आयोजन किया गया है।
- हम स्कूलों, अधिकांशतः सरकारी स्कूलों के 90,000 से अधिक छात्रों से जुड़े हैं जिन स्कूलों में हमने विशेष रूप से सीवीसी के संदेश के साथ डिजाइन किए गए अखबार का स्कूल संस्करण वितरित किया।
- पम्पलेट के माध्यम से 11,00,000 लाख लोगों से संपर्क किया।
- पॉवरग्रिड के सतर्कता विभाग की पत्रिका (कंडोर) का इस वर्ष भी इसके कॉर्पोरेट केन्द्र में डिजिटल रूप में तथा हार्ड कॉपी, दोनों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2019 के दौरान विमोचन किया गया।

शुरू किए गए/सुविधाप्रदत्त प्रणाली सुधार उपाय :

1. **संवेदनशील पदों की पहचान :** संगठन में अब तक 1448 पद संवेदनशील अधिसूचित किए गए हैं। इससे अब संवेदनशील पदों से कार्यपालकों का सार्थक रोटेशन सुविधाजनक होगा।
2. **नई स्थानांतरण नीति :**

   एक नई सुदृढ़ स्थानांतरण नीति बेहतर पारदर्शिता के साथ तैयार की गई
3. **सीडीए नियमावली में संशोधन :** पावरग्रिड सीडीए नियमावली संशोधित कर दी गई है और शीघ्र ही अधिसूचित की जाएगी। इस प्रकार, तेजी से तथा उचित रूप से निर्णय करना सुविधाजनक होगा।
4. **संविदाकार द्वारा नकारात्मक कीमत अंतर बिल विलंब से प्रस्तुत करने पर कार्रवाई का तंत्र :**

   प्रणाली सुधार परिपत्र संख्या 18/2019 दिनांक 12.06.2019 जारी कर दिया गया है जिसके द्वारा नकारात्मक पीवी बिलों को विलंब से प्रस्तुत करने के संबंध में पारदर्शी तंत्र अपनाया गया है।
5. **बोली प्रतिभूति को समय से जारी/वापस करना :**

   प्रणाली सुधार परिपत्र संख्या 11/2019 दिनांक 25.03.2019 जारी कर दिया गया है जिसमें सभी दायित्व केंद्र बोली प्रतिभूति समय से जारी करने के लिए सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और उसकी एमआईएस फॉर्मेट में तिमाही आधार पर मॉनीटरिंग की जाएगी।
6. **भर्ती प्रक्रिया :**

   पावरग्रिड द्वारा दिनांक 04.06.2019 के आदेश संख्या सी/एचआर/आईई/नीति–2 द्वारा भर्ती प्रक्रिया में कई प्रणाली सुधार उपाय अपनाए गए हैं।
7. **लेन–देन की कैशलेस पद्धति अपनाना :**

   संगठन में संविदाकारों, आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों को सभी भुगतान पहले ही कैशलेस हैं। निगम के सभी ट्रांजिट कैम्पों/फील्ड हॉस्टलों/गेस्ट हाउसों में लेन–देन की कैशलेस पद्धति कार्यान्वित करने का भी निर्णय लिया गया है।

   कार्यपालकों को कारपोरेट ट्रैवल कार्ड भी जारी किए गए हैं ताकि व्यवधान रहित सरकारी यात्रा सुकर हो सके, डिजिटल भुगतान प्रोत्साहित हो सके और यात्रा दावे की प्रक्रिया सरल हो सके।
8. **प्रतिधारित धन/बिलों को समय से जारी करना :**

   प्रणाली सुधार परिपत्र संख्या सीएमजी/01/2019 दिनांक 11.07.2019 जारी कर दिया गया है जिसमें सभी दायित्व केंद्र सभी देय राशियों को समय से जारी करने के लिए एसओपी का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और उसकी एमआईएस फॉर्मेट में तिमाही आधार पर मॉनीटरिंग की जाएगी। विलंब से भुगतान के मामले सतर्कता की दृष्टि से आगे जांच के लिए सतर्कता प्रभाग को सूचित किए जाएंगे।

पीएफसी

वित्तीय वर्ष 2019.20 के दौरान (31 दिसंबर, 2019 तक) सतर्कता यूनिट द्वारा निवारक सतर्कता पर निम्नलिखित कदम उठाए गए :

1. **उपलब्धियां :**
   - क. निगम की विभिन्न यूनिटों का निरीक्षण (औचक एवं आवधिक) किया गया।
   - ख. सभी हितधारकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने तथा संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए सतर्कता यूनिट ने एक ऑनलाइन प्रमुख जॉब उत्तरदायित्व प्रणाली स्थापित की।
   - ग. कंपनी की गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों पर अनेक व्यापक मैनुअल / नीतियों की समीक्षा की गई।
   - घ. दैनंदिन परिचालनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा अंतर को कम करने के उद्देश्य के साथ प्रणाली को सुकर बनाने हेतु प्रभावी दिशा–निर्देश जारी किए गए।
   - ड. इसके अतिरिक्त, पंजीकृत शिकायतों के 13 मामलों में विस्तृत जांच की गई।
2. **समीक्षा :**

   निर्धारित मानकों के अनुसार सीवीओ, पीएफसी द्वारा की जाने वाली नियमित समीक्षाओं के अतिरिक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग, विद्युत मंत्रालय, निदेशक मंडल तथा पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा सतर्कता यूनिट के कार्य–निष्पादन की समीक्षा की गई।
3. **सतर्कता जागरूकता सप्ताह :**
   - क. सीवीसी के निर्देशों के अनुसरण में, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 28 अक्तूबर, 2019 से 2 नवंबर, 2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। सप्ताह के दौरान आयोजित की गई गतिविधियों का उद्देश्य शासन में दक्षता एवं निष्पक्षता के बारे में निगम के कार्मिकों को सुग्राही बनाना था। कार्यालय परिसर में तथा इसके बाहर प्रमुख स्थानों पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन से संबंधित बैनर लगाए गए। इसके अतिरिक्त, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2019 के विषय–वस्तु अर्थात ''सत्यनिष्ठा – एक जीवन शैली'' को निगम के सभी कार्मिकों के डेस्कटॉप पर भी प्रदर्शित किया गया। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रेडियो तथा समाचार पत्र के माध्यम से भी इस समारोह का प्रचार किया गया, जिसमें उनके ऑनलाइन संस्करण भी शामिल हैं। सतर्कता यूनिट ने सत्यनिष्ठा की

ई–शपथ लेने के लिए इंट्रानेट तथा पीएफसी की वेबसाइट पर लिंक भी प्रदान किया तथा 281 कार्मिकों ने सत्यनिष्ठा पर ई–शपथ ली।

ख. सतर्कता से संबंधित विषयों पर नारा लेखन प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, चित्र के माध्यम से थीम को प्रस्तुत करने की प्रतियोगिता आयोजित की गईं। ये प्रतियोगिताएं क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात कार्मिकों सहित इस निगम के सभी नियमित कार्मिकों के लिए खुली थीं। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य कार्मिकों की सृजनशीलता, कल्पनाशक्ति तथा मौलिकता को प्रेरित करना था ताकि वे सुशासन से संबंधित नवाचारी विचार प्रस्तुत कर सकें। कार्मिकों के लाभ के लिए प्रख्यात हस्तियों के साथ निगम द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2019 की थीम से संबंधित विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें 34 से अधिक कार्मिकों ने भाग लिया। विजेताओं को पुरस्कार वितरण के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2019 सफलतापूर्वक समाप्त हुआ।

आरईसी

वर्तमान वर्ष के दौरान 31.12.2019 तक की गयी प्रगति

आरईसी ने सभी कर्मचारियों के बीच इष्टतम ईमानदारी एवं निष्ठा लाने तथा सभी प्रचालनात्मक क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता ओर जवाबदेही को बढ़ावा देने का सतत् रूप से प्रयास किया है। नीतियों की समीक्षा, संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों के रोटेशन/ स्थानान्तरण, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा, अवार्ड की गई परियोजनाओं/निविदाओं/अनुबंधों की समीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण, वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) की समीक्षा, आदि के द्वारा आरईसी सतर्कता विभाग का मुख्य लक्ष्य ''निवारक सतर्कता'' है। इस संबंध में, निम्नलिखित प्रमुख सभी क्रियाकलाप किये गये हैं:

- सीवीसी/विद्युत मंत्रालय के अनुदेशों के अनुपालन में, अभिज्ञात संवेदनशील पदों से रोटेशनल स्थानांतरण के मामले को लगातार उठाया जा रहा है।
- निर्धारित आवधिक सांख्यिकीय विवरणी भी सीवीसी और विद्युत मंत्रालय को समय पर भेजी गई थी। लेखा परीक्षा रिपोर्टों – आंतरिक, सांविधिक और सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्टों की नियमित समीक्षा की गई थी। परियोजनाओं/निविदाओं/दिये गये ठेकों की समीक्षा और जहां भी अंतर देखा गया है, मामले को संबंधित प्रभागों के साथ उठाया गया है, जिसके फलस्वरूप मूल्यांकन प्रणाली/दिशा–निर्देशों का सुदृढ़ीकरण हुआ है। क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्रीय निरीक्षण और वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट की जांच भी की गई थी।
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर बल देना जारी रखा गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि ऋण, योजनाओं, निविदाओं, तृतीय पक्षकारों के बिलों आदि से संबंधित सूचना ऑनलाइन हैं।
- मानव संसाधन नीति की समीक्षा : आरईसी के भीतर भर्ती की प्रक्रिया, लियन की नीति और पदोन्नतियों की जांच की गई थी और आत्मनिष्ठ और गैर–पारदर्शी खंडों के प्रबंधन को ध्यान में लाया गया था। संशोधित भर्ती नीति 19 सितंबर, 2019 को अधिसूचित की गई है।
- आरईसी आचरण नियमावली को लोक उद्यम विभाग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार आचरण नियमावली के अनुरूप बनाया गया है।
- सतर्कता निगरानी प्रणाली गलतियों की घटना की समय पर पहचान करने और उसे कम करने के लिए विकसित किया गया है, जिसमें संगठन की विभिन्न कार्यात्मकताओं जैसे खरीद एवं संविदा, बिल की ट्रेकिंग, ऋण, परिसंपत्ति और कर्मचारी को भुगतान (चिकित्सा और यात्रा) शामिल है।
- ''स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी)'' को ऋण प्रदान करने से संबंधित मुद्दों की जांच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के आलोक में किया गया था और यह देखा गया था कि ईपीसी ठेकेदार का मूल्यांकन एवं इसके अनुभव, कार्यनिष्पादन गारंटी की समुचितता, एलई/एलएफए रिपोर्टों और निधियों के विपथन की मॉनीटरिंग आदि से संबंधित कुछ मुद्दों का समाधान संशोधित दिशा–निर्देशों में किये जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, एक एडवाइजरी जारी की गयी थी।
- यह सुनिश्चित किया गया था कि निविदाओं, आवश्यक फार्मों, ऋण आवेदनों/ तृतीय पक्षकार के भुगतान की स्थिति, निष्पक्ष कार्यपद्धति संहिता, जालसाजी की रोकथाम संबंधी नीति, सीएसआर दिशा–निर्देश, व्हीसल ब्लोअर नीति आदि जैसी सूचना/नीतियां आरईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

विद्युत मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार, 2 लाख से ऊपर के लगभग सभी निविदाओं को ई–खरीद तरीके से वापस किया गया था। ई–रिवर्स नीलामी भी उन मामलों में प्रक्रियाधीन है जहां खरीद का अनुमानित मूल्य और उद्धत कीमतें कुछ मानदंडों से अधिक होती हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाना:

केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 02.08.2019 के पत्र सं. 019/वीजीएल/029 के माध्यम से परिचालित परिपत्र सं. 05/08/19 के अनुसरण में, सभी सीपीएसई/संगठनों से यह आशा की गई थी कि वे **''सत्यनिष्ठा – एक जीवनशैली''** विषय के साथ 28.10.2019 से 02.11.2019 तक ''सर्तकता जागरूकता सप्ताह'' मनायें।

इस वर्ष आरईसी ने एक सप्ताह के बजाय सर्तकता जागरूकता माह आयोजित किया। सर्तकता जागरूकता कार्यक्रम के भाग के रूप में, दिल्ली में 3 विद्यालयों में अंतर–स्कूल क्रेयोन पेंटिंग और अनुच्छेद लेखन प्रतियोगिताओं तथा अंतर–महाविद्यालय नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता दिल्ली के महाविद्यालयों में आयोजित की गयी। प्रश्नोत्तरी, कहानी कथन, पेंटिंग, सेल्फी और कोलाज मेकिंग जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन आरईसी के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए किया गया था। इसके अलावा, उपभोक्ता जागरूता एवं आरटीआई पर संगोष्ठियों का भी आयोजन आरईसी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में किया गया था। कारपोरेट संस्कृति के भीतर ईमानदारी को सुदृढ़ बनाने के लिए, युवा कार्यपालकों को बर्हिगामी अनुभव संबंधी शिक्षण सत्र के माध्यम से स्व–मूल्यांकन एवं टीम बनाने संबंधी सत्र में भेजा गया था। आरईसी ने **''सत्यनिष्ठा क्लबों''** जो पूरे भारत में अब 32 विद्यालयों में है, के माध्यम से स्कूल के युवा बच्चों को सतर्क नागरिक के रूप में तैयार करने के लिए अपने प्रयास को जारी रखा। इसके अलावा, पूरे भारत में आरईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों में तथा आरईसी की सहायक कंपनियों में भी ये कार्यकलाप आयोजित किये गये थे। सर्तकता जागरूकता सप्ताह का समापन समारोह आरईसी बोर्ड रूम, नई दिल्ली में 8 नवंबर, 2019 को आयोजित किया गया था।

अनुशासनिक मामले:

वर्तमान में, आरईसी में कोई अनुशासनिक मामला/कार्यवाही लंबित नहीं हैं।

वर्ष की शेष अवधि के दौरान अर्थात 31.03.2020 तक प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित लक्ष्य

(i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजना की संवीक्षा/समीक्षा।

(ii) अवार्ड की गयी कुछ निविदाओं/संविदाओं की संवीक्षा।

(iii) शेष दो नियोजित फील्ड कार्यालयों का निरीक्षण।

निर्धारित मापदंडों के अनुसार मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा क्रियान्वित नियमित

समीक्षाओं के अलावा, सतर्कता प्रभाग के कार्य–निष्पादन की समीक्षा नियमित रूप से केंद्रीय सतर्कता आयोग, निदेशक मंडल और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गयी।

नीपको

वर्तमान वर्ष 31/12/2019 तक, नीपको सतर्कता विभाग ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से समय–समय पर जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के तहत सतर्कता तंत्र के विभिन्न कार्यों का निपटान किया है। सतर्कता विभाग के व्यापक और स्वतंत्र रूप में कामकाज करने के लिए, नीपको ने सतर्कता कार्यों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया है। गुमनाम / कूटरूपी के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों को त्वरित जांच के अधीन लाया गया और सीवीसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के तहत इसका निस्तारण किया गया। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की जांच के अलावा, नियमों और प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए निवारक सतर्कता के पहलू पर भी बल दिया गया और विभिन्न मामलों की जांच के दौरान पाई गई खामियों को दूर करने के सभी प्रयास किए गए।

निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में, आवश्यकता अनुसार, प्रबंधन को विभिन्न प्रणालीगत सुधार करने का सुझाव दिए गए। इसके अतिरिक्त, तुईरियल जल विद्युत परियोजना, मिजोरम और पारे जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश से संबद्ध दो प्रमुख कार्यों के गहन जांच से सीटीई / सीवीसी द्वारा उठाए गए टिप्पणियों पर दिए गए स्पष्टिकरण को भी सीटीई को उलपब्ध कराया गया।

प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए सतर्कता प्रशासन में सुधार के लिए, नीपको की वेबसाइट पर ई–प्रापण, ई–भुगतान, ऑनलाइन सतर्कता शिकायतों को पंजीकृत करने और अधिकारियों के वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न (एआईपीआरएस) को अपलोड किया गया। इस अवधि के दौरान जारी किए गए सभी महत्वपूर्ण सीवीसी के परिपत्र/दिशा–निर्देश और कार्यालय ज्ञापन को सभी संबंधितों के पास आवश्यक कार्रवाई करने और निगम के समग्र प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से परिचालित किया गया।

पोसोको

एक संस्था के सफल एवं प्रगतिशील होने के लिए निर्णयो मे पारदर्शिता एवं उत्कृष्ट कोटि का प्रशासनिक ज्ञान हितधारकों का विश्वास जीतने मे अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुए, पोसोको का मुख्य ज़ोर निवारक सतर्कता पर है और पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, निष्पक्षता, समानता एवं नियम और अधिनियमो के अनुपालन पर भी है। निवारक कार्यो और पारदर्शिता को ध्यान मे रखते हुए, कंपनी तकनीकों का प्रयोग करते हुए ई–भुगतान, ई–खरीददारी पर ज़ोर देने के साथ–साथ संविदा से संबन्धित दस्तावेजो को वेब साइट पर डालती है। वर्ष 2019–20 मे, 2 निवारक सतर्कता कार्यशाला, आयोजित की गई जिसमे 52 कार्मिको को निवारक सतर्कता, कदाचार के नियम, सूचना के अधिकार संबंधी कानून एवं दैनिक कार्य व्यवहार मे आने वाली नीतिगत दुविधाओ से अवगत कराया गया। 2 मेजर पेनाल्टी के केस से संबन्धित कार्यवाहियाँ दिनांक 31.12.2019 तक जारी थी।

एसजेवीएनएल

एसजेवीएन का सतर्कता विभाग भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के प्रशासनिक और कार्यात्मक नियंत्रणाधीन है। सतर्कता विभाग द्वारा बेहतर शासन और भ्रष्टाचार मुक्त कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी मामलों में वस्तुनिष्ठा, निष्पक्ष पारदर्शिता तथा जबावदेही लाने का प्रयास कर रहा है। विद्युत मंत्रालय तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर एसजेवीएन में विविध नियमित सतर्कता प्रशासनिक मामलों/गतिविधियों को संपन्न किया जा रहा है। वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों का विवरण निम्नवत है:

निवारक सतर्कता:

वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों में 22 आकस्मिक निरीक्षण तथा चार सीटीई प्रकार के निरीक्षण किए हैं। निरीक्षण के दौरान पाए गए कार्यवाही योग्य बिन्दुओं को यथोचित सुधारात्मक उपायों के लिए संबंधित विभागाध्यक्षों तथा अन्य अधिकारियों तथा प्रबंधन जहां कहीं भी आवश्यक था, के संज्ञान में लाया गया। इसके अतिरिक्त, संवेदनशील पदों पर कार्यरत अधिकारियों के कार्यकाल पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

प्रणालीबद्ध सुधार:

ठेकेदारों को भुगतान इत्यादि सहित सभी भुगतान डिजीटल रूप में किए गए हैं। एसजेवीएन में ई–रिवर्स ऑक्शन (ई –आरए) को आरंभ किया गया है। एसजेवीएन ने पहले ही 2 लाख रुपए तथा इससे ऊपर के सभी प्रापणों में ई–निविदाएं भी आरंभ कर दी हैं। ईआरपी प्रणाली भी एसजेवीएन में लागू की गई है। ढांचागत समीक्षा बैठक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं तथा प्रबंधन मंडल को छमाही आधार पर सतर्कता गतिविधियां सूचित की जाती हैं।

शिकायतों का निपटान:

इस अवधि के दौरान सतर्कता विभाग में विविध स्त्रोतों से प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय–सीमा के भीतर उचित जांच के पश्चात निपटान किया गया। 2019 में सीवीसी/एमओपी से प्राप्त 15 शिकायतों में से 14 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है और एक शिकायत लंबित है।

सतर्कता मंजूरी:

वर्ष 2019 के दौरान 316 कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति रिटर्न की जांच (10.12.2019 तक) की गई। 1019 (09.12.2019 तक) कर्मचारियों को विभिन्न उद्देश्यों यथा पदोन्नति, बाहरी रोजगार, कार्यालयी तथा निजी विदेशी भ्रमण हेतु एनओसी इत्यादि हेतु सतर्कता मंजूरी जारी की गई। बोर्ड स्तर के अधिकारियों की सतर्कता स्थिति भी मासिक आधार पर विद्युत मंत्रालय को भेजी जा रही है।

अनुशासनात्मक मामले:

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से पांच अधिकारियों को चेतावनी जारी करने, चार अधिकारियों को एडवाईजरी मेमो जारी करने की प्रशासनिक कार्रवाई तथा एक अधिकारी के खिलाफ लघु दंड कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए प्रथम चरण एडवाईसें प्राप्त हुई है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम एडवाईसों की अनुपालन में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी (डीए) ने दो अधिकारियों को चेतावनी जारी की है तथा एक अधिकारी को लघु दंड के लिए आरोप पत्र जारी की है। चार अधिकारियों को एडवाईजरी मेमो जारी करना तथा तीन अधिकारियों को चेतावनी जारी करना अनुशासनात्मक प्राधिकारी के साथ प्रक्रियाधीन है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह:

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार, एसजेवीएन के सभी स्थानों/स्थलों/

कार्यालयों में 28 अक्तूबर, 2019 से 02 नवम्बर, 2019 तक ''सत्यनिष्ठा –एक जीवन शैली'' नामक विषय पर अत्यधिक उत्साह से सतर्कता जागरूकता सप्ताह– 2019 मनाया गया। एसजेवीएन लिमिटेड को आऊटरीच गतिविधियों को करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा तीन शहर नामतः शिमला, हमीरपुर तथा अहमदनगर आबंटित किए गए थे। इन तीन शहरों तथा सभी अन्य कार्यालयों यथा हि.प्र. में झाकड़ी, रामपुर बुशैहर, रिकांगपीओ, उत्तराखण्ड में देहरादून, मोरी, देवसारी,बिहार में बक्सर में आऊटरीच गतिविधियों का आयोजन किया गया। एसजेवीएन तथा बाहरी स्त्रोतों से लगभग 2000 कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली। 330 कर्मचारियों तथा 153 नागरिकों द्वारा ई–सत्यनिष्ठा शपथ भी ली गई। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के संदेश को एसजेवीएन की वेबसाईट पर अपलोड किया गया। भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई तथा सत्यनिष्ठा को जीवन शैली के रूप में अपनाने के लिए 2000 से अधिक नागरिकों को बल्क एसएमएस भी पोस्ट किए गए। विभिन्न कार्यक्रमों के फोटोग्राफ् भी एसजेवीएन के आधिकारिक फेसबुक पेज पर अपलोड किया गया।

इन हाऊस गतिविधि के रूप में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार तथा दिल्ली राज्यों में एसजेवीएन के सभी कार्यालयों के 15 विभिन्न स्थानों/कार्यालयों में एसजेवीएन के कर्मचारियों तथा बाहरी स्त्रोतों के कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

आऊटरीच गतिविधि के रूप में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की ग्राम पंचायत बाड़ी तथा उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले की ग्राम पंचायत मोरी में दो जागरूकता ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। जिसमें क्रमशः 115 तथा 85 नागरिकों ने भाग लिया। प्रतिभागियों के लिए व्याख्यान तथा चर्चा का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, महाराष्ट्र तथा दिल्ली राज्यों के विभिन्न लगभग 29 स्कूलों तथा 15 कॉलेजों में भाषण प्रतियोगिता/ पेंटिंग प्रतियोगिता/निबंध लेखन प्रतियोगिता/व्याख्यान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्कूलों के लगभग 1400 विद्यार्थियों तथा कॉलेजों के 550 विद्यार्थियों ने भाग लिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल, झाकड़ी (हि.प्र.) में सतर्कता जागरूकता पर व्याख्यान का भी आयोजन किया गया।

टीएचडीसी

टीएचडीसी नैतिकता एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यापार वातावरण को बढ़ावा देने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। टीएचडीसी अपने ठेकेदारों के साथ संबंधों को महत्व देती है एवं उनके साथ स्वच्छ एवं निष्पक्ष तरीके से व्यवहार करती है। टीएचडीसीआईएल का अपना प्रयास भ्रष्टाचार का उन्मूलन/ कम करना है, विभिन्न आईटी पैकेजों का प्रशासन के प्रभावी टूल के रूप में उपयोग करने हेतु दृढ़ संकल्प है। भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने के लिए निवारक सतर्कता, प्रणालीगत सुधार की संस्तुति की गई। कुछ नये क्षेत्र जहां भ्रष्टाचार होने की संभावना है, सतर्कता विभाग द्वारा चिन्हित किए हैं एवं इन क्षेत्रों में निरीक्षण किए गए तथा प्रबंधन के परामर्श से पारदर्शिता लाने एवं भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करने के लिए प्रणाली को सुव्यवस्थित किया गया। निवारक उपाय नियमों, प्रक्रिया एवं तरीके इत्यादि की निरंतर समीक्षा करना है, जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने की गुंजाईश को पूरा कर सकता है। इस दौरान 35 आकस्मिक निरीक्षण और 08 सीटीई टाइप निरीक्षण किए गए थे। पूछताछ और जांच करने में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन किया गया। वर्ष 2020 के लिए सहमति सूची एवं संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

पंजीकृत शिकायतों की स्थिति : (01–01–2019 से 31–12–2019)

इस दौरान सतर्कता विभाग ने जांच के लिए 09 शिकायतों /मामलों को पंजीकृत किया। इनमें से 06 मामले बंद किए जा चुके हैं और 03 मामलों में जांच प्रगति पर है।

प्रणालीगत सुधार पर जारी किए गए पत्रः

सतर्कता विभाग नियमित रूप से नियमित/सीटीई टाईप/आकस्मिक निरीक्षण करता है। पूछताछ /जांच के दौरान निश्चित मुद्दे सतर्कता विभाग के संज्ञान में आते हैं। प्रेक्षण, निरीक्षण एवं प्रतिपुष्टि से प्राप्त जानकारी पर आधारित विभिन्न प्रणाली सुधार की पहलें की गई एवं प्रबंधन से साझा की गई। यदि संबंधित कार्यपालक अधिक सतर्क/पारदर्शी दृष्टिकोण एवं निर्णय ले सके, तो ऐसे मामलों से बचा जा सकता है। इस प्रकार के मुद्दे/मामले प्रणालीगत सुधार के लिए संबंधित कर्मचारियों के संज्ञान में लाए जाते हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलतियों की पुनरावृत्ति न हो। इस अवधि में, सतर्कता विभाग ने विभिन्न मामलों से प्रणालीगत सुधार पर 14 पत्र जारी किए हैं।

सतर्कता मामलों में प्रशिक्षण :

इस अवधि में सतर्कता विभाग के कार्यपालक भ्रष्टाचार निरोधक, सतर्कता प्रशासन एवं प्रबंधन और निवारक सतर्कता से संबंधित 06 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हुए। टीएचडीसीआईएल के मानव संसाधन विकास विभाग ने कर्मचारियों के मध्य सतर्कता संबंधी मामलों की जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न्ा कार्यशालाओं/सेमीनारों का आयोजन किया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 :

टीएचडीसी इंडिया लि. में 28.10.2019 से 02.11.2019 तक केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इस वर्ष के लिए निर्धारित थीम ''सत्यनिष्ठा–जीवन की एक राह'' के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2019 मनाया गया। इस अवसर पर सतर्कता विभाग ने एक पुस्तिका ''सीटीई एवं प्रणालीगत सुधारों के द्वारा पहचान किए गए ठेके/निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की समस्या के क्षेत्र ''प्रकाशित की गई। पदाधिकारियों में जागरूकता लाने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा ऋषिकेश में एवं अन्य परियोजनाओं में परियोजना प्रमुख द्वारा सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। भ्रष्टाचार निरोधक एवं सतर्कता जागरूकता पर टीएचडीसीआईएल की परियोजनाओं /कार्यालयों एवं टाउनशिप के प्रमुख स्थलों पोस्टर /बैनर प्रदर्शित किए गए। वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए भ्रष्टाचार निरोधक एवं निवारक सतर्कता पर व्याख्यान/कार्यशाला आयोजित की गई। परियोजनाओं पर ठेकेदारों एवं विक्रेताओं के साथ उनके द्वारा सामना की जा रही भ्रष्टाचार की समस्याओं पर विचार विमर्श करने एवं उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए बैठक की गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान ऋषिकेश एवं टिहरी स्कूलों में सत्यनिष्ठा क्लब बनाए गए एवं संगठन में कर्मचारियों के लिए एवं स्कूलों /कालेजों में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न सतर्कता जागरूकता गतिविधि /कार्यक्रम आयोजित किए गए।

डीवीसी

दामोदर घाटी निगम में सतर्कता कार्य में पारदर्शिता, निष्पक्षता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य सतर्कता अधिकारी के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण के तहत कार्य कर रहा है। अवधि के दौरान अपनाये गये विभिन्न क्रियाकलापों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **कार्यों, सेवाओं, अनुबंधों आदि का निरीक्षण और लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जांचः**

   इस अवधि के दौरान कुल 39 आकस्मिक निरीक्षण और 67 आवधिक योजनाबद्ध निरीक्षण किए गए थे। निरीक्षणों के दौरान प्रकट हुए कार्रवाई योग्य बिंदुओं को उपयुक्त सुधार और प्रशासनिक कार्रवाइयों

के लिए संबंधित विभागाध्यक्षों/परियोजना प्रधानों और अन्य अधिकारियों के ध्यान में लाए गए थे तथा प्रणालीगत सुधार के एक उपाय भी अपनाए गये है। उपयुक्त निरीक्षण में से 19,12,352/– रुपये (कर व डियूट्यों सहित) की एक राशि ठेकेदार से वसूली की गयी है।

कुल 28 पैरा में से अवधि 2017–18 हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संबंधि 05 (पॉच) पैरा कुल 29 पैरा में से अवधि 2018–19 हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संबंधी 10 (दस) पैरा की जांच व संवीक्षा की गयी है।

2. शिकायतों का निवारण:

अवधि के दौरान कुल 48 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 37 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है तथा शेष शिकायतों की जांच विभिन्न चरणों में हैं।

3. एपीआर की सतर्कता स्वीकृति और जांच:

विभिन्न उद्देश्यों अर्थात् पदोन्नति अप–ग्रेडेशन, इस्तीफा, बाहरी रोजगार/प्रतिनियुक्ति, सेवानिवृत्ति और सरकारी और निजी विदेशी यात्रा आदि हेतु एनओसी (अधिवर्षिता/स्वैच्छिक) प्राप्त करने के लिए 4115 अधिकारियों को सतर्कता स्वीकृति दी गयी थी। वर्ग 'क' तथा वर्ग 'ख' कर्मचारियों सहित लगभग 1100 अधिकारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) की जांच की गयी।

4. अनुशासनात्मक मामले:

इस अवधि के दौरान विभागीय कार्यवाहियों की समाप्ति पर 02 (दो) अधिकारियों पर प्रमुख जुर्माना लगाया गया ।

5. सीबीआई अधिकारियों के साथ बैठक:

सामान्य हित वाले मुद्दों पर सीबीआई अधिकारियों के साथ कई बैठकें हुई थी। सीबीआई अधिकारियों के परामर्श से वर्ष 2019 हेतु सूचियों को अंतिम रूप दे दी गयी थी।

6. सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) :

'सत्यनिष्ठा–एक जीवन शैली' विषय–वस्तु के साथ 28.10.2019 से 02.11.2019 तक पूरे दामोदर घाटी क्षेत्र में सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) – 2019 का पालन किया गया। बाहरी कार्यकलापों के रूप में व्याख्यान/वाद–विवाद/नारा/निबंध/प्रश्नोत्तरी/पेंटिंग प्रतियोगिताओं को विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और कोलकाता, आसनसोल और हजारीबाग शहर/नगर की संस्थाओं और डीवीसी की अन्य परियोजनाओं में आयोजित किया गया था।

'सत्यनिष्ठा–एक जीवन शैली' विषय पर स्वामी चिद्रुपानंद जी महाराज, सहायक सचिव, रामकृष्ण मिशन गोलपार्क व उपाध्यक्ष रामकृष्ण मठ, बाग बाजार, कोलकाता का एक व्यख्यान 30.10.2019 को मेघनाथ साहा प्रेक्षागृह, डीवीसी, कोलकाता में आयोजित की गयी थी।

7. प्रणालीगत सुझाव :

विद्यमान प्रक्रियाओं में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बढ़ाने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा निम्नलिखित संस्तुतियाँ बनाई गयी/दिशानिर्देश परिचालित की गयी थी :

i. सतर्कता विभाग के परामर्श से सीएण्डएम विभाग द्वारा ओईएम/ओईएस/पीएसी/एसएस आधार पर प्रक्रय के लिए अनुपालित प्रक्रियाओं पर दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं देखें कार्यालय ज्ञापन संख्या एचक्यू/ईडी(सीएण्डएम)/ओएम/335, दिनांक 30.12.2019।

ii. सतर्कता विभाग द्वारा सुझाव के अनुसार सीएण्डएम मॉड्यूल में मॉग–पत्र (इंडेंट) में पुट–टू–यूज सर्टिफिकेशन टैब को शामिल करने का प्रावधान बनाया गया है।

iii. मानक वजन के साथ तुलनात्मक रूप में मूल्यांकन का दैनिक आधार पर जाँच एवं रियल टाइम में संबंधित अनुभाग को ट्रक नम्बर तथा इसके वजन संबंधी आंकड़ों का तत्काल ऑनलाइन स्थानांतरण संबंधी प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए सदस्य (तकनीकी), डीवीसी द्वारा एक सुझाव दिया गया था ।

iv. सतर्कता विभाग के परामर्श से पदोन्नति, वित्तीय संवर्धन, विदेशी प्रशिक्षण/दौरे, विभिन्न उद्देश्यों हेतु अनापत्ति–पत्र जारी किये जाने के मामलों में निर्धारित समय अवधि के भीतर वार्षिक सम्पत्ति ब्यौरा (एपीआर) प्रस्तुत करने की विफलता के मामले में अस्वीकृति संबंधी मार्ग–निर्देश मानव संसाधन विकास द्वारा पत्र दिनांक 30.12.2019 को निर्गत किया गया था।

v. संवेदनशील पदों से एक बार स्थानांतरित/तबादला किये गये पदाधिकारियों को असंवेदनशील पदों पर न्यूनतम अवधि तक बने रहने के लिए एक सुझाव को वास्तविक तथा सही मायने में अनुपालित किया जाता है जिससे कि संवेदनशील पदों पर कार्यरत अधिकारियों के तबादले के संबंध में आयोग के साथ–साथ निगम द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जा सके।

vi. ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदत्त बिलों के भुगतान में फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) प्रणाली सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है जिसमें यह सुझाव दिया गया कि उपभोक्ता अनुभाग मॉड्यूल के बिल डायरी स्क्रीन में ठेकेदारों के बिलों की हार्डकॉपी की प्राप्ति की तिथि से संबंधित एक अलग कॉलम रखा जाए एवं इसका क्रियान्वयन किया गया है।

vii. सेल के निर्माणकारी दायरे के अधीन स्टील सामग्रियों तथा सेल के निर्माणकारी दायरों के इतर स्टील सामग्रियों की खरीद हेतु स्वीकृत प्रक्रिया पर सतर्कता विभाग द्वारा किये गये अवलोकन का सख्ती से अनुपालन हेतु निर्देश दिया गया है।

viii. डीवीसी की सभी परियोजनाओं अर्थात् संयंत्रों,जीओएमडी उपकेन्द्रों आदि में क्वार्टरों के अनधिकृत कब्जा के साथ–साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा क्वार्टरों के धारण हेतु जाँच के साथ नियमानुसार पैनल रेंट एवं विद्युत प्रभारों को लगाये जाने का सुझाव दिया गया है।

ix. किसी प्रकार के धोखाधड़ी कार्यकलापों की जाँच करने के लिए मूल्यांकन के प्रचालन प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु प्रक्रियाओं के अनुपालन किये जाने के संबंध में सतर्कता विभाग द्वारा सुझाव दिया गया है।

x. ईबीए प्रणाली को विकसित करने में ऐसी सम्भाव्यता को ध्यान में रखने का सुझाव दिया गया है कि एक ही सामग्री हेतु मल्टीपल कोड जेनरेट होने का अवसर नहीं हो तथा यह कोड केवल ओएण्डएम ग्रुप तक ही नहीं बल्कि सभी माँगकर्ताओं के लिए भी उपलब्ध हो।

xi. यह सुझाव दिया गया है कि समग्र वस्तु सूचियों की जाँच के लिए सीएण्डएम विभाग, डीवीसी द्वारा जारी स्क्रीनिंग समिति के गठन संबंधी

निर्देश देखें कार्यालय ज्ञापन संख्या एचक्यू/ईडी (सीएण्डएम)/डब्ल्यूएण्डपीएम/549, दिनांक 13.10.2017 में 2 लाख रुपये से कम तथा 25 लाख रुपये की शुरुआती सीमा से कम मूल्यों के संबंध में वस्तु सूचियों के नियंत्रण हेतु विस्तार किया जाए ।

बीबीएमबी

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में सतर्कता प्रशासन में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) एसजेवीएनएल है, जिनके पास (सीवीओ) बीबीएमबी का अतिरिक्त कार्यभार है और छः सतर्कता अधिकारी जैसे कि एक उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, एक उप निदेशक, तीन सहायक निदेशक एवं एक लेखा अधिकारी सतर्कता कार्य के लिए नियुक्त किए गए है। कोई भी शिकायत मिलने पर सतर्कता अधिकारियों द्वारा उसकी गहनता से जांच की जाती है तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी के अनुमोदनोपरांत मामले पर उचित कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है।

बीबीएमबी के सतर्कता संगठन, सतर्कता को सुरक्षात्मक उपाय के रूप में निम्नलिखित को बीबीएमबी के सभी कर्मचारियों के मन में बैठाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है:

(i) मामलों में किसी की भी ओर से देरी की प्रवृति की जांच और नियन्त्रण करना।

(ii) आदेशों के गुण दोषों का उल्लेख करते हुए फाइलों पर स्व–स्पष्ट आदेश स्पष्ट शब्दों में रिकार्ड करना।

(iii) ताकत के बल पर लिए गए निर्णयों से दूर करना।

(iv) किसी सहयोगी, वरिष्ठ अथवा अधीनस्थ द्वारा दिए गए किसी भी ऐसे सुझाव को हमेशा ग्रहण करना जिसके परिणाम स्वरूप राजकोष में बचत हो।

(v) सत्यनिष्ठा की सुरक्षा हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ रहना चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।

(vi) संवेदनशील स्थलों की पहचान और ध्यान, ऐसे स्थलों की नियमित और आश्चर्यजनक जांच / निरीक्षण।

(vii) भ्रष्टाचार की आशंका वाले अधिकारियों की पहचान, और संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मियों की उचित जांच, जिसमें सार्वजनिक व्यवहार, स्थापना और खरीद संबंधी कार्य शामिल हैं और सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार हर 3 साल बाद उनका रोटेशन सुनिश्चित किया जाता है।

(viii) भ्रष्टाचार के पनपने वाले सभी स्थानों पर नजर रखना।

(ix) स्वयं तुष्टिकरण के कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों का निर्भयता से विरोध करना।

(x) सादा जीवन व्यतीत करना और ईमानदारी के कार्य करने में गर्व अनुभव करना।

(xi) नियमों, प्रक्रियाओं,हिदायतों, नियम–पुस्तिकाओं आदि का सावधानीपूर्वक अनुसरण करना।

(xii) नियमों में कोई अस्पश्टता होने की स्थिति में अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से अतार्किक एवं विवादास्पद निष्कर्ष निकालने से बचना।

(xiii) सहमति सूची एवं संदेहात्मक सत्यनिष्ठा सूची तैयार की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि संदेहात्मक सत्यनिष्ठा के अधिकारी/ कर्मचारी संवेदनशील पदों पर तैनात न हों।

(xiv) पैत्रिक राज्यों/राज्य बिजली बोर्डो से निर्णय प्राप्त करनें के लिए जांच करना तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र पूरी करना।

(xv) जहां कहीं बीबीएमबी स्वयं कार्रवाई करने में सक्षम हो, बिना किसी देरी के अनुशासनात्मक कार्रवाई का क्रियान्वयन करना।

(xvi) बीबीएमबी में प्रणाली सुधार के लिए विभिन्न सुझाव जारी करना ।

(xvii) प्रणाली सुधार एवं कार्यशैली में जागरूकता लाने के लिए समय–समय पर निवारक परिपत्र जारी किए जाते है।

वर्ष 2019–20 के दौरान (01.01.2019 से 02.11.2019) 27 शिकायतें थी जिसमें से 25 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है और अन्य 2 शिकायतें जांच पड़ताल के अर्न्तगत लम्बित हैं।

इसके अतिरिक्त दिनांक 28.10.2019 से 02.11.2019 तक बीबीएमबी चण्डीगढ़ के साथ–साथ परियोजना केन्द्रों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2019 मनाया गया। चण्डीगढ़ एवं नंगल में दिनांक 29.10.2019, को **''(सत्यनिष्ठा–एक जीवन शैली)''** पर एक पारस्परिक सत्र का आयोजन भी किया गया।

बीईई

वर्ष 2019–20 के दौरान कोई बड़ी शिकायतें प्राप्त नहीं हुईं और कोई अनुशासनात्मक मामले आरंभ नहीं किए गए।

सीपीआरआई

श्री बीरेंद्र कुमार, आईए और एएस, जुलाई, 2016 से सीपीआरआई के मुख्य सतर्कता अधिकारी है।

दंडात्मक कार्रवाई को रोकना, सार्थक, व्यावहारिक और वस्तुनिष्ठ प्रणाली/ प्रक्रियाओं को लागू करना, सभी लेन–देन में विश्वास और पारदर्शिता विकसित करना, भ्रष्टाचार की वजह से वित्तीय या अन्य नुकसान को रोकना, संगठन तथा उसके कर्मचारियों का गौरव और आत्मसम्मान को बढाना तथा गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में समयबद्ध कार्रवाई करना सी पी आर आई की 'सतर्कता संकल्पना' है।

आईटी के प्रयोग और वेब समर्थित प्रौद्योगिकी द्वारा कई प्रणाली सुधार हुए हैं जैसे सी पी आर आई वेबसाइट में जांच की तारीखों का आनलाइन बुकिंग की स्थिति उपलब्ध हैं। सी पी आर आई वेबसाइट में ई–मेल के माध्यम से ग्राहकों के साथ प्रौद्योगिकी संचार, तार अंतरण, आर टी जी एस के माध्यम से परीक्षण और परामर्श शुल्क का भुगतान, ई – निविदा, अनुसंधान प्रस्ताव, परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रारूपों की प्रस्तुती का क्रियान्वयन किया गया है। सीपीआरआई की सभी तकनीकी, वित्तीय तथा प्रशासनिक क्रियाकलाप में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।

एनपीटीआई

एनपीटीआई कारपोरेट कार्यालय एवं इसके संस्थानों पर दिनांक 28 अक्तूबर, से 02 नवम्बर, 2019 तक **''इन्टीग्रेटी – ए वे ऑफ लाइफ''** थीम पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सप्ताह के दौरान शपथ लेने, सतर्कता जागरूकता पर कार्यशाला का आयोजन, सीवीसी की वेबसाइट पर ई–शपथ लेना, एनपीटीआई, फरीदाबाद के पीजीडीसी छात्रों के मध्य वाद–विवाद प्रतियोगिता, बैनरों का प्रदर्शन आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिनांक 28.10.2019 को एनपीटीआई, कारपोरेट कार्यालय, फरीदाबाद के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक पृथक शपथ समारोह का आयोजन किया गया। अन्य सभी संस्थानों के अधिकारियों तथा स्टाफ द्वारा भी अपने संबंधित संस्थानों में शपथ दिलाई गई थी।

दिनांक 06 सिंतबर 2019 के दौरान महत्वपूर्ण सीएसआर योगदान के लिए पीएसयू कारपोरेट श्रेणी के अंतर्गत पावरग्रिड को स्वच्छ भारत पुरस्कार प्रदान करते हुए।

महिला कर्मचारियों से संबंधित गतिविधियां

विद्युत मंत्रालय

विद्युत मंत्रालय में 49 महिला कर्मचारी हैं। दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, विद्युत मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दर्शाया गया है:

समूह	कुल कर्मचारी (31.12.2019 की स्थिति के अनुसार	महिला कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों में महिलाओं का प्रतिशत
क	66	14	21.21
ख	113	27	23.89
ग	36	06	16.67
ग (एमटीएस)	56	02	3.57
कुल	**271**	**49**	**18.08**

विद्युत मंत्रालय की विभिन्न ग्रेडों में महिलाओं का रोजगार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग आदि जैसी भर्ती एजेंसियों से प्राप्त नामांकनों पर निर्भर करता है।

मंत्रालय की महिला कर्मचारियों द्वारा की गई यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए विद्युत मंत्रालय में एक शिकायत समिति विद्यमान है। वर्तमान में मंत्रालय में समिति के अध्यक्ष उप सचिव स्तर के अधिकारी हैं।

सीईए

समूह	31.12.2019 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	पदस्थ महिला कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशतता
क	354	53	14.97%
ख	173	54	31.21%
ग	210	27	12.85%
कुल	**737**	**134**	**18.18%**

वेतन एवं लेखा कार्यालय

महिलाओं के प्रतिनिधित्व को निम्नवत सारणी में दर्शाया गया है :

समूह	31.12.2019 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	महिला कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों में महिलाओं का प्रतिशत
क	2	–	–
ख	40	10	25%
ग	20	2	10%
कुल	**62**	**12**	**19.35%**

एनटीपीसी

समूह	31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत (%)
क	12571	806	6.4
ख	3433	256	7.5
ग	2998	167	5.6
घ	535	44	8.2
कुल	**19537**	**1273**	**6.5**

एनएचपीसी

एनएचपीसी अपने सभी महिला कर्मचारियों के लिए अनुकूल कार्य माहौल की व्यवस्था करता है तथा सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। एनएचपीसी कार्य, मनोरंजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में महिला कर्मचारियों को उद्योग में विद्यमान समान कार्य करने की स्थितियां मुहैया करवाता है। इसके अतिरिक्त, हमारा संगठन यह सुनिश्चित करता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति कोई प्रतिकूल परिवेश न हो और कोई भी महिला कर्मचारी किसी भी आधार पर यह न माने कि वह अपने रोजगार के संबंध में हानिकर स्थिति में है। एनएचपीसी में महिला कर्मचारियों को प्रदत्त विभिन्न लाभ तथा सुविधाएं संक्षेप में नीचे दी गई है

I. मातृत्व अवकाश

महिला कर्मचारियों को अपने नवजात शिशुओं की देखभाल करने के लिए 180 दिनों तक की अवधि तक का और मिसकैरिज / गर्भपात के मामले में 45 दिनों का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है।

II महिला कर्मचारियों हेतु बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल)

महिला कर्मचारी, 18 वर्ष तक के अधिकतम दो बच्चों की देखभाल हेतु (कम से कम 40% शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के संबंध में कोई आयु सीमा नही है) 730 दिनों तक उनके पालन–पोषण या किसी भी तरह की आवश्यकता जैसे परीक्षा, बीमारी आदि के लिए, वेतन सहित बाल देखभाल अवकाश उपभोग करने के लिए हकदार है।

III. बच्चे के दत्तकग्रहण पर विशेष बाल देखभाल अवकाश

महिला कर्मचारियों के लिए जिनके दो से कम उत्तरजीवी बच्चे हैं, को अपने विधिक रूप से दत्तक ग्रहण किए गए बच्चे की एक वर्ष की उम्र तक देखभाल करने हेतु वैध विधिक दत्तकग्रहण की तिथि से 180 दिन तक की अवधि का विशेष बाल देखभाल अवकाश प्रदत्त है।

IV. आचरण, अनुशासन तथा अपील नियमावली

एनएचपीसी में आचरण, अनुशासन तथा अपील नियमावली में यौन उत्पीड़न को रोकने वाले नियम शामिल किए गए हैं तथा अपराधी के विरुद्ध समुचित दण्ड दिए जाने का प्रावधान है।

V. महिला कर्मचारियों की उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की हैण्डलिंग हेतु शिकायत समिति

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के अनुसार एनएचपीसी के कारपोरेट कार्यालय में तथा इसकी सभी परियोजनाओं / पावर स्टेशनों / क्षेत्रीय कार्यालयों और यूनिटों में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न की शिकायतों की हैण्डलिंग हेतु एक शिकायत समिति विद्यमान है । इसका सभी यूनिटों पर पर्याप्त रूप से प्रचार किया जाता है ।

VI. शिशु गृह सुविधा

कर्मचारियों के लिए कारपोरेट कार्यालय में शिशु गृह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शिशु गृह में सामान रखने, शिशुओं हेतु खाना गर्म करने, पकाने, शिशुओं का ध्यान रखने के लिए आया आदि की सुविधाएं मौजूद है ।

VII. माता–पिता/सास–ससुर को आश्रित के रूप में घोषित करने की सुविधा

एनएचपीसी ने अपने महिला कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं का उपभोग करने के लिए आश्रितों के रूप में अपने माता–पिता / सास–ससुर को आश्रित घोषित करने का विकल्प दिया है ।

VIII. डब्ल्युआईपीएस प्रकोष्ठ

एनएचपीसी निगम मुख्यालय में महिलाओं के समन्वित विकास एवं रोजगार में प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने हेतु, सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए (डब्ल्युआईपीएस) नामक फोरम का गठन किया गया है।

IX. उपस्थिति में विशेष व्यवस्था

प्रातः 9:30 बजे से 10:00 बजे तक माह में चार बार विलंब से आने की अनुमति सभी कर्मचारियों को है जो विलंब से आने की क्षतिपूर्ति उसी दिन सायं 17:30 बजे के पश्चात, लेकिन, महिला कर्मचारियों के लिए केवल 18:00 बजे तक ही उपस्थित रह कर करना अपेक्षित है ।

X. कर्मचारियों के पदोन्नति / भर्ती के लिए गठित चयन बोर्ड / समिति में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व ।

रोजगार में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है :–

समूह	दिनांक 31.12.2019 को कुल कर्मचारी	महिला कर्मचारियों की कुल संख्या	कुल कर्मचारियों में प्रतिशत (महिला कर्मचारी)
क	2890	239	8.27
ख	705	79	11.21
ग	1968	177	8.99
घ (सफाई कर्मियों को छोड़कर)	736	166	22.55
सफाई कर्मी	53	17	32.08
कुल	**6352**	**678**	**10.67**

पावरग्रिड

31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार, 686 महिला कर्मचारी निगम में भिन्न–भिन्न स्तरों पर कार्यरत हैं। उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

समूह	31.12.2019 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारी संख्या का %
क	4407	394	8.9%
ख	1867	142	7.6%
ग	2716	141	5.2%
घ	79	9	11.4%
कुल	**9069**	**686**	**7.6%**

भारत के संविधान में दी गई लैंगिक समानता के सिद्धांत के मद्देनज़र पावरग्रिड में महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक विभेद करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए ताकि विभिन्न क्षेत्रों में वे आगे बढ सकें। इसके अलावा एक महिला कार्यकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति गठित की गई है ताकि महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर उचित माहौल सुनिश्चित किया जा सके। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और उपचार) अधिनियम, 2013 को कार्यशील महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए निगम में सभी संबंधितों के ध्यान में लाया गया है । यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरह से महिलाओं से कोई भेदभाव न हो। महिला कर्मचारियों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता बढाने के लिए महिला के प्रति संवेदनशील बनाने संबंधी कार्यक्रमों सहित महिला सशक्तिकरण और विकास संबंधी विशेष पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। निगम बैठकों, सम्मेलनों/सेमिनारों, प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण आदि जैसे सभी कार्यकलापों में मुक्त रूप से भागीदारी करने के लिए महिला कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी करता है जिससे उनके समेकन में मदद मिलती है। हमने हर संभव प्रयास किए हैं ताकि एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया जाए जिसमें महिला कर्मचारी आत्म सम्मान, गरिमा और निर्भय होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

हमने यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए है कि भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त संख्या में महिलाओं की भर्ती हो। रोजगार देने के अलावा, यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी और आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कर्मचारियों को नामांकित करते समय महिला कर्मचारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए।

पीएफसी

निगम में महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील कार्यक्षेत्रों में महिलाएं हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व पदानुक्रमिक स्तरों को पार गया है। कंपनी इस विषय पर भारत सरकार के दर्शन के अनुसार महिलाओं के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करती है। कुल कार्यबल में 20.95% के साथ महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

समूह	कुल कार्मिक (31 दिसंबर, 2019 तक की स्थिति के अनुसार)	महिला कार्मिकों की संख्या	कार्मिकों की कुल संख्या में उनका %
ए	465	99	21.29%
बी	5	0	0.00%
सी	16	3	18.75%
डी	1	0	0.00%
कुल	**487**	**102**	**20.95%**

अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में पीएफसी महिला कार्मिकों के कल्याण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निदेशों और दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। पीएफसी ने हमारी महिला कार्मिकों के नेतृत्व विकास के साथ–साथ कार्य–जीवन में संतुलन के लिए वर्ष में कई पहलें की हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है।

आरईसी

आरईसी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

कंपनी महिलाओं को रोजगार में समान अवसर प्रदान करती है तथा नौकरी के दौरान उनकी सुरक्षा और कल्याण का ध्यान रखती है। आरईसी में लिंग निरपेक्ष तथा महिला हितैषी प्रैक्टिस और नीतियां हैं जो समान अवसरों का समर्थन करती हैं तथा कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के शोषण के विरुद्ध उनकी सुरक्षा करती

हैं। कार्य स्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायत (शिकायतों) के निवारण के लिए कंपनी में आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। कंपनी की वरिष्ठ महिला अधिकारी समिति की अध्यक्ष हैं और इसमें सदस्य के रूप में एक एनजीओ के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। कंपनी के यौन उत्पीड़न विरोधी व्यवहार को आरईसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमावली में भी शामिल किया गया है।

आरईसी में मातृत्व अवकाश तथा बच्चों के विकास करने की उम्र के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए शिशु देखभाल अवकाश से संबंधित सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप उदार अवकाश नीतियां हैं। कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के बारे में सुपरिभाषित नीतियों द्वारा सुरक्षित और शोषणमुक्त परिवेश सुनिश्चित किया जाता है। कैरियर एडवांसमेंट में महिला कर्मचारियों को समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। कंपनी में महिलाएं प्रबंधन के उच्च स्तर पर पहुँच गई हैं। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के रूप में एक महिला प्रकोष्ठ भी कार्य कर रहा है। वे आवधिक रूप से मिलती हैं और गेट टुगेदर करती हैं तथा पिकनिक पर जाती हैं जिनके लिए कंपनी द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। अनेक महिला अनुकूल पहलें की गयी हैं, जिसमें महिला कर्मचारियों को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करना तथा उनके स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता में वृद्धि करना शामिल है।

कंपनी की कुल जनशक्ति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 16.91 प्रतिशत है:

समूह	31.12.2019 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	महिला कर्मचारियों की संख्या	कुल जनशक्ति का प्रतिशत
क	393	74	18.83%
ख	31	02	6.45%
ग व घ	61	6	9.84%
कुल	**485**	**82**	**16.91%**

नीपको

महिलाओं के प्रतिनिधित्व को निम्नवत सारणी में दर्शाया गया है :

समूह	31/12/2019 के अनुसार कुल कर्मचारी	महिला कर्मचारी की संख्या	कुल कर्मचारी शक्ति का प्रतिशत
क	678	63	17.11%
ख	634	124	
ग	578	110	
घ	56	36	
कुल	**1946**	**333**	

पोसोको

महिलाओं के प्रतिनिधित्व को नीचे दिए गए प्रारूप में दर्शाया गया है:–

वर्ग	31/12/2019 को कुल कर्मचारी	महिला कर्मचारियों की संख्या	सम्पूर्ण कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत
कुल	**549**	**72**	**13.11%**

पोसोको ने महिला कर्मचारियों के संबंध में कई पहलें की हैं और उनमें से कुछ इस प्रकार हैं –

- 16 मई, 2019 से 18 मई, 2019 तक ऋषिकेश, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए दो महिला कर्मचारियों को नामित किया गया था।
- 18 अप्रैल, 2019 से 21 अप्रैल, 2019 तक कोयंबटूर में हुए ISHA योग कार्यक्रमः इनर इंजीनियरिंग रिट्रीट मे एक महिला कर्मचारी को नामित किया गया था।
- 4 अप्रैल, 2019 से 6 अप्रैल, 2019 तक में मानस नेशनल पार्क, असम में प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सत्रह महिला कर्मचारियों को नामांकित किया गया था।
- 18 सितंबर, 2019 से 20 सितंबर, 2019 तक जयपुर में तीन महिला कर्मचारियों को STRI-SHAKTI, एम्पावरींग वेमेन फॉर लीडरशिप के लिए नामांकित किया गया।
- महिला कर्मचारियों के अनुरोध पर, सभी कर्मचारियों के लिए सुबह में आधे घंटे के लिए फ्लेक्सि टाइमिंग की अनुमति दी गई।
- 12 सितंबर, 2019 को केन्द्रीय कार्यालय और रष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र की महिला कर्मचारियों के लिए नई दिल्ली में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- महिला कर्मचारियों की आपसी चिंता के विचारों के आदान–प्रदान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का गठन किया गया।
- गर्भवती महिला कर्मचारियों के लिए कार्यालय प्रवेश द्वार के बगल में ही आरक्षित कार पार्किंग की जगह दी गई।
- पोसोको में महिला अधिकारियों की तैनाती रियल टाइम ग्रिड ऑपरेशन, जिसमें नाइट शिफ्ट ड्यूटी शामिल हैं, में की गई।
- काम के दौरान फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान आकस्मिक अवकाश के विरुद्ध दो–घंटे की छुट्टी की सुविधा दी गई।
- 8 फरवरी, 2019 से 9 फरवरी, 2019 तक मैसूर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए महिला कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

एसजेवीएनएल

महिला कर्मचारियों का एसजेवीएन में प्रतिनिधित्व निम्नवत है: –

ग्रुप	31.12.2019 को कुल कर्मचारियों की संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	समग्र स्टाफ संख्या का प्रतिशत
एसजेवीएन (सीधी भर्ती + समामेलित)	1486	155	10.43
एसजेवीएन (प्रतिनियुक्त)	90	8	8.89
कुल	**1576**	**163**	**10.34**

- कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसरण में आंतरिक शिकायत समितियां परियोजना स्थलों सहित निगम कार्यालय में गठित की गई हैं।
- एसजेवीएन अपने महिला कर्मचारियों के सशक्तिकरण तथा उनकी समग्र बेहतरी को सर्वाधिक महत्व देता है।
- महिला कर्मचारियों, लीडरशिप डेवपलमेंट, हेल्थ तथा स्ट्रेस मेनेजमेंट तथा जेंडर सेंसिटीविटी आदि राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है।
- एसजेवीएन अपनी महिला कर्मचारियों को विभिन्न मनोरंजक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा खेलों में प्रतिभागिता के लिए बढ़ावा भी देती है ताकि आपसी संबंधों में सद्भाव में वृद्धि हो सके ।

- एसजेवीएन की महिला कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों को मातृत्व अवकाश, चाइल्ड केयर लीव के अतिरिक्त कार्यालय के समय में छूट आदि के रूप में विस्तारित किया गया है ।

टीएचडीसी

कम्पनी के कुल जन शक्ति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 16.91% है :

समूह	कुल कर्मचारी (31.12.2019 के अनुसार)	महिला कर्मचारियों की संख्या	समग्र स्टॉफ में महिलाओं का प्रतिशत
कुल	1857	113	6.08%

महिलाओं के लिए कल्याण गतिविधियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने एक जिम्मेदार नियोक्ता होने के नाते 2019–20 में महिला कर्मचारियों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की। मा.सं.वि. विभाग के माध्यम से महिला कर्मचारियों के लिए अनेक सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। टीएचडीसीआईएल समर्पित क्लब जैसे टीएचडीसी लेडीज वेल्फेयर एसोसिएशन एवं टीएचडीसी महिला मंडल दल के माध्यम से महिलाओं की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करती है। ये क्लब समय–समय पर विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार महिला कर्मचारियों के कल्याण एवं कार्यबल में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए एक शिशु सदन स्थापित किया गया है। कार्य क्षेत्र पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारक, निषेध एवं समाधान) अधिनियम 2013 के अनुसार एक ''आंतरिक शिकायत कमेटी'' बनायी गई है, जिससे महिला कर्मचारियों को सुरक्षित एवं देखभाल युक्त वातवरण प्रदान करने के प्रति टीएचडीसी की प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित होती है। टीएचडीसीआईएल ने डब्ल्यूआईपीएस (सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं) कमेटी का भी गठन किया है, और यह डब्ल्यूआईपीएस की आजीवन सदस्य है। टीएचडीसीआईएल ने डब्ल्यूआईपीएस के सदस्यों को राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिभागिता हेतु नामित किया है। कॉरपोरेट कल्याण विभाग ने महिलाओं के लिए डॉ. सुरेखा, डीन एकेडमिक्स, एम्स ऋषिकेश के माध्यम से ''स्वास्थ्य एवं स्वच्छता'' पर कार्यशाला का आयोजन भी किया है।

महिला कर्मचारियों में फिटनेस एवं स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए बारात घर एवं ऑफिसर क्लब में अलग–अलग दैनिक योग कार्यक्रम संचालित कराए जाते हैं। महिला कर्मचारियों के लिए वर्ष भर खेलकूद गतिविधि जैसे कैरम, बैडमिंटन आदि आयोजित कराए जाते हैं। इस वर्ष महिला बैडमिंटन टीम ने आईसीपीएसयू टूर्नामेंट–2019 में व्यक्तिगत मुकाबले में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया एवं टीम इवेंट में रनर अप रही। आईसीपीएसयू टूर्नामेंट–2019 में टीम इवेंट में कैरम टीम भी रनरअप रही।

डीवीसी

31.12.2019 तक डीवीसी कार्यदल में महिला कर्मचरियों का योगदान लगभग 6. 55% है। लैगिकं संवेदनशीलता की विकास योजना एवं सशक्तिकरण हेतु उपायों को अपनाया गया है।

संवर्ग	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिशतता	
			वर्ग–वार	कुल
वर्ग क	2438	118	4.84%	1.66%
वर्ग ख	3650	233	6.38%	3.28%
वर्ग 'ग' व 'घ'	1009	114	11.29%	1.6%
	7097	465	6.55%	

सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के विकास हेतु स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज़ (स्कोप) के तत्वाधान में वोमेन इन पब्लिक सेक्टर (विप्स) में डीवीसी महिलाओं की एक आजीवन सदस्य है। 9 नवंबर, 2019 को विप्स–पूर्वी क्षेत्र द्वारा आयोजित आईओसीएल, कोलकाता में विषय ''विंग्स फॉर वोमेन'' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में डीवीसी ने भाग लिया। डीवीसी की सभी परियोजनाओं में प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तदनुसार, डीवीसी 08.03.2020 को इसका पालन करने की तैयारी में है।

डीवीसी ने अपनी सभी प्राशासनिक इकाइयों में, (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अनुरूप अपनी सभी प्रशासनिक इकाइयों में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

बीबीएमबी

बीबीएमबी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नीचे दर्शाया गया है:–

समूह	31.12.2019 तक कुल कर्मचारी	महिला कर्मचारियों की संख्या	सकल स्टॉफ की संख्या में महिलाओं की प्रतिशतता
क	501	49	9.78
ख	906	147	16.23
ग	3158	293	9.28
घ	3327	398	11.96
कुल	**7892**	**887**	**11.24**

बीबीएमबी, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79 (1) में निर्धारित अपने कार्यों का निर्वहन करता है जिसके लिए, बीबीएमबी कार्यों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु, भागीदार राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा स्थानान्तरण आधार पर स्टाफ की व्यवस्था की जाती है। तथापि, भागीदार राज्यों /राज्य बिजली बोर्डों द्वारा स्टाफ उपलब्ध कराने में असमर्थ होने की स्थिति में बीबीएमबी समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों से सम्बन्धित सीधी भर्ती एवं पदोन्नति करता है। बीबीएमबी श्रेणी–III और श्रेणी–IV कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) विनियम, 1994 तथा श्रेणी–I एवं श्रेणी–II अधिकारी विनियम, 2015 केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं। इन विनियमों के पुराने विनियम–11 के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों से सम्बन्धित सदस्यों, शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों और सेवा के दौरान मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को पंजाब सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुसार, सेवा आरक्षण एवं अन्य सभी रियायतें प्रदान की गई थी। अब उपर्युक्त विनियम–11 भारत सरकार की मई, 2017 की गजट अधिसूचना द्वारा संशोधित किया जा चुका है जिसके अनुसार बीबीएमबी में केन्द्र सरकार की आरक्षण नीति लागू की गई है। अतएव बीबीएमबी, मई, 2017 से केन्द्र सरकार की आरक्षण नीति का अनुकरण कर रहा है और तदनुसार केन्द्र सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है।

बीईई

महिलाओं का प्रतिनिधित्व नीचे दिए गए फॉर्मेट में उपलब्ध है :

समूह	31.12.2019 के अनुसार कुल कर्मचारी	महिला कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत
क	14	02	14.28%
ख	08	04	50%
ग	01	–	–
घ	–	–	–
कुल	**23**	**06**	**26.08%**

सीपीआरआई

महिला प्रकोष्ठ निम्न का देखभाल करती है

- संगठन के महिला कर्मचारियों का कल्याण
- महिला कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों / शिकायतों को दर्ज करना और उनका निवारण
- सीपीआरआई कालोनी में शिशु सदन का प्रबंधन करना और उसके सुगम संचालनार्थ आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना।

महिला प्रकोष्ठ की आंतरिक शिकायत समिति (कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए सीपीआरआई की आंतरिक नीति के अनुसार) सीपीआरआई में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के सामने, रिपोर्टित मामले, यदि कोई है, तो उसकी जाँच करती है तथा अनुशासनिक प्राधिकारी को अभियुक्त कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई लेने की सिफारिशी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। महिला प्रकोष्ठ, कार्यस्थल में महिला कर्मचारियों के किन्हीं अन्य शिकायतों को भी देखती है।

महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा सी पी आर आई की प्रबंधन को सिफारिश भी करती है कि वे महिलाओं से संबंधित सम्मेलनों में भाग लेने के लिए महिला कर्मचारियों को प्रायोजित करें और महिलाओं से संबंधित विषयों पर व्याख्यानों का आयोजन करें। अधिवर्षिता के कारण सेवानिवृत्त हो रहीं संस्थान की महिलाओं के लिए बधाई समारोह का आयोजन भी महिला प्रकोष्ठ द्वारा किया गया।

कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध, और निवारण के लिए आंतरिक नीति लागू है और इस आशय का एक परिपत्र सीपीआरआई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। वर्ष 2019 – 20 (1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 की अवधि के लिए) के दौरान कोई भी उत्पीड़न का मामला दर्ज नहीं किया गया।

संस्थान में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:

ग्रुप	31.12.2019 तक यथा स्थिति कुल कर्मचारी	महिला कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत
क	175	27	15.43
ख	139	23	16.55
ग	183	24	13.11
कुल	**497**	**74**	**14.89**

एनपीटीआई

महिला कार्मिकों की समूह–वार संख्या निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है :

ग्रुप	31.12.2019 के अनुसार कुल कर्मचारी	महिला कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
ग्रुप 'ए'	84	09	10.71
ग्रुप 'बी'	31	17	54.83
ग्रुप 'सी' (एमटीएस सहित)	96	10	10.41
कुल	**211**	**36**	**17.06**

दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए कारों की खरीद पर जीएसटी रियायतें।

दिव्यांग कर्मचारी (पीडब्ल्यूडी)

विद्युत मंत्रालय

सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार विद्युत मंत्रालय नियुक्तियों में दिव्यांग व्यक्तियों को आरक्षण देता है। विद्युत मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न संगठनों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी मंत्रालय के अवर सचिव (अ.जा./अ.ज.जा.) द्वारा की जाती है।

मंत्रालय में 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है:

समूह	कुल कर्मचारी (31.12.2019 की स्थिति के अनुसार	दिव्यांग कर्मचारी				दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिशत
		वीडी	एचडी	ओडी	कुल	
क	66	0	0	1	1	1.5
ख	113	0	0	1	1	0.88
ग	36	0	0	0	0	0
ग (एमटीएस)	56	1	0	2	3	5.35
कुल	**271**	**1**	**0**	**4**	**5**	**1.85**

सीईए

समूह	31.12.2019 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	दिव्यांग कर्मचारी				दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिशत
		वीडी	एचडी	ओडी	कुल	
क	354	–	03	04	07	1.41%
ख	173	–	01	05	06	4.28%
ग	210	03	–	03	06	1.71%
कुल	**737**	**03**	**04**	**12**	**19**	**2.57%**

वेतन एवं लेखा कार्यालय

शारीरिक दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:–

समूह	31.12.2019 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	शारीरिक दिव्यांग कर्मचारी				दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिशत
		VD	HD	OD	Total	
क	2	–	–	–	–	–
ख	40	–	–	1	1	2.5%
ग	20	–	–	–	–	–
कुल	**62**	**–**	**–**	**1**	**1**	**1.61%**

एनटीपीसी

समूह	31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या	दिव्यांग कर्मचारी				दिव्यांग शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारीयों का प्रतिशत
		अस्थि विकलांग	दृष्टि दिव्यांग	श्रव्य दिव्यांग	कुल	
क	12571	131	12	16	159	1.3
ख	3433	43	6	11	60	1.7
ग	2998	90	56	53	199	6.6
घ	535	32	22	30	84	15.7
कुल	**19537**	**296**	**96**	**110**	**502**	**2.6**

एनएचपीसी

समूह	दिनांक 31.12.2019 को कुल कर्मचारी	शारीरिक रूप से विक्लांग कर्मचारी				शारीरिक रूप से विक्लांग कर्मचारीयों का प्रतिशत
		वीडी	एचडी	ओडी	कुल	
क	2890	10	2	65	77	2.66
ख	705	शून्य	शून्य	27	27	3.83
ग	1968	शून्य	1	5	6	0.30
घ (सफाई कर्मियों को छोड़कर)	736	1	शून्य	6	7	0.95
सफाई कर्मी	53	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**6352**	**11**	**3**	**103**	**117**	**1.84**

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार शारीरिक विक्लांग कर्मचारियों को सीधी भर्ती में आरक्षण और छूट प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें निम्नलिखित कल्याण योजनाएं उपलब्ध करवाई जाती है :

सेवाकाल में शारीरिक विक्लांग होने वाले कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

शारीरिक विक्लांग कर्मचारियों और उनके आश्रितों को श्रवण सहायक उपकरण की खरीद के लिए किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है तथा मामला दर मामला आधार पर कृत्रिम अंगों की लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

शारीरिक विक्लांग / मानसिक रूप से मंद बच्चों के संबंध में उसे चिकित्सा दावों / उपचार हेतु आश्रित मानने के संबंध में आयु की सीमा लागू नहीं होती ।

दिव्यांग कर्मचारियों और निशक्त बच्चे के माता–पिता जो कर्मचारी है, उन्हें रोटेशनल स्थानांतरण से छूट प्रदान की जाती है, जो प्रशासनिक बाध्यताओं के अधीन होता है ।

एनएचपीसी सेवानिवृति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के तहत सेवानिवृत / मृत कर्मचारियों को अपने मानसिक/शारीरिक रूप से पूरी तरह से लाचार निर्भर बच्चों के लिए, जिनको एक या अधिक दिव्यांगता 40% या उससे अधिक की है, जीवन पर्यन्त (आजीवन) चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है ।

पावरग्रिड

31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार 200 दिव्यांग कर्मचारी निगम में भिन्न–भिन्न स्तरों पर कार्यरत हैं। उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

समूह	31/12/2019 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या	शारीरिक विक्लांग कर्मचारी				विक्लांग कर्मचारियों का प्रतिशत
		दृष्टि विकलांग (वीएच)	श्रवण विकलांग (एचएच)	शारीरिक विकलांग (ओएच)	कुल	
क	4407	6	21	63	90	2.0%
ख	1867			28	28	1.5%
ग	2716	7	13	60	80	2.9%
घ	79	1		1	2	2.5%
कुल	**9069**	**14**	**34**	**152**	**200**	**2.2%**

उक्त आकड़ों में विभिन्न घटक संगठनों से आमेलन की प्रक्रिया और पावरग्रिड द्वारा की गई भर्ती द्वारा कर्मचारियों के एक साथ स्थानांतरण के जरिए पावरग्रिड में नियमित कर्मचारी शामिल हैं।

पावरग्रिड दिव्यांग कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर प्रदान करने में विश्वास रखता है। इस प्रकार, निःशक्त कर्मचारियों (शारीरिक दिव्यांग) के साथ किसी पक्षपात के बिना कार्य में समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। पावरग्रिड ने विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान की है और उसे पावरग्रिड की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया है।

दिव्यांगजनों संबंधी भारत सरकार के निर्देशों के उपबंधों का निगम में पालन किया जाता है। सरकारी दिशा–निर्देशों/अधिसूचनाओं के अनुसार दिव्यांगजनों को दिए गए आरक्षण एवं विभिन्न छूटों तथा रियायतों का पावरग्रिड में सख्ती से कार्यान्वयन किया गया है। पावरग्रिड ने मकान देने, व्यवसायिक कर के भुगतान से छूट देने, चिकित्सा उपकरण/सामान्य चिकित्सा सहायता के उपबंध तथा अधिकारियों की निःशक्तता से संबंधित विशेष जरूरतों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा प्रदान की है। ये सुविधाएं उन्हें इसलिए प्रदान की जाती है ताकि वे अपना कार्य कारगर ढंग से कर सकें। इसके अलावा, पावरग्रिड में बाधारहित माहौल सुनिश्चित करने के लिए

व्यवस्थाएं की गई हैं और निगम के भवनों की लिफ्ट में आडियो प्रणाली लगाई गई है। क्षेत्रीय मुख्यालयों और कार्पोरेट केन्द्र में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए संपर्क अधिकारी नामांकित किया गया है। सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए यथा लागू आरक्षण रोस्टर रखे जाते हैं जिनका विद्युत मंत्रालय तथा अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा आवधिक रूप से निरीक्षण किया जाता है। दिव्यांगजनों के लिए रिक्तियां सरकारी दिशा–निर्देशओं/अधिसूचनाओं के अनुसार रखे गए आरक्षण रोस्टरों के अनुसार अधिसूचित की जाती हैं।

पीएफसी

पीएफसी में दिव्यांग कार्मिकों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है :

समूह	31 दिसंबर, 2019 तक की स्थिति के अनुसार कुल कार्मिक	विक्लांग (पीडब्ल्यूडी) कार्मिक	कार्मिक की कुल संख्या में उनका %
क	465	13	2.80%
ख	5	0	0.00%
ग	16	0	0.00%
घ	1	1	100.00%
कुल	**487**	**14**	**2.87%**

अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में पीएफसी विक्लांग कार्मिकों के कल्याण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निदेशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। उठाए गए कदमों में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिए विभिन्न निदेशों के अंतर्गत यथालागू आरक्षण एवं छूट शामिल हैं। पीएफसी ने विक्लांग व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करने के लिए सभी तलों पर आवश्यक प्रावधान किया तथा दृष्टि बाधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए ब्रेल लिपि में नाम उत्कीर्ण किए गए हैं। आरक्षण के मामलों की जांच करने के लिए एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।

आरईसी

शारीरकि विक्लांग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्वः

कारपोरेशन, दिव्यांगों को रोजगार प्रदान करने के लिए निर्धारित मापदंडों का अक्षरशः पालन कर रहा है।

कंपनी में नियोजित शारीरिक विक्लांग की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

समेह	31.12.2019 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	दिव्यांग कर्मचारी				शारीरिक विक्लांग कर्मचारियों का प्रतिशत
		ओएच	वीएच	एचएच	कुल	
क	393	9	0	1	10	2.54%
ख	31	0	0	0	0	0.0%
ग व घ	61	0	2	0	2	3.28%
कुल	**485**	**9**	**2**	**1**	**112**	**2.47%**

नीपको

शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है :

ग्रुप	31/12/2019 के अनुसार कुल कर्मचारी	शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारीयों की संख्या				शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियाँ का प्रतिशत
		वीएच	एचएच	ओएच	कुल	
क	678	4	3	6	13	2.52%
ख	634	4	4	4	12	
ग	578	8	5	3	16	
घ	56	0	2	6	8	
कुल	**1946**	**16**	**14**	**19**	**49**	

पोसोको

दिव्यांग कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व को नीचे दिए गए प्रारूप में दर्शाया गया है: –

वर्ग	31/12/2019 को कुल कर्मचारी	विक्लांग कर्मचारी				विक्लांग कार्मिकों का प्रतिशत
		वीएच	एचएच	ओएच	कुल	
कुल	549	2	1	13	16	2.91%

वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. एवं दिव्यांग श्रेणी के कार्मिकों की रक्षा हेतु कंपनी द्वारा जन संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है। आरक्षण अनुभाग अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. एवं दिव्यांग श्रेणी के कार्मिकों के कल्याण एवं रक्षा हेतु नामित संपर्क अधिकारी को सहायता प्रदान करता है। संपर्क अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि जाति, धर्म एवं दिव्यांगता के आधार पर कर्मचारी के साथ कोई पक्षपात न हो।

पोसोको द्वारा सीएसआर के अधीन ALIMCO के सानिध्य में रायचूर, कर्नाटक में कैम्प का आयोजन किया गया और उसमें अशक्त व्यक्तियों को सहायक एवं सहयोगी उपकरणों का वितरण किया गया । अशक्तों को सहायक एवं सहयोगी उपकरणों का वितरण 04 मार्च, 2019 को जिला चिकित्सालय में ईआरएलडीसी पोसोको के कामिर्कों के समक्ष किया गया। सभी कुल 219 लाभार्थियों को सहायक एवं सहयोगी उपकरणों का वितरण ALIMCO प्राधिकरण के मुख्य चिकित्साधिकारी व बैल्लूरघाट जिला चिकित्सालय के अधीक्षक एवं अन्य विशिष्ट अधिकारियों के सानिध्य में किया गया।

एसजेवीएनएल

एसजेवीएन के कर्मचारियों की संख्या में दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:

31.12.2019 को प्रतिनियुक्ति–कर्ताओं को छोड़कर कुल प्रत्यक्ष कर्मचारी	31.12.2019 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	दिव्यांग कर्मचारी				दिव्यांग कर्मचारी का प्रतिशत
		वीएच	एचएच	ओएच	कुल	
	1486	7	7	18	32	2.15

दिव्यांग व्यक्तियों की भर्ती भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाती है। यथोचित श्रेणीवार रोस्टर बनाए गए हैं तथा बैकलॉग के मामले में विशेष भर्ती अभियान का भी सहारा लिया जाता है। सीधी भर्ती में एससी/एसटी/ओबीसी के लिए पदों में आरक्षण के अतिरिक्त 4% पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित है। संबंधित छूट को भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार विस्तारित किया गया है। संपर्क अधिकारी (अनु.जा./अनु.ज.जा.) भी संपर्क अधिकारी (दिव्यांग) के रूप में कार्य करते हैं।

टीएचडीसी

टीएचडीसीआईएल में दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे की सारणी में उल्लिखित है

समूह	कुल कर्मचारी (31.12.2019 के अनुसार)	दिव्यांग जन				दिव्यांग कर्मचारियों का %
		वी.डी.	एच.डी.	ओ.डी.	कुल	
कुल	1857	5	7	21	33	1.77%

गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त विवरण

कंपनी दिव्यांग कर्मचारियों को संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग मानती है तथा इसने संगठन में उनके कल्याण एवं संगठन में प्रतिनिधित्व के लिए समय–समय पर जारी राष्ट्रपति के निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हमेशा काम किया है। यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन ऑन राईट ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटी (यूएनसीआरपीडी) के कार्यान्वयन के लिए कंपनी पर्सन विद डिसएबिलिटीज़ (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 कीधारा 46 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न भवनों में प्रवेश करना सुगम बनाती है। इसके अलावा अशक्त व्यक्तियों के लिए को वर्ष भर आयोजित किए गए खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों तथा अन्य प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए समान अवसर प्रदान किए गएहैं। उनकी समस्याओं को पहचानने और उनके लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु यूनिटवार संपर्क अधिकारी नामोनिर्दिष्ट किए गए हैं। टीएचडीसीआईएल सुगम्य भारत अभियान के मानकों पर भी दृढ़ता से आगे बढ़ती है।

डीवीसी

समूह	31.12.2019 को कर्मचारियों की कुल संख्या	भिन्न क्षमता वाले व्यक्ति				भिन्न क्षमता वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता
		वीडी	एचडी	ओडी	कुल	
वर्ग क	2438	0	0	20	20	0.82%
वर्ग ख	3650	03	1	25	29	0.79%
वर्ग 'ग' व 'घ'	1009	0	0	05	05	0.49%
कुल	**7097**	**03**	**1**	**50**	**54**	**0.76%**

भिन्न क्षमता वाले कर्मचारियों को कार्य आबंटन कराते समय यह सुनिश्चित किया गया है कि उनके द्वारा कार्यालयीन जिम्मेदारियों के निर्वहन में न्यूनतम असुविधा हो। भिन्न क्षमता वाली कर्मचारियों हेतु विशेष वाहन भत्ता, कार्य स्थलों पर उनके सुचारु आवागमन के लिए भवनों में रैंप सुविधाएँ आदि हेतु भारत सरकार के प्रावधानों का अनुसरण किया गया है।

बीबीएमबी

बीबीएमबी में शारीरिक रुप से विकलांग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दर्शाया गया है:–

समूह	31.12.2019 तक कुल कर्मचारी	शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी				शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की प्रतिशतता
		वीडी	एचडी	ओडी	कुल	
क	501	–	–	2	2	0.40
ख	906	–	–	7	7	0.77
ग	3158	2	–	34	36	1.14
घ	3327	3	4	30	37	1.11
कुल	**7892**	**5**	**4**	**73**	**82**	**1.04**

बीबीएमबी, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79(1) में निर्धारित अपने कार्यों का निर्वहन करता है जिसके लिए, बीबीएमबी कार्यों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु, भागीदार राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा स्थानान्तरण आधार पर स्टाफ की व्यवस्था की जाती है। तथापि, भागीदार राज्यों /राज्य बिजली बोर्डों द्वारा स्टाफ उपलब्ध कराने में असमर्थ होने की स्थिति में बीबीएमबी केवल समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों से सम्बन्धित सीधी भर्ती एवं पदोन्नति करता है। बीबीएमबी श्रेणी–III और श्रेणी–IV कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) विनियम, 1994 तथा श्रेणी–I एवं श्रेणी–II अधिकारी विनियम, 2015 केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं। इन विनियमों के पुराने विनियम–11 के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक से सम्बन्धित सदस्यों, शारीरिक विक्लांग व्यक्तियों और सेवा के दौरान मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को पंजाब सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुसार सेवा आरक्षण एवं अन्य सभी रियायतें प्रदान की गई थी। अब उपर्युक्त विनियम–11 भारत सरकार की मई, 2017 की गजट अधिसूचना द्वारा संशोधित किया जा चुका है जिसके अनुसार बीबीएमबी में केन्द्र सरकार की आरक्षण नीति लागू की गई है। अतएव बीबीएमबी, मई, 2017 से केन्द्र सरकार की आरक्षण नीति का अनुकरण कर रहा है और तदनुसार केन्द्र सरकार की आरक्षण नीति में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती में पीडब्ल्यूडी व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है।

बीईई

शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिए गए फॉर्मेट में उपलब्ध है :

समूह	31.12.2019 के अनुसार कुल कर्मचारी	शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी				शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों का प्रतिशत
		वीएच	एचएच	ओएच	कुल	
क	14	–	–	01	01	7.14%
ख	08	–	–	01	01	12.5%
ग	–	–	–	–	–	–
घ	–	–	–	–	–	–
कुल	**23**	**–**	**–**	**02**	**02**	**8.69%**

सीपीआरआई

श्रीमती श्रीदेवी. जे, संयुक्त निदेशक, सीपीआरआई, बेंगलूर ने वर्ष 2019–20 के दौरान (1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक की अवधि के लिए) **सीपीआरआई** में पी डब्ल्यू डी वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी के तौर पर काम किया है।

ग्रूप	31.12.2019 को यथा स्थिति कुल कर्मचारी	शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी				शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों का प्रतिशत
		दृष्टि बाधित	श्रवण विकलांगता	विकलांग	कुल	
क	175	–	1	5	6	3.43
ख	139	1	–	2	3	2.16
ग	183	–	2	3	5	2.73
कुल	**497**	**1**	**3**	**10**	**14**	**2.82**

एनपीटीआई

शारीरिक रूप से विकलांग कार्मिकों की समूह–वार संख्या निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है :

ग्रुप	31.12.2019 के अनुसार कुल कर्मचारी	शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी				शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों का प्रतिशत
		वीडी	एचडी	ओडी	कुल	
ग्रुप क	84	–	–	02	02	2.83
ग्रुप ख	31	–	–	01	01	3.22
ग्रुप ग (एमटीएस सहित)	96	01	01	04	06	6.25
कुल	**211**	**01**	**01**	**07**	**09**	**4.26**

अध्याय 36.5

मनोरंजनात्मक गतिविधियां

विद्युत मंत्रालय

विद्युत मंत्रालय में अगस्त, 2019 में निष्पक्ष चुनाव के बाद मनोरंजन क्लब का गठन किया गया था। मनोरंजन क्लब के चुनी गई प्रबंधन समिति का संघटन निम्नानुसार है:

1.	श्रीमती पुष्पा रानी राव	अध्यक्ष
2.	श्री आई. जे. विरमानी	उपाध्यक्ष
3.	श्री रमन	महासचिव
4.	श्री नवीन शरण	खेल सचिव
5.	श्रीमती गीता मदान	सांस्कृतिक सचिव
6.	श्री अजय कुमार गुप्ता	कोषाध्यक्ष
7.	श्री अवकाश	कार्यकारी सदस्य
8.	श्री राकेश कुमार	कार्यकारी सदस्य
9.	श्री भुपेंद्र पाल	कार्यकारी सदस्य
10.	श्री उपेंद्र कुमार	कार्यकारी सदस्य

विद्युत मंत्रालय के कर्मचारी खेल–कूद की मनोरंजन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और अंतर मंत्रालयी/अंतर सीपीएसयू टूर्नामेंटों में भाग ले रहे हैं। वर्ष (2019–20) के दौरान, विद्युत मंत्रालय की खेल टीम ने क्रिकेट, कैरम, शतरंज, कुश्ती, बैडमिंटन, वॉलीबॉल आदि जैसे विभिन्न अंतर सीपीएसयू/अंतर मंत्रालयी टूर्नामेंटों में भाग लिया है।

श्री राहुल, एमटीएस, आर एंड आर डिवीजन ने मंत्रालय के कुश्ती टूर्नामेंट 2019 में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने चंढ़ीगड़ में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा कुश्ती टूर्नामेंट 2019–20 में कांस्य पदक भी जीता।

श्री सुरज पांडे, एएसओ (बजट) ने अंतर मंत्रालयी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019–20 में रजत पदक जीता।

विद्युत मंत्रालय की क्रिकेट टीम अंतर मंत्रालयी क्रिकेट टूर्नामेंट– 2019–20 में नॉक आउट चरण तक पहुंची। इसके अतिरिक्ति, क्रिकेट टीम ने जयपुर में आयोजित अंतर सीपीएसयू टूर्नामेंट में कांस्य पदक भी जीता। श्री अनिल कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने अपने उत्कृष्ट हरफनमौला प्रदर्शन के लिए 'मैन ऑफ दि टूर्नामेंट' अवार्ड जीता। उन्होंने तीसरे स्थान के लिए मैच में बुद्धिमत्तापूर्ण शतक जड़ा।

पुरूषों की कैरम टीम ने टीम इवेंट में रजत पदक जीता। श्री पारितोष गुप्ता, एसओ और श्री एम.पी चमोली, एमटीएस ने भी डबल्स इवेंट में रजत पदक जीता। इसके अतिरिक्त श्री पारितोष गुप्ता ने सिंगिल्स इवेंट भी कांस्य पदक जीता और इवेंट के दौरान दुर्लभ करतब दिखाते हुए 'व्हाइट स्लैम' (शुरूआती मौके पर ही सभी कॉयन साफ कर देना) प्राप्त किया।

मनोरंजन क्लब ने दीवाली की पूर्व संध्या पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान अपनी कविताओं के लिए प्रसिद्ध, अन्य मंत्रालयों के दो अधिकारियों को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया गया था। विद्युत मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने भी कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन किया, गीत गायन किया।

सीईए

केविप्रा के कर्मचारी अखिल भारतीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय महत्व के), अंतर–मंत्रालय और अंतर–सीपीएसयू स्तर पर खेल, संगीत, नृत्य और लघु नाटक

प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं। वर्ष 2019–20 के लिए, खेल टीम ने कुछ एआईसीएस/अंतर–सीपीएसयू/अंतर–मंत्रालयी स्तर के टूर्नामेंट में भाग लिया। इसकी उपलब्धियां निम्नवत हैं:–

1. कैरम

श्री चंद्र शेखर, मुख्य अभियंता ने अंतर–मंत्रालयी कैरम टूर्नामेंट 2019–20 के पुरुष एकल वेटरन प्रतियोगिताओं में कांस्य पदक जीता। पुरुषों के लिए केविप्रा की निम्नलिखित कैरम टीम ने अंतर–सीपीएसयू कैरम टूर्नामेंट 2019–20 में भाग लिया, जिसे एनएचपीसी द्वारा जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में दिनांक 16.12.2019 से 20.12.2019 तक आयोजित किया गया था।

श्री/श्री

1. चंद्र शेखर, मुख्य अभियंता.....(कप्तान)
2. सुमीत कुमार, उप निदेशक
3. सौरभ पार्थसारथी, सहायक निदेशक–II
4. अजय कुमार आर्य, उप निदेशक
5. संजीव ढींगरा, पीपीएस
6. गिरधारी लाल, निदेशक
7. रोहित बिष्ट, एएसओ (कोच)
8. राजेश कुमार, पेशेवर सहायक (प्रबंधक)

केविप्रा की कैरम टीम ने निम्नलिखित पदक जीते :

- इस टीम ने चैम्पियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया।
- श्री चंद्र शेखर, मुख्य अभियंता, केविप्रा ने पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता।
- श्री चंद्र शेखर, मुख्य अभियंता और श्री सुमित कुमार, उपनिदेशक, आरपीएसओ (पश्चिम) ने पुरुष युगल स्पर्धा में रजत पदक जीता।
- श्री चंद्र शेखर, मुख्य अभियंता, केविप्रा ने अंतर–मंत्रालयी कैरम टूर्नामेंट 2019–20 के पुरुष वेटरन एकल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता।

2. बैडमिंटन

श्री अश्विनी कुमार, अनुभाग अधिकारी (कल्याण), केविप्रा ने दिनांक 27.12.2019 से 02.01.2020 तक गांधीनगर (गुजरात) में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा बैडमिंटन टूर्नामेंट (राष्ट्रीय महत्व के) में भाग लिया और (कोच के रूप में) उन्होंने सिल्वर मेडल जीता।

श्री अश्विनी कुमार, अनुभाग अधिकारी (कल्याण), केविप्रा को केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड (सीसीएससीएसबी), डीओपीटी, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2019–21 के लिए बैंडमिंटन संयोजक के रूप में चुना गया है।

एनटीपीसी

एनटीपीसी केंद्रीय कार्यालय सहित एनटीपीसी की लगभग सभी परियोजनाओं में सक्रिय कल्याण संस्थाएं जैसे मनोरंजन केंद्र, अधिकारी क्लब और महिला समितियां हैं, जो वर्ष भर अनेक प्रकार के क्रियाकलापों का संचालन करते हैं।

अपनी वार्षिक गतिविधियों के भाग के रूप में महिला समितियां, जरूरतमंदों और वंचित लोगों के लिए कल्याण गतिविधियां चलाती हैं और विभिन्न कार्यशालायें/प्रतियोगिताएं जैसे केक बनाना, सॉफ्ट खिलौने बनाना, मधुबनी पेंटिंग, खाना पकाना आदि आयोजित करती हैं।

इस वर्ष, एनटीपीसी ने एनटीपीसी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए देश भर में ''मेधा प्रतियोगिता'' आयोजित की है तथा देश भर के प्रमुख व्यावसायिक संस्थानों के बच्चों के लिए ''इलेक्ट्रॉन क्विज'' भी आयोजित किया है।

मनोरंजन केंद्रों और अधिकारी क्लबों में बिलियर्ड्स रूम, जिमनेजियम, पुस्तकालय, कैंटीन, कार्ड रूम, चेस रूम, टेबल टेनिस रूम, बैडमिंटन/टेनिस कोर्ट, तरण ताल आदि होते हैं। इन संस्थाओं के द्वारा वर्ष भर नियमित रूप से हॉबी कक्षायें जैसे नृत्य, कला, ताइक्वांडो आदि आयोजित की जाती हैं। इन संस्थाओं द्वारा इन दैनिक गतिविधियों के आयोजन के अतिरिक्त बच्चों के लिए समर कैम्प (व्यक्तित्व विकास, थिएटर कार्यशाला), विभागीय खेल–कूद अर्थात् क्रिकेट, वॉलीबाल, थ्रो बॉल प्रतियोगिताएं आदि भी नियमित तौर पर आयोजित किए जाते हैं।

इन कल्याण संस्थाओं द्वारा अपनी–अपनी परियोजनाओं में वार्षिक पिकनिक, नव वर्ष, होली, दीवाली और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय कार्यालय तथा एनटीपीसी की भिन्न–भिन्न परियोजनाओं में राष्ट्रीय महोत्सव, भिन्न–भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन और थिएटर कार्यक्रम पूरे उत्साह से मनाए जाते हैं।

एनएचपीसी

एनएचपीसी निगम मुख्यालय / परियोजनाओं / पावर स्टेशनों में कर्मचारियों के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए, आवासीय टाउनशिप मौजूद हैं। टाउनशिप के भीतर, गुणवत्तापूर्ण जीवन में मूल्य संवर्धन के लिए, सभी सुविधाओं के साथ व अच्छी तरह से सुसज्जित, चिकित्सा / स्वास्थ्य केंद्र, मनोरंजन केंद्र और सामुदायिक केंद्र मौजूद हैं।

इसके अलावा, एनएचपीसी की टीमें पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (पीएससीबी) द्वारा आयोजित विभिन्न टूर्नामेंटों की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं और सांस्कृतिक सम्मेलनों में भाग लेती रही हैं।

कर्मचारियों के मध्य आपसी संबंधों में सुधार के लिए और कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न अवसरों पर मनोरंजक सांस्कृतिक व खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

पावरग्रिड

पावरग्रिड कार्य और निजी जीवन के बीच संतुलन की ध्यान में रखते हुए कर्मचारी–अनुकूल कार्यस्थल सृजित करने का प्रयास करता है जहां विविध कर्मचारी अपनी क्षमताओं का पूर्णतः प्रदर्शन कर सकें। एक कार्पोरेट संस्कृति सृजित करने के हमारे प्रयासों के भाग के रूप में जिसमें उच्च उत्पादकता, उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पाद, नए मूल्य सृजन तथा विविध कर्मचारियों को जोशपूर्ण ढंग से कार्य करने के उद्देश्य से कर्मचारी अपने सर्वोत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से कार्य कर सकें।

पावरग्रिड ऐसे कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए कार्य करता रहा है जो, उपस्टेशनों, क्षेत्रीय मुख्यालयों और कार्पोरेट केन्द्र में पावरग्रिड कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (पीईडब्लूए), महिला समितियों की तरह लाभ प्रदान करने के कार्यक्रमों के सृजन के जरिए कार्य और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में कर्मचारियों की मदद कर सकें।

स्वस्थ समुदायिक जीवन को बढावा देने के लिए समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन कार्यकलाप चलाये जाते हैं जैसे कवि सम्मेलन, नाटक, ड्रामा आदि और विभिन्न अवसरों को मनाना जैसे दीवाली मिलन, होली मिलन, नववर्ष, स्थापना दिवस आदि।

कंपनी कबड्डी, क्रिकेट, वालीबाल, शतरंज, बैडमिंटन आदि के लिए अंतरा और अंतर–क्षेत्रीय खेल प्रतिस्पर्धाएं भी आयोजित करती रही है और अंतर–पीएसयू खेल प्रतियोगिता में नियमित रूप से भाग लेती है।

पीएफसी

पीएफसी जिम, पुस्तकालय, टेबल टेनिस जैसी सुविधाओं तथा विभिन्न खेल, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों में कार्मिकों की भागीदारी के माध्यम से अपने कार्मिकों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड के सदस्य के रूप में, अवधि के दौरान पीएफसी के कार्मिकों ने पीएससीबी के सदस्य संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न इंटर सीपीएसयू टूर्नामेंट जैसे कि बैडमिंटन टूर्नामेंट, कैरम टूर्नामेंट, वॉलीबॉल टूर्नामेंट और शतरंज टूर्नामेंट आदि में उत्साह के साथ भाग लिया। साथ ही, पीएफसी ने दिसंबर, 2019 के दौरान पीएससीबी के तत्वावधान में आयोजित अंतर–सीपीएसयू बैडमिंटन और कैरम टूर्नामेंट में महिला टीम को भी खेलने के लिए भेजा।

पीएफसी ने मई, 2019 में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान अपने कार्मिकों के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता एवं नारा लेखन प्रतियोगिता जैसी विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया। सितंबर–अक्तूबर, 2019 में स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान कार्मिकों के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

सितंबर–अक्तूबर, 2019 के दौरान हिंदी माह समारोह के एक भाग के रूप में विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य कार्मिकों में राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देना है। हिंदी माह के समापन समारोह के लिए पीएफसी कार्मिकों की सहभागिता से अक्तूबर, 2019 माह में एक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया।

पीएफसी ने पीएफसी कार्मिकों के लिए अक्टूबर–नवंबर, 2019 के दौरान नारा लेखन, निबंध लेखन और पिक्टोरल थीम रीप्रजेंटेशन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया।

पीएफसी की तिमाही पत्रिका 'ऊर्जा दीप्ति' में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से कार्मिकों ने लेखन, फोटोग्राफी आदि के लिए अपने प्रेम को भी तलाशा। पत्रिका के लिए चयनित प्रविष्टियों को कार्मिकों को नकद प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कृत भी किया जाता है ताकि मनोरंजन की गतिविधियों में बार–बार भाग लेने तथा राजभाषा के संवर्धन के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सके।

स्वस्थ जीवनशैली तथा मजबूत टीम कौशल का सुनिश्चय करने के लिए पीएफसी ने अपने कार्मिकों के लिए वर्ष के दौरान स्वास्थ्य वार्ताएं तथा टीम निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया। इच्छुक कार्मिकों के लिए कार्यालय समय के बाद हर शाम योग सत्र का आयोजन किया जाता है।

इस वर्ष निगम की महिला कार्मिकों के लिए कई विशेष पहल की गईं जैसे महिलाओं के लिए आयोजित पिकाथॉन–2019, आत्म–रक्षा कोचिंग और खेल प्रतियोगिताओं आदि में भाग लेना। अंतर–डिवीजन महिला खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत दिसंबर, 2019 के दौरान आयोजित कैरम, शतरंज और टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं में लगभग 40 महिला कार्मिकों ने भाग लिया।

आरईसी

आरईसी इस सिद्धांत में विश्वास रखती है कि स्वस्थ और फुर्तीला शरीर एवं मस्तिष्क कर्मचारियों की काम करने की क्षमता को बढ़ाता है और उनके स्तर में सुधार करता है। इसने स्वस्थ जीवन स्तर आदतें अपनाने के लिए कई पहलें की हैं तथा शरीर और मस्तिष्क को आराम प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को कार्यों से आवधिक विश्राम से ब्रेक दिया है। इसने विभिन्न स्थानों पर सुसज्जित जिम बनाई हैं जहां कर्मचारी अपनी फिटनेस के स्तर को बनाए रखने के लिए वर्क आउट कर सकते हैं। टीम वर्क तथा फिजिकल फिटनेस की भावना लाने के लिए कर्मचारियों को आंतरिक रूप से आयोजित किए गए तथा अन्य सीपीएसयू द्वारा भी आयोजित किए गए विभिन्न खेल–कूद इवेंटों जैसे कैरम बोर्ड, शतरंज, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें भ्रमण/पिकनिक की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है जहां कर्मचारी अपने पति/पत्नी तथा बच्चों के साथ निकटवर्ती स्थानों पर जा सकते हैं जो टीम भावना को प्रोत्साहित करता है और आराम भी देता है। इन पर हुआ व्यय कंपनी द्वारा आंशिक रूप से वहन किया जाता है।

कर्मचारियों की मानसिक सक्षमता बढ़ाने के लिए कंपनी कर्मचारियों को प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न क्विज, प्रेजेंटेशन तथा बिजनेस सिमुलेशन प्रतियोगिताओं/खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।

वर्ष 2019 के दौरान, आरईसी ने 24वां अंतर विद्युत क्षेत्र सीपीएसयू बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी की जिसमें विद्युत मंत्रालय और सीईए से टीमों सहित विद्युत क्षेत्र के 11 सीपीएसई टीमों ने भाग लिया।

वर्ष 2019 आरईसी के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था जिसने कार्यक्रम के पूर्व मौजूदगी के अपने 50 वर्ष पूरे किये। ''गोल्डन जुबली'' वर्ष पूरे संगठन में बहुत उत्साह के साथ मनाया गया था। अनेक कार्यक्रमों/क्रियाकलापों का आयोजन वर्ष के दौरान किया गया था, जिनमें कर्मचारियों और उनके परिवारों ने पूर्ण जोश और उत्साह के साथ भाग लिया जिसने एक–दूसरे के बीच व्यक्तिगत संबंध में वृद्धि करने और प्रतिस्पर्धी भावना को प्रोत्साहित करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा किया।

एक ''शरद ऋतु मेला'' का भी आयोजन नवंबर, 2019 में शीत ऋतु के आगमन का स्वागत करने तथा साथ ही कर्मचारियों और उनके परिवारों को एक दूसरे से परस्पर बातचीत करने तथा नाटय कला, गायन आदि में अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए अवसर प्रदान करता है।

नीपको

नीपको, कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निगम ने सभी ओ एण्ड एम परियोजनाओं में मनोरंजन क्लब स्थापित किया है। समय–समय पर सांस्कृतिक, खेल–कूद तथा कला इत्यादि से संबंधित श्रेणियों में कर्मचारियों तथा उनके बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इन परियोजनाओं में संबंधित मनोरंजन क्लब के तत्वावधान में निगम के स्थापना दिवस और अन्य स्थानीय उत्सवों के दौरान समारोह आयोजित किए जाते हैं।

पावर स्पोर्टस सेंट्रल बोर्ड का एक सदस्य होने के नाते निगम विभिन्न अंतर सीपीएसयू प्रतियोगिताएं जैसे बैडमिटेन, टेबल–टेनिस, चैस, कैरम, ब्रिज, क्रिकेट आदि में भाग लेता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित की जानेवाली स्थानीय फुटबॉल टुर्नामेंट/खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए निगम प्रयोजक भी बनता है।

संगठन ने निगम के सभी परियोजनाओं/संयंत्रों में मल्टी जिम सुविधा के साथ वेलनेस सेंटर स्थापित किए हैं। विभिन्न कार्यालयों / परियोजनाओं / संयंत्रों में योग शिविर सहित मेडिकल कैंप / हेल्थ चेकअप, स्वास्थ्य मुद्दों पर विशेषज्ञ वार्ता आयोजन करता है।

एसजेवीएनएल

हम बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं यथा मोटापा, मधुमेह तथा हृदय रोग इत्यादि का सामना आजकल कर रहे हैं। आलस्यपूर्ण जीवनशैली की ओर रूझान बढ़ रहा है जो इन खतरनाक स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्या की ओर बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आ रहा है।

इन रूकावट पैदा करने वाले रूझानों को नियंत्रित करने के लिए एसजेवीएन ने महसूस किया कि संबंधित सुविधाओं को आसानी से उपलब्ध करवाते हुए

शारीरिक सक्रियता को मनोरंजन आधारित, सुरक्षित और पहुंच योग्य बनाने की आवश्यकता है ।

महत्वपूर्ण तथ्यः

खेल तथा सक्रिय मनोरंजक गतिविधि अधिकांश प्रतिभागियों, विशेषकर युवा वर्ग के लिए मनोरंजन का एक माध्यम है।

i. इंडोर तथा आऊटडोर मनोरंजन गतिविधियां यथा कैरम, चैस, टेबल टेनिस, बैडमिन्टन, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, बिलियर्डस एंड स्नूकर खेल परिषद द्वारा आयोजित की जा रही है। अंतर विभागीय के साथ साथ अंतर परियोजना टूर्नामेंट्स, यूनिटों/परियोजनाओं पर यथा उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार आयोजित किए जा रहे हैं।

ii. वार्षिक एथलैटिक मीट, निगम कार्यालय, शिमला द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जा रहा है जिसमें कर्मचारी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

iii. परियोजना स्थलों पर जिमनेज़ियम स्थापित किए गए हैं ।

टीएचडीसी

अपने कर्मचारियों के कल्याण भाव को बढ़ाने के उद्देश्य से कल्याण की नीति को कार्यान्वित करने के लिए टीएचडीसीआईएल का समर्पित कल्याण विभाग है। टीएचडीसीआईएल ''पीपुल फर्स्ट'' के दृष्टिकोण में विश्वास करती है। पूर्व वर्ष में बड़ी संख्या में आयोजित की गई कल्याण गतिविधियां निम्नानुसार हैं : –

- जारी कलेण्डर के अनुसार मासिक खेलकूद गतिविधि।
- इंटर सीपीएसयू स्पोर्ट्स के लिए टीमें तैयार करना एवं इंटर सीपीएसयू स्पोर्ट्स आयोजित करना।
- टीएचडीआईएल कर्मचारियों के बच्चों के लिए घुड़सवारी एवं निशानेबाजी कैंप सहित ग्रीष्म कैंप।
- टीएचडीसीआईएल कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नियों के लिए वर्ष भर योग कक्षाएं आयाजित करना।
- विभिन्न अवसरों पर विभिन्न क्लबों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम।
- स्वस्थ सामुदायिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न त्योहार जैसे दीवाली, दशहरा, होली, दुर्गा पूजा, स्थापना दिवस इत्यादि सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के द्वारा सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं।
- रक्तदान शिविर।
- ऊर्जा संरक्षण 2019 के लिए चित्रकला प्रतियोगिता।
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विशेष दिवस जैसे अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस एवं राष्ट्रीय एकता दिवस मनाना।
- प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता।

उपर्युक्त के अलावा, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के मनोरंजन के लिए जिम सुविधा, पार्क/खेल का मैदान, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट एवं ऑफिसर्स क्लब में टेबल टेनिस सुविधा उपलब्ध हैं।

डीवीसी

विगत वर्षों की तरह, विभिन्न परियोजनाओं में भिन्न प्रकार के अखिल घाटी खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित किये गये। कर्मचारी पूरी रूचि के साथ इन खेलों में सक्रिय रूप से भाग लिया करते हैं। कर्मचारी व स्थानीय समुदाय भी टूर्नामेंट के इस आयोजन में भाग लेते हैं। कुल मिलाकर, इससे टीम की भावना, लोगों के बीच सहयोग विकसित होता है तथा बेहतर औद्योगिक वातावरण आदि का सृजन होता है।

स्थानीय खेलकूद के अलावा परियोजना स्तर पर जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक अखिल घाटी क्रिकेट, टेबल टेनिस, बेडमिटन, वॉलीबॉल, चेस, ब्रिज़, एथलेटिक्स, फुटबॉल आदि टूर्नामेंट विभिन्न क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में आयोजित किए जाने की योजना है । इसके अलावा, पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में विभिन्न सीपीएसयू और विभिन्न केंद्रीय विद्युत क्षेत्रों द्वारा आयोजित की जानेवाली टूर्नामेंटों में डीवीसी की टीम भाग लेगी ।

डीवीसी की सभी परियोजनाओं में कर्मचारियों के लिए मनोरंजन क्लब/स्टेशन क्लब है जिसमें नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यकलाप का आयोजन किया जाता है । डीवीसी ऐसे क्लबों को उनके सदस्य संख्या के आधार पर मूल अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अलावा उनके कार्यकलापों को बेहतर करने हेतु अनुदान देता है।

बीबीएमबी

बीबीएमबी परियोजनाओं एवं अन्य केन्द्रों पर कर्मचारियों के कल्याण हेतु विभिन्न मंनोरजन सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। आउटडोर गेम्स के साथ–साथ इनडोर गेम्स की सुविधा के साथ सभी परियोजना स्थलों पर सुसज्जित अधिकारी क्लब तथा स्टाफ कल्ब उपलब्ध करवाए गए हैं। नंगल में ओपन एयर जिसका स्टिक इनडोर स्टेडियम उपलब्ध कराया गया। विभिन्न खेलों के लिए समय–समय अन्तः – बीबीएमबी प्रतियोगिताओं का नियिमत रूप से आयोजन किया जाता है और चयनित टीमों को अन्तर–विद्युत यूटीलिटी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजा जाता है। स्पिकमैके के सहयोग से अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त आराम और मंनोरजन के लिए बीबीएमबी कालोनियों में पूर्ण–विकसित उद्यानों की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2019–20 के दौरान 31.12.2019 तक बीबीएमबी द्वारा जीते गए पुरस्कार

क. हिन्दी पुरस्कार

बीबीएमबी को वर्ष 2018–19 के अंतर्गत राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राजभाषा ''कीर्ति पुरस्कार'' के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया।

यह पुरस्कार भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 14 सितम्बर 2019 को हिन्दी दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदान किया गया ।

ख. व्यावसायिक्ता पुरस्कार

भारत, नई दिल्ली के स्वतन्त्र विद्युत उत्पादन संघ नें बीबीएमबी को 25 मैगावाट से अधिक क्षमता वाले की श्रेणी के लिए श्रेष्ठ हाइड्रो पावर प्लांट का पुरस्कार दिया। यह पुरस्कार 7 दिस्मबर, 2019 को गोवा में आयोजित 8वें पावर अवार्ड समारोह में दिया गया।

बीबीएमबी को सर्वोत्तम अनुरक्षित पन बिजली विद्युत घरों (50 वर्षो से अधिक समय से क्रियाशील) के लिए सीबीआईपी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया।

ग. ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार

बीबीएमबी को पंजाब राज्य के लिए स्कूल स्तरीय ऊर्जा संरक्षण 2019 में हुई चित्रकला प्रतियोगिता में अधिकतम भागीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य नोडल संगठन के रूप में सम्मानित किया गया। श्री बलबीर सिंह सिंहमार, निदेशक/एचआरडी तथा चित्रकला प्रतियोगिता के नोडल अधिकारी नें

दिनांक 14 दिसम्बर 2019 तो विज्ञान भवन, नई दिल्ली में श्री आर.के.सिंह माननीय राज्य मंत्री (आई सी) (ऊर्जा, नई और नवीकरणीय ऊर्जा) तथा राज्य मंत्री (कौशल विकास और उद्यमिता) द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया।

घ. खेल पुरस्कार

i. बैगलोर में दिनांक 25.9.2019 से 27.9.2019 तक आयोजित की गई इंटर सीपीएसयू चैस प्रतियोगिता में बीबीएमबी की चैस टीम (पुरूष) ने प्रथम तथा चैस टीम (महिला) नें द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बीबीएमबी की खिलाड़ी सुश्री स्वाती अग्निहोत्री ने व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया ।

ii. बीबीएमबी ने नंगल में 4 दिसम्बर से 6 दिसम्बर तक आयोजित 24वें इंटर सीपीएसयू वालीबाल प्रतियोगिता में 23वीं बार ट्राफी जीतकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा।

iii. बीबीएमबी टीम ने दिल्ली में दिनांक 14.12.2019 से 18.12.2019 तक आयोजित इंटर सीपीएसयू बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया।

ड. विद्यालय पुरस्कार

बीबीएमबी सरकारी बीएसएल सीनियर सैकेंडरी स्कूल, सलापड़ ने जिला मंडी के चैल पब्लिक स्कूल में दिनांक 07.12.2019 को आयोजित सीबीएसई की हब्स ऑफ लर्निंग प्रतियोगिता में 7 स्वर्ण, 6 रजत तथा एक कांस्य पदक प्राप्त किया। बीबीएमबी स्कूल को इस प्रतियोगिता का ओवर आल चैंपियन भी घोषित किया गया।

इसके अतिरिक्त बीबीएमबी के इस स्कूल को ''लीड कोलेबोरेटर स्कूल''की भी भूमिका सौंपी गई थी, जोकि स्वयं बहुत प्रतिष्ठित कार्य है। एक स्कूल जो चार से छह स्कूलों के समूहों के साथ प्रतिस्पर्धा करके ''लीड कोलेबोरेटर स्कूल'' के रूप में चुना जाता है, स्वयं उस स्कूल की बोर्ड परीक्षा के परिणामों तथा इस तरह के अन्य कार्यो के प्रदर्शन पर आधारित होता है। सीबीएसई ने अपनी सरकारी अधिसूचना में दिनांक 9 मार्च, 2012 को इस प्रकार के नौ मानदण्डों को अधिसूचित किया था जिससे कि कोई स्कूल एक ''लीड कोलेबोरेटर स्कूल'' बन सकता है।

एनपीटीआई

एनपीटीआई कैम्पस में कर्मचारियों के लिए संस्थान भवन, अतिथि गृह, छात्रावास, खेल सुविधाएं तथा आवासीय क्वार्टर उपलब्ध है। संस्थान के मुख्य भवन में लैक्चर हॉल, सिंडिकेट रूम, बोर्ड रूम, पुस्तकालय, आईटी सेंटर तथा संबद्ध कार्यालय आदि है। संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों के आयोजन के लिए नवीनतम ऑडियो/विडियो प्रणाली के साथ केंद्रीयकृत वातानुकूलित सभागार तथा सम्मेलन कक्ष उपलब्ध है।

इंडोर एवं आउटडोर खेल तथा गेम्स जैसे बास्केट बॉल, वॉलीबाल, बैडमिंटन, टैनिस, टेबल टेनिस, कैरम इत्यादि की सुविधाएं विकसित की गई है तथा छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों को इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाता है। एनपीटीआई संस्थानों पर स्टेट–ऑफ–दी–आर्ट व्यायामशाला सुविधा तथा कॉमन रूम उपलब्ध है। छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने तथा तनाव कम करने के लिए योग कक्षाओं का भी आयोजन किया जाता है।

राज्यों और राज्य विद्युत यूटिलिटियों के साथ समीक्षा योजना और निगरानी बैठक

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण

विद्युत मंत्रालय

अल्पसंख्यकों का कल्याण

सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए समय–समय पर यथा संस्तुत स्कीमों का समय–समय पर कार्यान्वयन किया जाता है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण

मंत्रालय में एक अ.जा. / अ.ज.जा. प्रकोष्ठ नब्बे के दशक के प्रारंभ से निदेशक (अ.जा. / अ.ज.जा.) के सीधे नियंत्रण में कार्य कर रहा है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संपर्क अधिकारी भी हैं। अ.जा. / अ.ज.जा. प्रकोष्ठ अ.जा. / अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के लिए संपर्क अधिकारी की सहायता करता है। यह प्रकोष्ठ मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले स्वायत निकायों / सीपीएसयू में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगों, अल्पसंख्यक समुदाय, भूतपूर्व सैनिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंध में भारत सरकार की आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

31.12.2019 की स्थिति के अनुसार विद्युत मंत्रालय में कर्मचारियों की कुल संख्या और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व नीचे दर्शाया गया है:

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31.12.2019 की स्थिति के अनुसार	प्रतिनिधित्व					
		अ.जा. संख्या	अ.जा. %	अ.ज.जा. संख्या	अ.ज.जा.%	अ.पि.व.	अ.पि.व.%
समूह क	66	15	22.73	2	3.03	4	6.06
समूह ख	113	18	15.93	1	0.88	22	19.47
समूह ग	36	12	33.33	1	2.78	2	5.56
समूह ग (एमटीएस)	56	28	50.00	4	7.14	6	10.71
कुल	271	73	26.94	8	2.95	34	12.55

सीईए

समूह	31.12.2019 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या	एससी / एसटी / ओबीसी का प्रतिनिधित्व					
		अ.जा.	अ.जा. %	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. %	अ.पि.व.	अ.पि.व. %
क	354	65	18.35%	23	6.49%	40	11.29%
ख	173	27	15.60%	08	4.62	19	10.89%
ग	210	62	29.52%	09	4.28%	37	17.61%
कुल	**737**	**154**	**20.89%**	**40**	**5.42%**	**96**	**13.02%**

वेतन एवं लेखा कार्यालय

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व नीचे दिये गये प्रोफार्मा में दर्शाया गया है:

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार	प्रतिनिधित्व					
		अ.ज.	अ.ज. %	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. %	अ.पि.व.	अ.पि.व. %
क	2	1	50%	–	–	–	–
ख	40	7	17.5%	3	7.5%	4	10.00%
ग	20	3	15.00%	1	5.00%	1	5.00%
कुल	62	11	17.74%	4	6.45%	5	8.06%

एनटीपीसी

समूह	31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिनिधित्व					
		अ.ज.	अ.ज. %	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. %	अ.पि.व.	अ.पि.व. %
क	12571	1795	14.3	718	5.7	2474	19.7
ख	3433	566	16.5	328	9.6	354	10.3
ग	2998	438	14.6	221	7.4	939	31.3
घ	535	139	26.0	67	12.5	114	21.3
कुल	**19537**	**2938**	**15.0**	**1334**	**6.8**	**3881**	**19.9**

एनएचपीसी

दिनांक 31.12.2019 को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है

समूह	दिनांक 31.12.2019 को कुल कर्मचारी	प्रतिनिधित्व					
		अ.ज.	अ.ज. %	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. %	अ.पि.व.	अ.पि.व. %
क	2890	461	15.95	204	7.06	603	20.87
ख	705	99	14.04	44	6.24	148	20.99
ग	1968	197	10.01	97	4.93	108	5.49
घ (सफाई कर्मियों को छोड़कर)	736	110	14.95	52	7.07	39	5.30
सफाई कर्मी	53	47	88.68	1	1.89	शून्य	शून्य
कुल	**6352**	**914**	**14.39**	**398**	**6.27**	**898**	**14.14**

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण :

एनएचपीसी संगठन के सुदूर क्षेत्रों में अवस्थित विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के कमजोर तबकों के सामाजिक–आर्थिक विकास पर ध्यान दे रहा है ।

एनएचपीसी अपनी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के विभिन्न अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्कूलों तथा कॉलेजों हेतु बजट आवंटन मुहैया करवाता है। चिकित्सा सुविधाओं को आवश्यकता होने पर सभी कमजोर तबकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी मुहैया करवाया जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं/महामारी के दौरान एनएचपीसी कई तरीकों से सहायता कर रहा है और चिकित्सा शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को सीएसआर के अंतर्गत छात्रवृत्ति मुहैया करवाई जा रही है। नियमित आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आदि से संबंधित दिशा–निर्देशों की जानकारी हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे है। समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण तथा छूट प्रदान की जाती है। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को आरक्षण तथा छूट प्रदान की जाती है। निगम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के साथ आवधिक रूप से बैठके करता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ गठित किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पृथक संपर्क अधिकारी मौजूद है।

पावरग्रिड

ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार	प्रतिनिधित्व					
		अ.ज.	अ.ज. %	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. %	अ.पि.व.	अ.पि.व. %
क	4407	626	14.2%	289	6.6%	1025	23.3%
ख	1867	247	13.2%	174	9.3%	379	20.3%
ग	2716	426	15.7%	275	10.1%	1001	36.9%
घ	79	16	20.3%	7	8.9%	22	27.8%
कुल	**9069**	**1315**	**14.5%**	**745**	**8.2%**	**2427**	**26.8%**

उक्त आकड़ों में विभिन्न घटक संगठनों से आमेलन की प्रक्रिया और पावरग्रिड द्वारा की गई भर्ती के साथ–साथ इसके गठन के दौरान कर्मचारियों के एक साथ स्थानांतरण के जरिए पावरग्रिड में नियमित कर्मचारी शामिल हैं।

पावरग्रिड भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के आरक्षण को पूरा करना करने के लिए सरकारी निर्देर्शों के अनुसार भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन करने के लिए प्रतिबद्ध है। भर्ती में ऐसे व्यक्तियों के आरक्षण के विहित प्रतिशत को हासिल करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षित श्रेणियां आरक्षण से वंचित न रह जाए, निगम की सभी भर्तियों में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. (एनसीएल) आदि को यथा लागू विभिन्न छूटें और रियायतें प्रदान की जाती है।

रोजगार प्रदान के अलावा, इन श्रेणियों के कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है ताकि वे प्रमुख दायित्वों के निर्वहन में समर्थ हो सकें। कार्पोरेट केन्द्र और क्षेत्रीय कार्यालयों में आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए विशेष रिफ्रेशर और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि उन्हें आरक्षण नीतियों,

कल्याण दिशानिर्देशों, भर्ती, प्रणालियों और प्रक्रिया आदि संबंधी कंपनी की नीति से अवगत कराया जा सके। आरक्षित श्रेणी को कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि उन्हें आरक्षण नीति से अवगत कराया जा सके।

अल्पसंख्यक कल्याण

पावरग्रिड, एक 'महारत्न' केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते अल्पसंख्यकों के कल्याण के संवर्धन के अपने दायित्व को उच्च प्राथमिकता देता है। भर्ती में अल्पसंख्यकों को आवश्यक ध्यान दिए जाने के सरकारी निदेर्शों का निगम में ईमानदारी से पालन किया जाता है। इन अनुदेशों में चयन बोर्डों/समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय का एक सदस्य शामिल करना, अल्पसंख्यक जनसंख्या के घनत्व वाले क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में रिक्तियों का विज्ञापन; इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय–सीमा के भीतर सरकार द्वारा निर्धारित अल्पसंख्यक भर्ती के संबंध में वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना शामिल है। मुख्यधारा के कर्मचारियों में उनका समेकन सभी व्यवसायिक कार्यकलापों में उनकी भागीदारी से सुनिश्चित किया जाता है। उनके अल्पसंख्यक होने के कारण उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। आवासीय मकान, पदोन्नति, प्रशिक्षण, स्थानांतरण आदि जैसी सुविधाओं की दृष्टि से सभी कर्मचारियों को समान माना जाता है।

पीएफसी

दिसम्बर, 2019 तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों कर्मचारियों की संख्या

समूह	31 दिसम्बर, 2019 तक की स्थिति के अनुसार कुल कार्मिक	प्रतिनिधित्व					
		अनु. जा.	अनु. जा.%	अनु. ज. जा.	अनु. ज. जा.%	अ. पि. व.	अ. पि. व.%
क	465	84	18.07%	28	6.02%	81	17.42%
ख	5	01	20.00%	1	20.00%	0	0.00%
ग	16	2	12.50%	1	6.25%	3	18.75%
घ	1	0	0.00%	0	0.005	0	0.00%
कुल	**487**	**87**	**17.86%**	**30**	**6.00%**	**84**	**17.25%**

अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में पीएफसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों के कल्याण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समयःसमय पर जारी किए गए निदेशों और दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। उठाए गए कदमों में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिए विभिन्न निदेशों के अंतर्गत यथालागू आरक्षण एवं छूट शामिल हैं। आरक्षण के मामलों की जांच करने के लिए एक अलग संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।

आरईसी

दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्वः

उल्लेखनीय है कि आरईसी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में निर्धारित आरक्षण मानदंडों का कड़ाई से पालन करती है। कंपनी में नियोजित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

समूह	कुल कर्मचारी 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार	प्रतिनिधित्व					
		अनु. जा. कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों का %	अनु. ज. जा. कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों का %	अ. पि. व. कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों का %
क	393	43	10.94%	17	4.33%	68	17.30%
ख	31	5	16.13%	0	0.0%	1	3.23%
ग व घ	61	17	27.87%	1	1.64%	4	6.56%
कुल	**485**	**65**	**13.40%**	**18**	**3.71%**	**73**	**15.05%**

नीपको

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है :

समूह	31/12/2019 के अनुसार कुल कर्मचारी	प्रतिनिधित्व					
		अ.जा.	अ.जा.%	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.%	अ.पि.ब.	अ.पि.ब.%
क	678	83	12.24	131	19.32	140	20.65
ख	634	34	5.36	220	34.70	108	17.03
ग	578	41	7.09	296	51.21	94	16.26
घ	56	0	0.00	51	91.07	3	5.36
कुल	**1946**	**158**	**8.12**	**698**	**35.87**	**345**	**17.73**

पोसोको

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के प्रतिनिधित्व को नीचे दिए गए प्रारूप में दर्शाया गया है: –

वर्ग	31/12/2019 को कुल कर्मचारी	प्रतिनिधित्व						अ.जा./अ.ज.जा./अ.प.व. कर्मचारियों का प्रतिशत
		अ.जा.	अ.जा.%	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.%	अ.पि.व.	अ.पि.व.%	
कुल	549	82	14.93%	28	5.10%	116	21.13%	21.13%

वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. एवं विक्लांग श्रेणी के कार्मिकों की रक्षा हेतु कंपनी द्वारा जन संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है। आरक्षण अनुभाग अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. एवं विक्लांग श्रेणी के कार्मिकों के कल्याण एवं रक्षा हेतु नामित संपर्क अधिकारी को सहायता प्रदान करता है। संपर्क अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि जाति, धर्म एवं विक्लांगता के आधार पर कर्मचारी के साथ कोई पक्षपात न हो।

एसजेवीएनएल

अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व निम्नवत है :–

31.12.2019 को प्रतिनियुक्तिकर्ताओं को छोड़कर कुल प्रत्यक्ष कर्मचारी	अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व.					
	अ.जा.	अ.जा. %	अ.जा.जा.	अ.जा.जा.%	अ.पि.व.	अ.पि.व.%
1486	305	20.52	96	6.46	194	13.05

एसजेवीएन में भर्ती के लिए अनु.ज./अनुज.जा. तथा अ.पि.वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार की नीति को अपनाया जाता है। भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनु.ज./अनु.ज.जा. तथा अ.पि.वर्ग के लिए पदों में कुछ प्रतिशत आरक्षित है। भर्ती में और पदोन्नति, अनु.ज./अनु.ज.जा. तथा अ.पि.वर्ग के लिए रिक्तियों की संख्या के निर्धारण हेतु आरक्षण रोस्टरों को निर्धारित किया गया है। एसजेवीएन में सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार अनु.ज./अनु.ज.जा. तथा अ.पि.वर्ग को अपनी टाउनशिप में आवास के आबंटन सहित छूट दी जाती है ।

टीएचडीसी

टीएचडीसीआईएल में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. कर्मचारियों की स्थिति नीचे सारणी में दर्शायी गयी है:–

समूह	कुल कर्मचारी (31.12.2019 के अनुसार)	प्रतिनिधित्व					
		अ.जा.	अ.जा.%	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.%	अ.पि.व.	अ.पि.व.%
कुल	1857	265	14.27%	29	1.56%	154	8.29%

गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार द्वारा समय–समय पर आरक्षण नीति, कल्याण, प्रशिक्षण, शिकायत निवारण आदि पर जारी दिशानिर्देश का अनुपालन कड़ाई से किया जाता है। उनकी समस्याओं की पहचान करने और उनके लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु सभी यूनिटों में संपर्क अधिकारी नामोनिर्दिष्ट किए गए हैं।

संपर्क अधिकारी के साथ अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण संघ की आवधिक बैठकें आयोजित की गई थी। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. और अल्पसंख्यकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी मौजूद है। आरक्षण नीति और अन्य सेवा शर्तो के बारे में उनको नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के प्रयास किए जाते हैं। कंपनी ने खुले विज्ञापन के माध्यम से ग्रुप–सी में अ.जा. के 02 अभ्यर्थी, ओबीसी श्रेणी से 01 और ग्रुप–ए में 04 अ.जा. के अभ्यर्थी, 02 अ.ज.जा. के अभ्यर्थी एवं 09 ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी भर्ती किए हैं।

डीवीसी

वर्ग	31.12.2019 तक कुल कर्मचारियों की कुल संख्या	31.12.2019 को अनु.जाति., अनु.जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व				31.12.2019 को अनु.जाति, अनु.जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिशतता–वार प्रतिनिधित्व		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
वर्ग क	2438	456	147	561	1164	18.70	6.03	23.01
वर्ग ख	3650	718	206	768	1692	19.67	5.64	21.04
वर्ग 'ग' व 'घ'	1009	343	130	200	673	34	12.88	19.82
कुल	**7097**	**1517**	**483**	**1529**	**3529**	**21.37**	**6.80**	**21.54**

i. एससी/एसटी कर्मचारियों को एक निकाय, कर्मचारी दलित वर्ग संघ (ईडीसीएल) को विशेष मान्यता प्रदान की गयी है।

ii. ईडीसीएल द्वारा अपने सामाजिक तथा सांस्कृतिक दर्शन के लिए अपनाये जाने वाले सभी कार्यक्रमों में निगम द्वारा सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है।

iii. कर्मचारियों के कल्याण हेतु गठित सभी समितियों जैसे आवास समिति, संयुक्त संयंत्र स्तर समिति (जेपीएलसी) आदि में ईडीसीएल द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है।

iv. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में शिकायतें/मामले ईडीसीएल तथा डीवीसी प्रबंधन के साथ आयोजित नियमित बैठक में उठाए जाते हैं।

v. डॉ. भीमराव रामजी अम्बेदकर जयंती आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए डीवीसी पर्याप्त अनुदान देता है।

vi. मुख्यालय तथा क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों दोनों में एससी/एसटी तथा ओबीसी हेतु अलग–अलग स्कंध का गठन किया गया है। एससी/एसटी तथा ओबीसी के लिए संपर्क कार्यालयों/नोडल अधिकारियों की नियुक्ति हेतु आदेश भी जारी किये गये हैं।

vii. भारत के भीतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ईडीसीएल के सदस्यों को महत्व दिया जाता है।

viii. सभी चयन बोर्ड में, एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एससी/एसटी/ ओबीसी/ अल्पसंख्यकों के सदस्यों को अवश्य ही शामिल किया जाता है।

बीबीएमबी

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व नीचे दर्शाया गया है:–

समूह	31.12.2019 तक कुल कर्मचारी	प्रतिनिधित्व					
		एससी	एससी %	एसटी	एसटी %	ओबीसी	ओबीसी %
क	501	72	14.37	4	0.8	37	7.39
ख	906	194	21.41	4	0.44	93	10.26
ग	3158	771	24.41	11	0.35	431	13.65
घ	3327	1099	33.03	10	0.3	449	13.5
योग	**7892**	**2136**	**27.07**	**29**	**0.37**	**1010**	**12.8**

बीबीएमबी, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79(1) में निर्धारित अपने कार्यों का निर्वहन करता है जिसके लिए, बीबीएमबी कार्यों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु, भागीदार राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा स्थानान्तरण आधार पर स्टाफ की व्यवस्था की जाती है। तथापि, भागीदार राज्यों /राज्य बिजली बोर्डों द्वारा स्टाफ उपलब्ध कराने में असमर्थ होने की स्थिति में बीबीएमबी समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों से सम्बन्धित सीधी भर्ती एवं पदोन्नति करता है। बीबीएमबी श्रेणी–III और श्रेणी–IV कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) विनियम, 1994 तथा श्रेणी–I एवं श्रेणी–II अधिकारी विनियम, 2015 केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं। इन विनियमों के पुराने विनियम–11 के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक से सम्बन्धित सदस्यों, शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों और सेवा के दौरान मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को पंजाब सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुसार सेवा आरक्षण एवं अन्य सभी रियायतें प्रदान की गई थी। अब उपर्युक्त विनियम–11 भारत सरकार की मई, 2017 की गजट अधिसूचना द्वारा संशोधित किया जा चुका है जिसके अनुसार बीबीएमबी में केन्द्र सरकार की आरक्षण नीति लागू की गई है। अतएव बीबीएमबी, मई, 2017 से केन्द्र सरकार की आरक्षण नीति का अनुकरण कर रहा है और तदनुसार केन्द्र सरकार की आरक्षण नीति में निर्धारित अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को सेवा में उचित प्रतिनिधित्व, रियायतें तथा आरक्षण प्रदान किये जाते हैं।

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के सामान्य कल्याण के उपाय करने हेतु सभी फील्ड कार्यालयों को यह अनुरोध करते हुए निर्देश दिये गए हैं कि डॉ.बी.आर.अम्बेदकर, महर्षि वाल्मीकि जी और गुरू रवि दास जी के जन्म दिवस के अवसर पर यदि अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा मांग की जाए तो निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं:–

i) 1 रूपया प्रति कि.मी. के टोकन शुल्क पर शोभा यात्रा के लिए बस की सुविधाएं।

ii) उपरोक्त अवसरों पर समारोह हेतु निःशुल्क ऑडिटोरियम।

iii) बीबीएमबी से सम्बंधित अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के वर्ग–डी कर्मचारियों द्वारा बेटियों के विवाह के लिए सामुदायिक भवन को किराए पर लेने के लिए किराए में 50 प्रतिशत की छूट।

iv) वर्ग–घ कर्मचारियों (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग सहित) के दूसरे बच्चें की टयुशन फीस में 50 प्रतिशत की छूट।

बीबीएमबी के सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि समस्त संगठन प्रमुख और वरिष्ठ कर्मचारी, विशेषकर डा. बी.आर. अम्बेदकर, जयन्ती और महर्षि वाल्मीकि जी की जयन्ती आदि अवसरों पर अपने अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारियों/स्टॉफ से मुलाकात किया करें।

बीईई

अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ. पि. वर्ग का प्रतिनिधित्व नीचे दिए गए फॉर्मेट में उपलब्ध है :

समूह	31.12.2019 के अनुसार कुल कर्मचारी	वर्गीकरण					
		अ. जा.	अ. जा.%	अ. ज. जा.	अ. ज. जा.%	अ. पि. व.	अ. पि. व.%
क	14	02	14.28%	–	–	–	–
ख	08	–	–	–	–	–	–
ग	01	–	–	–	–	–	–
घ	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**23**	**02**	**8.69%**	–	–	–	–

सीपीआरआई

श्रीमती जे. श्रीदेवी, संयुक्त निदेशक तथा श्री मल्लिकार्जुना राव, संयुक्त निदेशक, सीपीआरआई, बेंगलूर ने वर्ष 2019–20 के दौरान (1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक की अवधि के लिए) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के लिए संपर्क अधिकारी के तौर पर कार्य किया।

समूह	31.12.2019 को यथा स्थिति कुल कर्मचारी	प्रतिनिधित्व							
		अनु जा	अनु जा%	अनु ज जा	अनु ज जा%	अ पि व	अ पि व%	अल्प सं.	अल्प सं. %
क	175	40	22.86	15	8.57	33	18.86	14	8.00
ख	139	30	21.58	22	15.83	26	18.71	14	10.07
ग	183	54	29.51	18	9.83	41	22.40	10	5.46
कुल	**497**	**124**	**24.95**	**55**	**11.07**	**100**	**20.12**	**38**	**7.65**

- सीपीआरआई, बेंगलूर में 14 अप्रैल, 2019 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर की 128 वीं जयंती मनाई गई। डॉ. बी.आर. अंबेडकर की स्मृति में 19 जुलाई, 2019 को सीपीआरआई, बेंगलूर में एक सरकारी समारोह का आयोजन किया गया। कर्नाटक सरकार के कन्नड़ और संस्कृति विभाग के संयुक्त निदेशक श्री अशोक एन चलवादी, मुख्य अतिथि थे और समारोह की अध्यक्षता सीपीआरआई के महानिदेशक श्री वी.एस. नंदकुमार ने की।
- इस अवसर पर, सीपीआरआई कर्मचारियों के बच्चे जिन्होंने दसवीं / एसएसएलसी और एचएसएससी / II पीयूसी की पब्लिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये थे उनके लिए योग्यता छात्रवृत्ति के साथ साथ एसएसएलसी / एचएसएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार राशि वितरित की गयी ।
- इस अवसर पर 18 जुलाई, 2019 को ''सामाजिक परिवर्तन में भारत रत्न डॉ. अंबेडकर की भूमिका'' पर एक आशुभाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई।

उदयपुर स्ट्रीट लाइट

अध्याय 37

ई–गवर्नेंस/सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पहलें

विद्युत मंत्रालय

1. नेशनल पावर पोर्टल (एनपीपी)

एनपीपी भारतीय विद्युत क्षेत्र के संबंध में सूचना के एकत्रण एवं प्रसारण के लिए एक केंद्रीय हब है। एनपीपी पारिभाषित आवधिकता पर देश में सम्पूर्ण विद्युत मूल्य श्रृंखलाः उत्पादन, पारेषण तथा वितरण यूटिलिटियों से सूचना के ऑनलाइन कैप्चर और इन्पुट को सुगम बनाता है। यह केंद्रीय, राज्य तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियों के प्रयोग के लिए सम्पूर्ण भारत, क्षेत्रीय तथा राज्य में विभिन्न स्तरों पर उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के लिए आंकड़ों के विश्लेषण हेतु विभिन्न रिपोर्टों, इन्फोग्रेफिक्स तथा स्टेटिस्टिक्स के माध्यम से प्रचालनात्मक, क्षमता, मांग, आपूर्ति तथा खपत की सूचना जैसी विद्युत क्षेत्र की सूचना का प्रसार भी करता है। एनपीपी विद्युत क्षेत्र की सूचना के लिए एकल स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण एनपीपी के लिए नोडल एजेंसी है।

एनपीपी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- विद्युत क्षेत्र के आंकड़ों की 24x7 पहुंच एवं उपलब्धता।
- प्रणाली को मुक्त स्रोत प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए डिजाइन एवं विकसित किया गया है और नेशनल डाटा सेंटर पर होस्ट किया गया है।
- सामान्य अवसंरचना को बनाए रखते हुए लागत को इष्टतम करना।
- स्रोत पर आंकड़े एकत्र करना।
- आंकड़ों की मैनुअल प्रविष्टि घटाना।
- आंकड़ों का प्रभावी एवं समय से एकत्रण सुनिश्चित करना।
- आंकड़ों की प्रामाणिकता एवं सटीकता सुनिश्चित करना।
- मास्टर डाटा के मानकीकरण से एनपीपी तथा यूटिलिटियों में संबंधित एप्लीकेशन प्रणालियों के बीच सूचना के आदान–प्रदान के साथ–साथ अन्य प्रणालियों के साथ एकीकरण में सुविधा होती है।
- अन्य संबंधित क्षेत्रों के साथ योजना, निगरानी एवं एकीकरण के लिए विश्लेषक रिपोर्टों/चार्टों के माध्यम से शीर्ष निकायों, विद्युत यूटिलिटियों तथा लोक उपयोगकर्ताओं को सूचना का प्रसार।
- पणधारियों के बीच सूचना साझा करने में आसानी।

एनपीपी– बोर्ड को जीआईएस– समर्थित नेविगेशन एवं विजुअलाइजेशन चार्टों, जो क्षमता, उत्पादन, पारेषण तथा वितरण संबंधी सूचना प्रदर्शित करते हैं, के माध्यम से क्षेत्र के बारे में विश्लेषित सूचना के वितरण हेतु डिजाइन किया गया है।

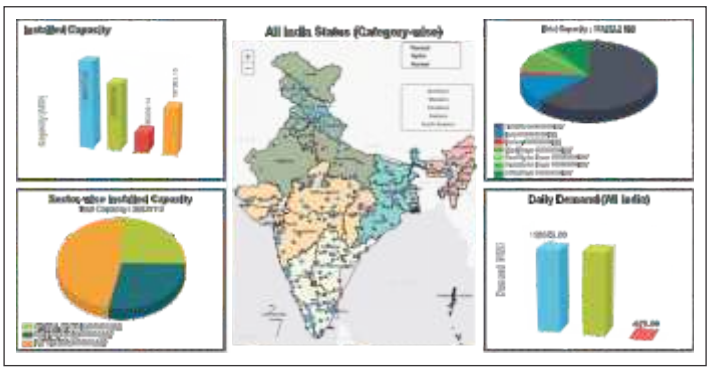

पोर्टल पर विद्युत मंत्रालय द्वारा लगाये गए विभिन्न एप्स के लिंक भी उपलब्ध हैं। यह प्रणाली नियमित रूप से प्रकाशन हेतु अपेक्षित विभिन्न प्रकार की वैधानिक रिपोर्टों को भी सुविधा प्रदान करती है।

संस्थापित क्षमता: संस्थापित क्षमता, क्षेत्र–वार संस्थापित क्षमता, श्रेणी–वार संस्थापित क्षमता, दैनिक मांग (अखिल भारत) संबंधी सूचना ग्रहण एवं प्रदर्शित करता है।

पारेषण: पारेषण लाइनों (वार्षिक उपलब्धियां), रूपांतरण क्षमता (वार्षिक उपलब्धियां), पारेषण लाइनें (सीकेएम), रूपांतरण क्षमता (एमवीए) संबंधी सूचना ग्रहण एवं प्रदर्शित करता है।

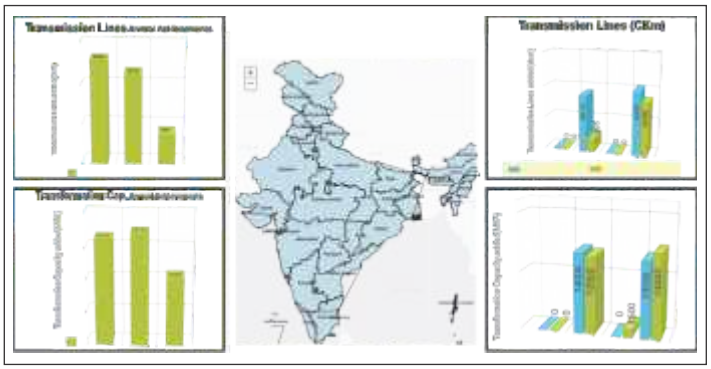

शहरी वितरण: आईटी समर्थ नगर, नगर जहां एटी एंड सी हानियां कम हुई हैं, जारी किए गए कनेक्शन (एसईआरसी समय सीमा), शिकायत निवारण (एसईआरसी समय सीमा), रूकावटों की औसत मासिक संख्या, रूकावटों की औसत मासिक अवधि की सूचना ग्रहण एवं प्रदर्शित करता है।

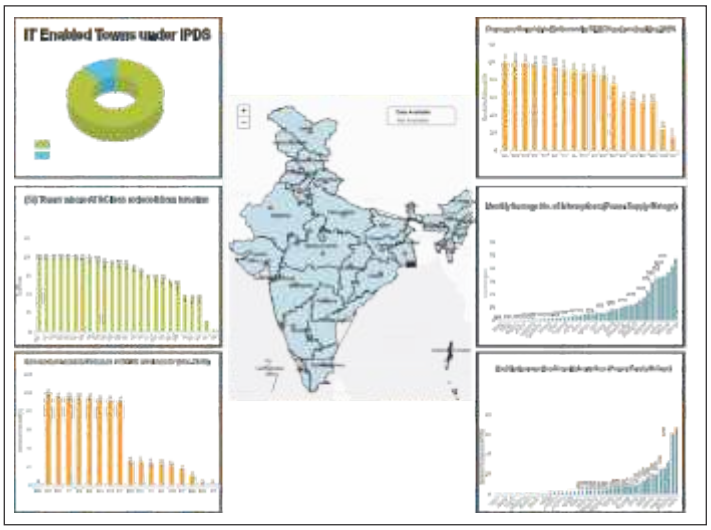

ग्रामीण वितरण: ग्रामीण विद्युत आपूर्ति के बारे में सूचना ग्रहण एवं प्रदर्शित करता है।

डाटा बैकएंड नीति निर्माण एवं निर्णयों के प्रोत्साहन को अपनाने के लिए आगे ग्रेन्यूलर विश्लेषण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बैकएंड डाटा इन्पुट तक पहुंच दी गई है।

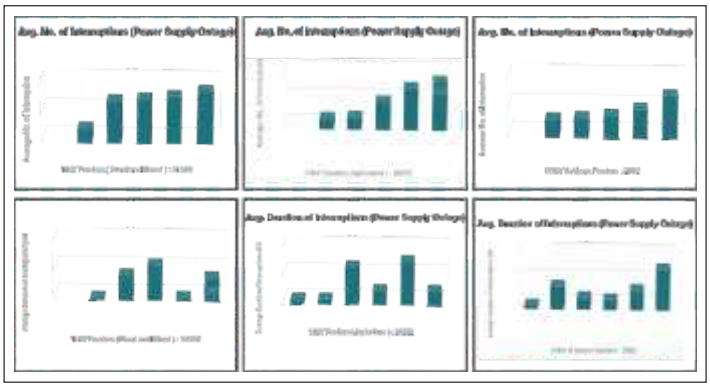

2. वेब पोर्टल तथा ऐपः

विद्युत मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं को ई–समर्थ बनाने तथा सूचना के प्रसार के लिए विभिन्न पोर्टल/मोबाइल ऐप उपलब्ध कराए गए हैं।

डीडीयूजीजेवाई (दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्याति योजना), सौभाग्य, विद्युत प्रवाह, ऊर्जा मित्र, रूरल फीडर मॉनिटरिंग स्कीम, ऊर्जा (अरबन ज्योति अभियान), उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), उन्नत ज्योति बाई एफोडेबिल एलईडी फॉर ऑल (उजाला), दीप ई–बिडिंग पोर्टल, तरंग, प्राप्ति, ऐश ट्रैक।

3. सोशल मीडिया

विद्युत मंत्रालय, मंत्रालय की उपलब्धियों और गतिविधियों के प्रसार हेतु नागरिकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विद्युत क्षेत्र से संबंधित अद्यतन सूचनाएं नियमित रूप से पोस्ट की जाती हैं। मंत्रालय का फेसबुक तथा ट्विटर दोनों पर सत्यापित अकाउंट है और क्रमशः एक लाख से अधिक और ट्विटर पर 2.25 लाख से अधिक फालोअर्स हैं।

4. डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन

देश में नागरिकों के मध्य डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के फोकस के भाग के रूप में, विद्युत मंत्रालय ने सरकार में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/डिस्कॉमों तथा निजी क्षेत्र के समन्वय से देशभर में बिजली के बिलों का डिजिटल तरीकों से भुगतान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/डिस्कॉमों ने डिजिटल भुगतान को सुविधा प्रदान करने के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) बनाया है। बिजली के बिल के डिजिटल भुगतान को सुविधा प्रदान करने के लिए भीम/यूपीआई तथा भारत क्यूआर कोड को भी उच्च प्राथमिकता पर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अनुकूल प्रयासों के फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विद्युत मंत्रालय द्वारा प्राप्त कुल डिजिटल लेन–देन 2017–18 की उपलब्धि से 50.7% अधिक है। वर्ष 2019–20 (अप्रैल–दिसम्बर) में पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में डिजिटल लेन–देन में 41% की वृद्धि हुई है।

सीईए

▸ केविप्रा में कम्प्यूटरीकरण

- केविप्रा के सभी प्रभागों और अनुभागों को नवीनतम आईटी ईन्फ्रास्ट्रचर से सुसज्जित किया गया है। सेवा भवन स्थित केविप्रा के सभी कंप्यूटरों को, वेस्ट ब्लॉक–II और एनआरपीसी भवन के सभी कंप्यूटरों से वायर या वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से परस्पर जोड़ा गया है। वैश्विक पहुंच के लिए केविप्रा के महत्वपूर्ण आंकड़े/डेटा/सूचनाओं को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (www.cea.nic.in) की द्विभाषी वेबसाइट (अंग्रेजी और हिंदी) पर अपलोड की गई है। केविप्रा की वेबसाइट को आईटी प्रभाग, केविप्रा द्वारा इन–हाउस डिजाइन, विकसित और रखरखाव किया गया है। इस वेबसाइट की सामग्री को दैनिक आधार पर अद्यतन किया जाता है। विभिन्न विद्युत क्षेत्र यूटिलिटिज/संगठनों से ऑनलाइन डेटा एकत्र करने और उसकी जॉच करने के लिए वर्ष 2011 से सेवा भवन बिल्डिंग में आर्ट डेटा सेंटर का एक चरण चल रहा है।

▸ हार्डवेयर सुविधाएं

- केविप्रा में आईटी हार्डवेयर सुविधाओं में 5 रैक सर्वर, राउटर, फ़ायरवॉल, कोर–स्विच आदि और विभिन्न कार्यालय स्वचालन उपकरण जैसे बहुप्रकार्य प्रिंटर, प्लॉटर्स, वर्कस्टेशन आदि शामिल हैं। केविप्रा के सभी अधिकारियों को जुलाई, 2015 में विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित योजना ''केविप्रा में आईटी सुविधाओं का उन्नयन–चरण–II'' के तहत इंटरनेट सुविधा और संबद्ध बाह्य उपकरणों सहित नवीनतम डेस्कटॉप कंप्यूटर/लैपटॉप प्रदान किया गया है।

▸ सॉफ्टवेयर सुविधाएं

- केविप्रा में डेटा–सेंटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए रेड हैट लिनक्स (Red Hat Linux) ओरेकल (Oracle),विन्डोज सर्वर (Windows Server), वेब स्फेयर (WebSphere), जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है।
- केविप्रा में दैनिक सरकारी कार्यों की सुविधा के लिए एमएस ऑफिस, कॉम्प डीडीओ जैसे अप्लिकेशन सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराये गए हैं। इसके अतिरिक्त ऑटोकैड, एसटीएएड–प्रो, आई–टॉवर, पावर सिस्टम एनालिसिस पैकेज (पीएसएपी), इंटीग्रेटेड सिस्टम प्लानिंग मॉडल (आईएसपीएलएएन), एसटीएटीए आदि जैसे कुछ वैज्ञानिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिसका उपयोग विभिन्न प्रभागों द्वारा डिजाइनिंग, अध्ययन, विश्लेषण और नियोजन आदि के विनिर्देशन कार्यों के लिए किया जा रहा है।
- आईटी प्रभाग द्वारा इन–हाउस आईटी (सूची/शिकायत/बिल) प्रबंधन, कैंटीन प्रबंधन, हिंदी डेटा प्रबंधन आदि जैसे विशिष्ट सॉफ्टवेयर भी विकसित किए गए हैं।

▸ नैशनल पॉवर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम (एनपीडीएमएस)/नैशनल पॉवर पोर्टल (एनपीपी)

- माननीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा दिनांक–14.11.2017 को नैशनल पॉवर पोर्टल (एनपीपी) का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल को https://npp.gov.in पर देखा जा सकता है।
- एनपीपी भारतीय विद्युत क्षेत्र की केंद्रीकृत प्रणाली है जो देश में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण यूटिलिटिज से ऑनलाइन डेटा कैप्चर/इनपुट (दैनिक, मासिक, वार्षिक) की सुविधा प्रदान करता है और केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र के लिए अखिल भारत, क्षेत्र, राज्य स्तर पर विभिन्न विश्लेषित रिपोर्ट, ग्राफ़, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के आंकड़ों के माध्यम से विद्युत क्षेत्र की सूचनाओं (परिचालन, क्षमता, मांग, आपूर्ति, खपत, आदि) की सांख्यिकी का प्रसार करता है।
- एनपीपी डैशबोर्ड को राष्ट्रीय, राज्य, डिस्कॉम, शहर, फीडर तथा राज्यों के लिए योजना आधारित वित्त पोषण स्तर पर क्षमता, उत्पादन, पारेषण, वितरण संबंधी पर क्षेत्र की विश्लेषित की गई सूचनाओं का प्रसार करने के

लिए जीआईएस सक्षम नेविगेशन और विज़ुअलाइज़ेशन चार्ट विंडोज़ के माध्यम से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। यह प्रणाली नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली आवश्यक विभिन्न प्रकार की वैधानिक रिपोर्टों की सुविधा भी देती है। यह डैशबोर्ड मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए सभी विद्युत सेक्टर ऐप्स जैसे कि तरंग, उजाला, विद्युत प्रवाह,गर्व, ऊर्जा, मेरिट, आदि के लिए एकल बिंदु इंटरफ़ेस के रूप में भी कार्य करता है।

- एनपीपी, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) और अन्य प्रमुख यूटिलिटियों की संबद्ध प्रणालियों के साथ जुड़ी हुई है तथा यह शीर्ष निकायों, विश्लेषण, योजना, निगरानी के उद्देश्य से यूटिलिटिज तथा सार्वजनिक उपयोगकर्ताओं के लिए भी विद्युत क्षेत्र की सूचनाओं के एकल प्रामाणिक स्रोत के रूप में काम करता है। यह प्रणाली 24x7 उपलब्ध है और ऑकड़ों के प्रभावी और समय पर संग्रह को सुनिश्चित करती है। यह यूटिलिटिज में एनपीपी और संबंधित प्रणालियों के बीच ऑकड़ों के सहज आदान–प्रदान के लिए डेटा मापदंडों और फॉर्मेट को मानकीकृत करता है।
- एनपीपी के हितधारकों में, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) के लिए पीएफसी विद्युत मंत्रालय (एमओपी), केविप्रा (सीईए), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के लिए आरईसी, सरकारी क्षेत्र के साथ–साथ निजी क्षेत्रों में अन्य विद्युत क्षेत्र की यूटिलिटिज, शीर्ष निकायों, अन्य सरकारी संगठन और सार्वजनिक उपयोगकर्ता शामिल हैं। केविप्रा, एनपीपी के कार्यान्वयन और प्रचालनात्मक इसके परिचालन नियंत्रण की नोडल एजेंसी है। इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा संकल्पित, डिजाइन और विकसित किया गया है।

▶ **केविप्रा में ई–ऑफिस :** फ़ाइल और पत्र हैंडलिंग प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए, ई–ऑफिस (https://cea.eoffice.gov.in) एप्लिकेशन सफलतापूर्वक काम कर रहा है। ई–ऑफिस एप्लिकेशन को राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के क्लाउड पर होस्ट किया जाता है और यह प्रमाणीकरण और गैर–प्रतिपूर्ति के लिए ई–साइन सुविधाएँ जैसी विशेषताएँ, आवेदन के साथ ई–मेल सेवा का एकीकरण, भूमिका आधारित कार्य, ट्रैकिंग और खोज सुविधा आदि प्रदान करता है।

▶ **विद्युत क्षेत्र में साईबर सुरक्षा :** मुख्य अभियंता (आईटी), केविप्रा को विद्युत मंत्रालय में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) नामित किया जाता है, जो विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है। आईटी प्रभाग, केविप्रा, सक्रिय रूप से चार पॉवर सेक्टर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीमों (सीईआरटी), अर्थात् सीईआरटी–वितरण, सीईआरटी–तापीय, सीईआरटी–जलविद्युत और सीईआरटी–पारेषण के सहयोग से विद्युत क्षेत्र की निगरानी कर रहा है और विद्युत क्षेत्र को किसी भी तरह के साइबर हमलों से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। केंद्र में, केविप्रा की वेबसाइट पर विद्युत क्षेत्र में सूचना संसाधन पूलिंग और साइबर सुरक्षा पर साझाकरण मंच के रूप में सूचना साझाकरण और विश्लेषण केंद्र (आईएसएसी–पॉवर) को होस्ट किया गया है। सेक्टोरल सीईआरटी ने पहले ही उत्पादन,पारेषण और वितरण जैसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान (सीसीएमपी) तैयार/पूरा कर लिया है। ये सीसीएमपी कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अधिकांश यूटिलिटिज (सरकारी या निजी) ने अपने संगठन में सीआईएसओ नामित कर दिए हैं। आईटी प्रभाग,केविप्रा, एनसीआईआईपीसी की सहायता से अपने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीआईआई) की पहचान के लिए सेक्टोरल सीईआरटी और इसके घटक के साथ लगातार संपर्क में है।

▶ **केविप्रा द्वारा दिए गए अनुमोदन/मंजूरी का डिजिटलीकरण:** मंत्रीमंडल सचिवालय के परियोजना निगरानी समूह के निर्देशानुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए निम्नलिखित अनुमोदन/मंजूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन एनआईसी द्वारा कार्यान्वित किए गए हैं :

- वैद्युत स्थापना के निरीक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन,
- जलविद्युत परियोजनाओं के लिए डीपीआर अनुमोदन प्रक्रिया निगरानी प्रणाली,
- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत सरकार की पूर्व स्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन,

अनुमोदन/मंजूरी का यह डिजिटलीकरण, केविप्रा द्वारा पारदर्शिता और समय पर अनुमोदन सुनिश्चित करता है। यह विकासकर्ताओं को उनके आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा भी प्रदान करता है।

▶ **अन्य सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सक्षम गतिविधियाँ**

- सभी आईटी संबंधी मदों की खरीद (जेम) जीईएम पोर्टल के माध्यम से की गई है और ईसका भुगतान भी (पीएफएमएस) पीएफएमएस के माध्यम से किया गया है।
- सभी निविदाओं को केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
- ई–एचआरएमएस की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

एनएचपीसी

एनएचपीसी परियोजनाओं और पावर स्टेशनों के निष्पादन व प्रबंधन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। एनएचपीसी समग्र उत्पादकता और कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को एक सुदृढ़ उपकरण के रूप मानता है। एनएचपीसी ने विद्युत उत्पादक परिसंपत्तियों का इष्टतम उपयोग का प्रबंधन करने, निर्माणाधीन परियोजनाओं का त्वरित विकास में सहायता करने के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को सफलतापूर्वक लागू किया है जिससे संगठन की गुणवत्ता, उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार हुआ है।

एनएचपीसी के पास सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार की आधारिक संरचना विस्तृत रूप में उपलब्ध है और एमपीएलएस–वीपीएन / वीएसएटी–केयू बैंड / ब्रॉडबैंड तकनीकों का उपयोग करके, मल्टीमोड, फेल–सेफ संचार लिंक के माध्यम से अब सभी साइटें निगम मुख्यालय के साथ जुड़ी हुई हैं। एनएचपीसी कॉर्पोरेट कार्यालय में एक उच्च गति का वायरलेस नेटवर्क (वाई–फाई) भी स्थापित किया गया है। वर्तमान में एनएचपीसी ने फरीदाबाद में बीएसएनएल के टियर–III डेटा केंद्रों में और नई दिल्ली में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित (एनआईसीएसआई) में मुख्य सर्वर को सह–स्थापित कर दिया हैं। कोलकाता में स्थित एनएचपीसी कार्यालय में डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट भी परिचालन में है। एनएचपीसी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों का इष्टतम और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का प्रबंधन करने के लिए आईटी व साइबर सुरक्षा नीति तैयार की गई है।

एनएचपीसी में केंद्रीयकृत रूप से आईएफएस ईआरपी को लागू किया गया है और ईआरपी से संबंधित संपूर्ण निगम का डेटा एकल ओरेकल डेटाबेस में रखा गया है। उपरोक्त संचार नेटवर्क के माध्यम से निगम मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों / परियोजनाओं / पावर स्टेशनों जैसे विभिन्न स्थानों से एनएचपीसी के दूरस्थ स्थानों के कार्यालयों में भी ईआरपी एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा हैं। वित्त, मानव संसाधन, प्रापण व संविदा, मालसूची परियोजना प्रबंधन, विद्युत संयंत्र

का प्रचालन और रखरखाव ऊर्जा बिक्री व लेखा, गुणवत्ता आश्वासन आदि जैसी सभी प्रमुख व्यावसायिक कार्यप्रणालियों को आईएफएस ईआरपी प्रणाली में लागू किया गया हैं। निगम के सभी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी स्वयं सेवा (ईएसएस) प्रणाली भी लागू की गई है।

आईटी और संचार अवसंरचना का लाभ उठाने के लिए प्रमुख व्यावसायिक कार्यों को शामिल करते हुए और ई–मेल, वॉयस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब–कास्टिंग, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन आदि सेवाएँ प्रदान करने के लिए कई अन्य सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का क्रियान्वयन किया गया है । अत्याधुनिक तकनीक वाली एनएचपीसी की द्विभाषी आधिकारिक वेबसाइट को http://www-nhpcindia.com पर अभिगम (एक्सेस) किया जा सकता है। इसके अलावा, एनएचपीसी का अपना एकीकृत इंट्रानेट है जो वैन (डबल्यूएएन) के माध्यम से पूरे निगम को व्यापक रूप से देखने के लिए निगम मुख्यालय / परियोजनाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों के विभिन्न प्रभागों की जानकारी प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहज सेवा पोर्टल को उन्नत किया गया है तथा इसे और अधिक कर्मचारियों के अनुकूल बनाने के लिए इसमे सुधार किया गया है ताकि उपयोगकर्ता अपनी व्यक्तिगत जानकारी आदि के लिए इसका आसानी से उपयोग कर सके।

कंपनी ने सुनियोजित सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं के कारण सफलतापूर्वक कागज की खपत को कम कर दिया है और डेटा का मानकीकरण और सूचना की परिशुद्धता को प्राप्त कर लिया है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, ई– प्रापण (इलेक्ट्रॉनिक टेंडर) प्रणाली के माध्यम से प्रापण प्रक्रिया को भी सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

एनएचपीसी ने भुगतानों की निगरानी और एनएचपीसी से जुड़े विक्रेताओं को इसकी वर्तमान स्थिति के लिए एनएचपीसी की वेबसाइट के माध्यम से भी विक्रेता भुगतान पोर्टल विकसित और प्रसारित किया है।

एनएचपीसी ने निगम मुख्यालय में साइबर सुरक्षा के लिए आईएसएमएस 27001: 2013 का कार्यान्वयन किया है। विद्युत मंत्रालय द्वारा जलविद्युत क्षेत्र के लिए एनएचपीसी को सेक्टोरल सीईआरटी–सीईआरटी की नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है और सीईआरटी–हाइड्रो के रूप में पदनामित किया गया है।

आईटी एंड सी द्वारा की गई प्रमुख पहल :

विभिन्न नियामक अपेक्षाओं का पालन करने तथा उन्नत आईटी अवसंचना का अनुरक्षण करने के लिए, एनएचपीसी द्वारा 2019–20 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख पहल की गई हैं :

- डिजिटलीकरण के भाग के रूप में पूरे एनएचपीसी में ई–ऑफिस का कार्यान्वयन।
- स्मार्ट रेक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, फरीदाबाद में केंद्रीयकृत डेटा केंद्र चालू करना ।
- साइबर खतरों के विरुद्ध निगम मुख्यालय में सुरक्षित आईटी वातावरण के लिए आईएसएमएस 27001:2013 का कार्यान्वयन ।
- ऑटोमेटिड प्रक्रिया के माध्यम से बोर्ड की बैठकों का डिजिटाइजेशन ।

पावरग्रिड

डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी सेवाएं उन्नत ऑनलाइन अवसंरचना द्वारा तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाकर अथवा देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अनुरूप, पावरग्रिड ने बोलीदाताओं, विक्रेताओं, पणधारियों और कर्मचारियों के लिए कई अनुप्रयोग विकसित किए हैं।

निविदा पोर्टल, निविदा आमंत्रण के प्रकाशन द्वारा ई–सक्षमता तथा सूचना प्रसारण, शुद्धि/संशोधन तथा अवार्ड के ब्यौरे केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी), भारत सरकार के अनुसार सीपीपी पोर्टल पर निविदा आंकड़ों का स्वतः प्रकाशन के लिए।

बिल ट्रेकिंग सिस्टम विक्रेताओं को उनके बिल के भुगतान के लिए पूर्ण पारदर्शिता प्रदान करना, विक्रेता अपने भुगतान की स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं। इसका एक लिंक लंबित बिलों के ब्यौरे देखने के लिए वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के साथ भी साझा किया जाता है।

ई–ऑफिस प्रणाली एनआईसी द्वारा विकसित यह प्रणाली ग्रीन शीट आधारित अनुमोदन प्रक्रिया को कम्प्यूटर आधारित ई–अनुमोदन प्रणाली में बदलने के लिए पावरग्रिड के सभी कार्यालयों में कार्यान्वित की गई है। ई–ऑफिस प्रणाली से केवल प्रस्तावों के अनुमोदन में लगने वाला समय ही कम नहीं हुआ है बल्कि प्रणाली में कागज का प्रयोग भी भारी मात्रा में कम हुआ है।

पावरग्रिड ऑनलाइन भुगतान यूटिलिटी (पीओपीयू) अनुप्रयोग पोर्टल पावरग्रिड द्वारा सभी प्रकार के भुगतान प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया है। इसके फलस्वरूप पावरग्रिड द्वारा भुगतान प्राप्तियों का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण हो गया है। इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड द्वारा किए जा रहे सभी भुगतान ईआरपी प्रणाली के साथ पूर्णतः केंद्रीकृत भी कर दिए गए हैं। इससे कार्यशील पूंजी का वेतन प्रबंधन और नकदी प्रवाह की आवश्यकताएं इष्टतम स्तरों पर लागत प्रभावी तरीके में सुकर हुई हैं।

केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) चरण–1/चरण–2 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र के स्तर की ऑनलाइन मॉनीटरिंग ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है तथा उसके ग्राहक को सूचना का समय से प्रसारण होता है।

कर्मचारियों द्वारा दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करना दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रति अपलोड करके कागज की भारी मात्रा की खपत कम हुई है।

पावरग्रिड पूछताछ पोर्टल संबंधित विभाग के कार्य से संबंधित कर्मचारियों की समस्याओं/पूछताछ को सुकर बनाता है। इसके प्रत्युत्तर में संगठन में कहीं भी स्थित/तैनात कोई भी कर्मचारी अपने अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर प्रतिक्रिया पोस्ट कर सकता है। इस प्रकार यह पोर्टल जानकारी को साझा करने, कर्मचारियों की क्षमता को प्रयोग करने, मान्यता तथा कर्मचारियों को रिवार्ड देने का एक मंच होगा।

पीएफसी

1.0 निगम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन प्रणाली यूनिट प्रौद्योगिकी के रचनात्मक एवं नवाचारी प्रयोग को बढ़ावा देते हुए पीएफसी को कार्यनीतिक लाभ पहुँचने हेतु प्रतिबद्ध है। यूनिट सूचना तक पहुँच के प्रभावी संचालन को बढ़ावा देती है तथा अच्छी ग्राहक उन्मुख सेवाओं एवं सहायता के साथ सुरक्षित, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी अवसंरचना प्रदान करने का सुनिश्चय करती है ताकि कार्य की निरंतर बदलती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तदनुसार, प्रचालनों को सरल एवं कारगर बनाने, लागतों में कटौती करने, दक्षता में सुधार लाने, संसाधनों का उपयोग इष्टतम करने तथा प्रमुख व्यवसाय में प्रतिभाओं को तैनात करने के लिए पीएफसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की अनेक पहलें की गई हैं ताकि स्टेकहोल्डर को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें और उनके साथ संबंध अच्छे हों।

2.0 अधुनातन डाटा सेंटर :

विश्वसनीय अवसंरचनाओं के माध्यम से निरंतर प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक अधुनातन डाटा सेंटर स्थापित किया गया जो 24x7 काम करता है, जिसमें पूर्ण पावर एवं डाटा प्रचुरता संरक्षण प्रणालियों के साथ डाटाबेस, एप्लीकेशन, नेटवर्क, एमएस एक्सचेंज ईमेल, इंटरप्राइज

एंटीवायरस सर्वर हैं जो रैक माउंटेड सर्वर पर स्थित है। सूचना प्रणाली की सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए सर्वर जोन के लिए दो चरणीय फायरवाल के साथ तथा घुसपैठ अनुवेदन एवं निवारण प्रणाली, एंटीवायरस, इंटरनेट सामग्री फिल्टर प्रणाली के साथ व्यापक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली स्थापित की गई है।

पीएफसी में लेयर–3 स्विचिंग टेक्नोलॉजी तथा एक्सचेंज ई–मेल सर्वर के साथ कार्यान्वित फाइबर बैकबोन के साथ गीगाबाइट लोकल एरिया नेटवर्क का नेटवर्क परिवेश निगम के आंतरित और बाहरी संचार के बेकबोन के रूप में काम करता है। इन इलेक्ट्रॉनिक आधारित संचार प्रणालियों का उपयोग नियमित और महत्वपूर्ण व्यावसायिक जानकारी को त्वरित और कुशल तरीके से प्रसारित करने के लिए किया जाता है। आईटी उपकरणों का उपयोग विभिन्न स्तरों के कार्यपालकों को बिजनेस स्टेटस रिपोर्ट भेजने के लिए किया जाता है, ताकि महत्वपूर्ण बिजनेस परियोजनाओं के संबंध में कार्मिकों को अपडेट किया जा सके और बिजनेस भागीदारों और ग्राहकों के साथ जुड़ा जा सके।

3.0 सूचना प्रौद्योगिकी जागरूकता सप्ताहः पीएफसी ने 18–24 दिसंबर, 2019 तक सूचना प्रौद्योगिकी जागरूकता सप्ताह मनाया, जिसमें कैजुअल स्टाफ/ कंसल्टेंट्स/ वेंडर सहित निगम के सभी कम्प्यूटर प्रयोगकर्ताओं को सूचना प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में बढ़ते साइबर सुरक्षा खतरों, संवेदनशीलता और जोखिम परिदृश्य में पीएफसी की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, संरक्षित और सुरक्षित उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

4.0 सूचना प्रौद्योगिकी नीतिः पीएफसी ने एनबीएफसी के लिए आरबीआई मास्टर दिशा–निर्देशों के आधार पर अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति तैयार की हैए जिसे अनुपालन एवं कार्यान्वयन हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा एनआईसी द्वारा विधिवत संविक्षित किया गया। एमएस यूनिट द्वारा पीएफसी में इसे सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है।

5.0 आईटी अवसंरचना में वृद्धि

संगठन द्वारा हाई स्पीड कम्प्यूटिंग की मांग के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए पीएफसी नियमित आधार पर अपनी आईटी अवसरंचना को अपडेट करता रहता है। पीएफसी ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित आईसीटी अवसंरचना सेवाओं में वृद्धि की हैः

क) ऊर्जा निधि भवन में स्थित पीएफसी कॉर्पोरेट कार्यालय ने पीएफसी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षा खतरों और संवेदनशीलताओं से बचाने के लिए एंटरप्राइज क्लास ट्रेंड माइक्रो एपेक्स वन, डीप सिक्योरिटी फॉर सर्वर्स, मैनेजड डिटेक्शन एंड रेस्पॉन्स (एमडीआर) सॉल्यूशन लागू किया है।

ख) पीएफसी वेब सिक्योरिटी सिस्टम को साइबरिया 750आईए से नवीनतम सोफोस एक्सजी430 में अपग्रेड किया गया है जिसने संवर्धित वेब सुरक्षा को सक्षम किया है और सामग्री प्रबंधन को बेहतर किया है।

ग) अपने प्राथमिक लिंक को 90 एमबीपीएस से 180 एमबीपीएस और बैकअप लिंक को 90 एमबीपीएस में अपग्रेड करते हुए अतिरिक्त बैंडविड्थ के साथ पीएफसी इंटरनेट सुविधा को संवर्धित किया गया।

6.0 आईटी सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक अध्ययन

पीएफसी ने लगातार बदलती व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक का लाभ उठाने के लिए पीएफसी आईटी सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक अध्ययन किया है।

6.1 एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का विकास और कार्यान्वयनः

कंप्यूटरीकरण तथा परिवर्तन की अधिक मांग को नए साफ्टवेयर एप्लीकेशन के प्रयोग के माध्यम से पूरा किया गया है जिन्हें रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कार्यान्वित किया गया है।

- लोन कोवनेंट मॉनिटरिंग सिस्टम
- पीएफसी के साथ पीएफसीजीईएल (पीएफसी की समयक कंपनी) के सिस्टम्स का विलय

माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह से वर्ष 2018–19 के लिए प्रतिष्ठित **''राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार''** (क्षेत्र 'क' की श्रेणी में) प्राप्त करते हुए पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजीव शर्मा। राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए पीएफसी द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए पीएफसी द्वारा लगातार 6ठी बार यह पुरस्कार प्राप्त किया गया।

- सौर/पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पात्रता के निर्धारण हेतु ऑनलाइन सिस्टम
- ऑनलाइन एचआर ट्रेनिंग मॉड्यूल विकसित करना
- राज्य क्षेत्र विद्युत संस्थाओं की वित्तीय एवं परिचालनगत दक्षता का विश्लेषण करने के लिए सिस्टम
- पीएफसी कॉर्पोरेट वैबसाइट का एसएसएल कार्यान्वयन
- पीएफसीसीएल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट मॉड्यूल विकसित एवं कार्यान्वित किया गया
- जीएसटी एवं सप्लायर आर्किटेक्चर में सुधार/संवर्धन
- कंसल्टेंट्स के लिए कार्य आधारित उपस्थिती सिस्टम विकसित करना
- माह में ऋणकर्ता को बहु–मांग जारी करना
- नए मासिक ब्याज मास्टर का कार्यान्वयन
- एप्लिकेशन में राइट ऑफ ऋण/रीडिमेबल प्रेफ्रेंस शेयरों के लिए प्रावधान

आरईसी

क. वर्तमान वर्ष के दौरान 31.12.2019 तक की गई प्रगतिः

1. **आरईसी में चल रहे ईआरपी के नवीनतम वर्जन का कार्यान्वयन :** आरईसी में मौजूदा ई–बिजनेस ईआरपी (आरेकल ई–बिज सूट) 11 आई (24.07.2019 को आरंभ किया गया) को पुनर्जीवित कर नवीनतम वर्जन आर 12.2.7 कर दिया है और ईआरपी हार्डवेयर को परिवर्तित कर आरईसी के डाटा केंद्र में प्राइवेट क्लाउड वातावरण में स्थानांतरित किया है। नया ईआरपी जीएसटी और नवीनतम लेखांकन मानक (इंड–एएस) का समर्थन करता है और इसमें उत्कृष्ट विशेषताएं जिसने निगम के बिजनेस प्रचालन के और अधिक ऑटोमेशन को आसान बना दिया है। ईआरपी प्रणाली में नई विशेषताओं के साथ सतत् रूप से सुधार लाया जा रहा है जिससे कि बिजनेस की प्रक्रियाएं और अधिक ऑटोमेट हो सकें।

2. **आरईसी में कार्यान्वित इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस सोल्यूशन** ने कंपनी के

कार्यचालन में प्रमुख परिवर्तन लाया है। कार्यक्षमता, पारदर्शिता और कम कागज वाले वातावरण के अपेक्षाकृत अधिक ग्रीन पहल की ओर एक कदम के रूप में सुधार लाये हैं। इस प्रणाली में नई विशेषताओं को जोड़कर सतत् रूप से सुधार लाया जा रहा है।

3. **निगम की आईसीटी अवसंरचना की अभिवृद्धि** : पूरे संगठन में एमपीएलएस वीपीएन नेटवर्क अवसंरचना और वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा को पूर्ण रूप से नवीनतम नेटवर्क और सुरक्षा उपक्रमोंए बढ़े हुए बेंडविथ और उच्च उपलब्धता विशेषताओं के साथ प्रचालन की अत्यधिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए पुनर्जीवित किया है।

4. **प्राथमिक डाटा केंद्र (पीडीसी) और आपदा रिकवरी केंद्र (डीआरसी)** : आरईसी की पीडीसी और डीआरसी दोनों आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित हैं और यह भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का भी अनुपालन करता है। आरईसी ने कारपोरेट नेटवर्क से बाहर गोपनीय और महत्वपूर्ण सूचना को दिये जाने से रोकने के लिए डीसी डीआर में डाटा लीकेज एवं रोकथाम (डीएलपी) प्रणाली भी कार्यान्वित की है।

5. **आरबीआई मास्टर निदेश के अनुसार आईटी ढांचे का कार्यान्वयन** : आरईसी ने आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार आईटी ढांचे के मास्टर निदेश की आईटी सुरक्षा संबंधी निदेशों को कार्यान्वित किया है। आरईसी अब एनबीएफसी क्षेत्र के लिए जारी किये गये आईटी ढांचे के मास्टर निदेश का पालन करता है।

6. **डिजिटल पहल की ओर एक कदम के रूप में,** एक ऑनलाइन कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली निगम के सभी कार्यालयों में अपने कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए कर्मचारियों के वास्ते आसान बनाने हेतु विकसित की गयी है। मूल्यांकन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटल किया गया है।

7. आरईसी ने बेहतर ई–गवर्नेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति आईटी पहल के भाग के रूप में अनेक इन–हाउस विकसित प्रणालियों को भी लागू किया है।

8. **खरीद में पारदर्शिता के प्रति** : 2 लाख से ऊपर के मूल्य के वस्तुओं और सेवाओं की सभी खरीद ई–खरीद प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन की जा रही है। यह प्रणाली सीवीसी के दिशा–निर्देशों और आरईसी खरीद दिशा–निर्देशों के अनुसार ई–रिवर्स नीलामी का पालन करती है। वस्तुओं और सेवाओं की खरीद सरकारी ई–बाजार (जीईएम) पोर्टल से भी की जाती है। मौजूदा बिल ट्रेकिंग प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया है और उसे ईआरपी प्रणाली से एकीकृत किया गया है ताकि विक्रेताओं को भुगतान तथा बिलों के मूवमेंट और समय पर प्रोसेसिंग का पता लगाया जा सके।

9. **भारत सरकार की पहल को बढ़ावा देना** : आरईसी निगम के भीतर भुगतानों के डिजिटल माध्यमों संबंधी भारत सरकार की आईटी पहलों जैसे माइगॉव, ई–गर्वनेंस, लोक उद्यम विभाग के दिशा.निर्देशों आदि को आसान बनाता है और उसका संवर्धन करता है।

10. **कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं परिकलन सुविधा उपलब्ध कराना** : कर्मचारी की आबादी और कंप्यूटर का अनुपात 100 प्रतिशत है। आईटी प्रभाग निगम के कर्मचारियों के कंप्यूटर कौशल का उन्नयन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है और देता भी है।

ख) वर्ष की शेष अवधि दौरान अर्थात् 31 मार्च, 2020 तक प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यः

1. **एसआईईएम (सुरक्षा आपतन एवं कार्यक्रम प्रबंधन) तथा (एसओसी) सुरक्षा प्रचालन केंद्र** : सूचना सुरक्षा केंद्र (आईएससी) की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव नेटवर्क/ सुरक्षा नीतियों को कार्यान्वित करने तथा भारत सरकार के आईएसएमएस/राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने के उद्देश्य से संगठन की सूचना सुरक्षा आवश्यकता को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है।

2. अपेक्षाकृत अधिक ग्रीन पहल और कम कागज के वातावरण के प्रति, केंद्रीकृत मुद्रण समाधान का कार्यान्वयन निगम में शुरू किया गया है।

नीपको

इस अवधि के दौरान, प्रमुख कार्यों में से एक निगम की मुख्य गतिविधियों और कार्यों को स्वचालित रूप से क्रियान्वित करने के लिए ईआरपी कार्यान्वयन कार्य में अच्छी प्रगति हुई है। ईआरपी कार्यान्वयन प्रक्रिया का पहला चरण, एएस–आईएस अध्ययन पूरा होने के अपने अंतिम चरण में है। यह उम्मीद की जा रही है कि टू–बी प्रोसेस को अंतिम रूप देने संबंधी अगले चरण का ईआरपी कार्यान्वयन कार्य और ईआरपी प्रक्रिया के लिए बिजनेस ब्लू प्रिंट की तैयारी जल्द ही शुरू हो जाएगी और इसे मार्च – अप्रैल 2020 तक पूरा होने की उम्मीद है।

एक निरंतर प्रक्रिया के तहत कॉर्पोरेट नेटवर्क तथा सूचना को संभावित और भेद्यतापूर्ण खतरों से सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कॉर्पोरेट फ़ायरवॉल को मजबूत इंड पॉइंट सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के साथ अगले जनरेशन के उपलब्धता उच्च फ़ायरवॉल में अन्नयन करने का एक और कार्य इस अवधि में पूरा किया गया।

आईपी टेलीफोनी के माध्यम से निगम के सभी दूरस्थ परियोजनाओं, साइटों और कार्यालयों में जहां लिंक उपलब्ध नहीं है, संचार में सुधार के लिए मौजूदा एमपीएलएस (मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग) लिंक का उपयोग करने के लिए वीएसएटी संचार और मोबाइल संचार के विकल्प के रूप में लिंक किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 22 नवंबर, 2019 को कॉरपोरेट वेबसाइट को मानक स्तर 1 के लिए एसटीक्यूसी वेबसाइट गुणवत्ता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है ।

इस अवधि के दौरान आईटी के गतिशील कार्य जैसे कि प्रचलित आईसीटी बुनियादी ढांचे में सुधार, संरचित लैन का विस्तार, सभी कर्मचारियों की उपस्थिति की एकरूपता के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क्स को आगे बढ़ाना, इन्वेंटरी आदि में प्रगति लाई गई है।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि इस अवधि के दौरान भारत सरकार की डिजिटल पहल के अनुरूपम आईटी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ मानक पद्धति को अपनाते हुए अपेक्षा अनुसार कार्य को ढालना और नीतियों का पुनरीक्षण, सर्वर कक्ष समेकन आदि जैसे आईटी के अनेक गतिविधियाँ और क्रियाकलापों को अपनाया गया।

संगठन के बेहतर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आईटी विभाग अपनी सेवाओं और तकनीकी कौशल में निरंतर सुधार और उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है।

एसजेवीएनएल

1) ईआरपी

पे–रोल तथा कर्मचारी स्वयं सेवा (ईएसएस) सामग्री प्रबंधन, प्रापण तथा अनुबंध प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, वाणिज्यिक एवं बिलिंग आदि सहित वित्त एवं लेखा, संयंत्र प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन एसएपी ईआरपी लैंडस्केप के मुख्य व्यावसायिक कार्यों को कवर करते हुए एसजेवीएन में एसएपी एस/4 एचएएनए ईआरपी को लागू किया गया है।

2) एसजेवीएन में लीवरेज टेक्नोलॉजी के लिए प्रयुक्त अन्य सॉफ्टवेयर्सः

- ऑन लाईन भर्ती प्रणाली
- निष्पादन प्रबंधन प्रणाली
- विभिन्न एसजेवीएन परियोजनाओं की मॉनिटरिंग एवं परियोजना प्रगति के अद्यतीकरण के लिए मोबाईल एप
- ऑन लाईन विजिलेंस क्लीयरेंस सिस्टम
- अनुबंधित श्रम सूचना पोर्टल
- उत्पादन आंकड़ों तथा सतलुज रिवर डिस्चार्ज आकंड़ो हेतु मोबाइल एप
- ई प्रापण प्रणाली (सेवाएं मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजीज के माध्यम से प्राप्त)
- ऑटो डेस्क उत्पाद, बेंटले एसटीएएडी प्रो
- एमआईकेई 11, मल्टीग्राउंड्ज सॉफ्टवेयर पैकेज, एएनएसवाईएस, प्राईमावेरा, लिब सिस, बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली आदि

टीएचडीसी

1.0 एफएमएस एप्लीकेशन में जीएसटी मॉड्यूल का विकास एवं कार्यान्वयन :

एफएमएस एप्लीकेशन में संशोधन किया गया है और अपेक्षानुसार जीएसटी मॉड्यूल को विकसित एवं कार्यान्वित किया गया है। बजटीय नियंत्रण मॉड्यूल विकसित किया गया है एवं समाविष्ट कर लिया गया है।

2.0 एचआरएमएस :

2.1 अवकाश का मॉड्यूल :

टीएचडीसीआईएल के एचआरएमएस के मौजूदा एप्लीकेशन में सभी प्रकार के अवकाशों को शामिल करने वाला अवकाश मॉड्यूल विकसित और कार्यान्वित किया गया है। अब अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहा हैं और मैनुअल प्रणाली बंद कर दी गई है। एफएमएस एप्लीकेशन के साथ अवकाश मॉड्यूल एकीकृत किया गया है।

2.2 ऑनलाइन पीएमआर का कार्यान्वयन :

कार्यपालकों (ई 2–ई 7) के लिए ऑनलाइन पीएमआर मॉड्यूल कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 2018–19 के लिए पीएमआर का संपूर्ण चक्र भी (पीएमआर जमा करने से लेकर, मध्यावधि समीक्षा तक एवं मध्यावधि समीक्षा से स्वीकृति एवं प्रकटन तक) पीएमआर मॉड्यूल के माध्यम से निष्पादित किया गया है।

2.3 ई 8–ई 9 के लिए पीएमआर को विकसित करना :

ई 8–ई 9 के लिए ऑनलाइन पीएमआर मॉड्यूल विकसित कर दिया गया है और 2017–18 के लिए वर्ष 2018 में कार्यान्वित किया गया है।

3.0 वेबसाइट को विकसित करना :

नई वेबसाइट को नई विशेषताओं के साथ विकसित किया गया है। इसे एनआईसी क्लाउड इन्वायरमेंट पर सीईआरटी–इन इम्पैनल्ड एजेंसी द्वारा सुरक्षा लेखापरीक्षा मंजूरी के बाद नियोजित किया गया है एवं http://thdc.co.in पर उपलब्ध है। वेबसाईट की विषय वस्तु नियमित रूप से अद्यतन की जाती है।

4.0 गेट पास के लिए साफ्टवेयर का विकास :

टिहरी बांध एवं विद्युत गृह के दौरे के लिए आगंतुकों के गेट पास हेतु वेब आधारित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन विकसित किया जा चुका है एवं उपभोक्ताओं के सुझावों/सुधारों को शामिल करने के बाद कार्य में लाया जा रहा है।

5.0 साइबर सुरक्षा

5.1 संकट प्रबंधन योजनाः

साइबर अटैक और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए टीएचडीसीआईएल की साइबर संकट प्रबंधन योजना को तैयार किया गया है। यह साइबर घटना की प्रतिक्रिया के लिए फ्रेमवर्क का निरुपण करता है और टीएचडीसीआईएल तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।

5.2 साइबर सुरक्षा जागरूकताः

ऋषिकेश एवं टिहरी में एनसीआईआईपीसी (राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना सुरक्षा केन्द्र) द्वारा माह सितंबर, 19 में साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया।

5.3 विद्युत संयंत्र का भ्रमण

एनसीआईआईपीसी की टीम पदाधिकारियों ने साइबर सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की पहचान हेतु टिहरी एवं कोटेश्वर विद्युत संयंत्र का दौरा किया।

5.4 सुरक्षा लेखा परीक्षा :

एचआरएमएस, एफएमएस, तिमाही सतर्कता मंजूरी और घटना रिपोर्ट प्रणाली की सुरक्षा लेखापरीक्षा सीईआरटी–सूचीबद्ध संगठन द्वारा किया जा चुकी है। टिहरी एवं कोटेश्वर संयंत्र का साईबर सुरक्षा ऑडिट पूर्ण हो गया है।

5.5 डेस्कटॉप की खरीदः

कोटेश्वर, पीपलकोटी एवं ऋषिकेश के लिए नवीनतम विन्यास सहित 190 डेस्कटॉप खरीदे गए एवं माह अगस्त, 2019 में संस्थापित भी कर दिए गए हैं।

5.6 **एचआरएमएस एप्लिकेशन में** एग्जिट प्रक्रिया विधि एवं प्रतिभा प्रबंधन के लिए ऑन लाईन माड्यूल विकसित किए गए है। दोनों माड्यूल का विकास करना 2018–19 के लिए एमओयू लक्ष्य में शामिल है।

5.7 **ऑनलाईन वार्षिक संपत्ति रिटर्न मॉड्यूल** : एचआरएमएस एप्लिकेशन में विकसित किया गया है और वर्ष 2018 के लिए वार्षिक संपत्ति रिटर्न जमा करने हेतु उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2018 के लिए वार्षिक संपत्ति रिटर्न इस माड्यूल के द्वारा भरा गया है।

ई–ऑफिसः टीएचडीसीआईएल व्यक्तिगत / विभागीय पत्रों, टिप्पणियों और फाइलों के निस्तारण में दक्षता, स्थिरता और प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए उत्तरोत्तर रूप से कागज रहित कार्यशैली की ओर बढ़ रहा है। एनआईसी द्वारा विकसित की गई ई–ऑफिस प्रक्रिया को एप्लिकेशन और

डेटाबेस ई–साइन के साथ होस्ट करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के उपरांत, माह नवंबर, 2019 में पूरे संगठन में कार्यान्वित कर दिया गया है।

ऑन लाईन ड्राईंग एवं डोक्यूमेंट प्रबंधन प्रणाली

टीएचडीसीआईएल दस्तावेजों एवं ड्राइग प्रबंधन प्रणाली को स्टोर, व्यवस्थित एवं दस्तावेज की शीघ्र पुनः प्राप्ति, दस्तावेज की स्थिरता, अनाधिकृत पहुंच एवं उपयोग से दस्तावेज की सुरक्षा, पेपर की कटौती, जगह, डुपलिकेट रिकार्ड हेतु जगह में कमी एवं ज्ञान प्रबंधन करने में सहायता के लिए के समाधान तलाश रही है। दस्तावेजों का किस प्रकार रखरखाब किया जाए, के लिए स्थिर व्यवसाय प्रक्रियाएं (कार्य प्रवाह) विकसित की जाएंगी। कार्यप्रवाह दस्तावेज एवं ड्राईग का, व्यापार प्रक्रिया से संबंधित कार्रवाई या कामों के क्रमबद्ध स्वतःसंचालन के रूप में परिभाषित किया गया है।

दस्तावेज, जिनमें विभागीय दस्तावेज, परियोजना प्रलेखन एवं अभियांत्रिकी ड्राईंग सम्मिलित हैं। ड्राईंग प्रलेखन में सभी प्रकार की निर्माणाधीन एवं प्रचालनाधीन परियोजना की ड्राईंग सम्मिलित हैं। कमीशन की हुई/प्रचालित परियोजनाओं की ड्राईंग भी, मेटा डाटा के साथ बियुल्ट ड्राईंग के रूप में सम्मिलित होंगी। सामान्यतया ड्राईंग पीडीएफ/डीडब्ल्यूजी प्रारूप में हैं। पुरानी ड्राईंग्स को ड्राईंग संग्रह में अपलोड करने हेतु पीडीएफ प्रारूप में डिजिटाईज्ड /स्कैन किया जाएगा। सभी दस्तावेजों की ''केवल अनुमोदित ड्राईंग'' उपलब्ध होंगी जिन्हें कार्यान्वित एजेंसी को उपलब्ध कराया जाएगा। कार्य अॅवार्ड किया जा चुका है तथा प्रगति पर है।

बीबीएमबी

- पिछले 10.00 लाख रुपये मुल्य की तुलना में बीबीएमबी के सभी कार्यालयों द्वारा 2.00 लाख रुपये से अधिक थ्रेसहोलड मूल्य की निविदांए ई– प्रक्योरमैंट/टेंडरिंग प्रणाली से आंमत्रित किये जाते हैं।
- सभी नीलामियों के लिए ई–रिवर्स आयोजित करने की सीमा मूल्य 1.00 करोड़ रुपये से घटाकर कर 30 लाख रुपयेकर दी गई है।
- पौधारोपण अभियान हेतु एमआईएस के लिए सॉफ्टवेयर विकसित तथा कार्यान्वित किया गया । मानसून–2019 के दौरान बीबीएमबी द्वारा प्रत्येक परियोजना स्थल के परिधि क्षेत्र में पौधारोपण अभियान चलाकर लगभग 6 लाख पौधों को लगाया गया।
- बीबीएमबी के सभी मण्डलों में (भारत के किसी भी न्यायालय में स्थापित) न्यायमिक मामलो के लिए वेब आधारित एमआईएस के लिए सॉफ्टवेयर विकसित और कार्यान्वित किया गया।
- बीबीएमबी में ईआरपी प्रणाली की शुरूआत और कार्यान्वयन के बारे में एक अध्ययन किया गया और सिफारिशें विचाराधीन हैं।
- बीबीएमबी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन आग्रिम आवेदन हेतु एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है तथा यह परीक्षण/कार्यान्वयन अधीन है।
- पैंशन मॉनिटरिंग/ दस्तावेज ट्रैकिंग प्रणाली को विकसित किया गया और बीबीएमबी के सभी कार्यालयों में लागू किया।
- जेम पोर्टल सक्षम और उपयोगकर्ता के खातों से खरीद, कंसाइन्स और पेइंग अथॉरिटी अकाउँटस को जेमपोर्टल पर बनाया गया है।
- बीबीएमबी के विभिन्न कार्यालयों में उप मुख्य लेखा अधिकारी के स्तर पर वेतन प्रक्रिया का केंद्रीयकरण जैसे डेटा अपडेशन, वेतन लेजर का बनाना, वेतन पर्ची, बैंक स्टेटमेंट और अन्य शेड्यूल।
- बोर्ड कार्यालय में ई–ऑफिस का कार्यान्वयन पहले ही पूरा हो गया था उसी को निदेशक/अधीक्षण अभियंता के स्तर तक सफलतापूर्वक लागू किया गया।
- नंगल तथा सुंदरनगर में अधिक परियोजना स्थानों पर'आगंतुक पास प्रबंधन' सॉफ्टवेयरलागू किया गया है।
- बीबीएमबी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सैमीनारों, प्रशीक्षणों में भाग लेने पर उनसे संबंधित साहित्य ई–पुस्तकालय के केन्द्रीय भण्डार बीबीएमबी इंट्रानेट पर उपलब्ध है।
- बीबीएमबी वेबसाइट को एसटीक्युसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मानक परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।
- बीबीएमबी लोकल एरिया नैटवर्क/वाइड एरिया नैटवर्क आईटी सुरक्षा ऑडिट और भेद्यता परीक्षण सीईआरटी–आईएन एम्पैनेल्ड ऑडिटर और सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) की नीतियों और प्रक्रियाओं से किया गया है जोकि आईटी संपतिओं की सूरक्षा के लिए लागू की जाती है। भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के डेस्कटॉप कंप्यूटर नवीनतम हैं, जिन पर विंडोज 7 प्रोफेशनल,विंडोज 8 प्रोफेशनल, विंडोज 10 प्रोफेशनल ओएसके साथ चल रहे है।
- प्रमुख बिजली घरों, ओईएम सर्कलों, विद्युत घरों सर्कलों परियोजना उप मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय को वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जोड़ने के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।
- बीबीएमबी लोकल एरिया नैटवर्क/वाइड एरिया नैटवर्क प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए एक व्यापक अध्ययन एनआईसीएसआई इम्पैनल्ड फर्म के माध्यम से किया जा रहा है। आईटी बुनियादी ढांचे जैसे राउटर, स्विचेज आदि के अपग्रेड 7 को बाद में किया जायेगा।

सीपीआरआई

- सीपीआरआई ने अवकाश प्रबंधन प्रणाली एवं यात्रा प्रबंधन प्रणाली के लिए ई–ऑफिस को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है।
- सीपीआरआई फेसबुक, ट्विटर जैसे सामाजिक मीडिया में सक्रिय है।
- वितरण परिणामित्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षण बुकिंग सुविधा लागू की गई है।
- भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किया गया है।

एनपीटीआई

एनपीटीआई ने ई–गवर्नेंस के लिए विभिन्न गतिविधियां आरंभ की हैं। एनपीटीआई निगमित कार्यालय एवं संबंधित संस्थानों के कंप्यूटराइजेशन तथा नेटवर्किंग का विकास किया जा रहा है।

स्टेट–ऑफ दि आर्ट तथा मोबाइल एप्लीकेशन्स को भी विकसित किया गया है। ई–गवर्नेंस गतिविधियों के अंतर्गत ई–ऑफिस, ई–खरीद, ई–मेल सेवाएं एनआईसी से ली जा रही हैं। आरटीआई आवेदनों के निपटान के लिए आरटीआई–एमआईएस साईट का प्रयोग किया जा रहा है। शिकायतों के निपटान के लिए सीपीजीआरएएम पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ अच्छा समन्वय बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया गतिविधियों (ट्वीटर तथा फेसबुक) का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, दो (2) नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

क्षेत्र–वार संस्थापित क्षमता

मुख्य समूह एवं द्वीपसमूहों के क्षेत्रों में विद्युत स्टेशनों की अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता (मेगावाट में) (31.12.2019 की स्थिति के अनुसार) (यूटिलिटियां)

क्षेत्र	स्वामित्व / क्षेत्र	मोड–वार ब्यौरा								कुल जोड़
		थर्मल					न्यूक्लियर	हाइड्रो	आरईएस* (एमएनआरई)	
		कोयला	लिग्नाइट	गैस	डीजल	कुल				
उत्तरी क्षेत्र	राज्य	16209.00	250.00	2879.20	0.00	19338.20	0.00	5777.25	701.01	25816.46
	निजी	21680.83	1080.00	558.00	0.00	23318.83	0.00	2514.00	15423.19	41256.02
	केंद्रीय	14354.96	250.00	2344.06	0.00	16949.02	1620.00	11416.52	379.00	30364.54
	उप–जोड़	**52244.79**	**1580.00**	**5781.26**	**0.00**	**59606.05**	**1620.00**	**19707.77**	**16503.20**	**97437.02**
पश्चिमी क्षेत्र	राज्य	22160.00	1040.00	2849.82	0.00	26049.82	0.00	5446.50	548.94	32045.26
	निजी	34230.67	500.00	4676.00	0.00	39406.67	0.00	481.00	24157.94	64045.61
	केंद्रीय	17687.95	0.00	3280.67	0.00	20968.62	1840.00	1620.00	666.30	25094.92
	उप–जोड़	**74078.62**	**1540.00**	**10806.49**	**0.00**	**86425.11**	**1840.00**	**7547.50**	**25373.18**	**121185.79**
दक्षिणी क्षेत्र	राज्य	19932.50	0.00	791.98	159.96	20884.44	0.00	11774.83	586.88	33246.15
	निजी	11874.50	250.00	5322.10	273.70	17720.30	0.00	0.00	41031.75	58752.05
	केंद्रीय	11835.02	3390.00	359.58	0.00	15584.60	3320.00	0.00	541.90	19446.50
	उप–जोड़	**43642.02**	**3640.00**	**6473.66**	**433.66**	**54189.35**	**3320.00**	**11774.83**	**42160.53**	**111444.71**
पूर्वी क्षेत्र	राज्य	7560.00	0.00	100.00	0.00	7660.00	0.00	3537.92	275.11	11473.03
	निजी	6387.00	0.00	0.00	0.00	6387.00	0.00	399.00	1204.59	7990.59
	केंद्रीय	13787.05	0.00	0.00	0.00	13787.05	0.00	1005.20	10.00	14802.25
	उप–जोड़	**27734.05**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**27834.05**	**0.00**	**4942.12**	**1489.70**	**34265.86**
पूर्वीत्तर क्षेत्र	राज्य	0.00	0.00	497.71	36.00	533.71	0.00	422.00	233.25	1188.95
	निजी	0.00	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	100.37	124.87
	केंद्रीय	795.02	0.00	1253.60	0.00	2048.62	0.00	1005.00	30.00	3083.62
	उप–जोड़	**795.02**	**0.00**	**1775.81**	**36.00**	**2606.83**	**0.00**	**1427.00**	**363.62**	**4397.44**
द्वीपसमूह	राज्य	0.00	0.00	0.00	40.05	40.05	0.00	0.00	5.25	45.30
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84	7.84
	केंद्रीय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	5.10
	उप–जोड़	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40.05**	**40.05**	**0.00**	**0.00**	**18.19**	**58.24**
अखिल भारत	राज्य	65861.50	1290.00	7118.71	236.01	74506.21	0.00	26958.50	2350.43	103815.14
	निजी	74173.00	1830.00	10580.60	273.70	86857.30	0.00	3394.00	81925.68	172176.98
	केंद्रीय	58460.00	3640.00	7237.91	0.00	69337.91	6780.00	15046.72	1632.30	92796.93
	कुल	**198494.50**	**6760.00**	**24937.22**	**509.71**	**230701.42**	**6780.00**	**45399.22**	**85908.41**	**368789.05**

शून्य करने के कारण दशमलव के आंकड़ों का मिलान नहीं हो सकता है।

संक्षेपण:–एसएचपी=लघु जल विद्युतत (≤ 25 मेगावाट), बीपी=बायोमास पावर, यूएंडआई=शहरी एवं औद्योगिक कचरा विद्युत, आरईएस=नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत।

टिप्पणी :– 1. आरईएस में एसएचपी, बीपी, यूएंडआई, सौर एवं पवन ऊर्जा शामिल हैं। 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, आरईएस (एमएनआरई) के संबंध में संस्थापित क्षमता (एमएनआरई के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार)

***31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, अखिल भारतीय आरईएस का विवरण नीचे दिया गया है (मेगावाट में):**

लघु जल विद्युत	पवन ऊर्जा	बायो–विद्युत		सौर विद्युत	कुल क्षमता
		बीएम विद्युत / कोजेन.	कचरा ऊर्जा		
4671.56	37505.18	9861.31	139.80	33730.56	85908.41

क.	**दिसम्बर, 2019 के दौरान जोड़ी गई क्षमता**		**1300 मेगावाट**
	1. नेवेली टीपीपी की यूनिट–1 (500 मेगावाट) चालू की गई है और इसे दक्षिण क्षेत्र राज्यों के केंद्रीय क्षेत्र में उनके आबंटन के अनुसार जोड़ा गया है।		
	2. दारलीपली टीपीपी की यूनिट–1 (800 मेगावाट) चालू की गई है और इसे पूर्वी क्षेत्र राज्यों के केंद्रीय क्षेत्र में उनके आबंटन के अनुसार जोड़ा गया है।		
ख.	**दिसम्बर, 2019 के दौरान बंद की गई क्षमता**		**0 मेगावाट**
ग.	**दिसम्बर, 2019 के दौरान परंपरागत स्रोतों से आरईएस में परिवर्तन के कारण हटाई गई क्षमता**		**0 मेगावाट**
घ.	**दिसम्बर, 2019 के दौरान जोड़ी गई निवल क्षमता**	**क–ख–ग**	**1300 मेगावाट**

*आरईएस क्षमता का दर्शाया गया क्षेत्र–वार ब्यौरा अनंतिम है।
केंद्रीय क्षेत्र स्टेशनों से आबंटन को 30.11.2019 तक अद्यतन कर दिया गया है।
नबी नगर टीपीपी (750 मेगावाट) से रेलवे का हिस्सा (675 मेगावाट) को बिहार के केंद्रीय क्षेत्र में शामिल किया गया है।

उत्तरी क्षेत्र में स्थित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत यूटिलिटियों की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

संयुक्त एवं केंद्रीय क्षेत्र यूटिलिटियों में आबंटित शेयरों सहित

(31.12.2019 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	स्वामित्व / क्षेत्र	मोड–वार ब्यौरा								कुल जोड़
		थर्मल					न्यूक्लियर	हाइड्रो	आरईएस* (एमएनआरई)	
		कोयला	लिग्नाइट	गैस	डीजल	कुल				
दिल्ली	राज्य	0.00	0.00	1800.40	0.00	1800.40	0.00	0.00	0.00	1800.40
	निजी	869.22	0.00	108.00	0.00	977.22	0.00	0.00	208.12	1185.34
	केंद्रीय	3528.13	0.00	207.01	0.00	3735.14	102.83	723.09	0.00	4561.07
	उप–जोड़	**4397.35**	**0.00**	**2115.41**	**0.00**	**6512.76**	**102.83**	**723.09**	**208.12**	**7546.81**
हरियाणा	राज्य	2720.00	0.00	150.00	0.00	2870.00	0.00	200.00	69.30	3139.30
	निजी	4080.78	0.00	0.00	0.00	4080.78	0.00	200.00	454.13	4734.91
	केंद्रीय	1588.79	0.00	535.61	0.00	2124.40	100.94	1566.52	5.00	3796.86
	उप–जोड़	**8389.57**	**0.00**	**685.61**	**0.00**	**9075.18**	**100.94**	**1966.52**	**528.43**	**11671.07**
हिमाचल प्रदेश	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.60	256.61	951.21
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00	689.67	1681.67
	केंद्रीय	151.69	0.00	62.01	0.00	213.70	28.95	1223.88	0.00	1466.53
	उप–जोड़	**151.69**	**0.00**	**62.01**	**0.00**	**213.70**	**28.95**	**2910.48**	**946.28**	**4099.41**
जम्मू व कश्मीर	राज्य	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	1230.00	130.48	1535.48
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.30	69.30
	केंद्रीय	523.42	0.00	129.07	0.00	652.49	67.98	1091.88	0.00	1812.35
	उप–जोड़	**523.42**	**0.00**	**304.07**	**0.00**	**827.49**	**67.98**	**2321.88**	**199.78**	**3417.13**
पंजाब	राज्य	1760.00	0.00	150.00	0.00	1910.00	0.00	1243.40	127.80	3281.20
	निजी	5115.50	0.00	0.00	0.00	5115.50	0.00	288.00	1320.70	6724.20
	केंद्रीय	1451.97	0.00	264.01	0.00	1715.98	196.81	2277.72	0.00	4190.52
	उप–जोड़	**8327.47**	**0.00**	**414.01**	**0.00**	**8741.48**	**196.81**	**3809.12**	**1448.50**	**14195.92**

राज्य	स्वामित्व / क्षेत्र	मोड–वार ब्यौरा								कुल जोड़
		थर्मल					न्यूक्लियर	हाइड्रो	आरईएस* (एमएनआरई)	
		कोयला	लिग्नाइट	गैस	डीजल	कुल				
राजस्थान	राज्य	6260.00	250.00	603.80	0.00	7113.80	0.00	433.00	23.85	7570.65
	निजी	2802.00	1080.00	0.00	0.00	3882.00	0.00	104.00	8921.23	12907.23
	केंद्रीय	985.57	250.00	221.10	0.00	1456.67	556.74	1402.19	344.00	3759.60
	उप–जोड़	**0047.57**	**1580.00**	**824.90**	**0.00**	**12452.47**	**556.74**	**1939.19**	**9289.08**	**24237.48**
उत्तर प्रदेश	राज्य	5469.00	0.00	0.00	0.00	5469.00	0.00	724.10	25.10	6218.20
	निजी	8714.33	0.00	0.00	0.00	8714.33	0.00	842.00	3130.61	12686.94
	केंद्रीय	4406.96	0.00	549.49	0.00	4956.45	289.48	1802.53	30.00	7078.46
	उप–जोड़	**18590.29**	**0.00**	**549.49**	**0.00**	**19139.78**	**289.48**	**3368.63**	**3185.71**	**25983.60**
उत्तराखंड	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1252.15	67.87	1320.02
	निजी	99.00	0.00	450.00	0.00	549.00	0.00	88.00	592.44	1229.44
	केंद्रीय	362.17	0.00	69.66	0.00	431.83	31.24	475.54	0.00	938.61
	उप–जोड़	**461.17**	**0.00**	**519.66**	**0.00**	**980.83**	**31.24**	**1815.69**	**660.31**	**3488.07**
चंडीगढ़	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.99	36.99
	केंद्रीय	40.74	0.00	15.03	0.00	55.76	8.01	101.71	0.00	165.48
	उप–जोड़	**40.74**	**0.00**	**15.03**	**0.00**	**55.76**	**8.01**	**101.71**	**36.99**	**202.47**
केंद्रीय–अनाबंटित		1315.53	0.00	291.05	0.00	1606.58	237.03	751.45	0.00	2595.07
कुल (उत्तरी क्षेत्र)	राज्य	16209.00	250.00	2879.20	0.00	19338.20	0.00	5777.25	701.01	25816.46
	निजी	21680.83	1080.00	558.00	0.00	23318.83	0.00	2514.00	15423.19	41256.02
	केंद्रीय	14354.96	250.00	2344.06	0.00	16949.02	1620.00	11416.52	379.00	30364.54
	कुल जोड़	**52244.79**	**1580.00**	**5781.26**	**0.00**	**59606.05**	**1620.00**	**19707.77**	**16503.20**	**97437.02**

पश्चिमी क्षेत्र में स्थित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत यूटिलिटियों की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

संयुक्त एवं केंद्रीय क्षेत्र यूटिलिटियों में आबंटित शेयरों सहित

(31.12.2019 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	स्वामित्व / क्षेत्र	मोड–वार ब्यौरा								कुल जोड़
		थर्मल					न्यूक्लियर	हाइड्रो	आरईएस* (एमएनआरई)	
		कोयला	लिग्नाइट	गैस	डीजल	कुल				
गोवा	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
	निजी	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	4.78	52.78
	केंद्रीय	475.46	0.00	19.67	0.00	495.13	26.00	0.00	0.00	521.13
	उप–जोड़	**475.46**	**0.00**	**67.67**	**0.00**	**543.13**	**26.00**	**0.00**	**4.83**	**573.96**
दमन व दीव	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.56	16.56
	केंद्रीय	147.48	0.00	43.34	0.00	190.82	7.00	0.00	0.00	197.82
	उप–जोड़	**147.48**	**0.00**	**43.34**	**0.00**	**190.82**	**7.00**	**0.00**	**16.56**	**214.38**
गुजरात	राज्य	4510.00	1040.00	2177.82	0.00	7727.82	0.00	772.00	65.75	8565.57
	निजी	7205.67	500.00	3960.00	0.00	11665.67	0.00	0.00	9953.37	21619.04
	केंद्रीय	3365.19	0.00	424.00	0.00	3789.19	559.00	0.00	243.30	4591.49
	उप–जोड़	**15080.86**	**1540.00**	**6561.82**	**0.00**	**23182.68**	**559.00**	**772.00**	**10262.42**	**34776.10**
मध्य प्रदेश	राज्य	5400.00	0.00	0.00	0.00	5400.00	0.00	1703.66	83.96	7187.62
	निजी	6219.00	0.00	100.00	0.00	6319.00	0.00	0.00	4590.08	10909.08
	केंद्रीय	4172.38	0.00	257.00	0.00	4429.38	273.00	1520.00	300.00	6522.38
	उप–जोड़	**15791.38**	**0.00**	**357.00**	**0.00**	**16148.38**	**273.00**	**3223.66**	**4974.04**	**24619.08**
छत्तीसगढ़	राज्य	2080.00	0.00	0.00	0.00	2080.00	0.00	120.00	11.05	2211.05
	निजी	8850.00	0.00	0.00	0.00	8850.00	0.00	0.00	526.80	9376.80
	केंद्रीय	2198.65	0.00	0.00	0.00	2198.65	48.00	100.00	0.00	2346.65
	उप–जोड़	**13128.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13128.65**	**48.00**	**220.00**	**537.85**	**13934.50**

महाराष्ट्र	राज्य	10170.00	0.00	672.00	0.00	10842.00	0.00	2850.84	388.13	14080.97
	निजी	11956.00	0.00	568.00	0.00	12524.00	0.00	481.00	9060.89	22065.89
	केंद्रीय	4692.81	0.00	2272.73	0.00	6965.54	690.00	0.00	123.00	7778.54
	उप–जोड़	**26818.81**	**0.00**	**3512.73**	**0.00**	**30331.54**	**690.00**	**3331.84**	**9572.02**	**43925.39**
दादर व नागर हवेली	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46	5.46
	केंद्रीय	203.98	0.00	66.34	0.00	270.32	9.00	0.00	0.00	279.32
	उप–जोड़	**203.98**	**0.00**	**66.34**	**0.00**	**270.32**	**9.00**	**0.00**	**5.46**	**284.78**
केंद्रीय–अनाबंटित		2432.00	0.00	197.59	0.00	2629.59	228.00	0.00	0.00	2857.59
कुल (पश्चिमी क्षेत्र)	राज्य	22160.00	1040.00	2849.82	0.00	26049.82	0.00	5446.50	548.94	32045.26
	निजी	34230.67	500.00	4676.00	0.00	39406.67	0.00	481.00	24157.94	64045.61
	केंद्रीय	17687.95	0.00	3280.67	0.00	20968.62	1840.00	1620.00	666.30	25094.92
	कुल जोड़	**74078.62**	**1540.00**	**10806.49**	**0.00**	**86425.11**	**1840.00**	**7547.50**	**25373.18**	**121185.79**

दक्षिणी क्षेत्र में स्थित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत यूटिलिटियों की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

संयुक्त एवं केंद्रीय क्षेत्र यूटिलिटियों में आबंटित शेयरों सहित

(31.12.2019 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	स्वामित्व / क्षेत्र	मोड–वार ब्यौरा								कुल जोड़
		थर्मल					न्यूक्लियर	हाइड्रो	आरईएस* (एमएनआरई)	
		कोयला	लिग्नाइट	गैस	डीजल	कुल				
आंध्र प्रदेश	राज्य	5010.00	0.00	235.40	0.00	5245.40	0.00	1673.60	56.18	6975.18
	निजी	3873.88	0.00	3813.18	36.80	7723.86	0.00	0.00	8007.74	15731.60
	केंद्रीय	1546.83	184.62	0.00	0.00	1731.44	127.27	0.00	250.00	2108.71
	उप–जोड़	**10430.71**	**184.62**	**4048.58**	**36.80**	**14700.70**	**127.27**	**1673.60**	**8313.92**	**24815.49**
तेलांगाना	राज्य	5582.50	0.00	0.00	0.00	5582.50	0.00	2479.93	41.22	8103.65
	निजी	839.45	0.00	831.82	0.00	1671.27	0.00	0.00	3966.10	5637.37
	केंद्रीय	1806.85	149.27	0.00	0.00	1956.12	148.73	0.00	10.00	2114.85
	उप–जोड़	**8228.80**	**149.27**	**831.82**	**0.00**	**9209.89**	**148.73**	**2479.93**	**4017.32**	**15855.87**
कर्नाटका	राज्य	5020.00	0.00	0.00	0.00	5020.00	0.00	3586.60	193.89	8800.49
	निजी	1958.50	0.00	0.00	25.20	1983.70	0.00	0.00	14997.98	16981.68
	केंद्रीय	2877.80	436.67	0.00	0.00	3314.47	698.00	0.00	0.00	4012.47
	उप–जोड़	**9856.30**	**436.67**	**0.00**	**25.20**	**10318.17**	**698.00**	**3586.60**	**15191.86**	**29794.63**
केरल	राज्य	0.00	0.00	0.00	159.96	159.96	0.00	1856.50	172.90	2189.36
	निजी	615.00	0.00	174.00	0.00	789.00	0.00	0.00	204.09	993.09
	केंद्रीय	1011.42	297.99	359.58	0.00	1668.99	362.00	0.00	50.00	2080.99
	उप–जोड़	**1626.42**	**297.99**	**533.58**	**159.96**	**2617.95**	**362.00**	**1856.50**	**426.99**	**5263.44**
तमिलनाडु	राज्य	4320.00	0.00	524.08	0.00	4844.08	0.00	2178.20	122.70	7144.98
	निजी	4587.67	250.00	503.10	211.70	5552.47	0.00	0.00	13850.33	19402.80
	केंद्रीय	3025.32	1690.74	0.00	0.00	4716.06	1448.00	0.00	231.90	6395.96
	उप–जोड़	**11932.99**	**1940.74**	**1027.18**	**211.70**	**15112.61**	**1448.00**	**2178.20**	**14204.93**	**32943.74**

एनएलसी	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केंद्रीय	0.00	133.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00
	उप–जोड़	**0.00**	**133.00**	**0.00**	**0.00**	**133.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**133.00**
पुडुचेरी	राज्य	0.00	0.00	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	32.50
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	5.51
	केंद्रीय	140.80	109.72	0.00	0.00	250.52	86.00	0.00	0.00	336.52
	उप–जोड़	**140.80**	**109.72**	**32.50**	**0.00**	**283.02**	**86.00**	**0.00**	**5.51**	**374.53**
केंद्रीय–अनाबंटित		1426.00	388.00	0.00	0.00	1814.00	450.00	0.00	0.00	2264.00
कुल (दक्षिणी क्षेत्र)	राज्य	19932.50	0.00	791.98	159.96	20884.44	0.00	11774.83	586.88	33246.15
	निजी	11874.50	250.00	5322.10	273.70	17720.30	0.00	0.00	41031.75	58752.05
	केंद्रीय	11835.02	3390.00	359.58	0.00	15584.60	3320.00	0.00	541.90	19446.50
	कुल जोड़	**43642.02**	**3640.00**	**6473.66**	**433.66**	**54189.35**	**3320.00**	**11774.83**	**42160.53**	**111444.71**

पूर्वी क्षेत्र में स्थित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत यूटिलिटियों की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

संयुक्त एवं केंद्रीय क्षेत्र यूटिलिटियों में आबंटित शेयरों सहित

(31.12.2019 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	स्वामित्व / क्षेत्र	मोड–वार ब्यौरा								कुल जोड़
		थर्मल					न्यूक्लियर	हाइड्रो	आरईएस* (एमएनआरई)	
		कोयला	लिग्नाइट	गैस	डीजल	कुल				
बिहार	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70	70.70
	निजी	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00	270.55	551.55
	केंद्रीय	4638.39	0.00	0.00	0.00	4638.39	0.00	110.00	0.00	4748.39
	उप–जोड़	**4919.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4919.39**	**0.00**	**110.00**	**341.25**	**5370.64**
झारखंड	राज्य	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	130.00	4.05	554.05
	निजी	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	42.70	772.70
	केंद्रीय	1276.46	0.00	0.00	0.00	1276.46	0.00	61.00	0.00	1337.46
	उप–जोड़	**2426.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2426.46**	**0.00**	**191.00**	**46.75**	**2664.21**
पश्चिम बंगाल	राज्य	5400.00	0.00	100.00	0.00	5500.00	0.00	986.00	121.95	6607.95
	निजी	2437.00	0.00	0.00	0.00	2437.00	0.00	0.00	405.88	2842.88
	केंद्रीय	1245.62	0.00	0.00	0.00	1245.62	0.00	410.00	0.00	1655.62
	उप–जोड़	**9082.62**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**9182.62**	**0.00**	**1396.00**	**527.83**	**11106.45**
डीवीसी	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केंद्रीय	3435.02	0.00	0.00	0.00	3435.02	0.00	186.20	0.00	3621.21
	उप–जोड़	**3435.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3435.02**	**0.00**	**186.20**	**0.00**	**3621.21**
ओडिशा	राज्य	1740.00	0.00	0.00	0.00	1740.00	0.00	2061.92	26.30	3828.22
	निजी	2939.00	0.00	0.00	0.00	2939.00	0.00	0.00	485.39	3424.39
	केंद्रीय	1867.98	0.00	0.00	0.00	1867.98	0.00	89.00	10.00	1966.98
	उप–जोड़	**6546.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6546.98**	**0.00**	**2150.92**	**521.69**	**9219.59**

सिक्किम	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	52.11	412.11
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.07	399.07
	केंद्रीय	102.25	0.00	0.00	0.00	102.25	0.00	64.00	0.00	166.25
	उप–जोड़	**102.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102.25**	**0.00**	**823.00**	**52.18**	**977.43**
केंद्रीय–अनाबंटित		1221.33	0.00	0.00	0.00	1221.33	0.00	85.01	0.00	1306.34
कुल (पूर्वीक्षेत्र)	राज्य	7560.00	0.00	100.00	0.00	7660.00	0.00	3537.92	275.11	11473.03
	निजी	6387.00	0.00	0.00	0.00	6387.00	0.00	399.00	1204.59	7990.59
	केंद्रीय	13787.05	0.00	0.00	0.00	13787.05	0.00	1005.20	10.00	14802.25
	कुल जोड़	**27734.05**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**27834.05**	**0.00**	**4942.12**	**1489.70**	**34265.86**

पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत यूटिलिटियों की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

संयुक्त एवं केंद्रीय क्षेत्र यूटिलिटियों में आबंटित शेयरों सहित

(31.12.2019 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	स्वामित्व / क्षेत्र	मोड–वार ब्यौरा								कुल जोड़
		थर्मल					न्यूक्लियर	हाइड्रो	आरईएस* (एमएनआरई)	
		कोयला	लिग्नाइट	गैस	डीजल	कुल				
असम	राज्य	0.00	0.00	328.21	0.00	328.21	0.00	100.00	5.01	433.22
	निजी	0.00	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	45.33	69.83
	केंद्रीय	428.50	0.00	435.56	0.00	864.06	0.00	357.08	25.00	1246.14
	उप–जोड़	**428.50**	**0.00**	**788.27**	**0.00**	**1216.77**	**0.00**	**457.08**	**75.34**	**1749.19**
अरुणाचल प्रदेश	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.11	107.11
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.61	29.61
	केंद्रीय	37.05	0.00	46.82	0.00	83.87	0.00	116.55	0.00	200.42
	उप–जोड़	**37.05**	**0.00**	**46.82**	**0.00**	**83.87**	**0.00**	**116.55**	**136.72**	**337.14**
मेघालय	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	32.53	354.53
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92	13.92
	केंद्रीय	50.62	0.00	109.69	0.00	160.31	0.00	72.27	0.00	232.58
	उप–जोड़	**50.62**	**0.00**	**109.69**	**0.00**	**160.31**	**0.00**	**394.27**	**46.45**	**601.03**
त्रिपुरा	राज्य	0.00	0.00	169.50	0.00	169.50	0.00	0.00	16.01	185.51
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41	4.41
	केंद्रीय	56.10	0.00	436.95	0.00	493.05	0.00	68.49	5.00	566.54
	उप–जोड़	**56.10**	**0.00**	**606.45**	**0.00**	**662.55**	**0.00**	**68.49**	**25.42**	**756.46**
मणिपुर	राज्य	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	5.45	41.45
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58	4.58
	केंद्रीय	47.10	0.00	71.57	0.00	118.67	0.00	95.34	0.00	214.01
	उप–जोड़	**47.10**	**0.00**	**71.57**	**36.00**	**154.67**	**0.00**	**95.34**	**10.03**	**260.04**

नागालैंड	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.67	30.67
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	केंद्रीय	32.10	0.00	48.93	0.00	81.03	0.00	57.33	0.00	138.36
	उप–जोड़	**32.10**	**0.00**	**48.93**	**0.00**	**81.03**	**0.00**	**57.33**	**31.67**	**170.03**
मिजोरम	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.47	36.47
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	1.52
	केंद्रीय	31.05	0.00	40.46	0.00	71.51	0.00	97.94	0.00	169.45
	उप–जोड़	**31.05**	**0.00**	**40.46**	**0.00**	**71.51**	**0.00**	**97.94**	**37.99**	**207.44**
केंद्रीय–अनाबंटित		112.50	0.00	63.62	0.00	176.12	0.00	140.00	0.00	316.12
कुल (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	राज्य	0.00	0.00	497.71	36.00	533.71	0.00	422.00	233.25	1188.95
	निजी	0.00	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	100.37	124.87
	केंद्रीय	795.02	0.00	1253.60	0.00	2048.62	0.00	1005.00	30.00	3083.62
	कुल जोड़	**795.02**	**0.00**	**1775.81**	**36.00**	**2606.83**	**0.00**	**1427.00**	**363.62**	**4397.44**

द्वीपसमूह में स्थित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत यूटिलिटियों की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

संयुक्त एवं केंद्रीय क्षेत्र यूटिलिटियों में आबंटित शेयरों सहित

(31.12.2019 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	स्वामित्व / क्षेत्र	मोड–वार ब्यौरा								कुल जोड़
		थर्मल					न्यूक्लियर	हाइड्रो	आरईएस (एमएनआरई)	
		कोयला	लिग्नाइट	गैस	डीजल	कुल				
अंडमान व निकोबार	राज्य	0.00	0.00	0.00	40.05	40.05	0.00	0.00	5.25	45.30
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09	7.09
	केंद्रीय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	5.10
	उप–जोड़	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40.05**	**40.05**	**0.00**	**0.00**	**17.44**	**57.49**
लक्षद्वीप	राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75
	केंद्रीय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप–जोड़	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.75**	**0.75**
कुल (द्वीपसमूह)	राज्य	0.00	0.00	0.00	40.05	40.05	0.00	0.00	5.25	45.30
	निजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84	7.84
	केंद्रीय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	5.10
	कुल जोड़	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40.05**	**40.05**	**0.00**	**0.00**	**18.19**	**58.24**

एनएचपीसी–690 मेगावॉट सलाल पावर स्टेशन (जम्मू एवं कश्मीर)–बाँध

अध्याय 39

मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय

सचिव (विद्युत) मंत्रालय के मुख्य लेखा प्राधिकारी होते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के पूर्ण पर्यवेक्षण में कार्य करता है। कार्यालय के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक हैं और एक लेखा नियंत्रक तथा सात वेतन एवं लेखा अधिकारियों के साथ सभी भुगतानों, व्यय नियंत्रण और बैंक प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षा और सभी प्राप्तियों/भुगतानों का लेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनमें से एक वेतन एवं लेखा कार्यालय बेंगलुरू में स्थित है। प्रधान लेखा कार्यालय सभी वेतन एवं लेखा कार्यालयों के मासिक लेखों का समेकन करने और मंत्रालय के मासिक लेखों को महालेखा नियंत्रक (सीजीए), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने, सीएजी को प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक आधार पर विनियोग लेखों, केंद्रीय कारोबार का विवरण (सीएसटी) और वित्तीय लेखों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सीजीए इत्यादि को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न आंकड़ों का समेकन करने और रिपोर्टें तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी है।

मुख्य नियंत्रक लेखा कार्यालय ''लेखा एक नजर में'' के नाम से एक वार्षिक लेखा पुस्तिका भी तैयार करता है, जिसमें मंत्रालय के और इसके विभिन्न संगठनों के कुल कारोबार (प्राप्तियों, व्यय, निवेश और ऋण) का ब्यौरा शामिल होता है। यह लेखा प्रवृत्तियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। कार्यालय मंत्रालय का प्राप्ति बजट तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी होता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध सही प्रक्रियाओं, नियम और नियमानुकूलताओं और लेखों के कारोबार के वित्तीय औचित्य के अंगीकरण की सुनिश्चितता के लिए प्रबंधकर्ताओं को सहायता प्रदान करता है। यह स्कन्ध नियमों के उचित कार्यान्वयन और रिकॉर्डों के रख–रखाव के लिए आहरण और संवितरण अधिकारियों तथा अनुदानग्राही संस्थाओं को सलाह देता है। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) और जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम के पारेषण लाइन स्कीमों की भी आमंत्रित करता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध का कार्य निष्पादन निम्नानुसार है :–

यूनिटों की संख्या		उठाए गए पैरों	निपटाए गए पैरों की संख्या	बकाया पैरों की
लेखापरीक्षा	की गई लेखापरीक्षा	की संख्या		कुल संख्या
35	20	55	55	532

नोट 1) तीसरी तिमाही तक 20 लेखापरीक्षाएं की जा चुकी हैं और चौथी तिमाही में अर्थात 31.03.2020 तक 10 लेखापरीक्षाएं की जानी हैं।

2) आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध में कर्मचारियों की कमी के कारण लक्ष्य में 5 यूनिटों की कमी आई है।

लेखापरीक्षा की टिप्पणियां

31.12.2019 तक जारी बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों और निरीक्षण रिपोर्टों का संगठन–वार विवरण निम्नानुसार है:–

क्रम सं.	संगठन/कार्यालय का नाम	जारी की गई निरीक्षण रिपोर्टों की संख्या	बकाया पैराओं की संख्या (पुराने पैराओं सहित)
01	विद्युत मंत्रालय	02	48
02	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	16	149
03	विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल	01	08
04	अनुदानग्राही संस्थाएं	09	106
05	विशेष लेखापरीक्षा	13	99
06	आरजीजीवीवाई/डीडीयूजीजेवाई स्कीम	29	29
07	आर–एपीडीआरपी स्कीम	26	26
08	वेतन एवं लेखा कार्यालय	07	59
09	पीएसडीएफ स्कीम	05	05
10	पारेषण लाइन	03	03
	कुल	111	532

31 दिसंबर, 2019 को बकाया पैराओं की स्थिति

क्र.सं.	कार्यालय	1.4.2019 को अथशेष	जोड़े गए पैरा	कुल	निपटाए गए पैराओं की संख्या	31.12.2019 को अंतशेष
विद्युत मंत्रालय						
01	विद्युत मंत्रालय यूएसजीएडी	29	0	29	0	29
02	विद्युत मंत्रालय (एफटीई/ओई)	19	0	19	0	19
कुल विद्युत मंत्रालय		**48**	**0**	**48**	**0**	**48**
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण						
01	सीईए (मुख्यालय)	31	0	31	0	31
02	आरपीएसओ, मुंबई	6	0	6	0	6
03	आरपीएसओ, दिल्ली	5	0	5	0	5
04	आरपीएसओ, कोलकाता	3	0	3	0	3
05	आरपीएसओ, बैंगलुरु	11	0	11	0	11
06	आरआईओ, मुबई	9	0	9	0	9
07	आरआईओ, नई दिल्ली	7	0	7	0	7
08	आरआईओ, कोलकाता	8	0	8	0	8
09	आरआईओ, चेन्नई	11	0	11	0	11
10	आरआईओ, शिलोंग	3	0	3	0	3
11	एनआरपीसी, नई दिल्ली	11	4	15	0	15
12	डब्ल्यूआरपीसी, मुबई	3	0	3	0	3
13	एसआरपीसी, बेंगलुरू	1	0	1	0	1
14	ईआरपीसी, कोलकाता	15	0	15	0	15
15	एनईआरपीसी, शिलोंग	5	3	8	2	6
16	कैंटीन विभाग	12	4	16	1	15
	कुल केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	**141**	**11**	**152**	**3**	**149**
	विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल					
01	एटीई (एपटेल)	5	3	8	0	8
अनुदानग्राही संस्थाएं						
01	बीबीएमबी, नांगल	4	0	4	0	4
02	जेईआरसी, गुड़गांव	10	0	10	0	10
03	एनपीटीआई, फरीदाबाद	13	8	21	9	12
04	सीपीआरआई, बैंगलुरु	15	0	15	0	15
05	एफओआर, दिल्ली	12	0	12	0	12
06	बीईई, नई दिल्ली	16	6	22	6	16
07	सीईआरसी, नई दिल्ली	21	6	27	12	15
08	सीपीआरआई, यूएचवीआरएल हैदराबाद	13	0	13	3	10
09	सीपीआरआई, भोपाल	12	0	12	0	12
	कुल अनुदानग्राही संस्थाएं	**116**	**20**	**136**	**30**	**106**
विशेष लेखापरीक्षा						
01	आरईसी (एजीएंडएसपी) और आरजीजीवीवाई	5	0	5	0	5
02	बीईई (बीएलवाई)	1	0	1	0	1
03	बीईई (एनएमईईई)	11	0	11	0	11

04	बीबीएमबी (चंदीगढ़)	10	0	10	0	10
05	टीएचडीसी	9	0	9	4	5
06	नीपको शिलोंग	15	0	15	10	5
07	पीएफसी (मुख्यालय) नई दिल्ली	8	3	11	0	11
08	लोहारीनाग पाला	9	0	9	0	9
09	एनएचीपीसी फरीदाबाद	7	0	7	0	7
10	बीटीपीएस	1	0	1	0	1
11	एनएलडीसी	10	4	14	1	13
12	आरईसी (मुख्यालय) नई दिल्ली	17	2	19	0	19
13	एनईएफ (आरईसी) नई दिल्ली	4	2	6	4	2
	कुल विशेष लेखापरीक्षा	**107**	**11**	**118**	**19**	**99**

मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय

क्र. सं.	कार्यालय	अथशेष	जोड़ा गया	कुल	छोड़ा गया	अंतशेष
01	प्रधान लेखा अधिकारी (प्रशासन)	15	4	19	0	19
02	प्रधान लेखा अधिकारी (लेखा)	8	0	8	0	8
03	भुगतान और लेखा अधिकारी (सचिवालय)	11	0	11	0	11
04	भुगतान और लेखा अधिकारी (बीएमसीसी)	4	0	4	0	4
05	भुगतान और लेखा अधिकारी (सीईए), नई दिल्ली	8	1	9	1	8
06	भुगतान और लेखा अधिकारी (सीईए), बैंगलुरु	9	0	9	0	9
मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय का कुल		**55**	**5**	**60**	**1**	**59**

आरजीजीवीवाई / डीडीयूजीजेवाई

क्र. सं.	कार्यालय	अथशेष	जोड़ा गया	कुल	छोड़ा गया	अंतशेष
01	आरजीजीवीवाई / डीडीयूजीजेवाई	27	2	29	0	29
	कुल	**27**	**2**	**29**	**0**	**29**

आरएपीडीआरपी स्कीम

क्र. सं.	कार्यालय	अथशेष	जोड़ा गया	कुल	छोड़ा गया	अंतशेष
01	आरएपीडीआरपी / आईपीडीएस	24	2	26	0	26
	कुल	**24**	**2**	**26**	**0**	**26**

पीएसडीएफ स्कीम

क्र. सं.	कार्यालय	अथशेष	जोड़ा गया	कुल	छोड़ा गया	अंतशेष
01	पीएसडीएफ	4	1	5	0	5
	कुल	4	1	5	0	5

पारेषण लाइन स्कीम

क्र. सं.	कार्यालय	अथशेष	जोड़ा गया	कुल	छोड़ा गया	अंतशेष
01	पारेषण लाइन (पीजीसीआईएल–जम्मू व कश्मीर, आंध्र प्रदेश और सिक्किम)	3	0	3	0	3
	कुल	**3**	**0**	**3**	**0**	**3**

बकाया पैराओं की समेकित रिपोर्ट (31.12.2019 को)

01.04.2019 को अथशेष

अनुपालना और विशेष लेखापरीक्षा	449
आरजीजीवीवाई/डीडीयूजीजेवाई स्कीम (यूनिट)	27
आर–एपीडीआरपी	24
पीएसडीएफ	4
पारेषण लाइन	3
कुल	**507**

01.04.2019 के 31.12.2019 के बीच जोड़े गए

अनुपालना और विशेष लेखापरीक्षा	50
आरजीजीवीवाई/डीडीयूजीजेवाई स्कीम (यूनिट)	2
आर–एपीडीआरपी	2
पीएसडीएफ	1
पारेषण लाइन	0
कुल	**55**

01.04.2019 के 31.12.2019 के बीच छोड़े गए

अनुपालना और विशेष लेखापरीक्षा	55
आरजीजीवीवाई/डीडीयूजीजेवाई स्कीम (यूनिट)	0
आर–एपीडीआरपी	0
पीएसडीएफ	0
पारेषण लाइन	0
कुल	**55**

01.04.2019 के 31.12.2019 तक अंत शेष

अनुपालना और विशेष लेखापरीक्षा	469
आरजीजीवीवाई/डीडीयूजीजेवाई स्कीम (यूनिट)	29
आर–एपीडीआरपी	26
पीएसडीएफ	5
पारेषण लाइन	3
कुल	**532**

लेखा पर्यवेक्षण

रिपोर्ट सं. 02/2019 (सिविल)

पैरा 1.1.3: सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टाक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों आदि में निवेश।

2017–18 की समाप्ति पर 7,96,396 करोड़ रूपये का भा.स. के कुल निवेश में 2016–17 से 1,27,652 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई थी। वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने 109 संस्थाओं से 3,10,669 करोड़ के निवेश पर 91,229 करोड़ के लाभांश/आधिक्य प्राप्त किए।

लाभांश/आधिक्य के प्रमुख अंशदाता भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) (40,659 करोड़ रूपये), कोल इण्डिया लिमिटेड (8,045 करोड़ रूपये), भारतीय तेल निगम लिमिटेड (5,535 करोड़ रूपये), तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड (5,275 करोड़ रूपये), एनटीपीसी लिमिटेड (2,531 करोड़ रूपये), न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (2500 करोड़ रूपये), भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (2,476 करोड़ रूपये), भारतीय जीवन बीमा निगम (2,376 करोड़ रूपये), राष्ट्रीयकृत बैंक (1,826 करोड़ रूपये), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (1,744 करोड़ रूपये), भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (1,729 करोड़ रूपये) और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (1,366 करोड़ रूपये) थे।

विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियों का एक मुख्य भाग है। 88,969 करोड़ रूपये की कुल विनिवेश प्राप्तियों में से, पांच इकाइयों अर्थात् हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, हिन्दुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड ने 78.13 प्रतिशत (69,514 करोड़ रूपये) का योगदान दिया।

इसके अतिरिक्त, कुल विनिवेश प्राप्तियों में से 2,802 करोड़ रूपये, अंकित मूल्य (3 प्रतिशत) के रूप में तथा 86,167 करोड़ रूपये (97 प्रतिशत) विनिवेश पर प्रीमियम के रूप में प्राप्त किए गए थे।

पैरा 2.5: प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष वह शेष है जो गलती से डेबिट के बजाए क्रेडिट तथा विपर्यण के रूप में दर्ज किए गए हैं। ऋण एवं अग्रिम, ऋण, जमा एवं प्रेषण के अंतर्गत कुल 14,812 करोड़ रूपये के प्रतिकूल शेषों के 77 मामले हैं। इनमें 21 ऐसे मामले शामिल हैं जो 10 वर्षों से पुराने हैं जैसा तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका: प्रतिकूल शेष

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	मंत्रालय/संस्था	प्रतिकूल शेषों की संख्या	राशि
1.	रेलवे	6	7,482
2.	डाक	5	55
3.	श्रम एवं रोजगार	1	211
4.	शहरी विकास	4	219
5.	रसायन एवं पैट्रोरसायन	2	1,865
6.	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1	2
7.	वन, जलवायु एवं पर्यावरण	2	1
8.	ग्रामीण विकास	2	102
9.	विद्युत	2	227
10.	एमएसएमई	1	1
11.	खनन	1	9
12.	नागरिक उड्डयन	1	38
13.	वित्त	2	1
14.	वाणिज्य एवं उद्योग	1	1,182
15.	राज्य सरकार	27	106
16.	सीजीडीए रक्षा	1	1,872
17.	अन्य	18	1,439
	कुल	**77**	**14,812**

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संबंध में 211 करोड़ रूपये का प्रतिकूल शेष बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि से अधिक आहरण के कारण था। इस मामले को सीएजी के पिछले प्रतिवेदनों में नियमित रूप से टिप्पणियां की गई हैं परन्तु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

शहरी विकास मंत्रालय के संबंध में, प्रतिकूल शेष राष्ट्रीय स्वच्छता कोष (राजस्व को) से 159 करोड़ रूपये के अधिक आहरण के कारण था। यद्यपि यह टिप्पणी 2016–17 के सीएजी प्रतिवेदन में भी की गई थी फिर भी कोई सुधारात्मक कार्वाई नहीं की गई है।

पैरा 2.7: वित्त लेखाओं में सरकारी निवेश का गलत दर्शाया जाना

भारत सरकार के वित्त लेखाओं की विवरणी 11 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य संस्थाओं में भा.स. के निवेश के ब्यौरे प्रस्तुत करती है। म.ले.नि तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मु.ले.नि. विवरणी 11 में अंतर्निहित ब्यौरों की यथार्थता तथा संपूर्णता के लिए उत्तरदायी हैं। लेखापरीक्षा ने अनुवर्ती पैराग्राफों में विभिन्न कमियां/विसंगतियां पाईं।

(क) सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों आदि में सरकारी निवेश को दर्शाने में विसंगतियां।

वित्त लेखाओं में अंतर्विष्ट सरकारी कम्पनियों/निगमों/बैंकों तथा समितियों आदि पर सूचना का संबंधित संस्थाओं के प्रमाणित वार्षिक लेखाओं के साथ दुतरफा सत्यापन करने से निम्नलिखित विसंगतियां प्रकट हुई जिनके विस्तृत ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका: सरकारी निवेश में विसंगतियां (करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	संस्था	सरकार द्वारा इक्विटी निवेश	
		2017–18 के वित्त लेखे की विवरणी 11 के अनुसार	2017–18 के लिए संस्था के वार्षिक लेखे के अनुसार
1.	एन्ड्रयू यूले एंड कम्पनी लिमिटेड	85.90	87.27
2.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	168.61	80.03
3.	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2,873.49	2,977.31

4.	पूर्वोत्तर कृषीय विपणन निगम, गुवाहटी	8.89	7.62
5.	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं टकसाल निगम लिमिटेड	0.05	1064.19
6.	कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड	569.39	4,648.92
7.	स्लॉटर हाउस कॉर्पोरेशन	9.25	1.18*
8.	भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद (बीडीएल)	997.75	160.83
9.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसईएल)	123.84	114.55
10.	मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुम्बई (एमडीएल)	199.20	224.10
11.	हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर (एचएएल)	361.50	300.86
12.	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर (बीईएल)	152.30	162.74
13.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम (जीएसएल)	14.87	29.73

(ख) निवेश पर अपूर्ण सूचना

17 संस्थाओं के संबंध में, विवरणी 11 में निवेश, अंकित मूल्य, शेयरों की संख्या, कुल प्रदत्त पूंजी तथा सरकार के निवेश की प्रतिशतता के संबंध में अपूर्ण सूचना अंतर्निहित है।

(ग) प्राप्त लाभांश के दर्शाने में विसंगतियां

विवरणी 11 में अंतर्निहित लाभांश–सूचना की विवरणी संख्या 8 (राजस्व प्राप्तियों के विस्तृत लेखे तथा मुख्य शीर्षों द्वारा पूंजीगत प्राप्तियां) के साथ दुतरफा सत्यापन करने पर विसंगतियां पायी गई, जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं।

तालिकाः प्राप्त लाभांश के दर्शाने में विसंगतियां

(करोड़ रूपये में)

अभ्युक्ति	विवरणी–8	विवरणी–11	अंतर
सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य संस्थाओं में निवेश पर प्राप्त लाभांश	91,367	91,229	138

म.ले.नि. ने बताया (अगस्त, 2018) कि अंतर रेलवे मंत्रालय से संबंधित है जो उनके द्वारा उनकी विवरणी सं. 11 में नहीं दर्शाया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि म.ले.नि. वित्त लेखे तैयार करता है जिसको म.ले.नि. द्वारा हस्ताक्षरित तथा सचिव, व्यय विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है। अतः यह सुनिश्चित करने की उनकी जिम्मेदारी है कि लेखाओं में कोई विसंगति न हो।

(घ) सरकारी निवेश की प्रतिशतता दर्शाने में विसंगतियां

छः मामलों में, जैसाकि नीचे तालिका में दर्शाया गया है 2017–18 के दौरान सरकारी निवेश बढ़ा था लेकिन सरकारी निवेश की प्रतिशतता बढ़ी हुई नहीं दर्शायी गई थी।

तालिकाः सरकारी निवेश की प्रतिशतता दर्शाने में विसंगतियां

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	उद्यम का नाम	31 मार्च 2017 तक निवेश की गई राशि	31 मार्च 2018 तक निवेश की गई राशि	31 मार्च 2017 व 2018 को निवेश की प्रतिशतता
1.	भारतीय चिकित्सा भेषजी निगम लिमिटेड	49	51	98
2.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड	983	1,017	56
3.	कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड	411	569	52
4.	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	9,767	9,843	50
5.	एमएएचए (नागपुर व पुणे मैट्रो रेल निगम)	225	825	50
6.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम लिमिटेड	908	1,078	82

(ड.) वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे में निवेश को दर्शाने में असंगतियां

वित्त लेखे की विवरणी 11 का विनियोग लेखे के अनुबंध–सी के साथ दुतरफा सत्यापन करने से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए भा.स. द्वारा निवेश के दर्शाने में असंगतियां थीं जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं।

तालिकाः सरकारी निवेश को दर्शाने में असंगतियां

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	कम्पनी	निवेश	निवेश	
			वित्त लेखे	विनियोग लेखे (अनुबंध सी)
1.	दूरसंचार विभाग	भारतीय दूरभाष उद्योग (आईटीआई)	200	337
2.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त तथा विकास निगम	–	25

पैरा 3.7: प्रावधान को बढ़ाने के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के आदेश (मई 2006) तथा स्पष्टीकरण (मई 2012), 'नई सेवा (एनएस)/सेवा के नए साधन (एनआइएस)' से संबंधित मामलों

को निर्धारित करने में देखे जाने वाली वित्तीय सीमाओं पर संशोधित दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करते हैं। 'नई सेवा' भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 (1)(अ) में प्रकट हो रही एक नई गतिविधि अथवा निवेश के एक नए प्रकार सहित एक नया नीति निर्णय, जिसे पहले संसद के संज्ञान में नहीं लाया गया था, से उत्पन्न हो रहे व्यय से संदर्भित है तथा 'सेवा के नए साधन' एक मौजूदा गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न हो रहे अपेक्षाकृत बड़े व्यय को इंगित करता है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, वस्तु शीर्ष (i) 'सहायत अनुदान' (ii) अनुवृत्ति तथा (iii) मुख्य निर्माण कार्य के प्रावधान में पुनर्विनियोजन के माध्यम से कोई भी संवर्धन एनएस/एनआईएस की सीमाओं को आकर्षित करता है तथा इसलिए संसद की पूर्वानुमति अपेक्षित है।

वस्तु शीर्ष '53–मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत संवर्धन पर एनएस/एनआईएस के मामलों के संबंध में, निधियों के 2.5 करोड़ रूपये से अधिक अथवा पहले से दत्तमत विनियोजन के 10 प्रतिशत से अधिक संवर्धन से संबंधित सभी मामलों को, इस तथ्य के बावजूद कि क्या संवर्धन नए निर्माण कार्य अथवा मौजूदा निर्माण कार्य के लिए है, संसद का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

पीएसी ने अपने 83वें प्रतिवेदन में भी वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान' तथा 'अनुवृत्ति' के प्रावधान के संवर्धन के मामलों को गंभीर दृष्टिकोण से देखा है।

पीएसी ने पाया कि 'यह गंभीर कमियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा दोषपूर्ण बजट अनुमान तथा वित्तीय नियमावली के त्रुटिपूर्ण अनुपालन का सूचक है'। पीएसी का यह भी विचार था कि 'केवल अनुदेशों को निर्गत करने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, इस मामले में वित्त मंत्रालय की ओर से सभी मंत्रालयों/विभागों पर वित्तीय अनुशासन लागू करने हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि स्थापित करने की एक अनिवार्य आवश्यकता है जिससे ऐसी कमियों के आवर्तन से बचा जा सके'।

पीएसी की सिफारिशों के बावजूद, वित्त मंत्रालय ने एक उपयुक्त क्रियाविधि स्थापित की है, जिसके परिणामस्वरूप, 2017–18 के दौरान 13 अनुदानों के निम्नलिखित मामलों में, संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना स्वीकृत निधि से कुल 1,156.80 करोड़ रूपये का अधिक व्यय था।

तालिका: संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना वस्तु शीर्षों में प्रावधान का संवर्धन

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	लेखा–शीर्ष	बीई'	एनई'	एसए'	एनई' अंतर्गत एसए*	टीए*	टीइ*	टीए से आधिक्य
अनुदान सं. 74–विद्युत मंत्रालय								
1.	2801.05.001. 06.01.31 एनईआर हेतु विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के लिए विश्व बैंक अनुदान– एनईआर हेतु विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना	–	84.00	–	–	84.00	187.50	103.50

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2018) कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विद्युत प्रणाली में सुधार योजना के अंतर्गत 103.50 करोड़ रूपये का व्यय करने हेतु आवश्यक अनुमोदन 2017–18 के लिए संसद से अनुपूरक मांगों के द्वितीय खेप में प्राप्त कर लिया था तथा वित्त मंत्रालय द्वारा पुनर्वियोजन हेतु आवश्यक अनुमोदन प्रदान किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 2017–18 के लिए अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों के दौरान संसद से वस्तु शीर्ष–'31' अंतर्गत ऐसा कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

रिपोर्ट सं. 13/2019:

पैरा 7.1: ऊर्जा विपणन

7.1.1 प्रस्तावना

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की स्थापना 1948 में की गई थी औ जो झारखंड (तत्कालीन बिहार) और पश्चिम बंगाल राज्य में दामोदर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत ऊर्जा उत्पादन और संवितरण, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, मृदा संरक्षण और अन्य सामाजिक गतिविधियों में लगी हुई थी। डीवीसी के राजस्व का मुख्य स्रोत ऊर्जा विक्रय था। 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान डीवीसी के थर्मल ऊर्जा उत्पादन करने वाले स्टेशनों की स्थापित क्षमता 5710 मेगावाट (एमडब्ल्यू) से 7640 मेगावाट के बीच थी। इसलिए, डीवीसी घाटी क्षेत्र में विभिन्न राज्यों और फर्म विक्रय को ऊर्जा संवितरण उपयोगिताओं के साथ द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से उपरोक्त अवधि के दौरान केवल 4511 मेगावाट से 6337 मेगावाट तक की ऊर्जा विक्रय करने में सक्षम था और अतः ऊर्जा अधिशेष थी।

7.1.2 लेखा परीक्षा कार्य–क्षेत्र, उद्देश्य और मानदंड

विषयगत लेखा परीक्षा में 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान अधिशेष ऊर्जा के विपणन हेतु डीवीसी की पहल को शामिल किया गया था।

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि:

- ऊर्जा विपणन हेतु डीवीसी के प्रयास प्रभावी थे;
- डीवीसी द्वारा विद्युत क्रय विवेकपूर्ण और मितव्ययी था; और
- डीवीसी के पास एक प्रभावी ऋणी प्रबंधन प्रणाली थी।

लेखा परीक्षा मानदंड में बोर्ड के कार्यवृत्त और कार्यसूची, विद्युत क्रय समझौते और विद्युत नियमावली और विनियमन शामिल थे।

7.1.3 लेखा परीक्षा निष्कर्ष

2013–14 से 2017–18 के दौरान डीवीसी (वर्ष–वार) की स्थापित क्षमता के साथ आपूर्ति हेतु संविदात्मक करार नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 7.1: अधिशेष विद्युत प्रस्थिति

(मेगावाट में आंकड़े)

वर्ष	जोड़ी गई नई इकाईयों की क्षमता	बंद की गई पुरानी इकाईयां (क्षमता)	वर्ष की समाप्ति पर कुल संस्थापित क्षमता	द्विपक्षीय समझौता	ठेके की मांग (फर्म विक्रय)	विद्युत का विक्रय	अधिशेष विद्युत
2013-14	500	0	5710	1670	2841	4511	1199
2014-15	500	0	6210	1670	2982	4652	1558
2015-16	1200	140	7270	2220	3384	5604	1666
2016-17	500	130	7640	2870	3467	6337	1303
2017-18	0	550	7090	2870	3384	6254	836

अतः अवधि के दौरान अधिशेष विद्युत 836 मेगावाट से 1666 मेगावाट के बीच थी।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2019) कि डीवीसी के विद्युत संयंत्रों की घोषित क्षमता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त अवधि के दौरान अधिशेष क्षमता 322 मेगावाट से 972 मेगावाट के बीच थी। हालांकि, लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि द्विपक्षीय विक्रय के टाई–अप विद्युत संयंत्रों की संस्थापित क्षमता को ध्यान में रखकर किए गए हैं, तदनुसार, अधिशेष विद्युत का मूल्यांकन इस प्रकार की संस्थापित क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने आगे बताया कि डीवीसी को अपेक्षित आपातकाल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 250 मेगावाट के स्पिनिंग रिजर्व रखने की आवश्यकता थी और उस पर विचार करते हुए 2013–14 से 2017–18 के दौरान अधिशेष विद्युत की मात्रा काफी नहीं थी। मंत्रालय का तर्क इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है कि समय–निर्धारित करके उत्पादक केन्द्रों की घोषित क्षमता के एक भाग को रोककर स्पिनिंग रिजर्व को बनाए रखा गया और उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता के संबंध में अधिशेष विद्युत के साथ उसका कोई संबंध नहीं था।

पैरा सं. 7.2 (रिपोर्ट 13/2019)

7.2: आरटीपीएस II को कार्यान्वित करने का अनुचित निर्णय

दामोदर घाटी निगम ने इक्विटी योगदान की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन परियोजना के चरण–II के कार्यान्वयन के लिए अनुचित निर्णय के कारण 138.92 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय किया गया।

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षमता वृद्धि कार्यक्रम के अनुसार, 600 मेगावाट (एमडब्ल्यू) की दो इकाईयों के साथ रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन (आरटीपीएस–I) के चरण–I की स्थापना का निर्णय (मार्च 2006) लिया। आरटीपीएस–I की उक्त इकाईयों को मार्च 2016 में कमीशन किया गया था। 2012 तक भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विद्युत नीति के माध्यम से परिकल्पित ''सभी को बिजली'' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए डीवीसी ने (जून 2010) पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में 660 मेगावाट की दो इकाईयों से युक्त रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन (आरटीपीएस–II) के चरण–II की स्थापना का निर्णय लिया, जबकि आरटीपीएस–I कार्यान्वयन के अधीन था।

आरटीपीएस–II परियोजना की शुरूआत में अनुमानित लागत 8077.12 करोड़ थी जिसे बाद में संशोधित करके 9088.99 करोड़ रूपये किया गया था। आरटीपीएस–II के वित्तपोषण के प्रतिरूप को 70:30 के ऋण और इक्विटी अनुपात के रूप में माना गया था। आरटीपीएस–II की इक्विटी निधियन के लिए आंतरिक स्रोतों के सृजन में कमी को ध्यान में रखते हुए, मुख्य विद्युत उपभोक्ताओं से बकायों की प्राप्ति न होने और थर्मल पावर प्लांट के कम प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) के कारण, डीवीसी ने आरटीपीएस–II के कार्यान्वयन के लिए इक्विटी निधियन की उपलब्धता से संबंधित जोखिम का मूल्यांकन और विश्लेषण करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय (सितम्बर 2011) किया। समिति ने संकेत दिया (जनवरी 2012) कि भारत सरकार (जीओआई) एक मुख्य उपभोक्ता से वित्तीय सहायता पूंजी/इक्विटी योगदान के रूप में और झारखंड राज्य बिजली बोर्ड (जेएसईबी) एक मुख्य उपभोक्ताओं से बकाया देयों की वसूली, आरटीपीएस–II के कार्यान्वयन के लिए पूर्व आवश्यकताएं थीं। डीवीसी ने आखिरकार आरटीपीएस–II के कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ने का निर्णय (मार्च 2012) किया।

दामोदर घाटी निगम ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) से 6,362.29 करोड़ रूपये के अवधि ऋण 11.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर के सहित की व्यवस्था (अप्रैल 2013) की, जिससे क्षमता की कम से कम 70 प्रतिशत मात्रा के लिए डिस्कॉम के साथ विद्युत खरीद समझौता (पीपीए) हस्ताक्षर करने की पूर्व–शर्तों के साथ आरटीपीएस–II के ऋण भाग के वित्तीयन के लिए स्वयं के स्रोतों से इक्विटी का आनुपातिक निवेश किया है। डीवीसी ने परियोजना के काम को पूरा करने के लिए आरईसी से अवधि ऋण के रूप में 401 करोड़ रूपये आहरित (अगस्त/सितम्बर 2013) किए।

मुख्य संयंत्र के सिविल कार्यों, निर्मा विद्युत की आपूर्ति और सिविल परामर्श के लिए कार्य आदेश क्रमशः अगस्त 2013, सितम्बर 2013 और मार्च 2014 में जारी किए गए थे। हालांकि, मुख्यतः आरईसी के साथ ऋण समझौते की स्थिति के अनुसार अपने स्वयं के स्रोतों से इक्विटी फंड की व्यवस्था करने में असमर्थता के कारण डीवीसी ने अंततः आरटीपीएस–II परियोजना को छोड़ने का फैसला किया (दिसम्बर 2015)।

आरईसी को 401 करोड़ रूपये का अवधि ऋण 1.15 करोड़ रूपये के पूर्व–भुगतान प्रभार के साथ चुकाया गया था। इसी बीच में, डीवीसी ने अगस्त 2013 से सितम्बर 2016 तक की अवधि के लिए अवधि टर्म लोन पर आरईसी को 140.43 करोड़ रूपये का ब्याज दिया।

इसलिए, लेखा परीक्षा ने निम्नानुसार पायाः–

- आरटीपीएस–II के लिए 2727 करोड़ रूपये इक्विटी योगदान राशि के रूप में डीवीसी द्वारा अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों से वित्त पोषित करने की आवश्यकता थी, इसलिए डीवीसी को जेएसईसी से बकाया की वसूली में सुधार सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी और आरटीपीएस–II परियोजना के लिए आगे बढ़ने के लिए अंतिम निर्णय लेने से पहले वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की इक्विटी योगदान का अनुमोदन/पुष्टि प्राप्त किया जाना चाहिए था।
- दामोदर घाटी निगम ने आरटीपीएस–II (1200 मेगावाट) से केवल (सितम्बर 2012) 400 मेगावाट के लिए विद्युत खरीद करार (पीपीए) किया था जो घाटी

क्षेत्र में विद्युत की कम मांग और परिणामस्वरूप कम पीएलएफ सूचित करता है। यद्यपि आरटीपीएस–II की क्षमता से कम से कम 70 प्रतिशत मात्रा के लिए डिस्कॉम सहित पीपीए में प्रवेश करने के लिए आरईसी के साथ किए गए ऋण करार की पूर्व–शर्त थी, लेकिन इसके लिए डीवीसी द्वारा कोई पीपीए दर्ज नहीं किया गया था। आगे यह पाया गया कि डीवीसी ने आरटीपीएस–II के लिए 400 मेगावाट के द्विपक्षीय समझौता के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड से आग्रह किया और इसके घाटी क्षेत्र में संतुलन क्षमता का उपयोग करना का भी प्रस्ताव था। हालांकि, आरटीपीएस–II के लिए पीपीए में प्रवेश करने का कोई लाभदायक परिणाम नहीं मिला था।

- डीवीसी को मियादी ऋण (401 करोड़ रुपये) के लिए नहीं जाना चाहिए था जब वे अपने स्वयं के स्रोतों से निधि की व्यवस्था करने में असमर्थ थे। इसने डीवीसी को मियादी ऋण पर ब्याज के भुगतान और 138.92 करोड़ रुपये के भुगतान–पूर्व प्रभारों (141.58 करोड़ रुपये ब्याज और ऋण का भुगतान–पूर्व प्रभार, ठेकेदार से 2.66 करोड़ रुपये कम ब्याज की वसूली)। से बच जाता।

पैरा सं. 7.3 (रिपोर्ट 13/2019)

7.3 निर्धारित प्रभार की वसूली न होने के कारण परिहार्य नुकसान

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट–I के संधारणीय संचालन और पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) को बिजली की आपूर्ति के लिए अस्थायी राख तालाबों से राख निकालने की दिशा में प्रारंभिक पहल नहीं की। इसके कारण डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा पीपीए को समाप्त कर दिया, जिसके लिए दामोदर घाटी निगम को निर्धारित प्रभार की वसूली न होने के कारण 71.25 करोड़ रूपये का नुकसान उठाना पड़ा।

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने प्रत्येक 500 मेगावाट की क्षमता की दो यूनिट (यूनिट–I और II) के साथ 1000 मेगावाट (एमडब्ल्यू) की विद्युत के सृजन के लिए कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन (केटीपीएस) की स्थापना की। यूनिट–I का वाणिज्यिक परिचालन जुलाई 2013 में चालू हुआ। केटीपीएस के लिए स्थायी राख तालाब भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्मित नहीं हो सका। इसलिए, दो अस्थायी राख तालाबों को इकाईयों के संचालन के लिए एक आकस्मिक उपाय के रूप में बनाया गया था। डीवीसी ने 25 वर्षों के लिए केटीपीएस से विद्युत की 200 मेगावाट की आपूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूएसईडीसीएल) के साथ एक विद्युत खरीद करार (पीपीए) किया (अक्तूबर 2013)। केटीपीसी से डब्ल्यूबीएसईडीसीएल को डीवीसी द्वारा विद्युत की आपूर्ति 2014 और 2015 के अप्रैल से सितम्बर तक की छह महीने की अवधि के दौरान की गई थी और उसके बाद अप्रैल 2016 से लगातार की जा रही थी। हालांकि, यह देखा गया था कि यूनिट–I स्थायी संचालन अस्थायी राख तालाबों में गीली राख निपटान क्षेत्र की अपर्याप्तता के कारण हासिल नहीं किया गया था, जो यूनिट–I और उसके बाद के संचालन के दौरान राख के घोल से भरे हुए थे। इस तरह से भरे हुए अस्थायी राख तालाबों से राख निकालने की पहल यूनिट–I के निर्बाध संचालन के लिए बेहद आवश्यक थी। हालांकि, यह पाया गया था कि यद्यपि अस्थायी राख तालाबों से राख निकालने के कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया मई 2013 में शुरू की गई थी, इसके लिए कार्य आदेश जन 2014 में जारी किए गए थे अर्थात् 13 महीने की देरी के बाद यह देखा गया था कि युनिट–I ने गीली राख निकालने की समस्या के कारण पीपीए में निर्धारित अप्रैल 2014 से डब्ल्यूबीएसईडीसीएल को विद्युत की आपूर्ति हेतु संचालित नहीं हो सका था। डीवीसी ने विद्युत की आपूर्ति की नियत तारीख नहीं बतायी यद्यपि डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा बार–बार पूछी गई थी। इसी बीच में, डीवीसी ने बताया (13 जून 2014) की यूनिट–II की वाणिज्यिक संचालन तारीख (सीओडी) 14 जून 2014 होगी। हालांकि, सीओडी की ऐसी घोषणा सीईआरसी के नियमन के अनुरूप नहीं थी जो निर्धारित करता है कि जनरेटिंग कंपनी की सीओडी को लाभार्थियों को उत्पादन कंपनी द्वारा सात दिनों के नोटिस के बाद सफल परीक्षण के माध्यम से शुरू करना चाहिए। यह शर्त पीपीए में भी शामिल की गई थी। डब्ल्यूबीएसईडीसीएल ने डीवीसी को डिफाल्ट नोटिस जारी (जुलाई 2014) किया जिसमें बताया गया कि पीपीए की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अप्रैल 2014 में तीन महीने की लगातार अवधि के लिए डीवीसी द्वारा विद्युत की गैर–आपूर्ति के कारण तथा सीआईआर नियमन के अनुसार यूनिट–II के सीओडी की गैर–उद्घोषणा के कारण अप्रभावी और निष्क्रिय हो गया। डीवीसी ने जून 2014 से सितम्बर 2014 (18.20 करोड़ रूपये) और अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015 (53.05 करोड़ रूपये) तक की अवधि के लिए 71.25 करोड़ रूपये की राशि के टीपीएस इकाईयों के नियत शुल्क के 20 प्रतिशत की वसूली के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल पर चालानों की उठाया गया। हालांकि, डब्ल्यूबीएसईडीसीएल ने डीवीसी के भाग पर चूक के कारण पीपीए के अप्रभावी होने के आधार पर नियत शुल्क के भुगतान में मना कर दिया।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि डीवीसी को गीली राख की निपटान की बाधाओं के बारे में अच्छी तरह से पता था और अस्थायी राख तालाबों से राख के खोल को खाली करना यूनिट–I के स्थायी संचालन के लिए एकमात्र उपलब्ध समाधान था। इसके अलावा, डीवीसी को पीपीए के अनुसार अप्रैल 2014 में डब्ल्यूबीएमईडीसीएल को अबाधित विद्युत का आपूर्ति अपेक्षित थी। इसके बावजूद, डीवीसी ने अस्थायी राक तालाबों से राख को निकालने के लिए शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई नहीं की और डीवीसी की ओर से पीपीए की शर्तों में चूक के परिणामस्वरूप अप्रैल 2014 से तीन महीने की अवधि के दौरान लगातार डब्ल्यूबीएसईडीसीएल को विद्युत की आपूर्ति के लिए यूनिट–I को संचालित नहीं कर सका। इसके अलावा, डीवीसी द्वारा यूनिट–I के सीओडी घोषणा में सीईआरसी के दिशानिर्देशों और पीपीए की शर्तों के अनुरूप नहीं थी। इन सभी के परिणामस्वरूप डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा पीपीए की समाप्ति हुई, जिसके कारण अंततः केटीपीएस के युनिट–I और II के निर्धारित शुल्क की वसूली नहीं होने के कारण डीवीसी को 71.25 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ। इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि डीवीसी को नए उपभोक्ताओं तक निश्चित शुल्क (प्रति माह 14 करोड़ रूपये का औसत) की वसूली नहीं करने के इस आवर्ती नुकसान को अवशोषित करना है, क्योंकि ऐसी विद्युत (200 मेगावाट) की खरीद निश्चित ही की जाती है।

पैरा सं. 7.4 (रिपोर्ट 13/2019)

7.4: अनुसंधान और विकास केन्द्र के स्थानांतरण का अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण उच्च उद्देश्य उपकरण की निष्क्रियता

दामोदर घाटी निगम के अनुसंधान और विकास केन्द्र को नई जगह पर बसाने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण केन्द्र के लिए खरीदे गए 6.84 करोड़ रूपये की कीमत के उपकरण निष्क्रय हो गए क्योंकि वे स्थापित नहीं किए गए थे।

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने 120 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (आईआईटीके) के सहयोग से कोलकाता में उत्कृष्टता सह प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में एक अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) केन्द्र की स्थापना का निर्णय (जुलाई 2007) लिया। ऐसे अनुसंधान एवं विकास केन्द्र का मूल उद्देश्य दिन–प्रतिदिन के गहन अध्ययन और विश्लेषण के साथ–साथ बिजली स्टेशों और ट्रांसमिशन एवं वितरण (टीएंडडी) प्रणाली की शून्य समस्याओं और उच्च प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) को प्राप्त करना था। डीवीसी ने अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थायी स्थापना के लिए वेस्ट बंगाल हाउसिंग

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा न्यूटाऊन, कोलकाता में तीन एकड़ भूमि आबंटित (मई 2007) की थी। इस संबंध में, डीवीसी ने पांच वर्षों की अवधि के लिए आईआईटीके में समन्वय केन्द्र के साथ जनवरी 2008/जून 2008 में कोलकाता में अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के गठन और कार्य प्रणाली के संबंध में आईआईटीके के साथ जनवरी 2008/जून 2008 में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू)/करार किया। आरएंडडी केन्द्र का प्रबंधन आईआईटीके के साथ–साथ डीवीसी के मानव संसाधन समर्थन द्वारा किया जाना है। अनुसंधान एवं विकास केन्द्र को विकसित करने और इसे कार्य संचालन के लिए अपेक्षित कोष डीवीसी द्वारा प्रदान किया जाना था। इसी बीच में, डीवीसी ने 4.14 लाख रूपये के मासिक भुगतान के साथ अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की अस्थायी स्थापना के लिए लाइसेंस आधार पर साल्ट लेक सिटी, कोलकाता में किराये पर आवास की व्यवस्था (जनवरी 2008) की। लाइसेंस तीन वर्षों के लिए था, जिसे आपसी सहमति पर आगे तीन साल की एक और अवधि तक बढ़ाई जा सकती थी। हालांकि, कोलकाता में अनुसंधान एवं विकास केन्द्र 31 दिसम्बर 2011 से आगे नहीं चल सका क्योंकि लाइसेंसकर्ता ने लाइसेंस को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। कोई अन्य वैकल्पिक आवास नहीं मिलने पर, डीवीसी ने अपने मेजिया थर्मल पावर स्टेशन (एमटीपीएस) में अनुसंधान एवं विकास केन्द्र को स्थानांतरित करने का निर्णय (नवम्बर 2011) किया। 8.78 करोड़ रूपये मूल्य के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के सभी उपकरण और औजारों को डीवीसी द्वारा अपने आप ही एमटीपीएस में स्थानांतरित (अप्रैल 2012) कर दिया गया था। यद्यपि, आईआईटीके ने अपनी चिंता व्यक्त (अक्तूबर 2011) की कि इस तरह उपकरण आदि का स्थानांतरण मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) की सहमति और भागीदारी के बिना विनष्टीकरण और बंद होने पर वारंटी का नुकसान होगा, डीवीसी ने ध्यान नहीं दिया। डीवीसी ने आईआईटीके के साथ करार का नवीकरण नहीं किया, जो जून 2013 में समाप्त हो गया। अन्य उपकरणों का उपयोग विभिन्न इकाईयों में नियमित प्रयोगशाला परीक्षण करने के लिए किया गया था और वहां कोई भी अनुसंधान एवं विकास गतिविधि नहीं हो रही थी। डीवीसी ने अंततः अपनी प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के कारण मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास केन्द्र को बंद करने का निर्णय किया।

लेखा परीक्षा ने निम्नानुसार पायाः–

- प्रबंधन ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि न्यू टाउन में भूमि के अधिग्रहण के बाद, स्थायी आवास उपलब्ध होने तक किराए के आवास पर आरएंडडी केन्द्र की अस्थायी व्यवस्था जारी रखी जा सकती है। इस अभ्यास की विशेष रूप से आवश्यकता थी क्योंकि किराये पर आवास शुरू में 3 साल के लिए उपलब्ध थे और उसके बाद लाइसेंसकर्ता की सहमति पर/लाइसेंस को आगे बढ़ाने के लिए लाइसेंसकर्ता के इनकार करने के कारण चौथे वर्ष के अंत में अस्थायी व्यवस्था अंततः समाप्त हो गई थी।
- एमटीपीएस को आरएंडडी केन्द्र के सभी उपकरणों और बाद में ओईएम की सहायता बिना अन्य इकाईयों को स्थानांतरित करने की दिशा में प्रबंधन की कार्रवाई विवेकपूर्ण नहीं थी क्योंकि इससे अंततः ऐसे उपकरणों की वारंटी का नुकसान हुआ।
- अनुसंधान और विकास केन्द्र को बंद करने का निर्णय लेते समय, डीवीसी ने पावर स्टेशनों की समस्याओं के अध्ययन और विश्लेषण के साथ–साथ टीएंडडी प्रणाली के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की जिसके लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था। यह दर्शाता है कि शून्य बल आउटेज और उच्च पीएलएफ प्राप्त करने के परिकल्पित उद्देश्य अप्राप्य रहा।

एनटीपीसी लिमिटेड और एनटीपीस. सेल पावर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

पैरा 7.5 (रिपोर्ट 13/2019)

7.5: अर्ध वैतनिक अवकाश नकदीकरण का अधिक भुगतान

सेवा–निवृत्ति पृथक्करण पर अर्ध–वेतन अवकाश पर भुगतान योग्य राशि की गणना के लिए गलत पद्धति को अपनाने के परिणामस्वरूप एनटीपीसी लिमिटेड और एनटीपीस–सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों को 74.89 करोड़ रूपये का अधिक भुगतान किया गया जो समय बीतने के साथ और बढ़ेगा।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश (24 अप्रैल 198) कहते हैं कि प्रत्येक पीएसयू निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश नियम भारत सरकार (जीओआई) के द्वारा इस संबंध में जारी किए निति दिशा निर्देशों के विस्तृत मापदंडों को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ अपने कर्मचारियों के लिए अवकास नियम तैयार कर सकते हैं। डीपीई ने भी स्पष्ट किया (17 जुलाई 2012) कि अर्जित अवकाश (ईएल) और अर्ध वेतनिक अवकाश (एचपीएल) की 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन सेवा–निवृत्ति पर नकदीकरण के लिए विचार किया जाए। एचपीएल के लिए देय नकद समतुल्य अवकाश वेतन एलपीएल के लिए स्वीकृत अवकाश वेतन और महंगाई भत्ता के समान होगी। डीपीई ने फरवरी 2014 के दिशानिर्देश में इसी स्थिति को दोहराया गया।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) और एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी (पी) लिमिटेड (एनएसपीसीएल), के रिकार्डों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकन कियाः–

(i) एनटीपीसी के अवकाश नियमों के अनुसार, कंपनी के साथ सेवा के संबंध में एचपीएल का अर्थ अर्जित अर्धवेतन पर है और किसी कर्मचारी को चिकित्सा आधार सहित किसी भी कारण में दिया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए अर्ध वेतन मूल वेतन के आधे के रूप में लिया जाएगा। अन्य सभी भत्तों को पूरा भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, एचपीएल के नकदीकरण की गणना के उद्देश्य के लिए, केवल मूल वेतन का आधा खाते में लिया जाएगा। अप्रैल 2011 से मार्च 2018 के दौरान 6607 कर्मचारी, जो एनटीपीसी से सेवा निवृत्त हुए थे जिसमें मूल घटक (150.71 करोड़ रूपये) और डीए घटक (147.91 करोड़ रूपये) को शामिल कर 298.62 करोड़ रूपये की राशि एचपीएल नकदीकरण के रूप में भुगतान की।

(ii) एनएसपीसीएल द्वारा बनाए गए अवकाश नियों के अनुसार, उनके कर्मचारियों के पृथक्करण पर, ईएल और एचपीएल की 300 दिनों की सीमा के अधीन पात्रता अवकाश देय होगा (यदि ईएल 300 दिनों से कम होगी तो एचपीएल का नकदीकरण होगा और इसे रूपांतरित नहीं की जाएगी)। नकदीकरण के उद्देश्य के लिए मूल वेतन और डीए को लेकर गणना की जाती है।

अप्रैल 2011 से जुलाई 2018 के दौरान, एनएसपीसीएल से कुल 80 कर्मचारी पृथक हुए और जिसमें मूल घटक (1.20 करोड़ रूपये) और डीए घटक (1.85 करोड़ रूपये) को शामिल करते हुए 3.05 करोड़ रूपये की राशि एचपीएल नकदीकरण के रूप में भुगतान की।

लेखा परीक्षा ने पाया कि एनटीपीसी और एनएसपीसीएल के प्रबंधन ने एचपीएल की गणना करते समय अर्ध मूल वेतन के बजाय पूर्ण मूल वेतन पर स्वीकार्य दर से डीए की अनुमति दी। परिणामस्वरूप डीए की देय राशि का दुगुना भुगतान हुआ। इस प्रकार, एचपीएल की गणना के लिए असंगत पद्धति को अपनाने के कारण

एनटीपीसी ने अप्रैल 2011 और मार्च 2018 के बीच की अवधि के दौरान 73.96 करोड़ रूपये की अधिक राशि का भुगतान किया। इस प्रकार, एनएसपीसीएल ने अप्रैल 2011 और जुलाई 2018 के बीच की अवधि के दौरान 0.93 करोड़ रूपये की अधिक राशि का भुगतान किया।

एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

पैरा सं. 7.6 (रिपोर्ट 13/2019)

7.6 डीपीआई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में कार्यकारियों को अनियमित भुगतान

एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड ने 2008–09 से 2017–18 की अवधि के दौरान डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में भत्ते/सुविधाओं पर अपने कार्यकारी कर्मचारियों को 23.30 करोड़ रूपये का भुगतान किया, जो समय बीतने के साथ आगे और बढ़ जाएगा।

भारत सरकार ने दिनांक 26 नवंबर 2008 के डीपीई का.ज्ञा. के अनुसार 1 जनवरी 2007 से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) में गैर–संगठित पर्यवेक्षणों के साथ–साथ बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारियों के वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए नीति अधिसूचित की। उक्त का.ज्ञा. अन्य बातों के साथ–साथ प्रावधान करता है कि सीपीएसई के निदेशक मंडल भत्तों और सुविधाओं पर निर्णय करेंगे कि मूल वेतन के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन कार्यकारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकार्य है। सीपीएसई 'कैफेटेरिया दृष्टिकोण' का अनुसरण करते हैं जिससे कार्यकारियों को सुविधाओं और भत्तों के सेट का चयन करने की अनुमति दी जाती है। केवर चार भत्ते अर्थात् उत्तर–पूर्व भत्ता, भूमिगत खदानों के लिए भत्ता, मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कठिन और दूर–दराज के क्षेत्र में सेवा देने के लिए विशेष भत्ता और मेडिकल चिकित्सकों के लिए गैर अभ्यास भत्ता को मूल वेतन के 50 प्रतिशत की सीमा के दायरे से बाहर रखा गया है।

डीपीई ने स्पष्ट किया (जून 2012) के कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत निर्धारित 50 प्रतिशत सीमा के बाहर नवंबर 2008 के उनके का.ज्ञा. में उल्लिखित चार भत्तों को छोड़कर कोई और भत्ता/लाभ सुविधा स्वीकार्य नहीं थी। डीपीई ने दोहराया (जून 2013) कि 50 प्रतिशत से अधिक सीमा वाले भत्तों का निर्माण गंभीर उल्लंघनों के रूप में लिया जाएगा। लेखा परीक्षा और अन्य निगरानी एजेंसियों की संवीक्षा नहीं की जाएगी। डीपीई ने सभी सीपीएसई से दिशा निर्देशों का पूर्णरूप से पालन करने का अनुरोध किया।

एनएसपीसीएल ने 26 नवम्बर 2008 से कैफेटेरिया दृष्टिकोण (अवसंरचना सुविधाओं को बनाए रखने और चलाने पर आवर्ती व्यय के मुद्रीकरण के बाद) के तहत अनुलाभ और भत्तों के रूप में संशोधित वेतन का 47 प्रतिशत के भुगतान का निर्णय (अक्तूबर 2009) किया।

लेखा परीक्षा में पाया कि एनएसपीसीएल ने नीचे उद्घृत डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लघन में रात्रि घंटों के दौरान कार्य करने के लिए (4.10 करोड़ रूपये), कठिन और दूर–दराज के लिए विशेष भत्तों (14.35 करोड़ रूपये) और पोशाक के लिए प्रतिपूर्ति (4.85 करोड़ रूपये) की क्षतिपूर्ति के लिए अपने कार्यकारी कर्मचारियों (2008–09 से 2017–18 के दौरान) को 23.30 करोड़ रूपये का भुगतान किया।

(i) रात्रि घंटों के दौरान कार्य करने के लिए क्षतिपूर्तिः– एनएसपीसीएल ने 26 नवंबर 2008 से प्रभावी रात्रि घंटों के दौरान कार्य करने के लिए एक नियत राशि के रूप में क्षतिपूर्ति के लिए एक योजना (सितम्बर 2010) प्रस्तुत की। रात्रि घंटों के दौरान कार्य करने के लिए ऐसी क्षतिपूर्ति न तो कैफेटेरिया सूची में न ही कैफेटेरिया सूची के बाहर स्वीकार्य भत्तों में शामिल था, ऐसा भुगतान डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था।

प्रबंधन ने कहा (अक्तूबर 2018) कि पावर प्लांटों के चौबीसों घंटे संचालन में कर्मचारियों को रात्रि शिफ्ट सहित तीन शिफ्टों में तैनात किया गया है और इसलिए इन कर्मचारियों को हॉस्पिटलिटी व्यय की प्रतिपूर्ति की गई है। प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कैफेटेरिया सूची के बाहर चार भत्तों के अलावा सभी अनुलाभ और भत्ते डीपीई द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा के तहत शामिल किये गये थे।

(ii) विशेष भत्ता (कठिन और दूर–दराज के क्षेत्र):– नवंबर 2008 के डीपीई का का.ज्ञा. के अनुसार मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कठिन और दूर दराज के क्षेत्रों में सेवा के लिए विशेष भत्ता सहित केवल चार भत्तों को मूल वेतन के 50 प्रतिशत की सीमा के दायरे से बाहर रखे गए थे। इसके अलावा, व्यय विभाग (डीओई) ने विशेष क्षतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ता प्रदान करने के लिए पात्र क्षेत्रों को निर्धारित (दिनांक 29 अगस्त 2008 के का.ज्ञा.) किया। डीपीई ने आगे कहा (22 जून 2010) कि सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा कठिन और दूर–दराज क्षेत्र माना गया था, डीओई के का.ज्ञा. के तहत शामिल नहीं था, संबंधित मंत्रालय/विभाग डीओई के का.ज्ञा. में निर्दिष्ट स्थानीयता की तुलनीयता पर आधारित का.ज्ञा. के पैरा 4 में इंगित विशेष भत्ता के लिए दर पर निर्णय करने के लिए अपने वित्तीय सलाहकार के साथ परामर्श किया जाए।

लेखा परीक्षा ने पाया कि एनएसपीसीएल ने 26 नवंबर 2008 से भिलाई, राऊरकेला और दुर्गापुर साइट कार्यालयों में तैनात अपने कर्मचारियों को मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर पर क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता का भुगतान करने की अनुमति (अक्तूबर 2009) दी।

लेखा परीक्षा ने आगे पाया कि एनएसपीसीएल ने अपने कर्मचारियों को विशेष भत्ता के भुगतान की अनुमति देते समय डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों पर विचार नहीं किया। एनएसपीसीएल के साइट कार्यालय दुर्गापुर, राऊरकेला और भिलाई में स्थिति है जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा निर्मित अवसंरचना सुविधाओं से पूर्ण रूप से जुड़े और विकसित शहर हैं। इन शहरों को डीओई के का.ज्ञा. में निर्धारित सुदूर जिलों के साथ तुलनीय नहीं है। इसके अलावा, इस आधार पर भत्ता की अनुमति दी गई थी कि कर्मचारियों को अत्यधिक गर्मी, विस्फोटक तरह पदार्थ, गैसों आदि गया था। हालांकि, इन शर्तों ने कठिन और दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए औसत भत्ते के भुगतान का अधिकार नहीं है। इसके अलावा, प्रशासनिक मंत्रालय का भी अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। इस प्रकार, कंपनी द्वारा विशेष भत्ते का भुगतान अनियमित था।

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

पैरा सं. 7.7 (रिपोर्ट 13/2019)

7.7: पट्टे पर आवास प्राप्त करने वाले कार्यकारियों से मकान के किराये की कम वसूली

पट्टे पर आवास प्राप्त करने वाले कार्यकारियों से पट्टे के किराए की वसूली के लिए डीपीई के निर्देशों के अनुपालन के परिणामस्वरूप अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2016 के दौरान 18.94 करोड़ रूपये की कम वसूली हुई।

मार्च 2012 के डीपीई निर्देशों के अनुसार सीपीएसई द्वारा अपने कर्मचारियों को किराए पर दिए गए आवास के संबंध में किराया की वसूली मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से या वास्तविक किराया जो भी कम हो की जानी थी।

लेखा परीक्षा ने पाया कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने दिसम्बर 2016 तक कार्यकारियों को पट्टे पर प्रदान किए गए आवास के लिए मूल वेतन के 10 प्रतिशत के बजाय इसके द्वारा निर्धारित स्लैब दरों से मकान का किराया वसूल किया गया। पीजीसीआईएल ने तीसरी वेतन संशोधन रिपोर्ट के अनुपालन में पट्टे पर प्राप्त आवास के कार्यकारियों से जनवरी 2017 से मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से मकान का किराया वसूल करना शुरू किया। इस प्रकार, उपर्युक्त डीपीई निर्देशों के अनुपालन के परिणामस्वरूप अप्रैल 2012 में दिसम्बर 2016 के दौरान 18.94 करोड़ रूपये के कम वसूली हुई।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने जवाब (जनवरी 2019) दिया कि मकान किराया की वसूली के लिए दरों को मजदूरी संशोधन के समय पर संशोधित किया गया है। एक बार अंतिम देने के बाद, लाइसेंस शुल्क/एचआरआर अगले वेतन संशोधन तक अपरिवर्ति रहेगी, क्योंकि अनुलाभों/हित लाभों में कमी कर्मचारी की मनोदशा को प्रभावित करती है। इसके अलावा, ऐसे कर्मचारी है जो 2012 से 2016 के बीच पीजीसीआईएल से अलग हो गए हैं, इसलिए ऐसे कर्मचारियों से वेतन मूल का 10 प्रतिशत की दर से मकान का किराया वसूल करना मुश्किल होगा।

पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड

पैरा सं. 7.8 (रिपोर्ट 13/2019)

7.8: स्वीकार्य सीमा से अतिरिक्त भत्तों और अनुलाभों का अनियमित भुगतान

सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्दशों के 50 प्रतिशत। 35 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त कार्यकारियों को भत्तों और अनुलाभों प्रदान करने के परिणामस्वरूप अपने सहायक कंपनियों सहित पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड के कर्मचारियों को क्रमशः 19.91 करोड़ रूपये और 13.39 करोड़ रूपये के मूल्य के अनुलाभों का अनियमित भुगतान किया।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग डीपीई ने जनवरी 2007 से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) में वेतनमान में संशोधन पर दिशानिर्देश जारी (नवंबर 2008) किए। दिशा निर्देशों ने सीपीएसई को 'कैफेटेरिया दृष्टिकोण' का पालन करने की अनुमति दी, जिससे कार्यकारियों को अनुलाभ (सुविधाएं) और भत्तों (उत्तर–पूर्व भत्ता, भूमिगत खदानों के लिए भत्ता, कठिन और दूर दराज के क्षेत्र में सेवारत के लिए विशेष भत्ता, चिकित्सा अधिकारियों के लिए गैर–चिकित्सा भत्ता और मकान किराया भत्ता/पट्टे पर आवास को छोड़कर मूल वेतन के अधिकतम 50 प्रतिशत के अधीन चुनने की अनुमति दी गई। उक्त अधिकतम सीमा को जनवरी 2017 से वेतन संशोधन पर डीपीई दिशानिर्देशों (अगस्त 2017) के अनुसार मूल वेतन के 35 प्रतिशत तक संशोधित की गई थी।

पीएफसी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने ब्याज मुक्त बहुउद्देशीय अग्रिम योजना मंजूरी (जनवरी 2007) दी। इस अग्रिम की अधिकम राशि छह महीने के वेतन के बराबर थी व इस अग्रिम की वसूली दो से चार वर्षों तक की जानी थी। इस योजना में संशोधन (जुलाई 2015) किया गया जिसके अनुसार इस अग्रिम की अधिकतम राशि 12 महीने के बराबर किया गया व अग्रिम की वसूली को दो से पांच वर्ष किया। इसी प्रकार गृह निर्माण के लिए अग्रिम कम्प्यूटर, विवाह, वाहन और शिक्षा की योजनाओं को ब्याज की रियायत दर पर अनुमोदित किया था। योजनाएं इनकी सहायक कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए भी लागू की गई थीं।

पीएफसी अपने कार्यकारियों को कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत अनुलाभों भत्तों की अनुमोदित बास्केट में शामिल 15 अनुलाभों और भत्तों के एक सेट को चुनने की अनुमति (नवंबर 2009) दी, जिसे बाद में 17 अनुलाभ भत्तों तक वृद्धि (अप्रैल 2014) कर दी। इसके अतिरिक्त चल सम्पत्ति अनुलाभ को भी पीएफसी द्वारा अनुमति दी। इन अनुलाभों/भतों को अनुमोदित बास्केट में शामिल नहीं किया। अग्रिमों पर ब्याज की रियायत को दर अधिनियम 1961 के तहत अनुलाभ के रूप में लिया व पीएफसी ने कंपनी सहायक कंपनियों सहित स्रोत पर कर कटौती के लिए अपने कार्यकारियों के कर योग्य वेतन के भाग के रूप में लिया।

पीएफसी ने अपने कार्यकारियों को ब्याज मुक्त/रियायती ब्याज पर अग्रिम वितरण किया और ऐसे अग्रिमों पर 18.97 करोड़ रूपये का रियायती ब्याज और अप्रैल 2009 से मार्च 2018 तक सम्पत्ति सुविधा मूल्य 0.94 करोड़ रूपये पर विचार नहीं किया गया क्योंकि सुविधाएं 50/35 प्रतिशत की सीमा के अंदर थीं, यद्यपि कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत इसे डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम सीमा में शामिल करना अपेक्षित था। पीएफसी ने, डीपीई दिशानिर्देशों का गैर–अनुपालन के कारण, अपने कर्मचारियों के अनुलाभ/भत्तों पर 19.91 करोड़ (18.97 करोड़ रूपये + 0.94 करोड़ रूपये) का अतिरिक्त व्यय उठाया।

आरईसी लिमिटेड (आरईसी) के निदेशक मंडल ने ब्याज मुक्त बहुउद्देशीय अग्रिम योजना, मंजूरी (जुलाई 2008) दी। इस अग्रिम की अधिकतम राशि छह महीने के वेतन के बराबर थी व इस अग्रिम की वसूली दो से चार वर्षों तक की जानी थी। इस योजना में संशोधन (अक्तूबर 2014) किया गया जिसके अनुसार अग्रिम की अधिकतम राशि 12 महीने के बराबर किया गया व अग्रिम की वसूली को तीन से पांच वर्ष तक किया गया। इसी प्रकार गृह निर्माण, कम्प्यूटर, विवाह, घरेलू समान, वाहन और शिक्षा के लिए ब्याज की रियायती दर पर अग्रिम योजनाओं को भी अनुमोदित किया था।

आरईसी ने अपने कार्यकारियों को मूल वेतन के 50 प्रतिशत सीमा के साथ कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत अनुलाभों/भत्तों की अनुमोदित बास्केट में शामिल 16 अनुलाभों और भत्तों के एक सेट को चुनने की अनुमति (जुलाई 2010) दी। अग्रिम पर रियायती ब्याजों को अनुलाभों/भत्तों को अनुमोदित बास्केट में शामिल नहीं किया। अग्रिमों पर रियायत ब्याज को आयकर अधिनियम 1961 के तहत इन अनुलाभों को भत्ता के रूप में लिया व स्रोत पर कर कटौती के अपने कार्यकारियों की कर योग्य वेतन के हिस्से के तौर पर इसे लिया।

आरईसी ने अपने कार्यकारियों को ब्याज मुक्त/रियायती ब्याज अग्रिम का वितरण किया और अप्रैल 2009 से मार्च 2018 तक ऐसे अग्रिमों पर 13.39 करोड़ रूपये (अनुलग्नक VII) का रियाती ब्याज दिया, जिसे 50 प्रतिशत/35 प्रतिशत की सीमा के अंदर अनुलाभों के रूप में नहीं लिया गया था, यद्यपि कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत इसे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार ऊपरी सीमा में शामिल होना अपेक्षित

था। जैसा कि, आरईसी ने डीपीई दिशानिर्देशों के गैर–अनुपालन के कारण अप्रैल 2009 से मार्च 2018 तक अपने कर्मचारियों के अनुलाभों/भत्तों पर 13.39 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय वहन किया। पीएफसी/आरईसी ने जवाब दिया (18/26 अप्रैल 2019) कि डीपीई ने अपने दिशानिर्देशों में कैफेटेरिया दृष्टिकोण के लिए अनुलाभों और भत्तों के रूप में अग्रिमों पर ब्याज को वर्गीकृत नहीं किया है।

पीएफसी और आरईसी का जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डीपीई ने कैफेटेरिया दृष्टिकोण के लिए अपने दिशानिर्देशों में, कुछ अनुलाभों और भत्तों (अर्थात् उत्तर–पूर्व भत्ता, भूमिगत खदानों के लिए भत्ता, कठिन और दूर दराज क्षेत्रों में सेवा के लिए विशेष भत्ता, चिकित्सा अधिकारियों के लिए गैर–चिकित्सा भत्ता और मकान किराया भत्ता/पट्टे पर आवास) को 50 प्रतिशत/35 प्रतिशत की सीमा से बाहर रखने के लिए निर्दिष्ट किया है उस में यह अनुलाभ/भत्ता शामिल नहीं है।

मंत्रालय में इस मामले को संदर्भित (मार्च/मई 2019) किया था उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2019)।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

पैरा सं. 7.9 (रिपोर्ट 13/2019)

7.9: डीपीई द्वारा नियत उच्चतम सीमा से परे अनुलब्धियों का अनियमित भुगतान

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) ने जनवरी 2007 से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) में वेतनमान के संशोधन पर दिशानिर्देश जारी (नवंबर 2008) किए। दिशानिर्देश ने सीपीएसई को ''कैफेटेरिया दृष्टिकोण'' को पालन करने की अनुमति दी, जिसने अपने कार्यकारियों को मूल वेतन के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन अनुलब्धियों (सुविधा) और भत्तों के एक सेट को चुनने की अनुमति दी। चार भागों जैसे उत्तर–पूर्व भत्ता, (ii) भूमिगत खदानों के लिए भत्ता (iii) कठिन और दूर दराज के क्षेत्र में सेवा के लिए विशेष भत्ता (iv) चिकित्सा अधिकारी के लिए प्रैक्टिस बंदी भत्ता और (v) मकान किराया भत्ता/पट्टे पर आवास को मूल वेतन की 50 प्रतिशत सीमा क्षेत्र से बाहर थे। उन स्थानों पर, जहां सीपीएसई ने अस्पतालों, कालेजों, स्कूलों, क्लबों आदि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं बनाई हैं, इन सुविधाओं को अनुलाभों और भत्तों की गणना के उद्देश्यों के लिए प्रतिस्थापन लागत पर मुद्रीकृत किया जाना चाहिए। डीपीई ने दोहराया (अप्रैल 2011/जून 2012/जून 2014) कि कोई भी अनुलाभों और भत्तों को नहीं, उपर्युक्त चार भत्तों को छोड़कर मूल वेतन के 50 प्रतिशत की सीमा से क्षेत्र से बाहर थे, और गृह आवास के पट्टे प्रदान करने के लिए कर अनुलब्धियों को अनुलाभों/भत्तों की सीमा के अन्दर रखना चाहिए।

वेतन संशोधन के समय जनवरी 2017 से, डीपीई ने मूल वेतन के 35 प्रतिशत के अनुलाभों/भत्तों की सीमा को संशोधित (3 अगस्त 2017) किया, और अनुलाभों और भत्तों के क्षेत्र में अनुलब्धियों को कर की 50 प्रतिशत की अनुमति दी। अस्पताल, कालेज और स्कूलो आदि अवसंरचनात्मक सुविधाओं की परिचालन और अनुरक्षण पर वहन की गई आवर्ती लागत को अनुलाभों/भत्तों की सीमा क्षेत्र से बाहर रखा था।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसी) ने अपने कर्मचारियों को अनुलाभों/भत्तों के लिए 50 प्रतिशत की उपलब्ध बास्केट के बाहर मूल वेतन के 47 प्रतिशत की अनुमति दी। मूल वेतन का शेष 3 प्रतिशत 1 अप्रैल 2009 से 31 दिसम्बर 2016 की अवधि के लिए 15.73 करोड़ रूपये था। अस्पताल, कालेज और स्कूलों आदि की सुविधाओं का मुद्रीकरण मूल्य और पट्टे पर आवास प्रदान करने के लिए अनुलब्धि कर टीएचडीसी द्वारा अनुमति दी गई अनुलाभों/भत्तों के बास्केट से बाहर थी। हालांकि, लेखा परीक्षा ने पाया कि टीएचडीसी ने इसी अवधि के दौरान अस्पताल आदि (19.81 करोड़ रूपये) और अनुलब्धि कर (10.44 करोड़ रूपये) जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं पद 30.25 करोड़ रूपये का व्यय वहन किया था। इसके अलावा, टीएचडीसी ने अनुलाभों/भत्तों के तौर पर 50 प्रतिशत के प्रतिबंध के बिना 1 जनवरी 2017 से 14 मई 2018 तक पट्टे पर लिए गए आवास पर अनुलब्धियों कर पर 2.94 करोड़ रूपये का व्यय वहन किया था। टीएचडीसी ने दिनांक 3 अगस्त 2017 की डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुपालन में 15 मई 2018 से इसके अनुलाभों/भत्तों को 50 प्रतिशत तक प्रतिबंधित करना शुरू किया। इसका प्रकार, टीएचडीसी ने अप्रैल 2009 से 14 मई 2018 तक 15.99 करोड़ रूपये (30.25 करोड़ रूपये . 15.73 करोड़ रूपये + 2.99 करोड़ रूपये का 50 प्रतिशत) अर्थात् अनुलाभों/भत्तों की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त भत्तों पर अनियमिति व्यय वहन किया।

मंत्रालय/प्रबंधन ने जवाब दिया (मार्च 2019) कि सुविधाओं (3.05 करोड़ रूपये) की मुद्रीकृत मूल्य और अनुलब्धियों आवास पर कर अनुलाभों/भत्तों की सीमा के बिल्कुल अंदर था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टीएचडीसी द्वारा सुविधाओं के मुद्रीकरण के लिए संकेतित 3.05 करोड़ रूपये की राशि केवल सुविधाओं के अवसंरचनाओं पर कंपनी द्वारा प्रभारित मूल्यह्रास की राशि का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें अन्य चल रहे और रखरखाव के खर्चों की राशि शामिल है जैसे कि मेडिकल स्टोर खरीदे गए, सुविधाओं के लिए कर्मचारियों के वेतन आदि, इन सुविधाओं पर टीएचडीसी द्वारा 16.76 करोड़ की राशि वहन की गई। जैसा कि, डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, टीएचडीसी ने 1 अप्रैल 2009 से 14 मई 2018 तक उनके कर्मचारियों के अनुलाभों/भत्तों पर 15.99 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय वहन किया।

संघ सरकार (वाणिज्यिक) – भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सं. 13/2019 . लेखापरीक्षा की टिप्पणियों की अनुपालना

लेखापरीक्षा ने पाया कि दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) विभिन्न राज्यों की विद्युत वितरण यूटिलिटिओं के साथ द्विपक्षीय टाई–अप और घाटी क्षेत्र में फर्म बिक्री माध्यम से अपनी पूरी स्थापित क्षमता को बेचने में सक्षम नहीं था,जिसके परिणामस्वरूप 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान अधिशेष विद्युत प्राप्त हुई। इसके अलावा, डीवीसी के पास विद्युत की बिक्री के लिए विपणन नीति नहीं थी और अधिशेष ऊर्जा से निपटने के लिए बनाई गई मार्केटिंग टीम विशिष्ट लक्ष्यों के साथ रोड मैप न होने और व्यापक क्षेत्र दौरों के अभाव के कारण डीवीसी की अधिशेष विद्युत को बेचने में पर्याप्त रूप से सफल नहीं हो सकी। डीवीसी ने ओवरड्रॉइंग करने वाले फर्म उपभोक्ताओं से निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उनके अनुबंध की मांग को बढ़ाने के लिए से भी संपर्क नहीं किया।

डीवीसी ने विनिमय बाजार पर बोली लगाने की अपनी क्षमता प्रतिबंधित करने और

असफल अल्पकालिक बोलियों के विश्लेषण के अभाव के कारण विद्युत की अल्पकालिक बिक्री का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया। सभी द्विपक्षीय पक्षों के साथ–साथ सभी फर्म उपभोक्ताओं से प्रतिभूति के गैर–संग्रह के परिणामस्वरूप असुरक्षित कर्जदारों से काफी बकाया देयताएं हैं।

(पैरा 7.1)

लेखापरीक्षा ने पाया कि भारत सरकार से पूंजी/इक्विटी अंशदान के रूप में वित्तीय सहायता और प्रमुख उपभोक्ताओं से बकाया की वसूली रघुनाथपुर ताप विद्युत स्टेशन–II (आरटीपीएस–II) के कार्यान्वयन के लिए पूर्वापेक्षा, सुनिश्चित किए बिना,दामोदर घाटी निगम ने परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जिसके परिणास्वरूप, आरटीपीएस–II की स्थापना के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से लिए गए ऋण पर ब्याज और भुगतान–पूर्व प्रभारों के लिए 138.92 करोड़ रुपये निष्फल व्यय हुआ।

(पैरा 7.2)

लेखापरीक्षा ने पाया कि अस्थायी राख तालाबों में गीली राख निपटान क्षेत्र की अपर्याप्तता के कारण, दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के कोडरमा ताप विद्युत स्टेशन (केटीपीएस) की यूनिट–I को अप्रैल, 2014 से तीन महीने की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) को विद्युत की आपूर्ति के लिए प्रचालित नहीं किया जा सका। सीईआरसी के दिशानिर्देशों के अनुसार केटीपीएस की यूनिट्स–II के वाणिज्यिक संचालन की तारीख की घोषणा के साथ–साथ उपरोक्त विद्युत की गैर–आपूर्ति के परिणामस्वरूप विद्युत क्रय करार (पीपीए) को डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा समाप्त कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप डीवीसी को अंततोगत्वा के टीपीएस की यूनिट–I और II के नियमित प्रभारों की गैर–वसूली के प्रति 71.25 करोड़ रुपये का परिहार्य घाटा हुआ।

(पैरा 7.3)

डीपीई दिशानिर्देशों (जुलाई, 2012) के अनुसार, अर्जित अवकाश और अर्ध–वेतन अवकाश (एचपीएल) पर 300 दिनों की समग्र सीमा के अध्यधीन सेवानिवृत्ति पर छुट्टी के नकदीकरण के लिए विचार किया जा सकता है। एचपीएल के लिए देय नकद समतुल्य वेतन एचपीएल के लिए यथा अनुमेय छुट्टी वेतन प्लस महंगाई भत्ते के बराबर होगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि एनटीपीसी लिमिटेड और एनटीपीसी– सेल पावर कंपनी लिमिटेड (एनएसपीसीएल) ने एचपीएल की गणना करते समय आधे मूल वेतन के बजाय पूर्ण मूल वेतन पर महंगाई भत्ते की अनुमति दी, जिससे अप्रैल 2011 और जुलाई 2018 की अवधि के दौरान एनटीपीसी लिमिटेड और एनएसपीसीएल के कर्मचारियों को 74.89 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(पैरा 7.5)

Fan Dashboard | Tubelight Dashboard | Translate to English | FAQs | Register your complaint

MINISTRY OF POWER

राष्ट्रीय उजाला डैशबोर्ड

EESL

16 मार्च 2020 17:41 तक वितरित कुल एलईडी

36,21,87,753

47,036 mn kWh	INR 18,814 Cr	9,417 MW	3,80,99,352 t CO_2
प्रति वर्ष ऊर्जा की बचत	प्रति वर्ष लागत की बचत	अधिकतम मांग की अवहेलना	CO_2 प्रति वर्ष में कमी

ऐजेंसी वितरण संख्याएँ

BPCL	HPCL	IOCL	CSC	DEPT. OF POST	BUILDING DEPT	OTHERS
40,932	24,736	14,258	6,54,730	9,76,971	6,781	2,75,36,792

उजाला वितरण योजना | संस्थागत वितरण योजना

संस्थागत का डेटा देखने के लिए यहां क्लिक करें

Download on the App Store | GET IT ON Google play

उजाला गुणवत्ता की जांच

एलईडी उद्योग द्वारा जनवरी 2020 तक 163.41 करोड़ एलईडी का वितरण किया जा चुका है।

उजाला

उजाला के बारे में

सत्यमेव जयते

विद्युत मंत्रालय

भारत सरकार

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110 001

Perfect10